माला, खंड 19, अंक 25

सोमवार, 27 अगस्त, 2001
5 भाद्रपद, 1923 (शक)

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 19 में अंक 21 से 29 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...52...
Date... 12/6/2002

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 19, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 25, सोमवार, 27 अगस्त, 2001/5 भाद्रपद, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 481 से 484	2–28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 485 से 500	28–56
अतारांकित प्रश्न संख्या 4951 से 5180	56–397
इंडियन एअरलाइन्स द्वारा 50 सीट वाले विमान को पट्टे पर लिये जाने के बारे में दिनांक 30.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1163 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	397
इंडियन एअरलाइन्स के लिए छोटे विमान की खरीद करने के बारे में दिनांक 30.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1117 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	398
सभा पटल पर रखे गए पत्र	398–400
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
सोलहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	400–401
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
चौंदहवां प्रतिवेदन	401
कार्य मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	401
अयोध्या मुद्दे के संबंध में प्रधान मंत्री के कथित वक्तव्य के बारे में	401–410
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के संबंध में बहस के दौरान उद्धृत दस्तावेज की प्रामाणिकता के बारे में	411–438
नियम 377 के अधीन मामले	439–443
(एक) झारखंड राज्य में नक्सलवाद की समस्या से निपटने की आवश्यकता प्रो. दुखा भागत	439
(दो) लहसुन के आयात के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	439
(तीन) रीवा, मध्य प्रदेश में एक उपमार्ग (बाईपास) का निर्माण किए जाने की आवश्यकता श्री सुन्दर लाल तिवारी	440
(चार) असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए असम सरकार को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता श्री अब्दुल हमीद	440
(पांच) उत्तरी बंगाल क्षेत्र का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता श्री प्रिजरंजन दासमुंशी	441

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(छह) उत्तर प्रदेश में कानपुर और हाथरस के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए शेष धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रभूषण सिंह	441
(सात) अयोध्या-सीतामढ़ी तथा हाजीपुर-वैशाली-डुमरियाघाट मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	442
(आठ) देश में संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.सी. थामस	442
(नौ) महाराष्ट्र में मुम्बई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर एक उपरिपुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया	443
(दस) तमिलनाडु में मदुरै स्थित पोसपोर्ट कार्यालय का दर्जा बढ़ाये जाने की आवश्यकता	
श्री पी. मोहन	443
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक	443–491
विचार करने के लिए प्रस्ताव	444
श्री प्रमोद महाजन	444, 484
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	450
श्री सोमनाथ चटर्जी	455
कुमारी ममता बनर्जी	461
कुंवर अखिलेश सिंह	463
श्री राशिद अलवी	466
श्री प्रभुनाथ सिंह	468
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	472
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	473
श्री अजय चक्रवर्ती	478
श्री वरकला राधाकृष्णन	479
श्री के. मलयसामी	481
श्री सुरेश रामराव जाधव	482
श्री अमर राय प्रधान	483
खंड 2 से 4 और 1	489
पारित करने के लिए प्रस्ताव	491
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)-2001-2002	493–540
श्री नारायण दत्त तिवारी	492
श्री खारबेल स्वाइं	502
श्री रूपचन्द पाल	519
डा. बी.बी. रमैया	527
श्री चन्द्रनाथ सिंह	534
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	537
आधे घंटे की चर्चा	
सुपर बाजार को हुए घाटे के बारे में	509–519
श्री प्रभुनाथ सिंह	509
प्रो. रासासिंह रावत	513
श्री वरकला राधाकृष्णन	513
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	514
श्री शान्ता कुमार	515

लोक सभा

सोमवार, 27 अगस्त, 2001/5 भाद्रपद, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, अयोध्या के विवाद को एक बार फिर प्रधान मंत्री जी ने लखनऊ में जाकर उलझा दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया, आप कृपया इसे प्रश्न काल के बाद उठाईएगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अयोध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया बैठ जाईए, यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं बोल रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया, आप इसे 'शून्यकाल' के दौरान उठा सकते हैं। प्रश्न सं. 481, डा. पाण्डेय।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप जो कहेंगे, हम उसका पालन करेंगे। हम इसे 'शून्यकाल' के दौरान उठाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे 'शून्यकाल' के दौरान उठा सकते हैं। प्रश्न सं. 481, डा. पाण्डेय

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस मामले को प्रश्न काल में नहीं उठाया जा सकता। आप शून्य काल में इसे उठाएं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): हमने इस पर नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका नोटिस देखा है। शून्य काल में आप इसे उठाएं। अभी प्रश्न काल चलने दें।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

डाक सेवाएं

***481. डा.+ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से समहत है कि देश में डाक सेवाओं में सुधार की काफी आवश्यकता है,

(ख) यदि हां, तो डाक सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या डाक सेवायें देश के दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच गई हैं; और

(घ) देश में डाक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

देश में डाक सेवाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। डाक सेवाओं की गुणवत्ता सामान्य तौर पर संतोषजनक है जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है:-

(i) सितंबर 2000 में किए गए अखिल भारतीय लाइव मेल सर्वेक्षण के निष्कर्ष के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 91.40% अपंजीकृत डाक और 93.44% पंजीकृत डाक को निर्धारित मानकों के अनुसार वितरित किया गया था। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: 88.77% और 87.29% अपंजीकृत और पंजीकृत डाक को निर्धारित मानकों के अनुसार ही वितरित किया गया था।

(ii) भारत में विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है जिसमें कुल 1,54,551 डाकघर हैं। एक डाकघर औसतन 21.26 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र और 5462 की जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है।

(iii) डाक को दैनिक रूप से एकत्र करने, पारेषित करने और उनके वितरण की दृष्टि से देश के प्रत्येक गांव में डाक सेवाएं उपलब्ध हैं।

(iv) विभिन्न अनिवार्य सेवाओं के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों में भी कमी आई है जो निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जाएगा:

(करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्त	निपटाई गई	लंबित	कुल परियात
1998-99	80266	813063	827447	65882	1576.65
1999-2000	65882	814260	820763	59379	1578.15
2000-2001	59379	787601	788632	58348	1432.60

(v) विभाग सेवाओं की गुणवत्ता की सूक्ष्म मानीटरिंग कर रहा है और अधिक प्रभावी प्रबंधन के जरिए सुधार के हर संभव प्रयास कर रहा है तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटरीकरण का प्रयोग कर रहा है।

सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) जहां भी डाक पारेषण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है वहां नए मेल आफिस और ट्रांजिट सेक्शन खोले जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्राइवेट एयरलाइन्स की सेवाओं का उपयोग भी किया जा रहा है।

(ii) पोस्टमैनों के अतिरिक्त पदों की मंजूरी प्रदान करना। 1997-98 में 980 पदों की, 1998-99 में 852 पदों की और 1999-2000 में 728 पदों की मंजूरी प्रदान की गई थी।

(iii) अधिकारियों और पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों द्वारा डाक के वितरण कार्य की आकस्मिक जांच किया जाना। डाक के पारेषण में कई गतिरोध होने पर उसे दूर करने के लिए एयरलाइन्स/रेलवे और राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के साथ समन्वय बैठकें करना।

(iv) अधिसूचित केन्द्रों में विशिष्ट अवसरों की डाक के निपटान हेतु विशेष व्यवस्था की गई है।

(v) जनता को सुगमतापूर्वक सूचना प्रदान करने के लिए सूचना तथा सुविधा काउंटरों की स्थापना करना।

(vi) 204 जिला मुख्यालयों में कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्रों की स्थापना।

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक नेटवर्क के विस्तार हेतु प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में पंचायत संचार सेवा योजना नामक एक नई स्कीम की शुरूआत की गई है। कुल 3213 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले जा चुके हैं और चालू वर्ष के दौरान ऐसे 2000 अन्य केन्द्र खोले जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने दावा किया है कि डाक सेवाओं में काफी सुधार हुआ है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार अभी भी काफी सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने बताया है कि शहरी क्षेत्र में

करीब 90-91 प्रतिशत सुधार हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 87-88 प्रतिशत सुधार हुआ है। इसमें और सुधार करने की दृष्टि से मंत्री जी ने व्यापक कदम उठाए जाने की बात कही है और पंचायत सेवा केन्द्र के बनाए जाने की भी बात कही है। पंचायत सेवा केन्द्र अभी भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और उनका प्रतिशत भी अभी और बढ़ाना जरूरी है, जिससे वे सही ढंग से काम कर सकें। लोगों की बार-बार शिकायत मिलती है कि हमें कई-कई दिनों तक डाक नहीं मिलती है। मेरा मंत्री जी से जानना है कि इस बारे में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे लोगों को समय पर डाक मिल सके और डाक व्यवस्था में सुधार हो सके?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): जहां तक आंकड़े दिए गए हैं, उसमें सुधार की क्या स्थिति है, यह भी दर्शाया गया है। मैंने पिछली बार बताया था कि यह सही है कि जो नई टेक्नोलाजी और टेलीकम्यूनिकेशन के प्रसार की बात बहुत क्षेत्रों में है, जिनमें काम की संख्या अभी घटी नहीं है। भविष्य में यह सही हो जाएगी। जहां तक आपने पंचायत सेवा केन्द्र खोलने की बात कही है, हमने निर्णय लिया था कि जहां-जहां पोस्ट आफिस नहीं खुले हैं, तीन सौ से ज्यादा की आबादी है, वहां पंचायत सेवा केन्द्र खोले जाएंगे। उसमें पहले 300 रुपए तक की सीमा थी, जिसको बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। इस वजह से वहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आम लोगों को सुविधा भी होगी। मेरे पास इस बारे में राज्यवार ब्यौरा है कि 1997 से लेकर 2001 तक कितनी जगह पर पंचायत सेवा केन्द्र खोले गए हैं। इस मामले में काफी प्रगति हो रही है।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि पंचायत सेवा केन्द्र पंचायत स्तरों पर खोले जा रहे हैं और कई राज्यों में काफी खोले गए हैं, लेकिन उनके कार्य में सुधार नहीं हुआ है। इस सबके बावजूद आज डाक सेवा में काफी प्रतिस्पर्धा है। कुरियर सेवा द्वारा भी लोगों को डाक पहुंचाई जाती है। आपने पोस्ट कार्ट और एन्वलप आदि डाक दरों में वृद्धि भी की है। उसके बाद भी महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार विगत चार वर्षों में डाक विभाग को दस अरब रुपए का घाटा हुआ है। यह घाटा कितना पूरा होगा और उस घाटे के बावजूद आपने जो डाक दरें बताईं, उसकी कितनी पूर्ति हो सकेगी और क्या इसके अंदर को देखते हुए क्या आप डाक सेवाओं में सुधार ला सकेंगे? लोगों का यह भी मानना है कि अभी भी डाक सेवाएं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से ठीक नहीं हैं। आप कम्प्यूटरीकरण की बात करते हैं लेकिन कम्प्यूटरीकरण भी वहां पर नहीं है, ई-मेल की सुविधा की आप बात करते हैं लेकिन यह सुविधा भी वहां नहीं पहुंच पाई है, इन सभी सुविधाओं को आप कब तक दे पाएंगे? इस सारे घाटे को देखते हुए और वृद्धि को देखते हुए जिसे कई साहित्यिकों ने, कई लोगों ने और कई बुद्धिजीवियों ने तर्कसंगत नहीं बताया है, इस बारे में माननीय मंत्री जी कृपया स्पष्ट उत्तर दें।

श्री राम विलास पासवान: पूरे संसार में जहां भी डाक सेवाएं हैं, वे सब जगह घाटे में चलती हैं, खासकर रूरल एरिया जो है, अब एक पोस्ट कार्ड को आप ले लें। एक पोस्ट कार्ड की कीमत उसे बनाने से लेकर डिलीवरी तक कुल मिलाकर 3 रुपये 25 पैसे प्रति पोस्ट-कार्ड पड़ती है लेकिन हमने 25 पैसे से पोस्ट कार्ड की कीमत बढ़ाकर 50 पैसे कर दी है। 50 पैसे का मतलब है कि अभी भी प्रति पोस्ट कार्ड 2.50 रुपया या 2.75 रुपया प्रति पोस्ट कार्ड सब्सिडी पर घाटे पर चल रहा है। 5-6 साल से इसकी दर में वृद्धि नहीं हुई थी इसलिए सरकार ने थोड़ा सा कदम लिया लेकिन 25 पैसे का सिर्फ 50 पैसा ही कर दिया और अखबार में आने लगा कि सौ प्रतिशत वृद्धि हो गई है। लेकिन आज तक के मूल्य के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा डाक विभाग भी धीरे-धीरे फाइनेंशियली मजबूत हो और उसके लिए पिछले साल भर के अंदर हमने बहुत सारे करार किये हैं जिसमें आईडीबीआई म्युचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्युचुअल फंड, स्पीड पोस्ट, पासपोर्ट सेवा और पंचायत पोस्ट आफिस के जिम्मे जो हमने लाने का काम किया है, वैस्टर्न यूनियन के साथ समझौता हुआ, वैस्टर्न बैंक आफ इंडिया के साथ म्युचुअल फंड का समझौता हुआ और ई-पोस्ट का हमने पांच स्टेट्स आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और गोआ में शुरू किया था। इस तरीके से जो भी हमसे संभव हो रहा है, नई टैक्नोलाजी लाना और कम्प्यूटराइज करना, इन सारी चीजों को हम यूटिलाइज कर रहे हैं लेकिन यह कहना कि इसके बावजूद भी जो पोस्टल विभाग का घाटा है, वह सिर्फ पोस्ट कार्ड का दाम बढ़ाने से इस घाटे की पूर्ति हो जाएगी, यह संभव नहीं है। उसको वैल्यू एडैड सर्विस के रूप में कैसे बदला जाये, इसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से जो अलग-अलग सेवाएं हैं, उनको कम्पीट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: अभी जो मैंने 7-8 बातें गिनाई हैं, वे प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से चुनौती को स्वीकार करने के लिए हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो लिखित उत्तर दिया है, उसमें जो कहा है, वह हमने सुना है और आंकड़े तो हर चीज के होते हैं लेकिन हम व्यावहारिक बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं।

उन्होंने निर्देश दिया है कि विभाग की तरफ से हर जगह से चिट्ठी इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक गांव के सामने लैटर-बाक्स रखे गए हैं जिससे वहां से चिट्ठी कलैक्ट की जाती हैं। हम जानना चाहते हैं कि कितने लैटर-बाक्स गांवों में लगाये गये हैं जिससे चिट्ठियां कलैक्ट की जा सकें और विभाग ने कितनी गलत रिपोर्ट दी है, यह आप बताएं क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार गांवों में लैक्टर-बाक्स रहता ही नहीं है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि डाकघर खोलने के जो आपकी प्रक्रिया है, उसके तहत जनसंख्या के आधार पर कितने डाकघर खोलने की आवश्यकता आप महसूस करते हैं और जो डाकघर खोले हैं, क्या उसमें भेदभाव बरता गया है और अगर भेदभाव नहीं बरता गया है तो माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके राज्य के किन-किन जिलों में कितने डाकघर खोले गये हैं और क्या आवश्यकतानुसार आप अपने राज्य के हर जिले में डाकघरों की आवश्यकता की पूर्ति कर चुके हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य भी उसी राज्य से हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: जवाब में हमने आलरेडी कहा है कि देश में जो प्रधान डाकघर हैं, वे 840 हैं। जो विभागीय उप डाकघर हैं, वे 25166 हैं। अतिरिक्त विभाग उप डाकघरों की संख्या 2746 है और जो अतिरिक्त विभाग शाखा डाकघरों की संख्या 1,25,799 है। जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की डाकघरों की संख्या है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1,31,149 है और शहरी क्षेत्रों में 16402 है। जहां तक लैटर बाक्स के साथ नम्बर आफ विलेजेज की बात है, तो 4,05,754 गांव देश में हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): मंत्री जी, कितना हकीकत में है, यह बताना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान: हमारे पास आप लोगों की तरफ से शिकायत आती हैं और सरकार के मुताबिक हम आंकड़ों पर चलेंगे। हमारे पास विभाग से जो लिखित आता है, उसी को बतायेंगे कि छः लाख सात हजार गांव हैं, इन गावों में पर्सनली जाकर विजिट नहीं हो सकता है। जहां से शिकायत आती है, चाहे किसी भी माननीय सदस्य की तरफ से आती है कि पेपर पर आकंड़े सही नहीं हैं, तो हम उसकी जांच करायेंगे और रिपोर्ट दे देंगे।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है और आदरणीय पाण्डेय जी ने प्रश्न पूछा है कि सेवायें देश के दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था है। सरकार ने बताया है कि पोस्टमैन के अतिरिक्त पदों की मंजूरी प्रदान करेंगे। जैसा कि बताया गया है, 1997-98 में 980 पद, 1998-99 में 852 पद और 1999-2000 में 728 पदों की मन्जूरी प्रदान की गई है, लेकिन सन् 2000-2001 में पोस्टमैन के पदों के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, दुर्गम स्थानों पर पोस्टमैन द्वारा चिट्ठी पहुंचाने के लिए कितने पदों को स्वीकृति प्रदान करने जा रहे हैं, ताकि इंटिरियर क्षेत्रों में पोस्टमैन द्वारा लोगों को चिट्ठी मिल सके? आपने अपने जवाब में यह भी कहा है कि 204 जिला मुख्यालयों को कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना करने का विचार है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या सरकार इनकी संख्या को बढ़ाने का इरादा रखती है?

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, राजो सिंह जी मंत्रालय की कन्सलटेटिव कमेटी के सदस्य हैं इनको स्थिति के बारे में मालूम होगा। जहां तक पोस्ट्स का सवाल है, सरकार की नीति है कि पदों की भरती धीरे-धीरे कम की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास है, जहां-जहां मुश्किलें हैं, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए हम समझते हैं कि हमारा काम रुका नहीं है। काम रुक नहीं रहा। पोस्ट्स की सैंक्शन फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेनी होती है और जहां तक 2000-2001 की बात है, इस संबंध में बातचीत फाइनैंस मिनिस्ट्री से चल रही है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पोस्ट्स स्वीकृत करायें।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूरसंचार की तरक्की तो हुई है किंतु इसके साथ डाक सेवा भी उपेक्षित हुई है, क्योंकि, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि, दूरस्थ क्षेत्रों में पोस्ट कार्ड और अन्तर्देशीय सेवा ही अधिक प्रयोग की जाती है, जिससे अधिक राजस्व की प्राप्ति नहीं होती। एक मानदण्ड के अनुसार एक डाक घर को एक निश्चित क्षेत्र समाहित करना ही होता है। सांसद के रूप में जब हम पत्र लिखते हैं तो दुर्भाग्यवश जो रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है वह वास्तव में सही रिपोर्ट नहीं होती। सदस्य जो कुछ कहते हैं उस पर विश्वास नहीं किया जाता अपितु रिपोर्टों पर विश्वास किया जाता है। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में डाक घर की मांग को अस्वीकार करने के संबंध में हमें माननीय मंत्री जी से एक पत्र प्राप्त हुआ। इसे देखते हुए, क्या मंत्री महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न भागों की वास्तविक आवश्यकताओं की जांच करेंगे और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे? - मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय के दिल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हमदर्दी है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से नार्थ ईस्ट के सवाल को हम अपनी ओर से भी देख रहे हैं। हमारे पास जो भी शिकायत आती है, हम उसको तुरन्त दूर करने का काम करते हैं।

जहां तक संबंधित क्षेत्र का सवाल है, गांव में पोस्ट आफिस खोलने के लिए 3000 की पोपुलेशन होनी चाहिए। जो पहाड़ी इलाके, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां एक हजार जनसंख्या है या अकेले एक गांव में 500 की जनसंख्या होनी चाहिए, साधारण न्यूनतम दूरी तीन किलोमीटर होनी चाहिए। जहां कहीं दुर्गम या पहाड़ी इलाके हैं उनमें स्पेशल पावर भी स्थानीय अधिकारियों को दी गई है। जो पहाड़ी इलाका है या ट्राइबल एरिया है, उनमें जितनी टोटल इंकम होनी चाहिए, उसकी कम से कम 15 प्रतिशत आय होनी चाहिए और जनरल एरिया में जितना टोटल खर्चा होता है, उसकी कम से कम एक-तिहाई वहां से आय होनी चाहिए। जो काफी दुर्गम और पहाड़ी इलाके हैं या आदिवासी इलाकों के लिए काफी रिलेक्स कर दिया गया है। वैसे यदि आप जानना चाहें, जैसे मैंने कहा है कि 1,54,551 टोटल पोस्ट आफिस हैं, रूरल एरिया में 1,38,149 हैं। डेजर्ट ऐरिया में 4383 हैं, हिली एरियाज में 10,419 हैं और ट्राइबल एरिया में 15,259 हैं तथा इनएक्सेसीबल एरिया में 178 हैं।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): महोदय, देश में डाक सेवाओं का विस्तार एवं प्रसार हो रहा है, सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कितनी बढ़ाई जा रही हैं, इसका एक अनुभव, अपना एक एक्सपीरियंस है। दिल्ली के अंदर किंग्जवे कैंप है। जिस समय पार्टिशन हुआ उस समय पंजाब से जो लोग आए थे वे वहां आकर बसे। उस समय सुविधाएं थीं लेकिन 1960-70 के डिकेड के अंदर जो पोस्टआफिस हैं उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया। आदर्श नगर वहां से तीन-चार किलोमीटर दूर है। मैं और मेरे आने से पहले भी माननीय सदस्य आपसे रिक्वेस्ट करते रहे हैं। मैंने पर्सनली भी आपसे कहा कि किंग्जवे कैंप और उसके आस-पास एक लाख की आबादी है। वहां डाकखाने की सुविधा 1960 में थी, उसके बाद उसे शिफ्ट कर दिया गया। हम कई सालों से मांग कर रहे हैं कि वह डाकखाना वापस वहीं ले आईए। वहां जगह है, सब कुछ है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरह मोती नगर में भी लगभग 50-60 लाख की आबादी है, वहां भी कुछ नहीं है। कम से कम भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां पहले डाकखाना की सुविधाएं थीं, जो छीन ली गई उन्हें वापस करवा दीजिए।

श्री रामविलास पासवान: ठीक है, इस संबंध में हम देखेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): मैंने आपको लिख कर भी दिया था और आपसे मिला भी था।...*(व्यवधान)*

श्री रामविलास पासवान: कल तो हमारा दासमुंशी जी के साथ डिसकशन है और राज्य सभा में प्रश्न है। 30 तारीख को मैं आपको भी बुलाऊंगा तथा अन्य सबको भी बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

निजी मूलभूत दूरसंचार सेवा प्रदानकर्त्ताओं को इन्टर-कनेक्शन

***482. डा. जसवन्त सिंह यादव:**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने निजी मूलभूत दूरसंचार सेवा प्रदान करने वालों को इंटर-कनेक्शन देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अनुमति न देने के क्या आधार हैं;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने भारत संचार निगम लिमिटेड के इस रवैये से असहमति प्रकट की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या इस इन्कार के कारण कुछ निजी मूलभूत सेवा प्रदानकर्त्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन्टर-कनेक्शन करार में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा इन्टर-कनेक्शन चाहने वाले आपरेटर द्वारा ठोस मांग किये जाने पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा अन्टर-कनेक्शन प्वाइंट (पी.ओ.आई.) प्रदान किए जा रहे हैं। जहां कहीं बी.एस.एन.एल. के पास अपने स्विचों में ऐसी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है,

बी.एस.एन.एल. ने किराये और गारन्टी के आधार पर नयी क्षमता संस्थापित करने का प्रस्ताव किया है। बी.एस.एन.एल. को यह सुझाव दिया गया है कि वह एक प्रगामी बहु-प्रचालक वातावरण में प्रत्याशित मांग को ध्यान में रखते हुए अपने एक्सचेंजों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। ऐसी समीक्षा के पश्चात् बी.एस.एन.एल. ने इन्टर-कनेक्शन प्वाइंट की मांग को पूरा करने के लिए व्यवहार्य सीमा तक इन्टर-कनेक्शन प्वाइंटों की अतिरिक्त व्यवस्था करने हेतु मांग-पत्र जारी किए हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, आज 21वीं सदी है और दूरसंचार सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। आज हर गांव के बच्चे को इंटरनेट की जरूरत है, संसार के बारे में जानने की जरूरत है। सरकार काम तो काफी कर रही है लेकिन आज भी जो गांव दूरदराज ढांणियां हैं उनमें किसी तरह की टेलीफोन की या दूरसंचार की कोई सुविधा नहीं है। वहां के बच्चे और वहां जब भी किसी को जरूरत होती है तो वे इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। मेरा लोक सभा क्षेत्र अलवर तो बहुत ही नजदीक है। सांसद कोटे से सौ टेलीफोन देने की सुविधा दे रखी है, लेकिन आज भी यही जवाब आता है कि आठ किलोमीटर है और आपने जो टेलीफोन दिया वह दस किलोमीटर है, टेलीफोन छः महीने या साल भर बाद लगेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड, जो भारत सरकार ने बनाया था, उसका उद्देश्य यही था कि सरकार और गैर-सरकारी आपरेटर्स को समान सुविधाएं मिलेंगी। जिससे कि दूरदराज के ग्रामों तक दूरसंचार की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। मेरा प्रश्न है कि निजी मूलभूत संचार सेवाओं में सेवा प्रदान करने वालों ने भारत संचार लिमिटेड से इंटर कनैक्शन के अलावा और कौन-कौन सी सुविधाओं की मांग की है तथा उनकी क्या समस्याएं हैं जिनके कारण निजी कंपनियां तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आ रही हैं। भारत संचार निगम या भारत सरकार क्या उनकी इन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): आप देखेंगे कि दिल्ली टैलीकाम विभाग में जो हमारी टैली-डैन्सिटी है वह निरन्तर बढ़ रही है। दो साल पहले करीब पौने दो करोड़ लाइनें थीं जो अभी बढ़कर तीन करोड़ तीस लाख लाइनें हो गयी हैं और फिर 45 लाख सैलूलर मोबाइल भी उसमें जुड़ गये हैं। तो कुल मिलाकर हमारी टैली-डैन्सिटी बढ़कर 3.6 हो गयी है। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं। हमने टार्गेट रखा है कि 2005 तक साढ़े सात करोड़ लाइनें होनी चाहिए और 2010 तक 17 करोड़ लाइनें होनी चाहिए जिससे हमारी टैली-डैन्सिटी 2005 में बढ़कर साढ़े तीन परसेंट से 7 परसेंट हो जाए और 2010 में वह बढ़कर 15 परसेंट हो जाए। उसके अलावा हमारे देश में कुल मिलाकर 6 लाख 7 हजार गांव हैं जिनमें से 4 लाख 10 हजार गांवों में टैलीफोन सुविधा हुई है और उसमें से भी जो 2 लाख 11 हजार गांव हैं वह 'मार' तकनीक के तहत हैं और जो सही ढंग से काम नहीं कर रही है और उनको भी हमें बदलना है। एक तरफ जहां हम आप्टीकल फाइबर डाल रहे हैं और पिछले दो साल के अंदर हमने दो लाख किलोमीटर के करीब आप्टीकल फाइबर लगाया है और इस साल हमारा टार्गेट 1 लाख 26 हजार किलोमीटर लगाने का है। पिछले साल आप्टीकल फाइबर का दाम दोगुना हो गया था इसलिए जितना लगाना चाहिए था वह हम नहीं लगा पाए। लेकिन इस बार दाम आधा हो गया है। इसलिए इस बार सब जगह लगा दिया जाएगा।

दिल्ली में कुछ टी.एन.एफ. एरिया है यानी कहीं किसी गांव में 2 आदमियों ने या 10 आदमियों ने एप्लाई किया है और वह 10-15 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो वहां केबल ले जाने में बहुत खर्चा लगता है। इसलिए डब्ल्यू.एल.एल. के माध्यम से एक जगह पर यदि बेस स्टेशन बना दिया जाए तो 25 किलोमीटर की दूरी पर तार वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है और 500 कनैक्शन्स हम दे सकते हैं। अगर और देने की आवश्यकता होगी तो 500 एक्सट्रा की कैपेसिटी उसमें जोड़ी जा सकती है और वह काम शुरू हो गया है।

राजस्थान में आप देखेंगे कि कुल मिलाकर 13 लाख 63 हजार टैलीफोन्स लाइनें काम कर रही हैं। इस बार 2 लाख 19 हजार का हमारा टार्गेट है और इसमें जो वैटिंग लिस्ट है वह 15 हजार है। अब जितनी भी वैटिंग लिस्ट है वह हम डब्ल्यू.एल.एल. तकनीक के माध्यम से 6 महीने के अंदर खत्म कर देंगे। संसदीय क्षेत्र बहुत दूर तक फैला होता है और जो सांसदों के पास डिमांड आती है लेकिन जहां सुविधा नहीं है और सांसद रिकमेंड कर देते हैं तो उस परिस्थिति में हम उनको भी पूरा कर देंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में 1.8.2001 को खबर छपी है कि प्राइवेट कंपनियां जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना चाहती हैं उनको बी.एस.एन.एल. भी सहयोग नहीं दे रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन सी निजी कंपनियां हैं जो दूरसंचार सेवा प्रदान करना चाहती हैं और जिन्होंने इंटर कनैक्शन सुविधा की मांग भारत संचार निगम लि. से की है तथा साथ ही कितनी और कौन-कौन सी दूरसंचार कंपनियां हैं जो इंटर कनैक्शन सुविधा प्राप्त कर चुकी हैं और कहां-कहां इनका सुचारू रूप से काम चल रहा है। क्या राजस्थान राज्य के लिए भी किसी निजी कंपनी ने इंटर कनैक्शन की मांग की है? ये सुविधाएं न दिए जाने से राजस्थान के कितने शहर और जिले प्रभावित हुए हैं? निजी कम्पनियों को इंटर कनैक्शन न दिए जाने का क्या कारण है? सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर इंटर-कनैक्शन का जो सवाल है और जहां तक निजी कम्पनियों का सवाल है, अभी तक कुल मिलाकर 6 सर्किल में प्राइवेट आपरेटर्स काम कर रहे हैं और उनके जिम्मे 98 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने का काम था। उन्होंने इसे पूरा करने का वायदा भी किया है, ऐसा एग्रीमैंट भी है लेकिन वे अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाए हैं। महाराष्ट्र में एक हजार गांवों तक वे पहुंच नहीं पाए हैं। सरकार अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकती है। आन्ध्र प्रदेश में दो साल से बी.एस.एन.एल. का टारगेट निल है चूंकि हमारे जिम्मे जो काम था वह हमने पूरा कर लिया है लेकिन अभी भी वहां 29 हजार गांवों में से 6 हजार गांव प्राइवेट सैक्टर के जिम्मे हैं। उन्होंने वहां टेलीफोन कनैक्शन देने का काम नहीं किया।

डा. जसवन्त सिंह यादव (अलवर): गांव के लिए जरूरत है।

श्री राम विलास पासवान: आपने लम्बा-चौड़ा प्रश्न पूछा है। जिन प्राइवेट आपरेटर्स के जिम्मे काम है, हम कर रहे हैं। ऐसे 6 प्राइवेट आपरेटर्स हैं। यह आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में काम कर रहे हैं। आपने पी.ओ.आई. इंटर कनैक्शन के संबंध में कहा। उन्होंने आंध्र प्रदेश में जो मांग की थी, 312 स्थानीय में है और टी.ए.एक्स. में 109 की है। मेरे पास इसकी लम्बी-चौड़ी डिटेल्स हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं लेकिन जहां-जहां मांग पैंडिंग हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश में दो लोकल में और दो टी.ए.एक्स. में है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यह निल है। महाराष्ट्र में 45 लोकल में है, 21 टैक्स में है, पंजाब में 198 लोकल में है और 61 टैक्स में है, राजस्थान में 36 लोकल में है और 27 टैक्स में है। इन सबके बावजूद केवल मांग करने से इंटर-कनैक्शन नहीं मिलता है, इन्हें पैसा भी जमा करना पड़ता है। उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं और जो डेट है, जबसे वे डिमांड पुट-अप करेंगे उसके 12 महीने में हमें देना है। इस दृष्टिकोण से देखें तो आंध्र प्रदेश का मामला सार्ट-आउट हो गया है। बाकी जगहों में 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं। बातचीत चल रही है, डिसकशन हो रहा है, सारा मामला सार्ट आउट हो जाएगा। वी.एस.एन.एल. की जो कैपेसिटी है और जहां हमारी कैपेसिटी है, हम वहां पी.ओ.आई. दे देते हैं लेकिन जहां कैपेसिटी नहीं है वहां आल्टरनेटिव अरेंजमैंट करने के लिए कहते हैं। रैंट एंड गारंटी स्कीम के तहत आपशन देते हैं। इस तरीके से आरोप या संदेह के आधार पर वी.एस.एन.एल. द्वारा इंटर-कनैक्टिविटी के सवाल पर डिले किया जाता है या पक्षपात किया जाता है तो वह सही नहीं है।

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, कई राज्यों में प्राइवेट आपरेटर्स ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं। उन्होंने कई साल पहले इसे करने का वायदा किया था लेकिन अभी तक नहीं किया। जो इसे नहीं करेंगे क्या उन्हें दंड देंगे या उन्हें हर बार माफ कर दिया जाएगा क्योंकि चार साल से यह मसला चल रहा है।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, हम उन्हें दंड भी दे रहे हैं लेकिन दंड देने से पब्लिक की समस्या का समाधान नहीं होता। हमारे पास अधिकार है कि हम उनके लाइसेंस को रद्द कर दें लेकिन मैं समझता हूं कि वह अंतिम कदम होगा। हमने डब्ल्यू.एल.एल. की सुविधा दी है उससे कास्ट कम पड़ेगी। हमारा टारगेट 15 अगस्त तक पांच राज्यों के हर गांव में टेलीफोन लगाने का था। जिसमें हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी तथा अंडमान निकोबार में हमने पूरा कर लिया है और उनके भरोसे हम लोग रुके हुये नहीं हैं। हमने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से काम पूरा कर लिया है लेकिन यह बात सही है कि जितना भी काम उनके जिम्मे दिया गया है, वह उन्होंने पूरा नहीं किया है फिर भी इक्विपमेंट लगाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार जो भी कार्यवाही हमसे संभव है, चाहे वह बातचीत के द्वारा हो या पैनल्टी के द्वारा हो, वह हम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हम उनसे अपील कर रहे हैं कि उन्हें जो नई सुविधा दे रहे हैं, उसके तहत उनका रोल आउट या जो पिछला कार्य बकाया है, जब तक वे कार्य पूरा करेंगे तभी उन्हें आगे का लाइसेंस दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारा टेलीफोन विभाग बहुत ही मजबूत है और वह आधारभूत संरचनात्मक सुविधासम्पन्न है। किंतु मुझे यह नहीं पता कि टेलीफोन विभाग मोबाईल सेवाएं और दूसरी आधुनिक टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में दूरसंचार सेवा प्रदानकर्त्ताओं से पीछे क्यों हैं। उदाहरण के लिए केरल परिमण्डल मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है किंतु विभाग केरल परिमण्डल को इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि केरल परिमण्डल को मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करने में विलम्ब क्यों है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मोबाईल सर्विसेज का सवाल है, 1999 से पहले दो-दो आपरेटर्स को दिया गया था लेकिन 1999 की न्यू टैलीकाम पालिसी के बाद से यह

संख्या चार हो गई है जिसमें बी.एस.एन.एल. और प्राइवेट आपरेटर्स हैं। प्राइवेट आपरेटर्स का फाइनलाइज आलरेडी आ गया है और वे केरल सहित हर सर्किल में काम करना शुरू करेंगे। जहां तक बी.एस.एन.एल. का सवाल है, हम इस साल के अंत तक हर राज्य में अपनी सेवा शुरू करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गांवों में एम.ए.आर.आर. टेलीफोन सेवाएं हैं किंतु उनमें से 99 प्रतिशत कार्य नहीं कर रही हैं। मैं सभा में यह मुद्दा दो बार उठा चुका हूं। पहले दुर्गम गांवों में काफी दूरसंचार उपलब्ध थे। आप उन्हें प्राथमिकता के आधार पर या युद्ध स्तर पर क्यूं नहीं बदलते? प्रत्येक गांव को नए टेलीफोन उपलब्ध कराना एक अलग मुद्दा है। एम.ए.आर.आर. फोन के द्वारा आप पहले ही आधारभूत संरचना तैयार कर चुके हैं। वे काम नहीं कर रहे हैं। उसमें सामग्री का अभाव है। उसे कई सालों से स्थगित किया जा रहा है। उनके पास सुविधाएं नहीं हैं। एम.ए.आर.आर. टेलीफोन इस महीने या इस साल तक उपलब्ध कराने के लिए क्या सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? स्वतंत्रता प्राप्ति के 53 वर्षों के बाद भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। दूरस्थ और दुर्गम गांवों के लोग अपने गांवों के लिए एक टेलीफोन का अनुरोध कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा कि, यदि दो या तीन टेलीफोनों के लिए अनुरोध होता तो आप्टिक फाइबर केबल बिछाने की लागत अधिक होती। हमें दुर्गम गांवों, पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में टेलीफोन उपलब्ध कराने होंगे। यह सरकार का दायित्व है। स्वतंत्रता के 53 वर्षों के बाद भी हम हर गांव को टेलीफोन भी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इसके लिए जितने भी धन की आवश्यकता है, हमें खर्च करना होगा। माननीय मंत्री ग्रामीण क्षेत्र से हैं और हमें इसे प्राथमिकता के आधार पर 2002 या 2003 तक पूरा करना होगा। अन्यथा, सरकार पर कोई सामाजिक दायित्व ही नहीं रहेगा। क्या सरकार पूरे देश में टेलीफोन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न निजी दूरसंचार सेवा प्रदानकर्त्ताओं को इन्टर-कनैक्शन देने के बारे में है।

श्री के. येरननायडू: माननीय मंत्री जी ने कहा कि बी.एस.एन.एल., हैदराबाद को 2001 की दूसरी छ:माही तक डब्ल्यू.एल.एल. सेल्यूलर सेवाएं उपलब्ध करा देगा किंतु समाचार पत्रों में छपी हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार सामग्री दूसरे भागों में स्थानांतरित कर दी गई है, इसलिए इसमें विलम्ब हो सकता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे अपना वचन पूरा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मोबाईल सर्विसेज का सवाल है, 1999 से पहले दो-दो आपरेटर्स को दिया गया था लेकिन 1999 की न्यू टैलीकाम पालिसी के बाद से यह संख्या चार हो गई है जिसमें बी.एस.एन.एल. और प्राइवेट आपरेटर्स हैं। प्राइवेट आपरेटर्स का फाइनलाइज आलरेडी आ गया है और वे केरल सहित हर सर्किल में काम करना शुरू करेंगे। जहां तक बी.एस.एन.एल. का सवाल है, हम इस साल के अंत तक हर राज्य में अपनी सेवा शुरू करने जा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया को हमने डीसैन्ट्रलाइज कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले साल असुविधा जरूर हुई थी जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम डबल हो गये थे, आप्टीकल फाइबर काफी महंगा होता है। उस समस्या का निदान भी हो गया है। हम भविष्य में किसी अफसर या सर्किल से यह सुनना नहीं चाहेंगे कि हमारे पास सामान की कमी है। जहां तक 'मार' का सवाल है, आपने ठीक कहा कि 'मार'' टैक्नोलोजी के तहत दो लाख 11 हजार गांव हैं, जहां 'मार' टैक्नोलोजी है, उस समय यह टैक्नोलोजी अच्छी रही होगी, जिस समय इसे लिया गया होगा। लेकिन उसमें एक तो मैन्टीनेन्स का कहीं प्रावधान नहीं हैं, जिससे कि उस टैक्नोलोजी का पता दूरसंचार विभाग को नहीं हो पाया। लेकिन जब वह खराब होने लगा तो कुछ जगहों पर जैसे राजस्थान में श्याम टेलीकोम हैं, उनके साथ मैन्टीनेन्स का एग्रीमैन्ट हुआ था, वहां वह कुछ अच्छा काम कर रहा है। लेकिन दूसरी अधिकांश 90 प्रतिशत जगहों पर वह खराब है। उसके लिए हमने कहा कि 2002 तक जितना भी 'मार' टैक्नोलोजी के तहत काम हैं, हम उनकी जांच करने का भी काम करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, परसों हम सभा में दूरसंचार नीति पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: हम उसे बदलने का काम करेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ जैसा मैंने कहा कि जो रिमोट विलेजिज हैं, जो छ: लाख सात हजार गांव हैं, उन गांवों में टेलीफोन लगाने के लिए हमारे पास मैनपावर है, हमारे पास ऐफीशीएन्सी है, लेकिन हमारे पास पैसी की कमी है। हमारे साथी बार-बार चाइना के साथ हमारे देश की तुलना करते हैं। चाइना के पचास करोड़ लाइनों का 2010 तक टारगेट रखा है। लेकिन उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए टोटल प्लान में एक-तिहाई टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर खर्च करने का उन्होंने फैसला लिया है और वे ऐसा करते जा रहे हैं। हमारे यहां सरकार की तरफ से एक पैसा भी बजटरी

सपोर्ट का इस मद में नहीं मिलता है। जो पैसा हम कमाते हैं, उसी को हम लगाते हैं और उसमें लाइसेन्स फीस वगैरह का पैसा कन्सोलिडेटिड फंड में चला जाता है। यदि हमें पैसा मिल जाए तो 2002 तक हम हर गांव में टेलीफोन की सुविधा दे देंगे। हर पंचायत में हम इन्टरनैट ले जाने की बात करते हैं।...*(व्यवधान)*

डा. जयन्त रंगपी: आप कह रहे हैं कि हर गांव में आप टेलीफोन की सुविधा दे देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि नार्थ-ईस्ट के बहुत सारे ब्लाक हैडक्वार्टर में टेलीफोन नहीं हैं।

श्री राम विलास पासवान: पूरे देश में हमारे पास सिर्फ सात ब्लाक हैडक्वार्टर्स हैं, जहां टेलीफोन की सुविधा नहीं है। मैं एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन वह भी मानीटरिंग के ऊपर है, कभी आता है, कभी जाता है। लेकिन मैं दूसरी बात पर कह रहा हूं कि...*(व्यवधान)*

डा. जयन्त रंगपी: आप पहले ब्लाक हैडक्वार्टर में टेलीफोन लगाना इन्श्योर करें, आप जो बोल रहे हैं वह गलत बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: मैं आपको बतलाता हूं कि सिक्किम में सारे देश की सबसे ज्यादा टेलीडेन्सिटी है, उसका प्रतिशत 40 है, यानी सौ में से चालीस आदमियों के पास गंगटोक में टेलीफोन है...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं। लेकिन इस देश में कहीं एक्सट्रीमिज्म हैं, टैरेरिज्म हैं, कहीं सुदूर देहात हैं, कहीं लोगों को किडनैप कर लेते हैं, कहीं लोगों को मार दिया जाता है। मणिपुर में हमारे डी.ई.टी. की हत्या ही कर दी गई। इन सारी परिस्थितियों में कहीं मैनपावर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, इन सारी समस्याओं को देखते हुए आप इस बात को महसूस करेंगे कि पिछली बार हमने 43 लाख लाइनें लगानी थी जिसमें से हमने 50 लाख लाइनें लगाई हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2002 के दिसम्बर के बाद कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा, जिस गांव में या ब्लाक में हम टेलीफोन की सुविधा न दे दें। यह हमारा कमिटमैन्ट है। यदि डब्ल्यू.एल.एल. की सुविधा हमें मिल जाए तो ब्लाक्स के जो रिमोट से रिमोट विलेजिज हैं, वहां हम टेलीफोन की सुविधा दे देंगे।...*(व्यवधान)* नार्थ-ईस्ट के जो हमारे साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमें ब्लाक का नाम दीजिए कि कौन से ब्लाक हैडक्वार्टर्स में टेलीफोन की सुविधा नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं आपको कल बताऊंगा और मैं उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी करूंगा...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: मैं माननीय मंत्री को कार्यवाही करने का वचन देने के लिए बधाई देता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गोपालगंज जिले के ब्लाक हैडक्वार्टर में दस एक्सचेंज खोलने का फैसला किया गया था। वह आप्टिकल फाइबर्स की कमी के कारण अभी तक चालू नहीं हुए हैं। कब तक उनको चालू करेंगे? सीवान में मोबाइल टेलीफोन शुरू हो गया, मोतिहारी में शुरू हो गया और बीच में हमारा गोपालगंज जिला है, उसको क्यों छोड़ा है, इसका भी जवाब दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी पहले बिहार का करें, बाद में देश का करें।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले महीने पप्पू यादव जी के जिला किशनगंज होते हुए आया हूं और गोपालगंज की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक होता है कि ब्लाक हैडक्वार्टर्स में टेलीफोन एक्सचेन्ज। एक होता है कि ब्लाक में टैलीफोन एक्सचेन्ज जो खुलता है, उसमें आठ-नौ किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। किसी-किसी ब्लाक में दो किलोमीटर की दूरी पर पहले से ही टेलीफोन एक्सचेंज हैं, तो उस एक्सचेन्ज से उस ब्लाक को जोड़ दिया जाता है लेकिन जैसे आपने कहा है कि जिस-जिस ब्लाक हैडक्वार्टर में, बिहार में सिर्फ भंडरिया में, वह तो झारखंड में चला गया और डाल्टनगंज में जहां शिकायत थी, मैंने तुरन्त उसको ठीक करवाया। आप हमें ब्लाक हैडक्वार्टर का नाम दे दीजिए। जो एक्सचेंज स्वीकृत हैं, उन एक्सचेंजेज को हम दिसम्बर तक खोल देंगे और आप्टिकल फाइबर लगाने का जहां-जहां टार्गेट है, उसको भी पूरा कर देंगे।

श्री रघुनाथ झा: मोबाइल का बताइए।

श्री राम विलास पासवान: मोबाइल तो पूरे देश में हो रहा है, वह आपके यहां भी दिसम्बर तक लग जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी को चिट्ठी भी लिख सकते हैं।

श्री रघुनाथ झा: जरूर लिख कर दे देंगे।

श्री राम विलास पासवान: जी हां, दे दीजिए।

[अनुवाद]

खनिज क्षेत्रों को अनारक्षित किया जाना

*483. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में बुलाई गई खनन और भूगर्भ मंत्रियों की बैठक के दौरान राज्य सरकारों द्वारा सरकारी क्षेत्र के दोहन के लिए आरक्षित खनिज क्षेत्रों को अनारक्षित करने के मुद्दे पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में चर्चा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या राज्य सरकारों से कुछ खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन करने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। दिनांक 14.7.2001 को हुए खनन एवं भूविज्ञान राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र के दोहन के लिए आरक्षित अविदोहित क्षेत्रों की समीक्षा की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि राज्य, खनिज रियायत नियमावली, 1960 के तत्प्रभावी नियम 58 के तहत् आरक्षित क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और ऐसे क्षेत्रों को गैर-अधिसूचित (डिनोटीफाई) करेंगे जिनकी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मार्फत अनन्य विदोहन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। शेष क्षेत्रों के मामले में राज्य सरकारें छः महीने के भीतर-भीतर केन्द्र सरकार को आरक्षण जारी रखे जाने के संबंध में, क्षेत्र-वार पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करेंगी।

(ग) से (ङ) खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन करने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के तहत खनिजों की रायल्टी दरों को तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक बार से अधिक बार नहीं बढ़ाया जा सकता। हाल ही में केन्द्र सरकार (खान मंत्रालय) ने दिनांक 12.9.2000 की अधिसूचना के मार्फत प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई के लिए बालू को छोड़कर) की रायल्टी दरों को संशोधित किया है। कोयला मंत्रालय ने दिनांक 15.3.2001 की अधिसूचना के मार्फत लिग्नाइट की रायल्टी दरें संशोधित की हैं और कोयले की रायल्टी दरों, जिनमें पिछली बार संशोधन दिनांक 11.10.1994 को किया गया था, की संरचना के बारे में सिफारिशें देने हेतु अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में दिनांक 27.7.2000 को एक समिति गठित की है।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 483 में हम डीरिजर्वेशन आफ मिनिरल्स की बात कर रहे हैं। मिनिरल्स मेरा सब्जैक्ट है और मिनिस्ट्री के एक-एक पेपर को मैं ऐक्जामिन कर चुका हूं। सवाल है डीरिजर्वेशन आफ मिनिरल्स का लेकिन सही मायने में हम डिरिजर्वेशन कर रहे हैं या नहीं इसका पर्दाफाश करने का प्रश्न है, ऐसा मैं समझता हूं।

[अनुवाद]

एम.सी.आर. अधिनियम 1960 के अंतर्गत 80 प्रतिशत खनिजों का अधिग्रहण राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया गया है।

[हिन्दी]

वह अभी तक अनयूटिलाइज्ड है। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो अनयूटिलाइज्ड मिनिरल्स हैं उनको ओपन करिये। 1993 में नेशनल मिनिरल पालिसी जो डिक्लेयर की गई थी।

[अनुवाद]

मैं आधे मिनट के लिए भूमिका दे रहा हूं।

[हिन्दी]

जिसके लिए प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर को ओपन किया था। मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि हम मिनिरल्स को डीरिजर्व कर रहे हैं।

[अनुवाद]

किंतु 1983 से कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया गया। माननीय मंत्री ने विशिष्ट उत्तर दिया कि एम.सी.आर. अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत हम

[हिन्दी]

मिनिरल्स को डीरिजर्व कर रहे हैं। मेरे दिल में प्रश्न यह है कि जब हम प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर को एक लैवल में लाना चाहते हैं तो जो एरियाज खान व खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 17(क) के अंतर्गत आते हैं, उन एरियाज को डीरिजर्व करने का यहां पर मामला क्यों नहीं आया है? मेरा आरोप है कि मंत्रालय निजी क्षेत्र को भी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह असफल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिये नहीं तो प्राबलम हो जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री सुबोध मोहिते: मैं जिंक सैक्टर की बात कर रहा हूं। हिन्दुस्तान जिंक एक ही ऐसी कंपनी है जो जिंक ओर प्रोवाइड करती है। नेशनल मिनिरल पालिसी के तहत दो कंडीशन लिखी हैं। पहली कंडीशन है कि लौन्ग टर्म बैनिफिट और नेशनल इंटरस्ट को देखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी मेजर कंडीशन इसकी यह है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ही हमें बेचना चाहिए और रा-मटीरियल को नहीं बेचना चाहिए। सर, मैं जिंक की बात कर रहा हूं। हमारी जिंक की एपेरेंट डिमांड 2.75 मिलियन टन है, सप्लाई 1.75 मिलियन टन और इम्पोर्ट है 1 मिलियन टन। एज पर दि पालिसी, जिंक का जो ओर है, उसको बेच नहीं सकते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है? अब आपको अनुपूरक पूछना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: जिंक के ओर को बेच नहीं सकते हैं। वर्ष 2000-2001 में मंत्रालय ने 70,000 मिट्रिक टन का निर्यात किया है। एक्सपोर्ट में कंडीशन डाली थी कि प्राइवेट सैक्टर को हम लिजिबल नहीं कर पाए। सर मेरा सवाल यह है कि नैशनल मिनरल पालिसी 1993 कहती है कि लौंग टर्म नीड देखेंगे तब नैशनल इंटरैस्ट में जिंक के कंसनट्रेट के एक्सपोर्ट को रैगुलेट क्यों नहीं किया गया, उसकी क्या वजह है? सर, मेरे सवाल का दूसरा भाग यह है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप बैठिए।

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि उत्तर पढ़कर माननीय सदस्य कम से कम मुझे धन्यवाद देने का कष्ट करेंगे, लेकिन वैसा न कर उन्होंने मेरा पर्दाफाश करना चाहा।

श्री सुबोध मोहिते: नहीं सर, आपका नहीं।

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस मंत्रालय में कोई पर्दा नहीं है। हालांकि मैं मंत्री हूं, लेकिन जितना ज्ञान इस विषय का माननीय सदस्य को है शायद उतना ज्ञान मुझे नहीं है। माननीय सदस्य विद्वान हैं, लेकिन यह मेरा सब्जैक्ट नहीं है, परन्तु मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने मंत्रालय में आने के बाद तुरन्त राज्यों के खान मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उनके सामने यह प्रश्न रखा कि राज्यों को यह करना है। राज्यों ने हमारे आग्रह को माना है और छः महीने के भीतर वे अपने प्रस्ताव तैयार करके एरिया को स्वयं डी-रिजर्व कर लेंगे और जिस एरिया को रिजर्व रखेंगे उस एरिया के भी रिजर्व रखने का कारण हमें सूचित करेंगे। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इसमें अधिक से अधिक प्राइवेट पूंजी आए और प्राइवेट सैक्टर को भी अवसर मिले।

श्री सुबोध मोहिते: अध्यक्ष महोदय, पहले सप्लीमेंट्री का ही स्पष्ट उत्तर नहीं आया, तो दूसरा क्या पूछूं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मंत्री जी से सीधे ही प्रश्न पूछिए। अन्यथा, आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले सप्लीमेंट्री का ही उत्तर नहीं आया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न क्या है, कृपया वह बताइए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले सप्लीमेंट्री का ही जवाब नहीं आया, मेरा सीधा सवाल यह है कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप पहले प्रश्न पर कुछ कहना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, जो स्पष्टीकरण माननीय सदस्य करना चाहते हैं, उन्हें कर लेने दीजिए। मैं जवाब दे दूंगा।

श्री सुबोध मोहिते: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि जब मिनरल पालिसी में स्पष्ट है कि लौंग टर्म नीड और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को ध्यान में रखना चाहिए जिंक ओर को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम डैफीसिट डिमांड में हैं, तो सन् 2000-2001 में 70 हजार टन जिंक ओर का एक्सपोर्ट क्यों किया गया, यह मेरा सिम्पल सवाल है?

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार जिंक के एक्सपोर्ट पर कोई रोक नहीं है। हिन्दुस्तान जिंक लि. जिंक ओर को स्थानीय बाजार में और बाहर, कहीं भी बेच सकता है। उस पर कोई रोक नहीं है।

श्री सुबोध मोहिते: अध्यक्ष महोदय, जिंक ओर के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई है, यह आपकी पालिसी से बिलकुल स्पष्ट होता है, लेकिन फिर भी जिंक ओर का एक्सपोर्ट किया जा रहा है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि एक्सपोर्ट पर जो कंडीशन लगाई गई हैं उनमें पहली कंडीशन यह है कि फुल टाइम पेमेंट इन टर्म्स आफ डालर, जिसकी वजह से कोई भी इंडियन कंपटीटर कंपीट नहीं कर पाए क्योंकि किसी इंडियन कंपनी को इतना ह्यूज एमाउंट डालर में देना पासीबल नहीं है। यादि इतना एमाउंट देना होगा, तो फिर उसे हवाला कांड करना पड़ेगा। स्ट्रिनजैंट कंडीशन डाली गई थी जिसकी वजह से हम खुद का कंजम्पशन नहीं कर पाए। हम जिंक इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप उसका इन्वैस्टीगेशन करवाएंगे?

श्री सुन्दर लाल पटवा: आप मुझे समस्या के बारे में पत्र लिखें, मैं उसका इन्वैस्टीगेशन भी करूंगा और आपको उसकी जानकारी भी दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव: यह मंत्री जी के बस की बात नहीं है।...*(व्यवधान)* पत्र तो लिखेंगे ही लेकिन जवाब कौन देगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या सरकार मामले की जांच करेगी या नहीं। यह उनका अनुपूरक प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इन्वैस्टीगेट करने का जो मामला सामने आया, इन्वैस्टीगेट जरूर करेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। माननीय सदस्य पालिसी और नियम के बारे में कह रहे हैं। नियम में जो चीज प्रतिबंधित है, उस पर रोक लगाई जा सकती है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में दो विषय हैं - एक रायल्टी वाला विषय है। सरकार ने खनिजों की रायल्टी देने के लिए ऐडवैलरम मूल्य के आधार पर एक कमेटी का गठन 1997 में किया था। उसकी रिपोर्ट को तीन-चार साल हो गए। सरकार ने उस पर कौन सी कार्यवाही की? यह सभी राज्यों के हित का मामला है। बिहार और झारखंड बंट गया तो खान, खनिज झारखंड में चले गए। बिहार के मुंगेर, बांका और जमुई, तीनों जिलों में सोने और अभ्रक का अपार भंडार है। वे तीनों डिफाइन होंगे या नोटीफाई होंगे। उस पर सरकार कौन सी कार्यवाही करेगी? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रायैल्टी ऐडवैलरम मूल्य के आधार पर, बंटवारे के बाद बिहार के इन तीन जिलों में अभ्रक और सोने के जो भंडार हैं, उन्हें निकालने के लिए सरकार कौन सी कार्यवाही करेगी?

श्री सुन्दर लाल पटवा: सरकार विदोहन नहीं करती, विदोहन सरकारी उपक्रम करते हैं या समय के साथ प्राइवेट पार्टीज करने लगी हैं। जहां तक कोल की रायल्टी का सवाल है, उसे अलग विभाग देखता है। आपने सोने और दूसरी धातुओं के बारे में पूछा है। उसकी रायल्टी के बारे में हमने विचार किया है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सोने के सर्वेक्षण का काम करना पड़ेगा और वह भारत सरकार करती है। कोल के बारे में आपने उत्तर दिया है कि कोयले की रायल्टी दरों, जिनमें पिछली बार संशोधन दिनांक 11.10.1994 को किया गया था। इसका मतलब उसका उत्तर है। हमने पूरक प्रश्न पूछा था और मंत्री जी कहते हैं कि इसका उत्तर दूसरे मंत्री देंगे।

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, जहां तक रायल्टी का सवाल है, वह दूसरा विभाग तय करता है और उस विभाग ने उस रायल्टी को तय करने के लिए एक समिति का गठन किया हुआ है। वह समिति विचार कर रही है। उसकी रिपोर्ट आने के

बाद कोल मंत्रालय तय करेगा। यह मेरे विभाग के अन्तर्गत नहीं है। कमेटी बनी हुई है, वह कोल की रायल्टी के बारे में विचार कर रही है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपने उत्तर में दिया है कि 27.7.2000 को कमेटी बनी थी। मैं कह रहा हूं कि 1997 में कमेटी बनी थी। उसकी रिपोर्ट आ गई है और उस पर चार वर्षों से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, मंत्री जी कह रहे हैं कि समिति मामले की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: एक कमेटी पूर्व में बनी थी और उसकी रिपोर्ट आई थी। उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। अभी जो कमेटी बनी है, वह विचार कर रही है।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: जमुई के बारे में जो प्रश्न किया गया है, उसका जवाब भी आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई: माननीय अध्यक्ष महोदय, कोयला व खनिजों की रायल्टी बढ़ाए न जाने के कारण उड़ीसा राज्य को हर वर्ष अरबों रुपये की हानि होती है। उड़ीसा सरकार ने कोयले और दूसरे खनिजों की रायल्टी बढ़ाने के लिए कितनी बार आवेदन किया है? यदि खनिजों की रायल्टी हर तीन वर्ष बढ़ाई जाती है तो उड़ीसा के खनिजों की रायल्टी स्वतंत्रता प्राप्ति से कितनी बार बढ़ाई गई है? क्या सरकार के पास निकट भविष्य में रायल्टी की दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है?

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, जहां तक अन्य मिनरल्स की रायल्टी के रिवीजन का सवाल है, मेरे विभाग के अन्तर्गत मिनरल्स की रायल्टी का रिवीजन एक साल पहले हुआ है और कोयले की रायल्टी के रिवीजन की कमेटी बनी हुई है, वह विचार कर रही है। जहां तक लिग्नाइट का सवाल है, वह रायल्टी अभी हाल में ढाई रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये की गई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम

*484. **श्री चिंतामन वनगा:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (सी.बी.डब्ल्यू.ई.) ने प्रबन्धन में कामगारों की सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में नीति की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रबन्धन में कामगारों की सहभागिता को प्राप्त करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड देश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, क्षेत्रीय स्तर पर 27 और राष्ट्रीय स्तर पर तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 843 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को प्रोत्साहन देना तथा कामगारों में उद्यम के प्रबंधन में शामिल होने की भावना उत्पन्न करना है। इस संबंध में, प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता की एक स्वैच्छिक योजना अधिसूचित की गई है। यह योजना विशेष रूप से छूट प्राप्त उद्यमों को छोड़कर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों पर स्वैच्छिक रूप से लागू होती है। इस योजना में शाप फ्लोर तथा संयंत्र स्तरों पर द्विपक्षीय मंचों के गठन की परिकल्पना की गई है। 1990 में, प्रबंधन में कर्मकार सहभागिता विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था। यह विधेयक श्रम एवं कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री चिंतामन वनगा: अध्यक्ष जी, मेरा क्वश्चन है कि वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेटमेंट के अन्तर्गत कामगारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने क्वश्चन किया था, उत्तर में कहा गया है कि रीजनल लेविल पर 27 ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है और नेशनल लेविल पर तीन प्रोग्राम चला रही है। इन पूरे ग्रोग्राम्स के अन्तर्गत केवल 843 कामगारों का पार्टीसिपेशन हुआ है, यह फीगर संतोषजनक नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा मंत्री

जी से प्रश्न है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कामगारों को अधिकाधिक पार्टीसिपेशन होना चाहिए। इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कदम उठाएगी?

श्री मुनि लाल: अध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग प्रोग्राम 1968 में स्टार्ट हुआ। इसमें रीजनल लेविल पर, सब रीजनल लेविल पर और नेशनल लेवल पर प्रोग्राम चल रहा है। नेशनल लेविल पर कम प्रोग्राम चल रहा है। नेशनल लेविल पर कम प्रोग्राम चलते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को हम ट्रेनिंग दें, इसके लिए 1990 में विधेयक हम लोगों ने रखा है, जो राज्य सभा में अभी पेंडिंग है। अधिक से अधिक कामगारों में हम लोग ट्रेनिंग देकर अवेयरनैस लायें, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।

श्री चिंतामन वनगा: अध्यक्ष जी, मेरे क्वश्चन का कोई उत्तर नहीं आया है। अभी तक इस प्रोग्राम के अन्तर्गत ट्रेनिंग देने के बावजूद जो कामगारों का पार्टीसिपेशन है, वह 843 है, यह संतोषजनक नहीं है। मेरा सैकिंड क्वश्चन है कि डिसइन्वैस्टमेंट का अभी दौर चल रहा है। डिसइन्वैस्टमेंट में मैनेजमेंट में कामगारों का पार्टीसिपेशन होना चाहिए तो डिसइन्वैस्टमेंट पालिसी में, इसके बारे में सरकार कोई नीति बनाएगी और बनाएगी तो क्या बनाएगी?

श्री मुनि लाल: वर्ष 1990 में जो अधिनियम लाया गया, उसमें सारे प्रावधान किये गये हैं, अधिक से अधिक कामगारों को हम शिक्षा देंगे और इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है कि उनको डिसइन्वैस्टमेंट की पालिसी के तहत आवश्यकता है, इसको हम लोग करेंगे?

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय, प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। मेरे ख्याल में, इस उद्देश्य के लिए एक पृथक विधान की आवश्यकता है। लम्बे समय से विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संघ प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी की मांग कर रहे हैं। अन्यथा जिस उत्पादकता की हमें आवश्यकता है, उसमें वृद्धि नहीं होगी। इसलिए यह कामगार यह सझेंगे कि वे प्रबंधन के अभिन्न अंग हैं तब वे उत्पादन बढ़ाने के जी तोड़ प्रयास करेंगे।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह जान सकता हूं कि विनिवेश निजीकरण इत्यादि के होने पर क्या सरकार का इरादा प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नए विधान बनाने का भी है।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री मुनि लाल: विधेयक, राज्य सभा में पहले ही विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी से संबंधित है।

श्री मुनि लाल: महोदय, एक व्यापक विधि का अधिनियमन किया जा रहा है। इस पर पहले ही विचार किया जा रहा है। कामगारों की जागरूकता और उनकी भागीदारी का संबंध उत्पादन से है और इसके लिए सरकार बहुत चिंतित है।

श्री के. मलयसामी: महोदय, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी की अवधारणा काफी लम्बे समय से चलन में है। मैं जानना चाहूंगा कि इस अवधारणा का जन्म कब हुआ और यह कितने समय से अस्तित्व में है। इस प्रकार, इसके प्रभाव क्या रहे न्यूनतम, अधिकतम या फिर शून्य?

श्री मुनि लाल: विधेयक राज्य सभा में पहले से ही लंबित है और इसे स्थाई समिति को भी सौंपा गया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राज्य सभा के समक्ष विधान लंबित है।

श्री के. मलयसामी: महोदय, यह अवधारणा विधान से पहले अस्तित्व में थी।

श्री मुनि लाल: जी हां, यह अस्तित्व में था। पहले यह न्यूनतम था, अब हम इसे अधिकतम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड में उत्पादन

***485. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बी.जी.एम.एल.) में उत्पादन रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कंपनी को चालू रखने के लिए उसके प्रबंधन में कुछ परिवर्तन करने की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) जी, हां। भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बी.जी.एम.एल.) 1972 में अस्तित्व में आने के बाद से ही हानि वहन कर रही है। इसे 1992 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के सुपुर्द किया गया जब इसकी विशुद्ध परिसम्पतियां पूरी तरह समाप्त हो गई। आठ वर्ष की अवधि के दौरान, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भारतीय औद्योगिकी ऋण एवं निवेश निगम (आई.सी.आई.सी.आई.), जिसे प्रचालन एजेंसी घोषित किया गया था, की मार्फत, अनेक पुनर्वास पैकेज दिए गए। लेकिन, इनमें से कोई भी उपाय साध्य एवं व्यवहार्य नहीं हो सका। इसलिए, बी.आई.एफ.आर. ने जून, 2000 में निर्णय लिया कि कंपनी को बन्द करना सही, औचित्यपूर्ण एवं लोकहित में होगा। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा दायर अपील पर औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण के एपेलीट एथारिटी (ए.ए.आई.एफ.आर.) ने नवम्बर, 2000 में बी.आई.एफ.आर. के आदेश को उचित ठहराया। इसके बाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के तहत, 1 मार्च, 2001 से कंपनी को बंद करने की अनुमति दी गई।

(ग) और (घ) बी.आई.एफ.आर. द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा, सरकार द्वारा, सहसंवर्धक के रूप में सक्षम पार्टी को स्वीकार करते हुए, संयुक्त उद्यम मार्ग की मार्फत, कंपनी को प्रचालनरत रखने हेतु, अलग से प्रयास किए गए। भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा पछोड़नो से स्वर्ण की निकासी तथा भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के मौजूदा पट्टा क्षेत्र में गवेषण एवं विदोहन में संयुक्त उद्यम हेतु विदेशी भागीदारी के लिए, जून-जुलाई, 1994 के दौरान, विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई। भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड ने उथली गहराइयों में स्वर्ण के गवेषण एवं विदोहन के लिए नारमेडी एंग्लो एशियन प्रा.लि. (एन.ए.ए.एल.) के साथ, 1995 में, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। एन.ए.ए.एल. दिसम्बर, 1995 में परियोजना से बाहर हो गई। खान मंत्रालय ने 1997 में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की तथा संयुक्त उद्यम भागीदार के लिए विश्व स्तर पर खोज प्रारम्भ की। तथापि, समिति ने किसी भी बोलीदाता (बिडर) को बी.जी.एम.एल. के पुनरुद्धार के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में जुड़े रहने के लिए वित्तीय, तकनीकी या अन्य प्रकार से उपयुक्त नहीं पाया।

[अनुवाद]

सी-डाट की कैम्पस परियोजना

***486. श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी-डाट की कैम्पस परियोजना के निर्माण में असाधारण देरी हुई है;

(ख) क्या 1994 में शुरू की गई उक्त परियोजना अब भी अपूर्ण है जिसके कारण लागत व्यय दुगना हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा परियोजना को बिना और देरी किये पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) सी-डाट कैम्पस परियोजना 80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 1994-95 में सी-डाट शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी थी। इस अनुमोदन के आधार पर खुली वास्तु-प्रतियोगिता के माध्यम से सितम्बर, 1994 में मै. सतनाम नामिता एंड एसोसिएट्स वास्तुविद् को एसोसिएट आर्किटेक्ट कन्सलटेन्ट के रूप में नियुक्त किया था। एसोसिएट आर्किटेक्ट कन्सलटेंट (ए.ए.सी.) के कार्यक्षेत्र में सांविधिक प्राधिकरणों से अनेक प्रकार के क्लीयरेन्स/अनुमोदन प्राप्त करने शामिल थे। ए.ए.सी. के साथ हुई संविदा के अनुसार, कैम्पस परियोजना से संबंधित कार्य नियुक्ति की तारीख से चार वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था। तथापि, सांविधिक एजेंसियों से विभिन्न अनुमोदन मार्च 1998 में ही प्राप्त किए जा सके।

तत्पश्चात् प्राक्कलन-रिपोर्ट तैयार की गई, निविदाताओं की पूर्व-अर्हताएं निर्धारित की गई, निविदाएं जारी की गयीं और बोलियों का मूल्यांकन करने के बाद, मुख्य आर एंड डी भवन का निर्माण कार्य फरवरी 1999 में 36.79 करोड़ रुपये की लागत पर मै. अंसल प्रोपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एपीआईएल) को सौंपा गया।

मै. अंसल प्रोपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मुख्य आर एंड डी भवन संबंधी उक्त संविदा को नियुक्ति की तारीख से 30 माह के भीतर पूरा करना था। तथापि, कार्य शुरू करने को लेकर दिल्ली सरकार के वन विभाग की कतिपय आपत्तियों और कार्य संबंधी

विस्तृत नक्शों से संबंधित मुद्दों के कारण अब यह तय हुआ है कि मुख्य आर एंड डी भवन का सिविल निर्माण कार्य मार्च, 2002 तक पूरा किया जाए।

अब तक मुख्य आर एंड डी भवन के कुछ ब्लाकों के ढांचों का निर्माण हो चुका है अर्थात् कुल 65,000 वर्ग मीटर प्लिंथ एरिया में से 44,000 वर्ग मीटर पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इन ब्लाकों के लिए अग्निशमन, अग्नि-संसूचन, सड़कों, सीवर लाइनों, जल आपूर्ति और आन्तरिक विद्युतीकरण से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

सी-डाट ने लिफ्ट, वातानुकूलन आदि ढांचागत सुविधाएं उलब्ध कराने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके लिए निविदा संबंधी कार्य प्रगति पर है।

परियोजना के शेष हिस्सों से संबंधित कार्य की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आशा की जाती है कि यह कार्य लगभग एक माह के भीतर पूरा हो जाएगा। इन हिस्सों से संबंधित निर्माण-कार्य जून 2003 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। और अधिक विलम्ब किए बिना ही सी-डाट कैम्पस परियोजना को पूरा करने के उद्देश्य से, विद्युतीय कार्यों के लिए एक मुख्य अभियन्ता को शामिल करते हुए सी-डाट कैम्पस दल को और सुदृढ़ किया गया है। कैम्पस से संबंधित कार्य की निर्बाध प्रगति सुनिश्चित करने की दृष्टि से सी-डाट प्रबन्धन ने रेलवे मंत्रालय के अन्तर्गत एक परामर्शदात्री संगठन, मै. राइट्स (आर.आई.टी.ई.एम.) को निर्माण, पर्यवेक्षण और प्रबन्धन एजेन्सी (सी.एस.एम.) के रूप में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, सी-डाट ने परियोजना संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सी-डाट बोर्ड को परामर्श देने के लिए एक कैम्पस सलाहकार समिति (सी.ए.सी.) का गठन किया है जिसमें निर्माण प्रबन्धन की विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

आशा की जाती है कि ऊपर यथाउल्लिखित उठाए गए सभी कदमों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप इस परियोजना को निर्धारित लागत से बहुत अधिक लागत-व्यय के बिना, पूरा कर लिया जाएगा।

ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी

***487. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड इकानोमिक रिसर्च) ने ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन.सी.ए.ई.आर.) द्वारा प्राप्त सूचनानुसार ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा रोजगार एवं बेरजोगारी के संबंध में किए जाने वाले सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति संबंधी अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य प्रमुख एवं गौण स्थिति (यू.पी.एस.एस.) के आधार पर वर्ष 1987-88, 1993-94 एवं 1999-2000 के दौरान ग्रामीण युवाओं (15-29 वर्ष के आयु समूह) में बेरोजगारी की दरें श्रम बल का क्रमश: 3.8%, 2.9% एवं 3.7% थी।

नौवीं योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजन एवं ग़रीबी उन्मूलन की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। योजना में बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार में उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन क्षेत्रों, उप क्षेत्रों (सेक्टर्स एण्ड सब-सेक्टर्स) तथा प्रौद्योगिकीयों पर बल दिया गया है।

सरकार रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन हेतु विशेष कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना, रोजगार उपलब्ध करवाने वाले प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स के घाटे वाले मार्ग

***488. श्री राजो सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन घाटे वाले वायुमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर इंडियन एयरलाइन्स वर्तमान में अपनी उड़ान सेवाएं संचालित कर रही है;

(ख) क्या ऐसे वायुमार्गों पर निजी विमान कंपनियों को अपनी उड़ान सेवाएं संचालित करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) इंडियन एयरलाइन्स की उन सेवाओं का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रचालनों की लागतों को भी पूरा नहीं कर पा रही हैं।

(ख) से (घ) सरकार ने देश में विभिन्न क्षेत्रों की विमान यातायात सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विमान परिवहन सेवा के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से, मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये हैं। तथापि, अब यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग और वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करें। निजी अनुसूचित आपरेटरों सहित सभी अनुसूचित आपरेटर, सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर किसी भी स्थान के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रति भी विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड

हानि में चल रही सेवाएं (प्रचालन की प्रत्यक्ष लागत को पूरा न करने वाली)

2000-2001

क्र.सं.	सेक्टर	सेवा संख्या
1	2	3
1.	चेन्नई-बंगलौर-कोयम्बतूर	587-588
2.	चेन्नई-त्रिवेन्द्रम	931-932
3.	मुम्बई-इन्दौर-भोपाल-ग्वालियर-दिल्ली	133-134
4.	बंगलौर-गोवा-पूणे, बंगलौर	917
5.	कोलकाता-गुवाहाटी	229-230
6.	दिल्ली-लखनऊ-पटना-कोलकाता	411-412
7.	मुम्बई-जामनगर-भुज-मुम्बई	147
8.	मुम्बई-बडोदरा	689-690
9.	चेन्नई-बंगलौर	911-912
10.	मुम्बई-अहमदाबाद	601-604
11.	चेन्नई-तिरूपति-हैदराबाद	943-944
12.	मुम्बई-भावनगर	635-636
13.	मुम्बई-बंगलौर	179-180
14.	चेन्नई-बंगलौर-मंगलौर	559-560
15.	दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-मुम्बई	491-492
16.	चेन्नई-कालीकट	985-986
17.	कोलकाता-सिल्चर-इम्फाल	255-256
18.	मुम्बई-राजकोट	145-146
19.	कोलकाता-अगरतला	745-746
20.	लेह-जम्मू	425-426
21.	मुम्बई-उदयपुर-जयपुर	493-494
22.	कोलकाता-ऐजवाल-इम्फाल	211-212
23.	कोलकाता-तेजपुर-दीमापुर-कोलकाता	215
24.	दिल्ली-चण्डीगढ़-अमृतसर	485-486
25.	चेन्नई-नागपुर-भोपाल	565-566
26.	दिल्ली-गुवाहाटी	891-892
27.	मुम्बई-पुणे	663-664
28.	दिल्ली-लेह	431-432
29.	कोलकाता-अगरतला	241-242
30.	कोलकाता-जोरहाट-दीमापुर-कोलकाता	257
31.	गुवाहाटी-अगरतला	207-208
32.	दिल्ली-इंदौर-भोपाल	433-434
33.	दिल्ली-गुवाहाटी	891-892

1	2	3
34.	दिल्ली-चण्डीगढ़-अमृतसर-दिल्ली	485-486
35.	मुम्बई-उदयपुर-जोधपुर	193-194
36.	कोलकाता-अगरतला	743-744
37.	लेह-श्रीनगर	429-430
38.	कोलकाता-डिब्रुगढ़	701-702
39.	लेह-चण्डीगढ़	483-484
40.	कोलकाता-अगरतला	243-244
41.	मुम्बई-कोचीन	161-162
42.	कोलकाता-सिल्चर	253-254
43.	कोलकाता-इम्फाल	713-714
44.	दिल्ली-जयपुर-जोधपुर	473-474
45.	गुवाहाटी-अगरतला	207-208
46.	अहमदाबाद-भुज	149-150
47.	दिल्ली-लखनऊ-पटना	409-410
48.	चेन्नई-विजाग-कोलकाता	541-542
49.	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दिल्ली	879-880
50.	अहमदाबाद-मुम्बई	609-610
51.	कोलकाता-भुवनेश्वर	261-262
अंतर्राष्ट्रीय		
1.	कोलकाता-काठमांडू	747-748
2.	वाराणसी-काठमांडू	751-752

विवरण-II

मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय के आदेश संख्या एवी 11012/2/94-ए दिनांक 1.3.1994 की प्रतिलिपि

आदेश

वायुयान नियम, 1937 के नियम 134 के उप-नियम (I क) द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार देश में विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमों की प्राप्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमों की प्राप्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमों की दृष्टि के साथ, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि श्रेणी-I के अधीन इसके बाद में अनुबंध में विनिर्दिष्ट किसी भी मार्ग पर देश के अधीन किसी भी अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं का प्रचालन करने वाले प्रत्येक आपरेटर को अनुबंध के श्रेणी-II और श्रेणी-III में उल्लिखित मार्गों पर निर्धारित न्यूनतम अनुसूचित विमान परिवहन सेवा प्रदान किया जाना अपेक्षित है। श्रेणी-II और III में मार्गों पर निर्धारित न्यूनतम सेवा का प्रचालन करने के लिए, किसी भी आपरेटर के पास यह विकल्प है कि वह सेवा का प्रचालन या तो उसके विमान-बेड़े के स्वयं के विमान से अथवा परस्पर सहमत शर्तों पर किसी भी अन्य आपरेटर के विमान-बेड़े के विमान से प्रचालन कर सकता है। बाद में, कोई भी प्रबंध किये जाने से पूर्व नागर विमानन महानिदेशालय की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

ह/-
(पी.के. बैनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

नागर विमानन महानिदेशालय,
(ध्यानाकर्षण: श्री एच.एस. खोला, नागर विमानन महानिदेशक),
सफदरजंग हवाई अड्डा,
नई दिल्ली।

अनुबंध

मार्गों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों में सेवा की व्यवस्था

श्रेणी-1

सीधी जोड़ने वाले मार्ग

मुम्बई-बंगलौर	कलकत्ता-दिल्ली
मुम्बई-कलकत्ता	कलकत्ता-बंगलौर
मुम्बई-दिल्ली	कलकत्ता-मद्रास
मुम्बई-हैदराबाद	दिल्ली-बंगलौर
मुम्बई-मद्रास	दिल्ली-हैदराबाद
मुम्बई-त्रिवेन्द्रम	दिल्ली-मद्रास

श्रेणी-2

पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, अण्डमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप में स्थित स्टेशनों को जोड़ने वाले मार्ग।

श्रेणी-3

श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के अलावा शेष मार्ग

कोई भी प्रचालक जो श्रेणी-1 के अंतर्गत आने वाले एक अथवा अधिक मार्गों पर अनुसूची विमान परिवहन सेवा प्रचालित करता है, उससे श्रेणी-2 तथा श्रेणी-3 में यथा नीचे निर्दिष्ट ऐसी सेवा मुहैया कराने के लिए अपेक्षा की जाएंगी।

प्रचालक को श्रेणी-2 में उल्लिखित मार्गों पर उस क्षमता की कम से कम 10 प्रतिशत क्षमता तैनात करनी होगी जो क्षमता श्रेणी-1 में उल्लिखित मार्गों पर तैनात करता है और इस तरह श्रेणी-2 में मार्गों पर तैनात की जाने वाली अपेक्षित क्षमता की कम से कम 10 प्रतिशत क्षमता अनन्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप के भीतर प्रचालित सेवा अथवा तत्संबंधी सेवा खण्डों पर तैनाती करनी होगी।

प्रचालक श्रेणी-3 में उल्लिखित मार्गों पर उस क्षमता की कम से कम 50 प्रतिशत क्षमता की तैनाती करेगा जो क्षमता वह श्रेणी-1 में उल्लिखित मार्गों पर तैनात करता है।

टिप्पणी-1 अंतराष्ट्रीय विमान सेवा के बंग के रूप में श्रेणी-1 के किसी मार्ग पर प्रचालित कोई सेवा उक्त प्रयोजन हेतु नहीं गिनी जाएगी।

टिप्पणी-2 तैनात की गई क्षमता को उपलब्ध सीट किलोमीटर (ए.एस.के.एम.) अंतर्गत गिना जाएगा।

टिप्पणी-3 दिल्ली-कलकत्ता-गुवाहाटी-इम्फाल जैसे बहुविध सैक्टर मार्ग पर, दिल्ली-कलकत्ता सैक्टर पर मुहैया की गई क्षमता को श्रेणी-1 के प्रति गिना जाएगा, वह क्षमता जो कलकत्ता-गुवाहाटी सैक्टर पर मुहैया की गई है उसे श्रेणी-2 के प्रति गिना जाएगा जबकि गुवाहाटी इम्फाल सैक्टर पर मुहैया की गई क्षमता को अनन्य रूप श्रेणी-2 के भीतर सेवा के प्रति गिना जाएगा।

[अनुवाद]

समेकित वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास परियोजना संबंधी योजना

***489. श्री वाई.वी. राव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चक्रवातों के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से एक ढाल बनाने हेतु देश के तटीय क्षेत्रों में वनरोपण के लिए समेकित वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास परियोजना संबंधी योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार कुल कितनी राशि आबंटित की गई, जारी की गई और व्यय की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम में तटीय रेखा के किनारे कतारों में पौधरोपण किए जाने की परिकल्पना है, ताकि कृषि खेतों, वासभूमियों, सड़कों आदि की सुरक्षा के लिए भूमि कटाव और रेत भरने को रोकने हेतु सुरक्षा पट्टी का सृजन किया जा सके।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान समेकित वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास परियोजना संबंधी योजना और तटीय क्षेत्रों में वनरोपण परियोजनाओं के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपयों में और क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	नवीं योजना वास्तविक लक्ष्य	नवीं योजना वित्तीय आबंटन	जारी की गई	खर्च की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2050	472.44	184.96	79.76
2.	गुजरात	3900	415.00	293.25	145.45

1	2	3	4	5	6
3.	कर्नाटक	200	55.58	35.45	13.86
4.	केरल	1000	408.59	99.51	55.28
5.	उड़ीसा	8000	1488.51	441.09	100.74
6.	पांडिचेरी	448	90.32	20.12	0.00
7.	तमिलनाडु	1000	308.70	84.55	9.58
8.	पश्चिम बंगाल	150	30.02	18.16	6.06
	कुल	16748	3269.16	1177.09	410.73

जल संसाधनों के लिये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा सर्वेक्षण

*490. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भूमिगत जल संसाधनों का पता लगाने के लिये विभिन्न भूपरिदृश्यों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में यह सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) अब तक ऐसे संसाधनों का, विशेषकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, पता लगाने में कितनी सफलता मिली है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) अंतरिक्ष विभाग, पेय जल आपूर्ति विभाग के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति मिशन की ओर से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लिए उपग्रह दूर-संवेदी तकनीकी का प्रयोग करके भूमिजल संभावी मानचित्र तैयार कर रहा है। ये मानचित्र उपग्रह दूर-संवेदी तथा संबंधित भूमि-आंकड़ों से प्राप्त भू-वैज्ञानिकी (लिथोलाजिकल और स्ट्रक्चरल) भू-आकारिकी तथा जल वैज्ञानिकी सूचनाओं को शामिल करके तैयार किए जाते हैं। भू-जल संबंधी मानचित्रों में दी गई ऐसी एकीकृत सूचना से पेयजल संसाधनों का पता लगाने के लिए आवश्यक भूमि जल सर्वेक्षण (जल वैज्ञानिक/भू-भौतिकी) करने के पश्चात् ड्रिलिंग के लिए लक्ष्य क्षेत्रों को सीमित करने तथा स्थलों का व्यवस्थित चयन करने में सहायता मिलती है। अब तक लगभग 700 ऐसे मानचित्र तैयार किए गए हैं तथा उन्हें संबंधित उपयोगकर्त्ता अभिकरण को मुहैया करा दिया गया है। इस प्रकार के मानचित्रों का उपयोग करते हुए पहले नमूना-सर्वेक्षण के तौर पर 20,000 बोल-वेल ड्रिल किए गए हैं। इसमें 90 प्रतिशत सफलता देखने में आई है।

स्पीड पोस्ट सेवाएं

*491. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग (डी.ओ.पी.) ने स्पीडनेट के माध्यम से स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक विभाग का स्पीडनेट सेवा शुरू करने के बाद और अधिक संख्या में स्पीड पोस्ट केन्द्र खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डाक विभाग ने सभी जिला मुख्यालयों में सूचना सुविधा काउण्टर खोले हैं; और

(च) यदि हां, तो इन केन्द्रों द्वारा किस तरह की सूचना उपलब्ध करायी जाती है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (च) इंटरनेट के माध्यम से स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पोस्ट की वस्तुओं का पता लगाने (ट्रैकिंग) के लिए विभाग की समस्त 120 राष्ट्रीय

स्पीड पोस्ट केन्द्रों में स्पीडनेट की सुविधा प्रदान करने की योजना है। इसके ग्राहकों को उनके द्वारा बुक की गई स्पीड पोस्ट वस्तुओं की वितरण की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करने की आन लाइन सुविधा प्रदान की जा सकेगी। स्पीडनेट प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक स्पीड पोस्ट/एक्सप्रेस पोस्ट की वस्तु को एक बारकोड नबंर दिया जाएगा जिसकी, उसकी बुकिंग से वितरण तक प्रोसेसिंग के प्रत्येक स्थान पर बारकोड स्कैनरों के माध्यम से बारीकी से जांच की जाएगी। ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उनकी स्पीड पोस्ट तथा एक्स्प्रेस पोस्ट की वस्तुओं का पता लग जाएगा और उन्हें स्पीड पोस्ट के वितरण की ताजा स्थिति प्राप्त हो जाएगी।

व्यावसायिक अपेक्षाओं, आवश्यकता के मूल्यांकन, प्रत्याशित राजस्व और परिवहन नेटवर्क के आधार पर विभाग की अतिरिक्त स्पीड पोस्ट केन्द्र खोलने की योजना है।

देश में सभी महत्वपूर्ण डाकघरों में सूचना एवं सुविधा केन्द्र (आई.एफ.सी.) खोले गए है, जिनमें से अधिकांश जिला मुख्यालयों से सह-सम्बद्ध हैं और इनमें से 423 (चार सौ तेईस) कम्प्यूटरीकृत केन्द्र हैं। इन काउंटरों पर मूल्यवर्धित सेवाओं, डाक शुल्क, पिनकोड, अल्प बचत योजनाओं और डाक जीवन बीमा स्कीमों के संबंध में मूलभूत जानकारी प्रदान की जाती है। सूचना एवं सुविधा काउंटर शिकायतें प्राप्त करते हैं और स्थल पर उसकी पावती प्रदान करते हैं।

विमानन सुरक्षा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधा की स्थापना

*492. **श्रीमती श्यामा सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) ने भारत हेतु विमानन सुरक्षा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधा की स्थापना के लिये कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो आई.सी.ए.ओ. द्वारा की गई ऐसी टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सुरक्षा संबंधी कमियों को ठीक करने के लिये अपेक्षित धनराशि का आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के सैक्रेटरी जनरल ने मार्च, 2001 में भारत के अपने दौरे के दौरान विमानन संरक्षा के लिए भारत का समर्थन मांगने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधा की स्थापना का मुद्दा उठाया था। तथापि, यह मामला प्रारंभिक स्थिति में है और इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व इकाओ के सदस्य देशों के बीच विचार-विनिमय करना अपेक्षित होगा।

सिंचाई और जल प्रबंधन में निवेश

*493. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये सिंचाई और जल प्रबन्धन में सरकारी निवेश बढ़ाये जाने की अविलम्बनीय आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संसाधन स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा अपनाई गई कृषि नीति के अनुसार, पिछले पांच दशकों के दौरान प्राप्त की गई लगभग 2.5 प्रतिशत औसत वृद्धि दर की तुलना में 4% वार्षिक की दर से कृषि पैदावार में वृद्धि अपेक्षित है। कृषि उत्पादन में इस नियोजित वृद्धि के लिए अगले पन्द्रह वर्षों में लगभग 200 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत शामिल करना होगा। पिछले कुछ वर्षों से राज्य योजनाओं में सिंचाई और जल प्रबंधन में निवेश लगातार कम हो रहा है। सभी चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, पुरानी परियोजनाओं से सिंचाई लाभ प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण में सहायता देने तथा परम्परागत जल संचयन प्रणालियों को पुनर्स्थापित करने तथा उनका जीर्णोद्धार करने और नये संसाधनों का विकास करने के लिए इस निवेश में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है। भारत सरकार वर्ष 1974-75 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण और अनुदान मुहैया करा कर राज्यों की संसाधनों की स्थिति को सुदृढ़ कर रही है। भारत सरकार सिंचाई परियोजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य किसान संघों को दे रही है तथा वह जल के अनुप्रयोग में और अधिक दक्षता लाने के साथ-साथ सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं और उनके प्रबन्धन के लिए संस्थागत वित्त व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है और जल संसाधन परियोजनाओं के समेकन तथा प्रबन्धन के लिए बाह्य निधियां उपलब्ध कराने में सहायता कर रही है।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

*494. **श्री साहिब सिंह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक बड़ी सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का आज की तारीख के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा क्या है और मंजूरी न मिलने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिये कोई समय सीमा निर्धारत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त 92 वृहद सिंचाई परियोजनाओं में से जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अधीन 60 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है तथा 32 परियोजनाएं मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना, जहां कहीं अंतर्राज्यीय मुद्दे शामिल हैं, वहां उनके समाधान होने तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करने पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	वृहद/मध्यम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	नेत्तामपाडु लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	134.30	ए
2.	कालवा कुर्थी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	134.30	ए
3.	पुलिचिन्तला सिंचाई परियोजना	आंध्र प्रदेश	वृहद	506.20	बी
4.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण	आंध्र प्रदेश	वृहद	659.16	बी
5.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	आंध्र प्रदेश	वृहद	744.00	बी
6.	श्रीराम सागर चरण-II	आंध्र प्रदेश	वृहद	697.70	बी
7.	एस.आर.एस.पी. से बाढ़ प्रवाह नहर	आंध्र प्रदेश	वृहद	1331.30	बी
8.	जुराला	आंध्र प्रदेश	वृहद	545.82	बी
9.	वम्सधारा चरण-II का फेज-I	आंध्र प्रदेश	वृहद	123.936	बी
10.	वम्सधारा परियोजना चरण-II	आंध्र प्रदेश	वृहद	275.74	बी
11.	पुनपुन-मोहर-दर्घा	बिहार	वृहद	102.26	बी
12.	कदवन जलाशय परियोजना	बिहार	वृहद	1111.14	ए
13.	तिलैया दाधर	बिहार	वृहद	220.11	बी
14.	ऊपरी महानन्दा सिंचाई स्कीम	बिहार	वृहद	126.53	ए

1	2	3	4	5	6
15.	पुनासी जलाशय	झारखण्ड	वृहद	221.65	बी
16.	सुबर्णरेखा (बहुउद्देश्यीय)	झारखण्ड	वृहद	1428.82	बी
17.	अजोय बैराज/सिक्तिया बैराज	झारखण्ड	वृहद	248.10	बी
18.	ऊपरी सकरी जलाशय	झारखण्ड	वृहद	123.81	बी
19.	कनहर जलाशय	झारखण्ड	वृहद	1015.76	ए
20.	उत्तरी कोयल जलाशय	झारखण्ड	वृहद	836.11	ए
21.	कोनार सिंचाई	झारखण्ड	वृहद	336.69	बी
22.	मच्छु-I का आधुनिकीकरण	गुजरात	वृहद	8.12	बी
23.	पश्चिमी यमुना सम्पर्क चैनल	हरियाणा	वृहद	31.26	बी
24.	सतजल यमुना सम्पर्क नहर	हरियाणा	वृहद	61.76	बी
25.	रेणुका बांध	हिमाचल प्रदेश	वृहद	1224.64	बी
26.	ऊपरी तुंगा परियोजना	कर्नाटक	वृहद	556.00	ए
27.	मार्कण्डेय जलाशय परियोजना	कर्नाटक	वृहद	134.53	ए
28.	सिंकतलुर (हुलिगुड्डा) लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	वृहद	123.00	ए
29.	हिप्पारगी सिंचाई	कर्नाटक	वृहद	186.70	बी
30.	इदमालायार सिंचाई परियोजना	केरल	वृहद	107.00	बी
31.	बाणसागर यूनिट-II (नहरें)	मध्य प्रदेश	वृहद	344.68	बी
32.	बारगी बहुउद्देश्यीय परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	566.34	बी
33.	कोलार परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	139.14	बी
34.	तंवर टैंक	मध्य प्रदेश	वृहद	24.38	बी
35.	पेंच व्यपवर्तन	मध्य प्रदेश	वृहद	184.04	बी
36.	महान	मध्य प्रदेश	वृहद	39.00	बी
37.	राजघाट नहर	मध्य प्रदेश	वृहद	309.21	बी
38.	ऊपरी नर्मदा परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	211.92	ए
39.	हेलोन सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	193.01	ए
40.	दूध गंगा सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहद	204.58	बी
41.	वारना सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहद	337.81	बी

1	2	3	4	5	6
42.	कोयना-कृष्णा लिफ्ट सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहद	259.10	बी
43.	अरूणावती परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	66.48	बी
44.	पुनाद सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहद	29.22	बी
45.	निचली वुन्ना परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	87.55	बी
46.	हुमान नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	494.60	ए
47.	निचली वर्धा	महाराष्ट्र	वृहद	61.99	ए
48.	गुंजावानी	महाराष्ट्र	वृहद	86.77	ए
49.	संगोला शाखा नहर	महाराष्ट्र	वृहद	37.01	बी
50.	तालम्बा सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	289.09	बी
51.	लेंडी सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	177.615	ए
52.	तिपाईमुख बांध परियोजना	मणिपुर	वृहद	2899	बी
53.	ओंग बांध परियोजना	उड़ीसा	वृहद	304.66	बी
54.	कानुपुर सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	वृहद	428.32	बी
55.	ईब सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	वृहद	966.03	ए
56.	ब्रुतंग	उड़ीसा	वृहद	227.25	बी
57.	ऊपरी इन्द्रावती विस्तार परियोजना	उड़ीसा	वृहद	136.67	बी
58.	ऊपरी कोलाब विस्तार परियोजना	उड़ीसा	वृहद	71.66	बी
59.	साल्की सिंचाई परियोजना में सुधार	उड़ीसा	वृहद	11.57	बी
60.	तालाडांडा मुख्य नहर और वितरिका संख्या-12 का सुधार	उड़ीसा	वृहद	57.06	ए
61.	हीराकुंड वितरण प्रणाली का सेसोन नहर प्रणाली तक सुधार	उड़ीसा	वृहद	34.92	बी
62.	आनन्द पुर बैराज	उड़ीसा	वृहद	482.26	बी
63.	महानदी डेल्टा चरण I & II में जल निकास विकास (फेज-I)	उड़ीसा	वृहद	227.75	ए
64.	पंजाब सिंचाई और जलनिकास परियोजना फेज-III	पंजाब	वृहद	1149.00	ए
65.	भाखड़ा मुख्य नहर की लाईनिंग को ऊंचा करना	पंजाब	वृहद	20.46	बी

1	2	3	4	5	6
66.	होशियारपुर से बालाचौर तक कांडी नहर विस्तार	पंजाब	वृहद	147.12	बी
67.	एस.वाई.एल. मुख्य नहर भाग-I	पंजाब	वृहद	601.25	डी
68.	एस.वाई.एल. नहर भाग-III का परियोजना आधुनिकीकरण अकलन	पंजाब	वृहद	195.44	बी
69.	शाहपुर कांडी बांध परियोजना (रावी परियोजना यूनिट-V)	पंजाब	वृहद	1324.18	बी
70.	245 गहरे नलकूपों के संस्थापन का परियोजना आकलन फेज-II	पंजाब	वृहद	48.80	ए
71.	श्री दशमुख सिंचाई परियोजना	पंजाब	वृहद	647.00	ए
72.	पिपालदा लिफ्ट सिंचाई	राजस्थान	वृहद	11.39	ए
73.	भरतपुर जिले में यमुना नदी के जल का उपयोग	राजस्थान	वृहद	172.96	ए
74.	यमुना नदी के जल का झुंझुनू में उपयोग	राजस्थान	वृहद	273.00	ए
75.	इन्दिरा गांधी नहर चरण-I (ई.आर.एम.)	राजस्थान	वृहद	121.92	बी
76.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (ई.आर.एम.)	राजस्थान	वृहद	733.60	बी
77.	मद्रास को कृष्णा डब्ल्यू.एस. चरण-I	तमिलनाडु	वृहद	176.46	ए
78.	कावेरी डेल्टा का आधुनिकीकरण फेज-I	तमिलनाडु	वृहद	78.80	बी
79.	मेजा बांध को ऊंचा करना	उत्तर प्रदेश	वृहद	65.0	बी
80.	बाणसागर नहर	उत्तर प्रदेश	वृहद	190.27	बी
81.	कनहर सिंचाई	उत्तर प्रदेश	वृहद	341.45	ए
82.	मउदाहा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	125.16	बी
83.	चित्तौड़गढ़	उत्तर प्रदेश	वृहद	36.70	बी
84.	बुंदेलखण्ड में चैनल की लाइनिंग	उत्तर प्रदेश	वृहद	57.37	बी
85.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	उत्तर प्रदेश	वृहद	74.16	बी
86.	भूपाली पंप नहर की क्षमता बढ़ना	उत्तर प्रदेश	वृहद	60.53	सी
87.	पूर्वी यमुना (हथनीकुण्ड) सम्पर्क चैनल	उत्तर प्रदेश	वृहद	22.49	बी
88.	कचनोदा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	70.45	ए

1	2	3	4	5	6
89.	जल प्रबन्धन तथा मौजूदा शारदा नहर प्रणाली में सुधार (ई.आर.एम.)	उत्तर प्रदेश	वृहद	120.98	ए
90.	उत्तर प्रदेश जलपुनर्संरचना परियोजना (ई.आर.एम.)	उत्तर प्रदेश	वृहद	843.70	ए
91.	किशाऊ बांध	उत्तरांचल	वृहद	4099.00	सी
92.	कंग्साबती जलाशय का आधुनिकीकरण (फेज-I)	पश्चिम बंगाल	वृहद	471.90	ए

स्थिति:

(ए) जांच चल रही है।

(बी) कुछ टिप्पणियों के अधीन सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।

(सी) सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित।

(डी) निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग में लंबित।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्यावरण के अनुकूल वाहन

***495. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यावरण के अनुकूल वाहनों का डिजाइन तैयार करने और उनका उत्पादन करने के लिए वाहन निर्माताओं के साथ बातचीत करने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो इस तरह के प्रस्ताव को लागू करने में आने वाली बाधायें क्या हैं;

(ङ) क्या वाहन निर्माताओं को कोई वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (च) सरकार की नीति के एक भाग के तौर पर मोटर वाहनों के लिए पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना एक सतत् प्रक्रिया है। अब भारतीय सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए मोटर वाहन ईंधन के तौर पर कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सी.एन.जी.), तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.), विद्युत बैटरी आदि जैसे पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग की अनुमति दी गई है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को सी.एन.जी. और एल.पी.जी. विधि में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित किटों हेतु सीमा शुल्क में 5% की रियायत के रूप में प्रोत्साहन दिया गया है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी) पर सीमा शुल्क और सी.एन.जी. पर उत्पाद शुल्क परंपरागत स्तरों के मुकाबले में कम रखा गया है। बैटरी से चलने वाले 200 तिपहिया वाहनों के प्रदर्शन और मूल्यांकन के लिए प्रति वाहन एक लाख रु. के अनुदान की एक परीक्षण परियोजना स्वीकृत की गई है। बैटरी से चलने वाली 40 यात्री कारों पर गहन परीक्षण किया जा रहा है। बैटरी से चलने वाले स्वदेश में निर्मित 10 सीट वाले और उससे अधिक क्षमता के यात्री वाहन के खरीददारों के लिए वाहन की मूल लागत के 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वाहन चलाने के लिए फ्यूल सेल प्रणाली के उपयोग का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अल्कोहल के व्यावसायिक उपयोग के लिए तीन परीक्षण परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना पर यातायात की सघनता

***496. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना पर यातायात की अपेक्षित सघनता नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या इस परियोजना के लागत-लाभ पहलुओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा इस परियोजना के लिये जुटाये गये इतने बड़े ऋण को किस तरीके से तर्कसंगत ठहराये जाने की संभावना है; और

(ङ) नयी राजमार्ग प्रणाली से जोड़े जाने वाले यातायात के क्षेत्रों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) आर्थिक आंतरिक प्रतिलाभ दर के आधार पर स्वर्णिम चतुर्भुज पर परियोजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाई गई हैं।

(ङ) चूंकि स्वर्णिम चतुर्भुज विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा है इसलिए इस नेटवर्क के माध्यम से यातायात जुड़ जाता है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा

*497. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, जम्मू और कश्मीर तथा बंगलौर विमानपत्तनों की "अत्याधिक संवेदनशील विमानपत्तनों" के रूप में पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में संबंधित विमानपत्तन प्राधिकरणों को अभी हाल में कोई परिपत्र जारी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विमानपत्तनों की सुरक्षा के लिये विमानपत्तन प्राधिकरणों द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) हमारे हवाई अड्डों को मिलने वाली धमकियों का सावधिक रूप से आकलन किया जाता है और समय-समय पर हवाई अड्डों की इस आधार पर श्रेणियां बनाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, तदनुसार हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को अपनाया जाता है। किए गए सुरक्षा उपायों में यह शामिल है:-

(1) चारदिवारी/चारों तरफ कांटेदार तार।

(2) हाथ के सामान का एक्स-रे मशीनों अथवा व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली जांच के द्वारा 100 प्रतिशत स्क्रीनिंग।

(3) इसके साथ-साथ जब यात्री हवाई जहाज में बैठने के लिए तैयार हों तो सीढ़ी पर उनकी तथा उनके हाथ के सामान की जांच।

(4) रैंडम आधार पर चयनित मार्गों पर स्काई मार्शलों की अचानक तैनाती/छापा।

(5) तत्काल प्रतिक्रिया (रीयक्शन) टीम की तैनाती।

इसके अतिरिक्त, जहां कहीं आवश्यक हो, धमकियों के परशैप्सन में परिवर्तन करने के आधार पर दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई बैंगलौर और जम्मू और कश्मीर हवाई अड्डों के लिए भी सुरक्षा इंतजामों को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

काठमांडू के लिये उड़ानों हेतु नेपाल सरकार को प्रस्ताव

*498. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नेपाल सरकार से काठमांडू के लिये उड़ानों हेतु निजी विमान कंपनियों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर अत्याधुनिक उपकरण लगाना

*499. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर कम रोशनी में विमानों को सुरक्षित उतारने के लिये लगाये गए अत्याधुनिक उपकरणों के कार्यकरण में दोष उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विमानों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए उक्त उपकरणों की मरम्मत के लिये कुछ कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं। फरवरी, 1999 में इंदिरा गांझी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में संस्थापित उपस्कर को उपस्कर अवतरण प्रणाली के लिए पहले ही श्रेणी-II के रूप में प्रचालनात्मक बना दिया गया है और इसका श्रेणी-IIIए प्रचालनों के लिए कोटिउन्नयन कर दिया गया है। पिछले वर्ष इन सुविधाओं के उड़ान अंशांकन के दौरान पाई गई कुछ कमियों को अब दूर कर दिया गया है। इन सुविधाओं के प्रमाणीकरण कार्यविधियों के नवम्बर, 2001 के मध्य पूरा हो जाने की आशा की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एअरलाइन्स द्वारा अकार्मिक पट्टे पर विमान

*500. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एअर-लाइन्स ने अपनी क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से अकार्मिक पट्टे पर कुछ विमान लेने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन एअर-लाइन्स की क्षमता और लाभप्रदता के किस सीमा तक बेहतर हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल की दिनांक 17 अगस्त, 2001 को हुई बैठक में 4 ए-320 विमानों को पांच वर्षों के लिए ड्राई लीज पर लेने का अनुमोदन किया है। इनमें से दो विमानों की नवम्बर, 2001 में अन्य दो विमानों की मार्च, 2002 में सुपुर्दगी की जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स ने पहले ही अपने बेड़े में दो ए-300-बी 4 विमान और 2 ए-320 विमानों को ड्राई लीज पर लिया है।

एलायंस एयर जो कि इंडियन एयरलाइन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, वे भी 6 एटीआर और 42-500 विमानों को ड्राई लीज पर लेने के लिए विश्वव्यापी निविदा जारी की है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के बजट में 2001-2002 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 1.3 प्रतिशत की क्षमता वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। क्षमता में वृद्धि के द्वारा सृजित किए गए राजस्व प्रचालन-मार्जन और कंपनी की लाभकारिता में अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

वेतन का भुगतान न होना

4951. श्री रघुनाथ सिंह शाक्य: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में और झारखंड में कुछ सरकारी उपक्रमों के कामगारों को वर्षों से वेतन नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कामगारों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में कुछेक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ महीनों की मजदूरी और वेतन का भुगतान किया जाना बकाया है। वेतन का भुगतान न किये जाने का मुख्य कारण आवर्ती हानियां और आन्तरिक संसाधनों का सृजन न किया जाना है। सरकार ने उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में स्थित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य में भी कर्मकारों की बकाया देय राशियों का भुगतान करने के उपायों का पता लगाने के लिए मंत्रियों का एक दल गठित किया है।

[अनुवाद]

फ्लाइंग क्लब

4952. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मुख्य फ्लाइंग अनुदेशों/प्रभारी पायलट अनुदेशकों को एक से अधिक फ्लाइंग क्लब की उड़ानें भरने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने भोपाल और अमृतसर में कम योग्यता वाले व्यक्तियों को उड़ान प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों के पर्यवेक्षण कार्य की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) इस समय देश में कोई भी मुख्य उड़ान प्रशिक्षक एक से अधिक फ्लाइंग क्लब में उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

नए नियमों के तहत पर्यटक स्थलों को सीधी उड़ान

4953. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटक स्थलों को सीधी उड़ान सुलभ कराने के लिए अधिकतम 30 सीटों वाले विमानों का उपयोग करने संबंधी पाबंदी को हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नए नियमों में यात्रियों को उनके इच्छित पर्यटक स्थल पर ले जाने वाले विमानों की यात्री क्षमता पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या नए मानदंड विदेशी पर्यटक भारक विमानों को सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उतरने की अनुमति देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किए गए अंतिम दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विदेशों के लिए भारतीय प्रचालकों द्वारा पर्यटक चार्टर के मामले में पर्यटक चार्टर उड़ानों के प्रचालन के बारे में दिनांक 10 जुलाई, 2001 को जारी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, यद्यपि, 9 सीटों वाली किसी विमान से प्रचालन की आवृत्ति पर कोई रोक नहीं होगी, किसी भी प्रचालक को 9 सीटों से अधिक सीट वाले किसी विमान से 90 लगातार दिनों के दौरान छह बार से अधिक भारत के लिए यहां से प्रचालन करने की अनुमति नहीं होगी।

(ग) और (घ) पर्यटक चार्टर उड़ान सभी 12 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और आगरा, जयपुर, वाराणसी तथा पोर्टब्लेयर स्थित चार अतिरिक्त हवाई अड्डों पर उतर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटक चार्टर उड़ानों को उन हवाई अड्डों पर भी उतरने की अनुमति दी जाती है जहां पर कस्टम और आप्रवासन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

खनन संबंधी कार्यों को उद्योग का दर्जा

4954. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 2(ग)(iii) की शर्तों के अनुसार कोई ऐसा प्रतिष्ठान जोकि खानों के विकास समेत खनन कार्य में संलग्न है अथवा जिसे संलग्न किया जाना है एक औद्योगिक प्रतिष्ठान है और इसलिए खनन क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु (संगत सांविधि के अधीन) खनन को उद्योग के रूप में पहले ही मान्यता प्राप्त है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में सड़कों का विकास

4955. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फुलनखारा (एन.एच.-5) - नियाली-माधव-चारीछक-गोप-कोणार्क-पुरी (एन.एच. 203) सड़क के विकास के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) मंत्रालय में फुलनखारा-पुरी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में

विकसित करने का प्रस्ताव जनवरी, 2001 में प्राप्त हुआ है। उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर 10वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

राज्यों को वित्तीय सहायता

4956. श्री महेश्वर सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य सरकारों को जल संसाधनों के संवर्धन और दोहन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष योजना-वार कितना आबंटन किया गया और कितनी निधियां जारी की गई; और

(ग) प्रत्येक राज्य ने जल संसाधनों के संरक्षण और दोहन के संबंध में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) जल संसाधनों में वृद्धि करने तथा उसे उपयोग में लाने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए देश में दस केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये स्कीमें हैं:-

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालय		प्रचालनाधीन मंत्रालय
1.	जल संसाधन मंत्रालय	(i) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम
		(ii) लघु सिंचाई आंकड़ों का युक्तिकरण
2.	कृषि मंत्रालय	(iii) नदी-घाटी-परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों* के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
		(iv) वर्षा पोषित क्षेत्रों* में राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना
3.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	(v) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम**
		(vi) हजार कूप (मिलियन वेल्स) स्कीम
		(vii) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
		(viii) गंगा कल्याण योजना**
		(ix) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
		(x) रोजगार और आश्वासन स्कीम

* इन स्कीमों को दिनांक 4 नवम्बर, 2000 से "कृषि का वृहद (मैक्रो) प्रबंधन" नामक स्कीम में एकीकृत किया गया है।

** इन स्कीमों को दिनांक 1.4.99 से रोक दिया गया है तथा उसी तिथि से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक नई स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता अनुमोदित वित्त प्रणाली, राज्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए बजट प्रावधान, अनुमोदित मानकों और संबंधित स्कीमों के अन्तर्गत निष्पादन के आधार पर मुहैया कराई जाती है। विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत सूचित किए गए अनुसार पिछले तीन वर्षों (1998-1999 से 2000-2001) के दौरान जारी की गई निधियों और उपलब्धियों की राज्यवार स्थिति विवरण-I से XI में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1998-1999 से 2001-2002 की अवधि के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय राशि के राज्यवार ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई केन्द्रीय राशि				वर्ष
		वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001-2002**	
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	10.00	3.75	34.75	48.50
3.	असम	0.00	0.00	33.45	0.00	33.45
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	324.19	650.00	18.67	0.00	992.86
7.	हरियाणा	1294.63	841.74	503.02	515.63	3155.02
8.	हिमाचल प्रदेश	52.90	15.81	68.17	0.00	136.88
9.	जम्मू व कश्मीर	233.99	248.99	165.19	0.00	648.17
10.	कर्नाटक	688.00	885.37	1863.73	870.84	4287.94
11.	केरल	806.04	788.11	745.62	351.61	2691.38
12.	मध्य प्रदेश	245.99	167.20	123.41	0.00	536.60
13.	महाराष्ट्र	1719.15	660.60	461.14	0.00	2840.89
14.	मणिपुर	132.33	128.05	113.09	0.00	373.47
15.	मिजोरम	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
16.	मेघालय	0.00	18.40	0.00	0.00	18.40
17.	नागालैंड	6.43	15.00	0.00	0.00	21.43
18.	उड़ीसा	774.40	365.28	1035.92	0.00	2175.60
19.	पंजाब	500.00	3352.06	2133.49	0.00	5985.55
20.	राजस्थान	3834.87	2700.00	1592.19	647.12	8774.18

1	2	3	4	5	6	7
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25
22.	तमिलनाडु	2507.27	2336.74	1677.38	162.16	6683.55
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	3959.24	2804.92	3247.32	0.00	10011.48
25.	पश्चिम बंगाल	275.00	306.73	424.77	0.00	1006.50
	कुल	17334.43	16295.00	14215.31	2584.36	50429.10
संघ राज्य क्षेत्र						
1.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़	17334.43	16295.00	14215.31	2584.36	50429.10

* दमन गंगा परियोजना का विस्तार गुजरात और संघ राज्य क्षेत्र दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली तक है। गुजरात के तहत एक बार इसकी गणना हो चुकी है।

** आज की तिथि तक जारी राशि

विवरण-II

केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 1998-99 से 2000-2001 की अवधि के लिए खेत संबंधी विकास कार्यों के संबंध में वास्तविक उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा

(यूनिट-हजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खेत नेटवर्क				चकबंदी				भूमि समतलन				खेत नालियां			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
राज्य																	
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.34	5.54	2.07	10.95	10.24	6.18	12.62	29.04	4.30	5.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.08	0.08	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.15	0.03	0.18
3.	असम	0.83	0.00	0.05	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.54	0.47	3.81	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.04	0.04	1.44	1.50	0.00	2.94	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	20.60	5.73	2.85	29.18	8.30	3.34	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02
7.	हरियाणा	23.65	25.11	18.03	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.30	1.64	1.94	0.00	0.25	1.65	.190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.45	0.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	जम्मू व कश्मीर	5.39	3.35	3.47	12.21	90.69	37.34	31.10	159.13	1.2	0.26	0.17	1.69	2.45	0.96	0.46	3.87
10.	कर्नाटक	10.35	13.04	28.90	52.29	8.20	8.43	6.88	23.51	5.4	15.43	11.57	32.41	2.82	3.04	3.38	9.24
11.	केरल	7.12	2.59	2.86	12.57	20.28	5.74	1.68	27.70	0.12	0.08	0.11	0.31	32.54	21.23	18.46	72.23
12.	मध्य प्रदेश	10.86	10.84	4.95	26.65	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	27.67	27.27	28.36	83.30	8.69	0.25	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27	27.27	28.36	68.90
14.	मणिपुर	4.48	2.87	2.08	9.43	0.16	1.05	0.00	1.21	0.15	0.00	0.00	01.5	0.08	0.57	0.44	1.09
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.05	0.16	0.03	0.24	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.12	0.05	0.23
17.	उड़ीसा	12.89	9.11	9.51	31.51	13.40	6.83	1.86	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	1.74	2.96	8.68
18.	पंजाब	0.00	40.37	67.03	107.40	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान	65.95	49.09	40.82	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28	1.81	1.93	15.02	9.76	1.81	1.93	13.50
20.	तमिलनाडु	53.82	53.89	25.08	132.79	81.82	75.65	56.52	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19
21.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	71.54	115.49	134.64	321.67	89.29	121.58	136.73	347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.14	58.40	71.54
23.	पश्चिम बंगाल	3.36	4.57	6.56	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल राज्य	322.44	369.87	382.87	1075.18	333.77	268.14	260.43	862.34	22.56	22.58	13.83	58.97	64.96	70.18	115.13	250.27
संघ राज्य क्षेत्र																	
1.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़	322.44	369.87	382.87	1075.18	333.77	268.14	260.43	862.34	22.56	22.58	13.83	58.97	64.96	70.18	115.13	250.27

*दमन गंगा परियोजना का विस्तार गुजरात और संघ राज्य क्षेत्र दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली तक है। गुजरात के तहत एक बार इसकी गणना हो चुकी है।

विवरण-III

वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 की अवधि के दौरान लघु सिंचाई गणनाओं के युक्तिकरण (सांख्यिकीय सेलों पर व्यय) की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय राशि के ब्यौरे

(यूनिट-रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केंन्द्र द्वारा जारी की गई राशि			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.22	14.07	12.45	41.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	5.57	7.46	6.15	19.18
4.	बिहार	6.22	0.00	0.00	6.22
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	3.92	0.00	3.92
7.	गुजरात	24.33	18.29	3.02	45.64
8.	हरियाणा	15.84	7.77	11.56	35.17
9.	हिमाचल प्रदेश	13.01	7.76	9.26	30.03
10.	जम्मू व कश्मीर	9.53	10.01	9.67	29.21
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	34.82	34.82
13.	केरल	0.00	34.64	12.95	47.59
14.	मध्य प्रदेश	11.64	0.00	14.13	25.77
15.	महाराष्ट्र	21.93	20.97	18.86	61.76
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	11.2	5.32	16.52
20.	उड़ीसा	9.17	12.45	11.35	32.97
21.	पंजाब	9.33	5.38	10.06	24.77

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	1.78	0.00	0.00	1.78
23.	सिक्किम	4.33	1.01	5.36	10.70
24.	तमिलनाडु	0.00	1.61	12.42	14.03
25.	त्रिपुरा	6.46	6.44	6.38	19.28
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	10.29	13.75	13.06	37.10
	कुल राज्य	164.65	176.73	200.42	541.80
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00
2	दादरा एवं नगर हवेली	2.01	0.00	2.67	4.68
3.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	2.01	0.00	2..67	4.68
	कुल जोड़	166.66	176.73	203.09	546.48

*लघु सिंचाई गणनाओं संबंधी सूचना के संग्रह के लिए राज्यों में इन सेलों का गठन किया गया है।

विवरण-IV

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 की अवधि के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यवार वास्तविक और वित्तीय प्रगति को दर्शाते हुए ब्यौरे

(क्षेत्र हजार हेक्टेयर में)
(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वास्तविक उपलब्धि				वित्तीय उपलब्धि			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश								
	(क) कृषि	5.46	9.87	3.54	18.87	233.00	240.00	73.00	546.00
	(ख) वन	5.79	4.56	6.12	16.47	418.50	525.00	200.00	1143.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	0.54	0.28	0.26	1.06	10.00	0.00	0.00	10.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	92.00	92.00
5.	गुजरात	–	–	–	0.00	–	–	–	–
	(क) कृषि	5.91	6.65	5.39	17.95	333.00	400.00	281.00	1014.00
	(ख) वन	0.66	1.34	–	2.00	100.00	80.00	17.00	197.00
6.	हरियाणा	3.25	4.80	4.56	12.61	218.00	80.00	178.00	476.00
7.	हिमाचल प्रदेश	11.88	7.89	4.62	24.39	893.20	562.00	268.00	1723.20
8.	जम्मू व कश्मीर	7.88	9.51	4.81	22.20	599.00	650.00	488.11	1697.11
9.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	31.68	40.72	35.05	107.45	115.00	1500.00	998.25	3613.25
11.	केरल	0.00	0.20	1.13	1.33	68.88	40.00	17.00	125.68
12.	मध्य प्रदेश	–	–	–	0.00	–	–	–	0.00
	(क) कृषि	40.12	37.20	15.61	93.13	1844.73	1600.97	350.00	3795.70
	(ख) एन.वी.डी.ओ.	7.01	13.26	9.58	29.85	559.86	500.00	127.60	1187.66
13.	महाराष्ट्र	10.31	23.71	11.21	45.3	1300.00	700.00	744.00	2744.00
14.	मिजोरम	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	5.00	5.00
15.	उड़ीसा	7.22	1.55	0.95	9.73	112.39	300.00	34.00	446.39
16.	पंजाब	0.60	0.00	0.00	0.00	51.00	20.00	9.00	79.00
17.	राजस्थान	26.50	37.47	23.15	87.2	1559.00	1430.00	1597.90	4586.90
18.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
19.	तमिलनाडु	7.43	6.08	3.35	16.86	580.00	375.00	550.00	1505.00
20.	त्रिपुरा	0.76	0.86	0.37	1.99	30.00	51.00	37.50	118.50
21.	उत्तर प्रदेश	47.32	63.10	51.68	162.10	1900.18	1425.13	2158.24	5483.55
22.	उत्तरांचल	6.69	7.23	6.98	20.90	534.26	562.90	560.45	1657.61
23.	पश्चिम बंगाल	0.24	0.89	20.87	22.00	20.00	0.00	0.00	20.00
24.	डी.वी.सी.	17.48	24.90	6.04	48.42	400.00	500.00	500.00	1400.00
25.	मुख्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	36.00	51.00	107.00
	कुल	244.73	302.08	218.39	765.28	12900.00	11578.00	9296.25	33774.25

विवरण-V

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 की अवधि के दौरान वर्षा घोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलं विभाजन विकास परियोजना की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत जारी की गई राशि और सुधार किए गए क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि (लाख रुपये में)				सुधार किया गया क्षेत्र हेक्टेयर में			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य									
1.	आन्ध्र प्रदेश	900.00	900.00	300.00	2100.00	36728	37484	10859.00	85071
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.00	17.00	23.00	71.00	830	0	619.00	1449
3.	असम	125.00	0.00	10.00	135.00	1715	0	100.00	1815
4.	बिहार	125.00	0.00	7.00	132.00	990	1925	0.00	2915
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0,00	964.00	964.90	–	0.00	22562.00	23562
6.	गोवा	8.00	3.00	2.00	13.00	1000	1000	750.00	2750
7.	गुजरात	2000.00	2000.00	1000.00	5000.00	61780	91187	45124.00	198091
8.	हरियाणा	220.00	35.00	78.18	333.18	6544	5367	4148.00	16059
9.	हिमाचल प्रदेश	175.00	200.00	300.00	675.00	2600	5915	7332.00	15847
10.	जम्मू व कश्मीर	38.00	15.00	31.75	84.75	0.	167	0	167
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	2000.00	1700.00	1686.75	5386.75	92300	48372	41418.00	182090
13.	केरल	1434.00	350.00	495.00	2279.00	–	18480	20123.00	38603
14.	मध्य प्रदेश	1609.00	2650.00	1710.16	5969.16	90230	90082	62158.00	242470
15.	महाराष्ट्र	3060.00	800.00	2000.00	5860.00	71675	46660	55546.00	173881
16.	मणिपुर	200.00	300.00	30.00	530.00	250	6900	5681.00	14831
17.	मेघालय	200.00	250.00	30.00	480.00	3552	0	9060.00	12612
18.	मिजोरम	700.00	466.00	466.00	1632.00	11233	12500	10850.00	34583
19.	नागालैंड	500.00	500.00	590.00	1590.00	11149	11106	9307.00	31559
20.	उड़ीसा	550.00	200.00	605.00	1355.00	13623	9815	1900.00	25338
21.	पंजाब	45.00	8.00	16.00	69.00	1125	0	1130.00	2255
22.	राजस्थान	4000.00	3700.00	3831.00	11531.00	89459	85167	129127.00	303753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	सिक्किम	150.00	200.00	200.00	550.00	4500	4370	3522.00	12392
24.	तमिलनाडु	1650.00	1700.00	1160.00	4510.00	50567	48899	33736.00	133202
25.	त्रिपुरा	300.00	350.00	177.08	827.08	6412	10450	4233.00	21095
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	1661.94	1661.94	0	0	16200.00	16200.00
27.	उत्तर प्रदेश	1750.00	1512.00	592.60	3854.60	69947	80556	39895.00	190398
28.	पश्चिम बंगाल	600.00	750.00	124.00	1474.00	22408	19897	10468.00	52773
	कुल राज्य	22370.00	18606.00	18092.36	59068.36	650617	638296	545848	1834761
संघ राज्य क्षेत्र									
1.	अण्डमान व निकोबार	65.00	34.00	23.00	122.00	972	920	635.00	2527
2.	दादरा व नगर हवेली	1.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	66.00	34.00	25.00	125.00	972	920	635	2527
	कुल जोड़	22436.00	18640.00	18117.36	59193.36	651589	639216	546483	13372.00

विवरण-VI

1998-99 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत राज्यवार आवंटन/जारी धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटन 1998-99	जारी केन्द्रीय धनराशि 1998-99
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7734.00	3870.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	403.82	202.78
3.	असम	10492.72	5246.36
4.	बिहार	25336.66	6608.31
5.	गोआ	17.82	24.43
6.	गुजरात	2911.34	1455.67
7.	हरियाणा	1712.78	692.00
8.	हिमाचल प्रदेश	721.32	323.26

1	2	3	4
9.	जम्मू और कश्मीर	892.74	319.20
10.	कर्नाटक	580.48	2439.51
11.	केरल	2620.60	1346.69
12.	मध्य प्रदेश	12842.50	6421.25
13.	महाराष्ट्र	11542.22	5772.63
14.	मणिपुर	703.42	87.76
15.	मेघालय	788.10	144.49
16.	मिजोरम	182.36	104.25
17.	नागालैंड	540.60	86.70
18.	उड़ीसा	8846.44	4384.65
19.	पंजाब	832.40	416.18
20.	राजस्थान	4434.88	2084.45
21.	सिक्किम	201.90	90.57
22.	तमिलनाडु	6838.82	3463.58
23.	त्रिपुरा	1270.06	635.03
24.	उत्तर प्रदेश	27883.22	13889.50
25.	पश्चिम बंगाल	9831.06	2321.76
	कुल राज्य	140162.56	62431.33
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार	69.58	63.00
2.	दादरा और नगर हवेली	41.53	21.88
3.	दमन और दीव	27.43	13.72
4.	लक्षद्वीप	6.85	3.43
5.	पांडिचेरी	56.83	29.93
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	202.22	131.96
	सकल जोड़	140364.78	62563.29

*1.4.99 से रोकी गई स्कीम

विवरण-VII

वर्ष 1998-99 के दौरान मिलियन वेल्स स्कीम के तहत किए गए आवंटन और जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटन	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	कुओं की उपलब्धि संख्या में
1	2	3	4	5
राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	3165.49	3163.08	7110
2.	अरुणाचल प्रदेश	69.60	102.99	80
3.	असम	1808.38	3777.99	2954
4.	बिहार	10369.79	7753.78	15766
5.	गोआ	7.30	3.65	51
6.	गुजरात	1191.55	1191.54	2498
7.	हरियाणा	701.01	473.00	643
8.	हिमाचल प्रदेश	295.23	203.49	531
9.	जम्मू और कश्मीर	365.38	319.71	1628
10.	कर्नाटक	2390.40	2390.40	2106
11.	केरल	1072.56	1055.09	4070
12.	मध्य प्रदेश	5256.18	4401.39	17584
13.	महाराष्ट्र	4725.23	4725.23	8243
14.	मणिपुर	121.24	18.94	465
15.	मेघालय	135.83	274.79	809
16.	मिजोरम	31.43	70.00	865
17.	नागालैंड	93.16	104.26	256
18.	उड़ीसा	3620.68	3620.68	11124
19.	पंजाब	340.69	0.00	0.00
20.	राजस्थान	1815.11	463.06	2838
21.	सिक्किम	34.80	77.50	47

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	2798.99	2798.99	5048
23.	त्रिपुरा	218.89	486.16	3870
24.	उत्तर प्रदेश	11412.05	7446.38	396
25.	पश्चिम बंगाल	4023.65	1769.75	6154
	कुल राज्य	56064.62	46791.95	95136
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार	13.47	0.00	6
2.	दादरा और नगर हवेली	13.47	13.47	22
3.	दमन और दीव	0.45	0.00	0
4.	लक्षद्वीप	0.90	0.00	0
5.	पांडिचेरी	17.06	0.00	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	45.35	13.47	28
	सकल जोड़	56109.97	46805.42	95164

*केन्द्रीय+राज्य का हिस्सा
**1.4.1999 से स्कीम बंद कर दी गई है।

विवरण-VIII

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत दिए गए आवंटन और जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अवधि के दौरान किए गए आवंटन (करोड़ रुपये में)				जारी की गई केन्द्रीय राशि (करोड़ रुपये में)				शामिल जनसंख्या (लाख में)			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य													
1.	आंध्र प्रदेश	99.91	92.83	176.78	369.52	99.91	125.34	192.91	418.16	27.57	49.60	49.50	126.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	36.23	21.76	43.65	101.65	21.64	19.80	22.06	63.50	0.18	0.83	0.68	1.69
3.	असम	61.20	41.80	73.72	176.72	64.17	20.90	54.60	139.67	8.33	26.27	18.42	53.02
4.	बिहार	117.69	93.80	46.87	258.36	0.00	46.90	0.26	47.16	14.71	2.37	0.15	17.23
5.	छत्तीसगढ़	-	-	15.80	-	-	-	15.80	-	-	-	23.02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	गोवा	2.84	3.52	14.04	20.40	0.00	0.00	8.88	8.88	0.23	0.20	0.02	0.45
7.	गुजरात	58.61	64.28	74.85	197.74	69.51	78.44	192.60	340.55	19.89	25.28	9.07	54.24
8.	हरियाणा	21.91	33.34	19.62	74.87	20.25	38.57	20.99	79.81	12.82	28.66	20.88	62.36
9.	हिमाचल प्रदेश	19.67	23.16	56.78	99.61	29.13	31.07	53.84	114.04	1.45	2.95	5.27	9.67
10.	जम्मू व कश्मीर	55.15	64.34	90.70	210.19	46.59	31.90	36.94	115.43	1.70	0.45	0.00	2.15
11.	झारखण्ड	-	-	47.45	-	-	-	23.85	-	-	-	0.00	-
12.	कर्नाटक	91.77	93.59	108.59	293.95	100.71	114.09	84.19	298.99	21.24	25.30	18.88	65.42
13.	केरल	46.74	43.07	68.68	158.49	46.74	34.46	51.50	132.70	5.78	4.67	4.50	14.95
14.	मध्य प्रदेश	110.63	94.44	128.95	334.02	110.61	123.80	128.95	362.68	36.68	24.13	32.98	93.79
15.	महाराष्ट्र	133.02	136.14	169.34	438.50	163.85	173.02	169.34	506.21	56.86	51.81	61.02	169.69
16.	मणिपुर	13.30	9.07	14.75	37.12	6.67	0.00	0.00	6.67	0.00	0.94	0.23	1.17
17.	मेघालय	14.25	9.74	17.16	41.15	17.09	7.79	17.97	42.85	0.57	1.57	1.75	3.89
18.	मिजोरम	10.18	6.96	12.26	29.40	10.18	6.96	11.62	28.76	1.04	1.73	4.96	7.73
19.	नागालैंड	10.58	7.24	12.75	30.57	7.97	5.09	8.23	21.99	0.60	0.19	1.37	2.16
20.	उड़ीसा	52.37	48.74	84.57	185.68	47.94	48.18	53.50	149.92	6.97	10.39	5.44	22.80
21.	पंजाब	16.69	17.20	35.02	68.91	22.05	23.21	29.03	74.29	1.24	3.12	4.17	8.53
22.	राजस्थान	109.55	172.41	233.51	515.47	119.42	156.14	264.74	540.70	3.71	35.44	2.68	41.83
23.	सिक्किम	4.34	4.60	6.50	15.44	14.01	10.16	3.25	27.72	0.23	0.49	0.35	1.07
24.	तमिलनाडु	79.23	65.35	84.30	228.88	105.28	89.18	84.62	279.48	41.71	66.87	104.73	213.31
25.	त्रिपुरा	12.62	8.62	15.21	36.45	21.29	11.62	15.21	48.12	1.07	0.55	1.70	3.32
26.	उत्तर प्रदेश	185.38	147.75	166.79	499.92	162.97	148.25	150.92	311.22	54.89	33.00	15.01	102.90
27.	उत्तरांचल	-	-	23.04	-	-	-	23.04	-	-	-	0.42	-
28.	पश्चिम बंगाल	71.70	70.08	78.95	220.73	64.27	56.06	141.40	120.33	20.33	43.06	43.10	106.49
	कुल राज्य	1435.52	1373.83	1920.63	4643.69	1372.23	1402.53	1860.24	2774.76	339.80	439.87	430.30	1209.97
संघ राज्य क्षेत्र													
1.	अंडमान और निकोबार	0.13	0.13	0.13	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.22	0.72
2.	दादरा व नगर हवेली	0.13	0.13	0.07	0.33	0.00	0.00	0.03	0.00	0.14	0.14	0.14	0.42
3.	दमन व दीव	0.13	0.13	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00	2.46
4.	दिल्ली	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	लक्षद्वीप	0.13	0.13	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
6.	पांडिचेरी	0.05	0.05	0.05	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.23	1.37
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.57	0.57	0.30	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	2.19	6.59	10.97
	कुल जोड़	1436.09	1374.40	1920.93	4645.13	1402.53	1402.53	1402.53	2805.06	341.99	442.06	436.89	1220.94

विवरण-IX

वर्ष 1998-99 के दौरान गंगा कल्याण योजना के तहत किए गए आबंटन और जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल आवंटन	जारी की गई केन्द्रीय राशि 1998-99
1	2	3	4
राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	929.50	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	69.41	0.00
3.	असम	306.19	0.00
4.	बिहार	1807.34	0.00
5.	गोवा	16.29	0.00
6.	गुजरात	341.54	0.00
7.	हरियाणा	81.68	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	27.48	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	102.50	0.00
10.	कर्नाटक	623.33	0.00
11.	केरल	227.25	0.00
12.	मध्य प्रदेश	1177.24	0.00
13.	महाराष्ट्र	1012.56	0.00
14.	मणिपुर	50.33	0.00
15.	मेघालय	53.09	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00
17.	नागालैंड	36.79	0.00
18.	उड़ीसा	753.95	0.00
19.	पंजाब	58.49	0.00
20.	राजस्थान	488.61	0.00
21.	सिक्किम	6.83	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	87.50	0.00

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	2262.06	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	832.88	0.00
	कुल राज्य	11352.54	0.00
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00
2.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00
3.	दमन और दीव	0.00	0.00
4.	दिल्ली	0.00	0.00
5.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
6.	पांडिचेरी	0.00	0.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00	0.00
	सकल जोड़	11352.54	0.00

*1.4.1999 से इस स्कीम को रोका गया है।

विवरण-X

वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत राज्यवार आवंटन, जारी धन एवं स्वरोजगारियों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटन (करोड़ रुपये में)			जारी केन्द्रीय धन (करोड़ रुपये में)			स्वरोजगारी (लाख में)		
		1999-2000	2000-2001	कुल	1999-2000	2000-2001	कुल	1999-2000	2000-2001	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राज्य										
1.	आन्ध्र प्रदेश	62.19	53.03	115.22	62.19	52.84	115.03	1.65	1.76	3.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.37	2.77	4.14	0.92	0.99	1.91	0.03	0.02	0.05
3.	असम	35.53	71.95	107.48	30.62	0.00	30.62	0.18	0.37	0.55
4.	बिहार	203.75	126.16	329.91	119.18	29.79	148.97	1.06	3.77	4.83
5.	छत्तीसगढ़	0.00	28.00	28.00	0.00	11.28	11.28	0.00	0.91	0.91
6.	गोवा	0.60	0.50	1.10	0.60	0.25	0.85	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	23.41	19.96	43.37	23.41	12.17	35.58	0.19	0.88	1.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	हरियाणा	13.77	11.74	25.51	17.84	10.88	28.72	0.17	0.77	0.94
9.	हिमाचल प्रदेश	5.80	4.95	10.75	4.76	2.46	7.22	0.09	0.30	0.39
10.	जम्मू व कश्मीर	7.18	6.12	13.30	4.12	1.95	6.07	0.06	0.11	0.17
11.	झारखण्ड	0.00	47.55	47.55	0.00	8.09	8.09	0.00	0.90	0.90
12.	कर्नाटक	46.96	40.04	87.00	23.48	16.01	39.49	0.19	0.87	1.06
13.	केरल	21.07	17.96	39.03	20.83	9.19	30.02	0.29	1.13	1.42
14.	मध्य प्रदेश	103.27	60.04	163.31	100.13	34.21	134.34	1.12	2.15	3.27
15.	महाराष्ट्र	92.84	79.15	171.99	92.84	57.70	150.54	0.88	2.63	3.51
16.	मणिपुर	2.38	4.82	7.20	1.19	0.24	1.43	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	2.67	5.40	8.07	1.31	0.24	1.55	0.01	0.02	0.03
18.	मिजोरम	0.61	1.25	1.86	0.58	0.62	1.20	0.00	0.02	0.02
19.	नागालैंड	1.83	3.70	5.53	1.02	1.74	2.76	0.05	0.04	0.09
20.	उड़ीसा	71.13	60.65	131.78	72.22	43.53	116.75	0.75	2.58	3.33
21.	पंजाब	6.69	5.71	12.40	6.65	4.54	11.19	0.02	0.36	0.38
22.	राजस्थान	35.66	30.40	66.06	35.66	25.94	61.60	0.34	1.36	1.70
23.	सिक्किम	0.68	1.38	2.06	0.68	1.37	2.05	0.01	0.06	0.07
24.	तमिलनाडु	54.99	46.89	101.88	69.99	46.26	116.25	0.65	2.50	3.15
25.	त्रिपुरा	4.30	8.70	13.00	4.88	8.60	13.48	0.08	0.44	0.52
26.	उत्तर प्रदेश	224.22	181.63	405.85	133.38	77.37	133.38	0.61	3.72	4.33
27.	उत्तरांचल	0.00	9.54	9.54	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	79.05	67.41	146.46	39.52	0.00	39.52	0.89	0.47	1.36
	कुल राज्य	1101.95	997.40	2099.35	868.00	461.70	868.00	9.32	28.14	37.46
संघ राज्य क्षेत्र										
1.	अण्डमान व निकोबार	0.60	0.50	1.10	0.30	0.00	0.30	0.01	0.01	0.02
2.	दादरा व नगर हवेली	0.60	0.50	1.10	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
3.	दमन व दीव	0.60	0.50	1.10	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
4.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	लक्षद्वीप	0.60	0.50	1.10	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
6.	पांडिचेरी	0.60	0.50	1.10	0.30	0.25	0.55	0.01	0.00	0.01
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	3.00	2.50	5.50	1.50	0.25	1.50	0.02	0.01	0.03
	सकल जोड़	1104.95	999.90	2104.85	1402.53	1402.53	1402.53	9.34	28.15	37.49

विवरण-XI

1998-99 से 2000-2001 के दौरान रोजगार आश्वासन स्कीम के तहत जारी धनराशि एवं पूरे किए गए कार्य का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	वित्तीय प्रगति			
		जारी केन्द्रीय धनराशि (लाख रु. में)			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	16740.00	10288.76	6483.20	33511.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	2140.00	719.27	812.95	3672.22
3.	असम	11818.00	4701.11	5273.31	20992.42
4.	बिहार	18596.00	25388.02	9714.15	53698.17
5.	गोवा	180.00	55.00	15420.90	235.00
6.	गुजरात	4410.00	4301.49	15.18	8726.67
7.	हरियाणा	1660.00	1981.53	7814.32	11455.85
8.	हिमाचल प्रदेश	2050.00	945.06	2007.32	5002.31
9.	जम्मू व कश्मीर	4760.00	2755.00	1081.80	8596.80
10.	झारखण्ड	0.00	0.00	6870.60	6870.60
11.	कर्नाटक	10350.00	6670.05	5577.1	22597.15
12.	केरल	3861.00	3486.12	2200.9	.9548.02
13.	मध्य प्रदेश	22033.00	17464.11	10630.11	50127.22
14.	महाराष्ट्र	8167.17	11002.98	7730.68	26900.83
15.	मणिपुर	890.00	307.74	478.58	1676.45
16.	मेघालय	610.00	220.74	500.88	1331.62
17.	मिजोरम	800.00	402.16	183.36	1385.52
18.	नागालैंड	2100.00	276.09	403.52	2779.61
19.	उड़ीसा	12752.00	17621.12	16216.23	46589.35
20.	पंजाब	2720.00	813.98	615.6	4149.58
21.	राजस्थान	8935.00	6888.13	8412.98	24236.11
22.	सिक्किम	320.00	313.10	403.84	1036.94

1	2	3	4	5	6
23.	तमिलनाडु	18720.00	10597.49	5824	35141.49
24.	त्रिपुरा	1440.00	711.46	1276.22	3427.68
25.	उत्तरांचल	0.00	0.00	1135.06	1135.06
26.	उत्तर प्रदेश	35153.65	36155.49	18544.23	89853.37
27.	पश्चिम बंगाल	8270.00	9483.71	6631.13	24384.84
28.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	40.00	27.36	0.00	67.36
29.	दादरा एवं नगर हवेली	30.00	27.36	17.52	74.88
30.	दमन व दीव	0.00	0.91	0.00	0.91
31.	लक्षद्वीप	100.00	1.82	0.00	101.82
32.	पांडिचेरी	0.00	34.66	0.00	34.66
	कुल	198845.82	173641.95	126854.70	499342.47

[अनुवाद]

भुवनेश्वर को हरा-भरा बनाना

4957. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में आए महाचक्रवात से प्रभावित भुवनेश्वर शहर को हरा-भरा बनाने के लिए वृक्ष आदि लगाने हेतु कोई समयबद्ध कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) उड़ीसा वन विभाग ने राजधानी शहर भुवनेश्वर में सड़क के किनारे पर 16.20 कि.मी. लम्बाई में और 31.30 हेक्टेयर क्षेत्र के छोटे-छोटे भूखंडों ने पौधरोपण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। उड़ीसा वन विभाग ने शहर के खाली स्थानों पर पौधरोपण के लिए 19,135 पौध निजी संस्थानों और व्यक्तियों को नि:शुल्क वितरित की है।

एच.टी.एल. का कार्य निष्पादन

4958. श्री किरीट सोमैया: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड (एच.टी.एल.) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एच.टी.एल. घाटे में चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या एच.टी.एल. के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने एच.टी.एल. लिमिटेड में अपने 74% शेयर के विनिवेश का निर्णय लिया है और यह प्रक्रिया एडवांस्ड स्टेज में है।

इंदिरा गांधी विमानपत्तन पर कार्यरत अनधिकृत एजेंसियां

4959. श्री सुरेश कुरूप:
श्री पी. राजेन्द्रन:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में इंदिरा गांधी विमानपत्तन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर अनधिकृत ग्राउन्ड एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ख) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारी इन अनधिकृत ग्राउण्ड एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्हें नियमित आधार पर पास जारी कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो विशेषत: दिसम्बर, 1999 में हुई कंधार विमान अपहरण की घटना को देखते हुए ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) कुछ निजी एजेंसियों को स्वयं-हैंडलिंग के अधीन एयरलाइनों द्वारा ग्राउण्ड हैंडलिंग कार्य सौंपे गये हैं। इस मामले की जांच की गयी थी और यह निर्णय लिया गया था कि नये ग्राउण्ड हैंडलिंग विनियमों को अधिसूचित किये जाने तक, उन एजेंसियों को इन सेवाओं को प्रदान करने के कार्य की अनुमति दी जा सकती है जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों। इसके अतिरिक्त माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्तमान ग्राउण्ड हैंडलिंग एजेंसियों को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने कार्य करते रहने की अनुमति दे दी है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो पास जारी करने में इन एजेंसियों के स्टाफ की अनदेखी कर रहा है। नये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंध, ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवा के लिए प्रवेश) विनियमन, 2000 अधिसूचित किया गया है। इन विनियमों के अनुसार, एक आपरेटर अथवा विमान कम्पनी या तो अपने स्वयं के स्टाफ से किसी भी हवाई अड्डे पर ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाओं का निर्वाह कर सकती है अथवा वह निम्नलिखित की सेवाएं प्राप्त कर सकती है। (1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (2) दो राष्ट्रीय विमान कम्पनियों एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, और (3) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये लाइसेंस के आधार पर किसी भी अन्य हैंडलिंग एजेंसी। उपरोक्त के अलावा, मैसर्स कम्बाटा (प्रा.) लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कम लागत और प्रतिस्पर्द्धात्मक तरीके से ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी कम्पनियों के चयन की प्रक्रिया आरंभ की है। सरकार ने उन प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का निर्णय किया है कि निजी सुरक्षा एजेंसियों को एयरलाइनों द्वारा सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में नागर विमानन विकास परियोजनाएं

4960. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के आरम्भ में पश्चिम बंगाल हेतु शुरू किए गए विभिन्न नागर विमानन विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रमानुसार समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक परियोजना के लिए अब तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) नौवीं योजना के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पश्चिम बंगाल में आरंभ की गयी विकास परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(1) 11.43 करोड़ रुपए की लागत से बागडोगरा में व्यस्ततम समय में 500 यात्रियों की क्षमता वाली सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्जित एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य अक्तूबर, 2000 में पूरा हो गया था।

(2) बागडोगरा में 4.01 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एयर टर्मिनल तक जाने वाली सड़क के निर्माण से संबंधित कार्य प्रगति पर है और इसके अक्तूबर 2001 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(3) 10.78 करोड़ रुपए की लागत से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (चरण-1) कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के परिवर्धन का कार्य आरंभ किया गया है। ये परियोजनाएं समयानुसार चल रही हैं और विभिन्न स्तरों पर कार्य की प्रगति की निगरानी की जाती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विमानपत्तनों की स्थापना

4961. श्री रामदास आठवले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के विभिन्न राजनीतिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों ने केन्द्र सरकार से राज्य में कुछ और विमानपत्तनों की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य सरकार दीर्घावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवी मुम्बई में नये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राज्य सरकार को प्रस्तावित तकनीकी/यातायात अध्ययन करने और तब एक औपचारिक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ भेजने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में शिरडी में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए तकनीकी साध्यता अध्ययन करने का भी अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा चुने गए स्थल को 50 सीटों वाले विमान के प्रचालन के लिए डिजाइन किये गये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया था राज्य सरकार को भूमि के प्राप्त करने तथा रक्षा मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की भी सलाह दी गयी है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आगे हुई प्रगति की कोई जानकारी नहीं दी है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की महाराष्ट्र राज्य में नये हवाई अड्डों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नालको ऐश दुर्घटना

4962. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नालको ऐश दुर्घटना की जांच के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है;

(घ) इस दुर्घटना के कारण नालको के एल्युमिनियम शैल्टर और ताप विद्युत संयंत्र को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने उक्त दुर्घटना के कारण आई दरारों को भरने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय अपनाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने नालको के ऐश पांड में आई दरार की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी। यह एक 3 सदस्यीय समिति थी जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी निदेशक, एन.टी.पी.सी., पूर्वी क्षेत्र ने की और उप महाप्रबंधक (ऐश उपयोग प्रभाग), एन.टी.पी.सी. तथा निदेशक, प्रभाव आकलन प्रभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस समिति के सदस्य थे। इस समिति के व्यापक विचारणीय विषय निम्नानुसार थे:

(1) अंगुल स्थित गृहीत विद्युत संयंत्र (सी.पी.पी.) के ऐश पांड के तटबंध में आई दरार के कारणों का पता लगाना।

(2) दरार के कारण हुई क्षति की मात्रा ज्ञात करना।

(3) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाना।

(ग) और (घ) नालको के एल्यूमिनियम प्रगालक और गृहीत विद्युत संयंत्र (सी.पी.पी.) को कोई क्षति नहीं हुई। दरार से प्रभावित लोगों/क्षेत्र की राहत और पुनर्वास हेतु फसल, क्षति/हानि, जलापूर्ति, क्षतिग्रस्त आधारिक संरचना आदि की मरम्मत और नवीकरण संबंधी प्रतिपूर्ति के लिए नालको ने जिला प्रशासन के मार्फत 1121.76 लाख रु. का भुगतान किया।

(ङ) और (च) नालको ने मरम्मत और पुनर्स्थापन संबंधी आवश्यक कार्य किया जो अब पूर्ण हो चुका है। सी.पी.पी. के ऐश पांड सहित ऐश हैंडलिंग सिस्टम के प्रचालन और रख-रखाव के लिए एक समर्पित कार्य दल गठित किया गया है ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

नेहरू युवा केन्द्र को अन्यत्र ले जाना

4963. श्री विष्णुदेव साय: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ के जसपुर नगर स्थित नेहरू युवा केन्द्र का स्थान बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थान बदले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) यह केन्द्र जसपुर नगर में किस तारीख को स्थापित किया गया था; और

(घ) उक्त जिले में नेहरू युवा केन्द्र की स्थापना के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। जसपुर नगर में स्थित नेहरू युवा केन्द्र को दिनांक 27.9.1987 को रायगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय के लिए वह जिला मुख्यालयों से कार्य कर सके।

(ग) नेहरू युवा केन्द्र, जसपुर नगर में दिनांक 4.5.1973 को स्थापित किया गया था।

(घ) वर्तमान में जसपुर नगर में नेहरू युवा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि नेहरू युवा केन्द्र आमतौर पर जिला मुख्यालयों में स्थित होते हैं।

[अनुवाद]

मजदूरी पर व्यय

4964. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों ने कुल व्यय में से कामगारों की मजदूरी पर कितने प्रतिशत व्यय दर्शाया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में इन प्रतिष्ठानों के लाभ में वृद्धि और इनके द्वारा मजदूरी में की गई वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, कामगारों को मजदूरी का अनुमानित मूल्य, कुल इनपुट (उपयोग) किए गए ईंधन और माल का कुल मूल्य इत्यादि तथा वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के लिए विनिर्माण/कारखाना क्षेत्र को हुए लाभ से संबंधित सूचना निम्नवत् है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	मजदूर	इनपुट	लाभ	इनपुट के रूप में मजदूरी का प्रतिशत
1996-97	24946	475416	41432	5.2
1997-98	27012	580563	36822	4.7
1998-99	24826	610044	47306	4.1

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए अनौपचारिक क्षेत्र पर अब तक के पहले राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण (1999-2000) के अनुसार, उद्यमों के संबंध में परिलब्धियां, व्यय और निवल अधिशेष क्रमश: 31552 करोड़ रुपये, 816751 करोड़ रुपये और 147371 करोड़ रुपये हैं। इस प्रकार परिलब्धियां, व्यय का 3.9 प्रतिशत बैठती हैं।

कर्नाटक में नलकूपों का विषाक्त होना

4965. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के कई जिलों में एक संदूषक बीमारी से नलकूप विषाक्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने यह पाया है कि राज्य के कई जिलों में खतरनाक प्रदूषक नाइट्रेट ने भू-जल और कुओं को दूषित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन नाइट्रेट्स ने घाट प्रभा, तुंगभद्रा और कावेरी नदी के नहर कमान क्षेत्रों को भी प्रदूषित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) दूषित जल से होने वाली बीमारी को रोकने में इन कदमों से कितनी सहायता मिली है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में उपलब्ध आकंड़ों के अनुसार कर्नाटक में प्रदूषण के कारण कोई ऐसी बीमारी नहीं पायी गयी है जिसके कारण वहां पर स्थित बोर कुएं विषाक्त हो जाएं।

(ख) नेटवर्क प्रेक्षण केन्द्रों से एकत्र किए गए उथले भूजल के नमूनों (खुदाई कुओं) में नाइट्रेट की भारी मात्रा होने के कारण भूजल में प्रदूषण कर्नाटक के दूर-दराज के भागों में स्थानीय प्रदूषण के रूप में पाए गए हैं। तथापि, भूजल में भारी मात्रा में नाइट्रेट के पाए जाने से कोई गंभीर खतरा नहीं है।

(ग) घाट प्रभा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के नहर कमान क्षेत्रों के दूर-दराज के भागों के भूजल में भारी मात्रा में नाइट्रेट की मात्रा पायी गयी/सूचित की गई है।

(घ) और (ङ) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति संबंधी प्रावधान की आयोजना, वित्त पोषण एवं उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय में स्थित पेयजल आपूर्ति विभाग ऐसे क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल आपूर्ति के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मुहैया कराता है।

कर्नाटक सरकार ने पेयजल की शुद्धता की जांच करने के लिए कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी स्रोतों की जल गुणवत्ता संबंधी विश्लेषण प्रारंभ कर दिया है। पेयजल की समस्या को कम करने और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की दृष्टि से राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत संचालित जल आपूर्ति स्कीमों द्वारा नदियों, नहरों, जल वितरणिकाओं, लघु सिंचाई टैंकों आदि जैसे सतही स्रोतों का भी विश्लेषण प्रारंभ कर दिया गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

4966. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के दरभंगा जिले में आज की तारीख में कितने अतिरिक्त टेलीफोन युग्म और केबल उपलब्ध हैं और उक्त जिले के प्रत्येक एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ख) बिठोली और त्रिमुहानी घाट टेलीफोन एक्सचेंजों में सैकड़ों युग्मों और केबलों के उपलब्ध होने के बावजूद उक्त जिले में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कनेक्शन कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) बिहार के दरभंगा जिले के संबंध में एक्सचेंज-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) बी.एस.एन.एल. दरभंगा जिले में 1336 नये टेलीफोन कनेक्शन पहले ही दे चुका है। अधिकांश एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध टेलीफोन क्षमता और विद्यमान केबल नेटवर्क से उपलब्ध कराए जाते हैं।

कुछ तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र (टी.एन.एफ.) हैं जहां पर मुख्य अथवा संवितरण केबल पेयर अथवा अतिरिक्त एक्सचेंज क्षमता की अनुपलब्धता के कारण टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। प्रतीक्षा सूची को दिनांक 31.3.2002 तक निपटाए जाने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

ग्राम त्रिमुहानी घाट तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र था। अब बिठोली एक्सचेंज से गांव तक 20 पेयर केबल बिछायी गयी है। 8 कनेक्शन दिए जा चुके हैं और प्रतीक्षा सूची में शेष तीन व्यक्तियों को भी 30.9.2001 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिये जाएंगे।

(ग) त्रिमुहानी घाट के उक्त कनेक्शन 30.9.2001 तक उपलब्ध कराए जाएंगे। दरभंगा जिले के विभिन्न एक्सचेंजों की वर्तमान प्रतीक्षा सूची को मार्च 2002 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

विवरण

बिहार के दरभंगा जिले में क्षमता, चालू कनेक्शनों, प्रतीक्षा सूची, एम.डी.एफ. पर अतिरिक्त केबल पेयर का एक्सचेंज-वार विवरण

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज की सज्जित क्षमता	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची	एम.डी.एफ. पर अतिरिक्त केबल पेयर की सं.
1	2	3	4	5	6
1.	अलीनगर	192	183	10	17
2.	बेनीपुर	1000	991	45	259

1	2	3	4	5	6
3.	बिरौल	712	560	47	440
4.	घनश्यामपुर	336	331	40	69
5.	जयदेवपति	184	130	25	70
6.	कस्थान	168	167	30	33
7.	क्रासमरी	152	80	20	120
8.	मकरामपुर	184	180	25	20
9.	शिव नगर घाट	184	180	25	20
10.	अन्दामा	152	50	50	150
11.	बाघन्त	328	188	104	212
12.	बहेरी	336	335	95	65
13.	भालपट्टी	176	172	111	28
14.	भुस्कौल	152	130	29	70
15.	बिठोली	336	151	30	249
16.	दरभंगा	14000	11617	95	5883
17.	हथौरी	184	149	45	51
18.	कांसी	336	217	15	183
19.	खुटवारा	152	82	88	118
20.	कुसोठर	152	59	21	141
21.	लहरियासराय	4000	2958	105	2042
22.	लाहटा	152	144	80	58
23.	मनीगाछी	304	143	72	257
24.	नेहरा	336	233	20	167
25.	पघारी	184	85	20	115
26.	पुरखोपट्टी	304	146	67	254
27.	सकटपुर	152	148	106	52

1	2	3	4	5	6
28.	सोन्की	152	51	36	139
29.	सुरहा	1000	392	140	858
30.	टी सराय	1000	376	255	974
31.	उज्जन	152	108	35	92
32.	उघारा	184	179	20	22
33.	भरवारा	1000	669	44	550
34.	हनुमान नगर	336	184	50	162
35.	हयाघाट	336	182	50	196
36.	जाल्ली	1000	648	60	560
37.	कछुआ चाकुटी	384	276	69	124
38.	कमटौल	1000	637	243	595
39.	करजापट्टी	344	242	41	214
40.	केओटी	208	206	121	40
41.	लडारी	152	122	139	70
42.	मझौलिया	336	331	19	62
43.	माजरा	152	46	56	138
44.	पांचोव	336	182	45	38
45.	पींडारूच	168	158	90	38
46.	रायम	304	169	128	205
47.	सराया	184	175	15	22
48.	सिमरी	1400	1130	42	600
49.	टेकतार	152	125	26	67

लेजेंड:

एमडीएफ- मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम

[अनुवाद]

केरल में उपरि पुलों का निर्माण

4967. श्री टी. गोविन्दन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को समूचे भारत विशेषत: केरल में रेलवे समपारों से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपरि पुलों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में यह एक गंभीर समस्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपरि पुलों का निर्माण धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता आदि के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है।

(ग) और (घ) केरल सहित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेलवे क्रासिंग में कुछ स्थानों पर यातायात के निर्बाध आवागमन में बाधा आती है और विलम्ब होता है।

(ङ) धनराशि के अभाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपरि पुलों का निर्माण, निर्माण-प्रचालन और हस्तांतरण स्कीम (बी.ओ.टी.) के अंतर्गत भी किया जाता है। नवीकृत केन्द्रीय सड़क निधि से सड़क उपरि पुलों के निर्माण सहित रेल-सड़क क्रासिंग पर सुरक्षा कार्यों के लिए रेल मंत्रालय को सन् 2000-2001 से प्रतिवर्ष 300 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए बकाया मुद्दों के समाधान हेतु इस मंत्रालय और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के बीच आवधिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुकम्पा आधार पर नौकरियां

4968. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेवा अवधि में डाक कर्मचारियों की मृत्यु होने पर मृत कर्मचारी की पत्नी/पुत्र को अनुकम्पा आधार पर नौकरी देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जिस सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, अथवा जो चिकित्सा आधार पर सेवा निवृत्त होता है, उसके आश्रित परिवार का एक सदस्य अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र होता है।

(ख) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्कीम को प्रशासित करने के लिए नोडल मंत्रालय है। यह विभाग, नोडल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करता है।

(ग) इस स्कीम का उद्देश्य ऐसे सरकारी कर्मचारी के, जिसकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है अथवा जो चिकित्सा आधार पर सेवा निवृत्त हो जाता है जिससे कि उसका परिवार दीन-हीन परिस्थितियों में पड़ जाता है तथा उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचता, परिवार को वित्तीय निराश्रयता तथा संकट से उबारने के लिए आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देना है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष के अन्दर सीधी भर्ती के लिए होने वाली रिक्तियों में से केवल 5% तक ही भरी जा सकती हैं। अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करते समय, ऐसी नियुक्ति के लिए खाली पद की उपलब्धता एक सम्बद्ध कारण है तथा एक वर्ष में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने की सिफारिश केवल अत्यधिक जरूरतमंद मामले में ही दी जा सकती है, जिसका निर्धारण मृतक अथवा चिकित्सा आधार पर सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के परिवार की आर्थिक परिस्थितियों सहित सभी संबंधित तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करके किया जाता है।

असम में इंटरनेट और सेल्युलर सुविधा

4969. डा. जयन्त रंगपी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम के पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट और सेल्युलर/मोबाइल सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) भारत संचार निगम लि. दो पहाड़ी जिलों अर्थात् "कर्बी अंगलोंग" व एन.सी. पहाड़ियों समेत समूचे असम में इंटरनेट सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, निम्नलिखित निजी इंटरनेट सेवा-प्रदाता (आई.एस.पी.) अपने नोडों के जरिए गुवाहाटी में इन्टरनेट सेवा प्रदान कर रहे हैं:-

(1) मै. एच.सी.एल. इनफिनेट लि.;

(2) मै. सत्यम् इन्फोवे प्रा. लि.;

(3) मै. रिलायंस इन्फोकाम लि.;

(4) मै. पैट्रियट आटोमेशन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.

फिलहाल, असम दूरसंचार सर्किल में निजी आपरेटर्स व बी.एस.एन.एल. द्वारा सुरक्षा कारणों से, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन-सेवा (सी.एम.टी.एस.) की नई या विस्तार-सेवा की अनुमति नहीं है। तथापि, असम दूरसंचार सर्किल में मै. रिलायंस टेलीकाम लि. द्वारा केवल गुवाहाटी शहर में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.) प्रदान की जा रही है।

पंजाब में डाकघर

4970. श्री भान सिंह भौरा: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजनावधि के दौरान पंजाब में सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाकघरों की स्थापना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा लक्षित अवधि के भीतर शेष कार्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पंजाब के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए नौवीं योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य और जिलावार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने पर लक्ष्यों के अनुसार खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

नौवीं योजना अवधि के दौरान पंजाब के जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां

निर्धारित लक्ष्य

वर्ष	लक्ष्य		प्राप्त उपलब्धियां	
	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1997-98	2	17	2	13
1998-99	2	15	2	14
1999-2000	1	10	1	9
2000-2001	3	14	3	14
2001-2002	2	6	1	–
कुल	10	62	9	50

जिलावार उपलब्धियां

जिला	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
अमृतसर	–	–	–	3	–	–	–	2	–	–
भटिंडा	–	2	1	–	–	–	–	2	–	–
फरीदकोट	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
फिरोजपुर	–	–	–	1	–	2	–	2	–	–
फतेहगढ़ एस.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
गुरदासपुर	–	1	–	1	–	2	–	3	–	–
होशियारपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
जलंधर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कपूरथला	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–
लुधियाना	1	1	1	3	–	1	1	1	–	–
मान्सा	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–
मोगा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मुक्तसर	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
नवाशहर	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
पटियाला	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
रोपड़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
संगरूर	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–
संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	–	3	–	4	1	1	1	1	–	–
कुल	2	13	2	14	1	9	2	15	–	1

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न करना

4971. डा. चरणदास महंत: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 तक कितनी स्थापनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि के चूककर्त्ता घोषित किया गया और राज्य-वार उनके विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) उनमें से कितनी स्थापनाओं ने 31 मार्च, 2001 तक यह धनराशि चुका दी है और कितनी स्थापनाओं ने यह धनराशि नहीं चुकाई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) 31.3.2000 और 31.3.2001 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख रु. और अधिक राशि के चूककर्ताओं का विवरण संलग्न है।

31.3.2000 और 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार वसूली का विवरण निम्नवत है:-

1999-2000	626.33 करोड़ रु.
2000-2001	796.98 करोड़ रु.

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	10 लाख रु. और इससे अधिक राशि के चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या	
		31.3.2000 की स्थिति के अनुसार	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार
1.	आंध्र प्रदेश	62	70
2.	बिहार	17	25
3.	दिल्ली	11	16
4.	गुजरात	54	64
5.	हरियाणा	40	37
6.	हिमाचल प्रदेश	0	6
7.	कर्नाटक	34	21
8.	केरल	36	46
9.	महाराष्ट्र	133	147
10.	मध्य प्रदेश	43	57
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	13	16
12.	उड़ीसा	56	48
13.	पंजाब	28	25
14.	राजस्थान	23	20
15.	तमिलनाडु	112	114
16.	उत्तर प्रदेश	79	61
17.	पश्चिम बंगाल	83	73

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र

4972. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में विशेषकर खीरी जिले में इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल के खीरी जिले में 7 इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना बनाई गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में, 2001-2002 के दौरान 283 एक्सचेंज [उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 258 एक्सचेंज और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में 25 एक्सचेंज] खोलने की योजना है। प्रस्तावित एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल के संबंध में विवरण-I में और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल के संबंध में विवरण-II में संलग्न है।

(ग) उपर्युक्त पैरा (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002 के दौरान उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल में प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

क्र. सं.	जिला	प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	4
2.	अंबेडकर नगर	3
3.	औरैया	4
4.	आजमगढ़	6
5.	बहराइच	6

1	2	3
6.	बलिया	7
7.	बलरामपुर	4
8.	बांदा	3
9.	बाराबंकी	6
10.	बस्ती	3
11.	भदोही	3
12.	चन्दौली	2
13.	चित्रकूट	3
14.	देवरिया	5
15.	इटावा	4
16.	फैजाबाद	3
17.	फर्रुखाबाद	4
18.	फतेहपुर	8
19.	गाजीपुर	4
20.	गोंडा	7
21.	गोरखपुर	9
22.	हमीरपुर	4
23.	हरदोई	8
24.	जालौन	8
25.	जौनपुर	10
26.	झांसी	2
27.	कन्नौज	3
28.	कानपुर	4
29.	कानपुर देहात	7
30.	कौशम्बी	2
31.	लखीमपुर खीरी	7
32.	ललितपुर	0
33.	लखनऊ	12
34.	महोबा	2
35.	महाराजगंज	4
36.	मैनपुरी	7
37.	मऊ	4
38.	मिर्जापुर	4
39.	पडरौना (कुशीनगर)	5
40.	प्रतापगढ़	8
41.	रायबरेली	6
42.	संत कबीर नगर	2
43.	शाहजहांपुर	7
44.	श्रावस्ती	4
45.	सिद्धार्थ नगर	2
46.	सीतापुर	8
47.	सोनभद्र	3
48.	सुल्तानपुर	10
49.	उन्नाव	10
50.	वाराणसी	7
	कुल	258

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 के दौरान उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल में प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

क्र. सं.	जिला	प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या
1.	आगरा	2
2.	अलीगढ़	2
3.	बरेली	2
4.	बिजनौर	2
5.	बदायूं	1
6.	बागपत	1
7.	एटा	2
8.	गाजियाबाद	2
9.	मेरठ	1
10.	मथुरा	1
11.	मुरादाबाद	1
12.	मुजफ्फरनगर	2
13.	बुलंदशहर	2
14.	रामपुर	2
15.	सहारनपुर	2
	कुल	25

मुम्बई-भावनगर-मुम्बई के लिए उड़ानें पुनः निर्धारित करना

4973. श्री राजू राणा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस मुम्बई-भावनगर-मुम्बई के लिए विशेषकर सुबह जाने वाली उड़ान के समय को पुनः निर्धारित करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सीधी उड़ान होगी अथवा अन्य हवाई अड्डों पर रुक कर जाएगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) कम सीट फैक्टर और लीन सीजन की वजह से, मुम्बई-भावनगर-मुम्बई सेक्टर पर प्रचालनरत उड़ान को पहली जुलाई से 30 सितम्बर, 2001 तक बी-737 विमानों से सप्ताह में चार बार मुम्बई-भावनगर-मुम्बई सेक्टर पर ही प्रचालन करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस सेवा को सुबह सबेरे मुम्बई मार्ग पर प्रचालित करने वाले विमान की वचनबद्धता की वजह से, इंडियन एयरलाइंस के लिए यह साध्य नहीं है कि वह सुबर सबेरे ही भावनगर के लिए सेवा प्रचालित करे।

[हिन्दी]

खेल अवसंरचना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर

4974. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की कमी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवसंरचना की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षित अवसंरचनागत सुविधाएं कब तक प्रदान करने का है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) कड़ी वित्तीय बाध्यताएं और देश भर में खेलों के संवर्धन तथा खेल अवस्थापना के विकास की बड़ी चुनौती, देश में खेलों के प्रदर्शन में धीमे विकास के मुख्य कारण हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतियोगी खेलों में भाग लेने वाले व्यक्तियों का अनुपात आमोद-प्रमोद संबंधी खेलों में भाग लेने वालों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है जिसके कारण कम प्रतिस्पर्धा होती है तथा परिणामस्वरूप प्रदर्शन में कमी आ जाती है। खान-पान की आदतें, खेल विधाओं में प्रवेश के समय आयु, वातावरण तथा प्रोत्साहन किसी भी खिलाड़ी के प्रदर्शन के स्तर के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा, अभी खेलों को हमारे शैक्षिक पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाना है। उपर्युक्त सभी पहलुओं ने, देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की कमी में योगदान दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत, खेल अवस्थापना के सृजन के लिए सहायता उपलब्ध कराती है।

[अनुवाद]

मॉडल विमानपत्तन

4975. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने विमानपत्तनों का विकास मॉडल विमानपत्तनों के रूप में किया गया है;

(ख) सामान्य विमानपत्तनों की तुलना में इन विमानपत्तनों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) चालू और आगामी वित्त वर्ष के दौरान कितने विमानपत्तनों का विकास मॉडल विमानपत्तनों के रूप में किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जयपुर, लखनऊ, बडोदरा, इन्दौर, नागपुर, हैदराबाद, कालीकट, कोयम्बटूर, पटना, इम्फाल, भुवनेश्वर तथा गुवाहाटी हवाई अड्डों को आदर्श हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया गया है।

(ख) आदर्श हवाई अड्डों पर सामान्य हवाई अड्डों की तुलना में विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध है जिसमें टर्मिनल भवन जो कि एक समय में 500 यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित कर सकता है, उत्कृष्ट यात्री सुविधाएं, दक्ष हवाई यातायात कंट्रोल सेवा के लिए आधुनिक तकनीकी और प्रचलनात्मक बुनियादी संरचना, सभी मौसम में उड़ान प्रचालन के लिए पर्याप्त नेवीगेशनल और विजुअल और भरोसेमंद वैमानिकी संचार सेवा, आधुनिक विशालकाय एबी-320/ एबी-300 जेट एयरक्राफ्ट के लिए रनवे की उपयुक्त लम्बाई, एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए खुला एप्रेन दक्ष ग्राउंड सेफ्टी सर्विसेज और सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रचालनों को हैंडल करने की क्षमता।

(ग) यातायात मांग के आधार पर हवाई अड्डों का विकास आदर्श हवाई अड्डे के रूप में किया जाता है वर्तमान में किसी भी नये हवाई अड्डे को आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विकास करने की कोई योजना नहीं है। यद्यपि, चालू तथा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान कांगड़ा, जयपुर, जम्मू, लेह, लखनऊ, पठानकोट, वाराणसी, भुवनेश्वर, गया, भुज, जबलपुर, पोरबन्दर, राजामुन्द्री, अगरतला, दीमापुर, गुवाहाटी, तेजपुर, लालाबाड़ी तथा इम्फाल हवाई अड्डों के विकास संबंधी कार्य योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते

4976. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने नागर विमानन क्षेत्रों में किन-किन देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या सरकार कुछ अन्य देशों के साथ समझौते करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह समझौते कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) भारत ने अब तक 96 देशों के साथ विमान सेवा करार किया है। इसकी सूची विवरण में दी गई है। भारत ने विमानन सुरक्षा की प्रोन्नति के लिए रूस फेडरेशन के साथ और यूरोपीयन यूनियन के साथ एक संयुक्त वित्तपोषित अनुबंध किया है। नागर विमानन संरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ किए जाने वाले अनुबंध एक सतत प्रक्रिया है जो कि दोनों ही देशों द्वारा महसूस की गई जरूरतों के आधार पर होते हैं।

विवरण

भारत ने अब तक जिन देशों के साथ विमान सेवा करार किया है, की सूची

क्र.सं.	देश
1	2
1.	अफगानिस्तान
2.	अलजेरिया
3.	अरमेनिया
4.	आस्ट्रेलिया
5.	आस्ट्रीया
6.	अजरबेजान
7.	बंगलादेश
8.	वेलारूस

1	2
9.	बेल्जियम
10.	भूटान
11.	ब्रूनेई
12.	बुलगारिया
13.	कनाडा
14.	चीन
15.	क्रोसिया
16.	साइप्रस
17.	कजाक रिपब्लिक
18.	डेनमार्क
19.	इजिप्ट
20.	इथोपिया
21.	फीजी
22.	फिनलैण्ड
23.	फ्रांस
24.	जोरजिया
25.	जर्मनी
26.	घाना
27.	ग्रीक
28.	गल्फ (ओमान)
29.	गल्फ (कतार)
30.	गल्फ (बहरीन)
31.	गल्फ (यूएई)
32.	हांग कांग
33.	हंगरी
34.	इण्डोनेशिया
35.	ईरान

1	2
36.	ईराक
37.	आयरलैण्ड
38.	इजराइल
39.	इटली
40.	जापान
41.	जोर्डन
42.	कजाकिस्तान
43.	केन्या
44.	रिपब्लिक आफ कोरिया
45.	कुवैत
46.	किर्गिस्तान
47.	लातविया
48.	लेबनोन
49.	लेसोथो
50.	लीथोनिया
51.	लेक्जम्बर्ग
52.	मस्कट
53.	मेडागासकर
54.	मलेसिया
55.	मालदीव्स
56.	माल्टा
57.	मौरिसस
58.	मंगोलिया
59.	मोरोक्को
60.	म्यानमार
61.	नेपाल
62.	नीदरलैंड

1	2
63.	न्यूजीलैण्ड
64.	नाइजेरिया
65.	नार्वे
66.	पाकिस्तान
67.	फिलिपिन्स
68.	पोलैण्ड
69.	पुर्तगाल
70.	रशियन फेडरेशन
71.	रोमानियां
72.	सऊदी एरेबिया
73.	सेयोल्स
74.	सिंगापुर
75.	स्लोवाकिया
76.	स्लोवानिया
77.	साउथ अफ्रीका
78.	स्पेन
79.	श्रीलंका
80.	स्वीडन
81.	स्वीटजरलैण्ड
82.	सीरिया
83.	कजाकिस्तान
84.	तनजानियां
85.	थाइलैण्ड
86.	तुर्की
87.	तुर्कमैनिस्तान
88.	यूनाईटेड किंगडम
89.	यू.एस.ए.
90.	उगांडा
91.	उक्रेन
92.	उजबेकिस्तान
93.	वीएतनाम
94.	यमन अरब रिपब्लिक
95.	यूगोस्लाविया
96.	जाम्बिया

[अनुवाद]

राजस्व की बचत

4977. श्री रामजी मांझी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैनुअल दूरभाष केन्द्रों की संस्थापना में कमी, उपस्कर, केबिल, लाइन और तारों की कम खरीद, मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एम.ए.आर.आर.) प्रौद्योगिकी के छोड़ने के कारण ग्रामीण पंचायत टेलीफोनों की व्यवस्था/संस्थापना में कमी, भूमि अधिग्रहण के अन्तिम रूप देने में और निर्माण कार्य को पूरा करने में विलम्ब के कारण पूंजी (वोटेट) मद में 1503.99 करोड़ रुपये की बचत हुई; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मुख्य शीर्ष-5225 पूंजी-परिव्यय (योजना) के तहत वर्ष 1998-99 में 1503.99 करोड़ रुपए की राशि की निधि लौटाने की परिकल्पना थी, किंतु वास्तविक बचत मात्र 1414.66 करोड़ रुपये ही हुई। निधियों की बचत मुख्यत: लंबी दूरी की पारेषण प्रणाली के तहत ही थी। कम उपकरण मिलने, भूमि के सौदे न हो पाने, भवन-निर्माण कार्य पूरे न हो पाने व लक्ष्य से कम वीपीटी संस्थापित होने के कारण ये बचतें हुई।

(ख) पूंजी-परिव्यय (योजनागत) के तहत निधियों की जरूरत की आकलन-प्रणाली को अब नियमित मानिटरिंग से चुस्त-दुरूस्त बनाया गया है, जिसके आधार पर विभाग स्थिति को बहुत हद तक संभालने में समर्थ हो गया तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान निधियों की कोई बचत/वापसी नहीं हुई थी।

दूरसंचार विभाग में लेखा सूचना प्रणाली

4978. श्री शीश राम सिंह रवि:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग में लेखा सूचना प्रणाली विभाग की धनराशि की आवश्यकता का निर्धारण करने में सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या विभाग ने 448.07 करोड़ रुपये का खर्च उठाया था और साथ ही यह जाने बिना, कि धनराशि कहां से अधिशेष हो गई, वित्त वर्ष के अन्तिम दिन 11.91 करोड़ रुपये लौटा दिए; और

(घ) यदि हां, तो दूरसंचार विभाग द्वारा भविष्य में ऐसी खामियों से बचने के लिए अपनी उक्त प्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरूस्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) वर्ष 1996-97 में राजस्व (दत्तमत्त) भाग के अंतर्गत 448.07 करोड़ रु. की अधिकता मुख्यत: दूरसंचार अधिशेष से विनियोजन (अधिक राजस्व वसूली कार्य और कार्य चालन व्यय के तहत कम व्यय के कारण) के तहत है। यह मात्र एक तकनीकी अधिकता है जिसमें मंजूरशुदा अनुदान से अधिक कोई अतिरिक्त व्यय वास्तव में नहीं हुआ। राजस्व के तहत वापस की गई 11.91 करोड़ रु. की राशि वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित योजनागत राशि है जबकि अतिरिक्त राशि दूरसंचार विभाग द्वारा नियंत्रित गैर-योजनागत राशि है। बचत की राशि को लौटाने का निर्णय जनवरी 1997 तक के वास्तविक व्यय और फरवरी तथा मार्च 1997 के दौरान प्रत्याशित व्यय के आधार पर लिया गया था।

दूरसंचार विभाग में लेखा प्रणाली भारत संचार निगम लिमिटेड के गठन के बाद सुदृढ़ हुई है। प्रचालनात्मक राजस्व और व्यय अब कंपनी लेखाओं का हिस्सा बन गया है।

[हिन्दी]

वुशु खेल में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम

4979. श्री उत्तम राव ढिकले: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने वुशु खेल हेतु कोच के लिए प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु अपेक्षित अर्हता क्या है;

(ग) प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए भविष्यगत क्या संभावनाएं हैं; और

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में वुशु खेल हेतु कोच की नियुक्ति किन अर्हताओं के आधार पर की जाती है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए अपेक्षित अर्हताओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कोई भी व्यक्ति डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात्, किसी भी कालेज/विभाग में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो जाता है।

(घ) किसी भी खेल-विधा में, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए, उस व्यक्ति के पास संबंधित खेल विधा में खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा होना चाहिए।

विवरण

खेल प्राशिक्षण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अपेक्षित योग्यतायें

1. खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एक वर्ष)

श्रेणी-क

किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/वाणिज्य में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक डिग्री सहित निम्नलिखित खेल संबंधी उपलब्धियां:-

(क) प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

(ख) सीनियर के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रथम तीन स्थानों में से कोई एक स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

(ग) अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय/जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रथम दो स्थानों में से कोई एक स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

(घ) सीनियर के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में दो बार भाग लिया हो।

अथवा

(ङ) अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में तीन बार भाग लिया हो।

अथवा

(च) अंतर-सेवा प्रतियोगिता/अखिल भारतीय पुलिस खेलों/अंतर-रेलवे चैम्पियनशिपों में तीन बार भाग लिया हो।

श्रेणी-ख

(क) अन्तर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप या सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में सहभागिता के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर।

अथवा

(ख) अन्तर-विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में दो बार सहभागिता के साथ स्नातक के पश्चात् शारीरिक शिक्षा में तीन वर्षीय स्नातक/शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/एक वर्ष का बी.पी.एड.।

श्रेणी-ग

शैक्षिक अर्हताओं में एशियाई खेलों/चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों/चैम्पियनशिप, विश्व चैम्पियनशिप और ओलम्पिक खेलों में पदक विजेताओं के सम्बन्ध में 10 + 2 को छूट दी जा सकती है।

2. उत्तर-पूर्व और अण्डमान तथा निकोबार से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एक वर्षीय)।

i. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा अण्डमान तथा निकोबार से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए इस पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक अर्हता 10 + 2 उत्तीर्ण हो। स्नातक और विज्ञान से 10 + 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है।

ii. अभ्यर्थी ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित (केवल उत्तर-पूर्व के अभ्यर्थी के लिए) उत्तर-पूर्व खेल महोत्सव में दोनों में से किसी एक में तीन बार भाग लिया हो।

अथवा

iii. अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय परिसंघों द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगिता अर्थात जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिपों, राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों, भारतीय राष्ट्रीय स्कूल खेल-कूद परिसंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्कूल खेल-कूदों में तीसरा स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

iv. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण खेलों या राष्ट्रीय महिला खेल प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया हो।

3. प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

सम्बन्धित खेल/खेलों में सहभागिता सहित न्यूनतम मैट्रिक शैक्षिक अर्हता के साथ सेवारत शारीरिक शिक्षा अध्यापक/कक्षा अध्यापक/विभागीय अभ्यर्थी/अन्य व्यक्ति जिनकी खेलों में अभिरुचि है, छः सप्ताह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं। अभ्यर्थी की आयु 20-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

राजकोट और ओखा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

4980. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के जाम नगर जिले में बड़े पैमाने पर भारी उद्योगों की स्थापना के परिणामस्वरूप वहां सड़क परिवहन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त कारणों से राजकोट और ओखा शहरों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी योजना, प्रस्ताव और अनुमान क्या हैं;

(घ) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या गुजरात सरकार ने सरकार को इस संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) इस प्रस्ताव पर 10वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवाएं

4981. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार सेवा के अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के लिए खरीद में 849.27 करोड़ रुपये की महा बचत हुई;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में ये कमियां विद्यमान हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन कमियों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) एम एच-5225 पूंजीगत परिव्यय (योजनागत) शीर्ष के तहत वर्ष 1996-97 के दौरान 849.27 करोड़ रु. की राशि की बचत का अनुमान लगाया गया था, किंतु वास्तव में बचत केवल 818.78 करोड़ रु. की ही हो सकी। मुख्य बचत लंबी दूरी पारेषण प्रणाली की स्कीम के तहत हुई जिसका कारण प्रत्याशित उपस्कर अर्थात् यंत्र और संयंत्र केबल, लाइनें और तार तथा वीपीटी प्राप्त नहीं होना था।

(ग) पूंजीगत परिव्यय (योजना) के तहत निधि की आवश्यकता के आकलन की प्रणाली को अब नियमित मानिटरिंग के जरिए सरल तथा कारगर बनाया गया है। जिसके आधार पर निधियां सरेण्डर करने से संबंधित स्थिति में सुधार हुआ है और 1999-2000 के दौरान निधि की बचत/वापसी नहीं की गई थी।

जापान की सहायता से वनरोपण परियोजनाएं

4982. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोखरण परमाणु परीक्षण के तत्काल बाद उस समय जापान द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण जापानी सहायता प्राप्त कोई वनरोपण परियोजना रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा परियोजना के पुन: कार्यान्वयन हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जल स्तर में कमी

4983. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने बताया है कि देश के जल स्रोतों के 70 आपूर्तिकर्त्ता जल स्तरों में कमी को दर्शाते हैं जिससे अन्तत: भविष्य में गम्भीर जल संकट पैदा होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से बचने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग देश के 70 महत्वपूर्ण जलाशयों की भंडारण स्थिति के संबंध में साप्ताहिक रिपोर्टें तैयार करता है। जलाशयों में भंडारण जलाशय के आवाह क्षेत्र में वर्षा और जलाशय से जल निकाले जाने पर निर्भर करता है और इस प्रकार भंडारण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कमी या अधिकता होती रहती है। इन 70 जलाशयों में कुल 130.553 बिलियन घन मीटर के कुल भंडारण में से 25.5.2001 को अर्थात् मानसून की शुरूआत में भंडारण स्थिति सक्रिय भंडारण की 17% थी जिसमें मानसून की वर्षा और चालू मानसून के दौरान नदियों में बढ़े हुए प्रवाहों के कारण 55% वृद्धि हुई है।

कावेरी कमान क्षेत्र की गाद निकालना

4984. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने कर्नाटक सरकार को कावेरी कमान क्षेत्र की गाद न निकालने का निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार से कोई अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार को सुझाव दिया है कि कावेरी बेसिन में आने वाले टैंकों को कर्नाटक टैंक सुधार परियोजना में शामिल न किया जाए ताकि विश्व बैंक इस परियोजना के वास्ते परियोजना संकल्पना दस्तावेज की तैयारी को समयबद्ध ढंग से पूरा कर सके तथा इस परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होने में विलम्ब से बचा सके। इसके उत्तर में कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने कावेरी बेसिन में आने वाले टैंकों को इस प्रस्तावित परियोजना से निकालने का निर्णय किया है।

बाल्को के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

4985. डा. नीतिश सेनगुप्ता:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अल्युमिनियम के वर्तमान प्रबंधन ने बड़ी संख्या में अधिकारियों का स्थानान्तरण दिल्ली कार्यालय से कोरबा में कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ये स्थानान्तरण आदेश केन्द्र सरकार और मैसर्स स्टरलाइट के बीच हुए समझौता ज्ञापन के प्रतिकूल हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) बाल्को (भारत एल्युमिनियम) प्रबंधन ने सूचित किया है कि उन्होंने व्यापार पर मजबूत पकड़ बनाने तथा बेहतर एकाग्रता हेतु कोरबा, जहां संयंत्र अवस्थित है, से ही कम्पनी चलाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय में 135 कर्मचारी थे। चूंकि, प्रबंध निदेशक कोरबा में कार्यरत हैं तो इन कर्मचारियों के लिए दिल्ली में न कोई काम था न ही दिल्ली में उन्हें रखने का कोई औचित्य था। इसके परिणामस्वरूप, नई दिल्ली स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय से 45 वरिष्ठ अधिकारी कोरबा स्थानांतरित किए गए हैं।

(ग) ये स्थानांतरण आदेश, बालको विनिवेश के समय, सरकार तथा मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के बीच हस्ताक्षरित शेयर होल्डर्स/शेयर क्रय समझौतों की किसी धारा के विरुद्ध नहीं है।

परियोजनाओं का आकलन

4986. डा. बी.बी रमैया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपनी परियोजनाओं के आकलन, मूल्यांकन में विदेशी परामर्शदाताओं के हाथों का खिलौना बना हुआ है जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की अनुमानित लागत में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित क्रियाविधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की उपर्युक्त खामियों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं। विदेशी और घरेलू परामर्शदाता ब्यौरेवार जांच के आधार पर परियोजनाएं तैयार करते हैं और निर्माण सामग्री की संभावित लागत को ध्यान में रखते हुए लागत अनुमान के लिए आदर्श मानदंडों का अनुपालन करते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कीटनाशकों का उपयोग

4987. श्री सईदुज्जमा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान मानव शरीर पर कीटनाशी क्वायल और मैट्स आदि के खतरे के संबंध में नई दिल्ली में मलेरिया

अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए अनुसंधान निष्कर्षों की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये क्वायल्स आदि कीटनाशकों पर आधारित हैं और सभी आयातित संबंधित घोलकों और सहक्रियाशील कीटनाशकों पर आधारित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मूल्य क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान किन देशों में इनका निर्माण किया गया;

(ङ) क्या वार्षिक बिक्री करोड़ों रुपयों में होती है और कई मिलियन क्वायल्स बेचे जाते हैं और यदि हां, तो इनकी संख्या और मूल्य क्या है और विज्ञापन पर कितनी राशि व्यय की जाती है, प्रमुख निर्माताओं के नाम क्या हैं और विज्ञापन मीडिया (टी.वी. प्रिंट मीडिया) के नाम क्या हैं विशेष रूप से छिड़काव के बाद ये कमरा आदि बंद करने की सिफारिश करते हैं;

(च) क्या ये विज्ञापन, विज्ञापन और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी एफ.ए.ओ. संहिता के अनरूप हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी. हां। मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार करंट साइंस वोल्यूम 80 संख्या 3 फरवरी 2001 में ''हैल्थ हेजर्डस आन मौस्कीटो रेपल्लेंट एण्ड सेफ आलटरनेटिव'' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 11.8% लोग कोइल और मैट सहित विभिन्न प्रकार के रेपल्लेंटों का उपयोग करते हैं, जिनमें एलीथ्रिन और अन्य पाइरेथ्रोड और डीट आधारित क्रीम होती है जिनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की शिकायतें की गई है।

(ग) और (घ) एलीथ्रिन और सिंथेटिक पाइरेथ्रोड समूहों से संबंधित नाशकजीवमारों का रेपल्लेंटों के विनिर्माण में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। कोइल मेट, लिक्विड वेपोराइजर और एलीथ्रिन के एरोसोल फार्मुलेशन्स कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग करने हेतु पंजीकृत किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से फार्मुलेशन का मूल्यांकन इनके प्रयोग की अनुमति देने से पूर्व, कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत गठित रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा किया जाता है। यह अधिनियम मानव और पशुओं को होने वाले जोखिमों को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशों के आयात, विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को भी नियंत्रित करता है।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त दस्तावेज में प्रकाशित सूचना के अनुसार इस समय भारतीय बाजार में 7 से 10% की वार्षिक वृद्धि के साथ 500-600 करोड़ रु. की रेंज में विभिन्न रेपल्लेंट हैं। मच्छर रेपेल्लेंट मेट्स और कोइल के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत विज्ञापन के लिए कोई संहिता अधिसूचित नहीं की गई है। कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत विज्ञापन पर किए गए व्यय के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है न कोई नियंत्रण। परंतु कोई झूठा दावा और पंजीकरण की शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत दण्डनीय है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश द्वारा वन अधिनियम में संशोधन

4988. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मद्देनजर वन अधिनियम में संशोधन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त संशोधन को अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को उक्त अधिनियम में किए गए संशोधन के संबंध में किसी कमी का पता चला है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि मध्य प्रदेश पारगमन (वनोत्पाद) नियमावली, 2000 तथा मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

(ग) से (च) रिट याचिका संख्या (सिविल) 202/95 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.1.2001 के निर्देश के अनुसार भारत सरकार ने संशोधित मध्य प्रदेश पारगमन (वनोत्पाद) नियमावली, 2000 में कुछ बदलाव करके इसे स्वीकृति प्रदान कर

दी है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में प्रस्तावित संशोधनों के मसौदा प्रावधानों में भी बदलाव सुझाए हैं।

[अनुवाद]

मादक औषधियों के लिए धोखाधड़ी

4989. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का कोई खिलाड़ी पिछले दशक और चालू वर्ष के दौरान से आज तक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मादक औषधियों के लिए धोखाधड़ी के संबंध में दोषी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खेल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रत्येक खिलाड़ियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन एक्सचेंज

4990. श्रीमती रानी नरह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में टी.डी.एम., तेजपुर के अंतर्गत गुगा मुख और घिलमारा टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन एक्सचेंजों की अक्रियाशीलता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण को बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) असम में टी.डी.एम., तेजपुर के अंतर्गत गुगा मुख में विश्वसनीय आप्टीकल फाइबर केबल प्रणाली सहित 256 पोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज और घिलमारा में विश्वसनीय डिजीटल यू.एच.एफ. प्रणाली सहित 256 पोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खनन हेतु राज्य सरकारों को अधिक शक्ति देना

4991. श्री रामशकल: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व संग्रहण, रोजगार सृजन और विकास सुनिश्चित करने हेतु खनन योजनाओं को स्वीकृति देने के मद्देनजर केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो खनन हेतु प्रस्ताव भेजने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) केन्द्र सरकार ने 29 अधिसूचित अधात्विक/औद्योगिक खनिजों (खुला मुहाना खानों के मामले में) के बारे में, खनिज रियायत नियमावली, 1960 में निर्धारित ऐसे अधिकारी या अधिकारियों, जोकि अपेक्षित शैक्षिक योग्यता, अनुभव और वेतनमान रखते हों, के माध्यम से खनन योजनाएं अनुमोदित किए जाने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

(ख) से (ङ) खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार अभी तक आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र और नागालैंड की राज्य सरकारों ने 29 अधिसूचित खनिजों (खुला मुहाना खानों के मामले में) की खनन योजनाओं के अनुमोदन के लिए अधिकारियों का नामांकन किया है। आई.बी.एम. को उत्तर प्रदेश से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

नागर विमानन उद्योग की वित्तीय स्थिति

4992. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन उद्योग वित्तीय रूप से अव्यवहार्य हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विमान उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा

4993. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1984 में गठित समिति ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील समझे जाने वाले विमानपत्तनों पर सुरक्षा मजबूत करने हेतु कुछ सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जयपुर विमानपत्तन पर क्या प्रबंध किए गए?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) 1984 में इस प्रकार की कोई समिति गठित नहीं की गयी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुरक्षा संबंधी अभिसमय के अनुबंध 17 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा उपायों का जयपुर हवाई अड्डे सहित सभी हवाई अड्डों पर अनुपालन किया जाता है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में बाल श्रमिक

4994. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल राज्य में राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितने बाल श्रमिकों की पहचान की गई;

(ख) उनको पुनर्वासित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(ग) उनके पुनर्वास हेतु राज्य-वार और क्षेत्र-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई एवं कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में "सी वाल"

4995. श्री के. मुरलीधरन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में "सी वाल" बनाने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने केरल में समुद्री दीवार के निर्माण संबंधी दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। केरी सीपी 4004 और 4012 के बीच अझीकोड और फरियादू तक 1680 मीटर लम्बी समुद्री दीवार के निर्माण संबंधी प्रथम प्रस्ताव की अनुमानित लागत 3.00 करोड़ रुपये है जिसे केन्द्रीय जल आयोग में प्रस्तुत किया गया था। आयोग में इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और टिप्पणियां संबंधित राज्य सरकार को भेजी गई थीं। इन टिप्पणियों के संबंध में राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्रीय जल आयोग में मार्च, 2001 को 267.47 करोड़ रुपये राशि का दूसरा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में शामिल करने के लिए 76 कि.मी. लम्बी नई समुद्री दीवार, 58 कि.मी. के सुधारात्मक कार्यों और 23 ग्रोइनों के निर्माण की योजना है। इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और इसे पुन: संशोधित करने के वास्ते केरल सरकार को जुलाई, 2001 में टिप्पणियां भेज दी गई थीं। राज्य सरकार से टिप्पणियों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रदूषित भूजल

4996. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक के कुछ जिलों के भूजल में बड़ी मात्रा में क्लोरीन विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) स्वच्छ पेय जल आपूर्ति संबंधी प्रावधान की आयोजना, वित्त पोषण एवं उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड तकनीकी सेवाएं मुहैया कराता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के पेय जल आपूर्ति विभाग ऐसे क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

कनार्टक सरकार ने पेयजल की शुद्धता का पता लगाने के लिए कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी जल स्रोतों का जल गुणवत्ता संबंधी विश्लेषण प्रारंभ कर दिया है। पेयजल की समस्या को कम करने तथा स्वच्छ एवं सुरक्षित पेय जल आपूर्ति संबंधी समस्या को कम करने की दृष्टि से राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के तहत संचालित जल आपूर्ति स्कीमों द्वारा जल में फ्लोराइड की अधिकता संबंधी समस्या के समाधान के लिए नदियों, नहरों, वितरणिकाओं, लघु सिंचाई टैंकों आदि जैसे सतही स्रोतों का भी विश्लेषण प्रारंभ कर दिया गया है।

एम.पी. फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, इंदौर

4997. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.पी. फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, इंदौर ने वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान 3 विमानों और 2 इंजनों का आयात किया; और

(ख) यदि हां, तो उनकी खरीद पर कितनी लागत आयी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी हां, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर ने यह सूचित किया है कि 3 विमान और 2 इंजनों की यूएस डालर 1,90472 (यथा रु. 73,33,172/- की दर) की कुल लागत से आयात किए गए हैं और क्लब ने 1,01,152 रु. दुर्घटना प्रभार के रूप में व्यय किए हैं।

नवरत्न का दर्जा

4998. श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नवरत्न का दर्जा देने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए; और

(घ) उक्त दर्जा के अंतर्गत कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आए?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने नवरत्न से ऊंचा दर्जा (महा नवरत्न) प्रदान किए जाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, क्योंकि नवरत्न कम्पनियों को उपलब्ध शक्तियां बी.एस.एन.एल. द्वारा अपने कुशल कार्यकरण के लिए पर्याप्त नहीं मानी गयी हैं। प्रस्ताव पर समुचित विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

(ग) यद्यपि, नवरत्न दर्जा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कोई निश्चित मानदंड नहीं अपनाया गया, परंतु नवरत्न उद्यमों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन करने में आकार, कार्य-निष्पादन, कार्यकलाप की प्रकृति, भविष्य के प्रस्तावों और विश्व स्तर की एक कम्पनी के रूप में विकसित होने की संभावना आदि विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा गया है। तथापि, अब मानदंड को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) 1997 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों की नवरत्नों के रूप में पहचान की। वे उपक्रम ये हैं:- भारती हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.), भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जी.ए.आई.एल.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी.), इंडियन पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.)।

[हिन्दी]

एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों का आबंटन

4999. श्री रामेश्वर डूडी:
श्री भर्तृहरि महताब:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री ए. कृष्णास्वामी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों के आबंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य में उक्त कितने बूथ कार्यशील हैं;

(ग) 31 जुलाई, 2001 की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर राजस्थान और उड़ीसा के प्रत्येक जिलों में उक्त बूथों के आवंटन हेतु राज्य-वार कितने आवेदन लंबित हैं;

(घ) उनके लंबित पड़े होने के क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त आवेदनों को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य-वार कितने ऐसे बूथ आबंटित करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मुम्बई में वायु प्रदूषण

5000. **श्री अनंत गुढे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 दिसंबर, 2000 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' समाचार-पत्र में ''मुम्बई एयर हैज हाई कन्टेंट आफ कार्बन मोनो आक्साईड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुम्बई में कार्बन मोनो आक्साइड की बढ़ रही मात्रा से निपटने हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां। 26 दिसंबर 2000 को 'बिजनेस स्टैंडर्ड'' में ''मुम्बई एयर हैज हाई कन्टेंट आफ कार्बन मोनो आक्साईड'' शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) मुम्बई के भिन्न-भिन्न स्थानों पर मानीटर किए गए कार्बन मोनोक्साइड के स्तरों से यह पता चलता है कि दिन के दौरान किसी-किसी समय कार्बन मोनोक्साइड के स्तर निर्धारित मानकों से अधिक थे।

(ग) मुम्बई में कार्बन मोनोक्साइड की मात्रा कम करने के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक कार्य योजना तैयार करके कार्यान्वित की गई है। वाहन जनित प्रदूषण को कम करने के उपायों में शामिल हैं—मोटर वाहनों के लिए यूरो-2 मानदण्डों की भांति भारत स्टेज-2 के रूप में ज्ञात कड़े उत्सर्जन मानकों का कार्यान्वयन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) से चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि और मुम्बई में 12 प्रमुख जंक्शनों पर परिवेशी वायु गुणता की नियमित रूप से मानीटरी करना।

[हिन्दी]

खनिज सम्पदा का दोहन

5001. **श्री उत्तमराव पाटील:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान खनिज सम्पदा की खोज हेतु महाराष्ट्र के किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया; और

(ख) राज्य में खनिज के उचित दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) खान मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) महाराष्ट्र में खनिज संपदा के गवेषण के लिए सर्वेक्षण कर रहा है। वर्ष 2000-2001 के दौरान इसने नागपुर और भंडारा जिलों में मैग्नीज अयस्क, नागपुर, भंडारा और गोंडिया जिलों में स्वर्ण तथा तांबे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों में बाक्साइट, भंडारा, चन्द्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में हीरे, नागपुर, भंडारा जिलों में क्रोमाइट और धूले, थाणे, भंडारा और गढ़चिरौली जिलों में बहु-आयामी पत्थरों के लिए अन्वेषण किए।

जी.एस.आई. और खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) द्वारा कोयले के लिए वर्धा, चन्द्रपुर और नागपुर जिलों में क्षेत्रीय गवेषण जारी है।

(ख) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 और सरकार द्वारा इसमें किए गए अनुवर्ती संशोधनों का उद्देश्य राज्य द्वारा खनिज संसाधनों का तीव्र और व्यवस्थित विदोहन करना है।

परित्यक्त विमानपत्तनों का पुनरुद्धार

5002. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परित्यक्त विमानपत्तनों के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो चाईबासा विमानपत्तन को कब तक परिचालनात्मक बना दिए जाने की संभावना है; और

(ग) रांची-चाईबासा-कोलकाता विमान सेवा कब तक बहाल कर दी जाएगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) हवाई अड्डों की उपयोगिता यातायात मांग पर निर्भर करती है।

एयरलाइन आपरेटर वाणिज्यिक मात्रा और विमानों की उपलब्धता के आधार पर किसी भी हवाई अड्डे से अपने प्रचालन आरंभ करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी एयरलाइन ने चाईबासा से अपने प्रचालनों को आरंभ करने की किसी योजना के बारे में संकेत नहीं दिया है। किसी भी मामले में, चाईबासा हवाई अड्डा राज्य सरकार का है और इसलिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे को प्रचालनात्मक बनाने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

5003. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
कुंवर अखिलेश सिंह:
श्री सी. श्रीनिवास:
डा. बलिराम:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक और अन्य बाह्य एजेंसियों की सहायता से देश में स्थान-वार कितनी सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की गई/क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ख) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे स्रोतों से राज्य-वार और परियोजना-वार कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है; और

(ग) परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त बाह्य सहायता और निधियों से कार्यान्वित/कार्यान्वयन की जा रही परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	वित्तपोषण अभिकरण	समझौते/पूरा होने की तारीख	सहायता राशि (मिलि. दाता मुद्रा)	प्राप्त प्रतिपूर्ति 1999-2000	प्राप्त प्रतिपूर्ति 200-2001	31.5.2001 तक संचयी प्रतिपूर्ति	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	(i) एपी-3 सिंचाई परियोजना	विश्व बैंक	3.6.1997 31.1.2003	325.00 यू.एस.डालर	13.71	22.74	113.966 यू.एस. डालर	चल रही
		(ii) आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक)	विश्व बैंक	3.1.1999 31.3.2004	142 मि. यू.एस. डालर	39.74	12.63	53.200 यू.एस. डालर	चल रही
		(iii) के.सी. नहर का आधुनिकीकरण	जे.बी.आई.सी. जापान	25.1.1996 26.3.2003	16049.00 येन	1384.05 येन	872.33 येन	3276.470 येन	चल रही
		(iv) एपी कूप सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड्स	14.11.1994 14.11.2002	26.847 एन.एल.जी.	*	*	12.282 एन.एल.जी.	चल रही
2.	गुजरात	(v) 8 फाटक रहित स्कीमों पर हाइड्रोप्लस फ्यूजगेट्स	फ्रांस	10.12.1998 30.6.2003	34.74 एफ.एफ.	28.17	0.81	31.700 एफ.एफ.	चल रही
3.	हरियाणा	(vi) हरियाणा जल संशाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	6.4.1994 31.12.2001	209.7 यू.एस. डालर	32.94	14.79	185.492 यू.एस. डालर	चल रही
4.	केरल	(vii) सामुदायिक सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड्स	15.12.1993 30.6.2000	2.328 एन.एल.जी.	*	*	2.149 एन.एल.जी.	परियोजना को विस्तार दिए जाने पर दाता अभिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(viii) केरल लघु सिंचाई परियोजना	ई.ई.सी.	21.5.1992 31.12.2000	11.80 ई.सीयू.	0.00	0.620	3.390 ई.सी.यू.	चल रही
5.	महाराष्ट्र	(ix) महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी	21.12.1998 31.12.2006	45.00 डी.एम.	0.00	0.00	0.467 डी.एम.	चल रही है
		(x) लवण भूमि सुधार योजना-II	ई.ई.सी.	11.7.1995 31.12.2005	15.5 ई.सीयू.	0.00	0.00	0.00 ई.सी.यू.	परियोजना अभी शुरू होनी है।
6.	मध्य प्रदेश	(xi) राजघाट नहर परियोजना	जे.बी.आई.सी. जापान	25.02.1997 31.03.2002	13222.00 येन	828.60	683.32	3108.700 येन	चल रही
7.	मणिपुर	(xii) भूजल अन्वेषण परियोजना	फ्रांस	23.11.1998 31.12.2001	4.53 एफ.एफ.	0.90	1.67	4.621 एफ.एफ.	चल रही
8.	उड़ीसा	(xiii) उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	05.01.1996 30.09.2002	290.90 यू.एस. डालर	28.67	16.76	154.596 यू.एस. डालर	चल रही
		(xiv) रेंगाली सिंचाई परियोजना	जे.बी.आई.सी. जापान	12.12.1997 05.02.2003	7760.00 येन	1075.11	552.66	3065.30 येन	चल रही
		(xv) लिफ्ट सिंचाई परियोजना	के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी	19.02.1993 31.12.2000	55.00 डी.एम.	6.74	2.68	40.57 डी.एम.	चल रही
		(xvi) उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	ई.ई.सी.	03.07.1995 31.12.2004	10.70 ई.सी.यू.	0.00	0.664	1.108 ई.सी.यू.	चल रही
9.	पांडिचेरी	(xvii) टैंक सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	ई.ई.सी.	21.02.1997 31.12.2004	6.65 ई.सी.यू.	0.00	0.00	0.00	चल रही
10.	राजस्थान	(xviii) सिधमुख और नोहर सिंचाई परियोजना	ई.ई.सी.	07.06.1993 31.12.2000	45.00 ई.सी.यू.	0.00	0.00	34.22	चल रही
11.	तमिलनाडु	(xix) तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	22.09.1995 31.03.2002	282.90 यू.एस. डालर	57.50	19.64	125.831 यू.एस. डालर	चल रही
12.	तमिलनाडु	(xx) टैंक सिंचाई प्रणाली फेज-II	ई.ई.सी.	27.04.1989 31.12.1999	24.50 ई.सी.यू.	1.946	*	21.955 ई.सी.यू.	पूर्ण
13.	उत्तर प्रदेश	(xxi) बुंदेलखंड जल संसाधन प्रबंधन परियोजना	नीदरलैंड्स	12.06.1996 31.05.2001	3.087 एन.एल.जी.	*	*	1.35 एन.एल.जी.	पूर्ण

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने वाले विमानपत्तन

5004. श्री अधीर चौधरी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने वाले विमानपत्तनों के नाम क्या हैं; और

(ख) ऐसे विमानपत्तनों से उड़ान भरने वाली एयरलाइनों के नाम क्या हैं और प्रत्येक विमानपत्तन से जुड़े देशों के नाम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, गोवा, हैदराबाद, कोचीन, अमृतसर, अहमदाबाद, कालीकट, त्रिचुरापल्ली, कोयम्बतूर, लखनऊ, वाराणसी और पटना हवाई अड्डे इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन कर रहे हैं।

(ख) विस्तृत विवरण संलग्न हैं।

विवरण

क्र.सं.	एयरलाइन	भारत में विमानपत्तन	संबंधित देश
1	2	3	4
1.	एअर इंडिया	मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कालीकट, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, गोवा	यू.एस.ए. यू.के., फ्रांस, जापान, हांगकांग सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, केन्या, तन्जानिया, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई, ओमान, मलेशिया
2.	इंडियन एयरलाइंस	अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलौर, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बतूर, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोलकाता, कोयम्बतूर, लखनऊ, मुम्बई, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, त्रिचुरापल्ली	यूएई, बहरीन, कतार, ओमान, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यामार, श्रीलंका, पाकिस्तान, कुवैत, बंगलादेश, मलेशिया, मालदीव
3.	एयरोफ्लोट	दिल्ली, मुम्बई	रशिया, बंगलादेश
4.	एयर फ्रांस	दिल्ली, मुम्बई	फ्रांस
5.	एयर कजाखस्तान	दिल्ली	कजाखस्तान
6.	एयर मारीशस	दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई	मॉरीशस
7.	अलीटालिया	मुम्बई	इटली
8.	ऑल निप्पोन एयरलाइंस	मुम्बई	जापान, थाईलैंड
9.	असियाना एयरलाइंस	दिल्ली	साऊथ कोरिया
10.	आस्ट्रीयन एयरलाइंस	दिल्ली	ऑस्ट्रिया
11.	बीमान बंगलादेश	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता	बंगलादेश, बेल्जीयम, यूएसए, यूएई
12.	ब्रिटीश एयरवेज	दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई चेन्नई	यूके, बंगलादेश

1	2	3	4
13.	कैथे पैसिफीक एयरवेज	दिल्ली, मुम्बई	हांगकांग, यूएई, थाईलैंड
14.	डेल्टा एयरलाइंस	मुम्बई	यूएसए, जर्मनी
15.	ड्रुक एयर	दिल्ली, कोलकाता	नेपाल, भूटान, थाईलैंड
16.	एजिप्ट एयर	मुम्बई	एटिप्ट, यूएई
17.	एल-अल इजराइल	मुम्बई	इजरायल
18.	अमीराट्स	मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई हैदराबाद	यूएई
19.	यूरोपियन एयरलाइंस	दिल्ली, मुम्बई	इथोपिया, थाईलैंड
20.	गल्फ एयर	मुम्बई, दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, चेन्नई	प्वाइंट्स इन गल्फ
21.	इरान एयर	मुम्बई	इरान
22.	जापान एयरलाइंस	दिल्ली	जापान
23.	केएलएम	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता	नीदरलैंड
24.	केन्या एयरवेज	मुम्बई	केन्या
25.	कोरियन एयर	मुंम्बई	साऊथ कोरिया
26.	कुवैत एयरवेज़	मुम्बई, दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, चेन्नई	कुवैत
27.	किर्गीस्तान एयरलाइंस	दिल्ली	किर्गीस्तान
28.	लुफ्थांसा जर्मन	दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई	जर्मनी
29.	मलेशियन एयरलाइंस	दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद	मलेशिया
30.	नेकॉन एयर लि.	पटना, वाराणसी	नेपाल
31.	नार्थ वेस्ट एयरलाइंस	दिल्ली, मुम्बई	यूएसए, नीदरलैंड
32.	ओमान एयर	मुम्बई, त्रिवेन्द्रम, चेन्नई	ओमान
33.	पीआईए	मुम्बई, दिल्ली	पाकिस्तान
34.	कन्टास एयरवेज	मुम्बई	आस्ट्रेलिया, सिंगापुर
35.	कतार एयरवेज	मुम्बई, त्रिवेन्द्रम	कतार
36.	रॉयल जॉरदानियन एयरलाइंस	दिल्ली, क़ोलकाता, मुम्बई	थाईलैंड, जॉर्डन

1	2	3	4
37.	रॉयल नेपाल एयरलाइंस	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता बंगलौर	नेपाल
38.	रॉयल ब्रुनेई एयरलाइंस	कोलकाता	ब्रुनेई, सिंगापुर, यूएई
39.	सबेना	चेन्नई	बेल्जीयम
40.	सऊदी अरेबियन एयरलाइंस	मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई	सऊदी अरबिया
41.	स्कॉडीनावियन एयरलाइंस सिस्टम	दिल्ली	डेनमार्क
42.	सिंगापुर एयर लाइंस	दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता	सिंगापुर, यूके
43.	सिल्क एयर	त्रिवेन्द्रम	सिंगापुर
44.	साऊथ अफ्रीका एयरवेज	मुम्बई	साऊथ अफ्रीका
45.	श्रीलंका एयरलाइंस	चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, मुम्बई, दिल्ली, त्रिचुनापल्ली	श्रीलंका
46.	स्वीस एयर	दिल्ली, मुम्बई	स्वीटजरलैंड
47.	सिरियन अरब एयरलाइंस	दिल्ली, मुम्बई	सिरिया, यूएई
48.	थाई एयरवेज	दिल्ली, कोलकाता	थाईलैंड
49.	तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस	दिल्ली, अमृतसर	तुर्कमेनिस्तान
50.	यूनाईटिड एयरलाइंस	दिल्ली	यूएसए, हांगकांग, यूके
51.	उजबेकिस्तान एयरवेज	दिल्ली, अमृतसर	उजबेकिस्तान
52.	वर्जिन अटलांटिक	दिल्ली	दिल्ली, यूके
53.	यमन एयरवेज	मुम्बई	यमन, यूएई

श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय

5005. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के '50 किलो' वाले मानदण्डों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्याप्त उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके राज्यों द्वारा अनुपालन हेतु कोई अधिसूचना जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा उठाए जाने वाले अधिकतम अनुमेय भार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 127 और सिफारिश संख्या 128 को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्नों की पैकेजिंग 50 कि.ग्रा. की बोरियों में करने का 1994 में एक निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि गेहूं और चावल की 50 कि.ग्रा. की पैकेजिंग को पूरी तरह से, 1994-95 खरीफ बाजार मौसम से आरम्भ करते हुए अगले 5 वर्षों में एक चरणबद्ध ढंग से अपनाया जाएगा। गेहूं और लेवी चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा 50 कि.ग्रा. की बोरियों में ही लिया जा रहा है और केवल धान ही 75 कि.ग्रा. की बोरियों में लिया जा रहा है। आशा है कि भारतीय खाद्य निगम रबी बाजार मौसम 2002-2003 से पूरी तरह से 50 कि.ग्रा. की बोरियों के प्रचलन में सक्षम हो जाएगा।

उपलब्ध सूचना के अनुसार सीमेंट, उर्वरकों और रसायनों को पहले से ही 50 कि.ग्रा. की बोरियों में पैक किया जा रहा है।

चीनी की पैकिंग के संबंध में 50 कि.ग्रा. की बोरियों के प्रयोग का निर्णय लिया गया है और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसी बोरियों का अनुमोदन होते ही चीनी (पैकिंग और विपणन) आदेश, 1970 में उपयुक्त संशोधन कर लिया जाएगा।

केन्द्र सरकार ने गेहूं और चावल की पैकेजिंग 50 कि.ग्रा. तक रखने के लिए 10 मई, 1995 को संबंधित राज्यों को अनुदेश जारी किए थे।

बांध का ध्वस्त होना

5006. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अगस्त, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में नेपालियों द्वारा बांध को ध्वस्त करने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बांध को कुल कितना नुकसान पहुंचा; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की/करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) जी, हां। सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, यह बांध को ध्वस्त करने का मामला नहीं बल्कि यह नाले पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के मरम्मत का मामला है। यह वह नाला है जो कृष्णा नगर (नेपाल) से बढ़नी (भारत) की ओर प्रवाहित होता है, इसमें वर्षा जल और कृष्णा नगर (नेपाल) का गंदा जल आता है जो बढ़नी (भारत) में प्रवाहित होता है। इस नाले पर एक 3 मीटर लम्बी पुलिया स्थित है। बढ़नी (भारत) के स्थानीय नगर क्षेत्र प्राधिकारी ने इसके मुहाने को बंद कर दिया था ताकि बढ़नी (भारत) के वार्ड सं. 7 में वर्षा का जल प्रवेश न कर सके। दिनांक 31.7.2001 को भारी वर्षा होने के कारण, कृष्णा नगर (नेपाल) के लोगों ने नाले में बंद स्थान को ध्वस्त कर दिया था। बढ़नी नगर क्षेत्र (भारत) के स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे कितनी क्षति हुई है इसका पता नहीं चला है।

[हिन्दी]

ध्वनि प्रदूषण पर कानून

5007. श्री रामपाल सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु कोई कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कानून का प्रारूप तैयार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) सरकार ने एस.ओ. 123(ई), दिनांक 14.2.2000 के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 अधिसूचित की है और बाद में एस. ओ. सं. 1046 (ई), दिनांक 22.11.2000 के तहत उसका संशोधन किया गया है। इस नियमावली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोतों के विनियमन एवं नियंत्रण से संबंधित है।

(2) ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणता निर्धारित की गई है।

(3) राज्य सरकारों द्वारा वाहनों की आवा-जाही से उत्पन्न ध्वनि सहित ध्वनि उपशमन तथा यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे कि वर्तमान ध्वनि स्वर, परिवेशी वायु गुणता मानकों से अधिक न हो।

(4) इन नियमों के प्रयोजनार्थ अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों और न्यायालयों के आस-पास कम से कम 100 मीटर क्षेत्र को शांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाए।

(5) लाउड-स्पीकरों/सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(6) इन नियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन के परिणाम-स्वरूप दण्ड के उपबन्धों का प्रावधान किया गया है।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा जारी अन्य विधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) जी.एस.आर. 1063 (ई), दिनांक 26.12.1989 के तहत औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय क्षेत्रों और शांत क्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(2) जी.एस.आर. 742 (ई) दिनांक 30.8.1990 के तहत वर्ष 1992 तक मोटर कारों की निर्माण प्रावस्था में ही ध्वनि सीमा तथा घरेलू उपकरणों के लिए निर्माण प्रावस्था में ही ध्वनि सीमाओं का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। मोटर वाहनों के ध्वनि मानकों को अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 742 (ई), दिनांक 25.9.2000 (संशोधन) के तहत और कड़ा बनाया गया है।

(3) जी.एस.आर. संख्या 7, दिनांक 2.1.99 के तहत स्थायी डीजल जेनरेटर सैटों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए मानक/दिशा-निर्देश प्रकाशित किए गए हैं।

(4) जी.एस.आर. सं. 682 (ई), दिनांक 5.10.1999 के तहत पटाखों के लिए ध्वनि मानक प्रकाशित किए गए हैं।

(5) जी.एस.आर. 742 (ई), दिनांक 25.9.2000 के अंतर्गत पैट्रोल अथवा मिट्टी के तेल से चलने वाले जेनरेटर सैटों के लिए ध्वनि सीमाएं प्रकाशित की गई हैं।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु आबंटन और व्यय

5008. श्री पी.आर. खुंटे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित/कम करने हेतु प्रचार माध्यमों के उपयोग पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) देश में विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रदूषण को नियंत्रित/कम करने हेतु संलग्न विभिन्न संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस कार्य हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करना

5009. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की संभावनाओं का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कुछ राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) एक सतत प्रक्रिया के रूप में यातायात मांग के आधार पर, विभिन्न हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालनों की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसका स्तरोन्नयन हो जाने के कारण, बंगलौर को हांग-कांग, जर्मनी, मलेशिया और चार गल्फ एयर स्वामित्व राष्ट्रों को हैदराबाद से मलेशिया और यूएई (दुबई): अमृतसर, अहमदाबाद और कोचीन से तुर्कमेनिस्तान और ओमान की नामित विमान कम्पनियों को एक अवतरण-स्थल के रूप में स्वीकृत किया गया है। मलेशियन एयरलाइंस ने बंगलौर और हैदराबाद के लिए/से पहले ही प्रचालन आरंभ कर दिए हैं जबकि तुर्कमेस्तिान एयरलाइंस अमृतसर के लिए/से प्रचालन कर रही है। दुबई की अमीरात एयरलाइंस भी हैदराबाद के लिए दैनिक सेवाओं का प्रचालन कर रही है। इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया ने भी कुछ नए उड़ानें आरंभ की हैं और ड्राई लीज पर विमानों को लेकर इनमें से कुछ हवाई अड्डों से कुछ और उड़ानें आरंभ करने की योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

न्यूनतम मजदूरी

5010. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में कुछ अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी या तो बहुत कम है या बहुत समय से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के हितों की रक्षा करना था। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियोक्ता अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य है। अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों की अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में लगे कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। जहां तक न्यूनतम मजदूरी में संशोधन का प्रश्न है, अधिनियम में यह व्यवस्था है कि न्यूनतम मजदूरी में अधिकतम पांच वर्षों के अन्तराल में संशोधन किया जाये। केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में आवधिक रूप से संशोधन करती रही हैं। मुद्रास्फीति से मजदूरी की रक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने परिवर्ती महंगाई भत्ते (वी.डी.ए.) की व्यवस्था की है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है। परिवर्ती महंगाई भत्ते में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर अप्रैल और अक्टूबर से प्रत्येक वर्ष दो बार संशोधन किया जाता है। तेईस राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी मजदूरी के एक घटक के रूप में परिवर्ती मंहगाई भत्ते को अपनाया है। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण सामाजिक-आर्थिक और कृषि-जलवायु दशाओं, निर्वाह लागत, उत्पादकता, भुगतान क्षमता और मजदूरी दरों को प्रभावित करने वाली स्थानीय दशाओं, जो प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग होती है, जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर है। अतएव पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी में एकरूपता नहीं है। इनमें समतुल्यता लाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की मजदूरी की अवधारणा विकसित की है। शुरू में यह 1991 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिश पर और बाद में कीमतों के स्तर में बढ़ोत्तरी के आधार पर 1996 में 35 रुपये प्रति दिन नियत की गई थी। कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की मजदूरी को बढ़ाकर नवम्बर, 1999 में अंतिम बार 45 रुपये प्रतिदिन किया गया था। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की मजदूरी से कम न हो।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन के लिए कुछ प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। तथापि, इसमें शामिल कदमों और प्रक्रियाओं को देखते हुए इन संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा नियत करना संभव नहीं है।

रायगंज, पश्चिम बंगाल में विमानपत्तन का निर्माण

5011. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल स्थित रायगंज के उत्तरी दीनाजपुर के नए जिला मुख्यालय में नया विमानपत्तन निर्मित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोलकाता-रायगंज-पूर्णिया-पटना क्षेत्र में उड़ानों के संचालन संबंधी एक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बी.एस.एन.एल. द्वारा ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम

5012. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2001-2002 के दौरान अपने ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम के लिए कितनी लाइनों की पहचान की है;

(ख) इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) आपूर्तिकर्त्ताओं के नाम क्या हैं;

(घ) क्या समान की आपूर्ति करने वाले कुछ विक्रेता समय पर आपूर्ति करने में असफल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान ग्रामीण अनुप्रयोग के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) प्रणाली के 6 लाख लाइनों की खरीद के लिए आर्डर दिये हैं। डब्ल्यू.एल.एल. प्रणालियों पर लगभग 1 लाख ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किये जाने की योजना है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) इस उद्देश्य के लिए 1800 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

(ग) तीन विक्रेता अर्थात् मैसर्स एलजी सिस्टम्स, मैसर्स एच.एफ.सी.एल. और मैसर्स आई.टी.आई. इन प्रणालियों के सप्लायर हैं।

(घ) और (ङ) उत्पादन गुणवत्ता परीक्षण (पी.क्यू.टी.) समय पर पूरा न होने के कारण उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ है। परीक्षण का कार्य अब सभी विक्रेताओं द्वारा पूरा कर लिया गया है। फील्ड इकाइयों को उपस्कर की 117,500 लाइनें भेजी जा चुकी हैं। उपस्कर की शेष लाइनें दिसम्बर, 2001 तक भेज दिये जाने की संभावना है।

(च) उपस्करों की विलम्ब से आपूर्ति करने के लिए नियमों के अनुसार सभी फर्मों पर परिसमापन क्षतिपूर्ति प्रभार लगाये जायेंगे।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	इस वर्ष के लिए वीपीटी लक्ष्य	आबंटित डब्ल्यू.एल.एल. लाइनों की संख्या	डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली पर वीपीटी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	0	4000	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	13000	0
3.	असम	7707	30000	6850
4.	बिहार	26499	93000	20000
5.	झारखंड	25510	48000	18500
6.	गुजरात	0	15000	0
7.	हरियाणा	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	2631	11000	1658
9.	जम्मू और कश्मीर	2742	11500	1700
10.	कर्नाटक	10	13500	10
11.	केरल	0	15500	0
12.	मध्य प्रदेश	316	18500	100
13.	छत्तीसगढ़	4017	34000	2400
14.	महाराष्ट्र	0	9000	0
15.	गोवा	0	0	0

1	2	3	4	5
16.	मेघालय	4325	7000	2400
17.	मिजोरम	149	4500	100
18.	त्रिपुरा	202	5000	200
19.	अरुणाचल प्रदेश	2898	5000	300
20.	मणिपुर	1697	4000	1200
21.	नागालैंड	530	5000	400
22.	उड़ीसा	22024	64000	13318
23.	पंजाब	0	0	0
24.	राजस्थान	0	12000	0
25.	तमिलनाडु	0	7500	0
26.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	14563	83000	11000
27.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4747	32000	4000
28.	उत्तरांचल	8106	19000	2000
29.	पश्चिम बंगाल	14409	35000	13209
30.	सिक्किम	126	1000	30
31.	कोलकाता	47	0	0
32.	दिल्ली	0	0	0
	योग	143255	600000	99375

अनुसंधान और विकास के अंतर्गत परियोजनाएं

5013. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी नई परियोजनाएं शुरू की गईं;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान अनुसंधान और विकास योजना के अंतर्गत कुल कितने अध्ययन पूर्ण किए गए;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत चल रही 59 परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में सूचना प्राप्त की और इसके क्रियान्वयन की निगरानी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास स्कीम के अंतर्गत नौवीं योजना अवधि के दौरान 111 नई अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं।

(ख) अनुसंधान एवं विकास स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान तीस (30) अध्ययन पूरे किए गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) समीक्षा और निगरानी संबंधी बैठकों के आयोजन के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक वर्ष चल रही अनुसंधान परियोजनाओं

की प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। यदि आवश्यकता होती है तो मध्यावधि में भी इनमें सुधार किया जाता है। प्रयास यही रहता है कि अध्ययन तर्कसंगत रूप से पूरे हों।

[हिन्दी]

बच्चों और महिलाओं का यौन उत्पीड़न

5014. श्री रतन लाल कटारिया:
श्री के. येरननायडू:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण के बढ़ते मामलों के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों दौरान वर्षवार और राज्यवार अलग-अलग कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ग) यौन उत्पीड़न से निपटने हेतु सरकारी और निजी कार्यालयों में शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए की-गई-कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण की घटनाओं में वृद्धि के संबंध में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अखिल भारतीय नियोक्ता और कर्मचारी संगठनों से कहा है कि वे कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोपण संबंधी शिकायतों के निपटान हेतु ऐसी शिकायत समितियां गठित करें, जिनकी अध्यक्ष महिलाएं हों। उपलब्ध सूचनानुसार, अधिकतर संगठनों ने शिकायत समितियों का गठन कर लिया है। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 में भी और अधिक संशोधन किए गए हैं ताकि निजी क्षेत्र में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को एक ऐसा अपराध बनाया जा सके जिसके लिए कर्मकार को आनुशासनिक कार्रवाई का भागीदार बनाया जा सके।

टेलीफोन एक्सचेंज खोलने संबंधी मानदण्ड

5015. प्रो. दुखा भगत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने हेतु वर्तमान में क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या उक्त मानदण्डों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मौजूदा मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में किसी स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना तभी बनाई जाती है जबकि पंजीकृत मांग 10 या इससे अधिक हो और इस मांग को कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एस.डी.सी.ए.) के मौजूदा एक्सचेंज से पूरा नहीं किया जा सकता हो। तथापि, इन मानदण्डों में संशोधन किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेड़ काटना

5016. श्री जे.एस. बराड़: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े शहरों में नई सड़कों के निर्माण, सड़कों को चौड़ा करने और अन्य विकासकारी गतिविधियों के लिए पेड़ों को काटना आवश्यक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) बड़े शहरों में नई सड़कों के निर्माण, सड़कों को चौड़ा करने और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए कभी-कभी पेड़ों को काटना आवश्यक होता है। यदि ये पेड़, वनेतर भूमि पर लगे हुए हों, तो इन्हें काटने की अनुमति स्थानीय पेड़/वन अधिनियमों के अनुसार दी जाती है।

परन्तु यदि ऐसे पेड़ वन भूमिगों पर हों तब वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति अपेक्षित है। ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार अनुमोदन प्रदान करते समय काटे गए पेड़ों की संख्या के दुगने के बराबर पेड़ लगाने की अथवा इस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई वन भूमि के एवज में इतनी ही भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की शर्त लगाती है।

उपभोक्ताओं पर बकाया राशि

5017. श्री सुल्ताल सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपयों की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक कितनी राशि वसूल की गई है;

(घ) दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली और इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने बकाया राशि में कमी लाने हेतु कुछ विशेष कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उच्चाधिकार प्राप्त समितियां और बकाया राशि की वसूली संबंधी बोर्ड बकाया राशि की शीघ्र वसूली में कहां तक सहायक हुए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) केवल एक ही ऐसा उपभोक्ता (व्यक्ति) पश्चिम बंगाल सर्किल में है जिसने भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) को एक करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना है।

(ख) टेलीफोन सं.	बिल की तारीख	राशि (रुपये में)
रानाघाट 58606	21.4.98	40,46,280
रानाघाट 58611	11.6.98	25,63,108
	21.4.98	32,58,019
	11.6.98	23,09,442
	योग	1,21,76,849

(ग) शून्य, क्योंकि मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बट्टे-खाते में डाली गयी राशि निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	बट्टे खाते में डाली गई राशि (हजार रुपयों में)	
	दूरसंचार विभाग/बी.एस.एन.एल.	एम.टी.एन.एल.
1998-1999	1874	967
1999-2000	24967	11216
2000-2001	4354	17890

देय राशि को बट्टे खाते में डालने के लिए अपनाया गया मानदंड:-

(1) बकाया राशि बहुत मामूली होना जहां वसूली संबंधी कार्रवाई करना आर्थिक रूप से अलाभकारी होगा।

(2) उपभोक्ताओं का पता-ठिकाना ज्ञात नहीं होना या उपभोक्ता का दिवालिया सिद्ध हो जाना।

(3) उपभोक्ता के फर्मों या प्रतिष्ठानों का बंद हो जाना।

(ङ) और (च) बकाया देय राशि को कम करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. मुख्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष बकाये की परिसमाप्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और इस सम्बन्ध में कार्य-निष्पादन की मानिटरिंग की जाती है।

2. देय राशि की जल्दी वसूली के लिए कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गयी है।

3. बकाया राशि का परिसमापन सुकर बनाने के लिए बी.एस.एन.एल. के सर्किलों और एम.टी.एन.एल. में उच्चाधिकार प्राप्त समितियां और परिसमापन बोर्ड स्थापित किये गये हैं।

4. सर्किलों की उगाही क्षमता की प्रति माह मानिटरिंग की जाती है।

5. बी.एस.एन.एल. के सर्किलों/एम.टी.एन.एल. से संशोधित टैरिफ लागू करने, बिल शीघ्र जारी करने और भुगतान न होने की स्थिति में फोन तुरंत काटने के लिए नियमित रूप से कहा जा रहा है।

(छ) परिसमापन बोर्ड और उच्चाधिकार प्राप्त समितियां बकाया राशि को कम करने में सहायक हैं क्योंकि उन्हें वसूली न की जाने योग्य राशि को बट्टे खाते में डालने की शक्तियां सौंपी गयी हैं।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में मजदूरों का शोषण

5018. श्री रामजीवन सिंह: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों का शोषण होना उनकी नियति बन गयी है;

(ख) सरकार को इस संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) छत्तीसगढ़ के मजदूरों को शोषण से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में बंधुआ मजदूर

5019. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में पेरम्बूर की चावल मिलों में 1000 परिवार बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में मिल, मालिकों के विरुद्ध उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) एक गैर-सरकारी संगठन राज्य सरकार की जानकारी में यह लाया है कि रेड हिल्स जिला तिरूवल्लूर, तमिलनाडु में चावल मिलों में 1000 से अधिक परिवार बंधुआ श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एक सर्वेक्षण करा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पहचान किए गए बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने और पुनर्वास करने तथा बंधुआ श्रमिकों के रूप में उन्हें रखने वालों के खिलाफ मौजूदा कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी।

भीमा और कृष्णा नदियों में पानी छोड़ना

5020. श्री आर.एस. पाटिल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य के बागलकोट और बीजापुर जिलों में पानी के संकट का सामना करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से ऊजानी और कोयना बांधों से भीमा और कृष्णा नदियों में पानी छोड़ने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक सरकार के इस अनुरोध से सहमत नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करके इसे हल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) कर्नाटक सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से जनवरी, 2001 में उज्जैनी बांध से भीमा नदी में 4 टी.एम.सी. जल छोड़ने का अनुरोध किया था। अप्रैल, 2001 में कोयना बांध से कृष्णा नदी का 2 टी.एम.सी. जल छोड़ने का एक अन्य अनुरोध किया गया था।

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उज्जैनी से 18.2.2001 से 31.5.2001 तक छोड़ा गया जल भीमा नदी में तकाली बैराज पर 0.876 टी.एम.सी. जल प्राप्त किया गया। इस जल को तकाली बैराज तक साझी सीमा पर दोनों राज्यों द्वारा उपयोग किया गया। यह भी सूचना दी गई है कि महाराष्ट्र सरकार ने कृष्णा नदी के जल को छोड़ने संबंधी अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

पुराने पुलों का पुनर्निर्माण

5021 प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर 50 साल से पुराने पुलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पुलों की शक्ति व इन पर यातायात के बढ़ते दबाव का पता लगाने हेतु इन पुलों का साविधिक व व्यवस्थित निरीक्षण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या पुराने पुलों के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर पुराने पुलों के पुनर्निर्माण के कार्य से संबंधित कोई परियोजना केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। 66 पुलों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य चल रहा है।

(घ) राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्यों के नाम	50 वर्ष से अधिक पुराने पुलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	कुछ नहीं
3.	असम	1
4.	बिहार	14
5.	छत्तीसगढ़	40
6.	दिल्ली	कुछ नहीं
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	1
9.	हरियाणा	2
10.	हिमाचल प्रदेश	48
11.	जम्मू और कश्मीर	कुछ नहीं
12.	झारखंड	21
13.	कर्नाटक	10
14.	केरल	43
15.	मध्य प्रदेश	170
16.	महाराष्ट्र	105
17.	मणिपुर	कुछ नहीं
18.	मेघालय	2
19.	मिजोरम	कुछ नहीं
20.	नागालैंड	कुछ नहीं
21.	उड़ीसा	10
22.	पंजाब	20
23.	राजस्थान	6
24.	सिक्किम	कुछ नहीं
25.	तमिलनाडु	330
26.	त्रिपुरा	कुछ नहीं
27.	उत्तर प्रदेश	89
28.	उत्तरांचल	1
29.	पश्चिम बंगाल	4
	जोड़	951

विवरण-II

क्र.सं.	राज्यों के नाम	पुलों की संख्या जिन पर मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है।
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	बिहार	9
3.	छत्तीसगढ़	2
4.	हिमाचल प्रदेश	26
5.	झारखंड	9
6.	कर्नाटक	3
7.	केरल	1
8.	महाराष्ट्र	1
9.	तमिलनाडु	11
10.	पश्चिम बंगाल	1
	जोड़	66

डॉल्फिन मोबाइल

5022. श्री अरुण कुमार: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉल्फिन मोबाइल सेवा संस्वीकृति परीक्षण के पूरा होने के पश्चात् शुरू की गई है;

(ख) क्या संस्वीकृति परीक्षण प्रमाणपत्र के पश्चात् इस कार्य के ठेकेदार को इसका भुगतान कर दिया गया है;

(ग) क्या निविदा में यह शर्त थी कि इस कार्य का भुगतान केवल उपभोक्ता संस्वीकृति माड्यूल के बाद ही किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार को उपभोक्ता संस्वीकृति माड्यूल प्रक्रिया में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) एम.टी.एन.एल. की डॉल्फिन सेल्यूलर मोबाइल सेवा दिल्ली में 7 फरवरी, 2001 को और मुम्बई में 28 फरवरी, 2001 को शुरू की गयी है। यह सेवा लाइसेंसिंग प्राधिकारी से इस शर्त के अध्यधीन अस्थायी क्लीयरेंस लेने के पश्चात् वाणिज्यिक रूप से शुरू की गयी कि लंबित परीक्षण समय सीमा के भीतर पूरे कर लिये जायेंगे।

(ख) एम.टी.एन.एल. ने भारत सरकार के एक उपक्रम मैसर्स इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (आई.टी.आई.) से इस उपस्कर की खरीद की है। आई.टी.आई. के साथ हुई संविदा के अनुसार, उपस्कर के संविदा मूल्य का 50 प्रतिशत, डिलीवरी की गई वस्तुओं के आधार पर ठेकेदार को जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कार्य की तीव्र गति को सुनिश्चित करने के लिए चरणों में मैसर्स आई.टी.आई. को शेष भुगतान किया गया है जिसे अंतिम भुगतान के समय समायोजित किया जायेगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

अर्जुन/द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए मानदंड

5023. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खेलों के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को उपयुक्त पुरस्कारों का पक्षपात के तौर पर वितरण किए जाने और पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा नशीली दवाओं का सेवन किए जाने तथा पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं का पुरस्कार प्राप्ति पात्र न होने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खेलों के क्षेत्र में इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) सरकार ने अर्जुन पुरस्कार तथा द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं:-

अर्जुन पुरस्कार: अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के वास्ते, खिलाड़ी का न केवल पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर

पर लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ, उस वर्ष में, जिस वर्ष के लिए पुरस्कार की सिफारिश की गई है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया हो, बल्कि नेतृत्व, खेल भावना तथा अनुशासन की भावना भी प्रदर्शित की हो। सरकार ऐसे खिलाड़ियों को भी पुरस्कार देने के प्रश्न पर विचार करती है जिन्होंने खेलों तथा खेलों के संवर्धन में अपना जीवनपर्यंत योगदान दिया है।

द्रोणाचार्य पुरस्कार: यह पुरस्कार प्रशिक्षकों के लिए है चाहे वह पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक प्रशिक्षकों के रूप में कार्य करते हों। प्राथमिक तथा मूलभूत रूप से महत्व ऐसे प्रशिक्षकों को सम्मानित करने का है जिन्होंने उस वर्ष में, जिसके लिए पुरस्कार दिया जाना है, उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों तथा पुरस्कार के वर्ष से पिछले तीन वर्ष के दौरान, लगातार, बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की हों। सरकार ऐसे प्रशिक्षकों को भी पुरस्कार देने के प्रश्न पर विचार करती है जिन्होंने खेलों तथा खेलों के संवर्धन में अपना जीवनपर्यंत योगदान दिया है।

(ख) और (ग) अलग-अलग व्यक्तियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि हालांकि वे पात्र हैं फिर भी उन्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं दिए गए तथा यह भी कहा गया है कि ऐसे पात्र खिलाड़ियों की लम्बी सूची है जिनके नाम पर अर्जुन पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया गया है। यह भी सुझाव दिया गया है कि उद्देश्यपरक दिशानिर्देश तैयार किए जाने अपेक्षित है ताकि व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के साथ कोई व्यक्तिक्रम न हो सके।

(घ) पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं के चयन के लिए उद्देश्यपरक मानदंड तथा इस संबंध में एक सुस्थापित प्रक्रिया विद्यमान है।

कोशी और गंगा कार्ययोजना

5024. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से कोशी और गंगा कार्ययोजना को केन्द्रीय परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना चरण-I के अंतर्गत प्रदूषण उपशमन कार्य प्रथम श्रेणी के 25 शहरों, जिनमें से 6 उत्तर प्रदेश में, 4 बिहार में और 15 पश्चिम बंगाल में थे, में शुरू किए गए। इस कार्यक्रम में बिहार का हिस्सा 53.29 करोड़ रुपए का था। गंगा कार्य योजना चरण-I को 31.3.2000 को बंद कर दिया गया। बाद में, 1996 में गंगा कार्य योजना चरण-II, जो कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की मुख्य स्कीम का एक हिस्सा है, को 1276.26 करोड़ की कुल लागत पर अनुमोदित किया गया जिसमें बिहार का हिस्सा 32.90 करोड़ रुपए का है। कोशी नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल करने के लिए बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-6 का सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकास

5025. **श्री अनन्त नायक:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग-6 को बरास्ता क्योंझरगढ़ सम्बलपुर से खड़गपुर तक सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

5026. **श्री मानसिंह पटेल:**
श्री राजो सिंह:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा ओ.बी. जारी करने के पश्चात् भी टेलीफोन नहीं लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े हुए हैं;

(ग) इन कनेक्शनों के कब तक दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) दिल्ली में उन कुछ इलाकों को छोड़कर जहां भूमिगत पेयर्स उपलब्ध नहीं होते, आमतौर पर टेलीफोन ओबी जारी करने के पश्चात् प्रदान कर दिए जाते हैं।

(ख) 14.8.2001 की स्थिति के अनुसार, भूमिगत केबल पेयर्स उपलब्ध न होने के कारण 11,731 ओ.बी. लम्बित पड़ी हैं।

(ग) इन कनेक्शनों को दिसम्बर, 2001 तक प्रदान किए जाने की योजना है।

(घ) और (ङ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) के कार्यों की आवधिक पुनरीक्षा की जाती है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) तथा सरकार के बीच वार्षिक समझौता-ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं और समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा की जाती है।

टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

5027. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में विशेषकर जलगांव जिले में विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। महाराष्ट्र में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और खासकर जलगांव जिले की एक्सचेंज क्षमता का 22948 लाइनों में विस्तार किया जाएगा।

(ख) महाराष्ट्र में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने संबंधी जिला-वार प्रस्ताव संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस प्रस्ताव को 31.3.2002 तक मंजूरी दे दी जाएगी।

(घ) महाराष्ट्र सर्किल के लिए खर्च की जाने वाली अनुमानित लागत 870.91 करोड़ रु. तथा जलगांव जिले के लिए 43.6 करोड़ रु. है।

विवरण

महाराष्ट्र में मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने के लिए जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	लघु तथा मध्यम क्षमता एक्सचेंजों से स्विचन लक्ष्य	मैक्स एक्सचेंजों से स्विचन लक्ष्य	कुल
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	23376	12508	35884
2.	अकोला	648	8000	8648
3.	वाशिम	616	1000	1616
4.	अमरावती	2396	6000	8396
5.	औरंगाबाद	3528	4756	8284
6.	बीड़	528	8000	8528

1	2	3	4	5
7.	भांद्रा	1632	2000	3632
8.	गोंडिया	632	500	1132
9.	बुल्धाना	2132	7500	9632
10.	चन्द्रपुर	1080	6000	7080
11.	धुले	3816	3000	6816
12.	नंदूरबार	1816	3000	4816
13.	गढ़चिरौली	1264	1500	2764
14.	उत्तरी गोवा	1264	13256	14520
15.	दक्षिण गोवा	1816	7096	8912
16.	जलगांव	12448	10500	22948
17.	जालना	160	2000	2160
18.	कल्याण	6264	51500	57764
19.	कोल्हापुर	11448	11000	22448
20.	लातूर	13160	6000	19160
21.	नागपुर	1896	15500	17396
22.	नांदेड़	7264	13000	20264
23.	नासिक	6896	18244	25140
24.	उस्मानाबाद	5264	5000	10264
25.	परभनी	748	4500	5248
26.	हिंगोली	964	1000	1964
27.	पुणे	6688	48344	55032
28.	रायगढ़	5080	9000	14080
29.	रत्नागिरी	556	6500	7056
30.	सांगली	4996	13000	17996
31.	सतारा	7792	12000	19792
32.	सिंधु दुर्ग	1264	4000	5264
33.	सोलापुर	11976	8000	19976
34.	वर्धा	1264	8000	9264
35.	यवतमाल	528	6200	6728
	कुल	153200	337404	490604

कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान न किया जाना

5028. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजनेस इंडिया प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के सदस्यों और बिजनेस इंडिया टेलीविजन इंटरनेशनल लिमिटेड के कर्मचारियों ने नियमानुसार अपने भविष्य निधि के अंतिम भुगताम और अग्रिम की स्वीकृति देने के मामलों के निपटान में विलम्ब के लिए शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अनेक कर्मचारियों ने जो भुखमरी के कगार पर हैं पहले ही इस्तीफे दे दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों ने इस्तीफे दिए हैं;

(ङ) क्या बी.आई.टी.आई.एल. के कर्मचारियों को उनके निजी भविष्य निधि खाते का ब्यौरा उलब्ध नहीं कराया जाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि से संबंधित कानूनों के उल्लंघन हेतु बिजनेस इंडिया प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (झ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को मैसर्स बिजनेस इंडिया टेलिविजन इन्टरनेशनल लि. के कुछ कर्मचारियों, जो उक्त ट्रस्ट के सदस्य हैं, की प्राविडेंट फंड ट्रस्ट की कार्यप्रणाली के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

चूंकि बिजनेस इण्डिया प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट की कार्यप्रणाली की जांच करने पर कुछ गंभीर अनियमितताओं की जानकारी मिली है अत: उक्त ट्रस्ट को पैरा 79 के अधीन जारी छूट आदेश को वापस ले लिया गया और कानून के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार क.भ.नि. संगठन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई और इसके परिणामस्रूप 2.3 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण बकाया अंशदान वसूल कर लिया गया।

तथापि, प्रतिष्ठान ने मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने नियोक्ता द्वारा बैंक गारंटी दिए जाने की शर्त पर छूट वापस लिए जाने पर रोक लगा दी और बैंक खाते की कुर्की को भी उठा लिया। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रतिभूतियां स्थानान्तरित नहीं की गई हैं और इस मामले के अब न्यायनिर्णयाधीन होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन किसी दावे का निपटान नहीं कर सकता है।

विमानों में बम रखना

5029. डा. अशोक पटेल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान और आज तक विमानों में बम रखे जाने के कितने मामले हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने मामले झूठे पाए गए हैं;

(ग) क्या झूठी सूचना देने वाले की 'कॉलर आई.डी.' के माध्यम से आसानी से पहचान की जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या झूठी सूचना देने वाले की पहचान करने के लिए मुख्य एक्सचेंजों और एयरलाइंस के कार्यालयों में 'कालर आई.डी.' स्थापित करने और तदनुसार उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) वर्ष 2000 में, विभिन्न उड़ानों में कथित रूप से विस्फोटक/बमों के रखे जाने के बारे में 37 टेलीफोन कालें प्राप्त हुई थी। इस वर्ष, आज तक 29 टेलीफोन कालें प्राप्त हो चुकी हैं।

(ख) सभी टेलीफोन कालें झूठी पाई गई थी।

(ग) "कॉलर आईडेंटिफिकेशन फैसिलिटी" के माध्यम से जिस नम्बर से वह व्यक्ति टेलीफोन कर रहा है उसका पता किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विभिन्न हवाई अड्डों के महत्वपूर्ण टेलीफोनों पर "कालर आईडेंटीफिकेशन फैसिलिटी" पहले से स्थापित कर दी गई है।

निर्माण कार्य में असंगठित श्रमिक

5030. **श्री सुबोध राय:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार ने भागलपुर जिले में नवनिर्मित विक्रमशिला गंगा पुल के निर्माण में कितने स्थानीय असंगठित श्रमिक लगे हुए हैं;

(ख) क्या पुल के निर्माण के बाद इन श्रमिकों को कोई लाभ/रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन श्रमिकों को रोजगार/लाभ उपलब्ध कराए जाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना

5031. **श्री रामटहल चौधरी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना हेतु विश्व बैंक/ए.आर.बी.पी. से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस दिशा में कितनी सफलता हासिल की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना (बिहार) का पहला चरण जनवरी, 1983 से अप्रैल, 1989 के दौरान 127 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता से क्रियान्वित किया गया था। स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना, चरण-2 (473.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत) का प्रस्ताव दिनांक 23.6.1997 को विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, विश्व बैंक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। स्वर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना के वास्ते उड़ीसा सरकार को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 64.500 करोड़ रुपये जारी की गई।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन

5032. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रत्येक जिले में अलग-अलग टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक जिला-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31.7.2001 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश व राजस्थान की जिलावार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक मध्य प्रदेश व राजस्थान में दिए गए टेलीफोनों कनेक्शनों की संख्या क्रमश: विवरण-II और III में दी गई है।

(ग) 31.7.2001 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची को नीचे दिए गए महीने तक निपटा दिए जाने की आशा है:-

मध्य प्रदेश	-	मार्च, 2002
राजस्थान	-	मार्च, 2002

विवरण-I

31.7.2001 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश और राज्यस्थान की जिलावार प्रतीक्षा सूची

मध्य प्रदेश

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बालाघाट	76
2.	बारवानी	257
3.	बैतुल	1919
4.	भिंड	1474
5.	भोपाल	1039
6.	छतरपुर	618
7.	छिंदवाड़ा	191
8.	दमोह	209
9.	दतिया	71
10.	देवास	365
11.	धार	148
12.	डिंडोरी	79
13.	गुना	154
14.	ग्वालियर	829
15.	हरदा	755
16.	होशंगाबाद	1020
17.	इन्दौर	1926
18.	जबलपुर	4921
19.	झाबुआ	60
20.	कटनी	1449
21.	खंडवा	1064
22.	खरगौन	494
23.	मंडला	527
24.	मंदसौर	1820
25.	मुरेना	361
26.	नरसिंहपुर	788
27.	नीमच	778
28.	पन्ना	177
29.	रायसेन	186
30.	राजगढ़	551
31.	रतलाम	916
32.	रीवा	523
33.	सागर	1176
34.	सतना	227
35.	सीहोर	362
36.	सिवनी	125
37.	शहडोल	652
38.	शाजापुर	353
39.	शिपुरकला	75
40.	शिवपुरी	215
41.	सीधी	1387
42.	टीकमगढ़	569
43.	उज्जैन	1243
44.	उमरिया	125
45.	विदिशा	414
	कुल	32668

राजस्थान

1.	अजमेर	7717
2.	अलवर	11012
3.	बांसवाड़ा	1483
4.	बारा	2463

1	2	3
5.	बाड़मेर	5686
6.	भरतपुर	7613
7.	भीलवाड़ा	1641
8.	बीकानेर	4350
9.	बूंदी	2684
10.	चित्तौड़गढ़	945
11.	चुरू	5735
12.	दौसा	5028
13.	धौलपुर	573
14.	डूंगरपुर	9644
15.	हनुमानगढ़	3393
16.	जयपुर	1486
17.	जैसलमेर	12585
18.	जालौर	7237
19.	झालावाड़	1867
20.	झुनझुनू	1179
21.	जोधपुर	8039
22.	करौली	10277
23.	कोटा	1055
24.	नागौर	1558
25.	पाली	15049
26.	राजसमंद	3070
27.	सवाई माधोपुर	3704
28.	सीकर	5255
29.	सिरोही	4617
30.	श्रीगंगानगर	1631
31.	टोंक	7608
32.	उदयपुर	3807
	कुल	159991

विवरण-II

मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल पिछले तीन वर्षों और 31.7.2001 तक प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार स्थिति

क्र.सं.	जिला का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001	1.4.2001 से 31.7.2001
1	2	3	4	5	6
1.	बागलाघाट	1222	2109	1929	354
2.	बारवानी	खरगोन के साथ	682	1399	244
3.	बैतुल	2111	2372	3243	892
4.	भिंड	292	1815	2498	215
5.	भोपाल	18423	13487	11609	165
6.	छतरपुर	1000	2905	3703	604
7.	छिंदवाड़ा	2314	3064	5022	1129

1	2	3	4	5	6
8.	दमोह	468	1810	2049	593
9.	दतिया	708	1235	1564	298
10.	देवास	2441	2745	4175	380
11.	धार	2294	2317	3652	886
12.	डिंडोरी	मंडला के साथ	329	305	82
13.	गुना	1522	2800	2045	693
14.	ग्वालियर	9955	8454	6464	277
15.	हरदा	होशंगाबाद	1735	852	209
16.	होशंगाबाद	3002	1840	3978	458
17.	इन्दौर	13867	12033	9558	4002
18.	जबलपुर	5400	4038	9096	1268
19.	झाबुआ	803	1628	2184	451
20.	कटनी	जबलपुर के साथ	1650	1000	87
21.	खंडवा	3038	2015	3625	348
22.	खरगौन	3304	2023	1906	276
23.	मंडला	495	231	796	204
24.	मंदसौर	4011	4489	2932	511
25.	मुरेना	1318	2930	2597	448
26.	नरसिंहपुर	1510	1500	2451	574
27.	नीमच	मंदसौर के साथ	515	2554	681
28.	पन्ना	401	855	746	65
29.	रायसेन	368	1243	788	222
30.	राजगढ़	974	1212	2076	534
31.	रतलाम	3124	4002	4710	1002
32.	रीवा	2955	2543	916	825
33.	सागर	2502	1870	3039	95
34.	सतना	3143	2594	3179	499

1	2	3	4	5	6
35.	सीहोर	2003	2788	1772	119
36.	सिवनी	1080	1407	1920	859
37.	शहडोल	3210	2484	3140	965
38.	शाजापुर	1415	1050	1590	165
39.	शिवपुरकला	मुरेना के साथ	1179	715	81
40.	शिवपुरी	3242	2218	1569	369
41.	सीधी	1214	1066	1914	244
42.	टीकमगढ़	538	1191	2943	418
43.	उज्जैन	4859	4462	7848	2134
44.	उमरिया	शहडोल के साथ	528	468	175
45.	विदिशा	2076	2418	2325	616
	कुल	112602	117861	134844	16974

विवरण-III

राजस्थान दूरसंचार सर्किल

पिछले तीन वर्षों में और 31.7.2001 तक प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार स्थिति

क्र.सं.	जिला	1998-99	1999-2000	2000-2001	1.4.2001 से 31.7.2001
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	14206	8525	15092	1825
2.	अलवर	8666	9602	10589	1682
3.	बांसवाड़ा	1844	2396	3066	572
4.	बारा	1658	1318	2959	652
5.	बाड़मेर	2179	4000	4562	602
6.	भरतपुर	3716	3938	89920	1548
7.	भीलवाड़ा	8750	5515	7342	857
8.	बीकानेर	6483	6000	7258	1410
9.	बूंदी	1505	2275	2591	310

1	2	3	4	5	6
10.	चित्तौड़गढ़	3525	4703	5025	1399
11.	चूरू	4637	5500	8100	1145
12.	दौसा	1876	2669	2423	179
13.	धौलपुर	800	665	2181	734
14.	डूंगरपुर	1293	1950	2455	847
15.	हनुमानगढ़	3297	6600	8553	902
16.	जयपुर	28354	25384	24459	3298
17.	जैसलमेर	830	1300	1572	489
18.	जालौर	3078	4940	5142	767
19.	झालावाड़	1739	1321	2755	51
20.	झुन्झुनू	5202	6501	6550	744
21.	जोधपुर	12636	15022	13001	2441
22.	करौली	2114	2395	1099	252
23.	कोटा	9896	8286	7563	1002
24.	नागौर	3690	8000	11123	2388
25.	पाली	9367	7083	11001	2045
26.	राजसमंद	4018	3330	2875	763
27.	सवाई माधोपुर	2128	3098	2609	817
28.	सीकर	4926	6505	8508	489
29.	सिरोही	3995	3570	3867	506
30.	श्रीगंगानगर	8603	9916	10408	876
31.	टोंक	1931	2451	2600	209
32.	उदयपुर	4503	7671	10638	2056
	कुल	171445	182395	216886	33857

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाएं

5033. **श्री प्रकाश वी. पाटील:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इसकी शुरूआत किये जाने के समय से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) में कितनी परियोजनाएं शामिल की गई हैं;

(ख) नौवीं योजना के दौरान पूरी किये जाने के लिए राज्यों में कितनी परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी परियोजनाएं पूरी की गई अथवा किए जाने की संभावना है;

(ग) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी निधियां जारी की गई;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा समय पर ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) वर्ष 1996-97 में इस कार्यक्रम की शुरूआत से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 140 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 18 परियोजनाएं पूरी कर ली गई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत आज तक जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) संबंधी दिशा-निर्देश में इस कार्यक्रम के तहत शामिल वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने की योजना है। 500 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाओं को 2 वर्ष में पूरा किया जाना है।

विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आज तक जारी केन्द्रीय ऋण सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	375.025
2.	अरूणाचल प्रदेश	15.00
3.	असम	70.197
4.	बिहार	332.970
5.	झारखण्ड	43.925
6.	गोवा	70.400
7.	गुजरात	1592.623
8.	हरियाणा	44.500
9.	हिमाचल प्रदेश	40.562
10.	जम्मू व कश्मीर	16.440
11.	कर्नाटक	574.390
12.	केरल	41.150
13.	मध्य प्रदेश	536.153
14.	छत्तीसगढ़	38.450
15.	महाराष्ट्र	277.105
16.	मणिपुर	64.390
17.	मेघालय	8.206
18.	मिजोरम	2.866
19.	नागालैंड	7.730
20.	उड़ीसा	395.520
21.	पंजाब	315.120
22.	राजस्थान	423.497
23.	सिक्किम	1.360
24.	तमिलनाडु	20.00
25.	त्रिपुरा	61.384
26.	उत्तर प्रदेश	827.350
27.	उत्तरांचल	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	86.825
	कुल	6283.1368

दमन और दीव में कोस्टल रेगुलेशन जोन

5034. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या एस.ओ. 114 (ई) दिनांक 19 फरवरी, 1991 के द्वारा कुछ तटीय क्षेत्र को कास्टल रेगुलेशन जोन के रूप में घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत अनेक वर्षों के अध्ययन से पता चला है कि दमन और दीव के दमन जिले में कोई स्थान भी ज्वारभाटा से प्रभावित नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त अधिसूचना दमन जिले पर लागू न हो, के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ग) केन्द्र सरकार ने 19 फरवरी, 1991 की एस.ओ. संख्या 114 (ई) के अनुसार तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना जारी की थी जिसमें हाई टाईड लाईन से भूमि की ओर के 500 मीटर क्षेत्र को तटीय क्षेत्र और हाई टाईड लाईन से लो टाईड लाईन के बीच की भूमि को, पूरे देश के लिए जिसमें दमन एवं दीव शामिल है, तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया है।

(ख) केन्द्र सरकार को दमन और दीव के दमन जिले में ज्वारीय प्रभाव के बारे में किसी प्रकार के अध्ययन की कोई जानकारी नहीं है। तथापि दमन के लिए अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के अनुसार कोलक, दमन गंगा और कलाई नदियों से सटे तटीय विनियमन क्षेत्र पर भूमि की ओर ज्वारीय प्रभाव हाईटाईड लाईन या नदी की चौड़ाई इनमें से जो भी कम हो, 100 मीटर तक होता है।

[हिन्दी]

टेलीफोन सलाहकार समिति

5035. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टेलीफोन सलाहकार समिति (टीएसी) के गठन हेतु क्या मानदण्ड/दिशानिर्देश हैं;

(ख) क्या टीएसी के सदस्यों के नामनिर्दिष्ट करने संबंधी संसद सदस्यों के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) प्रत्येक दूरसंचार जिले के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन, टेलीफोन सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधियों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व देते हुए किया जाता है जिसकी अध्यक्षता कनिष्ठ प्रशसानिक ग्रेड (जे ए जी) तथा इससे उपर के रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती है। इसके अलावा, टी.ए.सी. का गठन, उत्तर प्रदेश को छोड़कर जहां एक-एक जोनल टीएसी देहरादून, लखनऊ और वाराणसी में काम कर रही है, प्रत्येक दूरसंचार सर्किल और संघ शासित क्षेत्र के लिए भी किया जाता है। टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन, विभिन्न स्रोतों अर्थात् केन्द्रीय मंत्रियों, विधायकों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अभ्यावेदनों तथा सिफारिशों और माननीय सांसदों से प्राप्त अनुरोधों सहित दूरसंचार आयोग मुख्यालय में सीधे प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद निर्धारित श्रेणियों में माननीय संचार मंत्री द्वारा विभिन्न विभिन्न टेलीफोन सलाहकार समितियों के लिए सदस्यों को नामित करने के बाद किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो सिस्टम

5036. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मल्टी एक्सेस रूरल रेडियों (एम.ए.आर.आर.) सिस्टम को ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए चुना गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या 980 करोड़ रुपए से अधिक का परिव्यय एम.ए.आर.आर. सिस्टम के क्रियान्वयन हेतु रखा गया था;

(ग) क्या 22 करोड़ रुपए के एम.ए.आर.आर. उपकरण/अन्य कलपुर्जे भंडारों में फालतू और अनुप्रयोज्य पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस प्रणाली के अंतर्गत कितने गावों को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है और राज्य-वार अब तक इस सुविधा को कितने गांवों में उपलब्ध कराया गया है;

(च) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एम.ए.आर.आर. सिस्टम के चयन पर गम्भीर टिप्पणी की थी क्योंकि इसे तकनीकी रूप से खामीयुक्त पाया गया था; और

(छ) यदि हां, तो एम.ए.आर.आर. के स्थान पर अन्य कौन से विकल्प उपयोग में लाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सोलापुर के पास बाईपास का निर्माण

5037. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग-9 और 13 को सोलापुर शहर के इर्द-गिर्द बाई पास से मोड़ने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) रा.रा. 9 और 13 के बीच सोलापुर बाइपास के लिए साध्यता अध्ययन को 1999 में स्वीकृति दी गई थी। तथापि, राज्य सरकार ने अब रा.रा. 9 और 13 को जोड़ने वाले मौजूदा राज्यीय राजमार्ग में सुधार किए जाने के लिए प्रस्ताव किया है ताकि वह राज्य सरकार की बी ओ टी परियोजना के रूप में सोलापुर बाइपास का काम कर सके।

(ग) इस मंत्रालय में बाइपास के निर्माण के लिए किसी प्राक्कलन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

पोर्टब्लेयर-कोलकाता-पोर्टब्लेयर सेक्टर में विमान किराए में वृद्धि

5038. श्री विष्णु पद राय: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोर्टब्लेयर-कोलकाता-पोर्टब्लेयर सेक्टर में विमान किराए में हाल ही में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पोर्टब्लेयर-चेन्नई-पोर्टब्लेयर सेक्टर में भी विमान किराए में वृद्धि की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पोर्टब्लेयर-कोलकाता-पोर्टब्लेयर और पोर्टब्लेयर-चेन्नई कोलकाता सेक्टर में विमान किराया पूर्वोत्तर की तुलना में अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन उद्योग पर प्रभाव पड़ा है जो राजस्व का एकमात्र स्रोत है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विमान किराए में 15 प्रतिशत को वापस लेने पर विचार कर रही है जैसा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया गया था; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) दिनांक 25 जुलाई, 2001 से अंतर्देशीय विमान यात्रा कर (आई.ए.टी.टी.) और यात्री सेवा शुल्क (पी.एस.एफ.) सहित कोलकाता-पोर्टब्लेयर सेक्टर के किराए फ्लेक्सी किराया नीति के भाग के रूप में 5925/- रुपए से बढ़ाकर 6785/- रुपए कर दिया गया है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज दोनों चेन्नई तथा पोर्टब्लेयर के बीच विमान प्रचालित करते हैं तथा आई.ए.टी.टी. और पी.एस.एफ. सहित अभी भी 5995/- रुपए किराया ले रही है। दिनांक 25.5.2001 से भी इस किराए में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(घ) से (छ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत पहले से ही इंडियन एयरलाइंस दूसरी एयरलाइनों की तुलना में कम किराया ले रही है। पोर्टब्लेयर से आने वाले अथवा पोर्टब्लेयर तक जाने वाले वायुयानों का किराया भारत के बाकी भागों के लिए लागू किराए के पैटर्न पर ही है। लगभग साढ़े तीन वर्षों के बाद पोर्टब्लेयर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के किराए में वृद्धि की गई है। इंडियन एयरलाइंस के किराए वृद्धि के कारण पर्यटन पर पड़ने वाले अनुकूल प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया चूंकि विमान यात्रा पर्यटन पर असर डालने वाले कई कारकों में से एक कारक है।

उड़ीसा में बाढ़ों से प्रभावित सिंचाई परियोजनाएं

5039. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में हाल की बाढ़ों से कितनी सिंचाई परियोजनाएं प्रभावित हुई;

(ख) इससे सिंचाई परियोजनाओं को कितनी क्षति हुई; और

(ग) इन सिंचाई परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) उड़ीसा सरकार के अनुसार हाल में आई बाढ़ों से 7 वृहद और 11 मध्यम परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं।

(ख) नहर तटबंध में 1165 स्थानों पर दरारें आई हैं। 1.75 लाख हैक्टेयर "अयाकट" प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, नदी और लवणीय तटबंध में 693 स्थानों पर दरारें आई हैं।

(ग) उड़ीसा सरकार का यह अनुमान है कि दरारों की मरम्मत करने के लिए 27.15 करोड़ रुपये और बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत करने में 278.55 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।

स्पीड पोस्ट की सुपुर्दगी में विलम्ब

5040. **श्री वीरेन्द्र कुमार**: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्पीड पोस्ट की सुपुर्दगी में होने वाले अत्यधिक विलम्ब की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) देश में स्पीड पोस्ट केन्द्रों के कम्प्यूटरीकरण में कितनी प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) स्पीड पोस्ट सेवा की वितरण संबंधी दक्षता को निरन्तर और नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है ताकि समय पर वितरित मदों की संख्या तथा विलंब के कारण यदि कोई हों, तो उनका पता लग सके। यदि किसी विभागीय कर्मचारी की ओर से लापरवाही बरतने के कारण देरी होती है तो उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। एक सौ बीस (120) राष्ट्रीय स्पीड केन्द्रों में से एक सौ सोलह (116) केन्द्रों पर कम्प्यूटरों की व्यवस्था की जा चुकी हैं।

बाल श्रम योजना को वित्तीय सहायता

5041. **श्री जी.एम. बनातवाला**: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न बाल श्रम योजनाएं किस-किस तारीख को शुरू की गई;

(ख) एन.सी.एल.पी. योजना के तहत कितने विशेष विद्यालयों को मान्यता दी गई है और राज्य-वार कितने विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने और परियोजना/योजना के तहत अनुदान जारी करने संबंधी कोई आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) भारत सरकार कार्य से निकाले गए बच्चों के लाभ के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम और सहायता अनुदान स्कीम नामक दो योजनाएं चला रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम और सहायता अनुदान स्कीम क्रमश: 1988 और 1981-82 में शुरू की गई थी। अभी तक काम से निकाले गए लगभग 2.10 लाख बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 13 बाल श्रम बहुल राज्यों में 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। मंजूर किए गए विशेष स्कूलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत संस्तुत जिले से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की जाती है। कितने विशेष स्कूलों/केन्द्रों को मंजूरी प्रदान की जाएगी यह सर्वेक्षण के दौरान पहचाने गए परियोजना प्रस्ताव में दर्शायी गए बाल श्रमिकों की संख्या पर निर्भर करता है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिला कलैक्टर की अगुवाई में परियोजना सोसाइटी की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या	मंजूर किए गए स्कूलों/केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	982
2.	बिहार और झारखंड	8	194
3.	कर्नाटक	5	190
4.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	8	237
5.	महाराष्ट्र	2	74
6.	उड़ीसा	18	614
7.	राजस्थान	6	180
8.	तमिलनाडु	9	425
9.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	11	470
10.	पश्चिम बंगाल	8	347
11.	पंजाब	3	107
	योग	100	3820

पुट्टापार्थी तक सीधी उड़ान-सेवा शुरू किया जाना

5042. श्री राजैया मल्याला: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने पुट्टापार्थी को एक सीधी नई उड़ान सेवा से जोड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुट्टापार्थी के लिए अन्य क्या अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस मुम्बई-पुट्टापार्थी-मुम्बई सेक्टर पर सप्ताह में दो बार ए-320 सेवाओं का प्रचालन कर रही है।

(ग) पुट्टापार्थी हवाई अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज (वीओआर) को लगाने की योजना बनाई है जो कि नेवीगेशन और लैंडिंग उद्देश्य के लिए एक अतिरिक्त सुविधा है।

महाराष्ट्र में सड़क परियोजनायें

5043. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृति के लिए कोई सड़क परियोजनायें पेश की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख में स्वीकृत/लंबित/अस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान परियोजनावार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ङ) परियोजनाओं को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं; और

(च) लंबित परियोजनाओं को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) गत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य के लिए वार्षिक योजना में शामिल और स्वीकृत प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

वर्ष	वार्षिक योजना		स्वीकृत प्रस्ताव	
	संख्या	राशि (करोड़ रु.)	संख्या	राशि (करोड़ रु.)
1998-1999	111	85	95	78.05
1999-2000	130	149.35	97	109.23
2000-2001	69	91.26	58	85.32

(घ) राज्यों को परियोजनावार सहायता नहीं दी जाती है। धनराशि राज्यवार आबंटित की जाती है। गत तीन वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और विदेशी सहायता के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि इस प्रकार है:

1998-99	113.82 करोड़ रु.
1999-2000	218.02 करोड़ रु.
2000-2001	214.66 करोड़ रु.

(ङ) प्रस्तावों को तकनीकी त्रुटि, धनराशि की सीमा और सड़क में सुधार करने की उच्च प्राथमिकता के कारण स्वीकृति नहीं दी गई और उन्हें लौटा दिया गया।

(च) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नए प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजना के आधार पर प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

बाल श्रम

5044. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रशिक्षण देने और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जेट एयरवेज द्वारा टिकटों का बदला जाना

5045. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की एयरलाइनें विशेषकर जेट एयरवेज, बिजनेस क्लास के लिए बुक की गई टिकटों को उड़ान की तारीख से ठीक पहले इकानामी क्लास में बदल देते हैं जिसके कारण यात्रियों को अनेक असुविधाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जेट एयरवेज से सम्बन्धित ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) एक निर्धारित सीमा तक टिकटों की ओवर-बुकिंग, एयरलाइन व्यवसाय में विश्वव्यापी स्वीकार्य उद्योग कार्यविधि है जिससे इष्टतम क्षमता उपयोगिता को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार की स्थिति में, कई बार जहां तक यात्री की यात्रा का संबंध है, श्रेणी के अनुसार अंतिम समय तक परिवर्तन होता रहता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, जेट एयरवेज ने बिजनेस श्रेणी में आफर की गई कुल क्षमता के 0.05 प्रतिशत टिकटों को डाउनग्रेड किया जबकि सहारा एयरलाइंस में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तथापि, इस संबंध में और अधिक ब्यौरे सभी अनुसूचित आपरेटरों से एकत्र किए जा रहे हैं।

औद्योगिक कामगारों की मजदूरी

5046. श्री बलराम सिंह यादव: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2001 से सी.सी.आई. के कर्मचारियों को वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.सी.आई. के कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन के भुगतान के लिए बजट में प्रावधान किये गये थे;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शीघ्र भुगतान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) भारतीय सीमेंट निगम एक रुग्ण कंपनी है जिसे बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित किया गया है। अत्यधिक भुगतान अदायंगी और संचित हानियों के कारण भारतीय सीमेंट निगम के कर्मचारियों को मार्च, 2001 से मजदूरी और वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी और वेतन के भुगतान को प्रारंभिक उत्तरदायित्व कंपनी का है। तथापि, सरकार भारतीय सीमेंट निगम को इसके कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी का भुगतान करने के लिए अपने बजटीय दबावों के भीतर गैर-प्लान सहायता देती रही है। निधियों के पुनर्विनियोजन के माध्यम से वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए 2000-2001 के दौरान 41.40 करोड़ रु. और 2001-2002 के दौरान 6.33 करोड़ रु. की राशि जारी की गयी है।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में मित्सुबिशी द्वारा निवेश

5047. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दूरसंचार के क्षेत्र में मित्सुबिशी द्वारा कितना निवेश किया गया है;

(ख) वर्तमान में मित्सुबिशी के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र खुले हुए हैं; और

(ग) इनमें से मुम्बई और बेंगलूर में कितने स्थापित हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मित्सुबिशी ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र में अब तक कोई निवेश नहीं किया है।

(ख) और (ग) दूरसंचार क्षेत्र के लिए इस प्रकार की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

भारत को विमानों के लिए रूसी सरकार की पेशकश

5048. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूसी सरकार ने भारत में घरेलू उड़ान के एयरबस और बोइंग विमान की जगह अन्य विमानों के परिचालन के लिए अपने देश में निर्मित टुपोलेव और चार इंजनों वाले इलिशिन-96 जैसे कुछ विमान भारत को देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन विमानों के सुरक्षा संबंधी व अन्य पहलुओं की पूरी तरह और अपने ढंग से जांच-पड़ताल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) फरवरी, 1999 में, नागर विमानन मंत्रालय ने भारत में रशियन फेडेरेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार आयुक्त से प्राप्त एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें इंडियन एयरलाइंस के लिए टी.यू.-204 तथा आई.एल.-96 विमान समेत रूसी विमानों की आफरिंग की गई थी। इन विमानों के बारे में इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपेक्षित सूचना संबंधी ब्यौरे दिनांक 15.3.1999 को मै. एविए एक्सपोर्ट की टीम को दिए गए थे जो रूसी विमान निर्माताओं के हित का प्रतिनिधित्व करती है। रूसी निर्मित विमानों के बारे में प्रारंभिक सूचना अप्रैल, 1999 में इंडियन एयरलाइंस को मुहैया की गई थी। तथापि, तकनीकी मूल्यांकन हेतु इंडियन एयरलाइंस द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना/आंकड़े रूसी प्राधिकारियों द्वारा मुहैया नहीं किए गए थे। बाद में, 31 जुलाई, 2000 को मै. सिरोक्को एयरोस्पेस इंटरनेशनल ने इंडियन एयरलाइंस से टेंडर दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया था ताकि इसे टीयू-204 विमानों के प्रस्ताव करने में सहायता मिल सके। तकनीकी मूल्यांकन संबंधी अपेक्षित सूचना/आंकड़े की अनुपलब्धता और तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन की उच्च स्थिति को देखते हुए, बी-737 तथा ए-300 विमानों के बेड़े की प्रतिस्थापना के साथ-साथ क्षमता के संवर्धन करने के लिए, इंडियन एयरलाइंस द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वह मै. सिरोक्को एयरोस्पेस इंटरनेशनल के प्रस्ताव का जवाब न दे।

डाकघरों को समेकित नागरिक सेवा केन्द्रों में बदला जाना

5049. श्री सुबोध मोहिते: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने डाकघरों को समेकित नागरिक सेवा केन्द्रों में बदलने की रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बेहतर डाक सेवाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) डाक विभाग सेवाओं की गुणवत्ता की बारीकी से मानीटरिंग करता रहा है तथा और अधिक कारगर प्रबंधन व नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सुधार लाने के सभी प्रयास कर रहा है जिनमें बचत बैंक संबंधी कार्यों सहित काउंटर सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण, वी-सेट के माध्यम से मनीआर्डरों का पारेषण, शिकायतों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्रों की स्थापना, कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण केन्द्रों आदि की स्थापना शामिल है। यह पता लगाने के लिए कि क्या डाक निर्धारित मानदण्डों के अंतर्गत वितरित होती है, आवधिक लाइव मेल सर्वेक्षण किए जाते हैं।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों की मांग

5050. श्री रामदास आठवले:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा सहित कुछ देशों ने अपने उत्पादन उद्योग के लिए भारत से श्रमिकों के आयात में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार के पास देशवार कितने आवेदन आए, कितने मंजूर हुए और कितने लंबित पड़े हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार की नीति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रमिक-निर्यात की वर्तमान प्रणाली क्या है;

(ङ) श्रमिक निर्यात में राज्यवार कितनी पंजीकृत एजेंसियां शामिल हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख में इन एजेंसियों के माध्यम से राज्यवार और वर्षवार कितने लोग विदेश भेजे गए;

(छ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जिन कार्यकुशलता के ट्रेडों/क्षेत्रों में श्रमिकों की मांग की गई है, उनका देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन देशों को कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों के निर्यात के लिए देशवार क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ज) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 विदेश में भारतीय श्रमिकों के ठेका आधार पर नियोजन का विनियमन करता है। इस अधिनियम के अनुसार, श्रम मंत्रालय के पास पंजीकृत भर्ती एजेंसियां ही विदेशों में नियोजन के लिए भर्ती कर सकती हैं। सरकार भर्ती कार्य से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं होती। विदेशों में रोजगार के लिए 17 श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उत्प्रवास जांच कराना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, कनाडा सहित 50 देशों के लिए उत्प्रवास कराना आवश्यक नहीं है। पंजीकृत भर्ती एजेंसियों की राज्यवार संख्या विवरण-I में तथा एजेंसियों द्वारा रोजगार के लिए भेजे गए व्यक्तियों की संख्या विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

राज्य	वर्ष के दौरान		
	1998	1999	2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	30,599	18,983	29,299
असम	513	24	–
बिहार	14,569	5,866	6,726
गुजरात	8,528	3,956	5,722
गोवा	945	543	1,331
हरियाणा	1,692	288	52
हिमाचल प्रदेश	207	130	214
जम्मू और कश्मीर	769	262	35
कर्नाटक	11,535	5,287	10,927
केरल	91,720	60,445	69,630
मध्य प्रदेश	6,429	904	1,746
महाराष्ट्र	24,657	9,871	13,346
उड़ीसा	2,079	549	573
पंजाब	26,876	15,167	10,025
राजस्थान	19,824	9,809	10,170
तमिलनाडु	69,793	47,402	63,878
त्रिपुरा	1	14	
उत्तर प्रदेश	33,728	11,789	9,157
पश्चिम बंगाल	3,765	1,559	1,940
दिल्ली	5,535	3,569	3,165
पांडिचेरी	285	180	35
सिक्किम	1	12	2
चंडीगढ़	78	872	2045
अन्य	1,236	2,071	2,164

विवरण-II

राज्य	भर्ती करने वाली पंजीकृत एजेंसियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	36
गुजरात	10
गोवा	13
हरियाणा	05
हिमाचल प्रदेश	02
जम्मू और कश्मीर	01
कर्नाटक	17
केरल	145
महाराष्ट्र	480
उड़ीसा	01
पंजाब	26
राजस्थान	15
तमिलनाडु	163
उत्तर प्रदेश	05
पश्चिम बंगाल	04
दिल्ली	207
चंडीगढ़	21

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

5051. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आई.टी.सी.) को, विशेषकर केरल में, खोलने के कई आवेदन सरकार के पास गत तीन वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन्हें कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की स्थापना एवं उनकी समुचित संख्या के अनुमोदन के संबंध में सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उनकी आवश्यकतानुरूप निर्णय लिया जाता है। श्रम मंत्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं।

केरल राज्य सरकार से प्राप्त सूचनानुसार नवम्बर, 2000 में प्राप्त 146 आवेदनों में से 9 आवेदन उनके पास लंबित हैं तथा संबंधन से पूर्व निरीक्षण की प्रक्रियाधीन हैं।

नवम्बर, 2000 में प्राप्त ऊपर उल्लिखित 9 आवेदनों के अतिरिक्त, केरल राज्य सरकार के पास वर्ष 1997-2000 की अवधि के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को आरंभ करने संबंधी कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ग) और (घ) ऊपर प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं।

[हिन्दी]

सुजान गंगा नदी परियोजना

5052. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में भरतपुर की सुजान गंगा नदी परियोजना अब भी पूरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) राजस्थान सरकार से तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए सुजान गंगा नदी परियोजना का कोई परियोजना

प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार के अनुसार, सुजान गंगा, भरतपुर जिले चारों ओर की भीतरी खाई में है। किले की भीतरी दीवारों की मरम्मत, सुजान गंगा पानी को बाहर निकालना, गाद हटाना और इनलेट चैनल की सफाई आदि के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। जल, राज्य का विषय होने के कारण, ऐसी सभी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और क्रियान्वयन मुख्यत: राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

नई दूरसंचार नीति, 1999

5053. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों व इसके संबंध में अब तक हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): नागरिकों को वहनीय एवं संचार के प्रभावी साधन उपलब्ध कराना हमारा संकल्प और दूरसंचार नीति का लक्ष्य है। नई दूरसंचार नीति-1999 के मुख्य लक्ष्य एवं अब तक की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2
* वर्ष 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना और बाद में भी इसे कायम रखना ताकि वर्ष 2005 तक 7 का और वर्ष 2010 तक 15 का टेली-घनत्व के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।	इस समय टेली-घनत्व 3.65 है और वर्ष 2005 तक 7.5 और वर्ष 2010 तक 17.8 तक पहुंचने की आशा है।
* ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को बढ़ावा देना और उपयुक्त टैरिफ संरचना के जरिए दूरसंचार सुविधा को वहनीय बनाना।	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टैरिफ कम कर दिया गया है।
* वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेली-घनत्व को 0.4 के वर्तमान स्तर से 4 तक बढ़ाना।	इस समय ग्रामीण टेली-घनत्व 0.93 है और वर्ष 2010 तक इसके 4.93 तक पहुंचने की आशा है।
* वर्ष 2002 तक देश के सभी गांवों में दूरसंचार सुविधा देने के लक्ष्य को प्राप्त करना और सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय मीडिया प्रदान कराना।	30.6.2001 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण पंचायत टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं।
* वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों को इंटरनेट अभिगम्यता प्रदान करना।	सभी जिला मुख्यालयों को इन्टरनेट अभिगम्यता प्रदान की गई है।
* वर्ष 2002 तक 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों को आईएसडीएन सहित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके द्रुतगामी डाटा और बहु-मीडिया क्षमता उपलब्ध कराना।	भारत संचार निगम लि. आई.एस.डी.एन. के जरिए बहुमीडियां क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहा है। 30.6.2001 तक 303 शहरों में आईएसडीएन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
* समयबद्ध रूप से दूरसंचार क्षेत्र को व्यापक प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में ढालना।	दूरसंचार क्षेत्र को व्यापक प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में लाने के लिए, सेल्यूलर टेलीफोन मोबाइल सेवा, बुनियादी टेलीफोन सेवा, वी-सैट सेवाएं इन्टरनेट सेवाएं, रेडियो पेजिंग सेवाएं, राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालन, अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I और II, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा, ग्लोबल मोबाइल वैयक्तिक संचार सेवा, वायस मेल सेवा आदि को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया है।

1	2
* दूरसंचार विभाग का पुनर्गठन	बी.एस.एन.एल. ने दिनांक 1 अक्तूबर, 2000 से अपना प्रचालन कार्य शुरू कर दिया है।
* विनियामक की भूमिका	टी.आर.ए.आई. को सुदृढ़ बनाते हुए इसकी भूमिका स्पष्ट कर दी गई थी। दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) का गठन किया गया था।

मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी जांच सुविधाएं

5054. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ्रो-एशियन खेल के दौरान ओलंपिक काउंसिल आफ एशिया मेडिकल कमीशन द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी जांच सुविधाओं को दिल्ली में उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जर्मनी की सहायता से दिल्ली में मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी जांच केन्द्र को स्थायी रूप से मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई.ओ.सी.) दिल्ली में डोप नियंत्रण प्रयोगशाला को अस्थायी मान्यता प्रदान करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गयी है।

(ग) और (घ) भारतीय खेल प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता प्राप्त जर्मन प्रयोगशाला, क्रैशा से एफ्रो-एशियाई खेलों के दौरान डोप परीक्षण करने के लिए अस्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु सहायता के लिए अनुरोध कर रहा है।

भावनगर हवाई अड्डे पर रात्रि को विमान उतारने की सुविधा

5055. श्री राजू राणा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भावनगर (गुजरात) में रात्रि को विमान उतारने की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भावनगर हवाई अड्डे से रात्रि प्रचालनों के लिए अपेक्षित मात्रा में धावनपथ प्रकाश और अप्रोच प्रकाश व्यवस्था की है। तथापि, इस हवाई अड्डे से रात्रि प्रचालनों के लिए कोई मांग नहीं की गई है। इसलिए फिटिंग इत्यादि हटा ली गई है और इसे सुरक्षित स्थान पर रखा दिया गया है जिससे इसकी चोरी न हो सके। अल्प सूचना दिए जाने पर इन फिटिंग को पुन: स्थापित किया जा सकता है।

बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों के लिए मकान

5056. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 में बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों के लिए कोई मकान बनवाए हैं;

(ख) सरकार द्वारा वित्तपोषित ऐसी आवासीय कालोनियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान आंध्र प्रदेश को कितने मकान आवंटित किए गए;

(घ) कितने मकान निर्माणाधीन है;

(ङ) क्या नए क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों से सर्वेक्षण कराने के लिए डी.जी.एल.डब्ल्यू. के पास बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) सरकार बीड़ी कर्मकारों के लिए मकान नहीं बनाती। तथापि, यह "एकीकृत आवास योजना" के अन्तर्गत 20,000/- रुपये प्रति मकान की दर से या मकान निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत, जो कम हो, की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकार द्वारा जिन आवासीय इकाइयों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई उनकी राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है। जब श्रम कल्याण महानिदेशक के कार्यालय में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो "एकीकृत आवास योजना" के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि प्रदान की जाती है और यह एक सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान श्रम आयुक्त, हैदराबाद को बीड़ी कर्मकारों के लिए एकीकृत आवास योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार से दिनांक 6.8.2001 को 3035 आवासीय इकाइयों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग कर्मकारों की ओर से 1.4.2001 के बाद 30 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। श्रम कल्याण महानिदेशक का कार्यालय मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं कराता है।

विवरण

क्रम.सं.	राज्य का नाम	2000-2001 के दौरान जिन आवासीय इकाइयों को आर्थिक सहायता दी गई उनकी संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	82
2.	कर्नाटक	08
3.	केरल	137
4.	उड़ीसा	3160
5.	पश्चिम बंगाल	388
6.	असम	03
7.	त्रिपुरा	03
8.	आंध्र प्रदेश	753
9.	तमिलनाडु	171
10.	मध्य प्रदेश	शून्य
11.	महाराष्ट्र	1404

शेष राज्यों से संबंधित सूचना "शून्य" है।

दूरभाष केन्द्र

5057. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खेड़, मुल्सी और अम्बागांव क्षेत्र में कोई दूरभाष केन्द्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस क्षेत्र में दूरभाष केन्द्र खोलने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के खेड़ तहसील में 18, मुल्सी तहसील में 8 और अम्बागांव तहसील में 12 एक्सचेंज पहले से कार्य कर रहे हैं। पहले से कार्य कर रहे एक्सचेंज संबंधी ब्यौरा अनुबंध "क" में दिया गया है। भीमाशंकर (अम्बागांव तहसील) और कोल्वान (मुल्सी तहसील) में दूरभाष केन्द्र खोलने संबंधी दो और अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) भीमाशंकर और कोल्वान में नए एक्सचेंज वर्ष 2001-2002 के दौरान खोले जाएंगे।

विवरण

खेड़, मुसी और अम्बागांव तहसीलों में कार्य कर रहे एक्सचेंजों से संबंधित ब्यौरे

क्र.सं.	खेड़ तहसील	मुल्सी तहसील	अम्बागांव तहसील
1	2	3	4
1.	चाकन	शलावड़ी	अवारनी बद्रक
2.	चस्कामन	मेहरे	शादेगांव
3.	दावडी	हिंजावाडी	लोनीधामनी
4.	कादुस	मूठा	मालागांव पडवाल
5.	पाइत	पौड	मांचर
6.	राजगुरूनगर	पीरनगुड	पीरगाव
7.	शेलपिम्पलगांव	पीरनगुतोने	पतुरी
8.	वडा	माढ़	रंजनी

1	2	3	4
9.	वफगांव		शिनाली
10.	वंताली		निर्गुटगर
11.	मोरकल		लांडेवाडी
12.	कोयली		कलाम्व
13.	अलान्डी		
14.	अम्बाली		
15.	कुरकुंडी		
16.	पाली		
17.	सांगुरडी		
18.	कान्हेरसर		

[हिन्दी]

ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत राजस्थान

5058. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों में त्वरित सिंचाई लाभान्वित कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) क्रियान्वित किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) वर्ष 1996-97 में शुरू किया गया था। तब से सभी 28 राज्यों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम मानकों के अनुसार, पात्र सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई गई है।

[अनुवाद]

दूरसंचार विभाग द्वारा जारी निविदा

5059. श्री रघुनाथ झा: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने वर्ष 1997 और 1998 के दौरान पी.आई.जे.एफ. भूमिगत केबल के आबंटन के लिए पांच फर्मों को 375.85 करोड़ रु. मूल्य की निविदा जारी की है;

(ख) यदि हां, तो भाग लेने वाली फर्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने दूरसंचार विभाग से मामले की जांच करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस जांच के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) भाग ले रही फर्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) जी हां।

(घ) मसौदा लेखा-परीक्षा पैरा का उत्तर पहले ही लेखा-परीक्षा को भेजा जा चुका है। तथापि, की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी तैयार की जा रही है और जल्द ही लेखा-परीक्षा को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

क्र.सं.	बोलीदाता के नाम
1	2
1.	ए.आर.एम. लि., हैदराबाद
2.	बी.ई.ओ.एल. लि., रीवा
3.	बी.एम.एल. लि., हैदराबाद
4.	सी.एम.आई. लि., नई दिल्ली
5.	कॉटीनेंटल लि., नई दिल्ली
6.	डेल्टान केबल्स लि., नई दिल्ली
7.	फिनोलेक्स केबल्स लि., पुणे
8.	जी.ओ.सी.एल. लि., अहमदाबाद
9.	जी.आर. केबल्स लि., हैदराबाद
10.	जी.एम.टी.एल., अहमदाबाद
11.	जी.टी.सी.एल. अहमदाबाद

1	2
12.	एच.सी.एल. कोलकाता
13.	एच.टी.एल. रोहतक
14.	आई.एन.सी.ए.बी. इंडस्ट्रीज लि.,
15.	एम.पी. टेलीलिंक्स लि., ग्वालियर
16.	निक्को कार्पोरेशन लि.
17.	ओप्टेल टेलीकम्यूनिकेशंस लि., भोपाल
18.	पेरामाउंट कम्यूनिकेशंस लि.
19.	आर.पी.जी. केबल्स लि., मैसूर
20.	सुराना टेलीकाम लि., हैदराबाद
21.	स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लि.
22.	टेलीफोन केबल्स लि., चंडीगढ़
23.	तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशंस लि. चेन्नई
24.	ट्रेको केबल्स कंपनी लि.
25.	ऊषा बेल्ट्रान लि., रांची
26.	यूनीफ्लेक्स केबल्स लि., मुंबई
27.	विंध्या टेलीलिंक्स लि. रीवा

सरदार सरोवर परियोजना

5060. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने सरदार सरोवर परियोजना के लाभान्वित होने वाले राज्यों को लाभ के अनुपात में अपने-अपने हिस्से की राशि अदा करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संबंधित राज्य सरकारों ने अधिकरण के उक्त निर्णय का अनुपालन करने और अपने-अपने हिस्से की राशि अदा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इस मुद्दे पर उनके मंत्रालय को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां, नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने भागीदार राज्यों को उन्हें प्राप्त हो रहे लाभों के अनुपात में सरदार सरोवर परियोजना (एस.एस.पी.) संबंधी अपने हिस्सों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के अनुसार, पक्षकार राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के विभिन्न घटकों की लागत का हिस्सा नीचे दिया गया है:-

यूनिट	विवरण	लागतों का राज्यवार वितरण (%)			
		मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	गुजरात	राजस्थान
यूनिट-I	सिंचाई (43.9%)	-	-	41.59	2.31
बांध और अनुषंगी कार्य	विद्युत (56.1%)	31.977	15.147	8.976	-
	उप जोड़ (100%)	31.977	15.147	50.566	2.31
यूनिट-II मख्य नहर	सिंचाई (100%)	-	-	88.977	11.023
यूनिट-III जल विद्युत कार्य	विद्युत (100%)	57.00	27.00	16.00	-
समूह-IV शाखाएं और वितरणिकाएं	सिंचाई (100%)	-	-	100.00	-

(ग) कुछ विवादास्पद मदों जैसे पुनर्स्थापन और पुनर्वास, बाजार से उठाये गए ऋण पर ब्याज आदि को छोड़कर अधिकरण के निर्णय के अनुसार पक्षकार राज्य अर्थात् मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान अपने देय हिस्सों का भुगतान गुजरात को कर रहे हैं। निधियों की कमी के कारण, पक्षकार राज्य निधियां मुहैया कराने और परियोजना संबंधी वास्तविक व्यय करने में असमर्थ हैं।

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय को 26 अक्तूबर, 1999 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें पक्षकार राज्यों को उनके बकाया देयों की शीघ्रता से प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रभाव डालने और सहमत करने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से अनुरोध किया गया था। केन्द्र सरकार समय-समय पर गुजरात सरकार को सरदार सरोवर परियोजना के उनके बकाया देयों का भुगतान करने के लिए मंत्रालयी तथा अधिकारिक स्तरों पर तीन पक्षकार राज्यों पर दबाव डाल रही है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में क्रमश: 10 जनवरी, 2001 और 18 अगस्त, 2001 को आयोजित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की आठवीं और नौवीं बैठक में भी, राज्यों पर उनके बकाया देयों को निपटाने के लिए दबाव डाला गया था और राज्य सरकारों को उपायों का सुझाव भी दिया गया ताकि वे अपने संसाधन की कमी को पूरा कर सके।

जल ग्रहण क्षमता

5061. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि करने के लिए देश में नदियों, झीलों और तालाबों को गहरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जल ग्रहण क्षमता और जल भंडारण क्षमता का मौजूदा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में पानी की औसत राज्य-वार उपयोगिता क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन विकास परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन तथा वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। इसलिए राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई टैंकों को गहरा करने के लिए तथा अपनी योजना निधियों से या बाह्य वित्तीय सहायता से स्कीमें शुरू कर रही हैं।

(ग) और (घ) किसी आवाह क्षेत्र (बेसिन-उप-बेसिन) की क्षमता, आवाह क्षेत्र में वर्षापात के परिणामस्वरूप जल की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुल अपवाह जल के रूप में मानी जाती है। जल संसाधनों को बेसिन-वार आंका जाता है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आंकलनों के अनुसार देश की नदी प्रणालियों में औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.) है। वृहद एवं मध्यम बांधों के निर्माण से 1995 तक कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता 177 बी.सी.एम. सृजित की गई है। निर्माण की विभिन्न अवस्था वाले बांधों के पूरा होने पर 75 बी.सी.एम. क्षमता सृजित होने की संभावना है। 132 बी.सी.एम. सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित करने के लिए अतिरिक्त बांधों का निर्माण करने संबंधी प्रस्तावों को तैयार/विचार किया जा रहा है। देश में सतही जल का औसत उपयोग 690 बी.सी.एम. है। देश में बेसिन वार वार्षिक प्रवाह, जलाशयों की सक्रिय भण्डारण क्षमता, उपयोग योग्य सतही जल का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत में बेसिनवार जल उपलब्धता और भण्डारण

क्र.सं.	नदी बेसिन का नाम	जल ग्रहण क्षेत्र) मि. हेक्टे. में)	औसत वार्षिक प्रवाह (घन क्यू मीटर)	सक्रिय भण्डारण क्षमता (घन क्यूबिक मीटर)				
				पूरी की गई परियोजना	निर्माणाधीन योजनाएं	कुल परियोजनाएं	निर्माणाधीन परियोजनाएं	उप योज्य सतही जल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. वृहद नदी बेसिन								
1.	सिंधु	32.13	73.31	13.83	2.45	16.29	0.27	46
2.	(क) गंगा	86.15	525.02	36.84	17.12	53.96	29.56	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(ख) ब्रह्मपुत्र और बराक	23.61	585.60	1.09	2.40	3.49	63.35	24
3.	ब्राह्मणी एवं वैतरणी	5.18	28.48	4.76	0.24	5.00	8.72	18.3
4.	महानदी	14.16	66.88	8.49	5.39	13.88	9.99	50
5.	गोदावरी	31.28	110.54	19.51	10.65	30.16	8.28	76.3
6.	कृष्णा	25.89	78.12	34.48	7.78	42.25	0.13	58
7.	पेन्नार	5.52	6.32	0.38	2.13	2.51	-	6.9
8.	कावेरी	8.12	21.36	7.43	0.39	7.82	0.34	19
9.	तापी	6.51	14.88	8.53	1.01	9.54	1.99	14.5
10.	नर्मदा	9.88	45.64	6.60	16.72	23.32	0.47	14.5
11.	माही	3.48	11.02	4.75	0.36	5.11	0.02	3.1
12.	साबरमती	2.17	3.81	1.35	0.12	1.47	0.09	1.9
ख. संयुक्त (कम्पोजिट) नदी बेसिन								
1.	सुवर्णरेखा	2.92	12.37	0.66	1.65	2.31	1.59	6.8
2.	लुनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	32.19	15.10	4.31	0.58	4.89	3.15	15
3.	ताप्ती से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	5.62	113.53	10.24	2.31	12.55	1.70	24.3
4.	तापी से ताप्ती तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	5.29	87.41	7.10	2.66	9.76	0.84	11.9
5.	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां		22.52	1.63	1.45	3.08	0.86	13.1
6.	पेन्नार और कन्या कुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	10.01	1.646	1.42	0.02	1.44	-	16.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	राजस्थान में अन्तर्देशीय जल निकास क्षेत्र	6.00	नगण्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	बंगलादेश और म्यांमार में गिरने वाली लघु नदी बेसिन	3.63	31.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00
	कुल	328.40	1869.35	173.73	75.42	249.15	132.32	690

टिप्पणी:

1. केवल 10 मिलियन क्यूबिक मीटर और उससे अधिक की सक्रिय भण्डारण क्षमता वाली परियोजनाएं शामिल हैं।
2. 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम क्षमता वाली प्रत्येक मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर (लगभग) अतिरिक्त सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजन करने का अनुमान है। इस प्रकार पूर्ण परियोजनाओं में कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता लगभग 171 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी।
3. पूर्णांक करने के कारण योग बराबर नहीं हो सकता।

गैर कानूनी आप्रवास में एयरलाइन्स अधिकारियों का लिप्त होना

5062. श्री विजय गोयल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गैर-कानूनी आप्रवास रैकेट में एयरलाइन्स के अधिकारियों के लिप्त होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी लिप्तताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिकारियों को ऐसी आपराधिक गतिविधियों से अलग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इंडियन एयरलाइन्स के 12 अधिकारी और एयर इंडिया के तीन अधिकारी गैर-कानूनी आव्रजन गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इंडियन एयरलाइन्स के सभी 12 मामलों में जांच का कार्य या तो पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। एयर इंडिया के सतर्कता विभाग ने सभी तीन आरोपी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच पूरी कर ली है। तीन में से, एक कर्मचारी को सेवा से हटा दिए जाने का प्रस्ताव है। अन्य दो कर्मचारियों के मामले में विभागीय कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स अपने सतर्कता विभाग के माध्यम से इस प्रकार के गैर-कानूनी आव्रजन के रैकेट के अंतर्गत संदिग्ध कर्मचारियों के विरुद्ध लगातार निगरानी रख रहा है। एयर इंडिया भी इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से अधिकारियों को दूर करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	घटना का सार
1	2	3
	इंडियन एयरलाइन्स	
1.	श्री अनिल कुमार जयंत, उप-प्रबंधक	25.10.1998 को, श्री जयंत ने एक महिला और एक बच्चे को क्रमश: अपनी पत्नी अंजली जयंत और पुत्र ध्रुव बताते हुए उनके नाम जारी किए गए पासपोर्ट पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली के टर्मिनल-II से कनाडा की उड़ान एसी-987 से इन दोनों व्यक्तियों (उपर्युक्त महिला तथा बच्चे) के साथ मांट्रियल की यात्रा करने की कोशिश की।

1	2	3
2.	श्री डी.वी. शेठ, यातायात, अधीक्षक, अहमदाबाद	6.8.1998 को अमेरिका के लिए गैर-कानूनी आप्रवास की सुविधा उपलब्ध कराने में श्री शेठ लिप्त थे।
3.	श्री एम.यू. छतवानी, यातायात अधीक्षक, अहमदाबाद	13.5.99 को यात्रियों के अहमदाबाद से होकर अमरीका के गैर-कानूनी आप्रवास की सुविधा उपलब्ध कराने में श्री छतवानी लिप्त थे।
4.	श्री बी.पी. पटनाकर यातायात सहायक, यातायात	10.6.97 को यात्रियों के अहमदाबाद से होकर अमरीका के गैर-कानूनी आप्रवास की सुविधा उपलब्ध कराने में श्री पटनाकर लिप्त थे।
5.	श्री एस.के तिवारी, यातायात सहायक, अहमदाबाद	27.2.97 को यात्रियों के अहमदाबाद से होकर अमरीका के लिए गैर-कानूनी आप्रवास की सुविधा उपलब्ध कराने में श्री तिवारी लिप्त थे।
6.	श्री आर.वी. खड़े, वरिष्ठ चालक, मुम्बई श्री एस.आर. हुसैन वरिष्ठ सहायक (इंजी.) मुम्बई, श्रीमती नम्जा के. खान, मुख्य सहायक (इंजी.) मुम्बई श्री एस.सी. बार्वे वरिष्ठ सफाईवाला, मुम्बई श्री के.एस. पदवी, चेयर-रिकेनए, मुम्बई	13.2.2000 को ये कर्मचारी गैर-कानूनी आप्रवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जापानी वीसा के साथ पासपोर्ट के बेचने के काम में लिप्त थे।
7.	श्री बी.एस. परदेशी, आपरेटर (ग्राउण्ड सपोर्ट), मुम्बई	25.5.2001 को टोरन्टो और कनाडा के लिए गैर-कानूनी आप्रवास के सरलीकरण में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर श्री परदेशी लिप्त थे। ये कुवैत से निर्वासित किए गए थे।
8.	श्री राजिन्द्र सिंह लाधेर, यातायात अधीक्षक, **एयर इंडिया**	14.6.2001 को श्री लाधेर ने अपनी पत्नी श्रीमती योगिता लाधेर, पुत्र मयंक लाधेर और पुत्री पारूल लाधेर के नाम निर्गत पासपोर्ट पर श्रीमती परमजीत कौर और उनके दो बच्चों को क्रमश: अपनी पत्नी और बच्चे बताते हुए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली के टर्मिनल-II से एयर फ्रांस की उड़ान से कनाडा जाने की कोशिश की।
9.	श्री सी.आर. बख्शी वाणिज्यिक प्रबंधक और श्री बरात चतुर्वेदी, यात्री विक्रय प्रबंधक	ये दोनों अधिकारी गैर-अनुमत यात्रियों को पेरिस ले जाने के कार्य में मेसर्स हंस एयर को गलत ढंग से सहायता पहुंचाने में लिप्त थे।
10.	श्री शोएब शमशेर खान, उपभोक्ता सेवा पर्यवेक्षक, मुम्बई हवाई अड्डा कार्गो	दो गैर-अनुमत महिला यात्री जो जाली पासपोर्ट के आधार पर तथा स्वयं को श्रीमती प्रभा वी, शिन्डे और सुश्री शिल्पा भाटिया बताते हुए, कोरिया एयर के हवाई दस्तावेजों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका जाना चाहती थी, उनको सहायता करने में श्री खान लिप्त थे।

परंपरागत जल संसाधन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम

5063. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में परंपरागत जल संसाधनों को पुन: क्षमता सम्पन्न बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कुछ राज्यों में उक्त कार्यक्रम का घटनास्थल अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों में उक्त कार्यक्रम को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(च) राज्य सरकारों को इसके कार्यान्वयन के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जल, राज्य का विषय होने के कारण परम्परागत जल संसाधनों को पुन: अपनाए जाने के साथ-साथ अपने संसाधनों से जल संसाधन विकास संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और उनके क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। भारत सरकार, राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.), और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.)- ग्रामीण पेय जल घटक जिसमें अन्य घटकों के साथ-साथ जल संसाधनों की पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन संबंधी एक उप-घटक भी शामिल है, के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन कार्यक्रम केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने भी विभिन्न राज्यों में 136 स्थानों पर भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रायोगिक अध्ययन प्रारंभ कर दिए हैं। इन अध्ययनों में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के तकनीकी दिशा-निर्देश के तहत परिस्रवण टैंकों, चेक बांधों, गैबियन संरचनाओं, पुनर्भरण शाफ्टों, छत के वर्षा जल के संचयन जैसी जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना

5064. **प्रो. आर.आर. प्रमाणिक:**
श्री सुरेश कुरूप:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 2001 को 'द हिन्दू' में "टाइम फार इमबाइबिंग रोड सेफ्टी कल्चर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी वाहन चालकों की कुशलता के उन्नयन के अलावा, विशेषज्ञों, स्वयंसेवी संगठनों और जनता को इसमें शामिल करना आवश्यक हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) यह समाचार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के दिनांक 21.6.2001 को आयोजित छठीं बैठक से संबंधित है जिसमें मोटर वाहनों के अनुचित रख-रखाव अथवा ड्राइवरों की गलती के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की भारी संख्या पर चिंता व्यक्त की गई थी। इस समाचार में यह भी उल्लेख किया गया है कि गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम का दायरा बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार स्कीम स्थापित की गई है।

(ग) और (घ) किए गए उपाय उस प्रकार हैं:-

(1) कमियां दूर करने के लिए भारी वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है।

(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार व्यावसायिक वाहनों के लिए वार्षिक उपयुक्तता प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार अधिक भार लदान पर प्रतिबंध लगाना है।

(4) बहुधुरीय वाहनों के लिए मिश्रित करों में राज्य सरकार 25% रियायत प्रदान करेंगी ताकि इससे अपेक्षाकृत भारी माल की ढुलाई संभव होगी और सड़कों की क्षति होने में कमी आएगी।

(5) जनता में जागरूकता लाने के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करना।

(6) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत सन् 2000-2001 से राज्य एजेंसियों के साथ-साथ स्वैच्छिक संगठनों पर भी विचार किया जाता है।

(7) मड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया गया है।

(8) स्कूली बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा संबंधी अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।

(9) प्रत्येक वर्ष के प्रथम सप्ताह में देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

[हिन्दी]

प्रक्षालकों में फॉस्फेट तत्व में कमी करना

5065. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रक्षालकों में अधिक मात्रा में फॉस्फेट होता है जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो प्रक्षालकों में फॉस्फेट तत्व को कम करने के आदेश जारी किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) अपमार्जकों में फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट की अधिक मात्रा से जल निकाय में सुपोषण होता है और इससे जलीय जीवन प्रभावित होता है।

(ख) से (घ) इको-मार्क स्कीम के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1992 में अपमार्जकों में फास्फेट तत्व कम करने के मानदण्ड अधिसूचित किए हैं। मानदण्ड में यह भी निर्धारित है कि अपमार्जकों में पृष्ठ सक्रियक (सरफेक्टेन्टस) कम से कम 97% जैव अवक्रमणीय होने चाहिए। अपमार्जक विनिर्माण उद्योगों को इन उद्योगों से उत्पन्न हुए अपशिष्ट जल का निपटान करने से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के विभिन्न उपबन्धों का पालन भी अपेक्षित है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के रिक्त पदों का भरा जाना

5066. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का विचार मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित सभी पदों का भरने का है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत कितने पद अब भी रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षित पदों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) इस समय मंत्रालय सहित इनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल 195 अनुसूचित जाति, 330 अनुसूचित जनजाति तथा 1781 अन्य पिछड़े वर्ग के पद रिक्त हैं।

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सरप्लस सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रोजगार कार्यालय के माध्यम से कुछ पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके

अतिरिक्त, आप्रेशनल (तकनीकी) पदों, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड तथा होटल कारपोरेशन आफ इंडिया आदि में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है। जब रोक हटा ली जाएगी तो इन रिक्तियों को भरने के कदम उठाये जाएंगे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बाघ परियोजनाओं में बाघों की मौत

5067. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक राष्ट्रीय बाघ परियोजनाओं में हुई बाघों और उनके शावकों की मृत्यु का ब्यौरा क्या है और परियोजनावार इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान नागपुर से बाघों की खालों और हड्डियों की तस्करी से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या मंत्रालय/विभाग का कोई अधिकारी बाघों की तस्करी में लिप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान आज तक बाघ रिजर्व में बाघों की मृत्यु का ब्यौरा तथा इनकी मृत्यु के कारण विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मार्च, 2000 माह में बाघ की खालों और हड्डियों की तस्करी के बारे में मामलों का पता लगाया है और 6 कि.ग्रा. बाघ की हड्डियों सहित बाघ की एक और तेन्दुए की 4 खालें जब्त की हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने इस संबंध में एक मामला दायर किया है।

(घ) केन्द्र सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बाघों की मौत 1998

क्र.सं.	राज्य	तिथि	संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	तिरूनेलवेली (तमिलनाडु)	21.1.98	1	चोरी छिपे शिकार
2.	दुधवा	1.1.98	3 कब	जहर देकर
3.	तराई पश्चिम वन प्रभाग	31.1.98	1	प्राकृतिक मौत
4.	सरिस्का	10.3.98	1	प्राकृतिक मौत
5.	कान्हा बाघ रिजर्व	3.4.98	1	स्वाभाविक मौत
6.	पेंच बाघ रिजर्व	6.4.98	1	बिजली लगने से मौत
7.	सेओनी	11.5.98	1	बिजली लगने से मौत
8.	कान्हा बाघ रिजर्व	14.6.98	1	स्वाभाविक मौत
9.	शिवपुरी	17.7.98	1	स्वाभाविक मौत
10.	पेंच बाघ रिजर्व	5.11.98	1	बिजली लगने से मौत

1	2	3	4	5
11.	दुधवा बाघ रिजर्व, उत्तर प्रदेश	14.4.98	1	स्वाभाविक मौत
12.	महाराष्ट्र, चंचदरापुर दिव.	18.5.98	1	स्वाभाविक मौत
13.	मेलघाट बाघ रिजर्व	3.6.98	1	स्वाभाविक मौत
14.	मेलघाट बाघ रिजर्व	19.698	1	स्वाभाविक मौत
15.	मेलघाट बाघ रिजर्व	26.6.98	1	स्वाभाविक मौत
16.	प. बंगाल सुन्दरबन बाघ रिजर्व	29.8.98	1	चोरी छिपे शिकार
17.	राजस्थान रणथम्बौर	3.8.98	1	स्वाभाविक मौत
18.	सरिस्का बाघ रिजर्व	10.3.98	1	स्वाभाविक मौत
19.	नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व	31.7.98	1	स्वाभाविक मौत
20.	कर्नाटक गुंडेलपेट	26.4.98	1	स्वाभाविक मौत
	कुल		22	

बाघों की मौत 1999

1.	मेलघाट बाघ रिजर्व	9.1.99	1	स्वाभाविक मौत
2.	कोबार्ट बाघ रिजर्व	15.2.99	1	स्वाभाविक मौत
3.	कान्हा बाघ रिजर्व	11.2.99	2	स्वाभाविक मौत
4.	पेंच बाघ रिजर्व (मध्य प्रदेश)	13.2.99	1	दुर्घटना में मौत
5.	पेंच (मध्य प्रदेश)	16.3.99	1	दुर्घटना में मौत
6.	मध्य प्रदेश (कान्हा बाघ रिजर्व)	15.4.99	1	स्वाभाविक मौत
7.	मध्य प्रदेश (कान्हा बाघ रिजर्व)	18.4.99	1	स्वाभाविक मौत
8.	उत्तर प्रदेश (कोबार्ट बाघ रिजर्व)	29.5.99	1	स्वाभाविक मौत
9.	राजस्थान (रणथम्बोर बाघ रिजर्व)	20.6.99	1	स्वाभाविक मौत
10.	शिवपुरी	25.6.99	1	पकड़कर
11.	उत्तर प्रदेश (कोबार्ट बाघ रिजर्व)	1.7.99	1	स्वाभाविक मौत
12.	मध्य प्रदेश (कान्हा)	18.7.99	2	स्वाभाविक मौत
13.	मध्य प्रदेश (कान्हा)	18.8.99	1	स्वाभाविक मौत
14.	महाराष्ट्र (ताडोबा अंधेरी)	9.9.99	1	चोरी छिपे शिकार
15.	उत्तर प्रदेश (कोबार्ट)	23.10.99	1	स्वाभाविक मौत

1	2	3	4	5
16.	उत्तर प्रदेश (कोबार्ट)	24.10.99	1	स्वाभाविक मौत
17.	उत्तर प्रदेश (कोबार्ट)	2.12.99	1	स्वाभाविक मौत
18.	मध्य प्रदेश (पेंच)	22.12.99	1	स्वाभाविक मौत
	कुल		19	

बाघों की मौत 2000

1.	गोसाब (प. बंगाल) 24, परगना	22.2.000	1	पकड़कर
2.	पेरियार (केरल)	फरवरी, 2000	1	स्वाभाविक मौत
3.	राजस्थान (सरिस्का)	14.3.2000	1	स्वाभाविक मौत
4.	मध्य प्रदेश (बांधवगढ़)	4.3.2000	1	स्वाभाविक मौत
5.	सुन्दरबन (प. बंगाल)	1.6.2000	1	पकड़कर
6.	बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश)	5.5.2000	1	स्वाभाविक मौत
7.	सरिस्का (राजस्थान)	26.6.2000	1	स्वाभाविक मौत
8.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	12.5.2000	1	स्वाभाविक मौत
9.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	29.6.2000	1	स्वाभाविक मौत
10.	ताडोबा अंधेरी (महाराष्ट्र)	21.5.2000	1	स्वाभाविक मौत
11.	कांथालाबेरिया एस. बसंती (प. बंगाल)	1.4.2000	1	पकड़कर
12.	मायाद्वीप (प. बं.) ब्लाक एन.पी. (पश्चिम रेंज के अंतर्गत)	8.5.2000	1	पकड़कर
13.	गोसाब (पश्चिम बंगाल)	9.5.2000	1	पकड़कर
14.	चोरागाजीखाली (पश्चिम बंगाल)	16.6.2000	1	पकड़कर
15.	इंद्रावती (मध्य प्रदेश)	12.7.2000	1	पकड़कर
16.	बांधगवढ़ (मध्य प्रदेश)	25.7.2000	1 खाल	स्वाभाविक मौत
17.	सरिस्का (राजस्थान)	25.6.2000	1	स्वाभाविक मौत
18.	बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश)	29.9.2000	1	स्वाभाविक मौत
19.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	7.10.2000	1	स्वाभाविक मौत
20.	दुधवा (किवस्टीपुर)	30.12.2000	1	स्वाभाविक मौत
21.	नामदाफा	1.12.2000	1	स्वाभाविक मौत
	कुल		21	

1	2	3	4	5
		बाघों की मौत 2001		
1.	दुधवा	4.2.2001	1	चोरी छिपे शिकार
2.	नालामाला (आंध्र प्रदेश)	6.2.2001	1	पकड़कर
3.	कटनी गांव (मध्य प्रदेश).	8.2.2001	1	चोरी छिपे शिकार
4.	दुधवा	23.2.2001	1	स्वाभाविक मौत
5.	खेड़ी (एस.टी.एफ., उ. प्रदेश)	25.2.2001	1 खाल 7 खोपड़ी	पकड़कर
6.	कान्हा	25.2.2001	1	स्वाभाविक मौत
7.	कार्बेट	5.3.2001	1	आपसी लड़ाई से मौत
8.	कार्बेट	6.3.2001	1	आपसी लड़ाई से मौत
9.	अमरावती (महाराष्ट्र)	19.3.2001	1	आपसी लड़ाई
10.	कार्बेट	11.4.2001	1	आपसी लड़ाई
11.	मुदुमलई वन्यजीव अभयारण्य रेंज	7.5.2001	1	अन्य
12.	रणथंबौर	10.5.2001	1	चोरी छिपे शिकार
13.	बांधवगढ़	21.5.2001	1	चोरी छिपे शिकार
14.	सुन्दरबन (प. बंगाल)	30.7.2001	1	चोरी छिपे शिकार
	कुल		21	

[अनुवाद]

एअर इंडिया द्वारा खेल परिसंघ को टिकट

5068. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया द्वारा विभिन्न खेल परिसंघों/संघों को नकद अथवा एयरलाइन टिकटों के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) इसी अवधि के दौरान बैडमिंटन एसोसिएशन आफ इंडिया को नकद अथवा एयरलाइन टिकटों के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या बैडमिंटन एसोसिएशन आफ इंडिया को नकद/एयरलाइन टिकटें मंजूर करने में अनियमितताएं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) एअर इंडिया के क्रीडा नियंत्रण बोर्ड ने अपने वार्षिक बजट से विभिन्न खेल परिसंघों/संघों को वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान क्रमश: 16.10 लाख रुपए, 9.50 लाख रुपए और 8.18 लाख रुपए की राशि भी सम्मिलित है। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के साथ परिवहन/सेवा करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो एअर इंडिया के प्रबंधन द्वारा वर्तमान नियमों के अनुसार विधिवत् अनुमोदित हैं।

(ग) और (घ) जी हां। एअर इंडिया द्वारा अनुपातिक मूल्य प्राप्त किये बिना परिवहन सेवा करार में भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन को राशि स्वीकृत करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एअर इंडिया का सतर्कता विभाग इस मामले पर आगामी कार्यवाही कर रहा है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

5069. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार को "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)" के अंतर्गत 2:1 के अनुपात में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए धन प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राजस्थान सरकार से ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत अधिक धन प्रदान करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान में कब तक वृद्धि किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केन्द्र सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत कार्य 1997-98 से आज तक 2:1 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात से 232.89 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, राजस्थान सरकार ने जनवरी, 2001 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय से केन्द्रीय ऋण सहायता के केन्द्र के हिस्से में वृद्धि करने तथा ऋण की पुनर्अदायगी के लिए शर्तों में छूट देने का अनुरोध किया था। राजस्थान सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानकों में छूट का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत ऐसी चल रही सिंचाई परियोजनाओं को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आबंटन किए जाते हैं जो कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानदण्डों को पूरा करती हो तथा राज्य द्वारा जिनका प्रस्ताव किया गया हो बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों और राज्यों द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं में इन परियोजनाओं के लिए बजट परिव्यय मुहैया कराया गया हो तथा योजना आयोग द्वारा संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित केन्द्रीय ऋण सहायता की राज्य सीमा को ध्यान में रखा गया हो।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल प्रबंधन कार्यक्रम

5070. श्री राजो सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जल प्रबंधन कार्यक्रम के विचाराधीन योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं योजना के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रदान की गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) विश्व बैंक की सहायता से संचालित राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना (एन.डब्ल्यू.एम.पी.) का पहला चरण जून, 1987 से मार्च, 1995 तक क्रियान्वित किया गया था।

राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना का दूसरा चरण क्रियान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि विश्व बैंक इसके लिए निधि देने पर सहमत नहीं हुआ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ानें रद्द किया जाना

5071. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुवनेश्वर के लिए निर्धारित कुछ उड़ानों को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से वाराणसी होते हुए भुवनेश्वर के लिए एयरबस सेवा आरंभ करने का है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) एलायंस एयर द्वारा कोलकाता-भुवनेश्वर-कोलकाता सेक्टर पर प्रचालित सप्ताह में चार दिन बी-737 विमान सेवा (सी.डी. 7261-7262) को 6 जुलाई से 31 अगस्त, 2001 तक कम यात्रियों की वजह

से अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है। एलायंस एयर द्वारा यह उड़ान पहली सितम्बर, 2001 से पुनः शुरू की जाएगी।

(ग) वाराणसी तथा भुवनेश्वर के बीच ए-320 विमानों की प्रबिद्धता और कम यात्री मांग की वजह से इंडियन एयरलाइंस की इस समय दिल्ली से वाया वाराणसी भुवनेश्वर के लिए एयरबस सेवा प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

जिन्दल इस्पात और विद्युत लिमिटेड, रायगढ़

5072. श्री विष्णु देव साय: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिंदल इस्पात और विद्युत लिमिटेड रायगढ़, छत्तीसगढ़ अपने नये विद्युत संयंत्र और रोलिंग मिल संयंत्र की स्थापना में पर्यावरण से संबंधित सभी नियमों और शर्तों का पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जनवरी, 1994 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना और इसके संशोधनों के उपबंधों के अनुसार मैसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड को पत्नापल्ली, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में 110 मैगावाट के कैप्टिव वैद्युत संयंत्र के लिए पर्यावरणीय मंजूरी 17 अगस्त, 2001 को दी गई है। परियोजना को अनुमोदित करते समय इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को दूर करने के संबंध में उठाए जाने वाले उपाय निर्धारित किए गए हैं जिनके कार्यान्वयन की नियमित रूप से देखरेख की जाएगी।

रोलिंग मिलों को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी लेना अपेक्षित नहीं है।

राजस्थान के लिए गंगा के अतिरिक्त पानी का प्रावधान

5073. श्री रामेश्वर डूडी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को गंगा नदी का अतिरिक्त पानी प्रदान करने के बारे में विचार करने के लिए गठित केन्द्रीय जल आयोग के अध्ययन समूह ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने जल संतुलन अध्ययन को पूरा कर लिया है और गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को फालतू पानी के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) राजस्थान ने वर्ष 1984 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें मानसून के दौरान 100 दिनों के लिए हरिद्वार से आगे 1133 क्यूबेक गंगा के जल को तथा बिजनौर से आगे 566 क्यूबेक गंगा के जल को मोड़ने का उल्लेख था। राजस्थान में उपयोग के लिए गंगा के बाढ़ के जल को मोड़ने की संभावनाओं का पता लगाने संबंधी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित अध्ययन से इस बात का पता चला है कि राजस्थान में जल मोड़ने के लिए एक वर्ष में 20-30 दिनों से अधिक इन स्थानों के समीप गंगा में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं रहता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के संबंध में किए जा रहे अध्ययनों के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) ने सारदा-यमुना राजस्थान संपर्क का व्यावहारिकता पूर्व अध्ययन पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) द्वारा तैयार की गई व्यावहारिकता पूर्व रिपोर्ट के अनुसार, यमुना राजस्थान संपर्क से राजस्थान में 2.44 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई मुहैया कराने की योजना है। इस संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संबंधी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जिसको वर्ष 2007 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

बंधुआ मजदूर संबंधी सर्वेक्षण

5074. श्री चिंतामन वनगा:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार बंधुआ मजदूर से संबंधित जिला-वार सर्वेक्षण कराने के लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गयी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने बंधुआ मजदूरों की पहचान की गयी और पुनर्वास किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरों के शीघ्र पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से और क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए मई, 2000 से लागू संशोधित केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, बंधुआ श्रमिकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराने हेतु राज्य सरकारों को 2.00 लाख रुपये प्रति जिले के हिसाब से राशि प्रदान की जानी है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, निम्नलिखित राज्य सरकारों को 25 जिलों में सर्वेक्षण कराने के लिए सहायता प्रदान की गई:

राज्य	केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
हरियाणा	16.00
पंजाब	10.00
राजस्थान	18.00
तमिलनाडु	6.00

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पहचान किए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:

	पहचान किए गए बंधुआ श्रमिक	पुनर्वासित बंधुआ श्रमिक
बिहार	98	98
उड़ीसा	35	35
तमिलनाडु	15854	15854
उत्तर प्रदेश	328	328
अरूणाचल प्रदेश	2992	2992
राजस्थान	104	104
हरियाणा	171	7*

पहचान किए गए बाकी बंधुआ श्रमिकों को मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और पुनर्वास के लिए उन्हें उनके मूल राज्यों में भेज दिया गया।

(घ) राज्य सरकारों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार आश्वासन योजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना आदि जैसे चलाए जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के साथ एकीकृत करने/समन्वित करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रियों की समिति का गठन

5075. डा. सुशील कुमार इंदौरा:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की पिछली बैठक में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो भाग लेने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में अपना कार्य पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और समिति द्वारा कब तक अपना कार्य पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 7 जुलाई, 2000 को आयोजित राष्ट्रीय जल संसाधन परिसर की पिछली (चौथी) बैठक के दौरान राष्ट्रीय जल नीति के अद्यतन मसौदा के जिन बिन्दुओं पर मतभेद है उनका जांच करने तथा इन पर व्यापक सहमति और आम राय कायम करने के लिए माननीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सिंचाई/जल संसाधन मंत्रियों का एक कार्यदल गठित किया गया।

(ग) और (घ) कार्य दल के कार्य का पूरा होना राष्ट्रीय जल नीति के अद्यतन मसौदा के मतभेद वाले बिन्दुओं पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने एवं उन पर आम सहमति होने पर निर्भर करता है। इसलिए, कार्य दल के कार्य को पूरा करने के वास्ते कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

निजी एयरलाइनों से प्राप्त राजस्व

5076. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान सरकार को निजी एयरलाइनों से एयरलाइन-वार कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) क्या निजी एयरलाइनें दिन-प्रतिदिन फल-फूल रहीं हैं और अच्छे लाभ प्राप्त कर रहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोई नयी एयरलाइन आरंभ किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) सूचना एकत्र की जा रही है सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) चूंकि जेट एयरवेज कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इस अधिनियम की धारा 220 और 610 में इसके सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष कंपनी के लाभ व हानि का खुलासा करना निषिद्ध है। जहां तक सहारा एयरलाइन्स की बात है, यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दिनांक 31.3.2001 को समाप्त हुए वर्ष में इसे 17.6 करोड़ रु. का घाटा हुआ है।

(घ) और (ङ) एयरलाइन प्रचालनों को आरंभ करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श एक अनवरत प्रक्रिया है। इस समय, अनुसूचित प्रचालनों के लिए मैसर्स अहमदाबाद एविएशन एण्ड एयरोनौटिक्स तथा मैसर्स साउदर्न एयर और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवा के लिए मैसर्स थामस कुक मैसर्स फ्यूतुरा ट्रैवल्स लिमिटेड और मैसर्स एस.आर.सी. एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की संवीक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

5077. श्री रामशकल: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001-2002 और अगले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): वर्ष 2001-2002 के दौरान उत्तर प्रदेश में 283 टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है (जिले-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है)। अगले दो वर्षों के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या के लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

विवरण

2001-2002 के दौरान खोले जाने वाली प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों (जिला-वार) की संख्या

क्र.सं.	जिला	एक्सचेंजों की कुल संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	4
2.	अम्बेडकर नगर	3
3.	औरैया	4
4.	आजमगढ़	6
5.	बहराइच	6
6.	बलिया	7
7.	बलरामपुर	4
8.	बांदा	3
9.	बाराबंकी	6
10.	बस्ती	3
11.	भदोही	3
12.	चंदौली	2
13.	चित्रकूट	3
14.	देवरिया	5
15.	इटावा	4
16.	फैजाबाद	3
17.	फरूखाबाद	4
18.	फतेहपुर	8
19.	गाजीपुर	4
20.	गोंडा	7

1	2	3
21.	गोरखपुर	9
22.	हमीरपुर	4
23.	हरदोई	8
24.	जालौन	8
25.	जौनपुर	10
26.	झांसी	2
27.	कन्नौज	3
28.	कानपुर	4
29.	कानपुर देहात	7
30.	कौशम्बी	2
31.	लखीमपुर	7
32.	ललितपुर	0
33.	लखनऊ	12
34.	महोबा	2
35.	महराजगंज	4
36.	मैनपुरी	7
37.	मऊ	4
38.	मिर्जापुर	4
39.	पडरौना (कुशीनगर)	5
40.	प्रतापगढ़	8
41.	रायबरेली	6
42.	संतकबीरनगर	2
43.	शाहजहांनपुर	7
44.	श्रवस्ती	4
45.	सिद्धार्थनगर	2
46.	सीतापुर	8
47.	सोनभद्रा	3
48.	सुल्तानपुर	10
49.	उन्नाव	10
50.	वाराणसी	7
51.	आगरा	2
52.	अलीगढ़	2
53.	बरेली	2
54.	बिजनौर	2
55.	बदायूं	1
56.	एटा	2
57.	गाजियाबाद	2
58.	मेरठ	2
59.	मथुरा	2
60.	मुरादाबाद	1
61.	मुजफ्फरनगर	1
62.	बुलंदशहर	2
63.	रामपुर	2
64.	सहारनपुर	2
	जोड़	283

टेलीफोन लाइनों का विस्तार

5078. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्रत्येक राज्य में टेलीफोन लाइनों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में स्थानीय कॉल की दूरी सीमा बढ़ाकर 200 किमी. कर देने के कारण टेलीफोन लाइनें और अधिक व्यस्त रहने लगी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्रत्येक राज्य में सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) के विस्तार के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य/और उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) 200 कि.मी. के भीतर रियायती टैरिफ की शुरूआत के पश्चात् परियात में वृद्धि होने के कारण आरंभ में कुछ रूटों पर भीड़ थी। इस स्थिति में निपटने के लिए इन रूटों पर और अधिक सर्किट प्रदान किए जा रहे हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक निर्धारित लक्ष्य/उपलब्धियों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों के नाम	1998-99 के लिए निर्धारित लक्ष्य	1998-99 के दौरान प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनें	1999-2000 के लिए निर्धारित लक्ष्य	1999-2000 के लिए दौरान प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनें	2000-2001 के लिए निर्धारित लक्ष्य	2000-2001 के दौरान प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनें	2001-2002 के लिए निर्धारित लक्ष्य	31.7.2001 तक प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान एवं निकोबार	6000	7501	7000	8690	7000	5613	10000	815
2.	आंध्र प्रदेश	250000	404980	350000	655088	575000	610931	530000	27803
3.	असम	50000	50375	60000	61162	55000	65207	100000	27406
4.	बिहार	131000	103128	163000	125179	260000	264396	200000	20839
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	40000	3263
6.	गुजरात	250000	255388	250000	374022	330000	476841	650000	70723
7.	हरियाणा	95000	96170	117000	117436	150000	152193	245500	35973
8.	हिमाचल प्रदेश	59000	43217	59000	60027	60000	61761	90000	18147
9.	जम्मू एवं कश्मीर	30000	18501	40000	22158	50000	43512	80000	10937
10.	झारखंड*	0	0	0	0	0	0	82000	12676
11.	कर्नाटक	200000	237002	300000	364715	425000	427155	500000	51884
12.	केरल	325000	271065	400000	350055	450000	456444	663000	54155
13.	मध्य प्रदेश	110000	140352	141000	154816	150000	167166	155000	15703
14.	महाराष्ट्र	530000	502129	645000	657868	770000	778307	950000	83080
15.	मेघालय	6000	6314	8000	8202	8000	8137	10100	1517
16.	त्रिपुरा	8000	9017	9000	10315	14000	14011	12900	835
17.	मिजोरम	4000	4615	6000	6003	7000	7103	9000	1052
	उत्तर पूर्व-I जोड़	18000	19946	23000	24520	29000	29251	32000	3404
18.	नागालैंड	5000	5502	5500	5960	7000	7008	5700	1103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	मणिपुर	2000	2533	4500	4628	5500	4503	8600	116
20.	अरूणाचल प्रदेश	7000	7135	7000	8691	8500	8512	7200	1520
	उत्तर पूर्व-II जोड़	14000	15170	17000	19279	21000	20023	21500	2739
21.	उड़ीसा	60000	68175	87000	89036	100000	103107	135000	20729
22.	पंजाब	190000	193469	240000	208288	250000	251197	460000	64808
23.	राजस्थान	163000	171445	180000	182395	210000	216886	300000	33857
24.	तमिलनाडु	280000	357609	350000	403552	550000	550393	396000	44769
	चेन्नई	115000	122629	140000	142618	150000	151788	200000	31856
	तमिलनाडु जोड़	395000	480238	490000	546170	700000	702187	596000	76625
25.	उत्तरांचल*	0	0	0	0	0	0	100000	8420
26.	उत्तर प्रदेश पूर्व	133000	186685	207000	233677	300000	301684	325000	18000
	उत्तर प्रदेश पश्चिम	139000	154917	193000	184540	190000	226245	300000	36191
	उत्तर प्रदेश जोड़	272000	341602	400000	418217	490000	527929	625000	54191
27.	पश्चिम बंगाल	120000	101425	231000	125280	260000	201774	300000	26504
	कोलकाता	112000	180320	110000	176523	178000	200516	165000	18653
	पश्चिम बंगाल जोड़	232000	281745	341000	301803	438000	402290	465000	45157
28.	दिल्ली	125000	90392	120000	176733	160000	161620	200000	10533

टिप्पणी: छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल नवनिर्मित सर्किल है
तमिलनाडु में पांडिचेरी शामिल हैं।
महाराष्ट्र में गोवा शामिल है।
प. बंगाल में सिक्किम शामिल है।

एम.टी.एन.एल. द्वारा निवेश

5079. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से चालू वर्ष के दौरान विदेशों में पूंजी निवेश करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो देशवार कितनी राशि का निवेश करने का निर्णय लिया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) महानगर टेलीफोन निगम लि. ने टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स

इंडिया (टी.सी.आई.एल.), विदेश संचार निगम लि. (वी.एस.एन.एल.), नेपाल वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड (एन.वी.पी.एल.) के साथ संयुक्त उद्यम के अंतर्गत नेपाल से वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) आधारित सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है।

(ख) संयुक्त उद्यम करार के अनुसार, मंजूर अंशदत्त पूंजी 10 करोड़ नेपाली रुपए होगी। इसमें से महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल.) का हिस्सा 26.68% होगा। इस परियोजना में निवेश की जाने वाली राशि इसकी व्यापार संबंधी योजना पर निर्भर होगी।

[अनुवाद]

सेल्यूलर टेलीफोन सेवा

5080. **डा. जयन्त रंगपी:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा कारणों की वजह से सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में सेल्यूलर टेलीफोन सेवाएं विस्तारित न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रक्षा मंत्रालय ने भी जम्मू और कश्मीर में सेल्यूलर टेलीफोन सेवा आरम्भ करने पर आपत्ति प्रकट की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) फिलहाल जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व और असम दूरसंचार सर्किलों में सुरक्षा कारणों से सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के विस्तार अथवा नये सिरे से शुरूआत करने की अनुमति नहीं दी गई है। रक्षा मंत्रालय सहित सभी संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

5081. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अगले दस वर्षों के दौरान देश में 15 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो अगले दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार टेलीफोन काल दर कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान, 172.5 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है, तथापि राज्यवार सीधी एक्सचेंज लाइनों (डी ई एल) के लक्ष्य, वार्षिक तैयार करते समय वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सहायतानुदान

5082. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश की विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने राज्य में बाल श्रम परियोजना को कार्यान्वित करने के विचार से आपस में मिलकर एक परिसंघ बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने इस संबंध में परिसंघ को 15 करोड़ रुपये का सहायतानुदान देने की स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार भी इसमें मदद करने तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राजी हो गई है; और

(ङ) इस परियोजना से बाल श्रम के उन्मूलन में कहां तक मदद मिलेगी?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्राप्त सूचनानुसार, पांच केन्द्रीय श्रमिक संघों, यथा - हिंद मजदूर सभा इंटक, भारतीय मजदूर संघ, सीटू, एटक तथा द तेलुगू नाडु ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक राज्यस्तरीय श्रमिक संघ ने बाल श्रम के उन्मूलन हेतु आंध्र प्रदेश फैडेरेशन आफ ट्रेड यूनियन नामक एक परिसंघ बना लिया है। इस प्रयोजनार्थ, परिसंघ के लिए 1.5 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गयी है।

(घ) और (ङ) कार्यमुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास हेतु भारत सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान योजना नामक दो योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। आंध्र प्रदेश में अब तक 22 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है जिनके दायरे में, 982 विशिष्ट विद्यालयों/ केन्द्रों के माध्यम से, कार्यमुक्त कराए गए 61050 बच्चों को लाया जाना है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए जर्मन प्रतिनिधिमंडल का दौरा

5083. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया और प्रदूषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या प्रदूषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों का हल निकालने के लिए सरकार ने जर्मनी से प्रौद्योगिकीय सहायता लेने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ई.एस.आई. अस्पतालों द्वारा हेपेटाइटिस 'बी' के टीके

5084. श्री किरीट सोमैया: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पतालों और औषधालयों में हेपेटाइटिस 'बी' के टीके उपलब्ध कराये जाते हैं और उनकी आपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) ने हेपेटाइटिस 'बी' के टीकों की आपूर्ति के बारे में कोई मूल्य संबंधी अनुबंध किया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम का श्रमिक वर्ग के रोगियों के बीच हेपेटाइटिस 'बी' रोग के बारे में जागरूकता फैलाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में हेपेटाइटिस 'बी' के टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ख) से (ङ) 1998-99 और 1999-2000 की अवधि के दौरान हेपेटाइटिस 'बी' के 10 मि.ली. वाले टीके (20 बच्चों की खुराक) की खरीद के लिए क्रमश: 2843.40 रुपये और 1150 रुपये की दर का अनुमोदन किया गया था। फिलहाल 31.3.2002 तक मान्य मौजूदा कर्मचारी राज्य बीमा दर ठेका में 500 रुपये प्रति 10 मि.ली. वाले (20 बच्चों की खुराक) हेपेटाइटिस 'बी' टीके खरीदने का अनुमोदन किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य बातचीत तथा स्वास्थ्य शिविरों सहित स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है जिनमें रोगियों को हेपेटाइटिस 'बी' के खतरों से अवगत कराते हुए इससे बचाव के उपायों की जानकारी दी जाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभभोगी

5085. डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कितने लोग लाभान्वित हुए और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनकी संख्या में राज्यवार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) आज की तिथि के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा राज्यवार कितने अस्पताल तथा औषधालय संचालित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अगले वर्ष के दौरान और अधिक अस्पताल तथा औषधालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मापदंड तय किए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार क.रा.ब. स्कीम के अंतर्गत 78,62,050 कर्मकार शामिल थे। प्रतिशत वृद्धि को विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार देश में 138 क.रा.बी. अस्पताल और 1443 क.रा.बी. औषधालय थे। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) क.रा.बी. निगम ने नए अस्पतालों/औषधालयों को बनाने/शुरू करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। जब राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो इन्हीं मानदंडों के आधार पर क.रा.बी. निगम द्वारा उसकी जांच की जाती है और मंजूरी प्रदान की जाती है।

विवरण-I

क.रा.बी. स्कीम के दायरे में शामिल कर्मकार (पिछले तीन वर्ष)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.प्र.	31.3.97 की स्थिति के अनुसार	31.8.98 की स्थिति के अनुसार	31.3.99 की स्थिति के अनुसार	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार	पिछले 3 वर्षों के दौरान व्याप्ति में वृद्धि %
1.	आंध्र प्रदेश	3,92,350	4,53,800	4,74,100	5,12,350	30.58%
2.	असम	41,850	40,850	38,000	41,600	(-)0.6%
3.	बिहार	1,48,150	1,64,100	1,70,850	1,43,700	(-)3%
4.	चंडीगढ़	34,155	29,750	28,350	34,200	0.15%
5.	दिल्ली	4,48,500	5,53,400	5,43,250	5,32,950	18.83%
6.	गोवा	55,850	64,550	70,800	65,000	16.38%
7.	गुजरात	6,31,650	6,36,050	5,48,100	5,05,600	(-)19.95%
8.	हरियाणा	3,28,900	3,63,650	3,56,300	3,70,850	12.75%
9.	हिमाचल प्रदेश	29,450	32,900	48,600	47,200	60.27%
10.	जम्मू व कश्मीर	11,900	13,700	17,450	13,450	13.02%
11.	कर्नाटक	6,58,450	6,48,550	6,27,400	6,44,050	(-)2.19%
12.	केरल	3,86,400	4,13,600	3,78,950	3,66,500	(-)5.15%
13.	मध्य प्रदेश	2,18,400	2,36,000	2,36,000	2,29,700	5.17%
14.	महाराष्ट्र	12,25,350	15,30,300	13,81,200	12,90,000	5.28%
15.	उड़ीसा	1,39,400	1,39,400	1,29,050	1,13,050	(-)18.9%
16.	पांडिचेरी	23,650	34,450	39,750	37,150	44.83%
17.	पंजाब	4,10,600	4,20,850	4,00,200	3,74,100	(-)8.89%
18.	राजस्थान	2,78,400	2,97,650	2,92,250	2,90,300	4.3%
19.	तमिलनाडु	9,75,000	10,20,850	10,52,850	11,04,400	13.27%
20.	उत्तर प्रदेश	4,63,650	4,54,550	5,14,750	5,10,250	10.05%
21.	पश्चिम बंगाल	8,27,600	8,04,950	7,37,000	6,35,650	(-)23.19%
	योग	77,31,650	83,61,900	80,85,200	78,62,050	1.69%

विवरण-II

देश में स्थित क.रा.बी. औषधालयों/अस्पतालों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	क.रा.बी. औषधालयों की संख्या	क.रा.बी. अस्पतालों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	139	11
2.	असम	26	1
3.	बिहार	51	6
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	2	शून्य
5.	दिल्ली	46	4
6.	गोवा	7	1
7.	गुजरात	124	11
8.	हरियाणा	69	5
9.	हिमाचल प्रदेश	7	1
10.	कर्नाटक	151	10
11.	केरल	136	13
12.	मध्य प्रदेश	64	7
13.	महाराष्ट्र		
	(क) मुम्बई	20	
	(ख) नागपुर	22	13
	(ग) पुणे	34	
14.	मेघालय	1	शून्य
15.	उड़ीसा	52	5
16.	पांडिचेरी	13	1
17.	पंजाब	70	7
18.	राजस्थान	66	5
19.	तमिलनाडु	165	7
20.	उत्तर प्रदेश	132	16
21.	प. बंगाल	38	14
22.	जम्मू और कश्मीर	8	शून्य
	कुल	1443	138

दूरसंचार घोटालों से निपटने के लिए प्रकोष्ठ

5086. श्री राम मोहन गाइडे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित घोटालों से निपटने के लिए चार महानगरों में अलग से निवारक प्रकोष्ठों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में पिछले तीन महीनों के दौरान सरकार द्वारा ऐसे कितने मामलों की शिनाख्त की गई, जो अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय कालों के आगम का पता लगाने से संबंधित थे; और

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) टेलीफोनों के अनधिकृत पथान्तण (डाइवर्जन) और दूरसंचार से सम्बन्धित अन्य घोटालों को रोकने के उद्देश्य से दिनांक 1.10.1994 से चार मेट्रो शहरों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के चार विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए गए थे, प्रत्येक प्रकोष्ठ का प्रभारी एक पुलिस उपाधीक्षक (डी.एस.पी.) है जिनकी सहायता 3 निरीक्षकों द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) देश में पिछले तीन महीनों अर्थात् मई से जुलाई, 2001 के दौरान, ऐसे 11 मामलों का पता लगाया गया है। इन मामलों में सी.बी.आई./पुलिस ने 13 प्राइवेट व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सी.बी.आई./पुलिस ने इस संबंध में नियमित मामला दर्ज किया है।

निजी दुकानों में डाकघर

5087. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे निर्धारित मानदण्ड क्या हैं जिनके अंतर्गत निजी दुकानें डाकघरों के रूप में काम कर रही हैं;

(ख) क्या उत्तरांचल और आंध्र प्रदेश में अनेक दुकानें डाकघरों के रूप में काम कर रही हैं किन्तु इन मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(च) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) किसी भी निजी दुकान को डाकघर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। लेकिन ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण डाक सेवा शाखा डाकघर और ग्रामीण डाक सेवा उप डाकघर (जिन्हें पहले अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टर/अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर कहा जाता था) के तौर पर चयनित व्यक्ति ने डाकघर चलाने के लिए रोजगार की शर्त के रूप में ऐसा स्थान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया हो।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए मानदंडों का उल्लंघन कर डाकघरों के रूप में चलने वाली दुकानों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (च) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महानदी से होने वाला कटाव

5088. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के पूर्णिया जिले में महानदी से हुए कटाव के कारण नूरगंज पोखरिया (नवाबगंज) गांव पूर्णत: डूब गया है;

(ख) यदि हां, तो कटाव से गांव को बचाने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) राहत और पुनर्वास विभाग, बिहार से 20.8.2001 तक की प्राप्त दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान मानसून मौसम के दौरान पूर्णिया जिला बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके निजी संसाधनों और उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, प्रोत्साहनात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की सहायता देती है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा महानन्दा उप-नदी प्रणाली के लिए व्यापक योजना तैयार की है इसमें खंडों में नदी-कटाव को रोकने के उपाय शामिल हैं। यह योजना क्रियान्वयन के लिए बिहार सरकार सहित संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई है।

ईंधन, परमाणु खनिज, धात्विक और औद्योगिक खनिजों का उत्पादन

5089. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान विभिन्न खनिज पदार्थों के उत्पादन के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे सरकार को राज्यवार कितनी लाभ-हानि हुई;

(ग) वर्ष 1998 से अप्रैल, 2001 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा उक्त खनिजों के उत्पादन के संबंध में वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि में उक्त उपक्रमों ने कितने उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था तथा उसकी तुलना में वास्तविक उत्पादन की मात्रा क्या रही?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा रखी जा रही सूचना के अनुसार वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान खनिजों के उत्पादन के संबंध में राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। सरकार, खनन संबंधी कार्य को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में नहीं लेती है इसलिए खनिजों के उत्पादन से अर्जित लाभ और हानि का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। खनन क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के उत्पादन संबंधी लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्टों में दिया जाता है जो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संसद के पटल पर नियमित रूप से रखी जाती है।

विवरण

राज्य	खनिज उत्पादन का मूल्य - (हजार रु. में)							
	ईंधन खनिज		एम.सी.डी.आर. खनिज*		गौण खनिज**		सभी खनिज***	
	1998-99	1999-2000 (पी)	1998-99	1999-2000 (पी)	1998-99	1999-2000 (पी)	1998-99	1999-2000 (पी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अखिल भारतीय	372382189	42676154	50507133	53317786	31359735	37560500	454249057	517639940
आंध्र प्रदेश	26707994	30765193	2857897	2397578	2821495	4450965	32387386	3761376
अरूणाचल प्रदेश	131822	203799	-	-	1523	1523	133345	205322
असम	20853469	27022903	103715	93991	6382	6382	20963556	27123276
बिहार	-	-	4517679	159751	2262587	2028426	6780266	2188177
दिल्ली	-	-	-	-	161	161	161	161
छत्तीसगढ़	एन.ए.एस.	एन.ए.एस.	एन.ए.एस.	6012563	एन.ए.एस.	एन.ए.एस.	एन.ए.एस.	6012563
गोवा	-	-	3979395	3807849	31854	49494	4011249	3857343
गुजरात	29502635	36224536	1152683	1616857	1375410	1537755	32030728	39379148
हरियाणा	-	-	39296	49901	1487215	1487215	1526511	1537116
हिमाचल प्रदेश	-	-	525524	603056	109768	171905	635292	774961
जम्मू और कश्मीर	7070	19800	28681	37835	249026	249026	284777	306661
झारखंड	45786710	43279500	एन.ए.एस.	4043425	एन.ए.एस.	एन.ए.एस.	45786710	47322925
कर्नाटक	-	-	7712838	8132996	989924	568898	8702762	8701894
केरल	-	-	668465	729898	717893	717893	1386358	1447791
मध्य प्रदेश	55124770	59695000	9360535	4315435	612440	704780	65097745	64715215
महाराष्ट्र	18659760	19443000	1214888	1320693	1878433	2023672	21753081	22787365
मणिपुर	-	-	-	-	2432	2432	2432	2432
मेघालय	4443840	4267300	26805	46327	332	332	4470977	4303959
मिजोरम	-	-	-	-	2553	3551	2553	3551
नागालैंड	-	-	-	-	359	261	359	261
उड़ीसा	15996290	15226300	7436395	8233880	361384	361384	23794069	23820564
पंजाब	-	-	-	-	62418	62325	62418	62325

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान	530430	579388	9170728	10014195	10069907	11936059	19771065	22529642
सिक्किम	-	-	13285	14139	-	-	13285	14139
तमिलनाडु	10037207	10387532	1591316	1600137	236864	236864	11865387	12224533
त्रिपुरा	416261	574672	-	-	908	1974	417167	576646
उत्तर प्रदेश	9647120	10193000	61784	13304	7889497	10783670	17598401	20989974
उत्तरांचल	-	-	एन.ए.एस.	35430	एन.ए.एस.	एन.ए.एस.	एन.ए.एस.	35430
पश्चिम बंगाल	14640300	18344000	45224	38546	164051	148570	14849575	18531118
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	24683	24683	24683	24683
दमन और दीव	-	-	-	-	76	138	76	138
पांडिचेरी	-	-	-	-	162	162	162	162
अपतटीय	119896511	150546731	-	-	-	-	119896511	150546731

(पी): अनन्तिम, इसमें परिवर्तन हो सकता है।

एन.ए.एस.: अलग से उपलब्ध नहीं है।

*वे खनिज जिनके लिए खनिज संरक्षण और विकास नियमावली (एम.सी.डी.आर.), 1988 के तहत सांविधिक विवरणियां फाइल की जाती हैं।

**आंकड़े प्राप्त न होने की वजह से, जहां भी आवश्यक था, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों की अनुमान के रूप में पुनरावृत्ति कर दी गई है।

***परमाणु खनिजों को छोड़कर सभी खनिज।

[अनुवाद]

कावेरी जल का बंटवारा

5090. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कावेरी नदी के जल बंटवारे के विषय को लेकर केंद्र सरकार को केरल सरकार की ओर से कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

घरेलू विमान यात्री यातायात

5091. डा. अशोक पटेल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान घरेलू यात्रियों की आवाजाही बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत है; और

(ग) 1999-2000 व 2000-2001 के दौरान घरेलू हवाई अड्डों से क्रमश: कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं। चालू वर्ष में अप्रैल-जून, 2001 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष

की इसी अवधि की तुलना में घरेलू यात्रा यातायात में आंशिक गिरावट आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान घरेलू हवाई अड्डों के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या क्रमश: 62.84 लाख और 68.13 लाख है।

[अनुवाद]

''शैडो टॉल'' प्रणाली के तहत सड़कें

5092. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 'बनाओ, चलाओं और हस्तांतरित करो' बी.ओ.टी. तथा ''शैडो टोल'' प्रणाली जैसी योजनाओं के तहत नई सड़कें बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो ''शैडो टोल'' प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अब तक कार्यान्वित की गई योजनाओं के विषय में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रणाली के क्या लाभ हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) आधार पर पहले ही दो स्कीमें कार्यान्वित कर चुका है और अन्य दो स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। शैडो पथकर प्रणाली के अंतर्गत कोई स्कीम शुरू नहीं की गई है।

(ख) शैडो पथकर प्रणाली के अंतर्गत उद्यमी, सुविधाएं सृजित करने और उसके अनुरक्षण के लिए निवेश करते हैं। उद्यमी को सुविधाओं का उपयोग करने के आधार पर सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। इस प्रणाली में रियायत प्राप्तकर्त्ता कोई पथकर वसूलने के लिए अधिकृत नहीं है।

(ग) शैडो पथकर प्रणाली के अंतर्गत कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं की गई है।

(घ) इस प्रणाली का लाभ यह है कि इसमें निजी क्षेत्र से इसके कुछ जोखिमों को कम करके निवेश आकर्षित करने की संभावना है। उद्यमी पर पथकर वसूली का भार नहीं पड़ता और उन्हें प्रयोक्ताओं द्वारा पथकर का भुगतान न करने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता।

एअर इंडिया के वायुयान पर मिसाइल का दागा जाना

5093. श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री कमलनाथ:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया के एक वायुयान पर, जब 23 जुलाई, 2001 को वह नैरोबी से मुम्बई की एक उड़ान पर था, सोमालिया की वायुसीमा में एक मिसाइल दागी गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामत: कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या इस मामले को सोमालिया की सरकार के साथ उठाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर सोमालिया की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) एअर इंडिया की 23.7.2001 की उड़ान एआई-200 के कमांडर ने यह रिपोर्ट किया है कि नैरोबी से मुम्बई में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट ट्रैक के बाईं ओर लगभग 30 मील पर फ्लेयर एक्सप्लोडिंग देखा गया। केन्या एयरवेज उड़ान संख्या-310 में भी नैरोबी से दुबई सेक्टर पर भी ऐसा ही देखा गया और इसे एअर इंडिया उड़ान के क्रू को बताया गया।

(ग) एअर इंडिया को कोई हानि नहीं हुई।

(घ) से (च) नागर विमानन महानिदेशालय ने इस मामले को सोमालियन विमानन प्राधिकरण के साथ उठाया है जिसके जवाब की अभी प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. द्वारा लोकोपयोगी सेवाओं में सुधार

5094. श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) ने दिल्ली और मुम्बई में लोकोपयोगी सेवाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मई, 2001 से आज की तिथि तक, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली को एक्सचेंज-वार, विशेषकर करोल बाग एक्सचेंज के अन्तर्गत बापा नगर क्षेत्र में टेलीफोनों के काम न करने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(घ) क्या सभी शिकायतों का निदान निर्धारित समयावधि के भीतर कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निर्धारित समयावधि में शिकायतों का निदान करने में विलंब होने के लिए कौन से कारक जिम्मेवार हैं तथा इसके लिए जिम्मेवार पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(छ) क्या एम.टी.एन.एल. उपभोक्ताओं से उस अवधि का भी टेलीफोन-शुल्क लेगा, जिसमें टेलीफोन काम ही नहीं कर रहे थे;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या मानदण्ड रखे गये हैं;

(झ) क्या उन टेलीफोन कनेक्शनों ने काम करना शुरू कर दिया है जिनके लिए पूर्वोक्त एक्सचेंज ने पिछले दो महीनों के दौरान तार तथा उपकरण आदि लगा दिए थे;

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ट) नये कनेक्शन कब से चालू हो जायेंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल.) ने सेवा में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

* ज्यादा संख्या में स्विचिंग नोड्स अर्थात् दूरस्थ स्विचिंग यूनिट (आर.एस.यू.) और डिजीटल लाइन कैरियर्स (डी.एल.सी.) खोलना।
* वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) का इस्तेमाल करना।
* समयबद्ध रूप से भूमिगत केबल के पेपर कोर को बदलना।
* वाह्य संयंत्र नेटवर्क की पुनः स्थापना करना।
* पांच साल से अधिक पुराने टेलीफोन उपकरणों को बदलना।
* काल सेंटरों को प्रारम्भ करना।

(ग) मई, 2001 से करोब बाग के बापा नगर क्षेत्र में 2682 शिकायतें दर्ज की गई थीं। मई, 2001 से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) दिल्ली में प्राप्त एक्सचेंज-वार शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) से (च) निर्धारित समय में दोषों को दूर करने के प्रयास किए गए हैं। भूमिगत केबलों में कई तरह की क्षतियों/केबलों की चोरी के कारण केवल कुछ दोषों को दूर करने में समय लगा था।

(छ) और (ज) महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल.) उन सभी उपभोक्ताओं को किरायों में छूट प्रदान करता है जिनके टेलीफोन सात या उससे अधिक दिनों के लिए खराब रहते हैं। महानगर टेलीफोन निगम लि. अपने उन उपभोक्ताओं को उपभोक्ता-काल-केन्द्रों में निःशुल्क काल की सुविधा भी प्रदान करता है जिनके टेलीफोन खराब होते हैं।

(झ) जी, हां।

(ञ) और (ट) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

1 मई से 20 अगस्त, 2001 तक की अवधि के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि., दिल्ली में प्राप्त एक्सचेंज-वार शिकायतों का ब्यौरा

क्र.सं.	एक्सचेंज	कुल खराबिया
1	2	3
1.	जनपथ	24742
2.	किदवई भवन	48660
3.	राजपथ	11561
4.	सेना भवन	12902
5.	जोरबाग	52874
6.	सी.जी.ओ.	23228

1	2	3
7.	दिल्ली गेट	60856
8.	ईदगाह	131150
9.	मिन्टो रोड	22029
10.	तीसहजारी	82937
11.	लोठियन रोड	8963
12.	शाहदरा	199484
13.	लक्ष्मीनगर	72622
14.	मयूर विहार-I	12289
15.	मयूर विहार-II	33676
16.	मयूर विहार-Ik	12745
17.	यमुना विहार	38378
18.	कड़कड़डूमा	64221
19.	ईस्ट लोनी रोड	61851
20.	मयूर विहार-III	8889
21.	जाफराबाद	7189
22.	रोहिणी-I	38823
23.	सरस्वती विहार	25249
24.	रोहिणी-III	24229
25.	रोहिणी-II	22643
26.	पीतमपुरा	6865
27.	अलीपुर	10217
28.	नरेला	8602
29.	बादली	20947
30.	बवाना	4405
31.	शक्ति नगर	180996
32.	केशवपुरम	41616
33.	चाणक्यपुरी	48026
34.	हौजखास	120431
35.	छत्तरपुर	17941
36.	बसंतकुंज	13926
37.	महिपालपुर	6031
38.	भीकाजी कामा प्लेस	61491
39.	वसंत विहार	17961
40.	घिटौरनी	4272
41.	नेहरू प्लेस	141100
42.	ओखला	91419
43.	तेहखन्द	15426
44.	तुगलकाबाद	54415
45.	सरिता विहार	28186
46.	एशियाड गांव	8575
47.	सादिक नगर	12267
48.	जनकपुरी	78480
49.	द्वारका	49837
50.	पंखा रोड	40126
51.	नजफगढ़	28423
52.	करौल बाग	76052
53.	दिल्ली कैन्ट	25293
54.	शादी पुर	35862
55.	इन्दिरा गांधी एयरपोर्ट	2937
56.	राजोरी गार्डन	53959
57.	पश्चिम विहार	51411
58.	हरीनगर	45127
59.	नांगलोई	65366
60.	कंझावला	4855
	कुल जोड़	2675033

खनन उद्योग के कामगार

5095. श्री अनन्त नायक: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनन उद्योग के अन्तर्गत उड़ीसा के क्योंझर ओर मयूरभंज जिलों में विभिन्न खानों और उनके मुहाने पर कितने कामगार भराई उतराई तथा परिवहन इत्यादि का काम करते है; और

(ख) उनके लिए शुरू की गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) विभिन्न खानों और पिटहैड में माल उतारने और लाने ले जाने के लिए खनन उद्योग में लगे कामगारों के नामों से संबंधित सूचना खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद द्वारा अलग से एकत्र और रखी नहीं जाती। तथापि, धातुमय खान विनियम 1961 के अंतर्गत क्योंझर और मयूरभंज जिले के लिए वर्ष 1989 के दौरान भूमि से नीचे और ओपनकास्ट खानों में फोरमैन व माइनिंग मेट फेस कामगारों/खनिकों और लदाई करने वालों तथा अन्य के संबंध में सूचना निम्नवत् है:

औसत दैनिक रोजगार

जिला	भूमि से नीचे			ओपनकास्ट		
	फोरमैन व माइनिंग मेट	फेस कामगार व लदाई करने वाले	अन्य	फोरमैन व माइनिंग मेट	खनिक व लदाई करने वाले	अन्य
क्योंझर	62	493	59	325	8935	1341
मयूरभंज	0	0	0	16	320	19

(ख) खानों में काम करने वाले कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद की परिधि में नहीं आती। तथापि, खान नियम, 1955 के अंतर्गत खानों में नियोजित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा प्रथमोपचार चिकित्सा उपकरण के संबंध में कल्याण प्रावधान हैं।

[हिन्दी]

स्मारक डाक-टिकटों का जारी किया जाना

5096. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड़ के सम्मान में उनके जन्म शताब्दी पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो डाक-टिकटों को कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) डाक-टिकट जारी करने की तारीख पर निर्णय अभी लिया जाना है।

[अनुवाद]

"महानदी" पर बांध

5097. श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री अनंत नायक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में महानदी पर दूसरे बांध का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने लोगों के विस्थापित होने की संभावना है;

(घ) बांध की अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ङ) क्या कोई विदेशी एजेंसी द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) महानदी में दूसरे बांध को स्थापित करने के लिए तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए उड़ीसा सरकार से कोई भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

नई उड़ानों के लिए द्विपक्षीय समझौता

5098. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री प्रबोध पण्डा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अनेक नए द्विपक्षीय समझौते किए हैं और नई विदेशी एयरलाइनों को उड़ान भरने संबंधी अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) चालू वर्ष में अभी तक जिन देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा संबंधी परामर्श किए गए हैं, वे हैं- रूस, हांगकांग, यूगोस्लाविया, जर्मनी, तीन स्कैंडिनैवियन देश, आस्ट्रिया, दुबई तथा ओमान। इन विचार-विमर्शों के दौरान, भारत और इन देशों के बीच की गई क्षमता हकदारी में दोनों पक्षों के लिए प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह लगभग 6550 सीटों की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त जर्मनी की नामित विमानकंपनियों को भी अप्रयुक्त भारतीय हकदारी में से 7 आवृत्तियां प्रचालित करने की अनुमति दे दी गई है बशर्ते कि वे नामित भारतीय विमानकंपनी के साथ एक वाणिज्यिक सहमति बनाए रखे। अमीरात और ओमान एयर के लिए क्रमश: हैदराबाद और कोचीन हवाई अड्डों को अतिरिक्त अवतरण स्थल के रूप में मंजूरी दे दी गई है, जबकि लुफ्थांसा (जर्मनी) तथा कैथे पैसिफिक (हांगकांग) दोनों में बंगलौर पर्यन्त पहुंच की मंजूरी दे दी गई है।

नेत्रवती नदी के जल का मार्ग परिवर्तन

5099. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री आर.एस. पाटील:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पानी की कमी का सामना कर रहे जिलों की ओर नेत्रवती नदी के जल को मोड़ने के संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने नेत्रवती नदी के जल का मार्ग परिवर्तन संबंधी योजना (नेत्रवती डाइवर्सन स्कीम) हेतु विश्व बैंक से 1000 करोड़ रुपये की धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) कर्नाटक सरकार से तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

गांवों में टेलीफोन सुविधा

5100. **श्री विष्णुपद राय:**
श्री विष्णुदेव साय:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और छत्तीसगढ़ में इस समय जिले-वार पृथकत: कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है/नहीं है;

(ख)वर्ष 2001-2002 के दौरान उक्त द्वीपसमूह और राज्य में जिले-वार कितने गांवों में उक्त सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या द्वीपसमूह के दक्षिणी क्षेत्र के 158 आदिवासी गांवों में कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं प्रदान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों में मल्टीएक्सेस रूरल रेडियो (मार) सिस्टम स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सुविधा को शेष गांवों में कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उचित साफ्टवेयर की अनुपलब्धता

5101. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उचित सॉफ्टवेयर के अभाव में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा सही बिल तैयार नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा उपभोक्ताओं को सही बिल प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सही बिल बनाना कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें से एक मानक साफ्टवेयर भी है। बी.एस.एन.एल. मानक पैकेज का उपयोग कर रहा है जिसे पूर्ण मूल्यांकन एवं परीक्षण के बाद मानकीकृत (स्टैण्डर्डाइज) किया गया है। यह बहुत से सेकण्डरी स्विचिंग क्षेत्रों (एस.एस.ए.) में कार्य कर रहा है। अग्रिम समेकित उपभोक्ता देखभाल और बिलिंग पैकेज को भी मानकीकृत (स्टैण्डर्डाइज) किया गया है।

उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध कराने के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा उठाए गए कदमों में वाणिज्यिक एवं बिलिंग पैकेज को निमेकित करना, शेष सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्रों में मानकीकृत (स्टैण्डर्डाइज) बिल और लेखा सम्बन्धी साफ्टवेयर की शुरूआत करना, बिलिंग की शिकायतों से सम्बन्धित मानदण्डों को सख्त बनाना, शिकायत संबंधी मामलों की मानिटरिंग करना और मौजूदा साफ्टवेयर में सुधार करना शामिल है।

[अनुवाद]

आपातकालीन सेवा के टेलीफोन नम्बर

5102. श्री रामजी मांझी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपातकालीन सेवा के टेलीफोन-नम्बर गलत सूचना प्रेषित करते हैं और उन पर यह संदेश आता है कि ''यह नम्बर उपलब्ध नहीं है'' अथवा ''यह नम्बर वर्तमान में खराब है''- जैसाकि 12 नवम्बर, 2000 के ''दैनिक जागरण'' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा का कार्यकरण सुचारू बनाने और उपभोक्ताओं को बेहतर व संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) दिनांक 12 नवम्बर, 2000 के ''दैनिक जागरण'' में प्रकाशित समाचार, नोएडा के बारे में है, जो भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के अंतर्गत आता है। इस समय नोएडा में निम्नानुसार तीन आपातकालीन सेवाएं कार्य कर रही हैं:-

कोड	सेवा
100	पुलिस
101	आग
102	अस्पताल

इन नम्बरों की जांच की गई तथा ''यह नम्बर उपलब्ध नहीं है'' अथवा ''यह नम्बर वर्तमान में खराब है'' जैसा कोई संदेश सुनाई नहीं दिया।

एम.टी.एन.एल. जायरेक्टरी में उल्लिखित अन्य सेवाएं इस प्रकार हैं:-

कोड	सेवाएं
1097	एड्स संबंधी जानकारी
1098	बच्चों की देखभाल (चाइल्ड केयर)
1099	दुर्घटना तथा चोट

ये कोड नोएडा में नहीं खोले गए हैं, क्योंकि संबंधित एजेंसियों, जैसे अस्पताल, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि ने इसके लिए संपर्क नहीं किया है। यदि कोई उपभोक्ता नोएडा से इन कोड नंबरों को डायल करता है, तो उसे यह संदेश सुनाई देगा कि ''यह नम्बर उपलब्ध नहीं है।''

परीक्षण करके आपातकालीन सेवाओं की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है।

रेल डाक सेवा का विस्तार

5103. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास रेल डाक सेवा (आर.एम.एस.) का विस्तार करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या प्रस्ताव लाए गए हैं और इस पर क्या उपलब्धि हासिल हुई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेल डाक सेवा (आर.एम.एस.) के माध्यम से पत्रों को प्राप्त करने और भेजने हेतु नए डाकघर खोले गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) रेल डाक सेवा का विस्तार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। जहां आवश्यक होता है, नए रेल डाक सेवा कार्यालय और ट्रांजिट सेक्शन समय-समय पर खोले जाते हैं जो प्रचालनात्मक जरूरत और वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभाग द्वारा निम्नलिखित नए ट्रांजिट सेक्शन और मेल कार्यालय आरंभ करने के प्रस्तावों पर विचार किया गया और खोला गया:-

शुरू किए गए ट्रांजिट सेक्शन:

(1) हावड़ा-अहमदाबादा एक्सप्रेस में हावड़ा-अहमदाबाद-हावड़ा

(2) नेत्रवती एक्सप्रेस में कुर्ला-कोचि-कुर्ला

(3) कलिंग उत्कल एक्सप्रेस में हजरत निजामुद्दीन-पुरी-हजरत-निजामुद्दीन

(4) लाल किला एक्सप्रेस में सियालदह-दिल्ली-सियालदह

(5) गोवा एक्सप्रेस में हजरत निजामुद्दीन-वास्को-हजरत निजामुद्दीन

(6) कमला गंगा इंटर सिटी फास्ट पैसेंजर में पटना-दरभंगा-पटना

(7) तपस्विनी एक्सप्रेस में राउरकेला-भुवनेश्वर-राउरकेला

(8) मौर्य एक्सप्रेस में यू-39 ट्रांजिट सेक्शन के बीट का धनवाद से रांची तक विस्तार

खोले गए मेल कार्यालय:

(1) हाजीपुर रेल डाक सेवा (बिहार)

(2) मडगांव छंटाई कार्यालय (गोवा)

(3) कुडाल छंटाई कार्यालय (महाराष्ट्र)

(4) कुमटा छंटाई कार्यालय (कर्नाटक)

रूस के साथ वायु सुरक्षा संबंधी समझौता

5104. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रूस के साथ वायु सुरक्षा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य किन-किन देशों के साथ भारत ने ऐसा समझौता किया है;

(घ) ऐसे सभी समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रूस के साथ इस मामले में समझौते से इस संबंध में अन्य देशों के समझौते पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी कितना प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारत तथा सोवियत परिसंघ के बीच एविएशन सुरक्षा संवर्धन करार पर दिनांक 14 फरवरी, 2001 को हस्ताक्षर किये गये।

(ख) करार में विमान, अनुरक्षण सुविधाएं तथा प्रशिक्षण व्यवस्था सहित सिविल वैमानिकी उत्पादों की पारस्परिक स्वीकृति तथा अनुमोदन का उपबंध है परंतु इसके लिए मानक तथा प्रणालियां पर्याप्त रूप से समतुल्य और अनुरूप होना शर्त है।

(ग) और (घ) किसी दूसरे देश के साथ ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

डब्ल्यू.एल.एल. नेटवर्क

5105. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 7 जुलाई, 2001 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) और टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट्स आफ इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) का विचार नेपाल में वायरलेस इन लोकल लूप स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) उक्त नेटवर्क के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। तथापि, यह समाचार 11 जुलाई, 2001 के इस समाचार-पत्र में दिया गया है।

(ख) और (ग) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.) और नेपाली उद्यम प्राइवेट लि. (एन.वी.पी.एल.) ने मिलकर एक संघ बनाया है और इन्हें नेपाल में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) नेटवर्क की स्थापना करने के लिए आशय-पत्र जारी किया गया है। नेपाली सरकार की न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार एन.वी.पी.एल. का इक्विटी स्टेक 20% है। एम.टी.एन.एल., टी.सी.आई.एल., और वी.एस.एन.एल. ने शेष 80% इक्विटी को बराबर बांटने का निर्णय लिया है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का "यूनाइटेड टेलीकॉम लि." के नाम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सेवा, लाइसेंस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से नौ माह के भीतर चालू की जाएगी।

नदियों में गाद का जमा होना

5106. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन आवेसी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेकों नदियों और इसकी सहायक नदियों द्वारा गाद के जमा होने की बढ़ती दर से देश की कृषि प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नदियों में गाद के जमा होने की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक समिति गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समिति के कब तक गठित किये जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विशेषज्ञों का कोई दल है जो गाद के जमा को रोकने के लिए सुझाव देता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, नहीं। इस संबंध में कोई सूचना नहीं हैं।

(ग) से (ङ) नदियों एवं संबंधित पहलुओं में गाद जमने की समस्या का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन करने संबंधी यह मामला विचाराधीन है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

ऑप्टिकल फाइबर

5107. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री अनंत नायक:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग का विचार अतिरिक्त मात्रा में ऑप्टिकल फाइबर की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड का वर्ष 2001-2002 के लिए 1,26,000 रूट किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

6एफ ओएफसी	=	34,000 रूट कि.मी.
12एफ ओएफसी	=	80,000 रूट कि.मी.
24एफ ओएफसी	=	12,000 रूट कि.मी.

(ग) किया जाने वाला कुल व्यय लगभग 856.30 करोड़ रुपये है।

(घ) 12 एफ ओएफसी के 60,000 कि.मी. तथा 24 एफ ओएफसी के 12,000 कि.मी. के प्रापण के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। शेष केबल को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और सर्किल इसे प्राप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

स्वर्ण भंडार

5108. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वर्ण भंडार वाले क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनमें अनुमानत: सोने का कितना भंडार है;

(ख) क्या सोने के उत्खनन पर आने वाली लागत बाजार में सोने की कीमत की तुलना में कहीं अधिक होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्वर्ण भंडार के उचित दोहन और सोने के उत्खनन पर आने वाली लागत को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने की प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में स्वर्ण अयस्क के प्राप्य भंडार 17.79 मिलियन टन हैं जिनमें लगभग 67.9 टन स्वर्ण धातु है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.), खनिज गवेषण निगम लिमिटेड द्वारा अनुमानित स्वर्ण भंडारों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र द्वारा स्वर्ण खनन की लागत का ब्यौरा केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता। फिलहाल, कर्नाटक सरकार के सरकारी क्षेत्र के केवल एक उपक्रम हट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा स्वर्ण का खनन किया जा रहा है। खान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, जोकि अपनी गृहीत खानों से स्वर्ण उत्पादन करता था, की वर्ष 1999-2000 के दौरान, स्वर्ण उत्पादन की लागत प्रति 10 ग्राम स्वर्ण के लिए 19729 रुपये थी।

(घ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 तथा सरकार द्वारा इसमें किए गए अनुवर्ती संशोधनों का उद्देश्य, राज्यों द्वारा खनिज संसाधनों का तेजी से एवं क्रमबद्ध परिभाषित कोई कंपनी या कोई भारतीय नागरिक खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उसके बाद बनाए गए नियमों के अनुसार, खनन पट्टा प्राप्त के बाद खनिज निक्षेपों का विदोहन करने के लिए स्वतंत्र है। खनिज निष्कर्षण की लागत प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर निर्भर करती है।

विवरण

आंध्र प्रदेश: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गए गवेषण के परिणामस्वरूप, कुरनूल जिले के दोना पूर्व क्षेत्र में 1.15 ग्राम/टन स्वर्ण वाले 5.91 मिलियन टन संसाधन का अनुमान लगाया गया था। इसी प्रकार, अनन्तपुर जिले के बोकसामापल्ले उत्तर खंड क्षेत्र में अन्वषणों से 1.4 ग्राम/टन तक स्वर्ण मूल्य तथा चित्तुर जिले के पेडाकारी कुन्टा खंड में 1 से 5.5 ग्राम/टन स्वर्ण मूल्य वाली खनिजीकरण पट्टी का पता चला है।

बिहार: गवेषण के परिणामस्वरूप, सोनापेट घाटी के सुरसी खार्सवान क्षेत्र की स्वर्ण मिश्रित चट्टानों की खोज हुई तथा नमूनों से कुल्लाचालिनाला की स्ट्रीम पछोड़नों में अधिकतम 1.10 ग्राम/टन धातु का पता चला तथा क्वार्टज पट्टी के नमूनों के विश्लेषण से 1.6 ग्राम/टन तक स्वर्ण का पता चला। इसके अलावा, मोरचागोरा भिलारदारी क्षेत्र में ज्वालामुखीय चट्टान समूह में क्वार्टज पट्टी है तथा चट्टान समूह के नमूनों से 0.06 ग्राम/टन से 3.75 ग्राम/टन तक धातु का पता चला है।

कर्नाटक: जी.एस.आई.- बी.आर.जी.एम. (फ्रांस) के सहयोगात्मक कार्यक्रम के तहत, भूरासायनिक पूर्वेक्षण से धारवाड जिले के कवकोल के दक्षिण एवं रानेबेन्नुर क्षेत्रों में अधिकतम 1.4 ग्राम/टन स्वर्ण मूल्य का पता चला है।

केरल: पालाकाड जिले के कोटटाथारा खंड में गवेषण के परिणामस्वरूप 13.36 ग्राम/टन औसत ग्रेड स्वर्ण वाले 24,000 टन स्वर्ण अयस्क के अतिरिक्त निक्षेपों का अनुमान किया गया है। इस प्रकार, इस क्षेत्र में, कुल 0.6 मिलियन टन अयस्क का अनुमान है।

राजस्थान: बांसवाड़ा जिले के मध्य खंड, भूकिया (पूर्व) में 2 ग्राम/टन से 2.96 ग्राम/टन ग्रेड वाले 90,000 टन स्वर्ण अयस्क का पता चला है।

उत्तर प्रदेश: सिधि जिले के गुरहर पहाड़ खंड में 1.04 ग्राम/टन ग्रेड वाले 5.37 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क निक्षेप का अनुमान लगाया गया है जिसमें से 2.1 मिलियन टन अयस्क 1.28 ग्राम/टन ग्रेड वाला है।

उपरोक्त के अलावा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा आदि में गवेषण कार्य किया।

खनिज गवेषण निगम द्वारा आंध्र प्रदेश के चित्तुर एवं अनन्तपुर, बिहार के सिंहभूम, कर्नाटक के रायचूर, धारवाड़, हासन, कोलार एवं हावेरी तथा केरल में मालापुरम जिलों में कुल 17.12 मिलियन टन छोटे से मध्यम आकार के स्वर्ण अयस्क निक्षेपों का पता चला है।

दूरसंचार सुविधाएं

5109. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में मछलीशहर और प्रतापगढ़ जिलों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु एक्सचेंज-वार कितने आवेदन प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या संलग्न विवरण I के अनुसार है।

(ख) (1) अव्यवहार्य क्षेत्र में प्रतीक्षा सूची के निपटान के लिए केबल बिछाने की व्यापक योजना बनाई गई है।

(2) जहां कहीं एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत होती है, इसे बढ़ाया जाता है।

(3) दूर-दराज और अलग-थलग कनेक्शनों की समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) प्रणालियों की योजना भी बनाई गई है।

(ग) सभी एक्सचेंज पहले से ही इलेक्ट्रानिक हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

मछली शहर की एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बंधवा बाजार	37
2.	बराईपार	90
3.	गरियांव	30
4.	मछलीशहर	102
5.	मीरगंज	86
6.	मंगेरबाद शाहपुर	54
7.	सतहरैया	38
8.	सारैबीका	39
9.	सुजानगंज	117
	जोड़	593

प्रतापगढ़ जिले की एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची

1.	आसपुर	91
2.	अंटू	68
3.	अथेहा	33
4.	बाबूगंज	46
5.	बड़ीकला	38
6.	भगवतगंज	43
7.	बिहार	50
8.	बिसहिया	0
9.	दारापुर	32
10.	दीवानगंज	98

1	2	3
11.	देल्हापुर	29
12.	देरवा	67
13.	धक्वा	55
14.	धिंगवास	46
15.	दिर्लापपुर	56
16.	फतनपुर	132
17.	गढ़ीमाणिकपुर	56
18.	गरवारा	190
19.	गांटेनी	14
20.	हथगवां	88
21.	हीरागंज	0
22.	जगेसरगंज	15
23.	जलसारगंज	55
24.	जामतली	118
25.	के. हनुमानगंज	63
26.	कालाकाकर ए	34
27.	कालाकाकर बी	0
28.	कटरा मेहदीगंज	76
29.	कटरा गुलाब सिंह	23
30.	किथवार बाजार	39
31.	कोहदयोर	66
32.	फुन्डा	37
33.	लालगंज	136
34.	लक्ष्मीगंज	37
35.	मंधाटा	235
36.	मंगरौरा	82
37.	मोहनगंज	136
38.	नारंगपुर	19
39.	नवाबगंज	27
40.	पट्टी	82
41.	प्रतापगढ़	235
42.	पृथ्वीगंज	0
43.	पृथ्वीगंज बाजार	51
44.	पुरेधानौ	17
45.	रामपुर खास	26
46.	रानीगंज	206
47.	रानीगंज कथोला	28
48.	रसुलाहा	14
49.	साहबगंज	78
50.	सैफाबाद	66
51.	समसेरगंज	55
52.	सांगीपुर	136
53.	संग्रामगढ़	0
54.	विश्वनाथगंज	102
	जोड़	3526

पूर्णत: सुसज्जित टेलीफोन एक्सचेंज

5110. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सभी ग्राम पंचायतों को पूर्णत:/सुसज्जित टेलीफोन एक्सचेंजों से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सुविधा को कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) महाराष्ट्र में 24,752 ग्राम पंचायतों में से 22,732 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। शेष 2020 ग्राम पंचायतों को प्राइवेट बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा 2002 तक दूरसंचार सुविधा प्रदान की जानी है।

[अनुवाद]

इलाहाबाद में बंधुआ बाल-श्रमिक

5111. श्री सुनील खां: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद जिले में करघा-मालिकों के लिये काम कर रहे लगभग 33 बंधुआ बाल श्रमिकों को हाल ही में उनके शिकंजे से मुक्त कराया गया; और

(ख) यदि हां, तो आरोपी अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छात्रों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना

5112. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में छात्रों ने राष्ट्रीय सेवा योजना में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र स्वयंसेवकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह योजना मात्र 15 क्षेत्रीय केन्द्रों में संचालित है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिक संख्या में इन केन्द्रों की स्थापना कर योजना का विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर नये केन्द्रों को शुरू करने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र स्वयंसेवकों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है तथा यह देश भर में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में 15 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(घ) इस समय, किसी भी नये क्षेत्रीय केन्द्र को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र स्वयंसेवकों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 2000-2001 के दौरान नामांकित
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1,31,865
2.	असम	19,000
3.	बिहार	43,300
4.	दिल्ली	8,600
5.	गुजरात	11,000
6.	गोवा	31,700
7.	हिमाचल प्रदेश	7,100
8.	हरियाणा	67,000
9.	जम्मू व कश्मीर	64,000
10.	कर्नाटक	1,32,000
11.	केरल	90,000
12.	महाराष्ट्र	8,000
13.	मध्य प्रदेश	17,000
14.	मणिपुर	8,000
15.	मिजोरम	3,000
16.	मेघालय	65,500

1	2	3
17.	नागालैंड	32,000
18.	उड़ीसा	2,500
19.	पंजाब	9,000
20.	पाण्डिचेरी	3,300
21.	राजस्थान	1,17,000
22.	सिक्किम	12,000
23.	तमिलनाडु	1,17,000
24.	त्रिपुरा	12,000
25.	उत्तर प्रदेश	1,61,400
26.	पश्चिम बंगाल	37,000
27.	चण्डीगढ़	4,500
28.	अरूणाचल प्रदेश	1,300
	कुल	11,33,065

[हिन्दी]

सांगनेर विमानपत्तन को आई.एस.ओ. 9002 प्रमाणपत्र

5113. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर स्थित सांगनेर-विमानपत्तन को आई.एस.ओ. 9002 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले देश के विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आई.एस.ओ. 9002 प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। मई, 2001 में अपेक्षित कार्यविधियों का पालन करने के बाद, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस.टी.क्यू.सी.), नई दिल्ली द्वारा जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आई.एस.ओ.) 9002-1994 वर्जन अवार्ड किया गया है।

(ग) भारत में अब तक केवल जयपुर, अहमदाबाद और चेन्नई (यात्री और कारगो प्रचालन) ऐसे हवाई अड्डे हैं जिन्हें संबंधित प्रमाणन दिया गया है।

(घ) आई.एस.ओ. 9002 प्रमाणपत्र पाने के लिए संगठन को दस्तावेजी सुविधाओं, उनके मानकों और कार्यविधि को विस्तार से बताना होता है, जिनसे इन सुविधाओं का अनुरक्षण निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा जिससे लगातार गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित किया जा सके।

राजस्थान में खानों को बंद किया जाना

5114. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुदेशों के अनुपालन में राजस्थान में बंद की गई खानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार बंद पड़ी खानों में फिर से खनन संबंधी क्रियाकलापों को आरंभ करने के प्रयास कर रही है;

(ग) क्या सरकार संगमरमर खनिजों के विकास के लिए कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुदेशों के अनुपालन में राजस्थान में 2346 खानें बंद की गई। तथापि, अधिकांश मामलों में पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन से वन भूमि के विविधीकरण के पश्चात् खनन संबंधी क्रियाकलाप पुन: आरंभ कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ) के तहत् परिभाषित मार्बल एक गौण खनिज है। मार्बल सहित गौण खनिजों को प्रदान करने/नवीकरण के विनियमन के लिए राज्य सरकारों को अपनी-अपनी गौण खनिज रियायत नियमावली बनाने का अधिकार है। केन्द्र सरकार ने 22 सितम्बर, 1999 को मार्बल विकास संबंधी ग्रुप का गठन किया है जिसके विचारणीय विषय में, अन्य बातों के साथ-साथ, मार्बल खदानों की स्थिति का समय-समय पर आकलन और समीक्षा करना तथा खनिज के तीव्र विकास हेतु उपायों की सिफारिश करना शामिल है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय श्रम संस्थान

5115. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितने क्षेत्रीय श्रम संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन संस्थानों से कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इन संस्थानों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, महानिदेशालय मुम्बई के अंतर्गत कार्यरत तीन क्षेत्रीय श्रम संस्थान कानपुर, चैन्नई और कोलकाता में स्थित हैं। फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थान अभी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित नहीं है और इस संस्थान के क्रियाकलाप केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई में तैनात दो अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं।

(ख) ये संस्थान अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में उद्योगों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अध्ययनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और तकनीकी सलाह प्रदान कर रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों में कारखानों में कार्यरत प्रबंधकों, कार्यकारी अधिकारियों, कर्मकारों, श्रमिक संघ नेताओं, आदि सहित कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार, इन संस्थानों में बच्चों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ) इस समय कारखाना सुरक्षा सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय के अंतर्गत क्षेत्रीय श्रम संस्थानों की संख्या में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में स्थित उद्योगों की उनमें नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताएं मौजूदा श्रम संस्थानों के माध्यम से पर्याप्त रूप में पूरी की जाएंगी।

भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

5116. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खिलाड़ियों के स्तर बढ़ाने के लिए और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के स्तर तक लाने हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन सुधारों की आवश्यकता है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या विभिन्न खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु नई व्यवस्था की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (च) सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है। इन प्रशिक्षण शिविरों में, भारतीय तथा विदेशी प्रशिक्षकों/विशेषज्ञों द्वारा, खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण तथा अपेक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक समर्थन प्रदान किया जाता है। इन प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए, निवास स्थान से प्रशिक्षण शिविर तक तथा वापिसी के लिए यात्रा पर होने वाले व्यय, भोजन एवं आवास, प्रशिक्षण किटों, चिकित्सा सहायता तथा बीमा आदि के लिए "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों" के प्रावधानों के अनुसार सहायता दी जाती है। प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सहायता का स्तर जैसे राशन की मात्रा आदि की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है न कि अलग-अलग खिलाड़ियों को।

[हिन्दी]

राजस्थान की सिंचाई क्षमता में वृद्धि

5117. **श्री रामेश्वर डूडी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार के पास मंजूरी प्राप्त करने के लिए लंबित योजनाएं कौन-कौन सी है;

(ख) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सरकार को कितना धन आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) राजस्थान में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए 8 स्कीमों की मूल्यांकन स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वृहद/मध्यम	स्थिति
(1)	पिपालदा लिफ्ट सिंचाई	वृहद	ए
(2)	भरतपुर जिले में यमुना नदी के जल का उपयोग	वृहद	ए
(3)	झुंझुनू में यमुना नदी के जल का उपयोग	वृहद	ए
(4)	इंदिरा गांधी नहर चरण-1 (ई.आर.एम.)	वृहद	बी
(5)	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना (ई.आर.एम.)	वृहद	बी
(6)	पिपलाद सिंचाई	मध्यम	ए
(7)	चाकन सिंचाई	मध्यम	बी
(8)	गरादा सिंचाई	मध्यम	बी

ए-मूल्यांकनाधीन परियोजनाएं
बी-टिप्पणियों के अधीन सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।

(ख) इन स्कीमों को स्वीकृति दिया जाना राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों के अनुपालन पर निर्भर करता है; तथा

(ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत ऐसी चल रही सिंचाई परियोजनाओं को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आबंटन किए जाते हैं जो कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानदण्डों को पूरा करती हों तथा राज्य द्वारा जिनका प्रस्ताव किया गया हो बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों और राज्यों द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं में इन परियोजनाओं के लिए बजट परिव्यय मुहैया कराया गया हो तथा योजना आयोग द्वारा संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित केन्द्रीय ऋण सहायता की राज्य सीमा को ध्यान में रखा गया हो।

दूरभाष लगाया जाना

5118. डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री राजो सिंह:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में दूरभाष उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरभाष लगाने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन दोनों क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों में कोई अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा विषमता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों का राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(घ) जी हां।

(ङ) उपलब्धियों में अंतर के कारण निम्नानुसार हैं:-

1. ग्रामीण क्षेत्र में मांग बिखरी हुई है और लम्बी दूरियों के लिए केबल बिछाने की आवश्यकता होती है जिसके कारण टेलीफोन प्रदान करने में विलम्ब होता है।

2. अनेक गांवों तक संपर्क सड़कें अच्छी हालत में नहीं हैं या सड़कें हैं ही नहीं।

3. अनेक गांवों में बिजली आपूर्ति की अनुपलब्धता या अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति।

(च) असमानता दूर करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) टेलीफोन प्रणालियां संस्थापित की जा रही हैं।

2. मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ायी जा रही है और जहां कहीं मांग 50 लाइनों से अधिक है, नये एक्सचेंज खोले जा रहे हैं।

3. प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए केबल बिछायी जा रही है।

4. इस वर्ष के दौरान सेल्यूलर मोबाइल प्रणाली शुरू किये जाने की भी योजना है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की समस्या को दूर करने के लिए सौर विद्युत आपूर्ति का उपयोग किया जा रहा है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सीधी एक्सचेंज लाइनें	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सीधी एक्सचेंज लाइनें	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सीधी एक्सचेंज लाइनें
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	15773	24463	30076
2.	आंध्र प्रदेश	1572399	2227487	2838418
3.	असम	211906	273068	338328
4.	बिहार	502221	627400	891796
5.	छत्तीसगढ़*	0	0	0
6.	गुजरात	1547828	1921850	2398691
7.	हरियाणा	524565	642001	794194
8.	हिमाचल प्रदेश	225103	285130	346891
9.	जम्मू एवं कश्मीर	107863	130021	173533
10.	झारखंड*	0	0	0
11.	कर्नाटक	1464685	1829400	2256555
12.	केरल	1355084	1705139	2161583

1	2	3	4	5
13.	मध्य प्रदेश	941136	1095952	1263118
	मुंबई	2012410	2213388	2347302
14.	महाराष्ट्र	1874903	2331793	2976906
	पूरे महाराष्ट्र के लिए जोड़	3887313	4545181	5324208
15.	मेघालय	29944	38146	46283
16.	त्रिपुरा	34519	44834	58845
17.	मिजोरम	24610	30615	37718
	पूरे पूर्वोत्तर-I का जोड़	89073	113595	142846
18.	नागालैंड	20084	26044	33052
19.	मणिपुर	20372	25000	29503
20.	अरूणाचल प्रदेश	22066	30757	39269
	पूरे पूर्वोत्तर-II का जोड़	62522	81801	101824
21.	उड़ीसा	334273	423309	526416
22.	पंजाब	1083964	1292252	1543449
23.	राजस्थान	927005	1109400	1326286
	तमिलनाडु	1523415	1926967	2477366
24.	चेन्नई	625245	767863	919651
	पूरे तमिलनाडु जोड़	2148660	2694830	3397017
25.	उत्तरांचल*	0	0	0
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	872897	1106574	1408258
26.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	809464	994004	1220249
	पूरे उत्तर प्रदेश का जोड़	1682361	2100578	2628507
	पश्चिम बंगाल	415851	541131	742905
27.	कोलकाता	852598	1029121	1229637
	पश्चिम बंगाल जोड़	1268449	1570252	1972542
28.	दिल्ली	1641503	1818236	1979856
	बी.एस.एन.एल. जोड़	21593686	26511345	32436134

टिप्पणी: छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल नव सृजित सर्किल हैं।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक निर्धारित लक्ष्य/उपलब्धियों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों का नाम	1998-99 के लिए निर्धारित लक्ष्य	1998-99 के दौरान प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनें			1999-2000 के लिए निर्धारित लक्ष्य	1999-2000 के दौरान प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनें			2000-2001 के लिए निर्धारित लक्ष्य	2000-2001 के दौरान प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनें		
			शहरी	ग्रामीण	जोड़		शहरी	ग्रामीण	जोड़		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान एवं निकोबार	6000	3672	3829	7501	7000	4206	4484	8690	7000	1892	3721	5613
2.	आंध्र प्रदेश	250000	336772	68208	404980	350000	445675	209413	655088	575000	330583	280348	610931
3.	असम	50000	39835	10540	50375	60000	56963	4199	61162	55000	52610	12650	65260
4.	बिहार	131000	79510	23618	103128	163000	91264	33915	125179	260000	186516	77880	264396
5.	छत्तीसगढ़*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	250000	222771	32617	255388	250000	312686	61336	374022	330000	346255	130586	476841
7.	हरियाणा	95000	74785	21385	96170	117000	77411	40025	117436	150000	81587	70606	152193
8.	हिमाचल प्रदेश	59000	14029	29188	43217	59000	24606	35421	60027	60000	17262	44499	61761
9.	जम्मू एवं कश्मीर	30000	25891	-7390	18501	40000	20756	1402	22158	50000	41447	2065	43512
10.	झारखंड*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	200000	171344	65658	237002	300000	264900	99815	364715	425000	242117	185038	427155
12.	केरल	325000	107730	163335	271065	400000	121411	228644	350055	450000	171294	285150	456444
13.	मध्य प्रदेश	110000	118508	21844	140352	141000	131959	22857	154816	150000	180120	-12954	167166
	महाराष्ट्र	300000	289319	56029	345348	395000	334789	122101	456890	600000	430280	214833	645113
	मुंबई	230000	156781	0	156781	225000	200978	0	20978	240000	133914	0	133914
14.	पूरे महाराष्ट्र के लिए जोड़	530000	446100	56029	502129	620000	535767	122101	657868	840000	564194	214833	779027
15.	मेघालय	6000	5167	1147	6314	8000	5566	2636	8202	8000	5316	2821	8137
16.	त्रिपुरा	8000	6944	2073	9017	9000	8532	1783	10315	14000	10062	3949	14011
17.	मिजोरम	4000	3838	777	4615	6000	5315	688	6003	7000	4836	2267	7103
	उत्तर-पूर्व-I जोड़	18000	15949	3997	19946	23000	19413	5107	24520	29000	20214	9037	29251
18.	नागालैंड	5000	5009	493	5502	5500	5051	909	5960	7000	5560	1448	7008
19.	मणिपुर	2000	1947	586	2533	4500	3854	776	4630	5500	3490	1013	4503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	अरूणाचल प्रदेश	7000	3986	3149	7135	7000	4654	4037	8691	8500	3373	5139	8512
	उत्तर-पूर्व-II जोड़	14000	10942	4228	15170	17000	13559	5722	19281	21000	12423	7600	20023
21.	उड़ीसा	60000	51288	16887	68175	87000	59573	29463	89036	100000	61937	41170	103107
22.	पंजाब	190000	115643	77826	193469	240000	102857	105431	208288	250000	119414	131783	251197
23.	राजस्थान	163000	154689	16756	171445	180000	124031	58364	182395	210000	122907	93979	216886
24.	तमिलनाडु	280000	355212	2397	357609	350000	399945	3607	403552	550000	556676	-6277	550399
	चेन्नई	115000	122629	0	122629	140000	142618	0	142618	150000	151788	0	151788
	तमिलनाडु जोड़	395000	477841	2397	480238	490000	542563	3607	546170	700000	708464	-6277	702187
25.	उत्तरांचल*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उत्तर प्रदेश पूर्व	133000	191570	-4885	186685	207000	177086	56591	233677	300000	180933	120751	301684
26.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	139000	138360	16557	154917	193000	163670	20870	184540	190000	162820	63425	226245
	उत्तर प्रदेश जोड़	272000	329930	11672	341602	400000	340756	77461	418217	490000	343753	184176	527929
27.	पश्चिम बंगाल	120000	61765	39660	101425	231000	85682	39598	125280	260000	103836	97938	201774
	कोलकाता	112000	180320	0	180320	110000	176523	0	176523	178000	200516	0	200516
	पश्चिम बंगाल जोड़	232000	242085	39660	281745	341000	262205	39598	301803	438000	304352	97938	402290
28.	दिल्ली	220000	90392	0	90392	200000	176733	0	176733	200000	161620	0	161620
	जोड़-बी.एस.एन.एल.	3600000	3129706	662284	3791990	4485000	3729294	1188365	4917659	5790000	4070961	1853826	5924789

टिप्पणी: छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल नवनिर्मित सर्किल हैं।

[अनुवाद]

श्रम संस्थान

5119. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस सदा बढ़ते रहने वाले सूचना प्रौद्योगिकी परिदृश्य में बदलते कार्य ढांचे के अनुसार वर्तमान श्रम कानूनों में परिवर्तन करने के बारे में आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा ये प्रस्ताव निवेश के माहौल में सुधार लाने और राज्य से निर्यातों को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विभिन्न संशोधनों का प्रस्ताव सामाजिक भागीदारों की जरूरतों पर आधारित और आर्थिक सुधारों के समनुरूप हैं। आंध्र प्रदेश से इस अधिनियम के संशोधनों का संसद द्वारा अधिनियमन किए जाने तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। चूंकि श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन के प्रस्तावों पर संसद में विचार किया जा रहा है, अत: आंध्र प्रदेश सरकार

के प्रस्ताव को विधेयक के पारित होने और संसद द्वारा इसके अधिनियमन किए जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

[हिन्दी]

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

5120. **श्री राजो सिंह:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के संबंध में किए गए बजटीय प्रावधान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक इनमें से पूरी हो चुकी परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता सृजित करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या है और प्राप्त की गई उपलब्धि कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान वास्तविक रूप से उपयोग की गई सिंचाई क्षमता का प्रतिशत कितना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) गत पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू की गई 171 वृहत और 259 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को नौवीं योजना में लाया गया है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। इन परियोजनाओं में से 10 वृहत तथा 13 मध्यम परियोजनाओं के पूर्ण होने की सूचना है।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए लक्ष्य मार्च, 2000 के 5.17 मि. हेक्टेयर के अनन्तिम उपलब्धि की तुलना में 17.05 मि. हेक्टेयर रखा गया था। इस अवधि के दौरान 3.94 मि. हेक्टेयर क्षमता का उपयोग हुआ है जो सृजित क्षमता का लगभग 76% है।

विवरण-I

वृहद परियोजनाएं

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	नवीनतम अनुमानित लागत	नौवी योजना परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12	11154.13	3197.12
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	4	433.38	85.1
4.	बिहार	8	2600.38	840.50
5.	झारखण्ड	7	4990.98	323.00
6.	गोवा	1	473.63	232.27
7.	गुजरात	9	23300.92	14060.09
8.	हरियाणा	5	1032.81	187.75
9.	हिमाचल प्रदेश	1	150.78	24.25
10.	जम्मू व कश्मीर	1	113.97	12.8
11.	कर्नाटक	14	10363.13	25.17

1	2	3	4	5
12.	केरल	7	2282.00	480
13.	मध्य प्रदेश	19	8847.98	1396.01
14.	छत्तीसगढ़	5	2221.58	579.00
15.	महाराष्ट्र	44	20078.36	7150.07
16.	मणिपुर	2	540.29	325.63
17	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	6	5504.67	1631.22
21.	पंजाब	–	3379.53	18
22.	राजस्थान	6	4692.81	1709.64
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तरांचल	2	1011.4	205.00
27.	उत्तर प्रदेश	15	7791.24	2004.54
28.	पश्चिम बंगाल	3	2111	724.03
	कुल	171	113074.97	37703.02

विवरण-II

मध्यम परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	नवीनतम अनुमानित लागत	नौवी योजना परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	19	505.18	308.18
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	5	137.47	58.66
4.	बिहार	8	297.18	36.00

1	2	3	4	5
5.	झारखण्ड	21	758.00	187.50
6.	गोवा	1	40.00	0.30
7.	गुजरात	13	517.25	153.43
8	हरियाणा	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	2	23.44	0.95
10.	जम्मू व कश्मीर	8	178.09	36.35
11	कर्नाटक	15	1037.10	183.35
12.	केरल	5	759.14	50
13.	मध्य प्रदेश	22	770.61	63.84
14.	छत्तीसगढ़	9	351.95	44.50
15	महाराष्ट्र	85	3213.62	1518.72
16.	मणिपुर	2	102.00	50.32
17.	मेघालय	1	30.00	13.5
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	12	1065.63	189.5
21	पंजाब	1	85.49	77
22	राजस्थान	6	240.24	88.25
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2	66.06	82.22
25.	त्रिपुरा	3	154.00	60.66
26.	उत्तरांचल	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	2	72.33	13.06
28.	पश्चिम बंगाल	17	90.42	13.06
	कुल	259	10505.20	3248.25

[अनुवाद]

परिवार पेंशन योजना

5121. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को नवम्बर, 1988 से 30 सितम्बर, 1997 तक कर्मचारी भविष्य निधि की परिवार पेंशन योजना, 1971 और एम.पी. एक्ट, 1952 के प्रावधानों से छूट दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना, 1952 के प्रावधानों से छूट प्रदान करने हेतु तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य निधि आयुक्त ने छूट की पैरवी करने की बजाय अधिनियम की धारा 16 (1) 9ग के अंतर्गत इसका निरसन करने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्य के स्वामित्व वाली उन कंपनियों से (जिन्हें आर.एस.ई.बी. से ले लिया गया था) ट्रांसफ्री के पक्ष में इसका निरसन करने के लिये नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है: और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है और इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (आर.एस.ई.बी.) को तत्कालीन कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई थी। यह छूट कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के शुरू होने के साथ ही 15.11.1995 से समाप्त हो गई।

(ख) मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत छूट प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रतिष्ठान की स्कीम कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत देय लाभ मानकों के समतुल्य नहीं है अत: उक्त आवेदन में सुधार करने और स्कीम की कमियों को दूर करने के लिए प्रतिष्ठान का आवेदन उन्हें वापस कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने अधिनियम की धारा 16 (1) (ग) के अंतर्गत शामिल न किए जाने के लिए आवेदन किया है। इस पर कार्रवाई की गई और राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे। इसी दौरान, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे। इसी दौरान, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका कर दी है और मामला अब न्यायनिर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

खेल-कूद अकादमी की स्थापना

5122. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में खेलकूद अकादमी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अकादमी की स्थापना कब तक की जाने की संभावना है और प्रत्येक अकादमी पर कितनी धनराशि के खर्च होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रारंभिक चरण में झारखंड और बिहार में खेलकूद अकादमी स्थापित करने का भी है: और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) फिलहाल ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आर्थिक सुधारों का प्रभाव

5123. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मजदूर संघ हाल में शुरू किए गए दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के विरुद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) श्रमिक संघों ने 'दूसरी पीढ़ी' के आर्थिक सुधारों तथा विनिवेश एवं निजीकरण की मौजूदा नीति के क्रियान्वयन को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित पहलों के खिलाफ समय-समय पर हड़तालें/बंद कराये हैं और विरोध तथा प्रदर्शन किए हैं। इस संबंध में हाल में किए गए कुछ विरोधों में 16.4.2001 को राष्ट्रव्यापी दो दिवसीय हड़ताल, 25.4.2001 को महाराष्ट्र बंद, 25.7.2001 को केन्द्र सरकार कर्मचारी और कर्मकार परिसंघ तथा अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिसंघ द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल और 24.7.2001 को नौ केन्द्रीय श्रमिक संघ और परिसंघ/दिल्ली राज्य एसोसिएशन की संयुक्त कार्रवाई समिति का प्रदर्शन किया जाना शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार का विचार है कि नब्बे के दशक के शुरूआत में प्रारम्भ किए गए आर्थिक सुधारों से मिलने वाले लाभों को आगे बढ़ाए जाने और नई नीतिगत पहलों के माध्यम से और प्रभावी बनाए जाने की जरूरत है। सरकार सुधार प्रक्रिया के दौरान कर्मकारों के हितों की सुरक्षा करने की जरूरत से पूरी तरह सजग है। सरकार द्वारा कर्मकारों के हितों की सुरक्षा के लिए हाल में उठाए गए कदमों में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की उच्चतम सीमा बढ़ाना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना का नए क्षेत्रों में विस्तार, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि को बढ़ाना, आदि शामिल हैं। चल रहे सुधारों से प्रभावित होने वाले संगठित श्रमिक बल के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु 'आश्रय बीमा योजना' नामक एक नई स्कीम घोषित की गई है। इन उपायों के अलावा, संगठित क्षेत्र में श्रम कानून को युक्ति-संगत बनाने और असंगठित क्षेत्र के लिए एक व्यापक विधान का सुझाव देने के लिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया है।

एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट को वित्तीय सहायता देना

5124. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास चेन्नई के गुन्डी स्थित एडवांस्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट में विकासात्मक कार्यकलापों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान संस्थान को आबंटित धन का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में संस्थान के निष्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) क्षेत्र में औद्योगिक कामगारों की कौशल प्रशिक्षण की मांग को पूरा करने के लिए, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, गिण्डी, चेन्नई के लिए चालू वित्त वर्ष में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए लगभग 57 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह संस्थान की चल रही प्लान योजनाओं का एक हिस्सा है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान उच्च प्रशिक्षण संस्थान, गिन्डी, चेन्नई को आबंटित निधियों एवं उसके कार्य-निष्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च प्रशिक्षण संस्थान, गिन्डी, चेन्नई को आबंटित निधियों एवं उसके कार्य-निष्पादन का वर्षवार ब्यौरा

क्र. सं.	वर्ष	वित्तीय निष्पादन			वस्तुपरक निष्पादन (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)	
		आबंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां	सृजित राजस्व	लक्ष्य	प्रशिक्षण
1.	1998-99	478.44	135.80	46.18	1539	1124
2.	1999-2000	179.44	156.78	16.90	1497	1363
3.	2000-2001	189.78	153.59	24.27	1683	1802

टिप्पणी: उपरोक्त के अलावा, गत 3 वर्षों के दौरान विशेष टेलर-मेड पाठ्यक्रमों में 505 प्रशिक्षणार्थियों को भी प्रशिक्षित किया गया।

एक्सप्रेस-वे की अनियमितताओं के बारे में जांच

5125. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल-भूतल परिवहन के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने एक्सप्रेस-वे के निष्पादन में की गई विभिन्न अनियमितताओं का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो इन अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग चरण-II के लिए ठेका देने में बरती गई कतिपय अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित समाचार की कटिंग भेजी है। इस मामले की जांच की जा रही है और इस समय ब्यौरों के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

श्रीलंका एयरलाइन्स द्वारा हवाई सेवा का संचालन

5126. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका एयरलाइन्स का विचार भारत में और अधिक संख्या में हवाई सेवाएं संचालित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस चुनौती का सामना करते हुए एअर इंडिया की रणनीति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) 17-18 फरवरी, 2000 को दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच विमान-सेवा विचार-विमर्श के आखिरी दौर के दौरान श्रीलंका की नामित विमान-कंपनी को भारतीय पक्ष की अनप्रयुक्त हकदारियों में से प्रति सप्ताह 745 सीटें प्रयोग करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि उन्होंने भारत की नामित विमान-कंपनी के साथ कोड शेयर/ ब्लाक स्पेश प्रबंध किया हो। श्रीलंका की नामित विमानकंपनी को भी कोलकाता और वाराणसी से जुड़ाने की अनुमति दी गई है। तथापि, वास्तविक प्रचालन को इनके वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर छोड़ दिया गया है।

अभयारण्य क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों के लिए कार्यक्रम

5127. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अभयारण्य क्षेत्रों, जहां आजीविका का साधन बहुत ही सीमित है, में रह रहे गरीब लोगों के लिए कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्व में एक मान्यताप्राप्त जैव-मंडल अभयारण्य मन्नार की खाड़ी में ऐसी परिस्थिति में रह रहे लोगों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुछ अभयारण्य क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। सरकार के पास बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर पारि-विकास नामक एक कार्यक्रम है जिसमें बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में तथा उनके चारों ओर रहने वाले निर्धन लोगों पर ध्यान दिया गया है। विस्तृत दिशानिर्देश संलग्न विवरण में है।

(ग) से (ङ) पारि-विकास "जीव मंडल रिजर्व" स्कीम का एक स्वीकृत घटक है। गत तीन वर्षों के दौरान मन्नार की खाड़ी के लिए जीवमंडल रिजर्व स्कीम के अंतर्गत दी गई राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(लाख रुपए)

1998-99	1999-2000	2000-2001
8.05	20.40	12.00

विवरण

विषय: केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम: बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर पारि-विकास के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में स्थापित किए जाने के कारण राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में तथा उनके आसपास रहने वाले ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी, बांस, चारा, लघु वनोपज आदि के लिए वनों में इनका प्रवेश रोक दिए जाने से इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए चालू वर्ष

(1991-1992) के दौरान बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलाई जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पैकेज से सीमावर्ती या बफर क्षेत्र के गांवों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित क्षेत्र प्रबंधकों की चिन्ताएं दूर होंगी और इससे वन्यजीवों के संरक्षण एवं प्रबंधन में ग्राम-वासियों का अधिक सहयोग मिलेगा। चूंकि यह स्कीम काफी नवीन होगी और जैव-विविधता के परिरक्षण के स्पष्ट उद्देश्य से परम्परागत वन्यजीव प्रबंधन से भिन्न होगी, अत: स्कीम को लागू करने के लिए लक्षित गांवों की समस्या से संबंधित संरक्षण की सावधानीपूर्वक योजना तैयार करनी होगी और बेंचमार्क सर्वेक्षण अपेक्षित होगा। अत: परि-विकास स्कीम की आयोजन और कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

1. लक्ष्य क्षेत्रों का चयन

व्यापक समस्याओं पर विचार करते हुए यह स्कीम परि-विकास के अनुरूप होगी जो प्रत्येक सुरक्षित क्षेत्र के अन्दर और उनकी सीमाओं पर स्थित सभी गांवों और बस्तियों के लिए जरूरी है; तथापि, स्कीम को चलाने के लिए निधियों की उपलब्धता और वन्यजीव प्रबंधकों को सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए, फिलहाल लक्ष्य को केवल उन सुरक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित रखना होगा जहां मानव पशु झड़पें और ग्रामीणों और सुरक्षा कर्मचारियों के बीच आमना-सामना चरम सीमा तक पहुंच गया है और स्थिति के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी अपेक्षित है, तात्कालिकता के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए कुछ शर्तें निम्नलिखित होगा:-

1. सुरक्षित क्षेत्र जहां उग्रवाद से पैदा हुई समस्याओं की रिपोर्ट मिली है।
2. वे सभी क्षेत्र जहां बार-बार सूखा पड़ता रहता है, बाढ़ आती है, आग लगती है और अन्य प्राकृतिक आपदाएं घटित होती है।
3. वे क्षेत्र जहां न तो बफर क्षेत्र है अथवा ये अत्याधिक अवक्रमित स्थिति में है और यहां तक कि जलाऊ लकड़ी, चारा आदि के लिए स्थानीय ग्रामीणों की मांग को पूरा नहीं कर सकते।
4. राष्ट्रीय उद्यानों से शिफ्ट किए गए गांवों और जिन्हें विशेपकर किसी बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्र से बाहर पुनर्वास किया गया है।

एक प्रश्न पैदा होता है कि मानव-पशु झड़पों को समाप्त करने के लिए गांवों को अन्यत्र पुनर्वासित करने के लिए हमारी नीति को ध्यान में रखते हुए क्या पारि-विकास को राष्ट्रीय उद्यानों के अन्दर के गांवों में लागू किया जाना चाहिए। इस बात की आशंका है कि इन गांवों को विकासात्मक लाभ पहुंचाने से इनका शिफ्टिंग का कार्य निरूत्साहित होगा। यद्यपि, सामान्य सिद्धान्त के रूप में ऐसे गांवों को स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी ऐसे मामलों में अपवाद होना चाहिए जहां किसी गांव को शिफ्ट करने में व्यावहारिक कठिनाइयों विद्यमान हैं वहां उद्यान कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों के संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाने की आवश्यकता को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। इसका निर्णय ट्रान्सलोकेशन की कानूनी अपेक्षाओं को लागू करने में आ रही कठिनाइयों सहित मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है।

2. पारि-विकास के अंतर्गत गतिविधियां एवं कार्यक्रम

स्थानीय ग्रामीणों की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने और सुरक्षित क्षेत्रों के बफरजोन के उत्पादन में सुधार करने के प्राथमिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप पारि-विकास के नए कार्यक्रम तैयार करने की काफी गुंजाइश है। पारि-विकास के कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक सुरक्षित क्षेत्र के आस-पास के गांवों या गावों के समूहों की मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थिति जिसमें बुनियादी आवश्यकताएं, उनकी वन्यजीव प्रबंधन के साथ झड़पों के स्वरूप और स्तर भी शामिल है, का पता लगाया जा सके। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का प्रकाशन ''माइक्रोप्लानिंग: सामाजिक वानिकी कार्यान्वयन के लिए एक साधन'' इस प्रयोजन के लिए एक उपयोगी संदर्भ है, तथापि, जातीय किस्म के कतिपय गतिविधियां और कार्यक्रम जो पारि-विकास के बुनियादी घटक होंगे को सर्वेक्षण के दौरान तत्काल शुरू किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों को बढ़ाया जा सकता है और सर्वेक्षण के परिणाम ज्ञात होने के पश्चात् इन्हें दुरूस्त किया जा सकता है। इस प्रकार, पारि-विकास कार्यक्रमों को निम्नानुसार दो चरणों में चलाया जायेगा।

चरण 1 की गतिविधियां

ये बुनियादी पारि-विकास कार्यक्रम है और जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

1. प्रबंधन योजनाओं का सर्वेक्षण और उन्हें तैयार करना
2. वन चारागाह विकास

3. तेजी से बढ़ने वाली देशी प्रजातियों की जलाऊ लकड़ी और चारा पौधरोपण को स्थान के निकट उगाना
4. पशु चिकित्सालय केन्द्रों की स्थापना
5. टीकाकरण/परिवार नियोजन क्लीनिकों सहित अचल/वहन डिस्पेंसरियों की स्थापना
6. सुरक्षित पेयजल प्रदान करना
7. वैद्युत/सौर स्ट्रीट लाइटें
8. उन्नत चूल्हों, सौर कुकर तथा गोबर गैस संयंत्रों की आपूर्ति
9. फसलों आदि को पशुओं से रौंदे जाने से बचाने के लिए वैद्युत तार-बाड़ सहित बैरियल लगाना
10. मृदा संरक्षण उपाय जैसे गुली प्लानिंग, कृषि खेतों की टैरासिंग आदि।
11. लघु सिंचाई बांधों/एनिकट का निर्माण,
12. पारि-विकास और संबंधित गतिविधियों/तकनीकों में कर्मचारियों स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं तथा ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण।
13. उक्त कार्यों से प्रत्यक्षत: संबंधित वाहनों और उपस्करों की खरीद और भवन निर्माण

(ख) चरण II गतिविधियां

1. पशुओं द्वारा किए जाने वाले विध्वंस को देखते हुए जीवन, फसल और सम्पत्ति का बीमा।
2. बरानी भूमि खेती की तकनीकों में सुधार।
3. मापन, मृदा संरक्षण, फसल हेरफेर के माध्यम से मृदा उत्पादकता में सुधार।
4. औषधीय पौधों और अन्य लघु वनोपज की खेती सहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बागवानी।
5. सुअर और मुर्गी पालन जैसे पालतू पशुओं को पालना।
6. मुधमक्खी पालन, सीरमकल्चर, मत्स्यपालन।
7. उपयुक्त प्रौद्योगिकियों पर आधारित कुटीर उद्योग स्थापित करना।
8. विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
9. शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं का उद्देश्य रोटेटिड क्षेत्रों की भूमिका बताना तथा सामान्यत: भूमि उत्पादकता, मृदा व्यवस्था आदि बनाए रखने में वन्यजीव प्रबंधन।
10. रहनसहन और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए स्थानीय समुदायों की संस्कृति और परम्परा के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अध्ययन अतिरिक्त नए कार्यकलापों, अर्थात् सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के परिणामों को भी निदेशक वन्यजीव संरक्षण, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से शुरू किया जा सकता है।

3. कार्यान्वयन एजेंसी

स्कीम का कार्यान्वयन राज्य वन्य विभाग के वन्यजीव विंग द्वारा संरक्षित क्षेत्र, जहां पारिविकास कार्य किए जाएंगे, के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा चूंकि इसमें कई कार्य शामिल हैं इसलिए विभिन्न ग्रामीण विकास विभागों की सहायता लेना अत्यंत आवश्यक होगा। इस उद्देश्य के लिए वन्यजीव प्रबंधकों को पशुपालन, डेरी विकास बागवानी, प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि विस्तार मृदा संरक्षण, मछलीपालन, जनजाति कल्याण लघु उद्योग आदि पर निर्भर रहना होगा। जबकि चुने हुए क्षेत्रों में पारि-विकास कार्य की योजना बनाने/कार्यान्वयन के लिए इन विभागों के विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति पर लेना अपेक्षित होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह विभाग स्कीमों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हों। इसलिए जिलाधीश/मैजिस्ट्रेट के अधीन जिला स्तर समन्वय समिति बनाना आवश्यक होगा जिसमें अभ्यरण/राष्ट्रीय उद्यान का निदेशक इसका सदस्य सचिव होगा। इस समिति में सहयोगी विभागों के प्रतिनिधियों, इसमें लगे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और संबंधित ग्राम पंचायत के नेता शामिल होंगे। समिति की दो माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए और बैठक के कार्यवृत को स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्तावों में शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को उचित मानदेय देने पर विचार कर सकती है और इस पर होने वाले व्यय को स्कीम के नामे डाले जा सकता है।

यद्यपि पारि-विकास स्कीम का उद्देश्य मुख्यतया वन में रहने वाले समुदायों का कल्याण है तथापि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में साफ सुथरे रिकार्ड वाले गैर सरकारी संगठनों को स्कीम और स्कीम के अंतर्गत निगरानी कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाना आवश्यक है। इन गैर-सरकारी संगठनों को ऐसे सहयोग के लिए तैयार की गई शर्तों पर एक समझौते के बाद सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों, धुआं रहित चुल्हें को लोकप्रिय बनाने अथवा शिक्षा केन्द्रों को चलाने का कार्य सीधे सौंपा जा सकता है। उचित होगा यदि भाग लेने वाले गैर सरकारी संगठनों के व्यक्तियों के संबंध में राज्य सरकारों से अनुमोदन ले लिया जाए।

4. पारि-विकास के लिए योजना

पारि-विकास, अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान के विकास का एक अभिन्न अंग है। इसलिए यह आवश्यक है कि स्कीम के अंतर्गत गतिविधियों जैसे वन्यजीव प्रबंधन की अन्य गतिविधियों के लिए, सापेक्ष (5-10 वर्ष) के लिए और वार्षिक आधार पर दोनों स्तरों पर इन्हें पर्याप्त रूप से नियोजित किया जाए। इस समय सापेक्ष पारि-विकास योजना को तैयार करना कठिन होगा क्योंकि इस समय योजना का स्वरूप और कार्यक्रम का स्वरूप भी नया है और पर्याप्त सूचना का अभाव है। भारतीय वन्य जीव संस्थान शीघ्र ही पारि-विकास में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। जिसके साथ ही इस उद्देश्य के लिए शुरू की गई नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य स्तरीय आयोजन सैल की स्थापना की जाएगी। आशा है कि राज्य सरकारें इस नई पहल से अधिकतम लाभ उठा सकेंगी। इस समय अभ्यरण/राष्ट्रीय उद्यान/बाघ रिजर्व की प्रबंधन योजना में पारि-विकास पर एक अध्याय जोड़ना लाभकर होगा। इस अध्याय की विषय-वस्तु निम्नलिखित हो सकती है:-

पारि-विकास

1. आधारभूत सूचना

1. संरक्षित क्षेत्र के निकट गांव का नाम, जनसंख्या और पशुधन की संख्या।

2. रहने वालों की आर्थिक स्थिति, उनकी जीविका का मुख्य स्रोत।

3. बफर क्षेत्र की सामान्य स्थिति, अर्थात् अवक्रमण किस सीमा तक है और स्थानीय समुदायों की संसाधन मांग को पूरा करने की क्षमता।

2. स्थानीय लोगों के लिए जलावन की लकड़ी, चारा, बांस, लघु वनोपज आदि की मांग का विश्लेषण और इन संसाधनों की स्थानीय उपलब्धता/इसमें राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यरण स्थापित किए जाने के कारण इस संसाधनों की उपलब्धता में हुई कमी को भी शामिल किया जाएगा।

3. वन्यजीव प्रबंधकों और ग्रामीणों के बीच हुई झड़पों का स्तर और स्वरूप/प्रत्येक गांव के लिए यह अलग-अलग हो सकते हैं। यदि पशुओं द्वारा नुकसान के कारण जान-माल की गंभीर हानि की घटना हुई है तो उसको सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

4. पूर्व में किए गए पारि-विकास के प्रयास उनकी सफलता के विश्लेषण के साथ।

5. प्रत्येक गांव अथवा गांवों के समूह के लिए प्रस्तावित कार्यों/कार्यक्रमों की सूची वर्षवार बजट अनुमान सहित।

6. कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल विकास एजेंसियों और इन एजेंसियों को शामिल करने और समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए गठित तंत्र।

7. कार्यक्रम से जुड़े हुए गैर-सरकारी संगठन और उनके साथ सहयोग का स्वरूप। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की सूची संलग्न की जानी चाहिए और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए समझौते की सूची भी संलग्न की जानी चाहिए। विशिष्ट कार्यों के लिए ऐसी एक सूची भी।

8. पारि-विकास कार्यक्रमों की निगरानी की पद्धति/तंत्र।

5. आवर्ती व्यय

स्कीम के अंतर्गत भवन, वाहनों का रख-रखाव और खरीदे गए अन्य उपस्कर और स्कीम को चलाने के लिए नियुक्त अतिरिक्त/इनक्रीमेंटल स्टाफ आदि के वेतन पर होने वाली लागत के 50% को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्धता कराई जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में प्रदूषणकारी इकाईयां

5128. श्री रामदास आठवले: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है जो मास्टर प्लान के अनुसार 'एच' और अन्य श्रेणियों के अंतर्गत आती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन ईकाइयों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की गंभीर समस्या रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 'एच' श्रेणी के अंतर्गत 1328 और 'एफ' श्रेणी के अंतर्गत 5100 इकाइयों को बन्द कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या अपर्याप्त मलजल शोधन, वाहनजनित प्रदूषण और औद्योगिक कार्यकलापों के कारण है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में चल रही जल प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 21 औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पन्न औद्योगिक बहिस्राव के शोधन हेतु 15 सांझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र लगाए जा रहे हैं।

(3) सिविल रिट याचिका सं. 725/94 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनसुरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अनुपालन न करने वाले क्षेत्रों में, जल प्रदूषण फैलाने वाली कई औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई है। और उन्हें बन्द करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

(4) सिविल रिट याचिका संख्या 4677/85 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नोडल अभिकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह निर्देश दिया गया है कि वे अनुपालन न करने वाले/आवासीय क्षेत्रों अथवा जोनों में कार्यरत प्रदूषण फैलाने वाली सभी इकाइयों को बन्द कर दें।

(5) घरेलू मलजल का यथोचित शोधन सुनिश्चित करने के लिए मलजल शोधन संयंत्रों में वृद्धि की गई है।

(6) मोटर-कारों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े उत्सर्जन मानक और ईंधन गुणता मानक अधिसूचित किए गए हैं। सीसा रहित पैट्रोल, कम सल्फर युक्त डीजल और पैट्रोल तथा स्वच्छ ईंधनों का उपयोग प्रारम्भ किया गया है।

(7) तापीय ऊर्जा संयंत्रों और अन्य उद्योगों में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर बल दिया गया है।

उपकरणों की खरीद में अनियमितताएं

5129. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय को सूचित विभिन्न राज्यों में आवश्यक दूरभाष उपकरण, केबल, तार, मशीनरी इत्यादि की खरीद में किए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं संबंधी मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बाढ़ की स्थिति संबंधी रिपोर्ट

5130. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल भंडारण और बाढ़ की स्थिति से निपटने के संबंध में केन्द्र सरकार की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके निजी संसाधनों तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार इस संबंध में तकनीकी, प्रोत्साहनात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 1980 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में देश में बाढ़ के कारणों संबंधी विस्तृत अध्ययन किए हैं और देश में बाढ़ प्रबंधन की कार्य नीति और कार्रवाई योजना संबंधी विभिन्न उपायों का सुझाव दिया। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की, कि जलाशयों की आवश्यकता और उनकी व्यावहारिकता की जांच करने के बाद उनमें बाढ़ के पानी के लिए स्थान मुहैया कराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशें क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेजी गई थी। भारत सरकार ने वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की है, आयोग ने गंगा बेसिन की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबंधन की व्यापक योजनाएं तैयार की है। संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1982 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया गया, इस बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की है। ये योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों को उनके विचार और क्रियान्वयन के लिए भेजी गई है।

[अनुवाद]

मेदारा समुदाय

5131. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मेदारा समुदाय को असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने हेतु कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मेदारा समुदाय की कुल संख्या के बारे में पहचान कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा कुशल कामगारों के रूप में उनके लिए कोई विशेष योजनाएं तैयार की गई है; और

(छ) उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एशियाई और विश्व खेलों में भारतीय टीमों का प्रदर्शन

5132. श्री विजय गोयल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल टीमें एशियाई और विश्व खेलों में खराब प्रदर्शन करती रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने आगामी अफ्रीका-एशियाई खेलों के लिए एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार हेतु उनकी तैयारी संबंधी व्यवस्था की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त खेलों में भारत के मैडलों की क्या संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) खेलों में भारत का स्तर अभी विश्व स्तरीय नहीं है लेकिन एशियाई स्तर पर हमारा प्रदर्शन यथोचित रूप से अच्छा है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत द्वारा तकरीबन 16 पदक जीतने की संभावना है। तथापि, भारत के प्रदर्शन की केवल एशियाई महाद्वीप के दल के प्रदर्शन में तुलना की जाएगी।

ए.टी.एफ. के मूल्य में कमी के कारण इंडियन एयरलाइन्स की टिकटों के मूल्यों में कमी

5133. श्री नरेश पुगलिया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एविएशन टरबाइन ईंधन फ्यूल का औसत मूल्य 1 अप्रैल, 2000 से 3 रुपये प्रतिलिटर कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स के टिकटों के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने ईंधन के मूल्यों में कमी के मद्देनजर टिकटों के मूल्यों को कम करने की कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन सेक्टरों में हवाई यात्रा सस्ती हो जाएगी; और

(ङ) हवाई टिकटों के मूल्य को तर्कसंगत बनाने के लिए इंडियन एयरलाइन्स की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) दिनांक 1.4.2001 से घरेलू एटीएफ मूल्य के डिरेगुलेशन की वजह से औसतन एटीएफ के मूल्य में 3 रुपए प्रति लिटर तक कमी आई है। एटीएफ के डिरेगुलेटेड के परिणामस्वरूप, एटीएफ का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत के उतार-चढ़ाव की वजह से बढ़ सकता है अथवा कम हो सकता है। उदाहरणार्थ, एटीएफ का डिरेगुलेशन प्राप्त मूल्य मई, 2001 से उसके बाद लगभग 1 रुपया प्रति लिटर बढ़ गया है।

(ख) से (ङ) डिरेगुलेशन से पूर्व एटीएफ मूल्य में वृद्धि से वर्ष 2000-2001 के लिए एलाइंस एयर सहित इंडियन एयरलाइन्स के प्रचालनों की लागत पर लगभग 291 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा जो वार्षिक आधार पर 327 करोड़ रुपए के बराबर बैठता है। एटीएफ मूल्यों पर डिरेगुलेशन से वर्तमान मूल्य स्तर पर वार्षिक आधार पर व्यय में लगभग 95 करोड़ रुपए की कमी होने की प्रत्याशा है। अत: लगभग 232 करोड़ रुपए का शुद्ध अतिरिक्त भार होगा जो इंडियन एयरलाइन्स और एलायंस एयर को वहन करना पड़ेगा।

चूंकि एटीएफ मूल्य के डिरेगुलेशन की वजह से अनुमानित बचत डिरेगुलेशन से पूर्व एटीएफ लाभ में वृद्धि से अपेक्षाकृत कहीं कम है, इसलिए किरायों में कमी करने की कोई संभावना नहीं है।

नेहरू युवा केन्द्रों के लिए बजटीय आबंटन

5134. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक, को नेहरू युवा केन्द्र संबंधी योजनाओं के लिए किए गए बजटीय आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को निधियों के दुरूपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने हेतु नेहरू युवा केन्द्रों के लिए निधियां जुटाने के अन्य स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा नेहरू युवा केन्द्र योजना के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) भारत सरकार नेहरू युवा केन्द्र संगठन को एकमुश्त सहायता अनुदान जारी करती है जो बाद में केन्द्रवार आबंटन करता है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा किए गए बजटीय आबंटन को विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण-II संलग्न है।

(घ) निधियों के ऐसे स्रोतों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

(ङ) और (च) जी, हां। नेहरू युवा केन्द्र संगठन को विवरण-IV में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों से सहायता प्राप्त हुई है।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा

1998-99 से 2000-2001

क्र.सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001	23.8.2001 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11699320	12831174	13454480	7634220
2.	असम	12748040	14308020	14766880	7316295
3.	बिहार	24877400	25951512	26648000	16535025
4.	गुजरात	8755740	9224419	10180440	5557485
5.	हरियाणा	7826398	8624943	8686160	5237715
6.	हिमाचल प्रदेश	6136060	6348410	6492720	3609705
7.	जम्मू व कश्मीर	6943739	7616774	7569840	4162185
8.	कर्नाटक	10158600	11000662	11675200	6865575

1	2	3	4	5	6
9.	केरल	8060060	9331618	9316640	4475910
10.	मध्य प्रदेश	23808020	24428691	26078480	16033170
11.	महाराष्ट्र	14771200	15123362	18112800	8907568
12.	मणिपुर	5077420	5799224	5592040	2775285
13.	मेघालय	2361100	2897901	3257800	1641825
14.	नागालैण्ड	3103360	3810844	3754920	2211705
15.	उड़ीसा	7937040	10779317	7951400	6349815
16.	पंजाब	6656960	7409171	7426640	4187385
17.	राजस्थान	14223765	14683413	16052800	9322200
18.	सिक्किम	1838220	1977680	2204240	1365285
19.	तमिलनाडु	15301060	15824373	16588040	10344405
20.	त्रिपुरा	1576140	2000779	1650680	1122345
21.	उत्तर प्रदेश	34683377	37197868	34253840	21716445
22.	पश्चिम बंगाल	11501920	12599557	11974720	6430380
23.	अरूणाचल प्रदेश	2257100	2246001	2134240	1625025
24.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2695780	2748330	3201360	1619340
25.	चण्डीगढ़	431640	480353	524760	274440
26.	दिल्ली	1325420	1378806	1634280	819120
27.	गोवा, दमन व दीव	2203300	2001026	1600680	1351200
28.	लक्षद्वीप	423980	84614	533560	270240
29.	पांडिचेरी	2237900	1587650	2199040	1089360
30.	मिजोरम	1394640	1645268	1600680	1076145
31.	दादर व नागर हवेली	480740	300753	563360	282840

विवरण-II

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम/पदनाम और तैनाती-स्थल	राज्य/क्षेत्र	वर्तमान स्थिति/की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	श्री डी.के. साहू, जिला युवा समन्वयक, ने.यु.के.- बोलीनगीर	उड़ीसा	अनुशासनिक प्राधिकारी ने संचयी प्रभाव के साथ तीन वर्ष के लिए वेतन के समय-मान में निचली अवस्था में कमी करते हुए बड़ा दण्ड दिया। 2. वेतन से वसूली	
2.	श्री सी.के. राधाकृष्णन जिला युवा समन्वयक, ने.यु.के.- इदुकी	तमिलनाडु	अनुशासनिक प्राधिकारी ने संचयी प्रभाव के साथ वेतन के समय-मान में निचली अवस्था में कमी करते हुए बड़ा दण्ड दिया।	
3.	श्री एल.ई.जी. सम्पत कुमार, जिला युवा समन्वयक, ने.यु.के.-कुड्डालोर और ने.यु.के.-त्रिचुरापल्ली	तमिलनाडु	अनुशासनिक प्राधिकारी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का बड़ा दण्ड दिया।	
4.	श्री आर.डी. पट्टालीरमण, जिला युवा समन्वयक, ने.यु.के.-तिरूवामली	तमिलनाडु	अनुशासनिक प्राधिकारी ने वेतन वृद्धि रोककर छोटा दण्ड दिया।	
5.	श्री एस. शांता कुमार, जिला युवा समन्वयक, ने.यु.के.- मद्रास (ग्रामीण)	तमिलनाडु	अनुशासनिक प्राधिकारी ने भर्त्सना सम्बन्धी छोटा दण्ड	
6.	श्री वी. वेलुमुरगन, जिला युवा समन्वयक, ने.यु.के.- विल्लुपुरम	तमिलनाडु	नये सिरे से जांच की रही है।	लम्बित
7.	श्री अजीज हुसैन, जिला युवा समन्वयक, ने.यु.के.- लद्दाख (जम्मू व कश्मीर)	जम्मू एवं कश्मीर	अनुशासनिक प्राधिकारी ने संचयी प्रभाव के साथ न्यूनतम तक कमी करने संबंधी बड़ा दण्ड दिया। 2. वेतन से वसूली	
8.	सुश्री इसमत इरा चौधरी, जिला युवा समन्वयक, ने.यु.के.- बेरेपेट्टा	असम	अनुशासनिक प्राधिकारी ने संचयी प्रभाव से वेतन के समय मान में न्यूनतम तक कमी करने का बड़ा दण्ड दिया। 2. आदेश संख्या ने.यु.के.सं./सतर्क/आदेश/ 2001-2002/243 के अंतर्गत दुर्विनियुक्त निधि की वसूली की।	

1	2	3	4	5
9.	श्री अजय कुमार गुप्ता, जिला युवा समन्वयक, ने.यु.के.- गारो हिल्स विलियम नगर	असम	जांच की गई और तत्संबंधी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।	लम्बित
10.	श्री के. हरि लाल, युवा समन्वयक, ने.यु.के.- एर्नाकुलम	केरल	अनुशासनिक प्राधिकारी ने वेतन वृद्धि रोककर छोटा दण्ड दिया।	
11.	श्री रमेश बघेल जिला, युवा समन्वयक, ने.यु.के.-भावनगर	गुजरात	अनुशासनिक प्राधिकारी ने भर्त्सना सम्बन्धी छोटा दण्ड दिया।	
12.	श्री रमेश बघेल, युवा समन्वयक, ने.यु.के.- सुरेंद्रनगर	गुजरात	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।	लम्बित
13.	श्री बाल्दवीन राजू, क्षेत्रीय समन्वयक आर.सी. (सेवानिवृत्त), ने.यु.के.सं. चित्तूर	आंध्र प्रदेश	नये सिरे से जांच की गई थी और जांच रिपोर्ट दिनांक 10.07.2001 को प्राप्त हुई। मामले की आदेशों के लिए जांच की जा रही है।	लम्बित
14.	श्रीमती वी.टी. कुमूद नायिक, युवा समन्वयक, ने.यु.के., रायचूर	कर्नाटक	जांच रिपोर्ट दिनांक 07 जुलाई 2001 को प्राप्त हुई। मामले के आदेशों के लिए जांच की जा रही है।	लम्बित
15.	श्री गोविन्द भट्ट जिला युवा समन्वयक, ने.यु.के.-मादिकेरी	कर्नाटक	अनुशासनिक प्राधिकारी ने वेतन वृद्धि रोककर छोटा दण्ड दिया।	
16.	श्री राजेश मिश्रा, जिला युवा समन्वयक, ने.यु.के. रायसेन	मध्य प्रदेश	आई.ओ. और पी.ओ. की नियुक्ति की जा रही है।	लम्बित
17.	श्री डी.के. साहू, युवा समन्वयक, ने.यु.के. चम्पा	मध्य प्रदेश	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।	लम्बित
18.	श्री तनवीर अहमद, युवा समन्वयक, ने.यु.के., फतेहगढ़	उत्तर प्रदेश	जांच रिपोर्ट दिनांक 28 जनवरी, 2001 को प्राप्त हुआ था, मामले की आदेशों के लिए जांच की जा रही है।	लम्बित
19.	श्री सी.एस. सिंह, क्षेत्रीय समन्वयक, ने.यु.के.सं., इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षीत है	लम्बित

विवरण-III

सहयोग तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा जुटाई गई धनराशि के विस्तार का ब्यौरा

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	सहयोगी एजेंसियों के नाम	परियोजना का नाम	जुटाई गई धनराशि का विस्तार (रुपये में)
1.	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	65,24,381.00
2.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना परियोजना	14,19,00,000.00
3.	नाको	विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाना	1,04,372.00
4.	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	ओल्ड एज डेकेयर सेंटर परियोजना	27,00,000.00
5.	यूनीसेफ	अभिविन्यास प्रशिक्षण	14,22,706.00
6.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार	पंचायती राज के प्रतिनिधियों को अभिविन्यास प्रशिक्षण	3,80,000.00
7.	संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार	गणतंत्र गौरव	20,56,801.00
8.	यूनेस्को	अभिविन्यास प्रशिक्षण	4,60,140.00
9.	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	सीटे फ्लेम	20,23,461.00
10.	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं के लिए ग्रामीण युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम	7,90,000.00
11.	डब्ल्यू.एच.ओ.	तम्बाकू अवसान	9,40,000.00
	कुल जोड़		15,93,01,861.00

विवरण-IV

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा जुटाई गई धनराशि का ब्यौरा

वर्ष 2000-2001

क्रम सं.	सहभागी एजेंसियों का नाम	परियोजना का नाम	जुटाई गई धनराशि का विस्तार (रुपये में)
5.	यूनीसेफ	अभिविन्यास प्रशिक्षण	14,22,706.00
8.	यूनेस्को	अभिविन्यास प्रशिक्षण	4,60,140.00
9.	डब्ल्यू.एच.ओ.	सीटे फ्लेम	20,23,461.00
11.	डब्ल्यू.एच.ओ.	तम्बाकू अवसान	9,40,000.00
	कुल जोड़		48,46,307.00

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

5135. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 तथा 2000-2001 के दौरान औद्योगिक कामगारों और कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के वार्षिक प्रतिशत में अलग-अलग कितना अन्तर है;

(ख) उक्त अवधि में औद्योगिक कामगारों और कृषि श्रमिकों की मजदूरी के वार्षिक प्रतिशत में अलग-अलग कितना अन्तर है;

(ग) क्या औद्योगिक कामगारों और कृषि श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि और मूल्य सूचकांक तथा गैर-संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कोई विसंगित विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) 1990-91 तथा 2000-2001 की अवधि के बीच औद्योगिक श्रमिकों के और कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्रमश: 13 प्रतिशत तथा 12.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई।

(ख) 1990-91 तथा 1998-99 की अवधि के दरम्यान, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में दी गई सांख्यिकी के आधार पर, औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी (वर्तमान मूल्यों पर) में औसतन 10.08 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2000-2001 के अनुसार, 1992-93 से 1999-2000 की अवधि के दौरान, अकुशल कृषि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी वर्तमान मूल्यों पर मजदूरी कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से कम रही है अर्थात् औसतन 2.72 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) 1988 तथा 1998 की अवधि के बीच, अकुशल कृषि श्रमिकों तथा गैर-कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी (वर्तमान मूल्यों पर) में औसतन क्रमश: 65.34 प्रतिशत तथा 17.66 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। इस प्रकार, औद्योगिक और कृषि दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में हुई वृद्धि वास्तविक मजदूरी तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में प्रतिशत वृद्धि से ज्यादा है।

अंडमान ट्रंक रोड का सुधार

5136. **श्री विष्णु पद राय:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 330 किलोमीटर लंबे अंडमान ट्रंक रोड के सुधार कार्य के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने, निष्पादित किए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान ट्रंक रोड के सुधार हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निधियां उपलब्ध करवाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अंडमान ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है और इसमें सुधार संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के संबंध में विचार प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही परस्पर प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जा सकता है।

[हिन्दी]

विदेशी एयरलाइनों द्वारा उड़ानों का संचालन

5137. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को विदेशी एयरालइनों को अपनी उड़ानें संचालित करने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) हाल ही में केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें सहित, विभिन्न राज्य सरकारों से विदेशी एयरलाइनों द्वारा उनके संबंधित राज्यों में हवाई अड्डों में प्रचालन की अनुमति दिये जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। सतत् प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, यातायात की मांग के आधार पर विभिन्न हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय

उड़ानों के प्रचालनों की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है। उनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में कोटीउन्नयन हो जाने पर, बंगलौर, हांग-कांग, जर्मनी, मलेशिया और चार गल्फ एयर स्वामित्व वाले राष्ट्रों की नामित विमान कंपनी को एक अवतरण स्थल के रूप में पेश किया गया है, हैदराबाद को मलेशिया और यूएई (दुबई) अमृतसर और अहमदाबाद को तुर्कमेनिस्तान और कोचीन को तर्कमेनिस्तान और ओमन की नामित विमान कंपनी को एक अवतरण स्थल के रूप में स्वीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर अनुपयोगी व्यय

5138. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 6 सितम्बर, 2001 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सी-डॉट ने 3.71 करोड़ रुपये व्यय कर एक ऐसी प्रौद्योगिकी खरीदी थी जो इसके क्रियान्वयन से पूर्व ही अप्रचलित हो चुकी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है और सरकारी धन का दुरूपयोग करने के लिए जिम्मेवार प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(ग) समाचार में अन्य क्या बातें प्रकाशित हुई हैं और उनके विरुद्ध भी क्या कार्रवाई की गई हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित 6 सितम्बर 2000 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार, उपग्रह आधारित ग्रामीण टेलीग्राफ नेटवर्क (एसबीआरटीएन) प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सी-डॉट ने यह प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं की है। एस बी आर टी एन उपस्कर को वर्ष 1986-89 के बीच तत्कालीन दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र (टीआरसी) और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एसएसी) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन करके विकसित किया गया तथा इसका उत्पादन इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री द्वारा किया गया। टी आर सी का वर्ष 1989 में सी-डॉट के साथ विलयन हो गया।

यह परियोजना, उपग्रह के माध्यम से ग्रामीण टेलीग्राफी नामक एक विशिष्ट सेवा हेतु एक उत्पाद के विकास के लिए शुरू की गई थी। इस प्रणाली को डिजाइन करके विकसित किया गया, इसका परीक्षण किया गया, इसके संघटकों का प्रयास किया गया और वर्ष 1989 में उत्पादन शुरू हो गया। बाद में प्रयोक्ता के चाहने पर वायस को शामिल करने के लिए इसके स्कोप को बढ़ाना संभव नहीं था क्योंकि समय और धन के संदर्भ में इसका अर्थ होता एक पूरी तरह से नयी डिजाइन तैयार करना। विकसित उत्पाद पुराना नहीं था, क्योंकि इसे जिस प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया था उस प्रयोजनार्थ यह एक प्रचलित डिजाइन था। परियोजना का मूल उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया था। 50 टर्मिनलों के लिए प्रापण और प्रस्तावित संस्थापना, परियोजना का केवल प्रायोगिक चरण (पायलेट फेज) था क्योंकि संपूर्ण परियोजना में बाद के चरण में स्थापित किए जाने के लिए 1000 टर्मिनलों का प्रावधान था। इस दृष्टि से, परियोजना सिर्फ विकासात्मक चरण पर ही बनी रही और इसमें वाणिज्यिक अथवा बड़े पैमाने पर संस्थापना नहीं हो पाई।

अत:, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सी-डॉट ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की जो नेटवर्क में संस्थापित करने से पहले ही पुरानी हो गई थी और ऐसी पुरानी प्रौद्योगिकी पर व्यर्थ का व्यय किया गया। यह एक विकासात्मक परियोजना थी और उत्पाद को किसी विशेष उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। किन्तु यह स्वाभाविक है कि अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सभी विकासात्मक उत्पाद को अनिवार्यत: बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक रूप से संस्थापित नहीं किया जा सकता। इसे देखते हुए किसी प्राधिकरण के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

विमान पत्तनों का लाभ और हानि

5139. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में लाभ में चलने वाले विमान पत्तनों के नाम क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में घाटे में चलने वाले विमान पत्तनों के नाम क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ में चल रहे हवाई अड्डों के नाम, दिल्ली, चैन्नई, मुम्बई, कोलकाता, गोवा, बंगलौर, जुहू, भुज और पुणे हैं। इसके अतिरिक्त, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान, कालीकट ने और 2000-2001 के दौरान हैदराबाद हवाई अड्डों पर अधिकतम लाभ हुआ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हानि उठा रहे हवाई अड्डों के नाम, इस प्रकार हैं, अहमदाबाद, अमृतसर, त्रिवेन्द्रम, गुवाहाटी,

अगरतला, आईजॉल (लेंगपुई), डिब्रगुढ़, दीमापुर, इम्फाल, लीलाबाड़ी, शिलांग, पासीघाट, कूच, कैलाशहर, खोवाई, कमालपुर, रूपसी, शेल्ला, बागडोगरा, जोरहाट, सिलचर, तेजु, जेरो, तेजपुर, अलांग, डपोरिजो, आगरा, चण्डीगढ़, जम्मू, जोधपुर, लेह, ग्वालियर, श्रीनगर, कानपुर (चेकरी), इलाहाबाद, बीकानेर, जैसलमेर, गोरखपुर, देहरादून, गग्गल, जयपुर, खजुराहो, कोटा, कल्लू (भुगतर), लखनऊ, लुधियाना, पंतनगर, सफदरजंग, शिमला, उदयपुर, वाराणसी, ललितपुर, सतना, झांसी, औरंगाबाद, बड़ौदा, इन्दौर, भावनगर, भोपाली, जबलपुर, काण्डला, केशोद, नागपुर, पोरबन्दर, रायपुर, राजकोज, इन्दौर, शोलापुर, कोल्हापुर, बिलासपुर, दीसा, खण्डवा, अकोला, पन्ना, हैड़ाप्पसर, जामनगर, पोर्ट ब्लेयर, भुवनेश्वर, गया, पटना, रांची, देहाला, बेलूघाटा, झारसुगुडा, मालदा, जोगबानी, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, चकुलिया, आसनसोल, विशाखापत्तनम, अगत्ती, हुबली, मदुरै, मंगलौर, पांडिचेरी, राजामुन्दरी, सलेम, तिरूपति, त्रिची, विजयवाड़ा, तूतीकोरिन, वैल्लौर, कोयम्बतूर, दोनाकोण्डा, कुड्डापाह, मैसूर वारंगल, हस्सन और नादिरगुल। इसके अतिरिक्त, 1998-99 के दौरान कालीकट और 1998-99 और 1999-2000 के दौरान, हैदराबाद हवाई अड्डे हानि उठा रहे थे।

(ग) कम यातायात वाले हवाई अड्डों को लाभकारी बनाने में कुछ अन्तर्निहित सीमिताएं हैं तथापि, हानि में चल रहे दस हवाई अड्डों की पहचान कर ली गई है जिससे उनमें गैर-वैमानिकी राजस्व को बढ़ा कर और इन हवाई अड्डों की लागतों पर नियंत्रण रखकर लाभकारी हवाई अड्डे बनाया जा सके।

नाल्को को मार्ग-निर्देश

5140. श्री अनन्त नायक: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य के लघु उद्योगों जो डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम परियोजना में संलग्न है, नाल्को की नीति के कारण प्रभावित हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य के लघु उद्योग को बचाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) एल्यूमिनियम क्षेत्र को विनियंत्रित किया गया है और आयात/निर्यात के लिए एल्यूमिनियम को खुले सामान्य लाइसेंस वर्ग (ओपन जनरल लाइसेंस कैटिगिरी) में रखा गया है। अत: एल्यूमिनियम और इसके उत्पादों का मुक्त रूप से व्यापार किया जाता है।

बांस विकास प्रकोष्ठ

5141. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांस विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बांस विकास प्रकोष्ठ बनाने और बांस की खेती को बढ़ाने के लिए क्या राष्ट्रव्यापी प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चालू वर्ष में बांस विकास के लिए राज्यवार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) देश में बांस संसाधनों के विकास हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए 1999 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में एक बांस सैल गठित किया गया था।

(ग) सरकार ने बांस संसाधनों के विकास को 9वीं योजना में एक थ्रस्ट एरिया के रूप में अभिनिर्धारित किया है और 21 राज्यों में 30163 हैक्टेयर में बांस रोपण के लिए 20.8532 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय वन सर्वेक्षण ने देश में बांस संसाधनों का सर्वेक्षण किया है। महत्वपूर्ण बांस प्रजातियों के वितरण और उनकी उपलब्धता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(च) सरकार द्वारा 1999 में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बांस की खेती के लिए राज्यों को सहायता दी जा रही है। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्यों को आबंटित धनराशियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भारत में बांसों की उपलब्धता

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	क्षेत्र प्रतिशत	बढ़ता भण्डार प्रतिशत
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	28	66
2.	मध्य प्रदेश	20.30	12
3.	महाराष्ट्र	9.9	5
4.	उड़ीसा	8.7	7
5.	आंध्र प्रदेश	7.4	2
6.	कर्नाटक	5.5	3
7.	अन्य	20.2	5

भारत में कुछ महत्वपूर्ण बांस प्रजातियों का वितरण

प्रजातियां	बढ़ते भण्डार की उपलब्धता का प्रतिशत	राज्य
डी. स्ट्रीक्टस	45	मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा
एम. बैक्सीफेरा	20	असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा
बी. अरूनदिनेशिया	13	नागालैंड, कर्नाटक, उड़ीसा
डी. हैमिलटोनी	7	अरूणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड
बी. टुल्डा	5	अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा
बी. पाल्लिडा	4	अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा
शेष	6	

विवरण-II

औषधीय पौधों सहित गैर इमारती लकड़ी के वनोत्पाद के संरक्षण व विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बांस रोपण परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

(लाख रु. और लक्ष्य हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	नवीं योजना	1999-2000*			2000-201		2001-2002	
		स्वीकृत	लक्ष्य	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	258.40	4000	–	–	169.00	60.00	89.40	150.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	72.90	1126	–	–	44.00	30.00	28.90	20.00
3.	बिहार	102.63	1500	–	–	51.13	30.00	51.50	–
4.	गोवा	16.84	240	–	–	7.83	7.83	9.01	4.00
5.	गुजरात	119.70	1500	–	–	72.00	50.00	47.70	45.00
6.	हरियाणा	34.85	325	–	–	10.14	10.14	24.71	–
7.	हिमाचल प्रदेश	17.85	262	–	–	8.85	8.85	9.00	–
8.	जम्मू व कश्मीर	96.35	1400	–	–	62.00	15.00	34.35	–
9.	केरल	100.50	750	–	–	51.20	30.00	49.30	40.00
10.	मध्य प्रदेश	240.00	3000	–	–	140.00	70.00	100.00	50.00
11.	महाराष्ट्र	103.70	1600	–	–	64.25	30.00	39.45	14,00
12.	मणिपुर	104.30	1800	–	–	73.37	73.37	30.93	–
13.	मेघालय	24.75	400	–	–	15.75	10.00	9.00	–
14.	मिजोरम	123.45	1500	13.50	10.00	55.65	32.00	54.30	27.00
15.	नागालैंड	148.20	2400	–	–	83.30	40.00	64.90	–
16.	उड़ीसा	170.40	3000	19.50	9.02	73.00	30.00	77.90	–
17.	राजस्थान	82.50	1000	–	–	40.50	39.00	42.00	30.00
18.	सिक्किम	90.10	1300	23.30	15.00	40.15	48.45	26.65	18.00
19.	त्रिपुरा	47.80	900	11.50	8.00	21.25	10.00	15.05	–
20.	उत्तर प्रदेश	90.50	1600	–	–	52.30	20.00	38.20	–
21.	पश्चिम बंगाल	39.60	560	–	–	20.30	15.00	19.30	–
	कुल	2085.32	30163	67.80	42.02	1155.97	659.64	861.55	398.00

*स्कीम के प्रथम वर्ष में केवल तीन राज्यों को निधियां जारी की गई।

पंचायत संचार सेवा योजना

5142. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रमशक्ति की अनुपलब्धता की समस्या पर काबू पाने के लिए तैयार की गई पंचायत संचार सेवा योजना सन्तोषजनक ढंग से कार्य करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में पंचायत संचार सेवा केन्द्र के अभिकर्त्ताओं के पारिश्रमिक में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा नवीं योजना अवधि के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 2716 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए। सर्किलवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) पंचायत संचार सेवा केन्द्र एजेन्ट का पारिश्रमिक 01.03.2001 से 300/- रु. से बढ़ाकर 600/- रु. कर दिया गया है।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना का आखिरी वर्ष होने के कारण योजना वर्ष 2001-2002 में देश में 2000 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए सर्किलवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। सर्किल अध्यक्षों को इस संबंध में राज्य सरकारों से सहयोग प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 के दौरान खोले गए पंचायत संचार सेवा केंद्रों की सर्किलवार संख्या

क्र.सं.	सर्किल	पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की संख्या			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	31	30	60
2.	असम	शून्य	शून्य	5	21
3.	बिहार	शून्य	17	40	464
4.	छत्तीसगढ़		लागू नहीं		106
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	20	38	68
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	10	69
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	10	50
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	12
10.	झारखंड		लागू नहीं		106
11.	कर्नाटक	शून्य	10	14	20

1	2	3	4	5	6
12.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	55	80	221
14.	महाराष्ट्र	शून्य	10	62	150
15.	उत्तर पूर्व	शून्य	शून्य	5	47
16.	उड़ीसा	1	29	30	76
17.	पंजाब	शून्य	5	20	24
18.	राजस्थान	शून्य	शून्य	35	77
19.	तमिलनाडु	शून्य	12	30	80
20.	उत्तर प्रदेश	शून्य	50	67	284
21.	उत्तरांचल		लागू नहीं		44
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य	5	1	6
	कुल	1	224	486	2005

विवरण-II

योजना वर्ष 2001-2002 में पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल	पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना (पीएसएसके)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	30
2.	असम	135
3.	बिहार	470
4.	छत्तीसगढ़	75
5.	दिल्ली	–
6.	गुजरात	90
7.	हरियाणा	70
8.	हिमाचल प्रदेश	50
9.	जम्मू व कश्मीर	12
10.	झारखंड	85
11.	कर्नाटक	35
12.	केरल	–
13.	मध्य प्रदेश	155
14.	महाराष्ट्र	200
15.	उत्तर पूर्व	100
16.	उड़ीसा	35
17.	पंजाब	65
18.	राजस्थान	75
19.	तमिलनाडु	80
20.	उत्तर प्रदेश	170
21.	उत्तरांचल	43
22.	पश्चिम बंगाल	25
	कुल	2000

बेरोजगारों को प्रशिक्षण

5143. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र/गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे रहे निजी/गैर सरकारी संगठन कौन-कौन से हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन निजी/गैर-सरकारी संगठनों को कितनी राशि आबंटित की गई;

(घ) यह प्रशिक्षण किन-किन राज्यों में और कौन-कौन से स्थानों पर दिया जा रहा है; और

(ङ) कितने प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इससे अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) ऐसी प्रशिक्षण योजनाएं अनेक मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा भी चलाई जा सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, लघु उद्योग कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्य कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसे प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का सारांश विवरण में है। सम्मिलित होने वाले गैर-सरकारी/निजी संगठनों की संख्या समय-समय पर भिन्न हो सकती है। केन्द्र की ओर से प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सभी गैर-सरकारी/निजी संगठनों की विस्तृत सूची नहीं रखी जाती है।

विवरण

बेरोजगारों के प्रशिक्षण में बहुत से सरकारी मंत्रालय/विभाग लगे हुए हैं। मंत्रालय/विभाग-वार सूचना निम्नानुसार है:-

1. *ग्रामीण विकास मंत्रालय:* केवल बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। फिर भी यदि आवश्यक हो तो, चुनिंदा गतिविधियों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत स्वरोजगार के एक भाग के रूप में, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से कौशल विकास हेतु दिया जाने वाला प्रशिक्षण योजना का एक संघटक है।

2. *शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय:* स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के संघटक शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेरोजगार शहरी व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एस जे एस आर वाई के अंतर्गत संभावित लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र/गैर-सरकारी संगठनों को भी अनुमति दी गई है। योजना राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और प्रत्यक्षत: केन्द्र द्वारा कोई निधि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/पोलिटेक्निकों/श्रमिक विद्यापीठ/इंजीनियरी कालेजों तथा सरकार निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अन्य उपयुक्त प्रशिक्षण संस्थानों का इस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है तथा उन्हें उपयुक्त सहयोग दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य में विद्यमान भवन केन्द्रों का भी उपयोग किया जा रहा है। इन संस्थानों का नाम तथा स्थान तथा राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा उन्हें आबंटित निधियों का हिसाब मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

शहरी निर्धनों को विभिन्न सेवाओं तथा विनिर्माण व्यवसायों के साथ-साथ स्थानीय कौशलों एवं स्थानीय शिल्पों के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे स्व-रोजगार उद्यम स्थापित कर सकें अथवा बढ़े हुए पारिश्रमिक के साथ वेतन रोजगार प्राप्त कर सकें। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे हैं। 1.12.1997 से 31.7.2001 तक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के यू एस ई पी घटक के प्रशिक्षण उप घटक के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 24,807 (प्रशिक्षणाधीन) तथा 2,26,479 (प्रशिक्षित) है।

3. *सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय:* मंत्रालय में गैर सरकारी संगठनों की सहायता से बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने के लिए तीन योजनाएं हैं। ये योजनाएं निम्न प्रकार से हैं:-

(1) अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की योजना। गत 3 वर्षों के दौरान लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 10880 है।

(2) अनुसूचित जातियों (एस.सी.) के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों हेतु सहायता अनुदान (ग्रांट-इन-एड) गत 3 वर्षों के दौरान लाभार्थियों की कुल संख्या 48,000 (लगभग) है।

(3) सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहायता हेतु सहायता अनुदान (ग्रांट-इन-एड) कार्यक्रम योजना। वर्ष 2000-2001 के दौरान, लाभार्थियों की संख्या 30 थी।

4. *लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय:* सम्पूर्ण देश में उद्यमीय विकास के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थापित विद्यमान तथा प्रस्तावित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1992-93 में विद्यमान एवं नए उद्यमीय विकास संस्थान (ईडीआई) के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक योजना आरंभ की गई।

योजना के अनुसार, प्रत्येक मामले में लागत के 50% से 50.00 लाख रुपए तक आवश्यकता आधार पर प्रशिक्षण सहायक/उपकरणों के निर्माण एवं अन्य सहायक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सुधार हेतु प्रत्येक उद्यमीय विकास संस्थान (ईडीआई) की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

उद्यमीय विकास संस्थान (ईडीआई) द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। मार्च, 2000 से जुलाई, 2001 के दौरान चलाए गए 26 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1698 है।

जल संसाधनों का उपयोग

5144. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा अब तक हिमालय संघटक और पठार संघटक के अंतर्गत कितने अध्ययन किए गए हैं और इनमें से कितनों के संबंध में जल सम्पर्क से संबंधित व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने जिन सम्पर्कों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इन जल सम्पर्कों को कब तक निष्पादित किए जाने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) ने प्रायद्वीपीय घटक के तहत 17 जल हस्तांतरण संपर्कों और हिमालयी घटक के तहत 14 जल हस्तांतरण संपर्कों के व्यावहारिकता पूर्व रिपोर्ट तैयार करने के लिए बेसिन/उप बेसिनों के जल संतुलन संबंधी अध्ययनों और टोपोशीट संबंधी अध्ययनों जैसे विभिन्न प्रकार के तकनीकी अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। इन संपर्कों के क्षेत्र संबंधी सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने के पश्चात् राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) ने प्रायद्वीपीय घटक के तहत इनमें से 5 संपर्कों के संबंध में पुन: व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) और (ग) इन संपर्क प्रस्तावों का क्रियान्वयन राज्यों के बीच आम सहमति, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने और निधियों की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा में डाकघर

5145. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों के दौरान उड़ीसा के सभी जिलों में स्थानवार कितने डाकघर खोले गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): उड़ीसा के जिलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान उड़ीसा के जिलों में खोले गए डाकघरों की स्थानवार संख्या

जिला	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
अंगुल				1. सान्त्रीबिडा	
बालासोर		1. कलामा	1. असुरिया	1. जमातकुला	
			2. मितुअनी		
			3. रतीना		
बरगढ़					
बौध		1. रानापुतली			

1	2	3	4	5	6
भाद्रक		1. नामी		1. धमारा	
बोलनगीर		1. कुल्टापाडा		1. बदबहल	1. खालीपली
कटक	1. फकीरपाडा	1. दुर्गापुर		1. बादाभूई	1. शारदापुर
		2. ए. बीडानासी			2. मुगागाहीर
					3. नकहारा
देवगढ़		1. दनतारीबहर		1. करटागा	
धेनकनाल				1. बी. कटेनी	1. बोनसापाल
गजपति					
गंजम	1. मोराबाई	1. धूमचाई			
जगतसिंहपुर	1. खलगांव				
	2. पुलपाडा				
जाजपुर	1. चुनगुडीपाल	1. शाहूपाडा		1. अंधारी	
		2. खुरुंटी			
झारसुगुडा					
कालाहांडी	1. मालगुंडा	1. गोफीनाथपुर		1. कथकौरा	1. पथारिया
		2. अलतारा			
		3. बलादियामल			
केन्द्रपाड़ा					
क्योंझर	1. बेगनीपाल	1. सिरसीपाल	1. कतरबेडा		
खुर्दा		1. शलेशरीविहार	1. सीउला		1. खांदागिरि
		2. एयरोड्रोम	2. एस.ई. रेलवे प्रो.		2. के.आई.आई. टी एस ओ
कोरापुट	1. बिलामल	1. अट्टंडा	1. हल्दीकुंड		1. पुलीमेटला
		2. रानीपुट			
		3. मुमजा			
मलकानगिरि					
मयूरभंज		1. दरदारा	1. असाना	1. मिगिरोथाना	
			2. सरिया		

1	2	3	4	5	6
नवरंगपुर					
नयागढ़			1. चम्पागढ़	1. भागवनपुर	1. गाम्बहरिडीह
			2. बाराशाही	2. बन्थापुर	
नोपाड़ा	1. जयाबहल				1. रानीमुंडा
फुलबनी	1. मुंडीपनका	1. श्रीपद		1. बरगोच्छा	
पुरी			1. श्रीविहार	1. बेरहामपुर	
				2. गोपीनाथपुर	
रायगुडा		1. नकलीगुडा			
संबलपुर	1. कुलेईगढ़	1. उत्तरगांव			
		2. किंडिरा			
स्वर्णपुर					
सुन्दरगढ़	1. तुलसीकानी			1. वासुनधारा	1. गेकानपल्ली
कुल	12	24	12	16	12

मांग-पत्र

5146. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में जयपुर रोड स्थित फैरोक्रोम संयंत्र के कर्मचारियों ने संयंत्र प्राधिकारियों के सामने कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) मैसर्स फैरोक्रोम प्लांट, जयपुर रोड, उड़ीसा के कर्मकारों ने फैरोक्रोम कर्मचारी संघ के महासचिव के प्रतिनिधित्व में 66 सूत्री मांग-पत्र प्रस्तुत किया था। फैरोक्रोम संयंत्र के प्रबंधन और फैरोक्रोम कर्मचारी संघ के महासचिव के प्रतिनिधित्व में इसके कर्मचारियों ने सुलह कार्यवाही के दौरान 1 जनवरी, 2000 को एक समझौता ज्ञापन को स्वीकार किया। उक्त समझौता दिनांक 1 अप्रैल, 1998 से 4 वर्ष की अवधि के लिए लागू है।

कावेरी नदी प्राधिकरण

5147. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक कावेरी नदी प्राधिकरण द्वारा कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं; और

(ख) प्रत्येक बैठक की चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) कावेरी नदी प्राधिकरण (सी आर ए) ने 11 अगस्त, 1998 को गठन होने के बाद से 28 अक्टूबर, 1998 और 14 जुलाई, 2000 को दो बैठकें की हैं।

(ख) कावेरी नदी प्राधिकरण ने अपनी पहली बैठक में कावेरी मानीटरिंग समिति के कार्य संचालन के लिए नियमों और विनियमों का अनुमोदन किया, कावेरी बेसिन के वृहद जलाशयों में अक्टूबर, 1998 में कुल अंतर्वाह और भंडारणों की समीक्षा करने

के अतिरिक्त, मानीटरिंग समिति की पहली बैठक की कार्यवाहियों, कावेरी नदी प्राधिकरण के कार्य संचालन संबंधी नियमों और विनियमों तथा मैत्तूर जलाशय में अंतर्वाहों के मापन के लिए मानकों पर विचार-विमर्श किया। कावेरी नदी प्राधिकरण ने अपनी दूसरी बैठक में, कावेरी नदी प्राधिकरण के कार्य संचालन के लिए नियमों और विनियमों का अनुमोदन किया और अपनी पहली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के अतिरिक्त कर्नाटक सरकार द्वारा अंतरिम आदेश का क्रियान्वयन न करने के बारे में तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाये गए मामले पर विचार किया।

[हिन्दी]

कतिपय खेल गतिविधियों की उपेक्षा

5148 श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में क्रिकेट और अन्य पश्चिमी खेलों की तुलना में कुश्ती, फुटबाल, हाकी, कबड्डी, बाली बॉल और ट्रैक इवेन्टस जैसे खेलों की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त खेलों के प्रोत्साहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता" की योजना के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित खेल विधाओं के संवर्धन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता दे रही है। संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की दीर्घावधि विकास योजना के अनुसार, विदेशों में टूर्नामेंटों में प्रशिक्षण और सहभागिता, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, सीनियर, जूनियर और सब-जूनियरों के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिपों के आयोजन, भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों/विशेषज्ञों द्वारा अनुशिक्षण/प्रशिक्षण, उपस्करों की प्राप्ति आदि के लिए सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

नदियों के कारण कटाव

5149. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई प्रमुख नदियों के कारण भारी भूमि कटाव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और नदी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नदियों के कारण होने वाले और भूमि कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में दोनों किनारे दबाव में हैं तथा उन्हें अत्यधिक कटाव का सामना करना पड़ता है। गंभीर कटाव की समस्या वाली नदियां नीचे दिए गए अनुसार हैं:

पूर्वोत्तर क्षेत्र	:	ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सहायक नदियां।
बिहार	:	गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, नदियों का अद्यवारा समूह, कमला, कोसी और महानन्दा।
उत्तर प्रदेश	:	गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती और गंडक।
पश्चिम बंगाल	:	गंगा-पद्मा।

(ग) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण नदी कटाव-रोधी कार्यों सहित बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और प्रोत्साहनात्मक प्रकृति की सहायता देती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बेसिनों में बाढ़ प्रबंधन के लिए मास्टर योजनाएं क्रमश: गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई है। विशिष्ट क्षेत्रों में नदी-कटाव रोकने के लिए इन मास्टर योजनाओं में सुझाव दिए गए हैं। कार्यान्वयन के लिए इन मास्टर योजनाओं को संबंधित राज्यों को भेजा गया है।

पोशिर बांध परियोजना

5150. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री शिवाजी माने:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र में पोशिर बांध परियोजना को मंजूरी दिए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) पोशिर बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

वायु प्रदूषण के संबंध में टी.ई.आर.आई. की रिपोर्ट

5151. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजधानी तथा अन्य महानगरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त करने का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कहां तक नियंत्रित किया गया है;

(ग) क्या टाटा एनर्जी एण्ड रिसर्च इंस्टीच्यूट (टी.ई.आर.आई.) ने हाल में बताया है कि व्यावसायिक वाहनों को सी.एन.जी. ईंधन वाले वाहनों में बदलने जाने के परवर्ती निर्देशों के बावजूद भी अप्रैल, 2000 के पश्चात् वायु की गुणवत्ता वास्तव में और भी खराब हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी टी.ई.आर.आई. से उक्त रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में परिवेशी वायु गुणता के विश्लेषणों से वर्ष 1999 की तुलना में वर्ष 2000 के दौरान सल्फर डाई-आक्साइड, नाइट्रोजन डाई आक्साइड और अन्त:श्वसनीय निलम्बित विविक्त पदार्थ के स्तरों में आई कमी का पता चला है। अन्य महानगरों के वायु प्रदूषण की अनियंत्रित वृद्धि दर को, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण नियंत्रित किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की टिप्पणियां अल्पकालिक वायु गुणता मानीटरी पर आधारित है तथा कोई निर्णायक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

गया विमान पत्तन पर धावनपट्टी के लिए घटिया सामग्री का उपयोग

5152. **श्री रामजी मांझी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार में गया विमान पत्तन पर धावनपट्टी और उसके आसपास के निर्माण कार्य में घटिया दर्जे की सामग्री का उपयोग किए जाने के संबंध में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विमानपत्तनों पर निर्माण कार्य के लिए बढ़िया किस्म की सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या कार्रवाई की है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) उपयुक्त गुणवत्ता वाली सामग्री जो ठेका विशिष्टताओं को पूरा करती हैं, इनका प्रयोग गया हवाई अड्डे के धावनपथ के निर्माण के लिए किया जा रहा है। कार्य के लिए अनपयुक्त सामग्री को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और इसे कार्य स्थल से हटा लिया गया था। निर्धारित गुणवत्ता वाली सामग्री का ही कार्य के लिए प्रयोग किए जाने के लिए अनुमति दी गयी थी।

[हिन्दी]

कामगारों के लिए पेंशन योजना

5153. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 4 जुलाई, 2001 को दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने पेंशन योजनाओं के विषय पर हाल में कोई संगोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संगोष्ठी में हुई चर्चा, दिए गए सुझावों और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) संगोष्ठी के दौरान बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए सुझाव के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) 3 जुलाई, 2001 को फिक्की-आईएनसी फाऊंडेशन आफ रिसर्च प्रशिक्षण एवं शिक्षण ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी का उद्देश्य बीमा विनियमन तथा विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जा रहे पेंशन क्षेत्र संबंधी सुधारों के लिए मार्गदर्शन निर्धारण करने के लिए उद्योग और उससे जुड़े विभिन्न समूहों के सुझाव प्राप्त करना था।

खानों को निजी क्षेत्र को सौंपना

5154. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई खानें निजी क्षेत्र के अंतर्गत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की कई खानें घाटे में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कुछ और खानों को निजी क्षेत्र को सौंपने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा रखी जा रही सूचना के अनुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान कार्यरत 3012 खानों में से 853 खानें सार्वजनिक क्षेत्र और शेष निजी क्षेत्र में थी। तथापि वित्तीय निष्पादन के बारे में खानवार सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है इसलिए घाटे में चल रहीं विनिर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र खानों की अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ खनन क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निजीकरण करने की नीति के अनुसार क्रमिक विनिवेश अथवा नीतिगत बिक्री के माध्यम से किया जा रहा है। विनिवेश एक सतत् जारी रहने वाली प्रक्रिया है और सरकार ने रणनीतिक बिक्री द्वारा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) का निजीकरण पूरा कर लिया है और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

नेहरू युवा केन्द्र द्वारा विज्ञापन और साक्षात्कार

5155. श्री सुबोध मोहिते: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेहरू युवा केन्द्र ने एन.आर.सी. योजना के अंतर्गत जिला परियोजना अधिकारियों की अस्थाई नियुक्ति के लिए कितनी बार विज्ञापन दिए और कितनी बार साक्षात्कार आयोजित किए; और

(ख) उक्त गतिविधियों के लिए उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) नेहरू युवा केंद्र संगठन ने तीन बार विज्ञापन दिया है और उनके द्वारा दो बार साक्षात्कार आयोजित किए गए।

(ख) उपर्युक्त गतिविधियों के लिए 79,43,000/- रुपये की रकम का उपयोग किया गया था।

[हिन्दी]

ठेका श्रमिकों की भविष्य निधि का जमा न किया जाना

5156. डा. संजय पासवान: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र में विशेषकर नोएडा और गुड़गांव में कार्यरत ठेका श्रमिकों की मजदूरी से भविष्य निधि के रूप में काटी गई राशि को भविष्य निधि कार्यालय में नहीं जमा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच करवाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति

5157. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी व्यक्ति को बेरोजगार मानने के मानदंड क्या हैं;

(ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान प्रत्येक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवकों (शिक्षित और अशिक्षित) की राज्य वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक कितने युवकों ने अपना नाम पंजीकृत करवाया; और

(घ) उक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल पंजीकृत युवकों का प्रतिशत क्या है और कितनों को रोजगार प्रदान किया गया है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा अपनाई गई परिभाषा के अनुसार, वे व्यक्ति जिन्होंने कार्य के अभाव में कार्य नहीं किया था परन्तु या तो उन्होंने रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों या सम्बन्धियों के माध्यम से या भावी नियोक्ताओं को आवेदन कर रोजगार प्राप्त किया या जिन्होंने कार्य तथा पारिश्रमिक की विद्यमान शर्तों के तहत कार्य करने के लिए अपनी सहमति या उपलब्धता व्यक्त की है, उन्हें "कार्य चाहनेवाला या कार्य के लिए उपलब्ध" (या बेरोजगार) माना गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 के दौरान देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों (इनमें से अधिकांश युवा हैं), जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है।

(घ) वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 के दौरान पंजीकृतों के नियोजन का प्रतिशत क्रमश: 3.99%, 3.71% तथा 2.94% था।

विवरण

(हजार में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या		
		1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	346.9	392.1	365.9
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.1	3.1	7.4
3.	असम	148.4	137.1	137.2
4.	बिहार	411.3	241.3	509.6
5.	गोवा	19.7	10.8	11.4
6.	गुजरात	218.3	220.8	371.1
7.	हरियाणा	263.7	254.7	230.8
8.	हिमाचल प्रदेश	170.0	148.1	132.1
9.	जम्मू और कश्मीर	22.6	26.3	33.2
10.	कर्नाटक	326.5	391.5	380.9
11.	केरल	417.3	481.0	619.6

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	547.2	509.4	398.2
13.	महाराष्ट्र	684.6	823.8	748.4
14.	मणिपुर	20.9	38.9	10.5
15.	मेघालय	7.1	10.8	11.8
16.	मिजोरम	11.5	23.3	15.2
17.	नागालैंड	10.2	13.0	9.4
18.	उड़ीसा	176.9	209.0	161.6
19.	पंजाब	136.6	114.8	111.8
20.	राजस्थान	148.2	167.0	107.6
21.	सिक्किम*	–	–	–
22.	तमिलनाडु	562.5	582.0	603.9
23.	त्रिपुरा	13.7	22.3	23.8
24.	उत्तर प्रदेश	578.4	461.4	407.8
25.	पश्चिम बंगाल	413.1	518.3	481.6
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.9	3.7	3.9
27.	चंडीगढ़	21.0	27.5	12.6
28.	दादर व नगर हवेली	0.5	0.6	0.6
29.	दिल्ली	152.2	116.8	115.6
30.	दमन व दीव	1.1	1.5	1.7
31.	लक्षद्वीप	1.7	0.9	0.9
32.	पांडिचेरी	11.7	14.3	15.9
	अखिल भारत	5851.8	5966.0	6041.9

टिप्पणी: इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[अनुवाद]

हाथी संरक्षण संबंधी परियोजना

5158. श्री एम.के. सुब्बा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्ड वाइड फंड फार फ्यूचर इंडिया (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.-इंडिया) ने ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर हाथी संरक्षण संबंधी परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जल संवर्धन कार्यक्रम

5159. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सरकार से कावेरी बेसिन क्षेत्रों में टैंकों से गाद निकालने के लिए जल संवर्धन कार्यक्रम को आरंभ न करने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार को उक्त कार्यक्रम आरंभ न करने के लिए कहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि न्यायाधिकरण ने कहा है कि गाद निकालने के उक्त कार्य से बेसिन क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) कर्नाटक सरकार ने कावेरी बेसिन में स्थित टैंकों के पुनर्वास सहित राज्य में लगभग 6000 टैंकों के पुनर्वास के लिए विश्व बैंक की सहायता के वास्ते एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस परियोजना में 1.80 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की योजना है। कावेरी जल विवाद अभिकरण (सी.डब्ल्यू.डी.टी.) ने दिनांक 25 जून, 1991 के अपने अंतरिम आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ कर्नाटक सरकार को यह निर्देश दिया है कि वे मौजूदा 11.2 लाख एकड़ की निर्धारित सीमा के अंदर ही कावेरी नदी के जल से अपने क्षेत्र में सिंचाई करेंगे। कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी जल विवाद अभिकरण को भेजे गए विस्तृत विवरण के अनुसार, लघु सिंचाई के तहत यह क्षेत्र का 2.93 लाख एकड़ शामिल है। इसलिए तमिलनाडु सरकार ने इस परियोजना पर विरोध व्यक्त किया था। इसलिए कर्नाटक सरकार को परियोजना प्रस्ताव से कावेरी बेसिन में टैंकों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को छोड़ने की सलाह दी गई जिसे कर्नाटक सरकार ने मान लिया है। इसके स्थान पर, राज्य में कावेरी बेसिन में स्थित पुराने टैंकों से गाद हटाने संबंधी प्रस्ताव के लिए सह-बेसिन राज्यों की सहमति अथवा अधिकरण से विशेष अनुमोदन प्राप्त करने की भी सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

अंशदान के भुगतान में विलंब

5160. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान के भगुतान में विलंब संबंधी मामलों में, संबंधित योजनाओं में निर्धारित दर के अनुसार, अनिवार्यता आधार पर गत दो वर्षों में सरकार द्वारा प्रभारित ब्याज और शास्तियों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा अंशदानों के भुगतान में विलंब के लिए लगाए गए ब्याज और वसूल की गई दांडिक क्षतियों की राशि निम्नवत है:-

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन:

(लाख रुपए में)

वर्ष	ब्याज	क्षतियां
1999-2000	526.36	3550.62
2000-2001	4127.94	8001.59

कर्मचारी राज्य बीमा निगम:

(लाख रुपए में)

वर्ष	ब्याज	क्षतियां
1999-2000	207.91	235.80
2000-2001	281.91	314.17

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में राज्य-वार विवरण-I और II संलग्न है।

विवरण-I

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	धारा 7 थ के अंतर्गत लगाया गया ब्याज		धारा 14 ख के अंतर्गत उगाही की गई क्षतियां	
		31.3.2000 की स्थिति के अनुसार	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	31.87	563.21	372.89	441.85
2.	बिहार	58.24	508.97	63.63	151.44
3.	दिल्ली	0.00	5.44	63.50	163.71
4.	गुजरात	0.00	200.45	169.10	235.97
5.	हरियाणा	0.00	16.01	313.30	2,678.20
6.	हिमाचल प्रदेश	4.47	0.71	20.28	3.82
7.	कर्नाटक	2.28	284.28	105.93	221.41
8.	केरल	0.00	356.95	225.99	962.43
9.	महाराष्ट्र	25.23	279.90	273.30	333.99
10.	मध्य प्रदेश	2.81	176.63	142.22	185.89
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1.01	270.90	389.39	55.82
12.	उड़ीसा	0.00	116.04	189.17	318.32
13.	पंजाब	19.59	96.38	94.80	371.09
14.	राजस्थान	353.03	230.37	47.77	32.35
15.	तमिलनाडु	4.91	419.43	528.20	1,064.28
16.	उत्तर प्रदेश	0.00	85.62	216..39	171.03
17.	पश्चिम बंगाल	22.65	516.65	334.76	609.99

विवरण-II

क.रा.बी. अंशदानों के भुगतान में विलंब के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान वसूल की गई ब्याज की राशि का राज्य-वार विवरण

राज्य	1999-2000 राशि लाख रुपये में	2000-2001 राशि लाख रुपये में
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1.52	3.29
असम	0.39	0.45
मेघालय	0.03	
बिहार*		
दिल्ली	6.32	8.40
गुजरात	20.72	55.07
हरियाणा	1.65	6.46
कर्नाटक	54.56	49.56
केरल	14.66	22.84
मध्य प्रदेश	1.83	0.52
महाराष्ट्र		
(क) मुम्बई	17.03	7.94
(ख) नागपुर	2.90	2.81
(ग) पुणे	1.76	3.93
गोवा*	*	0.03
उड़ीसा*		
पंजाब	0.56	0.91
हिमाचल प्रदेश	0.14	0.71
जम्मू और कश्मीर	0.01	0.17
चंडीगढ़	0.05	0.17
राजस्थान	1.46	0.69
तमिलनाडु		
(क) चेन्नई	11.20	21.95
(ख) कोयम्बटूर	3.04	6.91
(ग) मदुरै	16.16	18.02
पांडिचेरी	0.20	0.16
उत्तर प्रदेश*		
प. बंगाल	51.72	70.31
कुल	207.91	281.91

टिप्पणी: पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश तथा 1999-2000 के दौरान गोवा के संबंध में वसूल की गई ब्याज की राशि अलग से बुक नहीं की गई है और अंशदान में शामिल की गई है व तदनुसार बुक की गई है।

[अनुवाद]

पेयजल और कुंओं की खुदाई

5161. श्री ए.पी. अब्दुल्ला कुट्टी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी भूकंपनीय अथवा किसी अन्य घटना के कारण जमीन में दरार पड़ना और पेयजल के कुंओं का विलुप्त होने केरल में एक रोजमर्रा की घटना बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने घटना की जांच करने के लिए वैज्ञानिकों की एक समिति नियुक्त की है ताकि भविष्य में कुंओं को खोदते समय एहतियात और आवश्यक सुरक्षोपायों का रास्ता निकाला जा सके;

(ग) यदि हां, तो क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार संपत्ति और कुंआ खोदने वाले व्यक्तियों को मुआवजा देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) जी, हां। हाल ही में केरल राज्य के कई इलाकों में खुले

कुएं ढहने की घटनाएं घटी हैं। अलग-अलग संगठनों के वैज्ञानिकों के दलों ने राज्य के विभिन्न भागों की जांच की है और अपने जांच परिणामों के आधार पर समस्या के भौगोलिक, सूक्ष्मभूकम्पीय और अन्य पहलुओं का विस्तृत ब्यौरा एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उपहारों का वितरण

5162. **कुंवर अखिलेश सिंह:**
डा. बलिराम:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्पोरेट अधिकारियों ने वर्ष 2000-2001 के दीपावली और नव वर्ष त्यौहारों पर करोड़ों रुपये के उपहार बांटे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) सामान्य प्रथा के अनुसार दीपावली पर कुल 1,08,476/- रुपये के कार्पोरेट उपहार वितरित किए गए थे।

नव वर्ष पर कोई उपहार वितरित नहीं किए गए थे।

(ग) से (ङ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) को इन मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। यह व्यय इतना अधिक प्रतीत नहीं होता कि इसकी जांच की जाय।

[अनुवाद]

भविष्य निधि अभियोजन (प्रोसिक्यूशन) समाधान योजना, 2001

5163. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
श्री ए. कृष्णास्वामी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान अकादमी के अनुसंधान स्कंध ने भविष्य निधि अभियोजन (प्रोसिक्यूशन) समाधान योजना, 2001 संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि रिटर्न (विवरिणी) को प्रस्तुत करने की प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परिवर्तनों को कब तक प्रभावी बना दिये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान अकादमी के अनुसंधान स्कंध ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध दायर अभियोजन मामलों की स्थिति का अध्ययन किया तथा परिसमापन और बकायों के सम्बन्ध में कतिपय समाधानों का सुझाव दिया है।

(ग) से (ङ) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा पहल की गई है। नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की संख्या को कम करना और इलैक्ट्रानिक विवरणियां जमा करने के लिए सुविधायें उपलब्ध करवाना भी इसका एक लक्ष्य है।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण में सभी चारों जोन को शामिल करते हुए छः स्थानों पर 24 मास की समयावधि के अन्दर प्रायोगिक केन्द्रों की स्थापना करना एवं इन्हें शुरू किया जाना शामिल है।

छः प्रायोगिक केन्द्रों की स्थापना करने के बाद, पूरे देश में चरणबद्ध रूप में नवनिर्मित प्रणाली को शुरू करने का प्रस्ताव है।

बाघ संरक्षण हेतु विश्व वन्यजीव-कोष

5164. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व वन्यजीव कोष-अंतर्राष्ट्रीय ने भारत में अपने बाघ संरक्षण कार्यक्रम को स्थगित किया है और इंडिया चैप्टर डब्ल्यू.डब्ल्यू. तक-इंडिया के बाघ संरक्षण संबंधी अपने कोष पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो धन को वापस लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) धन को यथाशीघ्र जारी करवाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड-इन्टरनेशनल भारत में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार किसी को भी बाघ संरक्षण के लिए कोई सहायता नहीं देता है। डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इन्टरनेशनल, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-भारत द्वारा चलाए जा रहे बाघ संरक्षण कार्यक्रम का अनुसमर्थन करता था और इसके अंतर्गत राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करता था ताकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्रयासों को बढ़ाया जा सके। डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इन्टरनेशनल ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि वे भारत और पड़ौसी देशों में बाघ संरक्षण प्रयासों के अनुसमर्थन में नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना चाहता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तत्कालीन निदेशक, बाघ संरक्षण कार्यक्रम तथा डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इन्टरनेशनल के प्रस्ताव से संतुष्ट था इसलिए इस परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इन्टरनेशनल और इसके सम्बद्ध संस्थानों ने अनेक प्रकाशनों में भारतीय भौगोलिक सीमाओं में कुछ गलतियों के कारण इस अनापत्ति प्रमाण पत्र को बाद में वापिस लेना पड़ा। ये गलतियां तत्कालीन महासचिव डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-भारत ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्यान में लाई इन कदमों से डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इन्टरनेशनल परेशान हो गया। अक्तूबर 1999 के बाद डब्ल्यू डब्ल्यू एफ भारत के बाघ संरक्षण कार्यक्रम के कार्यकलापों में निश्चित रूप से कमी आई है। अक्तूबर, 1999 के बाद कार्यक्रम तैयार करने में भारत सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करना भी बंद कर दिया गया है।

[हिन्दी]

गंगा नदी पर सड़क सह रेल पुल का निर्माण

5165. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी पर सड़क सह-रेल पुल के निर्माण हेतु अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व के सड़क हेतु नियत धन में से सर्वेक्षण की लागत उपलब्ध करने पर सहमत है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) रेलवे ने सड़क प्राधिकरणों का हिस्सा 56.70 लाख रु. सूचित किया है जिसे आर्थिक महत्व की स्कीमों के लिए निर्धारित धनराशि में से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सुरक्षा कर्मचारी

5166. डा. बलिराम: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली और मुम्बई में वर्तमान में तैनात सुरक्षा कार्मिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विभाग द्वारा अपने सुरक्षा कार्मिकों को तैनात करने के बजाए होमगार्डों और निजी सुरक्षा अभिकरणों को इस कार्य में लगाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा प्रयोजनों से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सुरक्षा कार्मिकों, होमगार्डों, निजी सुरक्षा अभिकरणों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को एक साथ तैनात किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस अपव्यय का औचित्य क्या है; और

(ङ) विभागीय सुरक्षा कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में सुरक्षा कर्मियों की संख्या इस प्रकार है:

* दिल्ली यूनिट	1031
* मुम्बई यूनिट	924
* कार्पोरेट कार्यालय	10

(ख) दिल्ली में, महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) के विभागीय सुरक्षा कार्मिकों के अलावा महानिदेशक पुनर्वास (डीजीआर) द्वारा प्रायोजित होम गार्ड और सुरक्षा कर्मचारी लगाए जाते हैं।

मुम्बई में, महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) के विभागीय सुरक्षा कार्मिकों के अलावा, ग्रेटर मुम्बई सिक्यूरिटी गार्ड बोर्ड के गार्ड लगाए जाते हैं।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा विभिन्न स्थानों पर एमटीएनएल के सुरक्षा कार्मिक, होम गार्ड, ग्रेटर मुम्बई सिक्यूरिटी गार्ड बोर्ड के गार्ड तैनात किए जाते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को तैनात नहीं किया जाता हैं।

(घ) सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार तैनात किए जाते हैं।

(ङ) विभागीय सुरक्षा स्टाफ की सेवाओं का उपयोग एमटीएनएल में उनकी उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

बहुरंगीय वर्षा

5167. श्रीमती मिनाती सेन:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जुलाई, 2001 के दि हिन्दु में ''मल्टीकलर रेन'' शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस विचित्र घटना का अध्ययन करने हेतु कोई उच्चस्तरीय केन्द्रीय दल नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या और इसने किन बातों का पता लगाया है; और

(ङ) इस संबंध में किए गए अध्ययन के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) जी, हां। केरल में लाल रंग की विभिन्न किस्मों की वर्षा होने संबंधी रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं। केरल सरकार के एक स्वायत्त संस्थान, भू-विज्ञान अध्ययन केन्द्र ने रंगदार वर्षा होने की जांच की है और बताया है कि वर्षा में लाल रंग संभवत: आकाशीय धूल की वजह से था तथा इकट्ठे किए गए नमूनों का रासायनिक विश्लेपण दर्शाता है कि पदार्थ मुख्यत: जैवीय है और इसकी पहचान फंगल स्पोरज के रूप में हुई है। भू-विज्ञान अध्ययन केन्द्र ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्मारकों पर अम्ल वर्षा का प्रभाव

5168. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण से ताजमहल, बीबी का मकबरा जैसे कुछ ऐतिहासिक स्मारकों का रंग पीला पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अम्लीय वर्षा संबंधी कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिले हैं।

(ग) सरकार द्वारा प्रमुख उत्सर्जन स्रोतों से होने वाले गैसीय उर्त्सजनों को नियंत्रित करने तथा वायु प्रदूषण को रोकने हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- देशभर में 280 परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। स्रोतों से होने वाले गैसीय उत्सर्जनों की नियमित और मानीटरिंग तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरी की जाती है।
- प्रदूषण उद्योगों की लगभग सभी श्रेणियों के लिए उत्सर्जन एवं बहि:स्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं। परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक भी अधिसूचित किए गए हैं।
- और अधिक ऊर्जा क्षमता प्राप्ति के लिए ऊर्जा उपभोग में कमी विनिर्दिष्ट करते हुए सभी वर्गों के प्रदूषक उद्योगों के लिए पर्यावरणीय विवरण के रूप में पर्यावरणीय लेखा-परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है।

- आटोमोबाइलों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए और अधिक कठोर उत्सर्जन मानक तथा ईंधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं। सीसा-रहित पैट्रोल, कम सल्फरयुक्त डीजल तथा पैट्रोल तथा स्वच्छतर ईंधनों के प्रयोग की शुरूआत की गई है।

- ताप विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के प्रयोग पर बल दिया गया है।

- ताज सुरक्षा मिशन स्कीम के तहत चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मानीटरिंग के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा ताप ट्रेपेजियम जोन (टी टी जैड) प्रदूषण (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

कृषि मजदूरों का वर्गीकरण

5169. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मजदूरों का कुशल और अर्ध-कुशल मजदूरों के रूप में वर्गीकरण किया जाता है;

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं और कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल मजदूर की क्या व्याख्या है;

(ग) क्या कृषि मजदूर की कुशलता तथा उसके कार्य की प्रकृति के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है/कराये जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार जल्द ही कृषि मजदूर के कार्य की प्रकृति स्थिति और कुशलता के संबंध में एक अध्ययन और सर्वेक्षण कराएगी; और

(ङ) राज्य-वार कितने कृषि मजदूर हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) जनगणना में कृषि श्रमिकों के कौशल स्तर को परिभाषित नहीं किया गया है। किन्तु, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में कृषि में नियोजित कर्मचारियों को अन्य के साथ-साथ अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल के रूप में श्रेणीकृत और परिभाषित किया गया है।

अधिनियम के अनुसार, ''अकुशल कार्य'' का आशय ऐसे कार्य से है जिसमें साधारण संक्रिया करनी पड़ती है और जिसके लिए रोजगार के दौरान कौशल या अनुभव भी जरूरत नहीं होती या बहुत कम जरूरत होती है। ''अर्द्धकुशल कार्य'' वह कार्य है जिसमें कार्य के दौरान, अनुभव से प्राप्त कौशल या दक्षता की कुछ हद तक जरूरत पड़ती है। ऐसा कार्य किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या दिशानिर्देश में किया जाता है। इसमें अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी शामिल होते हैं। ''कुशल कार्य'' वह है जिसमें कार्य के दौरान, अनुभव से हासिल कौशल या दक्षता की या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है तथा जिसमें पहल करना और फैसला लेना निहित होता है। दिनांक 11.11.99 के सरकारी राजपत्र सं. एस.ओ. 1085 (अ) में प्रत्येक श्रेणी के व्यवसायों की विस्तृत सूची अधिसूचित की गई है।

(ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या (1991 की जनगणनानुसार)
1	2	3
I.	**भारत (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर)**	74,597,744
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,625,159
2.	अरूणाचल प्रदेश	20,054
3.	असम	844,964
4.	बिहार (झारखंड सहित)	9,512,892
5.	गुजरात	3,230,547
6.	हरियाणा	896,782
7.	हिमाचल प्रदेश	58,668
8.	जम्मू व कश्मीर	-
9.	कर्नाटक	4,999,959
10.	केरल	2,120,452
11.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	5,863,029
12.	महाराष्ट्र	8,313,223
13.	मणिपुर	47,350
14.	मेघालय	89,492
15.	नागालैंड	7,233

1	2	3
16.	उड़ीसा	2,976,750
17.	पंजाब	1,452,828
18.	राजस्थान	1,391,670
19.	सिक्किम	12,851
20.	तमिलनाडु	7,896,295
21.	त्रिपुरा	187,538
22.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	7,833,258
23.	पश्चिम बंगाल	5,055,478
24.	अण्डमान व निकोबार	4,989
25.	चंडीगढ़	1,642
26.	दादर व नगर हवेली	6,233
27	दिल्ली	25,195
28.	गोवा	35,284
29.	दमन व दीव	1,199
30.	लक्षद्वीप	-
31	मिजोरम	9,527
32.	पांडिचेरी	77,203

वन्य जीवों की गणना

5170. **श्री सुरेश कुरूप:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रणथम्भौर राष्ट्रीय पार्क और सरिस्का बाघ अभयारण्य के बाघों सहित, वन्यजीवों की गणना कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी संख्या को बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) वर्ष 2001 में रणथम्भौर और सरिस्का बाघ सुरक्षित क्षेत्रों में बाघों की गणना की जानी तय थी परन्तु वर्षा जल्दी हो जाने के कारण यह गणना नहीं की जा सकी। दोनों रिजर्वों के लिए 1995 और 1997 के गणना आंकड़ें नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	प्रमुख वन्यजीव प्रजातियां	रणथम्भौर		सरिस्का बाघ रिजर्व	
		1995	1997	1995	1997
1.	बाघ	38	32	25	24
2.	तेंदुआ	63	79	46	49
3.	साम्बर	3419	2939	4800	5600
4.	चीलत	4849	4496	2900	2900
5.	नीलगाय	2648	1946	4300	4780
6.	जंगली सूअर	1825	1936	2600	2900

अध्ययनों और प्रेक्षणों से इन वन सुरक्षित क्षेत्रों में बाघों समेत अन्य प्राणियों की संख्या में गिरावट का रूख नहीं देखा गया है। इन उद्यानों में सुधार लाने के लिए प्रबन्धन और विकास कार्य नियमित तौर पर किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर उप-मार्ग का निर्माण

5171. **डा. बी.बी. रमैया:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपनी राजमार्ग परियोजना के मार्ग तय करते समय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर उप-मार्ग के रास्ते के संबंध में अंतिम निर्णय लेते समय स्थानीय प्रतिनिधियों के विचारों की अवहेलना की गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अन्य परियोजनाओं राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में और अधिक संतुलित हों यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश में रा.रा. 4 पर बाइपास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम शक्ति संबंधी आंकड़े

5172. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यवसायिक कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में अद्यतन आंकड़े रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार उक्त श्रेणियों की उपलब्ध श्रम शक्ति कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश से कितने वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक कार्मिकों ने उत्प्रवास किया है; और

(घ) इन उत्प्रवास करने वाले कार्मिकों के तकनीकी कौशल का स्तर क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) विभिन्न श्रेणियों में जनशक्ति का अनुमानित स्टाक निम्नानुसार था:

1.	वर्ष 1999 के प्रारम्भ में चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकों का अनुमानित स्टाक	6.6 लाख
2.	वर्ष 1999 के प्रारम्भ में कला, विज्ञान तथा वाणिज्य में स्नातकोत्तरों का अनुमानित स्टाक	50.41 लाख
3.	वर्ष 2000 के प्रारम्भ में कार्यकारी आयु वर्ग में अभियंताओं (डिग्री और डिप्लोमा धारक) का अनुमानित स्टाक	22.64 लाख
4.	वर्ष 1999 के प्रारंभ में नर्सिंग कार्मिकों का अनुमानित स्टाक	5.10 लाख

(ग) और (घ) वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक कार्मिकों के उत्प्रवास के बारे में विस्तृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इन श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उत्प्रवास मंजूरी आवश्यक नहीं है।

स्रोत: मैनपावर प्रोफाइल - इंडिया-इयरबुक-2000 - इंस्टीट्यूट ऑफ मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित।

बाल श्रम पर समिति

5173. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बाल श्रमिकों की दुर्दशा की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस रिपोर्ट पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या समिति ने सिफारिश की है कि जहां बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं/रह रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए और उनके व्यवस्थित विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त टेलीफोन

5174. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक और तार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त टेलीफोन दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन टेलीफोनों के लिए पंजीकरण शुल्क भी नहीं लिया गया;

(ग) इन टेलीफोनों पर कितनी मुफ्त कालों की अनुमति है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इससे राज्य-वार कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दूरसंचार विभाग के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को रियायती टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इन टेलीफोनों के लिए अनुमत्य नि:शुल्क काले निम्न अनुसार है:-

श्रेणी	नि:शुल्क द्विमासिक रियायत
समूह क	1000 कालें
समूह ख	500 कालें
समूह ग	300 कालें
समूह घ	200 कालें

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महिलाओं के लिए आरक्षण

5175. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कामकाजी महिलाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कामगारों को अनिवार्य दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य दक्षता प्रशिक्षण व्यवहार्य नहीं है तथा किसी व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्राप्त करने का निर्णय लेना उसका व्यक्तिगत मामला है। तथापि, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता तथा प्रशिक्षण की लागत के कारण कुछ सीमायें हैं।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर पॉलीमर मोडिफाइड बिटुमिन का प्रयोग

5176. श्रीमती रानी नरह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धावन पट्टियों और टैक्सी ट्रेक्स, के कार्य में पॉलीमर मोडिफाइड बिटुमिन के प्रयोग द्वारा काफी मितव्ययिता हासिल की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को केन्द्रीय सड़क अनुसंधान द्वारा किए गए सात वर्षीय परीक्षण अध्ययन के निष्कर्षों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा ए.बी.एस. मोडिफाइड बिटुमिन के प्रयोग सहित कोई कार्य आरंभ किया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) सड़क निर्माण पॉलीमर और रबड़ मोडीफाइड बिटुमिन के प्रयोग से संबंधित कार्य करने के लिए, भारत सड़क कांग्रेस, विशिष्टता, आई.आर.सी. एसपी 53 1999 में दिये गये अंनतिम मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। अभी तक विमान क्षेत्र कार्य के लिए उत्पाद की उपयुक्तता का निर्धारण नहीं किया गया है। इसलिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एसबीएस मोडीफाइड बिटुमिन के प्रयोग के साथ कोई कार्य आरंभ नहीं किया है।

[हिन्दी]

खनिजों के दोहन संबंधी नीति

5177. श्री लक्ष्मण गिलुवा: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनिजों के दोहन के लिए कोई नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) सिंहभूम (झारखंड) क्षेत्र में गुआ-चिड़िया और किरीलुरू-मेघाटुबुरू लौह अयस्क खानों से लौह अयस्क की खनन संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पश्चिमी सिमोन जिले में प्राप्य मैंगनीज, बाक्साइट, ग्रेनाइट, काइनाइट, क्वार्ट्ज, कापर और गोल्ड अयस्कों के खनन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र करने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटिल): (क) और (ख) भारत सरकार, खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 प्रस्तुत की थी जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी था कि वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खनिज संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति और इनके सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने और उपयुक्त संरक्षणात्मक उपायों के माध्यम से वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर खनिज विकास के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के राष्ट्रीय तथा रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए खनिज संसाधनों का विकास किया जाए। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 नियत करता है कि वन क्षेत्रों में खनन सहित कोई भी "गैर-वनीय क्रियाकलाप" नहीं किया जा सकता। यदि खनन के उद्देश्य हेतु "वन क्षेत्रों" की आवश्यकता पड़ती है तो वन भूमि के डाइवर्शन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

(ग) खान मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो ने सूचित किया है कि किरीबुरू-मेघाहातुबुरू, चिड़िया-मनोहरपुर तथा गुआ लौह अयस्क खानों के खनन की खनन योजना/स्कीम उसके द्वारा अनुमोदित की गई हैं। किरीबुरू, मेघाहातुबुरू और गुआ में लौह अयस्क के खनन की संभाव्यता लगभग 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (प्रत्येक की) है जबकि चिड़िया-मनोहरपुर में संभाव्यता लगभग 550 हजार टन प्रति वर्ष है।

(घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा इसके तहत् बनाए गए नियमों के अधीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन भूमि के डाइवर्शन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है। इसके अनुसार, जो वैयक्तिक आवेदक खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन करते हैं उनके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्रत्येक मामले में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) लेना आवश्यक है। अत: इस संबंध में कोई भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में खान मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

एम.टी.एन.एल. के कारपोरेट कार्यालयों के सौन्दर्यकरण पर व्यय की गई राशि

5178. कुंवर अखिलेश सिंह:
डा. बलिराम:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कारपोरेट कार्यालयों पर करोड़ों रुपये व्यय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्ष-वार और कार्यालय-वार किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त धनराशि किराये के भवनों पर व्यय की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करवाने का और एम.टी.एन.एल. को ऐसे फालतू व्यय को रोकने के लिए मार्गनिर्देश जारी करने का है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का निगमित कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके सौन्दर्यवर्द्धन के लिए विशिष्ट रूप से कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है। तथापि, दिल्ली स्थित निगमित कार्यालय किराए की बिल्डिंग में है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अदा किया गया किराया इस प्रकार है:-

1998-1999	2,53,08,914.25 रुपए
1999-2000	2,88,43,005.54 रुपए
2000-2001	4,17,51,589.50 रुपए

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को ये निर्णय लेने का अधिकार है और इस संबंध में जांच करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। किराए पर स्थान लेने के लिए मानक दिशानिर्देश पहले ही मौजूद हैं।

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत नगरों को शामिल किया जाना

5179. श्री प्रकाश वी. पाटील:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने केन्द्र सरकार से अगली दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत अपने-अपने राज्यों के कुछ नगरों/शहरों को शामिल करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा किन-किन नगरों/शहरों के लिए अनुशंसा की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और यदि कोई धनराशि आवंटित की गई है तो वह कितनी है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न राज्यों ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त शहरों/नगरों को शामिल किए जाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। ऐसे शहरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) अतिरिक्त शहरों/नगरों से संबंधित कार्यों को उन शहरों/नगरों में होने वाले प्रदूषण के स्तर की स्थिति और दसवीं योजना में उपलब्ध निधि के आधार पर प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त नगरों को शामिल किए जाने के लिए अनुरोध

क्र.सं.	राज्य	नगर
1	2	3
1.	कर्नाटक	मुदहोल
		गोकाक
		रामदुर्ग
		बेलहोंगल
		खानपुर
		सोनदत्ती
		हुबली
		धारवाड़
		बंगलौर
		बिदार
		गुलबर्गा
		अफजालपुर
		बीजापुर
		टी. नरासीपुर
		सकलेशपुर
		होलेनरासीपुर
		तुमकुर
		धर्मस्ताला
		धान्डेली
		गंडक
2.	केरल	तिरूवनंतपुरम
		कोजी
		अल्फाजा
3.	उ.प्र.	बुलंदशहर
		मेरठ
4.	महाराष्ट्र	वाई
		कोल्हापुर
		नागपुर
		पंधारपुर
5.	बिहार	सोनपुर
6.	पंजाब	अमृतसर
7.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
8.	हरियाणा	कालका
		पिंजौर
		अम्बाला
		नारायणगढ़

1	2	3
		साधुरा
		बराड़ा
		पेहवा
		चुका
		गुहला
		शाहबाद
		कैथल
		कलयात
		नरवाना
		तोहाना
		जारवल
		रेतिया
		फतेहबाद
		सिरसा
		केनिया
		ऐलनाबाद
		पंचकुला
		रोहतक
		झज्जर
		बहादुरगढ़
		होडल
		कुन्डली
		बहालगढ़
		राय
		खेवड़ा
		मुरथल
		समालखा
		नीलोखेड़ी
		तरोरी
		गनोर
		जठलाना
9.	हिमाचल प्रदेश	मनाली
		कुल्लुभुनातर
		मनीकरण
		मण्डी
		सुन्दरनगर
		जोगिन्द्र नगर
		सुजानपुर
		नादोन
		कांगड़ा
		नूरपुर-जासुर
		देहरा
10.	उड़ीसा	भूवनेश्वर
		पुरी
11.	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर
		अनंतनाग
		सोपरा
		बारामुल्ला

खराब रोशनी में विमानन सुरक्षित उतारने के लिए विमान चालकों को प्रशिक्षण

5180. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू उड़ानों पर चलने वाले विमान चालकों को खराब रोशनी में विमानों को सुरक्षित उतारने हेतु प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां। पायलटों को मौसम संबंधी परिस्थितियों में इस्ट्रुमेंट लैंडिग सिस्टम श्रेणी-2 और श्रेणी-3 में सुरक्षित रूप से उतारने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है।

(ख) अब तक, एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और जेट एयरवेज ने क्रमश: 171, 129 और 32 पायलटों को श्रेणी-2 परिस्थितियों में 400 मीटर रेंज की न्यूनतम रनवे विजुवल सहित लैंडिंग की ट्रेनिंग दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एअरलाइन्स द्वारा 50 सीट वाले विमान को पट्टे पर लिये जाने के बारे में दिनांक 30.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1163 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): इंडियन एयरलाइंस द्वारा 50 सीटों वाले विमान को पट्टे पर लिए जाने के संबंध में, 30.7.2001 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1163 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में यह कहा गया था:

"एलाइंस एयर, जो इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने छ: ए टी आर 42-500 विमानों को ड्राई-लीज पर लेने के लिए 1 जुलाई, 2001 को एक ग्लोबल निविदा जारी की।"

2. बाद में जांच करने पर, यह पता चला कि अतारांकित प्रश्न का उत्तर देने के क्रम में, छ: ए टी आर 42-500 विमानों के ग्लोबल निविदा के जारी करने की तारीख के संबंध में असावधानीवश भूल हो गई। ए टी आर विमानों को ग्लोबल निविदा के जारी करने की तारीख, जिसे पहले 1 जुलाई, 2001 बताया गया था, को कृपया 2 जुलाई, 2001 पढ़ा जाए।

भूल के लिए बेहद खेद है।

त्रुटि का पता चलते ही दिनांक 30.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1163 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखने हेतु तत्काल कार्यवाही की गई है। तथापि, सही तथ्यों का पता लगाने में कुछ समय लगा और इसलिए एक सप्ताह के भीतर विवरण सभापटल पर नहीं रखा जा सका।

विवरण को सभापटल पर विलम्ब से रखने के लिए अत्यधिक खेद है।

इंडियन एअरलाइन्स के लिए छोटे विमान की खरीद करने के बारे में दिनांक 30.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1117 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

इंडियन एयरलाइंस के लिए छोटे विमानों की खरीद के संबंध में 30.7.2001 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1117 के भाग (क), (ख), (ग) तथा (घ) के उत्तर में, यह कहा गया था:

"एलाइंस एयर, जो इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने छ: ए टी आर 42-500 विमानों को ड्राई-लीज पर लेने के लिए 1 जुलाई, 2001 को एक ग्लोबल निविदा जारी की।"

2. बाद में जांच करने पर, यह पता चला कि अतारांकित प्रश्न का उत्तर देने के क्रम में, छ: ए टी आर 42-500 विमानों के ग्लोबल निविदा के जारी करने की तारीख के संबंध में असावधानीवश भूल हो गई। ए टी आर विमानों को ग्लोबल निविदा के जारी करने की तारीख, जिसे पहले 1 जुलाई, 2001 बताया गया था, को कृपया 2 जुलाई, 2001 पढ़ा जाए।

भूल के लिए बेहद खेद है।

त्रुटि का पता चलते ही दिनांक 30.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1117 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखने हेतु तत्काल कार्यवाही की गई है। तथापि, सही तथ्यों का पता लगाने में कुछ समय लगा और इसलिए एक सप्ताह के भीतर विवरण सभापटल पर नहीं रखा जा सका।

विवरण को सभापटल पर विलम्ब से रखने के लिए अत्यधिक खेद है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 583 (अ), जो 22 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए 12 सदस्यों से मिलकर बने "जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण" नामक एक प्राधिकरण का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4059/2001]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): महोदय, मैं रेल अधिनियम, 1989 की धारा 10 के अंतर्गत रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4060/2001]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:

(एक) का.आ. 650(अ) जो 6 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अनुसूची के क्रम संख्या 59, 45क और 45कक के सामने निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24क, 56क और 56ख का लोप किया गया है और उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्गों को नए संरेखण के साथ घोषित किया गया है।

(दो) का.आ. 651(अ) जो 6 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(तीन) का.आ. 688(अ) जो 19 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 387(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 693(अ) जो 20 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पानागढ़-पालसिर खण्ड) को हिस्सों में चौड़ा किए जाने के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4061/2001]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 747(अ), जो 3 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), लोक निर्माण विभाग, भोपाल अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को मध्य प्रदेश के देवास खंड के चार लेन वाले खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के देवास-इन्दौर खंड में क्षिप्रा नदी पर बने स्थायी पुल का उपयोग करने के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क वसूल करने और उसे बनाये रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4062/2001]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): महोदय, मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 2001 जो 7 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 210 (केवल अंग्रेजी में) तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129 (केवल हिन्दी में) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि पत्र (केवल हिन्दी में), जो 21 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 389 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सा.का.नि. सं. 129 को सा.का.नि. सं. 210 के रूप में संशोधित किया गया है, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4063/2001]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): महोदय, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपील अधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2001, जो 2 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4064/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी): अध्यक्ष महोदय, मैं "कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं

में आरक्षण से संबंधित आदेशों की जांच'' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के ''सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2000'' संबंधी 14वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

कार्य-मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा दिनांक 24 अगस्त, 2001 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा दिनांक 24 अगस्त, 2001 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04½ बजे

[अनुवाद]

अयोध्या मुद्दे के संबंध में प्रधान मंत्री के कथित वक्तव्य के बारे में

अध्यक्ष महोदय: अब हम शून्य काल आरंभ करेंगे। हरीभाऊ शंकर माहले जी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मुद्दा है...*(व्यवधान)* इस समय इसे उठाकर राजनीति की रोटियां सेंकने का काम किया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक-एक करके बोलिए। श्री जयपाल रेड्डी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, प्रधान मंत्री जी ने कल लखनऊ में एक असाधारण बयान दिया। हम उनके बयान पर कई कारणों से कड़ी आपत्ति करते हैं।

पहली बात, उन्होंने सदन के बाहर एक ऐसे मुद्दे के संबंध में बयान दिया जो संवेदनशील और विस्फोटककारी, दोनों ही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रधान मंत्री जी को आजकल सदन के बाहर ऐसे बयान देने की आदत हो गई है।

दूसरी बात, यह बयान देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए स्थिति को साम्प्रदायिकता का रंग दे सकता है।

तीसरी बात, यह बयान अत्यधिक आपत्तिजनक है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और यह झूठा है। बाबरी मस्जिद समर्थक सभी मान्यताप्राप्त समितियों ने इस बयान की निंदा की है। यह न केवल अनुचित है अपितु यह एक गलत बयान है।

इसलिए, मेरा यह सुझाव है कि प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): अगर किसी समस्या का समाधान हो रहा हो तो उसमें आपत्ति क्या है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी वहां मौजूद हैं और वे इसका उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: प्रधान मंत्री जी को सदन में आकर इसे स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें सदन को विश्वास में लेना चाहिए।

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी को हमें यह बताना याहिए और सदन को इस बारे में विश्वास में लेना चाहिए कि उन्होंने किन संगठनों के साथ बातचीत की थी। महोदय, मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ यह रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी ने किसी से बातचीत नहीं की है। उन्होंने गुमराह करने वाला बयान दिया है। बाबरी मस्जिद मुद्दे के संबंध में बातचीत करने पर किसी को एतराज नहीं है लेकिन वह बातचीत सफल होगी, इस बात की कोई संभावना नहीं है। प्रधान मंत्री जी गलत बयान के आधार पर झूठी आशा कैसे व्यक्त कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने कल लखनऊ में जो कहा है, वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। विश्व हिन्दू परिषद् ने घोषित कर दिया है कि वह अयोध्या में 12 मार्च से मंदिर निर्माण का काम शुरू कर देगी। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इसके लिए वार्ता हो रही है और इस वार्ता के कई चरण पूरे हो गये हैं। विश्व हिन्दू परिषद् ने कहा है कि हमें वार्ता करने की कोई जरूरत नहीं है और हम तारीख पर अड़े हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा है कि कोई वार्ता नहीं हो रही है। यह बहुत गंभीर सवाल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या हैसियत है, यह बीजेपी के लोग जानते हैं। ...*(व्यवधान)* वे जानबूझकर उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की साजिश कर रहे हैं और एक षडयंत्र के तहत पूरे देश में वातावरण को साम्प्रदायिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चूंकि यह मामला अदालत में है, इसलिए आप इस मामले की अच्छाइयों बुराईयों पर चर्चा नहीं कर सकते। यह मामला न्यायनिर्णयाधीन भी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: शिक्षा के भगवाकरण के सवाल पर इनके सहयोगी दल ही इनसे नाराज हैं। पूरे देश में आरएसएस को छोड़कर कोई इनके साथ नहीं है।...*(व्यवधान)* राजस्थान के भीलभाड़ा में मस्जिद तोड़ दी गई।...*(व्यवधान)* चिंता का विषय यह है कि विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल और आरएसएस अगर कोई बात कहते हैं तो उसे बीजेपी की बात समझनी चाहिए क्योंकि ये उनकी कृपा पर जिंदा हैं। जब यह सदन चल रहा था तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को यह बात सदन में कहनी चाहिए थी। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी वीएचपी के लोगों को डांट लगाएं, फटकार लगाएं क्योंकि जब तक यह सरकार यह घोषित नहीं करेगी कि या तो बातचीत के जरिए या अदालत के जरिए ही इस समस्या का समाधान हो सकता है और जो भी वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी वर्ना यह माना जाएगा कि विश्व हिन्दू परिषद् अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा बोल रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष जी, अपोजीशन के दो लोगों ने बोला है। एक इस साइड से भी तो होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका इस बात से कोई मतलब नहीं है। यह देखना आपका काम नहीं है। आपने तो हद कर दी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)* हमें चेयर से बोलने की कभी भी अनुमति नहीं मिलती है।...*(व्यवधान)* हमें भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कटियार जी, आपको बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कटियार जी, आप बैठ जाइए। आपको भी बुलाएंगे न।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं जयपाल रेड्डी जी की बात से सहमत हूं। यह काफी संवेदनशली मामला है। सभी इसके बारे में जानते हैं। उनका अपने निर्वाचन क्षेत्र में किया गया यह दौरा उन दौरों से भिन्न है जो वह वहां की समस्याओं के समाधान के लिए प्राय: किया करते हैं। नि:संदेह उन्होंने मार्च तारीख के संबंध में जानबूझकर काफी महत्वपूर्ण बयान दिया क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। स्पष्ट है कि इस भाषण का उद्देश्य वहां कुछ प्रभाव डालना था।

अब, अध्यक्ष महोदय, आप हमें सभा का कार्य कैसे किया जाता है, इस संबंध में कतिपय मानदंड अपनाने के लिए कह रहे हैं और यह भी कि हमें लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए।

लेकिन इससे यह प्रतीत होता है कि ये मानदंड माननीय प्रधानमंत्री जी पर लागू नहीं होते। वह सदन के बाहर महत्वपूर्ण बयान देते हैं। वह सदन के नेता हैं। वह प्रधान मंत्री हैं। जहां एक ओर तो संसद का सत्र चल रहा है, वहां दूसरी ओर संसद के बाहर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में बयान दिए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आज सोमवार होने के बाद भी वह सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आए हैं। चूंकि वह यहां मौजूद हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें, सदन को विश्वास में लें और इस सदन के माध्यम से देश को बतायें कि वास्तविक स्थिति क्या है क्योंकि इस मामले को सिर्फ एक रोजमर्रा के मामले के रूप में अथवा भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मामले के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए उन्हें इस मुद्दे के संबंध में वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, ये बाबरी मस्जिद गिराने के आरोपी हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपने यह मामला उठाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री विनय कटियार के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, बार-बार विपक्षी दलों की ओर से इस विषय को उठाकर, इसी मुद्दे को उठाकर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विनय कटियार के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले जो बयान दिया था, प्रतिपक्ष के सारे लोगों ने एक स्वर के साथ बात कही थी कि इस समस्या के समाधान के लिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विनय कटियार के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, इसलिए उस समय भी यह चर्चा हुई थी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं। आप अन्य सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं। यह सब क्या है? आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री विनय कटियार के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, जब सदन में यह चर्चा हुई थी, तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी ने एक स्वर से बात कही थी कि इस समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से हो। माननीय प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थिति हैं, वे उस पर कुछ बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह जी, आप क्या कह रहे हैं? आप दूसरे सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप दूसरे सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना बोल रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि यह संवेदनशील मामला है। माननीय चन्द्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, वे यहां सदन में बैठे हैं, उस समय भी एक प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बातचीत की एक प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी। सब लोग चाहते हैं, समय-समय पर यह विषय सदन के अन्दर उठा है, सारे लोगों ने एक साथ बात कही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम मामले की अच्छाईयों और बुराईयों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो केवल वही बात उठाई है जो माननीय प्रधान मंत्री ने कल कही थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं? मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा था। राशिद अलवी जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा था। अब मैं उन्हें बैठने के लिए कैसे कह सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा था। राशिद अलवी जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया यह बात समझें कि मैंने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया था। अब मैं ही उन्हें बोलने से कैसे रोक सकता हूं?

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने जो भी बयान दिया है, लखनऊ में बयान दिया है...*(व्यवधान)*

माननीय प्रधान मंत्री जी ने लखनऊ में वार्ता का जो भी बयान दिया, वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान करने का जो बयान दिया, हम उनके बयान का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विनय कटियार के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री विनय कटियर, अब कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): सारे दलों को बातचीत के माध्यम से इस समस्या के समाधान में बात करनी चाहिए और सब को उसमें सहयोग करना चाहिए। पिछले दिनों हमने इसी समस्या को लेकर बातचीत प्रारम्भ भी की थी। लखनऊ के अंदर हमने बात प्रारम्भ की थी। समाजवादी पार्टी के लोग रोज रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के विषय को लेकर प्रदेश में दंगे कराना चाहते हैं और आज भी करा रहे हैं।...*(व्यवधान)* चाहे कानपुर, आजमगढ़ हो या कहीं भी हो। मैं कितने दंगों की सूची बनाऊं। इससे इनको कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये सब समझ चुके हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो चुका।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है क्योंकि सदन में आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। मैं एन.डी.ए. की एक बैठक में व्यस्त था। माननीय सदस्यों ने अयोध्या के मामले में जो रुचि दिखाई है उससे मुझे प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता हूं कि यह रुचि आगे भी बनी रहे और समस्या के समाधान में सहायक हो।...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): महोदय, रुचि नहीं है, तकलीफ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, कल मैं लखनऊ में था, वहां एक प्रैस सम्मेलन रखा गया था। महोदय, अब अगर

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह व्यवस्था हो कि जब सदन की बैठक चल रही है तो प्रैस को सम्बोधित न किया जाए, किसी तरह की घोषणाएं न की जाएं, नीति संबंधी घोषणाएं न हों, यह बात तो मैं मानता हूं और यह बात सदन को स्वीकार भी है, लेकिन अगर किसी ने अयोध्या के बारे में प्रश्न पूछ लिया तो क्या मैं यह कहूं कि पार्लियामेंट की बैठक हो रही है, मेरे मुंह में ताला लगा हुआ है। यह मैं नहीं कह सकता और संसद यह चाहेगी भी नहीं। इस संबंध में जिस तरह के प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसी तरह के आपके ऊपर भी लगेंगे। प्रतिपक्ष इस जिम्मेदारी से बचेगा नहीं। कल मैंने अयोध्या के बारे में क्या कहा, मुझसे यह सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि विश्व हिन्दू परिषद् ने मार्च के महीने तक अयोध्या की समस्या के समाधान के लिए कहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि अयोध्या की समस्या मार्च के पहले हल हो जाए। इसके लिए बातचीत भी चल रही है।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: किससे बातचीत चल रही है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैंने वहां जो जवाब दिया, वह मैं आपको बता रहा हूं। किन से बातचीत चल रही है, यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री के भाषण में व्यवधान नहीं डालता। अनजान समूहों के साथ माननीय प्रधान मंत्री किस प्रकार चर्चा कर सकते हैं? सभा को अंधेरे में किस प्रकार रखा जा सकता है? यह राष्ट्रीय हित में कैसे हो सकता है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, कल मुझे कितने प्रतिनिधि मंडल मिले और उनमें अलग-अलग सम्प्रदायों के प्रतिनिधि मंडल थे। मैं इसकी सारी सूची सभापटल पर रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर अयोध्या की समस्या के गंभीर समाधान में आपकी रुचि है तो आप इसका स्वागत करेंगे कि जब वार्ता चल रही है तो उसके बीच में उस वार्ता के बारे में घोषणाएं हों, यह ठीक नहीं है। हम जब उस नतीजे पर पहुंचेंगे तो सदन के सामने आएंगे और फिर आप जो भी आलोचना करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हरीभाऊ शंकर महाले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अन्य सदस्यों ने भी नोटिस दिए हैं। मैंने श्री हरीभाऊ शंकर महाले का नाम बुलाया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पीछे बैठे सदस्यों ने भी नोटिस दिए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे अन्य सदस्यों को भी अवसर देना है। मैंने श्री हरीभाऊ शंकर महाले को बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सूची में उनका नाम प्रथम स्थान पर है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आप सूचीबद्ध सदस्यों को ही बोलने का अवसर देते हैं?...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस नहीं दिया है...*(व्यवधान)* जिस बात पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उनके बाद बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के दाहिने हाथ श्री दादा साहेब गायकवाड़ तथा कर्मवीर भाऊराव कृष्णाराव गायकवाड़ 1957 में जनरल सीट से चुनकर आये थे और राज्य सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने बाबा साहेब से साथ यहां महाड़ में पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया। नासिक में राम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किया। महाराष्ट्र सरकार 15 अक्टूबर तक इनकी शताब्दी मनाना चाहती है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री महोदय से विनती करना चाहता हूं कि ये बहुत मशहूर और महत्वपूर्ण आदमी थे। अत: 15 अक्टूबर से पहले उनके नाम से एक डाक-टिकट निकाल दिया जाए—यही मेरी प्रार्थना है।

अपराह्न 12.22 बजे

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के संबंध में बहस के दौरान उद्धृत दस्तावेज की प्रामाणिकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि उस दिन 23 अगस्त को विनिवेश पर देर रात तक चर्चा चली थी। मैंने और मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा, वह सभा की कार्यवाही का एक अंश है। मै3ने अथवा सरकार ने उस बात से इंकार नहीं किया है। महोदय, मैंने कहा था कि यदि मेरा दस्तावेज गलत साबित होगा, तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं और यदि वह ठीक साबित हो, तो मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। आगे मैंने यह कहा था कि आप इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेज सकते हैं। मैंने, बाद में मैंने यह भी कहा था कि इस संबंध में मैंने अभी-अभी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति का अवलोकन किया है, और संभवत: यह सदन की कार्यवाही सभा की संपत्ति है, जो अध्यक्ष को उनके विचारार्थ सौंपी जानी चाहिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि क्या होगा, अपितु अपने संसदीय दायित्व के निर्वहन में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चर्चा के तत्काल बाद जिम्मेदार मंत्री महोदय ने सभा के बाहर केवल मुझे अपितु कई अन्य माननीय सदस्यों को मूर्ख और गंवार कहा। ऐसी स्थिति है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ही नहीं अपितु इस सभा की गरिमा और सदस्यों के लिए आघातपूर्ण है।

अत:, अध्यक्ष महोदय, मैं दृढ़ता से यह महसूस करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि सभा में मैंने जो कुछ कहा, हालांकि मैं उस पर दृढ़ हूं और मैं उससे, विचलित नहीं होना चाहता, फिर भी यह निर्णय आपको करना है कि किस प्रकार इसका पता लगाया जाये। बल्कि विद्वान मंत्री महोदय द्वारा संभवत: राजनीति में जिनका प्रवेश बहुत बाद में हुआ है, सभा से बाहर इस प्रकार सदस्यों के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मुझे दु:ख है कि उस दिन मैं यहां मौजूद नहीं था जिस दिन श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने अपनी बात कही थी और उस पर हमारे मित्र श्री अरूण शौरी जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल हैं जिन पर सदन का और आपका ध्यान खींचना मैं जरूरी समझता हूं। यह पहली बार होगा कि सदन की कार्यवाही के लिए सीबीआई को मामला भेजना और वह भी स्वयं मंत्री महोदय भेज दें। सदन में जो भी कार्यवाही होती है वह सदन की सम्पत्ति होती है और उस पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बाहरी एजेंसी को आदेश देने का अधिकार किसी मंत्री महोदय को नहीं होता।

दूसरी बात है कि जो पत्र लिखा गया है या कहा जाता है कि लिखा गया है, उस पर लिखा है ''सीक्रेट''। एक गोपनीय पत्र जो कोई कैबिनेट सैक्रेट्री अपने प्रिन्सिपल सैक्रेट्री को लिखता है तो जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूं सरकार की कार्यवाही के बारे में, कोई मंत्री चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसकी प्रसिद्धि कितनी ही क्यों न हो, उसको सीधे उससे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है क्योंकि अगर गोपनीय पत्र है तो वह यही जवाब देगा कि इस पत्र को मैंने नहीं लिखा है। इसके अलावा कोई दूसरा जवाब वह नहीं दे सकता है। किसी मंत्री को यह अधिकार नहीं होता है कि प्रिन्सिपल सैक्रेट्री को या प्राइम-मिनिस्टर को अगर कैबिनेट सैक्रेट्री ने कोई खत लिखा है तो सीधे उससे जाकर पूछे। मैं नहीं जानता कि कौनसी नयी परम्परा इस सरकार में बनी हुई है।

दूसरी बात यह है अगर हमारे मंत्री महोदय को इतना बुरा लगा और उसी में दासमुंशी जी ने एक और सवाल उठाया कि किसी उद्योगपति के विरुद्ध फेरा का केस है तो वह उस पर मौन क्यों रह गए? मैं एक सवाल यह जानना चाहता हूं कि क्या आपसे अनुमति ली गई कि सीबीआई को यह मामला सौंपा जाए? जैसे किसी बच्चे के हाथ का खिलौना हो, जब कोई मंत्री उठे और सीबीआई को कोई मामला भेज दे, ऐसे में सदन और आपके अध्यक्षपीठ की गरिमा को कौन बचाएगा? मैं एक बात यह जानना चाहता हूं कि सीबीआई का डायरैक्टर क्या कैबिनेट सैक्रेटरी से पूछताछ कर सकता है? मैं डायरैक्टर की बात करता हूं, इनवैस्टिगेशन आफिसर की बात नहीं करता हूं। डायरैक्टर को यह अधिकार नहीं है, अगर अधिकार भी हो तो वह उस अधिकार का उपयोग नहीं करेगा। सामान्यत: सदन में इस तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि मैं एक बार इसका भुक्तभोगी हो चुका हूं। इसी सदन में एक प्रधान मंत्री जी थे। एक सवाल उठा। उन्होंने तुरन्त कहा कि मैं सीबीआई को मामला भेज रहा हूं। मैंने उसी समय कहा कि प्रधान मंत्री जी इस तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा खिलौने के साथ बर्ताव करता है। मैंने कहा कि जहां तक मेरी बात है, मैं सीबीआई के सामने कोई बयान नहीं देने वाला और मैंने सीबीआई को बयान नहीं दिया। उसके अधिकारी गए। बाद में उन्होंने मेरा एक बयान बना कर फाइल में लगा दिया। वे बेचारे जानते नहीं थे कि कभी वह फाइल मेरे पास भी आएगी लेकिन यह चक्र संसदीय जनतंत्र का है जो निरन्तर घूमता रहता है। घूमते-घूमते वह फाइल एक दिन मेरे पास

प्रश्न का जवाब देने के लिए आ गई। तीन पृष्ठ का मेरा बयान उसमें लिखा था। मैंने कैबिनेट सैक्रेटरी को बुला कर कहा कि कहां के थानेदार, दरोगा जी हैं या जाइंट डायरैक्टर सीबीआई के हैं, उनको उसका फल भुगतना पड़ा। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। वह मामला प्रिवलेज कमेटी को गया जिसके अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी थे। यदि आप समझते हैं कि मामला संगीन है, प्रिवलेज कमेटी को भेजिए। वहां मंत्री महोदय भी आएं, दासमुंशी जी भी आएं और कैबिनेट सैक्रेटरी भी आएं। मैं कहना नहीं चाहता, मुझसे प्रधानमंत्री कार्यालय के उत्तरदायी लोगों ने इनडायरैक्ट, मैं फिर कहता हूं, यह कहा कि वह पत्र सही है, उसमें कोई गलती नहीं है लेकिन मैं इसमें गलती नहीं मानता अगर कैबिनेट सैक्रेटरी ने कहा है कि वह पत्र मैंने नहीं लिखा। गोपनीय पत्र को कैबिनेट सैक्रेटरी किसी मिनिस्टर या किसी दूसरे आदमी पर जाहिर नहीं कर सकता लेकिन हमारे मित्र विनिवेश मंत्री को क्या देश की जागीर बेचने और किसी के ऊपर आरोप लगाने का अधिकार है? उन्होंने कहा कि जिस तरह का खत लिखा गया कोई कैबिनेट सैक्रेटरी को उस तरह का खत नहीं लिखता। मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए जब से ज्यादा अंग्रेजी जानने वाले लोग आ गए, मैं हिन्दी में ही बोलता हूं कि कहीं गलती न हो जाए लेकिन मुझे नहीं मालूम, उस खत में क्या गलती है? मैं थोड़ी बहुत जो अंग्रेजी पढ़ा हूं, खत में कोई गलती नहीं है, अगर किसी वाक्य या किसी शब्द से उसका दुरूपयोग हुआ है तो जिस शब्द पर उन्होंने आपत्ति की है, उसी तरह का एक शब्द हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक माननीय सदस्य के खत में भी लिखा है। मैं नहीं जानता...*(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): आप हमारा पत्र भी पढ़ते हैं?

श्री चन्द्रशेखर: हमें पत्र पढ़ाया जाता है। मैं किसी का पत्र नहीं पढ़ता लेकिन अगर पढ़ाया जाता है तो मजबूरन पढ़ना पड़ता है। आज आपके मंत्री महोदय अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं लेकिन अंग्रेजी न जानने वाले को भी अपनी बात कहने का अधिकार है चाहे वह मंत्री हो, चाहे सदस्य हो, चाहे नौकरशाही का कोई व्यक्ति हो, मैं समझता हूं कि हमारे अनेक अधिकारी ऐसे हैं अगर हम गलती करते हैं तो उस गलती की ओर संकेत हैं। इसमें न उनका अपराध है और न किसी मंत्री महोदय की अवमानना है। यदि ऐसे चलने लगा तो ठीक नहीं होगा। कई बार उद्धरण दिए जाते हैं और समितियों के बारे में उनकी यह-यह टिप्पणी है, कमेटी की रिपोर्ट में बाहरी पूंजीपतियों के दस्तावेजों का उद्धरण दिया जाता है। यदि मैं प्रधान मंत्री जी से कहूं कि सरकार की अनेक नीतियों में ऐसे उद्धरण दिए जाते हैं जो इंटरनेशनल मानिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के डाक्यूमैंट्स हैं तो क्या यह मान लूं कि यह सरकार उसकी

गुलाम है? यह नहीं हो सकता। जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो किसी अंग्रेजी दां की अंग्रेजी अगर मुझे अच्छी लग जाए और जो मेरे भाव को भी प्रकट करती हो तो उसमें कोई गलती दिखाई नहीं पड़ती। इस तरह की आपत्तियां उठाई जाती हैं। जिस तरह से, अब ड्रामा शब्द पर आपत्ति की जाएगी, जो अभिनय किया गया, एक सदस्य बोलता है, तुरन्त मंत्री महोदय उठ कर जाते हैं, किसी एक अधिकारी को कहते हैं, आकर उनसे बात करते हैं, जैसे कोई ड्रामा रचा जा रहा हो-क्या वे चुप नहीं रह सकते थे? ऐसा मालूम होता है जैसे श्री दासमुंशी ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। मान लीजिये, अगर वह पत्र गलत भी हो...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उन्होंने अपराध किया है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): लेकिन मैं कहता हूं कि इससे बड़ा अपराध नहीं होगा...

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैंने कोई अपराध नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं होगा कि कोई मंत्री सदन की मर्यादा का उल्लंघन करे। यह सबसे बड़ा अपराध है कि ऐसा उन्होंने न केवल एक माननीय सदस्य के बारे में कहा बल्कि उन्होंने समितियों के बारे में जो टिप्पणी की है। उन्होंने टी.वी. पर जाकर जो कहा, वह अपराध नहीं क्योंकि वे मंत्री हैं और मंत्री होने से कोई महान नहीं हो जाता है। मैंने बहुत से मंत्रियों को आते-जाते देखा है। मैं भी थोड़ा उनके सम्पर्क में रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री में यह रोष नहीं देखा लेकिन आज के विनिवेश मंत्री में हैं। प्रधानमंत्री जी जरा इनको सबक सिखायें, कुछ शिष्टाचार सिखायें कि वे कुछ विनम्रता से किसी बात को बोलना सीखें और कुछ सहन करना सीखें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, क्या आपकी और श्री चन्द्रशेखर जी की अनुमति से अंग्रेजी में बोल सकता हूं। मैं हिन्दी में बोलना चाहता हूं किन्तु सभा इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं यहां अपनी टूटी-फूटी हिन्दी नहीं बोलना चाहता। मुझे इस पर गर्व नहीं अपितु शर्मिन्दगी है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

अध्यक्ष महोदय, यह अत्यधिक महत्व का विषय है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री अटल जी इस सभा की परंपराओं से मुझसे अधिक परिचित हैं। क्या इस प्रकार के व्यवहार के लिए किसी सदस्य पर उसी प्रकार मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जैसे कि उसने कोई अपराध किया हो और क्या उस सदस्य के व्यवहार के लिए और वह भी सभा के भीतर किए गए व्यवहार के लिए यह मामला आगे जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजा जाना चाहिए। हम उत्साहपूर्वक अपने अधिकारों का संरक्षण कर रहे हैं। इसी प्रयोजनार्थ विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया था और अब हमारे पास आचार समिति भी है। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय सदस्य ने सभा में जो कुछ कहा है उसके लिए उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जवाब देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। महोदय, वह आपके प्रति जवाबदेह है और आपके माध्यम से इस सभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी है। अब हम किस प्रकार की परंपरा शुरू करने जा रहे हैं?

उस शाम भी मैंने अपने कुछ संवाददाता मित्रों को कहा था कि इस मामले पर विशेषाधिकार समिति में विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह सभा के अंदर हुआ था। मैं इसके गुणावगुणों पर नहीं बोलना चाहता। मेरे विद्वान मित्र श्री चन्द्रशेखर जी को व्यक्तिगत अनुभव है कि किस प्रकार घटनायें घटती है। आपने यह पता लगाया है कि रिर्पोटिंग किस प्रकार की जाती है। अत:, मैं ईमानदारीपूर्वक, यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे चर्चा में अपने नंबर बनाने का प्रयास न करें अथवा किसी अन्य सदस्य को अपराधी समझकर परेशानी में न डालें ताकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य जांच एजेंसी को उस सदस्य के पीछे न लगाया जाये और उसे यह स्पष्ट करना पड़े कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। यह अति गंभीर मामला है। इससे सभी की परंपरायें प्रभावित होती हैं। यह सभा की समुचित कार्यवाही में दखलंदाजी करता है। महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस मामले पर जब तक कम से कम विशेषाधिकार समिति अथवा आप यह निर्णय न ले लें कि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा जाये या नहीं, जांच नहीं की जानी चाहिए।

महोदय, गंभीर बात यह है कि अगले दिन समाचार-पत्रों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सूत्रों का हवाला देते हुए यह कहा गया कि यह झूठा दस्तावेज है। इसका क्या उद्देश्य है? केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कौन से मामले में जांच शुरू होने के दस घंटे के भीतर निर्णय दिया है? यदि कुछ रिपोर्ट देने योग्य था तो मंत्री महोदय के माध्यम से इसकी सूचना पहले आपको दी जानी चाहिए थी। अब एक सदस्य महोदय को यह कहना पड़ा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की बात गलत है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो से टकराव मोल ले

लिया। इस सभा में व्यवहार करने का हमारा यह कोई तरीका नहीं है। यह खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री यहां मौजूदा हैं। मुझे विश्वास है कि वह इस सभा के सदस्यों की भावनाओं को समझते हैं। मैं मामले के बारे में अथवा सच्चाई क्या है, यह नहीं जानता। एक साधारण सदस्य होने के नाते मुझे ऐसी जानकारी कैसे हो सकती है?

हमने एक प्रणाली विकसित की है। हमने नियम बनाये हैं। हमारे यहां कार्यवाही प्रक्रियाएं हैं। सदस्य के आचरण के बारे में निर्णय यहां किया जाए। अत: महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस मामले को ऐसे न बढ़ाने का निर्देश दें और इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्रशेखर जी ने, श्री सोमनाथ चटर्जी ने यहां प्रश्न उठाये हैं। यह बात ठीक है कि हाउस के प्रीविलेज के सारे मामले आपके ऊपर निर्भर करते हैं और आप ही उनका फैसला करें, परंतु यह जो बात कही जा रही है कि कोई लैटर आथन्टीकेट करके यहां नहीं रखा गया और उस समय खुद खड़े होकर श्री पी.आर. दासमुन्शी जी ने कहा कि इसकी सी.बी.आई. इंक्वायरी होनी चाहिए। कई मैम्बर्स ने हाउस में खड़े होकर कहा कि इसकी सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए। अब यह उसमें इस तरह से रिगल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने स्वयं टी.वी. पर देखा, श्री दासमुन्शी जी ने टी.वी. पर कहा कि यह पत्र बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल असली है, इसमें कोई गलत नहीं है और मैं कहता हूं कि यह पत्र पूरी तरह से जाली नहीं है। इसकी इंक्वायरी कौन करे, कोई पत्र हाउस में है ही नहीं, वह कोई आथन्टीकेट नहीं हुआ, आपके पास नहीं आया, आप प्रीविलेज को क्या चीज भेजेंगे। एक पत्र है जो उन्होंने सीधे आकर मिनिस्टर को दिया तो क्या मिनिस्टर इस बात का पता नहीं करेगा कि यह जाली है या असली है, क्या इसका सी.बी.आई. या किसी और एजेन्सी द्वारा पता नहीं करना चाहिए इन्होंने खुद मांगा था।

[अनुवाद]

उन्हें स्वयं खड़े होकर यह नहीं कहना चाहिए था कि सी.बी.आई. से जांच करवाओ। जब उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए कहा और माननीय मंत्री ने...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): वह पत्र सभा की कार्यवाही का एक अंश है। आप सभा को गुमराह कर रहे हैं। मैंने पूरा पत्र उद्धृत किया था। मैं पत्र पढ़ता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: कोई भी पेपर जब यहां रखा जाता है तो चेयर की तरफ से पूछा जाता है कि क्या आप इसे आथन्टीकेट कर रहे हैं। श्री पी.आर. दासमुन्शी जी ने कहा कि मैं आथन्टीकेट नहीं कर रहा हूं। पहले उन्होंने कहा कि मैं आथन्टीकेट करता हूं और बाद में उन्होंने उसे विदड्रा कर लिया।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने इंकार नहीं किया है। आप सभा को गुमराह कर रहे हैं। मैंने कहा था कि 'मैं प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं। मुझे इसे उद्धृत करने दीजिए।' तत्पश्चात् मैंने उसे उद्धृत किया। उसके पश्चात् जब मंत्री जी मेरे पास आये...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर-पूर्व): जब उन्होंने आपसे इसे प्रमाणित करने के लिए कहा, तो आपने कहा कि आप इसे प्रमाणित करो...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने कहा, "मैं प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं"...*(व्यवधान)* किसी ने मुझे प्रमाणित करने के लिए नहीं कहा। न ही उस ओर से और न ही पीठासीन अधिकारी ने। मैंने पत्र उद्धृत किया और कहा, "मैं सारी बात उद्धृत कर रहा हूं।" मंत्री महोदय, मेरे पास आये, उस प्रति को लिया और सरकारी-दीर्घा में बैठे उस अधिकारी को प्रति सौंप दी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर: अगर कोई पत्र ही नहीं है तो आप मिनिस्टर साहब से किसकी जांच करवा रहे हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: चंद्रशेखर जी आप मेरा मजाक बनाइये, यह आपको अधिकार है, आप मेरा मजाक बना लें, हंसें और बाकी सबसे कह दें, आपको अधिकार है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, परन्तु पत्र तो है, पत्र उन्होंने मंत्री जी को स्वयं दिया है और यह कहा कि यह पत्र है और पत्र के बारे में मंत्री जी ने पता लगाया कि यह पत्र जाली है, तो इंक्वायरी कौन करेगा। जब हाउस का मामला नहीं है, टी.वी. पर जाकर कांग्रेस के सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक पत्र दिया है। अगर कैबिनेट सैक्रेटरी का पत्र प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल प्राइवेट सैक्रेटरी को

लिखा हुआ पत्र जाली है और अगर वह हाउस में मिनिस्टर को दिया जाता है, टी.वी. पर जाकर बताया है तो कौन उसकी इंक्वायरी करेगा और उसकी इंक्वायरी करने से क्यों घबरा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं...*(व्यवधान)* वे इससे बचना क्यों चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने जो कुछ किया वह मेरा अधिकारों में था।...*(व्यवधान)* मुझे जो सही लगा, वह मैंने दिखाया...*(व्यवधान)* आप ऐसे नहीं बोल सकते।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा, अब कृपया अपना भाषण समाप्त करें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, यह सदन की मर्यादा का प्रश्न है...*(व्यवधान)* यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सदन को डिस्टर्ब मत करिये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यह डिसइनवैस्टमैन्ट के खिलाफ हों या उसके हक में हों, यह अलग बात है, आपका अधिकार है। आप उसके खिलाफ हजार बातें कहें, लेकिन कैबिनेट सैक्रेटरी की फर्जी चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सैक्रेटरी को लिखी जाए, उसके बाद वह सदन में रखी जाती है, सारे हिंदुस्तान को बताया जाता है, उसके बाद टी.वी. पर उसे जस्टीफाई किया जाता है तो इंक्वायरी कौन करे, कहां से इंक्वायरी हो...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हाउस इंक्वायरी करेगा।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आपने रखा ही नहीं, यहां दिया हो नहीं है।...*(व्यवधान)* कल को मैं कोई भी बात...*(व्यवधान)* आज आप कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी भी कह रहे हैं। सी.बी.आई. इंक्वायरी हो, माननीय सदस्य ने खुद मांग की थी।

[अनुवाद]

उन्होंने इसकी मांग की थी और यह कार्यवाही-वृत्तांत में है।

[हिन्दी]

आप लोगों ने, कई माननीय सदस्यों ने खड़े होकर कहा था कि इसकी इन्क्यावरी करिये। सीपीएम के लोग भी समर्थन में खड़े हुए थे कि सीबीआई इंक्वायरी कराएं।

[अनुवाद]

यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो अब हम इस पर टाल-मटोल क्यों करें?

[हिन्दी]

बजाय इसके कि कांग्रेस पार्टी इस पर शर्मिन्दगी जाहिर करे, बजाय इसके कि लज्जा प्रकट करे कि गलत काम हुआ है, वे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज हमारे पास लंबी कार्यसूची है। श्री शिवराज पाटील बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज हमारे पास विधायी कार्यों की लंबी सूची है। कृपया यह समझने का प्रयास करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज पाटील के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। श्री शिवराज पाटील जी, कृपया बहुत संक्षेप में बोलें।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, यह अति महत्वपूर्ण मामला है और मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं थोड़ा सा लंबा वक्तव्य देने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं क्योंकि यह मामला महत्वपूर्ण है।

मैं बताना चाहता हूं कि मैं विशेषाधिकार समिति का सदस्य हूं और यदि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाएगा तो मैं विशेषाधिकार समिति में काम नहीं करूंगा और अपनी सदस्यता वापस ले लूंगा।

वास्तव में क्या हुआ है? माननीय सदस्य इस सभा में आए और उन्होंने इन दस्तावेजों को सभा में प्रस्तुत किया। उनमें से एक दस्तावेज पर आपत्ति की गई। यह कहा गया कि यह दस्तावेज फर्जी है। इस पर सदस्य ने खड़े होकर कहा कि उन्होंने ये दस्तावेज प्राप्त किए हैं और उन्होंने इन्हें सभा में प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि इनमें से कोई दस्तावेज फर्जी है अथवा जिस दस्तावेज को कथित रूप से फर्जी बताया गया है वास्तव में फर्जी दस्तावेज है तो वह अपना आरोप अपनी शिकायत वापस ले लेगें और क्षमा मांग लेंगे। क्या इसमें सभा को गुमराह करने का कोई इरादा है?...*(व्यवधान)* इसमें सभा को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं है। इसके विपरीत, इस मामले में निर्णय दिए जाने से पूर्व सदस्य क्षमा मांगने को तैयार थे। वास्तव में क्या हुआ है? मंत्री महोदय ने कहा कि इस तरह का फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है और जो इस मामले के बारे में सूचना दे रहे हैं, वे इस मामले पर भी विचार करें। उन्होंने मीडिया के सदस्यों से इस मामले को उजागर करने की अपील की। इसके बाद वे संसद से बाहर चले गए तथा मीडिया से इसके बारे में बातचीत की। उन्होंने असंयमित भाषा का प्रयोग किया और मैं उन शब्दों को नहीं दोहराऊंगा। उन्होंने इस सभा में भी अपने सहयोगियों के विरुद्ध असंयमित भाषा का प्रयोग किया।

महोदय, हम विनिवेश के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे उसी दौरान जब किसी सदस्य ने कड़ा रुख अपनाया तो मंत्री महोदय ने कहा कि वे यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप देंगे। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब कोई मामला इस सभा में प्रस्तुत किया जाता है और कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित हो जाता है, तो सब कुछ पढ़ा जाता है और उसे कार्यवाही-वृत्तांत का अंग बनने की अनुमति दे दी जाती है उसके बाद माननीय अध्यक्ष और सभा यह निर्णय करती है कि अब इस विषय में क्या कार्यवाही की जानी चाहिए।

अनुच्छेद 105 के अंतर्गत सदस्य को किसी भी तरह जैसा वह चाहे, अपना वक्तव्य देने अथवा उद्धृत करने का विशेषाधिकार है। लेकिन कार्यपालिका का सदस्य होने के नाते वे माननीय सदस्य को यह कहकर डराने की कोशिश कर रहे थे कि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा जाएगा; केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच करेगी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनसे पूछताछ करेगा इसलिए वक्तव्य देते समय उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। क्या यह सभा में सदस्य द्वारा स्वतंत्र रूप से तथा बिना किसी भय के अपने विचार व्यक्त किए जाने में विशेषाधिकार के हनन जैसा नहीं है? यह सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं सविनय निवेदन कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

महोदय, यह मामला सभा के इस ओर बैठे सदस्य से ही नहीं अपितु सभा में बैठे सभी माननीय सदस्यों से संबंधित है। पीठासीन अधिकारी अथवा समिति अथवा सम्पूर्ण सभा द्वारा इस मामले पर निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो सदस्यों को बड़ी परेशानी हो जाएगी। यहां कुछ ऐसे दमदार सदस्य हो सकते हैं जो किसी बात की परवाह नहीं करते लेकिन कुछ ऐसे भी कमजोर सदस्य होंगे जो स्वयं को मुसीबत में डालना नहीं चाहेंगे तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा जांच अथवा पूछताछ के लिए तैयार नहीं होना चाहेंगे। इस तरह से सदस्य द्वारा सभा में बिना किसी भय अथवा पक्षपात के वक्तव्य दिए जाने के अधिकार का हनन होगा।

इसलिए मैं विनम्र सुझाव दे रहा हूं कि इस मामले की उचित रूप से जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभा अपने संसदीय कर्त्तव्यों का उचित रूप से निर्वहन करे।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने खुद सी.बी.आई. की इन्क्वायरी कराने की मांग की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम मामले के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत विनम्रता से निवेदन किया था कि क्या इस संसद के सदस्य यह चाहते हैं कि जितने पत्र हम लोगों के पास आएं उनको हम सदन में रखें या अखबारों को दें?

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत से पत्र आपके पास भेजे हैं और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि वे पत्र किस सिलसिले में हैं। मैंने देश की मर्यादा, संसद की मर्यादा और सरकार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, उनको कभी अखबारों को नहीं दिया। यह कहा जाता है कि डर रहे हैं सी.बी.आई. से। अगर यह डर होता, तो मैं अध्यक्ष महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, कागजात भेजने से पहले इस सदन में कागज भेज देता।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि हर आदमी इन लोगों से डर रहा है, हर आदमी सी.बी.आई. से डर रहा है, हर आदमी सरकार से डर रहा है। यह क्या बनाना चाहते हैं इस देश को? अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो हम बताएंगे कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, यह इन्क्वायरी किसी मैम्बर के खिलाफ नहीं है जांच केवल पत्र की सच्चाई का पता लगाने के लिए है। यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): वे उत्तर देने वाले कौन होते हैं? सरकार को इसका उत्तर देने दीजिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) माननीय अध्यक्ष जी, कैबिनेट सैक्रेट्री के द्वारा लिखा हुआ लैटर जाली है या नहीं, यह मामला काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब यह मामला हाउस में उठा है तो इस मामले में दखल देने के लिए, खासतौर से अपना फायनल डिसीजन देने के मामले में, माननीय अध्यक्ष जी, आपको पहल करनी होगी। दुख की बात यह है कि ऐसे मामले में कैबिनेट मिनिस्टर किसी पत्र को सीधे सी.बी.आई. को भेज दें, इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी की यह राय है कि यह मामला प्रिवलेज कमेटी को भेजना चाहिए और प्रिवलेज कमेटी तय करे कि जांच कौन करेगा। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा। अगर हर कैबिनेट मिनिस्टर, सीधा मामला सी.बी.आई. को दे दें, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा और उससे हाउस की गरिमा को चोट पहुंचेगी। इसलिए मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस मामले में आप खुद दखल दें और अपना फैसला दें ताकि इस मामले का कोई निपटारा हो सके।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, संसद में जब भी किसी विषय पर बहस होती है, तो स्वाभाविक रूप से सदस्यों का अधिकार है कि वे

[श्री प्रमोद महाजन]

अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार उसका विवेचन करें। ऐसा करते समय बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई पत्र मिलता है, डाक्यूमेंट मिलता है, हम जितनी अपनी संभावना हो, उसके अनुसार उसकी जांच करते हैं क्योंकि सदस्यों के पास तो कोई बड़ी व्यवस्था नहीं होती कि जिसके अंतर्गत वे उसकी पूरी जांच करके शत-प्रतिशत उसके बारे में कहें। वह जांच करने के पश्चात् सदस्य उस मुद्दे को, उस पत्र को, किसी डाक्यूमेंट को सदन में उद्धृत करते हैं या उसको आथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखते हैं। वैसे मेरी छोटी सी राय में उद्धरण करना और औथैन्टीकेट करके टेबल पर रखना एक ही बात है क्योंकि अगर आपने पत्र पढ़ दिया तो यह पत्र उतना ही प्रामाणिक है क्योंकि आप इसमें विश्वास करते हैं।

[हिन्दी]

लेकिन जब कभी इस पत्र पर आगे बहस होती है और अगर पत्र गलत निकलता है तो हम समझते हैं कि यह पत्र गलत था, सही था, इसकी जांच संसद की ही किसी समिति को, विशेषाधिकार समिति हो, अध्यक्ष हों या और कोई समिति हो, उसी को इसकी जांच करनी चाहिए, किसी बाहर की संस्था से, संसद के अंतर्गत जो भाषण किया हो, संसद के अंतर्गत जो डौक्यूमैंट दिया हो, संसद के अंतर्गत पत्र या कोई भी चीज रखी हो, जो भी संसद के अंदर घटा हो, उसकी जांच बाहर के किसी व्यक्ति से कराएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कल जो घटना हुई, उसके संबंध में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब सदन की राय यह बनी है कि पत्र विवादास्पद है सि समय मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वह विवादास्पद है क्योंकि प्रियरंजन जी को अभी भी लगता है कि वह पत्र सही है, सरकार को लगता है कि वह पत्र गलत है, तो स्वाभाविक रूप से वह विवादास्पद है। क्योंकि वह पत्र सदन में आया है, उसकी जांच आप विशेषाधिकार समिति से करवाइए। मैं विवाद में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं पूरे समय नहीं था, थोड़े समय था। जहां भी सी.बी.आई. की बात होती है, जैसे चन्द्रशेखर जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि सी.बी.आई. को खिलौने की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वह खिलौना इस सदन में या सदन के बाहर इतनी बार मांगा जाता है, हर सदस्य उस खिलौने को हमेशा मांगता है। जब उसे यह सुविधा होती है, वह कहता है कि इसे सी.बी.आई. को भेज दें। खिलौना भेजने का अधिकार कम लोगों के पास होता है लेकिन खिलौना मांगने का अधिकार तो बहुत लोगों के पास होता है। सदन में इसे सी.बी.आई. में भेजने की नौबत इसलिए आई कि तू-तू, मैं-मैं में सदन में यह कहा गया कि इसे सी.बी.आई. को भेज दीजिए। अध्यक्ष जी एक बार जो भी निर्णय करें, सरकार उस निर्णय से बंधी हुई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): बहुत दिनों बाद आपने सही बात बोली है।

श्री प्रमोद महाजन: दादा, आप तो रोज बोलते हैं, मैं कभी-कभार बोलता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, माननीय अध्यक्ष को किसी प्राधिकारी अथवा सभा से परामर्श किए बिना किसी मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का अधिकार है। माननीय अध्यक्ष निर्णय ले सकते हैं। माननीय अध्यक्ष मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, मेरे कक्ष में बैठक होगी और उसके बाद इस मामले पर निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से क्राप इंश्योरैंस के बारे में मामला उठाना चाहता हूं। पिछले दो सालों से महाराष्ट्र विशेषकर मराठवाड़ा में सब किसान सूखे और वर्षा से पीड़ित हैं। लगातार दो-तीन सालों से वहां अकाल की स्थिति है। जब किसानों की फसल बर्बाद होती है तो केन्द्र सरकार की ओर से क्राप इंश्योरैंस दी जाती है। लेकिन क्राप इंश्योरैंस का वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा है। छोटे काश्तकारों और किसानों को क्राप इंश्योरैंस ठीक ढंग से नहीं मिल रही है। जब राज्य सरकार की तरफ से क्राप इंश्योरैंस की राशि दी जाती है, राज्य सरकार के जितने भी कोआपरेटिव बैंक हैं, वे किसानों की राशि जब्त कर लेते हैं, उन्हें नहीं देते। उनको जितनी क्राप इंश्योरैंस दी जाती है, वह पर्याप्त नहीं है।

उसे बढ़ाने की भी जरूरत है और क्राप इंश्योरैंस का पैसा सीधे किसानों के हाथ में देना चाहिए, ऐसी केन्द्र सरकार से व्यवस्था हो। जब किसानों की फसल बर्बाद होती है, जब किसान हताहत होता है, जब उसके पास कोई नहीं होता है, जब किसान सूखे की स्थिति में है, अकाल की स्थिति में है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को क्राप इंश्योरैंस की पालिसी ठीक ढंग से लागू करनी चाहिए और पैसा सीधे किसानों के हाथ में जाना चाहिए। इतनी ही मैं आपसे रिक्वैस्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 12.56 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी, पिछड़ा और सीमाप्रान्त प्रदेश है। इस प्रदेश के अन्दर रोजगार के अवसर बहुत कम हैं, उद्योग कम हैं और इस कारण यहां के नौजवान सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना अपना गौरव समझते हैं। लेकिन पिछले दिनों सरकार ने एक ऐसा निर्णय किया, जिसका दुष्परिणाम हिमाचल प्रदेश पर पड़ा। सरकार ने निर्णय लिया कि देश के राज्यों की आबादी के आधार पर सेना में भर्ती की जायेगी, इसका बुरी तरह से हिमाचल प्रदेश पर दुष्परिणाम हुआ। इतिहास साक्षी है कि जब भी विगत लड़ाइयां हमारी देश की हुई तो उन लड़ाइयों में हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। कारगिल की लड़ाई में भी 52 से अधिक नौजवानों ने शहादत देकर देश के शहीदों के रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराया।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यहां के नौजवानों ने लड़ाइयों में सबसे अधिक चक्र भी प्राप्त किये हैं। देश में अब तक हिमाचल प्रदेश में चार परमवीर चक्र जवानों ने प्राप्त किये हैं, अशोक चक्र एक और महावीर चक्र 15 जवानों को मिले हैं, कीर्ति चक्र 14 और वीर चक्र 67 जवानों को प्राप्त हुए हैं। जो निर्णय सरकार ने किया है कि आबादी के आधार पर भर्ती की जायेगी, इसके कारण हिमाचल प्रदेश के नौजवान जो सेना के अन्दर अपना योगदान देने में गौरव समझते हैं, उनकी भावनाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, इसलिए मेरा भारत सरकार के रक्षा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें ताकि वहां से अधिक मात्रा में लोग सेना में भर्ती हो सकें। धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): उपाध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान वाशिंगटन पोस्टर समाचार-पत्र में छपे 'चायना प्लेक्सिस मसल्स ऐट एथनिक सैपरेटिस्टस', लेख को उद्धृत करना चाहता हूं। यह चीन के जिनयांग प्रान्त की खबर है, जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कुछ साल से धार्मिक आजादी को खत्म करने के लिए चीन आतंकवादियों के द्वारा हो रहे अत्याचारों को सही ठहरा रहा है। चाइना में मुस्लिम छात्रों के मस्जिद जाने पर रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों से चीन प्रशासन ने हाल ही में कसगर में चाय की केतली बदना इसलिए जब्त कर लिये हैं कि उस केतली का उपयोग नमाज वजू के लिए किया जाता है। देखा जाये तो चीन ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का और मानवाधिकार का गम्भीर रूप से हनन किया है। इतनी बड़ी विदारक घटना के बावजूद भी पाकिस्तान चीन से मित्रता बढ़ाने में लगा है। प्रधानमंत्री जी को एक पत्र पूर्व सांसद श्री जे.के. जैन ने लिखा है कि यह एक गम्भीर मामला है, इसमें भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए हस्तक्षेप करना चाहिए कि जिस तरीके से एक तरफ चीन मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन से सम्बन्ध बढ़ा रहा है और दुनिया को यह बता रहा है कि हम कश्मीर के सवाल पर मुसलमानों के प्रति वफादार हैं। जो जुल्म चीन में मुसलमानों पर किया गया, ऐसा जुल्म आज तक दुनिया में शायद ही कहीं किया गया होगा। क्या भारत सरकार इस सवाल पर पाकिस्तान के जो दो चेहरे हैं, एक भारत के प्रति और दूसरा चीन के प्रति, उनको बेनकाब करेगी? पाकिस्तान चाहता है कि भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को भारत के मुसलानों के भीतर, सिख या ईसाइयों के भीतर बदनाम करके समाप्त कर दे।

अपराह्न 1.00 बजे

क्या भारत सरकार इस गम्भीर सवाल पर पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को बेनकाब करने में सक्षम है और क्या प्रधानमंत्री जी कोई जवाब इस पर देंगे या नहीं? जिस तरीके से पाकिस्तान के मदरसों में शिक्षा के सवाल पर साइंटिफिक तरीके से शिक्षा अपनाने की बात कही गई है, क्या भारत सरकार भी यहां मदरसों में इसी तरह की शिक्षा उपलब्ध कराएगी, ताकि अबुल कलाम आजाद जैसे महापुरुष और भी पैदा किए जा सकें। इसके साथ-साथ देश में मदरसों को जहां आई.एस.आई. शिविर कहकर प्रचारित किया जाता है और यह कहा जाता है कि वहां जेहादी शिक्षा दी जा रही है, उस पर भी रोक लगेगी। यदि भारत सरकार इस पर गम्भीर है तो वह देश में मदरसों में तकनीकी शिक्षा को लागू करें। इस कारण मदरसों पर लग रहे आरोप कि वहां जेहादी शिक्षा दी जा रही है या वे आई.एस.आई. की गतिविधियों के शिविर बने हुए हैं, ये आरोप अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही भारत सरकार को पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को बेनकाब करने के लिए गम्भीरता से सोचना चाहिए। पाकिस्तान को बाज आना चाहिए कि एक तरफ तो वह हमारे यहां मुस्लिम प्रेम को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर चुप है। यह सबसे गम्भीर इश्यू है, सरकार को भी इस पर गम्भीरता से विचार करके जवाब देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***श्री टी. गोविन्दन** (कासरगौड़): महोदय, मैं माननीय मंत्री तथा इस सभा का ध्यान देशभर में भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। ये एजेंट एल.आई.सी. का मुख्य आधार है और इनके माध्यम से ही एल.आई.सी. विभिन्न पालिसियों में करोड़ों रुपये जुटाती है। वर्ष 1972 में अधिनियमित क्लब नियम से इस संदर्भ में प्रतिष्ठा और व्यवसायीकरण आया। लेकिन क्लब नियम 2001, जो मूल नियम का संशोधन है, आई.आर.डी.ए. का अंग बनाया गया है, जो एल.आई.सी. के एजेन्टों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। पता चला है कि नए क्लब नियम में व्यपगमन खण्ड के अंतर्गत यदि एजेंट की 15% से अधिक पालिसियां व्यपगत हो जाती हैं तो एजेंट की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह उचित नहीं है।

इसलिए मैं, मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे क्लब नियम 2001 को वापस ले लें तथा एल.आई.सी. एजेंटों के हितों की रक्षा करें।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। भारत का तटीय क्षेत्र 7,560 कि.मी. है। लगभग सभी राज्य जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि तथा आपके राज्य के द्वीपों की तरह कुछ द्वीपों में तटीय क्षेत्र हैं...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, आप अपनी बात कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री ए.सी. जोस: यदि ये इसी तरह बोलते रहेंगे तो कोई अपनी बात किस तरह कह पाएगा? वे इस तरह से अन्य सदस्यों के भाषण में किस तरह व्यवधान डाल सकते हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोविन्दन, आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस: पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 19.2.1991 को जारी अधिसूचना के माध्यम से ज्वार मुहानों और पश्चजल तथा समग्र तटीय क्षेत्र सहित तटीय क्षेत्र विनियमन क्षेत्र में भूमि उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों से देश का विशेषरूप से तटीय क्षेत्र का आर्थिक विकास बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस देश में प्रत्येक राज्य का तटीय क्षेत्र तथा जनसांख्यिकी अलग-अलग है।

महोदय, आप जानते हैं कि केरल में घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तमिलनाडु में भी काफी तटीय क्षेत्र मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश में तटीय क्षेत्र के पास मछली पकड़ने का काफी बड़ा क्षेत्र है। प्रश्न यह है कि अधिसूचना समान रूप से सभी राज्यों पर लागू है जिनके परिणामस्वरूप इस देश के तटीय क्षेत्र में सभी क्रियाकलाप धीरे-धीरे बंद हो गए हैं। अंततः, सरकार ने एक समिति नियुक्त की। समिति ने कुछ और रिपोर्ट दी। लेकिन समिति ने विशेषज्ञों तथा अन्य किसी से कोई राय नहीं ली है। उस रिपोर्ट की भी उचित रूप से जांच नहीं की गई है। अनेक राज्य सरकारों ने समिति की रिपोर्ट तथा अन्य बातों पर आपत्ति की है। लेकिन यह सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। तत्कालीन मंत्री, श्री सुरेश प्रभु ने तटीय क्षेत्र वाले राज्यों में सभी संसद सदस्यों की बैठक बुलाई। उन्होंने इस पर चर्चा की। लेकिन उन्हें किसी अन्य मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया। इसलिए, मैं वर्तमान पर्यावरण और वन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तटीय क्षेत्रों वाले संबंधित राज्यों के मंत्रियों की बैठक बुलाएं और इस मामले पर चर्चा करें तथा इसके संबंध में अंतिम निर्णय लें...*(व्यवधान)* माननीय उपाध्यक्ष महोदय को भी बैठक में आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, हम सब इसका समर्थन करते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप स्वयं को इनसे सम्बद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में इन दिनों मंदिर, गुरूद्वारों इत्यादि धार्मिक स्थानों को नोटिस दिये जा रहे हैं जिनमें यह कहा गया है कि इन धार्मिक स्थानों को अपने हाथ से तोड़ दीजिए वर्ना इनको तोड़ दिया जाएगा। इसमें पूरे धार्मिक स्थानों और नागरिकों

में हड़कम्प मचा हुआ है और सभी नागरिकों में बड़ी बैचेनी है। ...*(व्यवधान)* इस प्रकार का भद्दा नोटिस दिया गया है। ये धार्मिक स्थान 50-50 साल से 100-100 साल से बने हुए हैं और पूरी दिल्ली में सभी नागरिकों में इसको लेकर बड़ा हड़कम्प मचा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस नोटिस को बिदड़ा किया जाये और जनता को यह बताया जाए कि यह सरकार सभी धार्मिक स्थानों की कद्र करती है और इन पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़): मैं, असम और अरूणाचल प्रदेश के लोगों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां के लोगों की लगातार मांग के पश्चात् तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा ने 1996 में बोगवील में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाने के लिए आधारशिला रखी। पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्य स्थल पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। सरकार ने विशेष पैकेज में यह घोषणा की है कि वह पुल के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रु. देगी। रेलवे को निर्माण का कार्य सौंपा गया। परंतु अभी तक कार्य का आरंभ नहीं हुआ है। फिर देश के उस भाग में एक दूसरा आंदोलन की शुरूआत हो रही है।

जब उन्होंने वचन दिया है जब प्रधानमंत्री ने पुल की आधारशीला रखी हैं तो उन्हें उस पुल के निर्माण का कार्य आरंभ करना चाहिए। यह पूर्वोत्तर के लोगों का घोर अपमान है।

महोदय आप के माध्यम से, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के साथ इस प्रकार का खेल न खेले। जब उन्होंने निर्णय किया है तो उन्हें निर्माण कार्य आरंभ करना चाहिए। इस कार्य के लिए पांच वर्ष से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। परंतु आधारशिला रखे जाने के बाद पांच वर्ष से अधिक की अवधि गुजर चुकी है। वहां कोई भी कार्य नहीं चल रहा है।

इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लें और इस संबंध में उचित कदम उठाएं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं अपने राज्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। परसों, केरल के दो जिलों - त्रिचूर और पलक्कड़ में भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गये। लोगों में यह भय समा गया है कि भूकंप आ सकता है। थोड़ी सम्पत्ति को भी हानि पहुंची है।

यह झटका काफी हलका था। परंतु हमें कतिपय बातों पर ध्यान देना चाहिए। हाल ही में, वर्षा के मौसम में बरसात में विविधता थी। जहां पानी नहीं है ट्यूबवैल सूख रहे हैं। वहीं ट्यूब वैल के पानी में लोगों को बुलबुले नजर आ रहे हैं। इस सभी बातों ने उन जिलों के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। भूवैज्ञानिक भी वहां गये हैं और वे स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। किसी को भी पता नहीं है कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे सामने गुजरात और अन्य राज्यों की दु:खद घटनाएं घटी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षिप्त में बोलिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इस संदर्भ में मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वे स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल भेजें और अधिक जान और माल की हानि को रोकने के लिए लोगों को आवश्यक पूर्व-उपाय करने के लिए सलाह दें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यदि सरकार विपत्ति आने के बाद दल भेजती है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। यदि केरल को निकट भविष्य में कोई खतरा है तो तुरंत सुरक्षोपाय कदम उठाए जाने चाहिए।

मैं एक बार फिर केन्द्र सरकार से स्थिति के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजने के रूप में तुरंत कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अंग्रेजों के जमाने में जितना जुल्म हुआ, उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। हाल ही में चार दिन पहले बागपत में शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग हो रही थी, जनता की पंचायत लगी थी, पुलिस ने पहले से तैयारी करके वहां किसानों पर फायरिंग की। हमारे दल की जिला पंचायत की महिला अध्यक्षा पर गोली चली, चार आदमी मारे गए। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो जेल में बंद हैं। जो घायल हैं, उनको दवायें भी नहीं दी जा रही हैं। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मछलीशहर में जिन किसानों पर दो हजार रुपया बकाया था, उनको बुरी तरह से मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह माननीय मंत्री, जिनकी उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक गई है, उनके इशारे से हो रहा है। यह घटना जलियांवाला बाग से भी बड़ी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रजातन्त्र की हत्या कर रही है। वहां बुरी तरह से अन्याय और जुल्म हो रहा है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वहां किसान बिल्कुल परेशान हैं। पूंजीवादी सत्ता उनको नष्ट करने पर तुली हुई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बरखास्त करने की मांग करना चाहता हूं और बागपत में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: दो मुद्दे एक साथ नहीं उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह: वहां जो घटना घटी है, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में जब कुछ मुस्लिम महिलायें सड़क पर जा रही थीं, तो कुछ लोगों ने उन पर एसिड फैंक दिया। एसिड फैंकने में मुस्लिम उग्रवादी संगठन, चाहे लश्कर-ए-तोएबा हो या जब्बार, के लोगों की हरकत थी। वहां पर धमकी दी गई है कि कोई भी मुस्लिम समुदाय की महिलायें बिना बुर्के के जम्मू-कश्मीर में नहीं निकल सकती हैं और पुरुषों को दाढ़ी रखनी पड़ेगी और सलवार-कमीज पहननी पड़ेगी। जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान ने किया, हिन्दुओं के लिए ड्रैस कोड कि उनको पीला कपड़ा बांधना पड़ेगा और मुस्लिम औरतें सर्विस नहीं कर सकती हैं, बुर्का पहनना पड़ेगा, वैसा ही इन्होंने भी किया है। पूरे सदन को इस बात के लिए सर्वसम्मति से निन्दा करनी चाहिए, जो मुस्लिम आतंकवादी संगठन वहां कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम और दूसरे धर्म के लोगों में भय व्याप्त है। आकंवादियों के प्रति उनमें नफरत पैदा हुई है। इस प्रकार से लोगों को बाध्य किया जा रहा है कि वे ड्रैस कोड को मानें और बुर्का पहनना उनके लिए अनिवार्य हो। उनको डराया और धमकाया जा रहा है। सरकार को इस विषय में तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहां जितने भी संगठन हैं, चाहे मुस्लिम हों या हिन्दू, उन सबको मिलकर इसकी निन्दा करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* मुझे लगता है, आप लोग भी इसका खड़े होकर समर्थन करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री वी.एस. शिवकुमार (तिरूअनंतपुरम): महोदय, मैं त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर बनाए जाने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

यह निर्णय किया गया था कि तिरूवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए 20,000 वर्गफुट क्षेत्रफल के एक नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का निर्माण चक्कई, तिरूवनंतपुरम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किया जाए। यह प्रस्ताव भारतीय हवाईपत्तन प्राधिकरण ने इसलिए किया था कि भविष्य की यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान टर्मिनल भवन में स्थान बहुत कम पड़ता है।

परियोजना की आधारशिला माननीय मंत्री ने तिरूअनंतपुरम में बहुत पहले जुलाई 2000 में ही रख दी थी, परंतु नये टर्मिनल के निर्माण की योजना मंत्रालय के पास पांच वर्षों से मंजूरी हेतु लंबित पड़ी है। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना की मंजूरी के लिए तत्काल निर्देश जारी करे।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के संबंध में कहना चाहता हूं। वहां आवागमन की सुविधाएं अवरुद्ध हो चुकी हैं। रोड में गड्ढे पड़ चुके हैं। नया छत्तीसगढ़ राज्य बनने से आवागमन की सुविधा बढ़ गई है। उस रोड के खराब होने के कारण आम नागरिक समय पर अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते, जिससे उनके कार्य में बाधा हो रही है। वे समय पर अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार रोड बनाने में अपने आपको अक्षम पा रही है। बिलासपुर जिले से रायपुर राजधानी तक आने-जाने के लिए राज मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अत: निम्नलिखित मार्गों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर स्वीकृति दी जाए। बिलासपुर-मुंगेली-पंडरिया मार्ग, मुंगेली से लोरमी पंडरिया, बिलासपुर, कोटा, केवची, पेंड्रा मरवाही (अमरकंटक) मार्ग, मुंगेली से रायपुर राजधानी तक मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर स्वीकृति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। कई दिनों के स्थगन और व्यवधान के बाद, आज जाकर मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मामला उठाने का मौका मिला।

महोदय, कालिकट हवाईअड्डा अब खाड़ी देशों को जाने वाली उड़ानों का केन्द्र बन गया है। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की खाड़ी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, साऊदी अरेबिया, ओमान इत्यादि के लिए लगभग 24 उड़ानें

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं। कालिकट से आरंभ होती हैं परंतु उड़ानों की संख्या पर्याप्त नहीं है। जबकि यात्री बड़ी संख्या में जाने वाले हैं और इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया इस स्थिति में नहीं हैं कि इन सभी लोगों को मंजिल तक पहुंचा सकें। कालिकट और जेद्दाह के बीच हफ्ते में केवल एक उड़ान भरी जाती है जो बहुत कम है। जिसके परिणामस्वरूप, लोग अब किसी तरह मुंबई पहुंच कर वहां से अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से जाते हैं। इसलिए, भारत सरकार के लिए यह उचित समय है कि कालिकट हवाईअड्डे को विदेशी एयरलाइनों के लिए खोले। सरकार विदेशी एयरलाइन्स को हमारे देश में लाने से क्यों हिचक रही है? या तो भारत सरकार को इंडियन एयरलाइन्स और एयर-इंडिया में इन यात्रियों को ले जाने की पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी या फिर यदि इंडियन एयरलाइन्स और एयर-इंडिया पर्याप्त संख्या में हवाईजहाज नहीं मुहैया करा सकते हैं तो सरकार को कालिकट से अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स को उड़ान भरने की अनुमति देनी चाहिए।

कालिकट हवाईअड्डे पर 9000 फीट की हवाई पट्टी बनने के बाद यह बड़े हवाई जहाजों की उड़ानें भरने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, परंतु सरकार विदेशी एयरलाइन्स को यहां से उड़ान की अनुमति देने पर हिचक रही है। क्या इससे हम अपने लोगों को उनकी मंजिल पर तीव्रता से पहुंचने के लिए मदद नहीं कर रहे? परंतु सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। यह भारत सरकार के लिए अत्यंत शर्मनाक बात है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र से कई लोग जब वे खाड़ी देशों को जाते है हवाई जहाज न पकड़ पाने के कारण अपने कार्य पर समय पर नहीं पहुंच पाते।

महोदय, वित्त मंत्री यहां बैठे हैं। वे इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि सरकार सुधार कर रही है। वे कौन से सुधार की बात कर रहे हैं जब सरकार अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स को कालिकट हवाई अड्डे से उड़ने की अनुमति नहीं दे रही है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ई. अहमद: महोदय, हज निकट आ रहा है और कालिकट को अब हज के आरंभ का केन्द्र घोषित किया है। इसलिए, जब तक सरकार हाजियों के लिए इंडियन एयरलाइन्स और एयर-इंडिया के पर्याप्त उड़ानों की व्यवस्था नहीं करती मैं सरकार को सचेत कर दूं कि यह सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बनने वाली है। इसलिए, यह उचित समय है कि सरकार कार्रवाई करे और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कालिकट से उड़ने की अनुमति दे।

श्री सी. श्रीनिवासन (डिंडीगुल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु से संबंधित इस महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तमिलनाडु के पैरम्बूर में स्थापित इंटिग्रल कोच फैक्ट्री 'आधुनिक भारत के मंदिरों में से एक है' जो औद्योगिक विकास सुनिश्चित करते हैं और रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं।

आईसीएफ ने प्रति वर्ष 1,500 कोचों के निर्माण की क्षमता हासिल कर ली है। आईसीएफ की कपूरथला ईकाई की स्थापना 1992 में की गई थी। रेलवे द्वारा इसे प्रश्रय दिया जा रहा है। परंतु आईसीएफ, चेन्नई के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप कई उत्पादन की गतिविधियां कम हो गई हैं। कई पदों को समाप्त कर दिया गया है। तकनीकी रूप से श्रेष्ठ और कुशल मजदूरों की क्षमता को बर्बाद किया जा रहा है।

जिस तरह आईसीएफ चेन्नई को रुग्ण बनाया गया है, यह सरकार शायद इस ईकाई को निजी क्षेत्र को बेच दे।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आईसीएफ चेन्नई का पुनरुद्धार करें। दक्षिण भारत की मीटर-मेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदल दिया गया है। भविष्य में बड़ी लाइनों पर चलने वाले कोचों की मांग को देखते हुए, आईसीएफ चेन्नई को बेहतर तकनीकी रूप से कुशल मजदूरों को लगाकर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, इस मामले में मैं भी उनके साथ हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सारे देश के अंदर चाहे तुफान आता है या दूसरी प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं तो महिलाएं ही ज्यादा परेशान होती हैं। चाहे दलित वर्ग की महिलाएं हों, मध्यम वर्ग की महिलाएं हों या पिछड़े वर्ग की महिलाएं हों, उन पर ही बलात्कार और अत्याचार होता है। आज की महंगाई के जमाने में इन वर्ग के महिलाओं को कभी-कभी अपने जीवन-निर्वाह के लिए अनचाहे रास्ते भी अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दलित, मध्यम और पिछड़े वर्ग की महिलाएं अपना जीवनयापन सही ढंग से कर सकें, इसके लिए भारत सरकार की ओर से उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज बनाया जाए, जिससे ऐसी महिलाओं को एनजीओज के द्वारा तथा भारत सरकार के द्वारा उचित मदद मिले तथा वे अपना और अपने बच्चों का पालन-पोषण सही ढंग से कर सकें और सम्मान से जी सकें। आज जो अत्याचार बिहार में हो रहा

[श्री रतिलाल कालिदास वर्मा]

है उसमें भी हत्याएं बच्चों और महिलाओं की होती हैं। आज वहां महिलाएं असुरक्षित हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन सब वर्ग की महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीवन-यापन के लिए उनको रोजगार दिया जाए और उनकी समितियां बनाकर, उनकी सहायता करके, उनके हितों का संरक्षण किया जाए।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर घाटी में सेना की बड़ी संख्या में तैनाती के बावजूद आतंकवादी गतिविधियां अबाधित रूप से चल रही हैं। हमारे सैन्य बलों के सराहनीय कार्य के बावजूद आतंकवादी अभी भी जब चाहे हमला कर रहे हैं।

अब, तालिबान तत्व अपनी आचार-संहिता लागू करने जा रहे हैं। जम्मू, राजौरी, पुंछ और बारामूला इलाके से गोलियों का आदान-प्रदान हुआ है। इस स्थिति को सुविधाजनक भांपते हुए जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री ने पहले ही स्वायत्तता का मामला फिर से उठाना शुरू कर दिया है। राज्य स्वायत्तता समिति ने सिफारिश की है कि जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के प्रावधानों को, जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य संविधान सभा ने स्वीकार किया था, पुन: लागू किया जाए। सभा ने जम्मू और कश्मीर स्वायत्तता समिति की सभी सिफारिशों को मानते हुए एक संकल्प पारित किया था।

क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि जम्मू कश्मीर को क्या वापस 1953 के पूर्व की स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा क्योंकि जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री ने पहले ही यह दावा किया है कि राजद सरकार स्वायत्तता के प्रश्न पर गंभीरता और ईमानदारी से विचार कर रही है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदर-ए-रियासत की जम्मू और कश्मीर घाटी में पुनर्स्थापना की जाएगी या नहीं।

सरकार ने अभी भी हमें अंधेरे में रखा हुआ है। इसलिए, मैं इस सरकार से जम्मू और कश्मीर के स्वायत्तता संबंधी वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। क्या सरकार जैसा कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने दावा किया है, स्वायत्तता के मामले पर विचार कर रही है?

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। इसमें केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कर्मचारियों का विभाजन होना तय था। प्रदेश सरकारों ने नियम तय किए लेकिन उनका पालन न करने के कारण केन्द्र सरकार ने लोहानी कमेटी का गठन किया। लोहानी समिति के निर्णय के अनुसार मध्य प्रदेश विधान सभा के कर्मचारी और उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसका निर्णय केन्द्र सरकार करेगी। विधवाओं को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। किसी की पत्नी को मध्य प्रदेश में और किसी के पति को छत्तीसगढ़ में भेज दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट और विधान सभा सचिवालय के लोगों के बारे में फैसला केन्द्र सरकार को करना है। अब छत्तीसगढ़ सरकार का यह बयान आ गया है कि नर्मदा घाटी के कर्मचारी हमारे यहां नहीं रहेंगे क्योंकि नर्मदा घाटी हमारे यहां नहीं है। ऐसे बयानों के बाद पति-पत्नी विभाजित हो गए और विधवाओं को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार के मापदंडों का मध्य प्रदेश सरकार ने पालन नहीं किया है, इसलिए हम लोहानी समिति की रिपोर्ट के निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 7 महीने के बाद भी उन कर्मचारियों का हित सुरक्षित नहीं है। इस मामले में केन्द्र सरकार शीघ्र दखल दे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था उसी समय वहां के औद्योगिक पिछड़ेपन को देखते हुए एक कमीशन की स्थापना की गई थी। उसके अध्यक्ष मशहूर उद्योग जगत के विशेषज्ञ जे.जे. इरानी थे। दूसरे विशेषज्ञ तथा उच्च अधिकारी उसके सदस्य थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में टूरिज्म को बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं। उससे करीब 3 लाख 71 हजार लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। उस कमीशन की रिपोर्ट जो भारत सरकार के पास जमा की गई है, वह उसकी छानबीन करे और पर्याप्त मदद दे। टूरिज्म फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया इसकी जांच-पड़ताल करके पर्याप्त मदद दे। वहां भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से संबंधित स्थलों का विकास करके उसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाए। उस कमीशन की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार की पर्याप्त मदद करे।

[अनुवाद]

श्री एम. चिन्नासामी (करूर): उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं हाल ही में उड़ीसा में भुखमरी के कारण हुए मौतों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

महोदय, भुखमरी के कारण हुई इन मौतों के बाद भी भारत सरकार ने भुखमरी के कारण मौत को रोकने के लिए अभी तक

कोई उपाय नहीं किए हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को याद दिलाया कि भोजन एक मौलिक अधिकार है तथा सरकार को लोगों को यदि उन्हें इसकी आवश्यकता है तो भोजन मुफ्त देने के लिए तैयार रहना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी इस बारे में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।

कल, मैंने समाचार-पत्र में एक समाचार पढ़ा कि माननीय खाद्यमंत्री, श्री शांता कुमार ने कहा है कि यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं यह किसका उत्तरदायित्व है, राज्य सरकार का अथवा केन्द्र सरकार का।

महोदय, यह एक गंभीर मुद्दा है। स्वतंत्रता के 53 वर्षों के बाद भी हम देश में भुखमरी के कारण मौत की घटनाएं देखते हैं। यह खेदजनक और निन्दनीय है। मैं भारत सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): उपाध्यक्ष महोदय, ऐम्स देश के सबसे महत्वपूर्ण और अच्छे संस्थानों से है। पिछले एक हफ्ते से ऐम्स में हड़ताल, प्रदर्शन इत्यादि चल रहे हैं। हजारों की तादाद में मरीज इलाज के लिये जाते हैं लेकिन डाक्टर्स और कर्मचारी सब हड़ताल पर हैं, इसलिये मरीजों की देखभाल के लिये कोई नहीं है...

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): उपाध्यक्ष महोदय, इसी बीच में वहां एक एक्स एम.पी. की मृत्यु हो गई है।

श्री रमेश चेन्नितला: उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारे एक मित्र ने बताया है...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या करवाना चाहते हैं? यह मामला पहले उठ चुका है।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नितला: उपाध्यक्ष महोदय, एक एक्स एम.पी. का निधन हो गया है। हमारे हैल्थ मिनिस्टर ऐम्स के चेयरमैन हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इन लोगों को बुलाकर बात की जाये और जो समस्या है, उसका जल्दी समाधान किया जाये। पिछले दिनों डायरेक्टर को कर्मचारियों ने मारा था। जहां तक डिसिप्लिन की बात है, कर्मचारियों का सस्पेंशन आर्डर चेयरमैन/मंत्री ने विदड्रा कर लिया था मगर जूनियर डाक्टर्स पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में यह सरकार नहीं सुनती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि स्वास्थ्य मंत्री उन लोगों की एक मीटिंग बुलाकर बातचीत करें और इस समस्या के समाधान की कार्यवाही करें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं इस सभा का ध्यान इस बात पर आकृष्ट करना चाहता हूं—इस सत्र का यह आखिरी सप्ताह है—कि पिछले तीन वर्षों में भाजपा सरकार गुप्त रूप से तथा कभी-कभी खुलेआम हमारी विदेश नीति के मूल तत्व को बदलने की कोशिश कर रही है। महोदय, आप जानते हैं कि हमारी विदेश नीति साम्राज्यवाद-विरोधी स्वतंत्रता संग्राम को ध्यान में रखकर तय की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास किया। जबसे भाजपा सरकार आयी तबसे वे एक-एक कर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर झुकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें शर्म है कि यह सरकार बुश सरकार के राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र रक्षा योजना का समर्थन कर रही है। इससे समूचे विश्व के लिए बड़े स्टार युद्ध का खतरा उत्पन्न होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के सेनाध्यक्ष श्री शेल्टन ने हाल ही में दौरा किया तथा हम संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। वे हमारे सशस्त्र बलों में प्रवेश करेंगे तथा हमें प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। अभी वे एकल ध्रुवीय विश्व पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सरकार हमारी स्वतंत्र विदेश नीति को नष्ट कर रही है तथा वे हमारे देश को अमेरिका की बुश सरकार के चरणों में समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि हमारी स्वतंत्र नीति को पुर्नगठित किया जाए, गुट-निरपेक्ष नीति को फिर से अपनाया जाए, साम्राज्यवाद-विरोधी विदेश नीति में नवीन जीवन का संचार किया जाए तथा इस सत्र की समाप्ति से पहले इस सभा में इस विषय पर पूर्ण चर्चा होनी चाहिए ताकि हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धांत फिर से प्रवर्तित किये जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) झारखंड राज्य में नक्सलवाद से निपटने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. दुखा भगत (लोहरदगा): महोदय, झारखण्ड राज्य में नक्सलवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण यहां की जनता सहमी और डरी हुई है और जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। झारखण्ड पहले से एक पिछड़ा राज्य है और उग्रवाद के चलते यहां के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विश्व बैंक ने यहां के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उग्रवाद और नक्सलवाद के चलते ये सारी योजनाएं ठप्प पड़ गई हैं। इन सबके कारण एक ओर जनता सुख और शान्ति के साथ जी नहीं पा रही है और दूसरी ओर सरकार भी अपनी योजनाएं ठीक प्रकार से नहीं चला पा रही है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि झारखंड सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा बल दिये जाएं और झारखंड पुलिस को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जाए और उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए जिसमें केन्द्र सरकार और झारखंड सरकार के बीच एक समन्वय भी हो।

(दो) लहसुन के आयात के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में यहां लहसुल का उत्पादन भारी मात्रा में होता है, वहीं राजस्थान व मध्य प्रदेश भी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर व नीमच में लहसुन का भारी मात्रा में उत्पादन होता है तथा इस पर आधारित कई पाउडर बनाने की इकाइयां भी इसका पाउडर बनाकर औषधियों के निर्माण में काम में लाई जाती हैं तथा घरों में भी इसका उपयोग होता है। इसका बाहर निर्यात भी होता था, किन्तु इस बार चीन से भारी मात्रा में लहसुन का आयात हो रहा है जिसके कारण किसानों को इसका उचित मूल्य न मिलने के कारण भारी हानि हो रही है। मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर जिले के कृषक तथा उत्तर प्रदेश के कृषक वर्तमान में जिस प्रकार से चीन से लहसुल के भारी आयात से चिन्तित हैं तथा बाजार में लहसुन का उठाव न होने से और भी हानि होने की स्थिति है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि लहसुन उत्पादक लाखों कृषकों की सुरक्षा की दृष्टि से लहसुन के आयात पर पुनर्विचार करें और किसानों में व्याप्त असंतोष व चिन्ता को दूर करें।

(तीन) रीवा, मध्य प्रदेश में एक उपमार्ग (बाईपास) का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): महोदय, रीवा कमिश्नरी मुख्यालय है और यहां पर अनेक शिक्षण संस्थाएं हैं। शहर के व्यस्ततम एवं घनी आबादी वाले इस क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 गुजरता है, जिसके कारण अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं, यातायात अवरुद्ध हो जाता है तथा कई छात्र तथा आम नागरिक दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं।

मेरा भूतल परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि रीवा बाईपास अतिशीघ्र बनवाने की व्यवस्था करें। इससे वहां से गुजरने वाले वाहनों का समय बचेगा और वहां के नागरिकों को भी दुर्घटनाओं से मुक्ति मिल सकेगी।

(चार) असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए असम सरकार को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अब्दुल हमीद (धुबरी): निचले असम, विशेषकर गोलपारा और धुबरी जिले जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, के लोगों के लिए बाढ़ और भूकटाव दोनों ही कालक्रमिक चुनौती बन गई हैं। धुबरी और गोलपारा का सम्पूर्ण दक्षिणी किनारा विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के निरंतर भूकटाव का शिकार बना हुआ है। स्वतंत्रता के 54 वर्षों के बाद भी इस नदी से इन दो जिलों के निवासियों को विभिन्न आपदाओं के सिवाय कुछ नहीं मिलता। सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है। सैकड़ों लोग बेघर और भूमिविहीन हो जाते हैं। इसने राज्य में बड़ी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। राज्य सरकार इस स्थिति का सामना करने में बिल्कुल अक्षम है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य की सहायता के लिए आगे आए तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चुनारी से फकीरगंज तक स्थायी संरक्षण के लिए तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ ''कार्य योजना'' बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता

प्रदान करें। अन्यथा इससे इस क्षेत्र के शेष अन्य इलाकों में विनाश का कहर बरसेगा।

(पांच) उत्तरी बंगाल क्षेत्र का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर उत्तरी बंगाल और सिक्किम राज्य की अत्यधिक आर्थिक असमानता की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। दार्जिलिंग जिले को दसवीं योजना में वित्तीय सहायता के लिए विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है। व्यापक आंकड़ा तैयार करने के लिए जब तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारी की सहमति से सम्पूर्ण उत्तरी बंगाल जिसमें मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार शामिल हैं को विशेष क्षेत्र का दर्जा न दे दिया जाए और योजना आयोग इस क्षेत्र के लिए योजनागत व्यापक आंकड़े न तैयार करे तब तक पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उत्तर बंग उन्नयन परिषद् नामक विकास की गैर-सांविधिक संस्था उत्तर बंगाल के गंभीर आर्थिक असंतुलन के प्रति दिखावटी सेवा भी प्रदान नहीं कर सकती। योजना एक राज्य विषय है, परंतु लाल किले से प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि नौवीं योजना में उत्तरी बंगाल के जिलों की स्थिति पर गौर करे और उत्तर बंग उन्नयन परिषद् को सांविधिक व्यावसायिक संस्था का दर्जा प्रदान करने पर विचार करें ताकि वह चयनशीलता के आधार पर अवसंरचनात्मक विकास, बाढ़ प्रबंधन और स्वास्थ्य परिचर्चा का संचालन कर सकें।

(छह) उत्तर प्रदेश में कानपुर और हाथरस के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए शेष धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रूखाबाद): अध्यक्ष महोदय, कानपुर से हाथरस के बीच रेलवे की मीटरगेज लाइन का ब्राडगेज लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य बड़े जोर-शोर से आरम्भ किया गया था, परन्तु आमान परिवर्तन का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है, जिसकी मूल वजह पर्याप्त फंड की अनुपलब्धता है। प्रारंभ में इस योजना पर कुल 230 करोड़ रुपए के व्यय का आकलन किया गया था। इसमें से लगभग 65 करोड़ रुपए अब तक उपलब्ध कराया जा सका है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि यदि यह कार्य शीघ्र पूरा हो जाता है, तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए लखनऊ, दिल्ली एवं देश के अन्य भागों को रेल यात्रा सुगम हो जाएगी। इस विषय में कई बार मैंने मामला उठाया था। तत्कालीन रेल मंत्री महोदया ने मुझे अपने पत्र दिनांक 26.6.2000 द्वारा आश्वासन दिया था कि इस प्रोजेक्ट को अधिक राशि देने के लिए ले लिया गया है, परन्तु अभी तक अतिरिक्त धन का आबंटन नहीं हो सका है। अत: माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र के नागरिकों की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सात) अयोध्या-सीतामढ़ी तथा हाजीपुर-वैशाली डुमरियाघाट मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि अयोध्या-सीतामढ़ी और हाजीपुर-वैशाली-साहेबगंज-डुमरियाघाट पथों को राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा देने एवं उन्हें क्रमश: राम-जानकी पथ और भगवान महावीर पथ घोषित करने की मांग मैं करता हूं क्योंकि ये दोनों पथ ऐतिहासिक एवम् पौराणिक महत्व के हैं एवं पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पथ हैं।

(आठ) देश में संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, राज्यों तथा निचली इकाइयों को राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए कदम उठाने का यह सही समय है। केन्द्र का प्रशासन रक्षा, विदेश, वित्त और कुछ दूसरे प्रमुख विभागों तक सीमित होना चाहिए। शेष राज्यों के नियंत्रण के अंतर्गत होना चाहिए। राज्यों को राजस्व के अधिक अवसर देने पर विचार किया जाना चाहिए। राज्यों के मध्य विवादों तथा विभिन्न राज्यों के नागरिकों से संबंधित मुद्दों को छोड़कर न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया उच्च न्यायालयों में ही पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा करने से बहुत अधिक खर्चों में बचत होती और न्याय के प्रशासन में विलम्ब नहीं होगा। राज्यों के भूगोल, संस्कृति ग्रामीण प्रणाली तथा इसी प्रकार कई पहलुओं में विविधता है जिस पर आयोजना और आर्थिक साझेदारी में विचार किया जाना चाहिए। राज्यों को मजबूत बनाना चाहिए तथा उनकी सन्तुष्टि मजबूत भारत में होनी चाहिए। राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में परिसंघीय प्रणाली सहायक तथा और व्यावहारिक होगी। इस संबंध में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों को भी अपने कार्यकलाप परिसंघीय तरीके पुनर्गठित करने चाहिए। सरकार को ऐसे परिवर्तन के लिए पहल करनी चाहिए।

(नौ) महाराष्ट्र में मुम्बई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर एक उपरिपुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): मुम्बई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर रेल उपरिपुल के निर्माण को पूरा करने में हो रहे विलम्ब की ओर रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया जाता है। पुल निर्माण कार्य तीन वर्ष पहले शुरू हुआ। निर्माण कार्य में पांच बार व्यवधान आया है। इसके कारण लोग परेशान हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस रेल उपरिपुल को शीघ्र पूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

(दस) तमिलनाडु में मदुरै स्थित पासपोर्ट कार्यालय का दर्जा बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): महोदय, इन दिनों कई युवक भावी रोजगार के खोज में विदेश जाते हैं। इसी प्रकार व्यापारी अपना हित और बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों का भ्रमण करते हैं।

इसलिए पासपोर्ट की मांग बढ़ रही है। तमिलनाडु के सम्पूर्ण दक्षिण जिलों के लिए पासपोर्ट जारी करने का एक कार्यालय तिरूचिरापल्ली में है। दूसरा कार्यालय मदुरै में मात्र एक कलैक्शन काउन्टर के रूप में है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के सभी महत्वपूर्ण डाकघरों को आम लोगों से पासपोर्ट आवेदन-पत्र लेने तथा उन्हें निर्गम प्राधिकारी के पास अग्रेषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस प्रकार तिरूचिरापल्ली स्थित पासपोर्ट कार्यालय असंख्य आवेदन-पत्रों के भार से दबा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होना अपरिहार्य हो जाता है।

इसलिए तिरूचिरापल्ली में काम का दबाव कम करने तथा आम लोगों को पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के लिए मदुरै स्थित अग्रेषण कार्यालय को परिपूर्ण पासपोर्ट कार्यालय का दर्जा दिया जाए।

इसलिए मैं माननीय विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे इस संबंध में संभावनाओं की तलाश कर इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई शुरू करें।

अपराह्न 2.17 बजे

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम विधायी कार्य शुरू करेंगे। मद सं. 11: संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक, 2001.

माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001 बहस और पारित करने के लिए सदन के सामने रख रहा हूं। प्रारंभ में, मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि सदस्यों के वेतन, भत्ता तथा पैंशन बढ़ाने का यह प्रस्ताव मैं किसी अपराध बोध के साथ नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि यह आवश्यक है और आवश्यक होने के कारण पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रस्ताव को मैं सदन के सामने रख रहा हूं, इसके पीछे किसी प्रकार का अपराध बोध हमें नहीं है कि हम कोई गलत बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा जब यह विधेयक पिछले कुछ समय में सदन में आता था, तो सबसे पहले शिकायत होती थी कि यह अंतिम दिन आता है, देर रात को आता है, बिना बहस चुपके से पास किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा हम ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और इसलिए हम सदन में इसे इस सप्ताह के पहले दिन लाए हैं। आज जबकि अधिक महत्वपूर्ण काम सप्लीमैंट्री डिमांड का होने के बाद भी, हमने इसे जान-बूझ कर प्रथम क्रमांक पर रखा है ताकि जो बहस करना चाहें, समर्थन करना चाहें, विरोध करना चाहें, उसकी बहस हो और सोच-समझ कर पास हो। बिना बहस, जल्दबाजी में फैसला करने की आवश्यकता नहीं है, कोई गलत फैसला करना हो तब करना चाहिए, अगर सही फैसला कर रहे हैं तो इस प्रकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा यह कर्त्तव्य है जबकि सब जानते हैं कि विधेयक में क्या है फिर भी पद्धति के अनुसार मुझे यह बताना आवश्यक है कि विधेयक में क्या है। सबसे पहले कानून का परिवर्तन केवल तीन मुद्दों पर हो रहा है और एक संशोधन आ रहा है। एक, वेतन को 4,000 रुपये से 12,000 रुपये कर रहे हैं। प्रतिदिन भत्ता जो 400 रुपये मिलता है, उसे 500 रुपये कर रहे हैं जो 6.00 रुपये प्रति किलोमीटर माइलेज मिलता है, उसकी जह 8.00 रुपये प्रति किलोमीटर कर रहे हैं। वैसे कानून के अंतर्गत इतना ही संशोधन कर रहे हैं। मैं एक संशोधन बाद में सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें ढाई हजार रुपये जो मूल पेंशन है, उसे 3,000 रुपये तक बढ़ा रहे हैं और प्रति वर्ष जो 500 रुपये बढ़ती है, उसकी जगह 600 रुपए कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जिन चीजों में, जैसे मैंने कहा, संशोधन आवश्यक नहीं है लेकिन जानकारी आवश्यक है कि निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 8000 रुपये से 10,000 रुपये,

कार्यालय भत्ता 9,500 रुपये से 14,500 रुपये, मुफ्त बिजली यूनिट 25000 से 50000।

उनको जो जल मिलता है, उसे दो हजार किलोमीटर से चार हजार किलोमीटर कर रहे हैं। टेलीफोन के लिए हम एक छोटी सी सुविधा दे रहे हैं कि जिनके चुनाव क्षेत्र एक हजार किलोमीटर से अधिक दूर हैं, उनको हम 20 हजार अतिरिक्त मुफ्त स्थानीय टेलीफोन काल्स दे रहे हैं। हालांकि इसका मेरे आई.टी. मिनिस्टर होने से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ हम सदस्यों को मोबाइल फोन उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारे अखबारों में चर्चा में यह लिखा गया है कि इस मोबाइल फोन पर हम एक लाख काल्स ज्यादा दे रहे हैं, इसको सबने ग्राह्य मानकर चर्चा शुरू की। हमने कोई काल नहीं बढ़ाई, जो हमें एक लाख काल मिलते हैं, जो संसद भवन से एक हजार किलोमीटर के अन्दर रहते हैं, उनको एक लाख काल ही मिलेंगी। वे एक लाख काल जो आज हमारे घर के और यहां के टेलीफोन पर विभाजित हैं, उसमें एक और विभाजन हो जायेगा। उसमें मोबाइल फोन और आ जायेगा। इसलिए 25-30 हजार रुपये खर्च किया गया, तो वह एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे समाचार-पत्रों ने बिना पढ़े ही लिख दिया और उसकी आलोचना भी की कि एक लाख नई काल्स दे रहे हैं तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं बताऊं कि एक लाख नई काल्स हम नहीं कर रहे हैं।

सबसे पहले बात जो मुझे लगती है और शायद समाचार-पत्रों की आलोचना में छूट गई है कि पहली बार इस बार संसद अपने आपको बांध रही है कि अगली बढ़ोत्तरी पांच साल के अन्दर नहीं होगी और इसलिए पहली बार हमने ऐसा किया है। इसके पहले कभी भी जल संशोधन इस विधेयक में हुए तो यह नहीं कहा गया कि हम कभी नहीं करेंगे या कोई तिथि तय नहीं की और जैसे जब मन में आता था, होता था। हमने यह कहा है कि लोक सभा में केवल एक बार होना चाहिए और एक बार का अर्थ यह है कि पांच साल में एक बार ऐसा होनी चाहिए और इसलिए पहली बार हम इसमें अपने आपको पांच साल के लिए बांधे दे रहे हैं। वैसे यह टर्म पांच साल चलेगी, इसलिए हमने उसको 1999 से 2004 तक बांध दिया है। वैसे लिखा तो इसमें पांच वर्ष है।

इसकी सबसे बड़ी जो आलोचना होती है और मुझे लगता है कि शायद उसमें थोड़ा सा वजन आता है कि लोगों को यह शिकायत होती है कि यह कौन सा तरीका है कि संसद सदस्य अपना वेतन भत्ता खुद ही बढ़ाते हैं। अब आलोचना ठीक है कि किसी आदमी को खुद ही तनख्वाह बढ़ाने का अधिकार हो, लेकिन बहुत से विद्वान लोग भी इस बात को नहीं जानते हैं कि यह संविधान में व्यवस्था है। यह व्यवस्था कोई इस सरकार ने या उस सरकार ने नहीं की है। संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखते समय अनुच्छेद 106 बनाया और जिसके अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि संसद सदस्यों को समय-समय पर जो वेतन या भत्ता देना पड़ेगा, उसका फैसला संसद करेगी और हो सकता है कि संविधान के निर्माताओं को लगा कि संसद सार्वभौम होने के कारण और संसद सदस्य उस सार्वभौमत्व के प्रतीक होने के कारण उनका फैसला कोई और बाहर से करे, यह कम से कम उस समय संविधान निमार्तओं को उचित नहीं लगा। उसके कारण यदि किसी को यह पद्धति बदलनी है तो पहले तो हमें संविधान के अनुच्छेद 106 को हटाना पड़ेगा। संविधान से पूरी की पूरी धारा हटाने की, संविधान संशोधन का यह शायद पहला अवसर होगा, क्योंकि संविधान में संशोधन तो होते रहे हैं, मैं उसका विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन पूरा का पूरा अनुच्छेद ही हट जाये, यह करने की जरूरत नहीं है। इसको किसी और प्रक्रिया से किया जाये, यह पहला अवसर होगा। लेकिन मैं उसके साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई और पद्धति बनानी है तो सरकार को इस पद्धति पर कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अभी तो पांच साल का समय अपने पास है, यदि कोई पद्धति आम सहमति से बने तो उस पद्धति पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके द्वारा हम सदस्यों के वेतन और भत्ते को तय कर सकते हैं, लेकिन आज हमको इस बात का अपराधबोध होने की आवश्यकता नहीं है, इस बात के लिए शर्मिन्दगी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपना वेतन खुद ही क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने यही व्यवस्था की है। संसद में 24 बार से यही हो रहा है और अब 25वीं बार होगा। अगर आगे चलकर यह व्यवस्था बने, जिसमें आम सहमति बने, क्योंकि संविधान संशोधन तो दो तिहाई बहुमत से होगा और अगर सभी राजनैतिक दल मिलकर कोई एक और पद्धति बताते हैं, जो सब को मंजूर हो तो पद्धति बदलने में हमें कोई गलती नहीं लगती, हम उसके लिए तैयार हैं।

लेकिन जब तक हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। यह सब कानून के अंतर्गत जो पद्धति है, उसकी मदद करने के लिए संसद की एक सर्वदलीय समिति होती है। इस बार उसके अध्यक्ष मेरे मित्र श्री के.पी. सिंह देव हैं। उनकी अध्यक्षता में इस समिति ने यह रिपोर्ट बनाई थी। उन्होंने भी श्री प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व में एक छोटी सी उपसमिति बनाकर इस पर चर्चा की। उसने जो सिफारिशें दी हैं, मुझे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन यह एकमत से दी हैं। इसलिए सदन में आकर किसी का मत परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इस समति में सभी दलों के सदस्य थे। जहां तक मुझे जानकारी है, गलती करूं तो मैं क्षमा चाहूंगा, किसी भी दल के किसी भी सदस्य ने वहां कम से कम किसी प्रकार का यह विरोध नहीं जताया कि यह नहीं करना चाहिए। इसलिए यह एकमत से रिपोर्ट आई है।

[श्री प्रमोद महाजन]

अध्यक्ष जी, दो-तीन छोटे-छोटे मुद्दे और हैं, जिनकी यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा। कई बार समाचार-पत्रों ने लिखा है कि 12 हजार रुपए तनख्वाह कर दी। जैसा मैंने कहा कि हम पहली बार अपने आप को पांच साल के लिए बांध भी रहे हैं। इसके अलावा पहली बार संसद सदस्य अपने वेतन पर आयकर देंगे। अगर हम चाहते या के.पी. सिंह देव जी चाहते तो हम पुराना रास्ता अपना सकते थे कि अपने भत्ते बढ़ा लेते और तनख्वाह वही चार हजार रुपए ही रहती और उस पर आयकर भी नहीं लगता। लेकिन हमने कहा कि यह जरूरी नहीं है। अगर तनख्वाह बढ़ानी है, सारी दुनिया आयकर देती है, संसद सदस्य भी दें, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर दोनों सदनों में यह विधेयक मंजूर हो जाता है तो पहली बार ऐसा होगा कि हर संसद सदस्य अपने वेतन पर आयकर देगा। पहले हो सकता है कुछ सांसद देते हों या न देते हैं। हमें लगेगा कि चार हजार रुपए से 12 हजार रुपए एकदम कैसे हो गए। मैं कहना चाहता हूं कि 12 हजार रुपए अपने आप में कोई ज्यादा रकम नहीं है। हम लोगों से एक और शिकायत होती है कि हम तनख्वाह तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। अभी संसद का वर्षाकालीन सत्र चल रहा है। अध्यक्ष जी, आपने अभी निर्णय लिया है लक्ष्मण रेखा का, कि कोई भी सांसद वैल में नहीं आएगा। लेकिन कभी-कभी लक्ष्मण रेखा उसको भी कहते हैं, जिसके अंदर जाने से रामायण होती है। इसलिए यह बालयोगी रेखा है या लक्ष्मण रेखा है, यह तो बाद में तय करना पड़ेगा। लेकिन यहां आपने जो निर्णय लिया है, वह सही और अच्छा निर्णय है। सदन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाए, मैं इस मत का हूं, लेकिन काफी समय एडजोर्नमेंट में गया है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि इस सत्र में 27-28 घंटे एडजोर्नमेंट में गए, इसका हमें दुख है। इसके कारण अगर हम वेतन वृद्धि करते हैं तो जनता को शिकायत होती है। लेकिन जनता को या पत्रकारों को इस बात का पता नहीं है कि जैसे 28 घंटे एडजोर्नमेंट में गए, वैसे ही हमने कल तक छः बजे के बाद बैठकर करीब साढ़े 27 घंटे अधिक काम भी किया है, लेकिन यह किसी के ध्यान में नहीं है। मैं किसी एडजोर्नमेंट का समर्थन नहीं करूंगा, वह नहीं होना चाहिए। हमें ज्यादा देर तक बैठना चाहिए। अगर हिसाब की बात करें तो जहां 27 घंटे एडजोर्नमेंट में गए, वहीं हम छः बजे के बाद रात को दस-दस बजे तक बैठे हैं और काम किया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आज किस तरह से मीडिया के बंधु संसद सदस्यों के काम की व्याख्या कर रहे हैं। मेरी राय में यह सही नहीं है। सांसद का काम दिन भर यहां बैठकर दूसरों के भाषण सुनना ही नहीं है। यह नहीं है कि हम स्कूल के बच्चे की तरह 11 बजे आएं और छः बजे चले जाएं। हम इसके अलावा भी काम करते हैं। आप देखें हमेशा हमारे अखिलेश सिंह जी सुबर दस बजे आकर यहां सबसे पहले नोटिस देते हैं। इसका मतलब है कि वे सबसे पहले उठते होंगे और सबसे पहले अखबार पढ़ते होंगे, कागज तैयार करते होंगे। उनकी ड्यूटी तो सुबह 11 बजे से कहीं पहले शुरू हो जाती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): सबसे पहले गले की भी तैयारी करते होंगे।

श्री प्रमोद महाजन: सही है कि गले की भी तैयारी सबसे पहले करते होंगे। संसद सदस्य 11 बजे के पहले भी काम करता है और छः बजे के बाद भी करता है। सिर्फ यहां आकर बैठना और भाषण सुनना ही काम नहीं है। वह यहां लोगों से मिलवाता है। अपने चुनाव क्षेत्र में जाता है तो लोगों से मिलता है। ये सभी ऐसे काम हैं जिनकी हमें तनख्वाह मिलती है। ऐसा नहीं सोचें तो मैं समझता हूं यह संसद सदस्यों के साथ अन्याय होगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। हर मिनट का यहां खर्चा होता है।

इसलिए मैं पैसा देते समय खर्चा नहीं करूंगा लेकिन यह 4000 रुपये से 12000 कैसे हुआ, इस पर मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि तनख्वाह हमारी कितनी बार बढ़ी? मैं जब यह बिल कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि 1 जून 1954 को जब पहली बार संसद सदस्यों की तनख्वाह तय हुई तो उस समय 400 रुपये महीना तनख्वाह थी और भत्ता 21 रुपये था। उस समय 21 रुपये भत्ता था। मैं पूछा उस समय रुपये की कीमत क्या थी तो हमारे अधिकारी ने बताया कि उस समय 400 रुपये तनख्वाह थी और तब 8 रुपये स्वर्णिम सोना था। मैंने कहा कि यह स्वर्णिम सोना क्या होता तो उन्होंने बताया कि जो 8 ग्राम सोना होता है, उसे स्वर्णिम सोना कहते हैं और आज 3600 रुपये सोना है। जो लोग 1954 में लोग सभा के सदस्य थे, उन पर हम जैसा आरोप भी नहीं लगाया जा सकता कि वे सुविधाभोगी थे। हम पर पत्रकार आरोप लगा सकते हैं कि हम सुविधाभोगी हैं लेकिन 1954 में जब 400 रुपये की तनख्वाह तय होगी तो वे सारे स्वतंत्रता के आंदोलन से निकलकर आये हुए लोग थे। अब यह 12000 रुपये कैसे हुई और मैं, के.पी. सिंह देव जी की कमेटी को बधाई देना चाहूगां कि 12000 का आंकड़ा कैसे रहा क्योंकि आज तक जो तनख्वाह बढ़ी है, उसको कोई नियम नहीं है। दस साल के बाद 500 रुपये तनख्वाह कर दी, फिर 7-8 साल के बाद 750 रुपए कर दी, उसके चार साल बाद 1000 हो गई, फिर 1500 हो गई और 1500 रुपये के 4000 कैसे हो रहे हैं, कुछ नियम नहीं है। जिसको जो लगा और जितना हो सके, इंकम टैक्स के अंतर्गत रख दिया। पहली बार के.पी. सिंह देव जी और प्रणव मुखर्जी की समिति ने इनको इंडेक्स के साथ जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि 400 रुपये मूल तनख्वाह मानी जाये तो इस तनख्वाह को उस समय जो इंडेक्स था, वह आज के इंडेक्स

से अगर हम तुलना करें तो नयी तनख्वाह 11900 रुपये बैठती है। अगर 400 रुपये को 1954 के निर्णय को मूल निर्णय माना जाये तो वह 11900 रुपये बनती है। फैसले में भी देर हुई और 900 रुपये अटपटा लगा तो इसलिए हमने 12000 तनख्वाह की है। इसलिए तीन गुना तनख्वाह हुई है, यह कहना भी एक तरह से पूर्ण सत्य नहीं है। पहली बार इंडेक्स के आधार पर तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पांच वर्ष के बाद फिर से बढ़ायी जाएगी। इस 12000 को मूल तनख्वाह मानकर आज से पांच साल में जितना भी फर्क बढ़ेगा, इंडेक्स के अनुसार तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। पहले यह शिकायत आने लगी कि तनख्वाह इस प्रकार क्यों बढ़ी और इसलिए तनख्वाह 12000 बढ़ाने का यही मूल कारण हैं। जहां तक भत्ता और कांस्टीट्यूएंसी एलाउंस का संबंध है, 1998 में तब 400 रुपये भत्ता मिलता था और 2001 में तीन साल के बाद हम पुनर्विचार कर रहे हैं तो 100 रुपये बढ़ाना मेरी दृष्टि से कोई बहुत बड़ा आंकड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है।

अंत में, छोटी सी बात मैं सदन के सामने रखता हूं। तनख्वाह के साथ जो सुविधाएं मिलती हैं, तो वे सुविधाएं हैं, वे एमिनिटीज हैं। अब किसी पत्रकार ने लिखा कि प्रमोद महाजन जिस घर में रहता है, उसको अगर किराये पर लिया जाये तो दो लाख रुपया महिना देना पड़ेगा। अरे भई, अगर मैं सांसद चुनकर नहीं आता तो इस घर में रहने के लिए क्यों आता? मुझे क्या कोई काम बन पड़ा है कि मैं नार्थ एवेन्यू में भाड़े से घर लेकर रहूं? 2000 कि.मी. से दिल्ली में रहने के लिए कोई आता है, हम कोई खुशी से रहने के लिए नहीं आते हैं। कोई कह सकता है कि आप जनता के सेवक हैं, आप फुटपाथ पर रहिए, आप किसी रिश्तेदार के यहां रहिए लेकिन घर मत करिए। घर का कामर्शियल कितना बनता है, अगर कोई कंपनी किराये से लेती है तो कितना देती? उतना उसको मिलता है। नहीं मिलता है। किसी ने कहा कि बिजली का बढ़ गया। बिजली का पैसा क्या कोई हमारे हाथ में मिलता है? कि.मी. करने से पैसा हाथ में मिलता है क्या? जैसे टेलीफोन की बात होती है, किसी ने यह भी कह दिया कि उसमें एक टेलीफोन एक्सचेंज चलेगा। एक लाख टेलीफोन। मैंने हिसाब करने की कोशिश की, अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा समय लेकर बात कह दूं ताकि इसके बारे में अगर कोई भ्रम हो तो दूर हो जाये। मैं मुम्बई से आता हूं।

मुम्बई से मैंने इसकी गणना की। एक लाख टेलीफोन का अर्थ क्या होता है। यदि मैं मुम्बई टेलीफोन करता हूं, तो दो सैकेंड की एक काल होती है। दो सैकेंड की काल के हिसाब से यदि मुम्बई बातचीत करूं, एक लाख टेलीफोन सुविधा से मुम्बई नान-स्टाप बात करूं, तो 67 घण्टे बात कर सकता हूं। पूरे साल में 8,756 घन्टे होते हैं, तो उसकी एक परसेंट भी टेलीफोन सुविधा नहीं मिल रही है। टेलीफोन काल कोई पैसा नहीं है कि 75 हजार कर दिया, पैसा दे रहे हैं। टेलीफोन काल एक सुविधा है। टेलीफोन काल तब की सुविधा है, जब एसटीडी नहीं थी। आज एसटीडी और आईएसडी की सुविधा है, कोई इस बात को मानें या न माने, यह जरूरी नहीं है कि टेलीफोन का उपयोग सिर्फ हम ही करते हैं। प्रियरंजन दासमुंशी टेलीफोन का बिल लेकर आते हैं, कोई विवाद हो, तो अलग बात है। सब को मालूम हैं, आधे से ज्यादा टेलीफोन हम नहीं करते हैं। जो वोट देता है, उसको फोन न करने दें, तो क्या होगा, सबको मालूम है। रघुनाथ जी ने इसलिए वोट मांगा था कि एक काल भी करने नहीं देता है, फिर वह एक बार बात करना शुरू करता है, तो 10-15 मिनट बोलता है। दो-चार हजार काल तो उसी में ही चली जाती हैं और इस प्रकार 20-25 लोग सांसद के घर पर आ जायें और पांच-सात मिनट बात करें, तो एक लाख कब पूरा हो गया, पता नहीं लगता है। मुझे नहीं मालूम, कोई एक लाख में से सेविंग भी करता है। कोई सेविंग करने वाला हो, तो अलग बात है कि एक लाख काल के बजाय 75 हजार काल हुई हैं।

अंत में, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि मैं कोई हमारी आत्मस्तुति नहीं करना चाहता हूं। वह मूर्खों का लक्षण हैं, लेकिन आत्म-निन्दा भी इतनी मत करिए कि बात आत्महत्या तक चली जाए कि हम कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। मैंने एक बात शुरू से कही है, मैं यह विधेयक इस सदन के सामने विनम्रतापूर्वक लाया हूं, किसी अपराध बोध से नहीं लाया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतनी जरूरत सांसदों को है और इसी दृष्टि से यह विधेयक आपके समक्ष रखता हूं। आशा है, यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मेरे दल ने और मैंने इस विधेयक का अध्ययन किया है। हमने संयुक्त समिति की सिफारिशों का भी अध्ययन किया है और इस विधेयक के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करने का समय आ गया है।

हम विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन यह बताना चाहता हूं कि मीडिया हमारी आलोचना क्यों करता है। पिछले कुछ वर्षों से अथवा मैं कहूं कि कई वर्षों से लोगों में सामान्यत: यह धारणा बन गई है कि कोई दल विशेष नहीं अपितु सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार नहीं हैं चाहे वे सत्ता में हों अथवा न हों। जब तक हम चाहे विपक्ष के सदस्य हों अथवा सत्तापक्ष के हों, चाहे हम अपने

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

वेतन में वृद्धि करें अथवा न करें तब तक हम इस कलंक से छुटकारा नहीं पाते हैं। मीडिया और लोगों की टिप्पणियों से मुक्त नहीं हो सकते। महोदय, इसलिए माननीय मंत्री जी की इस पहल का समर्थन करते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार और पूरी सभा से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस नई सहस्राब्दि में अब समय आ गया है कि हम राष्ट्र के प्रति और अपने दैनिक कार्य निष्पादन के प्रति अपनी वचनबद्धता को न्यायोचित ठहरायें। इसका कारण यह है कि लोग जो हम पर निगरानी रखते हैं, इस बात को देखते हैं कि हम अपने देश और निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि यदि आप हमारे जीवन स्तर को सुविधाओं की दृष्टि से नहीं अपितु उन लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के रूप में ऊपर उठा पाएं जिन्होंने हमें यहां चुनकर भेजा है तो मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में इस प्रकार की आलोचना नहीं होगी।

एक बात पर और विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है जिस पर अब तक किसी ने चर्चा नहीं की है, मैंने भारत के संसद सदस्य और विश्व के अन्य देशों के संसद सदस्यों के बीच अंतर के बारे में किसी समाचार-पत्र के सम्पादकीय को नहीं देखा है। क्या ऐसा कोई भी देश है जहां सांसद के दस लाख से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हों। चाहे यह ठीक है अथवा गलत, हमने अभी हाल ही में लोक सभा की सीटों की वृद्धि पर जनसंख्या तथा अन्य कई कारणों से रोक लगा दी। मैं आपको अपना उदाहरण दे सकता हूं। मैं अन्य संसदीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरे संसदीय क्षेत्र का दायरा 310 कि.मी. है। एक ओर से दूसरी ओर की दूरी 310 कि.मी. है। इसे घूमने में एक दिन नहीं बल्कि साढ़े तीन दिन लगते हैं। शुरू में दूरभाष की सुविधाएं इतनी नहीं थीं। हम स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का आभार व्यक्त करते हैं, उनके सी-डॉट मिशन और दूरसंचार विभाग द्वारा किए हुए कार्य के फलस्वरूप आज लगभग प्रत्येक गांव में दूरभाष उपलब्ध है। इन दिनों-चाहे चेम्बर्स आफ कामर्स हो या सब्जी मंडी अथवा शिक्षक वर्ग हो, वे दूरभाष के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं और जब वे घर पर हमारी अनुपस्थिति में काल करते हैं तो हमसे यह अपेक्षा रखते हैं कि हम उनकी काल का उत्तर दें। जब मैं घर वापस जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि तीस लोगों ने कोई न कोई समस्या बताने के लिए मुझे फोन किया था। अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक जिम्मेदार संसद सदस्य होने के कारण मुझे कम से कम उनसे बातचीत तो करनी चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि मैंने उनके लिए क्या किया है। यदि यह हिसाब लगाया जाए तो मैं पाता हूं कि एक लाख काल कुछ भी नहीं है। फिर भी यदि हम इसकी संख्या बढ़ाते हैं तो लोग इस बारे में हमसे पूछेंगे। मैं आप को कुछ और उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग ऐसे स्थानों से आते हैं जो दिल्ली से 1000 कि.मी. दूर है। यह बात बिहार, केरल आदि से आने वाले सदस्यों के बारे में सत्य है। हमारे निर्वाचन क्षेत्रों से लोग दिल्ली में बिना सूचना दिए हुए चले आते हैं। वे रोगियों को बिना सूचना दिए हमारे पास भेज देते हैं। वे हमसे कहते हैं, ''हमने रोगी को भेज दिया है कृपया आवश्यक प्रबंध करे'' वे रोगियों के साथ आधी रात को या सुबह बहुत जल्दी आ जाते हैं। वे चाहते हैं कि हम उन्हें रेल का किराया भी दें। किस उपबंध के अंतर्गत आप ऐसा कर सकते हैं? संसद सदस्य अपनी हैसियत के अनुसार और अपने संबंधों के माध्यम से किसी तरह इन स्थितियों से निपट लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र में आप इन समस्याओं से बच नहीं सकते और यह नहीं कह सकते हैं कि नहीं-नहीं जब तक मैं संसद में हूं कोई भी व्यक्ति दिल्ली नहीं आना चाहिए। दिल्ली में मत आइए। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हुए पाया कि लोगों ने जीप के सामने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि परसों हमारा गांव जला दिया गया कृपया कुछ प्रबंध कीजिए। मैंने निकट के दुकानदारों से चावल, गेहूं, आटा आदि देने का अनुरोध किया और इनसे कहा कि दो दिन के अंदर उन्हें पैसा दे दूंगा क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि ऐसी समस्याएं इन लोगों के सामने नहीं आती हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इन कठिनाइयों के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया जाता। माना कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में कोई व्यक्ति चाहे वह दलित है या सवर्ण जाति का है, जला दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र का संसद सदस्य लगभग एक महीने तक अथवा जब तक ऐसे व्यक्तियों का पुनर्वास नहीं किया जाता है उस स्थान से जा नहीं सकता। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा सकता। ऐसा लगभग सभी संसद सदस्यों के साथ होता है। यह धारणा बन गई है कि सांसदों को कई समस्या नहीं होता है और वे देश के शीर्षतम लोग हैं। यह धारणा प्रबल होती जा रही है और यह धारणा गलत है। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ऐसी धारणा को जितना अधिक बल मिलेगा उतना ही हमारे लिए कठिनाइयां पैदा होंगी। यह एक सच्चाई नहीं है।

यदि आप एक कुशल निजी सहायक रखना चाहते हैं जो आशुलिपि और कम्प्यूटर का ज्ञान रखता हो तो समाचार-पत्र में विज्ञापन देने के बाद भी क्या आप उसे 12,000, 15,000 या 10,000 रुपये से कम में रख सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, जबकि लोग चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं समुचित संप्रेषण करें और उनके मामलों को निपटाएं। जब संसद अन्तरसत्रावधि के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्रों में संसद सदस्य क्षेत्र विकास योजना संबंधी कार्यों की प्रगति का जायजा लेने जाते हैं तो शायद ही कोई जिलाधीश उन्हें वाहन उपलब्ध कराता है जिससे कि वे आराम से दौरा कर सकें। उसे अपने ही वाहन अथवा किराए के वाहन से जाना होता है और उसे ईंधन का व्यय भी उठाना पड़ता है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): हम लोगों को कभी नहीं देते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वही मैं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए हमें अपने मित्रों से वाहन के लिए अनुरोध करना पड़ता है। वे एक-दो दिन के लिए तो वाहन दे देते हैं परन्तु रोजाना नहीं। इन समस्याओं की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। मैं आपको दो और उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। कम से कम 200 संसद सदस्य ऐसे हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र या तो सूखाग्रस्त हैं या बाढ़ग्रस्त हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लगातार सूखा या बाढ़ आती है। उस क्षेत्र का संसद सदस्य तब तक खाना नहीं खा सकता जब तक वह निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की देखभाल नहीं करता।

मैंने यह स्थिति कई क्षेत्रों में देखी है। बाढ़ के मौसम के दौरान यह कभी-कभार मेरे क्षेत्र में भी होती है। मैंने इसे देखा है। लोग बाढ़ की स्थिति के दौरान बड़ी बारीकी से यह देखते हैं कि हम अपने घरों में क्या खाते हैं। वे इसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित करा देते हैं। यदि आप इनके साथ रसोईघर में खाना नहीं खाते हैं, तो यह प्रकाशित कर दिया जाता है। यह सच्चाई है। सार्वजनिक जीवन में ऐसा होता है, चाहे इसे पसंद करें या नहीं। मीडिया के माध्यम से ही हमारी भावनाएं जनता तक पहुंचती हैं। जो कुछ हम यहां बोलते हैं मीडिया इसके बारे में लिखता है।

श्री प्रमोद महाजन ने कहा कि सभा को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि सभा बिना कारण से स्थगित नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि यदि हम किसी मुद्दे को सभा में इस प्रकार नहीं उठाएं तो वह मीडिया का मुख्य समाचार बन जायेगा। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भी लोग ऐसा ही सोचेंगे-

[हिन्दी]

कुछ नहीं होता है, आप लोग सोते रहते हैं, कभी आवाज नहीं है, इसका क्या तरीका है?

[अनुवाद]

चाहे वह अखिलेश जैसा तरीका हो या पप्पू जैसा या किसी अन्य सदस्य जैसा हो, अपना-अपना तरीका अलग-अलग है। यह विवाद का मुद्दा भी हो सकता है।

[हिन्दी]

मीडिया के लोग कहते हैं कि आप लोग आवाज नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

तो आप कहां जायेंगे? हम लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में बंदी हैं, जहां लोग यह कहते हैं कि न तो हम बोलते हैं और न ही शोर मचाते हैं। हम मीडिया के हाथों बंदी हैं। वे कहते हैं कि हम सब साधू हो गये हैं और कुछ नहीं बोलते। आप लोग बोलते नहीं हैं। आप लोग गम्भीर और हताश हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम बोलते हैं तो कहा जाता है कि मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है। इस तरह की सारी बाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में हम अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। इसके बारे में शिकायत नहीं की जानी चाहिए। हमें लोगों की सेवा अच्छी भावनाओं के साथ करनी चाहिए, लेकिन साथ ही यदि हम उनसे कहां कि हमें 4000 रुपये मिलते है और हमें सब कुछ करना पड़ता है तो यह अच्छी बात है। सभा में भूतपूर्व विधि मंत्री, श्री अशोक सेन और प्रसिद्ध विधिवेता श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे पेशेवर लोग भी हैं जिनकी उच्चतम न्यायालय में एक दिन की उपस्थिति निर्वाचन क्षेत्र में छह महीने के खर्च के बराबर है...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: यदि वे अपनी सदस्यता त्याग दें और न्यायालय में जाना शुरू कर दें तो वे 150 सांसदों की देखभाल कर सकेंगे...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि मैं कहूं कि मैं 4000 रुपये या 6000 रुपये में गुजारा कर सकता हूं, तो कोई समस्या नहीं है...*(व्यवधान)* में समझता हूं कि वह अपने आपको धोखा दे रहा है। मैं नहीं जानता की वह कैसे काम चलायेगा। संयुक्त समिति द्वारा गहन विचार के बाद इस विधेयक को सरकार द्वारा लाया गया है। समिति के समस्त प्रक्रिया का बारीकी से अध्ययन किया है। ऐसा कोई आभास नहीं होना चाहिए कि हम सांसद होने के नाते कोई अतिरिक्त लाभ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो भी हम करते हैं वह औचित्यपूर्ण होता है। अगर हम कुछ भी अनुचित करेंगे तो लोग हमें दोबारा से निर्वाचित नहीं करेंगे। मैं इसके बारे में जानता हूं लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को यह बताना बहुत कठिन है कि हम 2000 रुपये में गुजर कर सकते हैं।

[हिन्दी]

मैं किसी को बताकर आपका काम कर दूंगा, डैमोक्रेसी में ठीक नहीं है, आनैस्ट नहीं है।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

[अनुवाद]

हम गम्भीरतापूर्वक महसूस करते हैं कि यह विधेयक, जो लाया गया है बहुत अच्छा है। सरकार ने पैंशनभोगियों को भी लाभ देने पर विचार किया है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं वर्तमान सांसदों की अपेक्षा भूतपूर्व सांसदों के बारे में अधिक सोचता हूं। मैं ऐसा इसलिए समझता हूं क्योंकि यह हमारी स्थाई और वह अस्थाई जगह है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मैं, यहां बैठे अपने माननीय प्रतिष्ठित मित्रों में बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं होऊंगा। किन्तु मैं उनसे श्रेष्ठ विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूं। मैं अपने प्रतिष्ठित मित्रों के विचारार्थ अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री और मेरे प्रतिष्ठित मित्र ने यहां जो कहा है वह बहुत न्यूनतम है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के रूप में हमारे कर्त्तव्यों और कार्यों के निर्वहन संबंधी उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं है। दुर्भाग्यवश जनता इससे सहमत नहीं है। आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी वेतन वृद्धि के लिए भी हमें स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए ही निर्णय कर रहे हैं। हम इसे न्यायसंगत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं कि यह सही है। यही सब मैं काफी समय से विनम्रतापूर्वक कहने का प्रयत्न कर रहा हूं किंतु इससे अभी तक कोई भी सहमत नहीं हुआ है। मैं उनसे तर्क-वितर्क करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं।

वे इस बात का श्रेय ले चुके हैं कि उन्होंने इस विधेयक पर पूरा वाद-विवाद कराया और उन्हें इसका बिलकुल अपराधबोध नहीं है, किंतु उनके भाषण से यह स्पष्ट हो गया है कि उन्हें अपराधबोध है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वे इसे पांच वर्षों से छिपाए थे और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 106, अपनी बाध्यताओं आदि का भी हवाला दिया है। उसके बाद वह सभी दलों के विचार-विमर्श का भी सहारा ले रहे हैं। उन्होंने फिर श्रेय लिया कि अब हम करदाता बन गए हैं और उसे लेने वाले एक सज्जन यहां हैं और उन्होंने कहा कि संसद सदस्यों का वेतन अब सूचकांक पर आधारित है। इस देश में कितने लोगों की आय सूचकांक पर आधारित है।

महोदय, मुझे याद है—मैंने इस सभा में भी कहा था—इस देश की एक गृहिणी ने अपने एक पत्र में जो उसने मुझे लिखा था अपने करुणादायक कथन में बताया था। "मेरे पति एक सरकारी कंपनी में काम करते हैं। वे अभी भी नौकरी पर हैं किंतु उन्हें आठ महीनों से वेतन नहीं मिला है। मुझे बताइए, मैं अपने बच्चों का भरण-पोषण कैसे करूं? मेरी समझ में यह नहीं आया कि मैं उसे कैसे उत्तर दूं। मैं वह पत्र माननीय प्रधानमंत्री के पास ले गया और उनसे पूछा कि इस पत्र का मैं क्या उत्तर दूं। निस्संदेह वे इससे दुखी हुए, मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानता हूं और मेरी आशा के अनुरूप, उन्होंने कहा कि वे इस मामले की जांच करेंगे और देखेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।

इसलिए, मैं यहां दो बातें कहना चाहता हूं। जैसाकि मैंने पहले कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम बेतहर लोग हैं और हम कभी गल्तियां नहीं करते। माननीय मंत्री और श्री प्रियरंजन दासमुंशी दोनों ने मिडिया टिप्पणियों का हवाला दिया है। मैंने ऐसा कोई भी समाचारपत्र नहीं देखा—भले ही वह दिल्ली का हो, कोलकाता का हो, मुम्बई का हो या किसी अन्य स्थान का—जिसने हमारी बहुत बुरी तरह आलोचना नहीं की है। दूसरे हम सूचना प्रौद्योगिकी विकास का आभार व्यक्त करते हैं, जिससे हमें इस देश के हर समाचार-पत्र की दैनिक रायशुमारी का पता चल जाता है। मैंने यह ध्यान दिया है कि इस रायशुमारी में 85 से 90 प्रतिशत लोगों ने हमारी कड़ी आलोचना की है। यदि माननीय मंत्री पर जनता की राय का कोई असर नहीं होता है, तो ठीक है। यदि उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है तो फिर वे समाचार-पत्रों की टिप्पणियों का हवाला क्यों देते हैं और वे मिडिया को क्यों जबाब देने का प्रयत्न करते हैं? उन्होंने बड़ी कुशलता से इस विधेयक का बचाव किया है। किंतु वे समाचार-पत्रों की टिप्पणियों की परवाह क्यों करते हैं? यदि उन्हें समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों का जवाब नहीं देना है तो, वे सुबह समाचार-पत्र क्यों पढ़ते हैं?

महोदय, हम जनता की राय कैसे जान पाते हैं? जनता की राय हम व्यक्तिगत बातचीत, प्रेस में छपने वाले समाचारों और इंटरनेट के माध्यम से होने वाली रायशुमारी, सर्वेक्षण द्वारा जान पाते हैं। इस प्रकार हम जनता की राय जानकर उसका उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। मुझे खुशी होगी यदि मेरी यह बात सही है कि एक भी ऐसा समाचार-पत्र या जनमत सर्वेक्षण नहीं है, जिसमें यह कहा गया हो कि यह वृद्धि उचित है। इसके साथ ही यह वृद्धि ऐसे समय हुई जब माननीय अध्यक्ष महोदय को शुरूआत करनी पड़ी और एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ी। माननीय मंत्री बहुत प्रसन्न हैं कि बर्बाद समय की भरपाई हो गई है किंतु उनके आंकड़े से मुझे पता चला है कि अभी भी आधे घण्टे का समय बचा हुआ है। यह विधेयक उस समय लाया गया है जब इस देश की जनता हमारे दैनिक आचरण के बारे में चर्चा कर रही है। हम भी इस बात से खिन्न हैं। मुझे विश्वास है कि हममें से अधिकांश लोग इसके बारे में चिंतित होंगे कि क्या हम राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध समय का पूर्ण उपयोग कर पा रहे हैं।

हमारे समक्ष दो पहलू हैं। एक प्रक्रियात्मक और दूसरा विधेयक के गुणागुण। मैं इन दोनों पर संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। मुझे यकीन है कि मंत्रियों एवं सांसदों के अतिरिक्त किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपना वेतन स्वयं निर्धारित नहीं करता है- मैं गलत हो सकता हूं, किंतु यदि मंत्री महोदय को इस बारे में कोई जानकारी है तो मैं उसे जानना चाहता हूं।

इसलिए क्या यह उचित है अथवा उचित नहीं है, मैं सभी से यह अपील कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यही होने वाला है।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): हाउस सुप्रीम नहीं है क्या? कौन तय करेगा?

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): बोलने दीजिए। बोलने के लिए ही बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, यदि सभा में अपने सहयोगी सदस्यों से व्यवहार करने का यही तरीका है तो ठीक है। इसी कारण और इसीलिए हममें गिरावट आ रही है।

यदि ऐसा है तो क्या हमें ऐसे तंत्र का विश्वास नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा हम इसमें उद्देश्यपूर्ण ढंग से सुधार कर सकें। जब आप अपने मामले में स्वयं ही कोई निर्णय करते हैं तो उसमें व्यक्तिनिष्ठा होनी चाहिए और ठीक यही हुआ भी। 25,000 अतिरिक्त कालों की ही सुविधा क्यों दी जा रही है। 30,000 या 10,000 कालों की सुविधा क्यों नहीं दी गई?

माननीय मंत्री ने 1954 के सूचकांक के आधार पर वेतन का उल्लेख किया है और इसकी गणना करने पर एक अजीब समस्या दिखाई देती है कि 400 रु. से वेतन 12,000 रुपये हो गया तो यह औचित्यपूर्ण है। किंतु लोगों के जीवन निर्वाह की लागत का क्या होगा? क्या यह कम है। क्या हम इस देश में सभी को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति करते हैं। इसलिए सदस्यों की व्यक्तिनिष्ठा और परेशानी को टालने के लिए मैं इस प्रक्रिया की बात कर रहा हूं और हम सभी वर्गों से इसके लिए अनुच्छेद करते रहे हैं तथा मुझे विश्वास है कि सिद्धांत रूप से कोई भी इसके विरुद्ध नहीं है। क्या हम ऐसा तंत्र नहीं बना सकते हैं, जो इन उद्देश्यपरक तथ्यों पर विचार करे और कतिपय निष्कर्ष निकाले।

माननीय मंत्री ने अनुच्छेद 106 का उल्लेख इस प्रकार किया जैसे कि हम उससे बंधे हुए हैं। अनुच्छेद 106 तो केवल एक कानून है। संसद कल कोई भी कानून बना सकती है और कह सकती है कि हम इस पर ऐसे निर्णय करेंगे और उस समिति का निर्णय अंतमि होगा। मैं विनम्रतापूर्वक सुझाव दे रहा हूं कि इस मामले में पीठासीन अधिकारी निर्णय दें और यदि वह इच्छुक नहीं हैं तो कैबिनेट सचिव या वित्त सचिव या नियंत्रक महालेखा परीक्षक जैसा कोई दूसरा अधिकारी भी निर्णय दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस संबंध में उद्देश्यपरक मानक लागू किये जाएं। जीवनयापन की लागत क्या है? हालांकि सामान्य रूप से मैं स्वयं का निर्णय या नौकरशाही द्वारा हमारे मामलों में निर्णय करना पसंद नहीं करूंगा लेकिन यदि पीठासीन अधिकारी इच्छुक नहीं हैं तो इसके लिए कोई और तंत्र बनाया जा सकता है। चर्चा द्वारा इसका निर्णय आसानी से किया जा सकता है कि किस प्रकार की निकाय को नियुक्ति किया जाए। अपने उद्देश्यपरक मूल्यांकन से वे 12,000 रुपये के स्थान पर 14,000 रुपये भी कर सकते हैं।

मेरा यह विनम्र निवेदन है कि यदि इस प्रकार की संस्थागत व्यवस्था की जाती है, तो कम से कम कोई यह तो नहीं कहेगा कि हमने अपना वेतन स्वयं निर्धारित किया है और हमें इसके निर्धारण में भी कोई परेशानी नहीं होगी।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): श्री ज्योति बसु को जो भत्ते मिल रहे हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं जानता हूं कि इससे कुछ लोगों को चिढ़ हो सकती है, किंतु मेरे विचार से यदि कोई भारतीय राजनीति में उनका योगदान देखे तो वह इससे कहीं अधिक होगा। तथापि, ये सभी मामले...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मेरा आपके समक्ष यह विनम्र निवेदन है कि ऐसा नहीं है कि हम इस प्रकार की स्थिति का पहली बार सामना कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री के प्रयासों की

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

सराहना करता हूं किंतु चूंकि यह मामला अब लगभग तय हो गया है इसलिए सभा के उठने से पहले हमें इसका निर्णय कर लेना चाहिए ताकि किसी को इसका पता न चले और हम चुपचाप घर लौट जाएं, हमें यह कार्य शांतिपूर्वक करना चाहिए। हम ऐसा चुपचाप क्यों कर रहे हैं? हम यह सब कुछ अंतिम समय में क्यों कर रहे हैं? हम जनता का ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए, मंत्री महोदय, इसमें कुछ अपराधबोध है। मैंने यह नहीं कहा है कि यह पूर्णत: औचित्यपूर्ण नहीं है।

अपराह्न 3.00 बजे

किंतु यदि यह औचित्यपूर्ण है तो यह कार्य पूर्णत: पारदर्शी होना चाहिए और यथार्थपरक होना चाहिए ताकि कोई भी हम पर ऊंगली न उठा सके। अनुच्छेद 106 के अंतर्गत यह अनुमति प्राप्त है।

अगला प्रश्न यह है कि क्या इसके लिए यह उपयुक्त समय है? महोदय, हमारे समक्ष समस्याएं हैं। माननीय वित्त मंत्री स्वयं यह कह रहे हैं कि वे आशावान हैं कि हम इस मंदी से उभर पाएंगे। उनके समक्ष भी समस्या है। आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है। हम उनकी आशावादिता के साथ रहें। मैं आशा करता हूं, कि हम इस औद्योगिक मंदी से उभर पाएंगे। आज भी, हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि यहां गोदाम तो भरे हुए हैं, लेकिन खाद्यान्न खरीदने के लिए जनता की क्रयशक्ति नहीं है। इस देश में यह स्थिति है। यहां बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। इस बारे मे सभी जानते हैं। मुझे किसी को शिक्षित नहीं करना है। ऐसा करने का मुझमें दुस्साहस भी नहीं है। अपनी आलोचना कराने का क्या यह समय है, जैसे कि सभी हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जबकि, देश एक कठिन आर्थिक स्थिति में है, जनता बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही है, रोजगार का अभाव है, कृषि में संकट है, उद्योगों में संकट है, हर जगह संकट है, ऐसे में हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं। क्या पहले अपने बारे में सोचने का यह समय है?

अत: इन कारणों की वजह से मैं अपने मित्रों से यह अपील कर रहा हूं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, मैं स्वयं को आपसे बेहतर नहीं मान रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं एक एक बेहतर इंसान हूं या मैं एक वरिष्ठ सदस्य हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं आशा करता हूं, मैं ऐसा कभी सपना भी नहीं देखूंगा। किंतु मैं कह रहा हूं कि इन मुद्दों से जनता के मन में आक्रोश है। हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि जनता हमारा प्रतिनिधित्व करती है। यदि हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे, उनके विचारों, उनकी कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कौन ऐसा करेगा? वे कहते हैं कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, हम इस बारे में और उस बारे में चर्चा कर रहे हैं, और कई दूसरी ऐसी बातें हैं हम चुपचाप अपना वेतन बढ़ा रहे हैं। संभवत: मैं यह नहीं कह रहा हूं...*(व्यवधान)* उन्होंने ठीक ही कहा है। जब मैं पहली बार 1971 में संसद में आया था तो मेरे पास 300 रुपये प्रति माह पर एक अच्छा स्टेनोग्राफर था...*(व्यवधान)* वे सही कह रहे हैं। मैं वेतन नहीं दे रहा हूं। सौभाग्य से सभापति को स्टेनोग्राफर दिये जाते हैं। अन्यथा मुझे समस्या हो जाती क्योंकि मंत्री जी प्रत्येक के ऊपर नजर रखते हैं लेकिन वह मुझ पर नजर नहीं रखते। मुझे खेद है कि मैं गत चार या पांच वर्ष से वकालत नहीं कर रहा हूं। वित्त मंत्री को धन का ज्यादा नहीं कुछ ही नुकसान हो रहा है। यह अलग बात है।

महोदय, मुद्दा यही है। हम इसे उठाना चाहते हैं। एक राजनीतिक दल के रूप में, वे मेरी बातों से सहमत नहीं हैं। मुझे यह मालूम है, लेकिन उन्हें हमारा उपहास इसलिये नहीं उड़ाना चाहिये कि हमारे विचार उनसे भिन्न हैं। मुझे ज्ञात है कि लोग सदैव बनी-बनायी सुविधा का लाभ लेते हैं, आप विरोध भी करते हैं और लाभ भी लेते हैं। मुझे ज्ञात है कि यह अत्यन्त स्पष्ट टिप्पणी है। 795 सदस्यों में से यदि 45 इसे नहीं लें तो वित्त मंत्री के लिए यह अच्छा नहीं होगा। यह प्रतीकात्मक परिलब्धि होगी और सभी को ज्ञात है कि इसका अधिकांश भाग मेरे दल के पास चला जाता है। उसे लाभ होगा। इसमें सन्देह नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: यह दल विरोधी कार्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि धन दल के पास चला जाता है और आप इसे पारित नहीं होने दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह हमारा 'सिस्टम' है। वे इसके बारे में सोच नहीं सकते लेकिन हम यह कार्य कर रहे हैं। हमारी दल के साथ ऐसी प्रतिबद्धता है। प्रत्येक को यह ज्ञात है। यह किसी से छिपा नहीं है।

मुझे मालूम है कि इसे भारी बहुमत से पारित कर दिया जायेगा। मेरा केवल यही कहना है कि आप भी मंत्री जी को अपनी पीठ इसलिये नहीं थपथपानी चाहिए कि उन्होंने पांच वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है—उन्हें पांच वर्ष की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष को अपने आप इस पर सोचना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राज्य सभा के सभापति इस पर सोचेंगे। यहां बहुत प्रतिष्ठित मंत्री भी हैं। बेशक कुछ सो रहे हैं...*(व्यवधान)* वे दूसरे लोगों की अपेक्षा सोते हैं...*(व्यवधान)* इसलिये, महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि हमें इस प्रकार आचरण करना चाहिये कि कोई भी हम पर अंगुली न उठा सके।

इसी के साथ सदस्यों की आवश्यकताओं पर भी वस्तुनिष्ठता से विचार करना चाहिये ताकि जो आवश्यक है उन्हें दिया जा सके। यही हमारा दृष्टिकोण है और हम इसे व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाइयों के कर्मचारियों को 25 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। ...*(व्यवधान)* मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें कि उन्हें तत्काल उनके वेतन का भुगतान किया जाये। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर कुछ सुझाव देने के लिए खड़ी हुई हूं। श्री प्रमोद महाजन एम.पीज सैलरी, ऐलाउंसेस और पेंशन बिल लाए हैं। बहुत सारे एम.पीज. ऐसे हैं जिनका इस सैलरी से गुजारा नहीं होता, यह बात ठीक है। मैंने श्री दासमुंशी को सुना है। उन्होंने प्रैक्टिकल बात कही है। श्री प्रमोद महाजन जो बिल लाए हैं, यह उनकी मर्जी का बिल नहीं है, श्री के.पी. सिंह देव की कमेटी की रिकमैंडेशन जब सरकार के पास आई, उसके बाद सरकार इसे कंसीडर करने के बाद पार्लियामैंट में लाई है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस बिल को एप्रीशिएट किया है, यह जस्टिफाइड नहीं है- यह बात भी नहीं कही गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रोसीजर को थोड़ा चेंज करना चाहिए, प्रोसीजर के साथ उनकी पार्टी का कुछ फर्क है। मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। हमारे पार्लियामैंट में दो तरह के एम.पीज. हैं - एक वे हैं जो होल टाइमर हैं, सिर्फ पौलीटिक्स करते हैं, जिनकी और कोई सोर्स आफ इनकम नहीं है और दूसरे वे हैं जो प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, उनको उधर से तनख्वाह मिलती है और इधर से भी मिलती है। कालेज में प्रोफैसर हैं, उधर से भी तनख्वाह लेते हैं और इधर से भी लेते हैं, जो लीगल प्रोफैशन में हैं जैसे सोमनाथ दादा, इनको महीने में कम से कम दस लाख रुपये तो मिलते ही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैं इसे तृणमूल कांग्रेस को अनुदान में दूंगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कोलकाता दक्षिण): कुछ बड़े लोग हैं। एम.पी. लैड में पार्लियामैंट दो करोड़ रुपये देती है लेकिन उनकी तनख्वाह ही दो करोड़ रुपये होती है। हमारे देश में ऐसे बहुत से एम.पीज. हैं जो क्वालीज, टाटा सूमो में आते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पैदल चलते हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं है। इसमें फर्क है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहती हूं कि जिनको डबल सैलरी मिलती है, उनकी एक सैलरी काट दीजिए, एक सैलरी मिलेगी। इससे सरकार का फंड सेव हो सकता है। जो बिजनैस करते हैं, उनकी कितनी कमाई है, यह कहना मुश्किल है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): तब तो एन.डी.ए. खत्म हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: चुपचाप रहिए। ज्यादा बात मत कीजिए। मेरा मुंह मत खुलवाइए।...*(व्यवधान)* हमारे पार्लियामैंट ने जो तरीका निकाला है, यह परम्परा है कि पार्लियामैंट में किसी मैम्बर के अंडर कोई स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक्सपर्ट कमेटी होती है, जे.पी.सी. होती है, कोई सरकार की कमेटी होती है। यदि तरीकों के बारे में कोई डिफरैंस आफ ओपीनियन है तो इसके लिए जरूर कोई तरीका निकाल सकते हैं। यह बात ठीक है कि सी.पी.एम. की सैलरी पार्टी फंड में चली जाती है, वे लोग चाहते हैं कि टी.ए., डी.ए. बढ़े लेकिन सैलरी नहीं बढ़े क्योंकि सैलरी पार्टी फंड में चली जाती है। जो बात श्री चटर्जी ने यहां रेज की है, सैलरी एम.पीज. ने फिक्स की है। वैस्ट बंगाल असैम्बली में सैलरी किसने फिक्स की है? मैं चैलेंज करना चाहती हूं कि वहां भी सरकार सैलरी फिक्स करती है, एम.एल.एज. फिक्स नहीं करते। अगर वैस्ट बंगाल में एक तरीका है तो इधर दूसरा तरीका कैसे होगा। वैस्ट बंगाल असैम्बली में भी सैलरी बढ़ी है, इसके लिए कोई बाहर की कमेटी नहीं है, एम.एल.एज. ने ही किया है। वहां कर सकते हैं लेकिन इधर नहीं कर सकते, यह क्या फर्क है, मुझे नहीं पता।

मैं एक सुझाव और देना चाहती हूं कि जब हम एम.पी. लोग किसी कमेटी की मीटिंग में बाहर जाते हैं तो हम गवर्नमेंट का मनी सेव कर सकते हैं। हम कहां ठहरते हैं? हम फाइव-स्टार होटल में ठहरते हैं। फाइव स्टार होटलों में ठहरने के बजाय, ये स्टेट गैस्ट हाउस में रुक सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट का बहुत रुपया बच सकता है। हम जे क्लास में ट्रेवल करते हैं, 1992 से मैंने जे श्रेणी की उड़ानों में यात्रा नहीं की है। मैंने सदैव कम खर्चे वाले श्रेणी में यात्रा की है। मैंने संसद का कम से कम 10 लाख रुपया बचाया है। जे क्लास में अगर हम टिकट खरीदते हैं, तो हमें टी.ए. डी.ए. भी ज्यादा मिलता है और अगर हम इकोनोमी क्लास में चढ़ते हैं तो हमारा टी.ए. डी.ए. कम होता है, लेकिन तब भी हमने गवर्नमेंट की मदद की है। अगर हम जे क्लास में ट्रेवल नहीं करें तो एक ट्रेवल में हम तीन-तीन हजार रुपया सेव कर सकते हैं। हमारा यह सुझाव है, इसके लिए कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें दोहरे मापदंड नहीं रखने चाहिए। यह बात

[कुमारी ममता बनर्जी]

है कि हम लोग भी कभी-कभी जनता के ऊपर ऐसा असर पड़ता है कि एक तरफ सी.पी.एम. पार्टी लेती है, लेकिन हर दफा अपोज करके पब्लिक को समझाते हैं कि हमने बहुत अपोज किया, लेकिन सैलरी के लिए बहुत सारे लोग एक्सससली वेट करते हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि ये कुछ नहीं करते हैं। हर टाइम आम जनता के लिए काम करते हैं। आज कोई गवर्नमेंट हास्पीटल में इंजैक्शन भी नहीं देते, कोई हार्ट पेशेंट आता है तो एक इंजैक्शन के लिए छः हजार रुपये देना पड़ता है, इसके लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती, स्टेट हास्पीटल्स मदद नहीं करते, वह एम.पी. के पास आता है, किसी को बुक परचेज करनी है तो उसको करा दीजिए, किसी को लड़की की शादी करनी है तो करा दीजिए, किसी को मेडीकल ट्रीटमेंट कराना है, तो करा दीजिए। कोई कहता है कि हमारा घर जल गया है, कुछ नहीं है, वह करा दीजिए। यह बात नहीं है कि एम.पीज. को ज्यादा रुपया मांगने के लिए रखा है, आज अगर बिल पास हो जायेगा तो सी.पी.एम. वाले पहले रुपया लेंगे, लेकिन आप भी बाद में यह कहेंगे कि हमने अपोज किया है। मैं एक सुझाव देना चाहती हूं, आप सी.पी.एम. वालों को बोलिये कि वे लोग एक स्पीकर वैलफेयर फंड फ्लोट करें और कहें कि वे यह रुपया नहीं लेना चाहते हैं, इसे स्पीकर वाले फंड में दे दीजिए और हमारा जो रुपया है, हम अपनी गरीब जनता के लिए काम करेंगे, हम अपने लिए काम नहीं करेंगे। इसलिए महाजन जी जो यह बिल लाये हैं, सबके साथ लाये हैं और इसमें हमारा पूरा साथ चाहते हैं, एम.पी. को खुद अपने पांव पर खड़े होने देना चाहते हैं। मेरा एक सुझाव और है कि जिस दिन काम नहीं होगा, हम लोग डेली एलाउंस नहीं लेंगे, आप एश्योर कीजिए, इसमें आपको हम लोगों की पूरी मदद मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल को सपोर्ट करती हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, आज सरकार पेंशन और सैलरी संशोधन विधेयक लाई है और आज जो वक्त की नजाकत है, उसे सरकार को और सम्पूर्ण सदन को पहचानना चाहिए। निश्चित तौर पर जो यह पेंशन और सैलरी बिल आया है, इस पेंशन और सैलरी बिल के आने के बाद पूरे देश के जो समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित किये हैं, उससे आम जनता के बीच में संसद सदस्य उपहास के पात्र बने हैं और जो सैलरी और पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया पर हमें नये सिरे से पुनर्विचार करना चाहिए। प्रमोद महाजन जी, आपने कहा कि संविधान की फलां धारा को हटाना पड़ेगा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आगे भी संसद उपहास की पात्र न बने तो निश्चित तौर पर इस सदन के अन्दर आम राय बनाकर इस धारा को हटाना चाहिए और जिस तरह से नौकरशाहों या अन्य वर्ग के लोगों की तनख्वाहें बढ़ती रहती हैं, उस तरह की व्यवस्था ही हमको करना चाहिए। आज संसद में जो विधेयक आप लाये हैं, इस संशोधन विधेयक में 12 हजार रुपयों से, जो लोग हमारे घरों पर मिलने के लिए आते हैं, उनको हम चाय नहीं पिला सकते हैं। मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि वारेंट आफ प्रेसीडेंसी की जिस श्रेणी में, प्रोटोकोल की जिस श्रेणी में आपने हमें रखा है, उसके नीचे के लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है और इस संशोधन के बाद भी आप हमें क्या देने जा रहे हैं, यदि दोनों का आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो उनके आधे के बराबर भी आप हमें नहीं देने जा रहे हैं, यदि दोनों का आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो उनके आधे के बराबर भी आप हमें नहीं देने जा रहे हैं, इसलिए जो एक नकली आवरण को ओढ़े हुए हैं, इस नकली आवरण को हटाकर यथार्थ के धरातल पर हमें आना चाहिए। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितने भी संसद सदस्य हैं, ये कृषक वर्ग और मध्यम वर्ग से चुनकर आते हैं। बहुत से लोगों के लिए सैलरी का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए सैलरी का मतलब है। इसलिए हम सीधे-सीधे यह कहना चाहते हैं कि वास्तविकता को देखते हुए आपको निर्णय लेना चाहिए और इसमें परिवर्तन करना चाहिए।

अभी आदरणीय दासमुंशी जी ने अखिलेश माडल और पप्पू माडल की चर्चा की है तो मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि केवल हमने नहीं, इस देश ने बोफोर्स माडल को देखा है, इस देश ने यूरिया माडल को देखा है, इस देश ने सुखराम माडल को देखा है, इस देश ने हवाला माडल को देखा है, इस देश ने तहलका माडल को भी देखने का काम किया है। 1991 में मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य चुना गया था। फिर 1993 में दूसरी बार विधान सभा का सदस्य चुना गया। जब मैं विधायक चुना गया था, तब से लेकर बराबर लोक सभा की कार्यवाही को देखा करता था। अभी जिस तरफ हमारे माननीय सदस्य दासमुंशी जी ने इंगित किया, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे थे, वे लोग भी कभी वैल में गए हैं। जो लोग सरकार में नम्बर दो पर रहे हैं, पिछले दिनों में भी वैल में गए हैं। 13वीं लोक सभा की कार्यवाही का सारा रिकार्ड उठाकर देख लें। नेता प्रतिपक्ष भी वैल में गई हैं। इसलिए जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। छाज बोले सो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि इस तरह की आलोचनाएं बंद होनी चाहिए। आपको अपने को बहुत बड़ा विद्वान नहीं समझना चाहिए। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अभी परसों जो इस सदन के अंदर चर्चा हुई और जो विवादित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, उस पर सरकार ने एक निर्णय लिया तो जिस तरह से लोक सभा के अंदर गिड़गिड़ा रहे थे, उससे मेरे जैसे संसद

सदस्य का सिर शर्म से झुक जाता था। हम लोग तो पहली बार यहां आए हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं अगर कोई लक्ष्मण रेखा खींचनी है तो उसका पालन पहले वरिष्ठ लोगों को करना चाहिए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जबसे तय हो गया वे कभी वैल में नहीं गए हैं। अगर अखिलेश माडल और पप्पू माडल गलत है तो जिन्होंने उसका अनुसरण किया है, उनको संसद के अंदर जवाबदेही देनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अखिलेश जी, मैं माफी मांगता हूं आपसे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा।

कुंवर अखिलेश सिंह: आदरणीय नारायण दत्त तिवारी का जो आचरण है, वह 100 गुना बढ़िया है। वे हमारी पी.ए.सी. के चेयरमैन हैं। एक वरिष्ठ के रूप में हमारा मार्गनिर्देशन करते रहे हैं। एक वरिष्ठ संसद सदस्य के रूप में उनका मार्ग निर्देशन हमें देखने को मिला है, निश्चित रूप से वह हमारे लिए अनुकरणीय हैं। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उनसे मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि इस तरह के आक्षेप लगाना बंद करें।

हम प्रमोद महाजन जी को इस बिल के लिए बधाई देते हैं। उन्होंने कई बातें हमारे सम्बन्ध में सभा पटल पर रखने का काम किया है। हम इस लोक सभा के अंदर नौ बजे आते हैं और नियमानुसार नोटिस देने का काम करते हैं। नोटिस के अंतर्गत हम अपनी बात रखने का यहां प्रयास करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो भी राजनीतिज्ञों की दुर्दशा हो रही है, यह मात्र इसलिए हो रही है कि हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे पर दोषारोपण करने का कार्य कर रहे हैं। आज राजनीतिज्ञ जो हंसी और उपहास का पात्र बन रहे हैं, वह आपसी वैमनस्यता के कारण बन रहे हैं। अभी 27 करोड़ रुपए की कही गई कि यह अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह हमें अखबारों से मालूम हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर निर्माण कार्यों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लूट हो रही है, यहां तक कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत नौकरशाहों और ठेकेदारों द्वारा जो लूट की जा रही है, उसको रोक दिया जाए तो प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए से अधिक की हम बचत कर सकते हैं। अन्य तमाम निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, उनमें भ्रष्टाचार रोक दिया जाए तो हजारों करोड़ रुपए की प्रति वर्ष बचत हम कर सकते हैं।

मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब हम अपनी सैलरी को बढ़ा रहे हैं, अपनी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, तो हमें यह भी व्रत लेना चाहिए कि जो लूट हो रही है, उसको बंद करके इस घाटे को पूरा करने का काम करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि किसी प्रतिष्ठित सदस्य की भावना को ठेस पहुंचे। मैं जो कहना चाहता था

[हिन्दी]

वह यह था कि ओपोजिशन की तरफ से जो इश्यू आते हैं, सबसे ज्यादा अखिलेश जी एजीटेट करते हैं। इसको मैंने माडल के आधार पर कहा है। अगर मेरे कहने से उनको चोट पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, कृपया इसे हंसी में लें।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: अखिलेश जी ने आज तय किया है कि वे मुलायम सिंह यादव जी वाले माडल का पालन करेंगे और वैल में नहीं जाएंगे। वे कांग्रेस के माडल को फालो नहीं करेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): हम लोग नारायण दत्त तिवारी जी वाले माडल को एडाप्ट करेंगे। दासमुंशी जी ने जो बात कही है, अगर मेरी बात से उनको कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं इनके माडल का समर्थन करूंगा।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने की इजाजत दी। यह इन्तहाई सेंसिटिव बिल है। इस बिल की सारे देश के अंदर बड़े पैमाने पर चर्चा है। हिन्दुस्तान के सारे अखबारात इस बात को लिख रहे हैं कि पार्लियामेंट के मेम्बर अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अखबारात पढ़कर ऐसा एहसास होता है जैसे हम लोग किसी गुनाह के हिस्सेदार हो रहे हैं। लेकिन यह काम और इसकी जिम्मेदारी केवल दूसरों पर नहीं है।

अपराह्न 3.20 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

इसकी जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर है।

हम लोगों ने इस देश के अंदर पोलिटिकल आदमी की इज्जत को इतना खराब कर दिया है कि आज आम आदमी ने

[श्री राशिद अलवी]

पोलिटिकल आदमी पर भरोसा करना छोड़ दिया है। यह दुख और तकलीफ की बात है। यह देश दुनिया का अकेला देश है जहां एक बहिन अपने भाई की कलाई में एक कच्चा धागा बांधती है और उससे एक अटूट विश्वास पैदा होता है और उससे वह अपना विश्वास प्रकट करती है लेकिन इस देश की बदकिस्मती है कि लोगों ने राजनैतिक नेताओं पर विश्वास करना छोड़ दिया है। जहां जब मैम्बर्स की सैलरी बढ़ाने की बात आ रही है तो देश के अंदर आमतौर से इस बात को क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है जो सैलरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वह सैलरी भी इस काबिल नहीं है कि एक गरीब आदमी जो गरीब पार्लियामेंट का मैम्बर है, वह अपने आपको इस सैलरी के अंदर एफोर्ड नहीं कर सकता है।

आज स्टेट बैंक आफ इंडिया के एक चपरासी की तनख्वाह भी 12000 रुपये से ज्यादा है। जो फारेन बैंक्स हैं, उनके मामूली क्लर्क की तनख्वाह भी इससे ज्यादा है। अभी जी.टी.वी. ने एक सर्वे किया था जिसके अंदर पूछा गया था कि एमपीज को दिल्ली में रहने के लिए मकान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस पर अस्सी प्रतिशत लोगों की राय थी कि नहीं मिलना चाहिए और अगर यह पूछा जाये कि किसी चपरासी को मकान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए तो अस्सी प्रतिशत लोग कहेंगे कि मिलना चाहिए। हमने अपनी इज्जत खुद खराब करने का काम किया है। अभी परसों क्रिकेट बोर्ड ने तय किया है कि 'ए' ग्रेड के क्रिकेटर्स जो होंगे, उनको दो करोड़ रुपया सालाना दिया जाएगा। 'बी' ग्रेड के क्रिकेटर्स को एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये सालना और 'सी' ग्रेड के क्रिकेटर्स को 75 लाख रुपये सालाना दिया जाएगा। यह बोर्ड ने फैसला किया है। इतनी बड़ी रकम क्रिकेटर्स को दी जाये और पार्लियामेंट के मैम्बर्स को 12000 रुपये सैलरी पर भी लोगों के माथे पर शिकन पैदा हो रही है? मैं यहां न केवल इस बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि रिव्यू करना चाहिए और इस हद तक करना चाहिए कि आम पार्लियामेंट का मेम्बर अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। दुनिया के किसी भी एम.पी. से हिन्दुस्तान के एम.पी. की सैलरी कम है। जो फैसिलिटीज यहां एम.पीज. को दी जाती हैं, वे कम हैं। इंग्लैंड के पार्लियामैंट के मैम्बर को देखिए कि उसकी कितनी सैलरी है, उसको कितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं। उसको पूरा सैक्रेटरिएट दिया जाता है। यूनाइटिड स्टेट्स के सीनेट को देखिए। हिन्दुस्तान सौ करोड़ लोगों की आबादी का देश है जिसके अंदर करीब-करीब एक कांस्टीट्यूएंसी में एक एम.पी. 12-13 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यू.पी. में पार्लियामेंट की एक कांस्टीट्यूएंसी में 12-13 लाख से कम लोग नहीं हैं। आबादी 25 लाख के करीब है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं।

अखिलेश सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सैलरी 12000 की मिलने वाली है, उससे हम आने वालों को एक कप चाय भी नहीं पिला सकते। टेलीफोन जो बाहर रखा हुआ है, हम किसी भी अपने वोटर की दुनिया के किसी कोने में अगर वह टेलीफोन करना चाहता है तो कोई एम.पी. अपने वोटर को ना नहीं कह सकता। एम.पी. जो भी टेलीफोन करता है, वह अपने लोगों के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता है। अपने वोटर्स के लिए और लोगों को सहूलियतें पहुंचाने के लिए करता है। इसलिए मैं प्रमोद महाजन जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस पर एक बार रिव्यू करें और एम.पीज. को इतना दें कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा सके और इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि एक्स-एम.पीज. के बारे में हमें सोचना चाहिए। जो एक्स एम.पीज. हैं, हमारा कोई प्रधान मंत्री ऐसा नहीं है जो एक्स एम.पी. नहीं रहा हो। हम सबको एक दिन एक्स-एम.पी. बनना है।

एक्स-एम.पीज. की कोई बात नहीं करता है। मुझे, बिहार में एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, इन्ताह ईमानदार आदमी, एक बार कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। मैं पटना जा रहा था, उनकी यह दुर्दशा थी कि फुटपाथ पर पांच-पांच रुपए में किताबें बेचने का काम कर रहे थे। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और फुटपाथ पर पांच-पांच रुपए में किताबें बेचने का काम कर रहे थे।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): 1977 में रहे होंगे।

श्री राशिद अलवी: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। राजनीति में हम लोग इसलिए नहीं आते हैं, जब राजनीति से बाहर हो जायें, रिटायर हो जाएं, तो हमारी दुर्दशा हो। हम दूसरों को इज्जत देना चाहते हैं। इस सरकार से निवेदन करेंगे कि एक्स-एम.पीज. के बारे में जो समिति ने सिफारिशें की हैं, उन पर विचार किया जाए और उनको फैसिलिटीज देने के बारे में विचार किया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले प्रमोद महाजन जी को बधाई देता हूं। इस विधेयक पर बहस शुरू होने से पहले अपनी भूमिका में सांसदों की कठिनाई को बहुत संक्षेप में रखा है। इसके बाद कई माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। इस चर्चा में कई बातें सामने आई हैं। बहुत से माननीय सदस्यों का मानना है, जो भी पैसे बढ़े हैं, शायद इन पैसों से हमारा काम नहीं चल पाएगा। अखबारों में चर्चा है और जनता द्वारा जन प्रतिनिधियों की आवाज, इसकी भी चर्चा आई है। एक अखबार "सहारा" ने तो यहां तक लिखा है, "सांसद मालामाल"। मैं इस विधेयक पर दो-तीन बातें सदन में रखना चाहता हूं।

महोदय, अखबारों में बड़े जोरशोर से चर्चा है कि सांसदों के पैसे बढ़ गए, उनका वेतन तीन गुना हो गया। इनकी सुख-सुविधायें बढ़ायी जा रही हैं। समिति ने सिफारिश की है कि तनख्वाह 4000 रुपए से 12000 रुपए होनी चाहिए। 4000 रुपए से 12000 रुपए बढ़ाने के बाद 30 परसेंट इनकम टैक्स की व्यवस्था इसमें की गई है। अगर 12,000 रुपए में से 30 परसेंट निकाल लें, तो लगभग 4000 रुपए इसमें निकल जायेंगे। इसके बाद जो फर्नीचर भाड़े पर दिया जाता है, कुछ उसमें निकल जाएगा। यानि, 12,000 रुपए जो हमें मिलेंगे, उसमें से लगभग 6000-7000 रुपए काट कर मिलेंगे और सिर्फ 5,000 रुपए खर्च के लिए मिलेंगे। इसके ऊपर अखबार लोगों को बता रहे हैं कि सांसद मालामाल हो रहे हैं।

अब मैं अन्य सुविधाओं पर आना चाहता हूं। प्रतिदिन का भत्ता 400 रुपए से 500 रुपए किया गया है। मैं मुम्बई या मद्रास की बात नहीं जानता हूं, लेकिन उत्तर भारत बिहार और उत्तर प्रदेश में विषय में मैं जानता हूं। जब संसद का सत्र शुरू होता है, तो क्षेत्र से लोग ट्रेन पर चढ़कर दिल्ली आ जाते हैं और सांसद के घर पहुंच जाते हैं। ऐसे में सांसद के आवास का खर्च भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही चाय की व्यवस्था के साथ-साथ रहने की व्यवस्था और भोजन-पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। हमारे जैसे लोग तो एक हजार किलोमीटर दूर गांव से गेहूं-चावल ट्रेन पर लदवाकर यहां लाने काम करते हैं। इतने पैसे से उन लोगों का काम चलता होगा, जो व्यवसाय में काम करते हैं, रोजगार का काम करते हैं या दूसरे पेशे में काम करते हैं, उनका काम चलता होगा। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, जो केवल राजनीति करते हैं, उनका इस राशि से काम चलता होगा। इतनी राशि से सांसद की भूमिका ईमानदारी से नहीं होती है।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, 400 रुपए से 500 रुपए प्रतिदिन भत्ता बढ़ाया गया है। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कहता हूं, शायद ही कोई ऐसा सांसद होगा, जिसका प्रतिदिन का खर्चा एक हजार रुपए से कम होता होगा, 500 रुपए से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए रोज-रोज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप घोषणा कर दीजिए, 500 रुपए के बदले में एक हजार रुपए प्रतिदिन की घोषणा कीजिए। आप कहते हैं कि साढ़े नौ हजार रुपए आपके आफिस खर्च के लिए दे रहे हैं, इसे बढ़ा कर 14,500 कर रहे हैं। साढ़े नौ हजार रुपए में से छः हजार रुपए जो हम स्टाफ रखते थे, उसे आप वेतन के रूप में देते थे। उसे चैक मिलता है, जो उसके खाते में जाते हैं। 2500 रुपए पैड और अन्य खर्चों के लिए देते हैं। 1000 रुपए डाक टिकट के लिए देते थे। आप जो पी.ए. का वेतन देते थे, उसके अलावा आप साढ़े 14 हजार रुपए कर रहे हैं। अगर आप उसी में से कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि साढ़े 14 हजार रुपए वापस ले लीजिए और आप हमें सरकारी कर्मचारी दे दीजिए, जो हमारे पी.ए. का काम करे। हमें पैसे की जरूरत नहीं है। आप जितने पैड की हमें जरूरत है, उसे पूरा कीजिए।

महोदय, दिल्ली में जो सांसद को जिन्दगी है, उसे जितना परिश्रम करना पड़ता है, कागज और कलम का उपयोग करना पड़ता है, स्टाफ रखने के लिए उसे पैसे की कहीं न कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है - कोई मुफ्त में नौकरी नहीं कर सकता, उसे पैसे देने पड़ते हैं - इसलिए साढ़े 14 हजार रुपए बहुत कम हैं। आप इस पैसे को वापस ले लीजिए, यह हमें नहीं चाहिए। आप हमें पैसे मत दीजिए। अगर आप इसे पैसे के रूप में देना चाहते हैं तो आप जितना खर्च हो सके वह करिए, हम संसदीय भूमिका का निर्वाह कर सकें उस हिसाब से आप पैसे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, भ्रमण के नाम पर जो हजार रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है, किसी भी संसदीय क्षेत्र का बनावट और खास कर वैसा क्षेत्र, जो किसी न किसी प्राकृतिक कारणों से टुकड़ों में बंटा हुआ है, नदियों और दरियाओं के बीच में बंटा हुआ है, जो एक-दो-तीन जिलों के बीच में बंटा हुआ हो, उसका अगर नक्शा देखा जाता है तो भारत के नक्शें में जैसे सांप की तरह घूमता हुआ है। उस क्षेत्र का भ्रमण करने में अगर महीने में 20 दिन का भी समय निकल जाता है तो कोई भी सांसद पैदल उस क्षेत्र में नहीं घूम सकता है। अगर वह गाड़ी पर घूमेगा तो गाड़ी, पेट्रोल और ड्राइवर का प्रतिदिन का 1500-2000 रुपए देना पड़ता है। आप दो हजार बढ़ाते हैं तो वाहवाही लूटते हैं और अखबार वाले भी छापते हैं। हम अखबार वालों को आपके माध्यम से निमंत्रण देते हैं कि वे आएं और हम से मिलें। वे सारे पैसे ले लें और पूरे महीने का खर्चा और भ्रमण क्षेत्र का काम चलाएं। ये लोग नौकरी करते हैं तो 50,000 रुपये से एक लाख तक लेते हैं। हम अपने 24 घंटे के समय में से 18 घंटे का समय जनता की सेवा में देते हैं। सुबह उठ कर संसदीय कार्य करते हैं और रात को उनसे बात करते हैं। अस्पताल में मरीज का इलाज कराना और अन्य कई तरह के काम कराते हैं तो हम पर इस तरह के कमेंट किए जाते हैं। अगर इस तरह की पत्रकारिता हुई तो क्या यह एक खोजी पत्रकारिता का ही उदाहरण होगा। जो सच्चाई को जनता के सामने न लाएं और इस प्रकार गलत तरीके से कमेंट किए जाएं।

प्रमोद महाजन जी ने दो बातें बड़ी ईमानदारी पूर्वक स्वीकार की हैं कि सब टेलीफोन अपने लिए ही नहीं किए जाते और पानी भी सिर्फ अपने ही सांसद नहीं पीते। पत्रकार भी कभी-कभी चले जाते हैं तो उन्हें भी बोतल से पानी पिलाना पड़ता है और उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। यदि सरकार महसूस करती है कि टेलीफोन सिर्फ अपने काम के लिए नहीं, यह जनता की सेवा में प्रयोग किया जाता है तो यह जो आपने 2000 रुपए से 4000 रुपए और 25000 रुपए से 50000 रुपए बढ़ाए हैं, इसे आप बिल्कुल समाप्त कर दीजिए। आपने मंत्रियों के टेलीफोन फ्री किए हुए हैं। उनके

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

यहां पानी के पैसे भी नहीं लगते हैं, सांसद क्या लोअर ग्रेड के हो गए - ऐसा नहीं होना चाहिए। आप टेलीफोन और पानी की जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार मुफ्त मुहैया कराइए। उस पर आप किसी तरह का प्रतिबंध न लगाएं। बिजली की भी आप व्यवस्था कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो और बिन्दुओं पर बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आजकल सांसदों की कार्यशैली पर टीका-टिप्पणी होती है, उनके वैल में जाने पर टीका-टिप्पणी होती है, हालांकि हम इसके भुक्तभोगी भी हैं और वैल में जाने पर एक घंटे की सजा भी पा चुके हैं, लेकिन वैल में जाना और प्रोटैस्ट करना किसी नियम के विपरीत नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि जब अपनी बात रखवानी होती है तो उसे मजबूती से रखने के लिए वैल में जाकर प्रोटैस्ट किया जाता है। उससे सदन का कोई अपमान नहीं होता। इसलिए आप इन सब बातों को गम्भीरता से लें। आये दिन इन कारणों से संसद बंद हो, यह कोई सदस्य नहीं चाहेगा। लेकिन प्रोटैस्ट का एक तरीका होता है, जनता के सवाल पर अगर प्रोटैस्ट नहीं किया जाए तो हम यहां किराने की नौकरी करने या मेजें थपथपाने के लिए नहीं आये हैं। जनता की आवाज बुलन्दी के साथ उठाने के लिए वैल में आना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जहां तक सांसदों की ईमानदारी पर अविश्वास का सवाल उठता है, आप कमेटी बनाकर पूरे देश में इस बात की जांच करवा लें कि कितने लोगों ने दिल्ली जैसे शहर में मकान बनाया हुआ है और कितने ऐसे लोग हैं जो छोटी नौकरी करके दिल्ली में मकान बनाये हुए हैं। जब से आजादी मिली है, तब से संसद का जीवन शुरू हुआ है, तब से अब तक कितने लोग सांसद बनकर आये और कितने चले गये। आप उन मकानों का आकलन करा लीजिए कि कितने लोग सांसद होने पर धनी बने हैं। आज हम सांसद कहीं जाते हैं तो किसी से गाड़ी मांगते हैं, किसी से तेल भरवाने के लिए कहते हैं। लेकिन संसद के पद से हटने के बाद सांसद की क्या स्थिति होती है।

प्रमोद जी आप मुम्बई के रहने वाले हैं, आप गांव की स्थिति नहीं जानते होंगे। गांव की स्थिति आपने नहीं देखी होगी। हम गांव में पैदा हुए हैं, हम गांवों की स्थिति जानते हैं। आज भी हम लोगों में देखते हैं कि जो लोग संसद या विधायक रह चुके हैं, उनके बदन पर पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते हैं। उनके पास खाना नहीं होता है, उनके परिवार के भरण-पोषण में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से सांसद जो अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनकी पेंशन के बारे में आप गम्भीरता से विचार करें। कोई भी सांसदों की ईमानदारी पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता है। जो कोई सांसदों की ईमानदारी पर प्रश्नचिह्न लगाता है वह दुनिया का सबसे बेईमान व्यक्ति होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप इसकी समीक्षा करके पैसा बढ़ाने का काम कीजिए, केवल इससे काम चलने वाला नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी सदन की नियमावली बदल रहे हैं कि जो भी सांसद वैल में जायेगा वह पांच दिन के लिए सदन से अपने आप निष्कासित हो जायेगा। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप ऐसा मत कीजिए। नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने सदस्यों को वैल में न जाने दें। लेकिन अपवादस्वरूप अगर कोई वैल में चला जाए तो यह कोई खास बात नहीं है। नियमावली बदलकर जिस दिन लागू होगी तो उसे सबसे पहले मैं ही तोड़ूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): इस तरह से सदन कैसे चलेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं यह नियम तोड़ने का ऐलान करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, स्वयं अपने से संबंधित बात पर अपने को सही साबित करना उलझन भरा कार्य है। यह विधेयक स्वयं हम लोगों से संबंधित है। लेकिन यह सर्वोच्च निकाय है। हम सामूहिक निर्णय ले रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। एक बार सामूहिक निर्णय हो जाने पर फिर उस पर किसी प्रकार का प्रभाव या पक्षपात नहीं होता। श्री के.पी. सिंह देव और उनके दल के सदस्यों द्वारा कुछ शोध किये गये हैं। उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं जिन पर संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दे दिया है। मैं सहमत हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने नैतिकता पर सवाल उठाया है। हम सामूहिक रूप से निर्णय ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी किसी और निकाय पर नहीं डाली जा सकती। नकद के रूप में हमें 500 रुपए वेतन और दैनिक भत्ता पाते हैं। इसके अलावा संसद सदस्यों को कोई दूसरा भत्ता नहीं मिलता है। हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय और अन्यों को अधिक सुविधायें मिलती हो। यदि हम सत्र में उपस्थित हों और रजिस्टर में हस्ताक्षर करें तो 12000 रुपये और 500 रुपये मिलेंगे। इस पर आयकर भी लगेगा। यह सभी जानते हैं। तो हम घर पर कुल कितना वेतन ले जाते हैं? क्या यह उस सदस्य के लिये पर्याप्त होगा जो कि मात्र वेतन पर ही जिन्दा रहना चाहता है? कुछ सदस्यों की आय के अन्य स्रोत होंगे लेकिन अनेक सदस्यों के पास इस वेतन के अतिरिक्त आय का अन्य स्रोत नहीं है। किसी संसद सदस्य के लिये वेतन पर निर्भर रहना कठिन होगा। हमें पाखंडी नहीं होना चाहिये। हमें स्पष्ट होना चाहिये। दूसरे

मुद्दों पर बहस में भाग लेते समय सदस्य कहते हैं कि हमें पारदर्शिता अपनानी चाहिये। क्या हम इस मामले में पारदर्शिता अपना रहे हैं? कृपया अपने दिल पर हाथ रखकर बतायें क्या ईमानदारी का जीवन जीने के लिये यह वेतन पर्याप्त है? यदि यह सही है तो इसमें बढ़ोत्तरी करने की कृपा न करें। अन्यथा, यह देखे कि सदस्य आराम का जीवन जीयें। वे इसके अलावा कहीं और से धन न प्राप्त करें। हमें चाहिये कि उन्हें उत्तरदायी और ईमानदार जीवन जीने दें। सदस्यों को सम्मान से जीना चाहिये। ताकि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों से धन एकत्रित करने की आवश्यकता न पड़े। अन्यथा, सदस्यों को उनसे भोजन और चाय लाने को कहना पड़ेगा। यह नहीं होना चाहिये। बात यहीं पूरी नहीं होती है। इसे हम कुछ समय के लिये स्वीकार कर सकते हैं। इस पर समय-समय पर विचार किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि इस पर तीन वर्षों के बाद पुन: विचार किया जाना चाहिये। तीन वर्षों के बाद ही क्यों? समय का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। यदि बीच में कोई बदलाव आता है तो इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। बाजार की स्थिति, जीवनयापन की स्थिति और मुद्रास्फीति के दबाव को ध्यान में रखते हुए, इस पर पुन: विचार किया जाना चाहिये ताकि माननीय सदस्य सम्मानजनक जीवन जी सकें। तभी वे अपना कर्त्तव्य ईमानदारी से निभा सकेंगे। हममें से बहुतों के पास कोई अन्य रोजगार नहीं है। मैं इस सभा में देखता रहता हूं। मुझे प्रतिदिन इस सभा में उपस्थित होने, अपने को तैयार करने और आने में 12 से 15 घंटे का समय लगता है। अत: मेरे द्वारा कहीं दूसरी जगह से धन कमाने का सवाल ही कहां है? कृपया इस विधेयक को सर्वानुमति से स्वीकार करें।

डा. रमैया 'गरू' बता रहे हैं कि भत्तों पर आयकर लगेगा। कृपया सुनिश्चित करें कि भत्तों पर कर न लगे।

जब वेतन 4000 रुपये था तो कार खरीदने के लिये एक लाख का ऋण मिलता था। अत: यह भी अपने आप बढ़ा दिया जाना चाहिये। यदि कोई भारतीय कार खरीदी जानी हो तो कम से कम 'इन्डिका' की कीमत के बराबर ऋण दिया जाए ताकि कोई सदस्य डीजल से चलने वाली 'इन्डिया' खरीद सके। सदस्यों को भी अपने साधन के अनुसार रहना चाहिये। मितव्ययिता भी होनी चाहिये। दूसरों को ऐसा लगना चाहिए कि हम अत्यन्त सरल जीवन जी रहे है ताकि वे हमारी आलोचना न करें। और सब कुछ सुविधाओं के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पूर्णत: उचित है। मैं अपने दल की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सैलरी से संबंधित विधेयक लाते हुए दावा किया है कि इससे संबंधित कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हम यह विधेयक लाए हैं। उन्होंने बार-बार सफाई देने का काम किया कि अपराध-बोध हमें नहीं है। उनके कहने से लगता है कि कुछ अपराध बोध है और उसकी काट में ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं है और भी विधेयक और कांस्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट बिल यहां आते हैं, उनके भी पक्ष और विपक्ष में बहस होती है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने सही कहा है कि संसद के लोग खुद ही अपना वेतन बढ़ायेंगे का वेतन तय करेंगे। उसमें इतना जरूर मैं महसूस करता हूं कि चूंकि अपना ही वेतन तय करना है और संविधान में प्रावधान है इसलिए वाजिब होते हुए भी हमने बार-बार सहम-सहम करके बढ़ाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जितनी बार भी वेतन बढ़ाया गया है उतनी ही बार अखबार में छप जाता है। 200 रुपए भी यदि वेतन बढ़ा होगा, भले ही उससे ज्यादा महंगाई बढ़ गई हो, तो भी अखबार में छप जाता है और आलोचना जरूर होता है। इसलिए मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि कैसे पिछली बार से अब तक तीन बार अखबारों में छप चुका है कि सांसदों का वेतन दोगुना हो गया, तीन गुना बढ़ गया, लेकिन वह बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। आज इस पर चर्चा प्रारंभ हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष बैठकर कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिससे हमारा वेतन भी बढ़ा जाए और समाचारपत्रों में बेकार के समाचार न छपें। जो भी वेतन में बढ़े वह वाजिब हो अथवा कोई ऐसी इंडिपेंडेंट बाडी हो, जो हमारे वेतन और भत्तों के बारे में डिसाइड करे। सब सांसद लोग तो रोना रो रहे हैं कि उनका वेतन कम है। इतने में गुजारा नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, जो वेतन सांसदों को अभी मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे बहुत से सांसद होंगे, लेकिन आपको उनका ख्याल नहीं रखना है बल्कि उनका ख्याल रखना चाहिए जो आम सासंद हैं और जिनका गुजारा इसी वेतन पर होता है। पहले स्टेशनरी का पैड आपके यहां से 8 रुपए में 50 पन्नों का मिलता था। वह बढ़ाकर अब 13 रुपए का कर दिया गया है। केवल यही नहीं, हर चीज के दाम इसी प्रकार से बढ़े हैं। इसी प्रकार से लिफाफे के दाम भी बढ़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि क्षेत्र में किसी के यहां शादी है, उसमें जाना है, तो 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाकर जाना पड़ता है। पहले 1978 में 11 रुपए यदि लड़की की शादी में दे दिए, तो बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन अब कम से कम 101 रुपए देने पड़ते हैं। इतनी दूर जाने में हुए पेट्रोल और ड्राइवर का खर्च वह अलग है। यदि शादी में नहीं जाएं, तो वे बुरा मानते हैं।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

सांसदों की पीड़ा अनन्त है। मैं उनकी पीड़ा और तकलीफ का बयान नहीं कर सकता। यदि कोई मेहमान आ जाए, तो चलते वक्त ही पूछना पड़ता है कि चाय पिओ, जिससे वे मना कर दे। इस प्रकार से हम उसका स्वागत भी करना चाहते हैं और कुछ खर्च भी नहीं करना चाहते। इस पीड़ा को माननीय मंत्री जी समझते हैं। इसलिए जो सांसद साधारण हालात के हैं, उनकी पीड़ा को जरूर देखना चाहिए और जरूर विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो सांसद 11वीं लोक सभा के सदस्य बने और लोक सभा भंग होने के बाद 12वीं और 13वीं लोक सभा में चुनकर नहीं आ सके, उन्हें पेन्शन नहीं मिली। क्या वे संसद के सदस्य नहीं थे? आपके माध्यम से मेरी मांग है कि ऐसे सांसदों को जिन्होंने शपथ ले ली हो, चाहे लोक सभा अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण बिना ही भंग हो गई हो, उन्हें भी पेंशन मिलनी चाहिए। जब मंत्री जी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सांसदों का वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि उसी कमेटी ने उन सांसदों को पेंशन देने की भी सिफारिश की है। फिर उस विधेयक को क्यों पेश नहीं कर रहे हैं। हम अपने वेतन बढ़ाने की बात करेंगे, तो हमें अपराध-बोध हो सकता है, लेकिन जब हम भूतपूर्व सांसदों को पेंशन देने अथवा उनकी पेंशन बढ़ाने की बात करेंगे, तो फिर उसमें अपराध-बोध किस बात का। इसलिए अपने संरक्षण के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए। इस पर आपको विचार करना चाहिए और उन्हें पेंशन देने का बिल लाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राशिद अलवी जी ने कहा कि दुनियाभर में, कहीं भी, किसी भी देश में देख लीजिए सांसदों को इतना कम वेतन कहीं नहीं मिलता, जितना हिन्दुस्तान में मिलता है। वे दूसरे देशों के उदाहरण दे रहे थे। मैं हिन्दुस्तान की ही बात कह रहा हूं। आप हिन्दुस्तान की विधान सभाओं को देख लीजिए जिनके सदस्यों को सांसदों से ज्यादा वेतन और भत्ते मिलते हैं। यहां सांसदों को विधान सभा के सदस्यों से कम सुविधाएं हैं। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं जब मैं 1996 में आया था तब 50 हजार कार के लिए लोन मिलता था।

उस पर 15 प्रतिशत इंटरस्ट क्यों है जबकि बैंक में 12 प्रतिशत इंटैरस्ट है। 50,000 रुपये में कौन सी गाड़ी आती है? जब कुछ हल्ला हुआ तो 50,000 रुपये का एक लाख रुपये हुआ लेकिन एक लाख रुपये में कौन सी गाड़ी है? आपको एक लाख रुपये का लोन करने में अपराध बोध हो रहा था। लोन अनिवार्य रूप से वापिस करना है, वह डूबने वाला नहीं है, वह एन.पी.ए. में भी नहीं जाना है, वह वसूल होना ही है, फिर इसमें कंजूसी क्यों करते हैं। बैंक से भी ज्यादा इंटरस्ट क्यों रखा है। यह मुनाफाखोरी है। इस देश में बैंक का कानून अलग है, बैंक से कम ब्याज पर ऋण लेंगे, उसका कुछ न्याय, विधान होना चाहिए, कुछ उपाय होना चाहिए। हम पांच रुपये में पार्लियामेंट की गाड़ी में जाते हैं। पांच रुपये का क्या मतलब है? कभी-कभी हम पैदल चले जाते हैं कि पांच रुपये बच जाएंगे, कभी-कभी कोई अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। ऐसी ही श्रीमती फूलन देवी की जान चली गई। इसमें कठिनाई है। गांव का व्यक्ति चार हजार रुपये में बी.पी.एल. से भी कम में रहेगा तब जीएगा। यह ठीक है कि वाजिब बात होने पर भी कई लोग करना नहीं चाहते। सोमनाथ दादा कहते हैं कि बहुत आलोचना होती है।

मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक आदमी ने एक घोड़ा खरीदा। उसने घोड़े पर अपने लड़के को बिठा दिया और खुद साथ पैदल चलने लगा। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो कहने लगे कि कैसा लड़का है, खुद घोड़े में बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। फिर उसने बाप को घोड़े पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। लोग फिर कहने लगे कि कैसा आदमी है, लड़के को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े में बैठा है। उसके बाद दोनों घोड़ें में बैठ गए। जब वे दोनों घोड़ें पर बैठ कर जाने लगे तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि कैसे बेवकूफ हैं, दोनों घोड़े पर बैठे हैं। उसके बाद में दोनों घोड़े से उतर गए और घोड़े को कंधे पर लाद कर चलने लगे। रास्ते में एक पुल में घोड़ा बिदक गया और सब गिर गए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है।

एक कहानी और सुनाता हूं। एक कलाकार ने मूर्ति का निर्माण किया और ऊपर टांग दिया और यह कहा कि जहां-जहां से यह खराब है, वहां चिह्न लगाएं। थोड़ी देर बाद कोई जगह नहीं बची थी जहां खराब का चिह्न नहीं लगा। उसके बाद उसने दूसरी मूर्ति टांग दी और कहा कि जहां-जहां अच्छा है, उस पर चिन्ह लगाएं। सम्पूर्ण मूर्ति में चिह्न लग गया कि सम्पूर्ण मूर्ति अच्छी है। इन दोनों दृष्टांतों को देखने से पता लगता है कि कुछ भी करने से आलोचना अवश्य होती है। लोगों को कुछ कहने के लिए मसाला चाहिए। इसलिए असलियत और ट्रांसपैरैंसी पर विचार करना चाहिए।

इसमें कुछ लोगों ने आचरण पर भी विचार किया। महात्मा गांधी ने सिविल नाफर्मानी का नियम बनाया था कि अंग्रेजी सल्तनत से लड़ना था। धारा 144 के अंतर्गत अगर पांच की जगह छः लोग चलेंगे को जेल में जाएंगे। सत्ता पक्ष के लोग निरंकुश हो जाते हैं तो लड़ना पड़ता है। आदमी जान-बूझकर कानून तोड़ता है। यह सही है कि वह खिलाफ में लड़ता है तो उसे पता होता है कि इसके लिए हमें सजा मिलेगी। हमने कई बार गाड़ी के शीशे तोड़ कर कह दिया कि एफ.आई.आर. दर्ज कीजिए, जेल भेजिए। ऐडमिनिस्ट्रेशन छटपट करने लगा।...*(व्यवधान)* यहीं हमारे कहने का कुछ असर हुआ।

अपनी सीट से बोलने का कानून है, वह किसी ने पढ़ा है, मैं उसका 100 परसेंट पालन कर रहा हूं। अपनी सीट से ही बोलने का नियम में लिखा हुआ है, भाषण देकर तुरन्त चले जाने का नियम नहीं लिखा हुआ है, कितने आदमी उसका पालन करते हैं? उसमें पहले से भी कानून बना हुआ है, कि आसन की इजाजत नहीं मानने से उन पर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा कानून तो यहां यह है कि आसन की इजाजत से हम लोग चलते हैं, लेकिन कभी-कभी जनता के सवाल पर हम लोग लड़ने लगते हैं। हिन्दुस्तान की महिला सीता लक्ष्मण रेखा परवाह नहीं करती तो लड़ने वाले हम इस कानून कायदे की परवाह करेंगे? जनता की हिफाजत और जनता के सवाल उठाने के लिए चाहे जहां तक जाना होगा, वहां तक हम लोग जाने वाले हैं 'मुझे न कछु बांधे कर लाजा, कीन्हि कहों मैं प्रभु कर काजा' जिस जनता के भेजने से हम आते हैं, उसके लिए हम लोगों को कोई मान-अपमान का ख्याल नहीं है। जनता का सवाल उठाने के लिए हम लोग हैं, उसे उठाएंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। संसद में क्यों इस तरह की कठिनाई होती है, सरकार समझती है कि केवल किसी बात को टाक्ड आउट करा दिया जाये, उससे मामला खत्म नहीं होगा। सरकार की जिम्मेदारी केवल भाषण की नहीं है, भाषण की जिम्मेदारी केवल विपक्ष की है, सरकार की जिम्मेदारी एक्शन करने की है। तहलका में दो आदमी पकड़े गये और उस पर एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं हुई और तहलका के अखबार में अभी छपा है तो अखबार की रिपोर्ट पर गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो हो रहा है। इस तरह से अन्याय का आचरण जब होता है तो केवल बात से नहीं, उससे लड़कर हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं और एक्सपोज करना चाहते हैं कि असलियत क्या है। सरकार भूल जाती है कि केवल बात से काम नहीं चलेगा, यह केवल डिबेटिंग हाल नहीं है, यह संसद है, वह सरकार है, मैं विपक्ष हूं, दोनों से सदन चलना है, हमें केवल बोलना है, उनको बोलना भी है और काम भी करना है और गड़बड़ काम भी करना है तो गड़बड़ काम जब होगा तो हम बोलने से थोड़ा आगे करने तक बढ़ जाते हैं, इसलिए परस्पर चलते हैं। उधर पक्ष है तो इधर विपक्ष है, लेकिन मजबूत विपक्ष है और ये दोनों समाज का आईना हैं, जनता का रूप हैं, इसमें बुझाना चाहिए कि जनता तबाही में रहेगी और यहां कहेंगे कि अनुशासन है। जनता को कठिनाई होगी तो यहां अनुशासन, कानून कायदा हम लोग नहीं मानने वाले हैं और जो कार्रवाई हो, उसके लिए हम मान लेते हैं कि कार्रवाई होगी, फिर भी उसको हम लोग भुगतेंगे और फिर भी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे और जनता की हिफाजत, जनता का सवाल, जनता की समस्याओं, कठिनाई और सरकार के द्वारा जो नाजायज काम होता है, उसको रोकने और ठीक करने के लिए हम हर स्तर तक जाएंगे, लेकिन यह सदन है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बिल पर कब बोलेंगे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर तो जब एक्स एम.पी. का जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें अभी एक्स एमपी का नहीं है, तब हम समर्थन करेंगे। एम.पीज. को, हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए, समर्थन करने के लिए यह कर दिया, लेकिन तहलका के लिए भी तो कुछ करिये। एक्स एम.पी. वाली जो सहूलियत है, उसको यो जोड़ दें, तब हम इसका समर्थन करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री अजय चक्रवर्ती जी बोलेंगे। कृपया संक्षेप में बोलें। हम इस विधेयक पर पहले ही, दो घंटे समय खर्च कर चुके हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। हमारे माननीय और उल्लसित संसदीय कार्य मंत्री ने मीडिया और जनता के प्रति 'लापरवाहीपूर्ण' रवैया अपनाते हुए इस विधेयक के पक्ष में बड़े-बड़े तर्क दिए हैं। समय की कमी के कारण मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन महोदय, मेरा इस सदन के सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि वे इस विधेयक पर विचार करें। हम राष्ट्र के समक्ष एक गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। वे संसद सदस्य जो कानून बनाने वाले हैं, वहीं अपने वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं यह निर्णय न्याय विरुद्ध, अनुचित और अनैतिक भी है।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, हमारे देश की गरीब जनता दिन-प्रति-दिन गरीब होती जा रही है। हमारे देश की 70 प्रतिशत से ज्यादा जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। उद्योग बंद होते जा रहे हैं। हजारों कामगार बेरोजगार होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यह निर्णय न केवल हमारे लोकतंत्र के उपहास के समान है अपितु यह न्याय विरुद्ध अनुचित और अनैतिक भी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि माननीय अध्यक्ष महोदय एक स्वतंत्र समिति गठित करें और वे अपने ही विवेक से उस समिति के विचारार्थ विषय और उस समिति के गठन के संबंध में निर्णय लें।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

महोदय, कुमारी ममता बनर्जी ने हमारे प्रतिष्ठित सहयोगी श्री सोमनाथ चटर्जी पर कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाए थे। मुझे कुमारी ममता बनर्जी से सहानुभूति है। पश्चिम बंगाल की जनता ने हाल ही में राज्य में हुए चुनावों में उनको बिल्कुल सही जवाब दिया है। संभवत: उन्होंने राजग सरकार में शामिल होने के उत्साह में उन पर ये आरोप लगाये हैं। मैं इन सब बातों की न तो गहराई में जाना चाहता हूं और न ही उनका विरोध करना चाहता हूं मैं उन्हें और साथ ही इस सम्माननीय सभा के अन्य सदस्यों को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि संसद सदस्य बनने से पहले मैं न्यायालय में वकालत किया करता था। लेकिन संसद सदस्य बनने के बाद मैं एक दिन भी अदालत में नहीं गया।

महोदय, सच्चाई तो यह है कि संसद सदस्य ऐसी नाजुक स्थिति में अपने वेतन और अन्य भत्ते बढ़ा रहे हैं जो इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है। यह बिल्कुल अनुचित और अनैतिक है। मेरा अनुरोध है कि इस प्रयोजनार्थ एक स्वतंत्र समिति गठित की जाये, उसकी सिफारिशों की पुनरीक्षा की जाएं और उसके माननीय अध्यक्ष महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उसके बाद, स्वत: ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तथापि, इस वर्तमान स्थिति में मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: राधाकृष्णन जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पर 3 दिसंबर, 2001 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि राजनीति कोई पेशा नहीं है लेकिन पेशेवर लोग राजनीति में आ गये हैं। अपराधी लोग भी राजनीति में आ गये हैं। अपराधी और व्यावसायिक लोगों का यहां आधिपत्य हो गया है। इसीलिए मैं यह तुलना कर रहा हूं। राजनीति सेवा के अलावा और कुछ नहीं है और इसलिए हमें उस दृष्टिकोण से इस मामले को देखना होगा।

महोदय, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जन साधारण ने ही हमें चुना है। वह संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और हम यह समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। सामान्यत: जनता संसद सदस्यों के वेतन में वृद्धि करने के पक्ष में नहीं है। हम भी उनमें से एक है। संसद सदस्य लोगों का ही हिस्सा है और लोग अब कष्ट झेल रहे हैं। सब जगह बेरोजगारी है। स्थिति ऐसी आ गई है कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। वे भूखे मर रहे हैं। संसद सदस्य के रूप में हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। कभी-कभी हम सभा को ठीक ढंग से चलने तक नहीं देते। लोगों को वह सब नहीं मिलता जिसकी वो हमसे आशा करते हैं। इस सभा की अपनी गरिमा है, और वह अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करने का यह सबसे अनुपयुक्त समय है।

संभवत: हमारे विचार से वेतन में वृद्धि करना उचित हो सकता है लेकिन मोटे तौर पर जनता हमारे साथ नहीं है। वे इसे अन्यथा लेते हैं। इस सबका कारण हमारा आचरण है। जिस तरह से हम सभा में रोज बर्ताव करते हैं, उससे सभा के बाहर आम आदमी की आंखें खुल जाती हैं। वह बहुत परेशान हो जाता है। वह हमारे आचरण के प्रति चिंतित हो गया है। वह हमारे आचरण को देखकर बहुत दु:खी हो गया है। आम तौर पर जनता इस वृद्धि के पक्ष में नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि जनमत प्राप्त करने के लिए यह मामला उन तक भेजा जाये। सामान्य रूप से हमें जनता की राय जाननी चाहिए। हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे वेतन में वृद्धि करने संबंधी इस मुद्दे पर उनके क्या विचार है।

मैं कुछ सुविधाएं दिए जाने से मना नहीं कर रहा हूं। उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हम वेतन में वृद्धि की बात करते हैं, तो कई अन्य बातें भी हैं जिन पर हमें विचार करना होगा और वे बातें हमारे पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। हमें आम आदमी को नहीं भूलना चाहिए। वही हमारा मालिक है। वह हमारे कार्यकरण से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए हमें सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह भावी अनिष्ट का स्पष्ट संकेत देने वाली उस कठिन स्थिति का ध्यान रखें जिसका हम सामना कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह हमारे वेतन बढ़ाने संबंधी इस मुद्दे को न उठायें। मैं उनसे इस विधेयक पर और आगे चर्चा किए बिना इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना): जो सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं, वे लोग आश्वासन दें कि वे बढ़ा हुआ वेतन नहीं लेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मलयसामी के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: रामानन्द सिंह जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आप इस तरह नहीं बोल सकते।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चैन की सांस लें, इसलिए मैं केवल दो-तीन मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

महोदय, मुझसे पहले दोनों ओर से जितने भी माननीय सदस्यों ने श्री सोमनाथ चटर्जी से लेकर श्री वरकला राधाकृष्णन तक अपनी-अपनी बात कही है, मैंने उस सभी की बातें सुनी हैं। मैंने यह देखा कि मेरे अधिकांश सहयोगियों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं भी विभिन्न कारणों से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि यह कानूनी रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से गलत है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कानूनी और प्रक्रियात्मक, दोनों दृष्टि से सही है। इस विधेयक को संविधान और संविधान के अंतर्गत बनाए गए नियमों का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले भी इस संसद द्वारा संसद सदस्यों के वेतन में वृद्धि अथवा निर्धारण का कार्य भी उसी अधिकार के आधार पर किया गया था। स्थिति के अनुसार समिति गठित की गई थी और उस समिति ने इस मुद्दे की गहराई से जांच की। इस विधेयक के समर्थन में कई विचार प्राप्त करने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैंने उस रिपोर्ट का काफी ध्यान से अध्ययन किया था। मुझे उस समिति द्वारा की गई सिफारिशों में कुछ गलत नहीं लगा।

जो सदस्य इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि समाचार पत्रों में इस विधेयक की आलोचना की जा रही है और जनता भी इस विधेयक की आलोचना कर रही है। जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के अपने मित्रों के साथ इस पर चर्चा कर रहा था तो उन्हें सारी पृष्ठभूमि बताने के बाद उन्होंने भी यही महसूस किया कि संसद सदस्यों को बढ़े हुए वेतन देने में कोई हर्ज नहीं है जिससे वह अच्छा जीवन जी सकें। कोई बेहद सुखद जीवन भले ही न बिताये लेकिन एक अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ बुनियादी चीजें तो होनी ही चाहिए। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद सरकारी नौकरी में यहां तक कि एक आम दफेदार अथवा ड्राईवर की तनख्वाह भी प्रतिमाह लगभग 7000 से 8000 रुपये है जबकि हमारा वेतन प्रतिमाह केवल 4000 रु. है। इसे बढ़ाकर 12000 रुपये करने की मांग की जा रही है। कह सकते हैं कि यह तीन गुना अधिक है। लेकिन वेतन के रूप में हमें कुल मिलाकर जो राशि दी जायेगी वह सिर्फ 12,000 रु. है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में यह वेतन एक भूखे हाथी के लिए मूंगफली जैसा है।

मेरे माननीय सहयोगी श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने सही कहा है कि 'आप सारा वेतन रहने दीजिए और हमें ये सभी सुविधाएं दे दीजिए।' यदि ऐसा हुआ तो, वे जितना वेतन देने का सुझाव दे रहे हैं, यह उससे भी लगभग तीन-चार गुना ज्यादा होगा। मैं यह कह रहा हूं कि जहां हम दूसरों के लिए लड़ते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहीं हमें अपने लिए भी लड़ना होता है हमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब हमारे लिए कोई लड़ने वाला ही नहीं है तो हमें स्वयं अपनी समस्याएं सुलझानी होंगी और ऐसा ही किया गया है।

हमारे कुछ सहयोगियों ने कहा है कि यह विधेयक लाने का उचित समय नहीं है। लेकिन मेरे विचार से यही उचित समय है जब हम इस पर विचार करें। इसमें पहले ही विलंब हो चुका है। कभी न करने से अच्छा है देर से काम शुरू करना।

मैं इस विधेयक के औचित्य की गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका औचित्य बिल्कुल स्पष्ट है। एक संसद सदस्य जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति काफी ईमानदार है, को एक ही दिन अपने पूरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के लिए केवल ईंधन पर ही लगभग 1000 रु. खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह हमें उस पर काम करना होगा। आप हमें जितना भी वेतन देंगे, वह भी नगण्य है। मैं ईमानदारी के साथ ऐसा कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक जो सदन में प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से करता हूं।

इस विधेयक पर काफी चर्चा हो चुकी है। केवल कम्युनिस्ट सांसदों और हमारे एक साथी, श्री राधाकृष्णन जी ने विरोध किया है। मैं अपने कम्युनिस्ट सांसदों से उम्मीद करूंगा कि यह विधेयक तो पास हो जाएगा, जैसा उन्होंने कहा है, वैसे वे करेंगे भी। आप लिख कर दीजिए कि वेतन भत्ता जो बढ़ेगा, उसको नहीं लेंगे। *...(व्यवधान)* दो तरह की बात करना, ठीक नहीं है।*...(व्यवधान)* महोदय, मैं पश्चिम बंगाल गया था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस विधेयक पर अपनी बात कहिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव: महोदय, मैं इस विधेयक पर ही अपनी बात कह रहा हूं। मैंने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले का दौरा किया। गरीबी से सभी को दु:ख होता है। सांसदों को भी दु:ख होता है, हिन्दुस्तान की गरीबी से सरकार को भी दु:ख होता है, अकेले कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को दु:ख नहीं होता है। मैंने मिदनापुर जिले का दौरा किया, पूरे हिन्दुस्तान में जो गरीबी है, उतनी मिदनापुर जिले में हैं और वहां 35-40 साल सरकार चलाते हुए हो गए हैं। हमारी बहन ममता जी ने कहा कि विधायकों का वेतन भत्ता विधान सभाएं तय करती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वेतनभत्ता बढ़ाने का काम हम लोगों को ही करना है। इसको किसी के हाथ में देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं, किसी फाइनेंसर या धीरूभाई अम्बानी का बेटा नहीं हूं या दलाल नहीं हूं। लोगों का नेतृत्व करना है, तो इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए। राजनीति में रहकर लोगों का काम करना है, तो वेतन भत्ता बढ़ाने की जरूरत है।...*(व्यवधान)* मैं 13 लाख वोटर्स का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन ऐसे क्षेत्र भी हैं, जहां 20-30 लाख वोटर्स हैं। महोदय, मैंने आपका क्षेत्र भी देखा है।

आपका इतना ज्यादा खर्च नहीं है, मैं स्वयं गया था। हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। हमारे महाराष्ट्र में थाणे क्षेत्र में 30 लाख वोटर्स हैं। हम इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने एक आईलैंड देखा होगा। कितने आईलैंड है, क्या आपको मालूम है?

श्री सुरेश रामराव जाधव: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुंह में राम, बगल में छुरी जैसी राजनीति नहीं करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* आप जो वेतन भत्ते बढ़ा रहे हैं, यह ज्यादा नहीं हैं, इसे और भी बढ़ाने की कोशिश करें। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रमोद महाजन का भाषण बहुत ध्यान से सुना। आपने जो 4000 रुपए से बढ़ा कर 12,000 रुपए किए हैं, उसकी मैं इज्जत करता हूं।...*(व्यवधान)* यहां मंत्री जी बैठे हुए हैं उन्होंने कहा है कि गरीब 28 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि करीब 34 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।...*(व्यवधान)* हम अपना महंगाई भत्ता सब कुछ बढ़ा लेते हैं, यह अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी रहा हूं। मैं जेल में भी रह चुका हूं। महाजन जी, पहले जब महंगाई भत्ते बढ़ाने का सवाल लोकसभा में आया तो उस समय कुछ लोगों ने कहा कि इसे मान्यता देनी पड़ेगी।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप भी स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन लेते होंगे।...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान: हम पेंशन नहीं लेते हैं।...*(व्यवधान)* हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

महोदय, आप जानते हैं कि कई बार यह सवाल पैदा हुआ कि मेम्बर लोग क्या हैं। क्या उनकी पब्लिक सर्विस है या वह पब्लिक सर्वेंट है।...*(व्यवधान)* वे लोग समाजसेवी हैं। यह प्रश्न पहले उठा था। महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए महाजन जी आपने अपने भाषण में कहा है, आर्टीकल 106 को आप बदल दीजिए, हम उससे सहमत हैं, लेकिन उसे बदलने के बाद आप बताइए कि उसमें कितना बढ़ाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कल हम सभी को एक्स एमपीज बनाना होगा, जो जिन्दा रहेगा।...*(व्यवधान)* यहां पर ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्हें तीन साल हो गए हैं। कल अगर लोकसभा भंग हो जाए तो हमें पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि एक कानून ले आइए, जिसमें अगर एक दिन भी कोई एमपी रहे...*(व्यवधान)*

महाजन जी, पेंशन, भत्ता हम बढ़ा सकते हैं, अगर एक रोज के लिए कोई एमपी बने तो उसके लिए भी पेंशन, भत्ता होना जरूरी है।

इसलिए यह प्रोविजन लाना चाहिए। मैं बहुत दुख से कहता हूं कि मैं इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जॉयनगर): मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि लगभग दो घंटे चली इस चर्चा में सबने भाग लिया।

उपाध्यक्ष महोदय: ढाई घंटे।

श्री प्रमोद महाजन: वैसे तो इसके लिए इतना समय जा रहा है इसका मुझे एक तरफ दुख भी हो रहा था और खुशी भी

इसलिए हो रही थी कि शायद 1964 के बाद पहली बार वेतन भत्ता बिल जो हमेशा बिना बहस के पास करने की हमारी परंपरा रही है, उस परंपरा को तोड़कर हमने अच्छा है या बुरा है, सबको जो कहना है कहकर पास कर रहे हैं, एक दृष्टि से यह अच्छी बात हुई है। वैसे संसदीय कार्य मंत्री के नाते मुझे एजेन्डा की अगली आइटम देखते हुए छोटा लग रहा है, इसलिए मैं संक्षेप में उत्तर देने वाला हूं।

मुझे इस बात का व्यक्तिगत दुख है कि जबकि सभी लोग...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: जो सदस्य एक्स-एम.पी. रह चुके हैं, उनके लिए भी आप संशोधन ले आइए। एक टर्म अगर वह रह चुके हैं तो उनके लिए चार साल की सीमा मत बांधिये, उनके लिए भी पेन्शन का प्रावधान रखिये।

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष जी, चित्र ऐसा है कि वामपंथी दलों को छोड़कर बाकी सभी दलों ने इस बिल का तो समर्थन किया है लेकिन इस बिल से खुश कोई नहीं है।

अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल: हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मैंने यह हिन्दी में कहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, मैं इसलिए कह रह था कि कोई खुश नहीं है क्योंकि जो मेरे वामपंथी मित्र हैं भिन्न-भिन्न दलों को मिलाकर वे इसलिए खुश नहीं हैं कि यह ज्यादा बढ़ा है और बाकी जो मुझे समर्थन कर रहे हैं, वे इसलिए खुश नहीं हैं कि उनको लगता है कि यह उतना बढ़ा नहीं है जितनी उनकी अपेक्षा है।

कुंवर अखिलेश सिंह: अपेक्षा नहीं आवश्यकता है।

श्री प्रमोद महाजन: माफ कीजिए, आवश्यकता की जो इनकी अपेक्षा है, उसके अनुसार यह नहीं है और इसके कारण शत-प्रतिशत बिल को समर्थन किसी का नहीं है।

मैं केवल दो बातों का उत्तर फिर एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि आलोचना हुई कि समय ठीक है, दुनिया में मंदी चली है, देश में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यह एक मुद्दा आया और दूसरी तरफ आया कि इसी सदन में 10-12 बार एजडर्नमेंट हुआ है, ऐसे समय में अपने वेतन भत्ता बढ़ाएं तो क्या ठीक है। इस पर मैंने बहुत सोचा है। दिसम्बर से हर सत्र में सोच रहा हूं कि जिस सत्र में एडजर्नमेंट नहीं होगा, उस सत्र में इस बिल को पास करेंगे, पांचवां सत्र देखने के बाद लगा कि मेरा यह सपना पूरा होने वाला नहीं है और इसलिए मैंने इसको एडजर्नमेंट से छोड़ने का निर्णय किया। दूसरा मैं कहूं कि वैसे यह दिसंबर में ही हमने समिति से आने के बाद जनवरी में ही इस बिल को लाना तय किया था लेकिन दुर्भाग्य से उस समय गुजरात में भीषण त्रासदी आई तो ऐसा लगा कि उसके बाद हम यह करें तो ठीक नहीं है और इसलिए स्वाभाविक रूप से लगभग एक साल के इंतजार के बाद ये आया है। अब इसका आइडियल समय कैसे ढूंढें, मेरे लिए उसको ग्रोथ रेट से जोड़ना और कैसे जोड़ें, यह मुझे समझ में नहीं आता और इसलिए मुझे लगा कि कभी न कभी यह करना जरूरी है और इसलिए इस वक्त हमने इसको लाने का फैसला किया, इसके बाह्य कारण कोई नहीं है।

जनप्रतिनिधियों के बारे में जो पब्लिक इमेज है, इस समय उसकी चर्चा करने का अवसर नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। यह जरूर है कि जनप्रतिनिधियों के बारे में पब्लिक इमेज उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम चाहते हों।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कभी-कभी जरूर लगता है कि यह ठीक नहीं है क्योंकि बाकी देशों के मुझे उदाहरण मालूम है और मैंने एक बार कहा था। मैं फिर एक उदाहरण देना चाहता हूं और आप मेरी इस बात को मजाक में लें गंभीरता से न लें।

अनुवाद]

जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच मानो प्रेम और घृणा का संबंध है। वे जैसे ही उन्हें चुनते है, उसी समय उनसे घृणा करने लग जाती है।

[हिन्दी]

जिसको 5 लाख लोग वोट देते हैं जब वह जीतकर आ जाता है, तो अगले क्षण से ही कहने लगते हैं वह ठीक काम नहीं कर रहा है। उसके बारे में शिकायत होती है। इसके कारण हमारी इमेज अच्छी हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मुझे लगता है इस पर भी कुछ बहस हमें करनी चाहिए। हम सब लोगों के लिए आचार संहिता की बात करते हैं कि पत्रकारों के लिए आचार संहिता हो, दूसरे लोगों के लिए आचार संहिता हो, वैसे ही हमारे लिए भी आचार संहिता हो और वह किस प्रकार की आचार संहिता हो, जिसका हम पालन कर सकें, इस बारे में हम सब सांसद मिलकर सोच सकते हैं और हमें ऐसी एक आचार संहिता मिलकर बनानी चाहिए क्योंकि यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। जो हम अपने बारे में राय रखते हैं, वैसी राय हमारे बारे में समाज

[श्री प्रमोद महाजन]

नहीं रखेगा, तो भले ही गलती समाज की हो, भले ही गलती मीडिया की हो, हमारी हो, लेकिन इस स्थिति के बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर जनप्रतिनिधि की जो इमेज है उसमें किन कारणों से ह्रास हो रहा है। मैं नहीं मानता कि तनख्वाह उसका कारण है। किन-किन कारणों से है, यदि हम उन कारणों को दूर कर दें, तो यह तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं मानी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। मुझे सिंगापुर के प्रधान मंत्री से मिलने का अवसर मिला। जब मैंने उनसे उनके मंत्रियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के मंत्रियों की तनख्वाह देश के जो टाप 10 सी.ई.ओ. हैं, उनके एवरेज के अनुसार तय करता हूं। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि यहां मंत्री बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है क्योंकि वहां इतना व्यवसाय और साधन हैं कि किसी को मंत्री बनने में रूचि ही नहीं है। यहां भी मंत्रियों की सैलरी इसके कारण बढ़ती नहीं है। यहां भी कहा गया है कि मंत्रियों की सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, तो हम वी.आर.एस. लेकर फिर सांसद बनने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जो हमारे बारे में समाज की सोच है, उसको बदलने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और वह कोशिश हम मिलकर करें और मिलकर कोई ऐसी आचार संहिता बनाएं जिसका पलन करें। यह अलग बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रामाणिक तौर पर सांसदों को काम करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार व्यवस्था करें, इस बारे में मेरे मन में कोई अपराध बोध नहीं है, वह हम लोगों ने किया है। रघुवंश बाबू ने सही कहा कि कुछ लोगों के मन में अपराध बोध होता ही नहीं, चाहे वे कितने ही अपराध करते जाएं, यह अपना-अपना स्वभाव है। इसलिए इसमें मेरे अपराध बोध की बात नहीं है। मैं सरकार की ओर से सांसदों की बात कह रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सब लोगों को यह अच्छा इसलिए नहीं लगता है कि हम अपने आप अपना वेतन-भत्ता तय करते हैं। इसके कारण बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं। इसलिए इसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। मैं केवल कानूनी उत्तर में नहीं जाऊंगा। संविधान की धारा 106 के अंतर्गत यह बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पार्लियामेंट के सदस्य अपने वेतन-भत्ते एक कानून बनाकर स्वयं तय करेंगे और उसके अनुसार हम 50 साल से व्यवहार करते आ रहे हैं। इसलिए मैंने अब यह निर्णय किया है कि मैं सत्र की समाप्ति के बाद सभी सांसदों को पत्र लिखूंगा जिसमें उनसे सुझाव मांगूंगा कि आखिर आप क्या चाहते हैं, क्या व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने यहां सुझाव दिया कि वेतन भत्तों का मामला अध्यक्ष पर छोड़ दिया जाए। अध्यक्ष पर छोड़े जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शायद मैं यदि स्पीकर बनूं, तो मैं यह जिम्मेदारी नहीं लूंगा क्योंकि अध्यक्ष पर सांसदों का एक दबाव आएगा, भले ही हम यह कहें कि इसे स्पीकर के ऊपर छोड़ दो, भले ही वे कम करें या ज्यादा, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका स्थान तो इतना ऊंचा और सर्वोच्च होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई विवाद नहीं हो, वरना आगे जाकर यह विवाद खड़ा होगा कि वेतन भत्ते भलां प्राजाइडिंग एथौरिटी ने डिसाइड किए थे। यह कोई नहीं चाहेगा कि स्पीकर के ऊपर ऐसी बात आए और स्पीकर का पद विवाद का विषय बने। यह कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे बताया जाए। कुछ सुझाव आए, लेकिन कंक्रीट सुझाव नहीं आता। इसलिए मैं सभी सांसदों को पत्र लिखने वाला हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि आपका जो प्रोटोकौल है, उसमें एम.पी. जहां आते हैं, उस प्रोटोकौल के मुताबिक, जब दूसरों की तनख्वाहें बढ़ें तो एम.पी. की तनख्वाह भी उसी के अनुसार अपने आप बढ़ जाए, ऐसी व्यवस्था करें।

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं प्रोटोकौल में जाऊंगा, तो जिस ब्यूरोक्रेट के ऊपर आप आते हैं, उस ब्यूरोक्रेट के अनुसार यदि आपको तनख्वाह देनी शुरू करें तो आज जितना खर्च हो रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा खर्च आएगा। जो आएगा उसे आने दीजिए। 23 करोड़ रुपये पर ही आपत्ति हो रही है और आप मुझे 230 करोड़ रुपये का प्रपोजल बता रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसे भी ऐग्जामिन करते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अच्छा सुझाव दिया। आप सब मैम्बरान को लैटर लिखिए। उनके सुझाव आने के बाद तय कीजिए।

श्री प्रमोद महाजन: उनके सुझाव आने के बाद हम स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब से बात करेंगे और जो निचोड़ निकलेगा, वह अगर सबका मिल कर होगा तो उसे सदन के सामने लाएंगे। फिर आवश्यकता पड़ी तो धारा 106 को बदलना हो, रद्द करना हो, सैलरीज एक्ट को रिपील करना हो, कोई नया सिस्टम बनाना हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें इस बात की कोई खुशी नहीं है कि हम अपनी तनख्वाह तय करें। रघुवंश बाबू ने ठीक कहा कि एक बार कमेटी की रिपोर्ट आई तब गाली पड़ी, एक बार हम जनवरी में बिल लाने वाले थे, तब गाली पड़ी और अब ऐक्चुअल बिल आ रहा है तो तीसरी बार गाली पड़ी। कुछ अखबारों ने एक ही ऐडीटोरियल लगभग शब्द बदल कर तीन बार लिखा, तनख्वाह एक ही बार बढ़ी। इसलिए हम भी इस स्थिति को नहीं चाहते

कि अपनी तनख्वाह बढ़ाएं और उस पर लोग आपत्ति करें। इसलिए जैसे शिवराज जी ने सुझाव दिया, उसे भी ऐग्जामिन करतके हैं लेकिन निश्चित रूप से हमें यह देखना पड़ेगा कि आज जो सैलरी मिल रही है, उससे बहुत कम हो जाए, यह सुझाव भी कोई मंजूर नहीं करेगा, उससे दस-बीस गुना बढ़ जाए, इस प्रकार का सुझाव भी मंजूर होने में मुश्किल होगी।...*(व्यवधान)* रघुनाथ जी, आप अकेले हों तो हम दोनों कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सुझाव दीजिए, हम सरकार की ओर से सुझाव का अध्ययन करेंगे, दोनों प्रिजाईडिंग अथारिटीज से चर्चा करेंगे। इस सारे मंथन के बाद कोई अमृत निकल आए तो कम से कम संसद पर अपने वेतन बढ़ाने का जो आरोप है, उससे भी अगली बार मुक्त हो जाएंगे और अच्छे वातावरण में, हो सकता है हम इससे अच्छी तनख्वाह पा सकेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि जितना संभव था, हमने करने की कोशिश की है और मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसे सर्वसहमति से पारित करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम सरकार के सहयोगी हैं। प्रमोद महाजन जी, बताइए।

श्री प्रमोद महाजन: खड़े-खड़े हजारों रुपये का व्यवहार नहीं कर सकते। इस पर राष्ट्रपति जी की सहमति लेनी पड़ती है, कैबिनेट की एप्रूवल से अमैंडमैंट लानी पड़ती है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अमैंडमैंट मूव करेंगे या नहीं - यह बताइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: भूतपूर्व सांसदों को कम से कम 5,000 रुपये पेंशन और चार साल की जो समय सीमा निश्चित की है, उसे करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप यह बताइए कि मूव कर रहे हैं या नहीं?

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं मूव कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1, पंक्ति 11,-

''बारह हजार रुपये'' के स्थान पर

''पंद्रह हजार रुपये'' प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

जिन पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, अगर ये 3,000 रुपये की पेंशन दे दें तो हम इस प्रस्ताव को वापिस लेते हैं, अन्यथा मूव करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं अखिलेश सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 4 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

नियम 80 (एक) का निलंबन

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम-80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से संगत होगा, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 1 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम-80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से संगत होगा, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 1 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4 – धारा 8क का संशोधन

संशोधन किया गया:

1. पृष्ठ 1, –

पंक्ति 18 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए–

"4. मूल अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) में,–

(क) "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के *स्थान* पर "तीन हजार रुपए" *प्रतिस्थापित* किया जाएगा;

(ख) प्रथम पुस्तक परन्तुक में, "पांच सौ रुपए" शब्दों के *स्थान* पर "छह सौ रुपए" शब्द *प्रतिस्थापित* किये जाएंगे।" (1) (श्री प्रमोद महाजन)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1. अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रमोद महाजन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.38 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)-2001-2002

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब यह सभा अगली मद–अनुपूरक अनुदानों की मांगों के संबंध में मद सं. 12– पर चर्चा और मतदान करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तंभ-2 में दिखाई गई मांग संख्याओं 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 20, 21, 22, 25, 34, 36, 45, 48, 50, 51, 52, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 73, 76, 78, 80, 81, 83, और 84 के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों में से अनधिक संबंधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

श्री नारायण दत्त तिवारी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (अ) के आधार पर प्रस्तुत जो अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका रचनात्मक विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके पहले कि मैं वर्तमान अनुपूरक प्रस्तावों पर कुछ कहूं, मैं चिंता व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस मूल बजट के अनुपूरक रूप में आज के प्रस्ताव वित्त मंत्री जी ने विचारार्थ पेश किए हैं, दुर्भाग्य से उस बजट पर हम सदन में गहराई से विचार नहीं कर सके। वित्त मंत्री जी के भाषण से जो एक उत्साह का वातावरण बना था, वह बाद में स्टाक मार्केट में हुई घटनाओं, यूएस-64 की घटना और तहलका में हुई घटनाओं के कारण तिरोहित हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। आज हम अनुपूरक बजट पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे इसमें एक विशेष प्रश्न उठाना है कि जो हमारी बजटीय व्यवस्थाएं हैं, ग्लोबलाइजेशन का वातावरण है, उसके अनरूप क्या वे पर्याप्त हैं?

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

अपराह्न 4.41 बजे

क्या बजटीय मैनुअल में, बजट पेश करने में, चाहे पूरक बजट हो या मुख्य बजट हो, क्या नई जरूरतें तो पैदा नहीं हुई

हैं? मेरे पास रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से जारी एक बुलेटिन है, जिसमें कुछ बुनियादी सवालों का उल्लेख किया गया है कि ग्लाबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हमारे संसाधनों पर, बजट पर और सारी प्रणाली पर हुआ है। किस तरह आज जो गरीबी और बेरोजगारी के प्रश्न हैं, उनकी इस बजटीय स्थिति में मदद नहीं हो पाती। यह बुलेटिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर श्री रेड्डी ने लिखा है, जो गर्वनर के बाद सबसे ज्यादा काम करने वाले डिप्टीगवर्नर हैं।

[अनुवाद]

"धनी वर्ग को अंतरित संसाधनों को प्रोत्साहन कहा जाता है जबकि निर्धनों को अंतरित आय को राजसहायता कहा जाता है - जिसे आमतौर पर अपमानसूचक माना जाता है। निर्धनोंन्मुखी विकास तभी संभव है। विद्वत समुदाय और नीति निर्माता बाजार पर विश्वास न करें जिनके लिए ऐसा करना ठीक है और निर्धन को वह सम्मान दे जिसकी उसे जरूरत है।"

[हिन्दी]

स्थिति हो गई है कि सब्सिडी का नाम लेना गुनाह हो गया है। हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि कैसे सब्सिडी कम हो या खत्म हो। सारे संसार में यह विचार दोबारा चल रहा है। जो हमारा दृष्टिकोण है, विश्व के अनेक अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि क्या बेरोजगारी और गरीबी के प्रति वह बदलना चाहिए। मेरे पास विश्व बैंक की नई पुस्तक है। जो विश्व बैंक की डवलपमेंट रिपोर्ट है, जो ह्यूमन डवलपमेंट इंडैक्स रिपोर्ट है, उसमें उल्लेख है कि मानव प्रगति कितनी हुई है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पेयजल में और उन विषयों में जिनसे हम मानव उन्नति की इंडैक्सिंग कर सकते हैं। आज इस मानव विकास की इंडैक्सिंग के प्रभाव से बजट पद्धति में परिवर्तन करने पर एक नये सिरे से विचार शुरू हो रहा है। हमारे बजट बनाने के तरीके के विषय में ही नए परिवर्तन की आवश्यकता है।

आज स्थिति यह है कि जैसे कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल ने अभी भारत सरकार की वित्तीय पद्धियों पर टिप्पणी की है:

[अनुवाद]

"दसवें दशक के दौरान केन्द्रीय वित्त कम पर्याप्त कम स्वतंत्र और अधिक त्रुटिपूर्ण हो गया है।"

[हिन्दी]

यह केवल वित्त मंत्री जी के काल का नहीं, पिछले दस सालों का विश्लेषण किया है:

[अनुवाद]

"कुल वितरित धनराशि के प्रतिशत के रूप में निर्णीत-व्यय वर्ष 1992-93 के 44.51% से घटकर वर्ष 1997-98 में 31.94 प्रतिशत रह गया है।"

[हिन्दी]

यानी इस लोक सभा में वोट के लिए जो अनुदान प्रस्तुत किये थे और जो चार्ज थे, जिन पर वोट नहीं होता, आज उसका प्रतिशत 44.51 प्रतिशत से घटकर 31.94 रह गया है।

[अनुवाद]

इसमें आगे कहा गया है:

"अत:, चालू कार्यों में उपलब्ध धन लगाने की स्वतंत्रता कम है।

[हिन्दी]

इससे जो आज संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, वे घटते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पुन: इसमें कहा गया है:

"उधार की प्रतिशतता के रूप में पुनर्अदायगी वर्ष 1991 के 72 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999 में 86.74 प्रतिशत हो गई है।"

[हिन्दी]

जो हम ब्याज देते हैं, कुल उधार पर उसकी धनराशि, उधार ली गई कुल धनराशि के 72 फीसदी से बढ़कर आज 1999 में 86 प्रतिशत हो गया है। यह सूचित करता है कि चालू सेवाओं में चालू उधार का लगभग केवल 134% प्रयोज्य है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो इस समय उधार लिया जा रहा है, सरकार के द्वारा लाखों रुपये के हिसाब से जो उधार लिया जा रहा है, वह अभी पुराने कर्ज को अदा करने के लिए लिया जा रहा है और उस धनराशि का लगभग केवल डेढ़ प्रतिशत भाग आज के नये विनियोजन के लिए उपलब्ध है, इंवेस्टमेंट के लिए है। आज यह स्थिति है। मैं इस सारी वस्तुकथा पर नहीं जाना चाहता जिसका उल्लेख आम बजट में किया गया है। शायद यह उपयुक्त अवसर भी नहीं है। मैं केवल संकेत के लिए कहना चाहूंगा कि

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कोई न कोई अवसर निकालना चाहिए जबकि अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर, आज की हालत पर इस संसद में समय देकर विस्तार से सब मुद्दों पर विचार किया जा सके जिनको आज संसार में उठाया जा रहा है कि आज जो नयी अर्थ-व्यवस्था कही जाती है, वह गरीब देश हैं, उनके लिए यह बहुत मामलों में पूरी उपयुक्त है या नहीं है? वर्ल्ड बैंक का दृष्टिकोण बदल रहा है और हमें जो विश्व आर्थिक संस्थाएं हैं, उनमें भारत को अधिक मजबूती के साथ नेतृत्व देना पड़ेगा कि वे डब्ल्यूटीओ से लेकर जितनी संस्थाएं हैं, वे अपना दृष्टिकोण बदलें नहीं तो गरीब देश और गरीब होते जाएंगे और गरीब देशों में भी क्षेत्रीय गरीबी और क्षेत्रीय असमानता बढ़ती जाएगी जिसका विशद उल्लेख मेरे पास तमाम रिपोर्टें रखी हैं उनमें है लेकिन मैं सदन का समय इस अवसर पर नहीं लेना चाहता, फिर किसी अवसर पर समय लूंगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में अन्तरप्रदेशीय गरीबी के इंडेक्स में भी कितने उतार-चढ़ाव हैं। किसी प्रदेश से 1/5 प्रति व्यक्ति आमदनी किसानों की, गरीबों की है। मैं उन प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता। आज हमारा कुल कर्ज बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें एक लाख 86 हजार करोड़ रुपए विदेशी कर्ज है और 7 लाख 14 करोड़ रुपए आन्तरिक, देश के अंदर का कर्ज है और इस कर्ज पर जो ब्याज देना पड़ता है, वह बढ़ता चला जा रहा है।

इस वर्ष एक विशेष बात हुई है। अल्प बचत योजनाओं की धनराशि कन्सोलिटेड फण्ड आफ इंडिया का हिस्सा बन गई हैं। हमारी समेकित निधि का हिस्सा बन गई है, जबकि संविधान के अनुसार यह पब्लिक एकाउन्टस का हिस्सा होनी चाहिए थी। उसमें कहा गया है, सरकार की अपनी आमदनी नहीं है, दूसरी आमदनी जमा होनी चाहिए और पब्लिक एकाउन्ट्स में रहनी चाहिए। लगभग एक लाख 80 हजार रुपए स्माल सेविग्स में जमा है, लेकिन इसको तबदील कर दिया गया है। यह सिक्कोरिटी के रूप में जो आमदनी है, सरकार उसमें से बोरो कर लेती है, उधार ले लेती है। यह ठीक है कि नेशनल सेविंग से सरकार को 20 परसेंट मिलता है। इसका सिक्योरिटाइजेशन होता है, तो समझ में आता है। इस बारे में आडिट रिपोर्ट में भी कहा गया है-

[अनुवाद]

> "भारत की संचित निधि, जो वर्ष 1998-99 तक घाटे में रहती थी, वर्ष 1999 के अंत में उसमें 1,51,000 की अति शेष धनराशि थी और लोक लेखा खाते में, जिसमें अतिशेष धनराशि हुआ करती थी, वह अब 1,52,000 करोड़ रुपये के घाटे में थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्ष 1999 में आरंभ में, सरकार ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय बचत कोष में से प्रतिभूतियां जारी करके लघु बचतों को उधार लेना शुरू कर दिया था।"

[हिन्दी]

यह जो किया गया है, इसकी कोई सूचना पहले संसद को नहीं दी गई कि क्यों पब्लिक एकाउन्ट्स से कन्सोलिटेड फण्ड आफ इंडिया में बदल दिया गया है। संविधान के आधार पर एक पूरे ढांचे का परिवर्तन हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है? कन्सोलिटेड फण्ड आफ इंडिया में जो धनराशि है, उसके खर्च के हिसाब को आप देखें - 1997-98 में 51,162 करोड़ रुपए थी और यह 1998-99 में थोड़ी घटी, लेकिन फिर 2000-2001 में यह बढ़ कर 73,284 करोड़ रुपए हो गई। सप्लीमेंट्री बजट, प्रारम्भ से जब से पार्लियामेंट का निर्माण हुआ, अंग्रेजों के जमाने से यह कहा गया है और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी भी कहती रही है, सप्लीमेंट्री जो अनुपूरक है, बजट में देखभाल करके ही प्राप्त करना चाहिए। संसद में कई रिपोर्ट पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की तरफ से पेश की जाती रही हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि उन रिपोर्ट्स पर सदन में समयाभाव के कारण चर्चा नहीं होती है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने समय-समय पर अपनी रिपोर्ट दी हैं वह लागू होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वित्त मंत्री जब श्री वैंकटरमण थे और डा. जोशी, सभी की रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद है। जिसमें बार-बार कहा गया है, सप्लीमेंट्री बजट क्यों मांगे जाते हैं, जब खर्च नहीं होता है इसकी आवश्यकता नहीं है। बिना आवश्यकताओं का मूल्यांकन किए, क्यों प्रावधान किया जाता है। मैं आठवीं लोकसभा में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की 147वीं रिपोर्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण है, का उल्लेख करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि सरकार जो विनियोग करती है, उस पर ध्यान दिया जाए। वित्त मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है और आदेश दिया है-

[अनुवाद]

> "वर्ष के दौरान जारी किसी पुनर्विनियोजन आदेश जिसमें 25 प्रतिशत अथवा 1 करोड़ रुपया, जो भी उपीशीर्षक के अंतर्गत अधिक हो, बढ़ाने की क्षमता हो, उसकी सूचना अनुपूरक अनुदानों के अंतिम बैच के साथ संसद को दी जानी चाहिए। आपवादिक मामलों में अंतिम अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी करेगी आदेश या पुनर्विनियोजन पर व्यय विभाग के सचिव/अपर सचिव की पूर्वानुमति होनी चाहिए।"

[हिन्दी]

मंत्री जी, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट मिली होगी। कितने उदाहरण हैं, जहां वित्त मंत्रालय के आदेश का पालन नहीं हुआ। एक्सपेंडीचर

सैक्रेट्री तक की इजाजत विभाग ने लेना शुरू नहीं किया। इसका अर्थ क्या है कि वित्त मंत्रालय की पकड़ संसद की ओर से कमजोर पड़ रही है। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री जी कभी यह नहीं चाहेंगे कि उनकी पकड़ कमजोर हो, लेकिन क्या हालत है, क्या बात है कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वित्त मंत्रालय की पकड़ कमजोर पड़ रही है। मैं इस बजट में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे पास सन् 1999, 2000 और 2001 की रिपोर्ट विद्यमान है। सन् 1999 में-

[अनुवाद]

"नीचे दिए गए 15 अनुदानों से संबंधित 15 मामलों में, हालांकि उच्च व्यय के पुर्वानुमान के अनुरूप अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे, तथापि अंतिम व्यय, मूल अनुदानों से भी कम था। इस प्रकार, अनुपूरक प्रावधान की संपूर्ण 280.95 करोड़ रुपये की धनराशि अनावश्यक साबित हुई।"

[हिन्दी]

यानी इन्होंने जितना सप्लीमेंट्री बजट में पैसा मांगा, जैसे आज मांग रहे हैं। 280 करोड़ रुपए तब मांगा था, जब अंत में खर्चा देखा गया तो उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। मैं उन ग्रांटों का नाम नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि सदन का समय लगेगा। ऐसे ही अननेसेसरी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के तमाम उदाहरण मिनिस्ट्री आफ डिफेंस, फूड, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में अलग-अलग मौजूद हैं, जिनमें निरर्थक ग्रांट्स ली गईं। मैंने जो पहले आंकड़े दिए, उनमें पार्लियामेंट पर उन्होंने कृपा की। 68 केसों में उन्होंने सूचित किया कि हमने ज्यादा गलत कर दिया है।

[अनुवाद]

"शेष 96 मामलों में, विभिन्न मंत्रालयों/निकायों द्वारा नियंत्रित संसदीय वित्त का कम महत्व आंकते हुए इस अपवाद को नियम बनाया गया था। इन मामलों में पूर्वज्ञान होने के बावजूद भी, पुनर्विनियोजन की सूचना संसद को देने के बजाय वित्तीय वर्ष के अंत में सचिव (व्यय) की अनुमति प्राप्त की गई थी।"

[हिन्दी]

मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पार्लियामेंट को सूचना देने का काम भी विभाग न करे और वित्त मंत्रालय को स्वयं उसकी सूचना न हो तो ऐसे में कैसे वित्तीय नियंत्रण हो सकता है और कैसे विभाग उसका सदुपयोग कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: तिवारी जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दल का समय 38 मिनट है और आपको बोलते हुए लगभग 25 मिनट हो गए हैं। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, अवगत करा रहा हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी: अगर यह पहले बता दिया जाता तो मैं कम मेहनत करता।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने आपको बोलने से रोका नहीं है, आप बोलिए। मैंने आपको केवल अवगत कराया है कि दूसरे माननीय सदस्यों के नाम भी हैं। आप इसे पूरा करिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी: मैं वित्तीय नियंत्रण, फिस्कल कंट्रोल की बात कर रहा हूं। जब मैं वित्तीय नियंत्रण की बात कर रहा हूं तो पूर्ण वित्तीय फिस्कल कंट्रोल की भी बात कर रहा हूं। अगस्त 2001 में मंथली रिव्यू इंडियन इकोनोमि में छपा है-

[अनुवाद]

"वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्र सरकार के व्यय के संबंध में जो वित्तीय अनुशासन लागू किया गया था, वह डावाडोल प्रतीत होता है जैसाकि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के प्रथम तिमाही के आंकड़ों से देखा जा सकता है।"

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

जो तीन महीने के खर्च का विवरण आया है।

[अनुवाद]

लेखाओं के महानियंत्रक के अनुसार, अप्रैल-जून, 2001 के दौरान केन्द्र सरकार का व्यय वर्ष 2000 भी समानान्तर अवधि की 2.7 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया।

[हिन्दी]

पिछले साल मंत्री जी के आदेशों का पालन हुआ और 2.7 प्रतिशत यह घटा है लेकिन इस साल 3 महीनों में यह 14 प्रतिशत बढ़ गया है। वित्त मंत्री जी आप देखें कि यह क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

यह वृद्धि योजनागत व्यय के बजाय गैर-योजनागत व्यय के कारण अधिक हुई।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

[हिन्दी]

यह जो वृद्धि हुई, यह जो नियोजन के बाहर खर्च हुआ, साधारण खर्च हुआ, यह प्लान के

[अनुवाद]

अप्रैल-जून 2001 के दौरान ब्याज अदायगी, राजसहायता, रक्षा-भुगतानों, वेतन इत्यादि पर गैर-योजना व्यय बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया। अप्रैल-जून, 2000 में 17.8 प्रतिशत की कमी की तुलना को ब्याज अदायगी में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2001-2002 की प्रथम तिमाही के दौरान योजना-व्यय में 5.3% की कमी हुई।

[हिन्दी]

ब्याज की पेमेंट के लिए हर वृद्धि जो पिछले तीन महीने में हुई, तो हमारा फिस्कल डैफेसिट कितना बढ़ेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।

[अनुवाद]

योजनागत पूंजी व्यय में यह कमी योजना राजस्व व्यय में हुई कमी से अधिक थी। योजनागत राजस्व व्यय वर्ष 2000 की उसी अवधि के दौरान 28 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 4 प्रतिशत कम हो गया।

[हिन्दी]

यह 2001-2002 में जो नियोजन का खर्च हुआ उसमें नियोजन संबंधी 5.3% की कमी हुई। जितने भी आंकड़े हमारे पास हैं ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि वित्तीय नियंत्रण में और सख्ती की जरूरत है और दूसरी तरफ जो बुनियादी परिभाषाएं हैं उनको बदलने की जरूरत है। इस वर्तमान वित्तीय वर्ष के पूरक बजट के जो प्रावधान हैं उनके बारे में अब मैं बताना चाहता हूं। इसमें कुछ प्रावधान हैं जो उचित हैं जैसे पूर्वोत्तर राज्यों होर्टिकल्चर के लिए, माइक्रो-मैनेजमेंट के लिए। लेकिन अगर इतना ही करना है तो जो नयी घोषणाएं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए की गयी हैं वे उसके मुताबिक नहीं हैं। ये मूल बजट की पूर्ति भी नहीं हैं जो नार्थ-ईस्ट के लिए होनी चाहिए। नेफेड के बारे में 100 करोड़ की पूंजी रखी गयी है लेकिन नेफेड जितनी खरीदारी करती है क्या यह उसके लिए पर्याप्त है? नेफेड ने कितनी मांग की है आप देखें? किसानों की स्थिति को देखते हुए आज यह आवश्यक है कि इस प्राइस-सपोर्ट को देखा जाए और नेफेड की क्या स्थिति है उसको देखा जाए। बजट में कोई टोटल ब्यौरा नहीं है। एक लाइन में दिया है, उसका कोई पूरा ब्यौरा नहीं है। पहले शासन में मैं देखता था कि पूरक बजट में भी मूल बजट की तरह पूरे खर्चे का ब्यौरा दिया जाता था। नार्थ-ईस्ट को काफी-बोर्ड, टी-बोर्ड, रबड़-बोर्ड और स्पाइसेज बोर्ड को केरल में और दूसरे राज्यों में कुछ सहायता दी गयी है, लेकिन यह भी बहुत कम है। यहां जो घोषणाएं की गयीं, यह उनके अनुरूप नहीं है और काफी-बोर्ड और रबड़-बोर्ड को सहायता उसके अनुसार नहीं है।

मुझे ऐसा लगता है कि आपको सैकिंड सप्लीमैंटरी लाना पड़ेगा, पब्लिक सैक्टर के लिए सरकार की जो नीति है, वह इतनी कमजोर है, इतनी अस्पष्ट है कि वह भी इस पूरक बजट से साफ होता है। फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, प्रोजैक्ट डैवलपमैंट कारपोरेशन आफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कम्पनी के लिए कुछ रुपया रखा गया है। मैं जानना चाहूंगा कि जो फर्टिलाइजर कारखाने बंद हैं, उनके बारे में पिछले दिनों उर्वरक मंत्री जी ने घोषणा की है कि उन कारखानों को दोबारा खोलेंगे, ग्रुप्स आफ मिनिस्टर गठित किया है। गोरखपुर कारखाने के बारे में कहा गया है कि हम इसे पहले खोलेंगे लेकिन वह कहां है। ग्रुप्स आफ मिनिस्टर मिलता क्यों नहीं है? फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कम्पनी के जो कारखाने बंद हैं उनके बारे में आपकी क्या नीति है? पब्लिक सैक्टर के आपने नौ रत्नों को बनाया। सबको मजबूरन पैसा नहीं देंगे तो उनका दम निकल जाएगा, वे फिर बीमार हो जाएंगे और डिसइनवैस्टमैंट के लिए जाएंगे। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री यह घोषित करें कि देश में पब्लिक सैक्टर जो बचा है उनके बारे में सरकार की क्या नीति है? आज क्या हो रहा है? जिनको पिछले साल पैसा दिया, सेल को पैसा दिया, एचएमटी को पैसा दिया, आज उनकी वित्तीय संस्थाएं मदद नहीं कर रही हैं। सब यह कहती हैं कि आपको सरकार से मिल गया, आपको संसद ने मदद दे दी। अब क्या जरूरत है। जब उन्हें वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा, बैंकों का सारा पैसा मार्किट बारोइंज में ले लेंगे, आप खुद कर्ज लेंगे और उनके आदेश देंगे कि बाजार में जाओ, बाजार में कौन उनको रुपया देगा। मेरे पास वित्त मंत्री के आदेश हैं जिस में उन्होंने कहा है कि

[अनुवाद]

> "जुलाई, 2001 में मंत्री जी ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बाजार से धन एकत्रित करने के अतिरिक्त अपने कोषागारों का उपयोग करने की निवेश-योजना का अनुसरण करने के लिए कहा।"

[हिन्दी]

बहरहाल इसी तरह आप देखें कि आईएफसीआई को दोबारा जीवित करने की बात हो रही है। अच्छा है, लेकिन उसके लिए

प्लान आफ एक्शन क्या है? इनको 400 करोड़ रुपए दिये जा रहे हैं। नाइजीरिया में एचएमटी की फैक्ट्री को दोबारा चालू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसे ही केनिया में और दूसरी जगह एचएमटी की मिलें हैं, वे पब्लिक सैक्टर की मिलें हैं। आप उनसे संबंध अच्छे कर रहे हैं। उनके बारे में सोचना चाहिए। वेज ऐंड मीन्स एडवांस टू स्टेटस 500 करोड़ रुपया रखा है। 500 करोड़ रुपए राज्यों को एडवांस देने के लिए रखे हैं। इसका क्या आधार है? जो नए राज्य बने हैं, आप उन्हें क्या सहायता दे रहे हैं? पुराने राज्य जिनकी वित्तीय हालत खराब है उन्हें आप क्या सहायता दे रहे हैं? वेज ऐंड मीन्स एडवांस 500 करोड़ रुपए में क्या हो जाएगा? 500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है वह थोड़ा बढ़ाया है। उत्तरांचल के मंत्रियों के मेरे पास फोन आए। उन्हें स्पैशल दर्जा दिया लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की यह हालत है कि केन्द्रीय बिजली का भारी बिल चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। वहां बड़ा क्राइसिस है। केन्द्र सरकार ने उस संबंध में क्या किया है? पता नहीं।

मैं एक और अनुदान का स्वागत करता हूं। जर्नलिस्ट वैलफेयर फंड में एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह पत्रकारों के लिए है। यह किस तरह का फंड होगा, क्या होगा, किससे परामर्श किया गया? यह नहीं कहा गया कि यह केन्द्रीय पत्रकारों के लिए होगा या सारी मीडिया जिसमें केबल मीडिया भी शामिल है, के लिए होगा या राज्य के पत्रकारों के लिए भी है? यह स्पष्ट नहीं है। इसमें कहा गया है कि केवल जर्नलिस्ट फंड एक करोड़ रुपए। खर्च पहले से एस्टिमेट होना चाहिए। फिशरीज के लिए 3 करोड़ 88 लाख रुपए का प्रावधान था। यह पहले से बजट बनाते समय मालूम होना चाहिए। इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जिन का बजट बनाते समय ध्यान रखा जाना चाहिए था। बहरहाल मैं समय ले चुका हूं। मैं इस बात की आदी नहीं हूं कि जो समय निर्धारित है उससे अधिक बोलूं इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। कहने को बहुत कुछ है लेकिन शायद फिर अवसर मिलेगा। यही कहूंगा कि कम से कम वित्त मंत्री जिन्हें प्रशासन का लंबा अनुभव है, वित्त का पूरा अनुभव है वह यह देखेंगे कि नए परिप्रेक्ष्य में जबकि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में बजटिंग पालिसी, बजटिंग प्रोसिजर्स का परिभाषा में क्या परिवर्तन करेंगे और उसमें सप्लीमेंटरी - जो पूरक बजट है उसका उपयोग किस तरह के करेंगे और बजट को परिमार्जित करने के लिए और उससे जो आज की वित्तीय आवश्यकताएं हैं, गरीबी को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए, जो बंद कारखाने हैं, उनको दोबारा खोलने के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे जो डायनैमिक हों, प्रज्वलत हों और समय की मांग के आधार पर एक नई दिशा देश को दे सकें, यही मेरा आग्रह और निवेदन होगा, मांग होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विरोधात्मक प्रस्ताव को एक रचनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा द्वारा प्रस्तुत की गई अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

इस सभा के बहुत अनुभवी माननीय सदस्य, लोक लेखा समिति के सभापति श्री तिवारी ने बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या नई अर्थव्यवस्था अल्पविकसित देशों के लिए लाभप्रद है। उन्होंने इस प्रश्न का उल्लेख करते हुए अपना भाषण समाप्त किया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी यह बात कही थी। मेरा प्रश्न है कि आज विश्व में किसका दौर चल रहा है? बहुत पहले जब मुझे अर्थव्यवस्था के बारे में अधिक पता नहीं था तो मैं भी स्वदेशी और विदेशी की उलझन में फंस गया था। अब जब हम विश्व के अन्य देशों को देखते हैं विशेषरूप से चीन जैसे तथाकथित कम्यूनिस्ट देश को देखते हैं जो विश्व व्यापार संगठन के राष्ट्रों में शामिल होना चाहता है, हमारे देश जैसा, जिसकी समस्याएं और जनसंख्या हमारे समान है, पिछले दस वर्षों में इतनी प्रगति की है कि अर्थव्यवस्था में वह हमसे बहुत आगे निकल गया है और वह विश्व में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आने वाला है तथा 2020 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनना चाहता है। ऐसे में इस विकल्प को छोड़कर हमारे पास और क्या विकल्प रह जाता है।

नई अर्थव्यवस्था भारत के लिए एक अवसर है। नई अर्थव्यवस्था इस देश के विरुद्ध नहीं है, यह इस देश के लिए एक मौका है। इस अर्थव्यवस्था ने हमें विश्व के समक्ष यह साबित करने का मौका दिया है कि भारत महाशक्ति बन सकता है। भारत अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके महाशक्ति नहीं बन सकता अपितु भारत गुणवत्ता-वार भी स्वयं को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश साबित कर सकता है। तभी महाशक्ति बनना संभव है।

यद्यपि माननीय तिवारी जी ने आर्थिक मंदी का उल्लेख नहीं किया है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाषण के बाद बोलने वाले अन्य माननीय सदस्य इसका अवश्य उल्लेख करेंगे। उनका मानना है कि भारत में आर्थिक मंदी चल रही है। क्योंकि वर्ष 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद 6.3 प्रतिशत था और 2000-2001 में यह कम होकर 5.2 प्रतिशत हो गया। वे अवश्य इसके बारे में कहेंगे। उन्हें यह भी आशंका है कि सकल घरेलू उत्पाद इस वर्ष और कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आर्थिक मंदी सम्पूर्ण विश्व में छाई हुई है।

[श्री खारबेल स्वाइं]

महोदय, केवल अविकसित देश ही नहीं वरन् संयुक्त राज्य अमरीका तथा जापान जिसका विश्व में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दूसरा स्थान है, भी इसी तरह के दौर से गुजर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विखाशापत्तनम): हमारे देश की आर्थिक मंदी अन्य देशों की तुलना में कम है...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: चीन को छोड़कर यहां तक कि यूरोप में भी ऐसा अन्य कोई देश नहीं है जहां पिछले पांच वर्षों में 6 प्रतिशत औसत वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए जापान का अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है लेकिन फिर भी उसकी विकास दर 6 प्रतिशत नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड का उदाहरण लें। पिछले चार-पांच वर्षों पूर्व ये एशिया के समृद्ध देश थे लेकिन अब उनका सकल घरेलू उत्पाद 3.5 प्रतिशत भी नहीं है।

लेकिन हमारे देश ने पिछले तीन वर्षों में एशिया में मंदी के दौर के बावजूद 6 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर पर अपना विकास जारी रखा है। पिछले वर्ष खराब मानसून और कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण यह वृद्धि दर 0.2 प्रतिशत कम हो गई और सकल घरेलू उत्पाद 5.2 प्रतिशत हो गया। इस वर्ष अच्छा मानसून होने की सम्भावना होने से हमें आशा है कि सितम्बर में परिवर्तन होगा और इस वर्ष हमारा सकल घरेलू उत्पाद 6.5 प्रतिशत अधिक भी हो सकता है।

महोदय, इस सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात् गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत कम होकर 26 प्रतिशत रह गया है। पहले यह लगभग 31 प्रतिशत था...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: 26 प्रतिशत के इस आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता 26 प्रतिशत से कहीं अधिक है।

श्री खारबेल स्वाइं: फिर भी, मैं सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विश्वास करता हूं और मैं इसे 26 प्रतिशत ही मानता हूं।

महोदय, हमारे देश में विदेशी मुद्रा भण्डार 43 बिलियन डॉलर है जबकि 1991 में यह भण्डार 750 मिलियन डालर था। पिछले दशक से आयात शुल्क 135 प्रतिशत से कम होकर 35 प्रतिशत होने पर भी उद्योग टिका हुआ है। इस अवधि के दौरान सरकार का निवेश 28 प्रतिशत कम रहा। आर्थिक मंदी का यह एक मुख्य कारण है।

पिछले पांच वर्षों में यह मंदी आई है क्योंकि पांचवें वेतन आयोग के बाद वेतन पर बहुत अधिक धनराशि खर्च हुई। इसलिए सरकार के पास विकास कार्यों के लिए अधिक धन नहीं था। महोदय, समग्र राजस्व का 60 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों के वेतन, परिलब्धियों तथा पेंशन पर खर्च हो गया। इस मुख्य कारण से सरकार विकास कार्यों में अधिक खर्चा नहीं कर सकी। सरकार अधिक खर्चा नहीं कर सकी इसलिए आर्थिक मंदी आई।

महोदय, इस वर्ष का राजस्व वार्षिक कर 2,01,000 करोड़ रुपये है। पुराने ऋण के लिए मूल राशि का भुगतान 2,85,000 करोड़ रुपये है। ब्याज की अदायगी राशि 1,30,000 करोड़ रुपये है। 1,84,000 करोड़ रुपये की ऋणात्मक राशि है। इस ऋणात्मक राशि से हमने शुरूआत की है।

महोदय, इसलिए मेरा कहना कि इन सब बातों के बावजूद सरकार अच्छा काम कर रही है। और भविष्य में भी वह ऐसा ही करेगी।

महोदय, माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी नीति विशेषरूप से विनिवेश के संबंध में एक प्रश्न पूछा था। मैं इस संबंध में बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि पिछले सप्ताह ही इस सभा में हमने इस विषय पर चर्चा की थी जो रात्रि 10 बजे तक चली थी।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए पुनरुद्धार पैकेज दिए जाने के बारे में बार-बार कहा जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में विभिन्न रुग्ण एककों को चालू करने के लिए 37,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। लेकिन एक भी एकक चालू नहीं हो पाया। हम किस तरह यह आशा करें कि दोबारा उन एककों पर धनराशि खर्च करने से उनकी हालत में सुधार हो जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है कि उनके पुनरुद्धार पर धनराशि खर्च करने से उनकी हालत में सुधार हो जाएगा?

इस बात की कौन गारंटी दे सकता है? वे कहते हैं कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? केवल 19 लाख लोग बेरोजगार होंगे। भारत में केवल 19 लाख लोग ही नहीं रहते, यहां की जनसंख्या 100 करोड़ अथवा 1,000 मिलियन है। इसलिए क्या 19 लाख लोगों के लिए 100 करोड़ लोगों को नुकसान होना चाहिए?

मेरा कहना है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को निपटाया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि यह देश के लिए बेशकीमती है। लेकिन माननीय मंत्री श्री अरूण शौरी ने हाल ही में कहा था कि अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की हालत इतनी खराब है कि कोई भी बोलीदाता इन्हें खरीदने के लिए नहीं आ रहा था। इसलिए इन एककों को यथाशीघ्र बेच दिया जाना चाहिए।

जब इन एककों को खरीदने वाले है तो कम से कम हम इन्हें तो बेच ही दे क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। इस प्रक्रिया में देर न करें।

माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित है। वे जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैण्डर्ड एण्ड पूवर्स ने भारत की रेटिंग को कम बताया है। उन्होंने हमारी रेटिंग को कम किस कारण से बताया था? इसका एक मुख्य कारण है कि भारत में विनिवेश प्रक्रिया का बहुत धीमी होना है।

इस मभा में आलोचना होने तथा कहीं आंदोलन होने के कारण भी सभी बोलदाता डर रहे हैं। भारत के एक राज्य के माननीय सदस्य ने स्वयं आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह से 'बाल्को' की 200 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि बेकार चली गई। अब वे स्वयं राज्य के 29 सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों का विनिवेश करेंगे।

वामपंथी दलों के माननीय सदस्य हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। वामपंथी दलों के माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं। मेरे पास आज का 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' अखबार है। मैं आपको इसके मुख्य समाचार पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है घाटे में चल रहे 64 एककों को बंद करना पड़ेगा - मुख्यमंत्री। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री है? ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। मैं उनकी द्वारा कही गई बात को उद्धृत करता हूं:

> ''अन्य रूग्ण उपक्रमों की सूची तैयार करने के लिए गठित एक तकनीकी समिति ने अपने अंतरिम निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। अन्यथा उन्हें एकक बंद करने होंगे।
>
> यह पूछे जाने पर कि जब वे स्वयं इन उपक्रमों को बंद करने का निर्णय ले रहे हैं तो केन्द्र के इस निर्णय की आलोचना उन्होंने क्यों की तो भट्टाचार्य जी ने कहा कि केन्द्र लाभप्रद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद कर रहा है। हमारे केवल वर्ष दर वर्ष घाटे में चल रहे एककों को ही बंद करने का विचार है।''

उन्होंने यह कहा। कौन घाटे में चल रहे एककों को खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। आज भी कोई इन्हें खरीदने नहीं आ रहा। इसलिए केवल यह कह देना कि घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचना - मानो खरीददार लाइन लगाकर खड़े हैं - सही नहीं है। आज लाभ में चल रहे एकक कल लाभप्रद नहीं रहेंगे।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, पहले वक्ता ने लगभग 35 मिनट का समय लिया। मैंने तो केवल 10 मिनट लिए हैं। राजग से मैं पहला वक्ता हूं इसलिए आप मुझे कम-से-कम 5-10 मिनट का और समय दीजिए। मैं जानता हूं कि मैं एक कनिष्ठ सदस्य हूं और मैं अपनी तुलना उनके साथ नहीं कर सकता हूं। लेकिन कृपया मेरे प्रति कुछ सहानुभूति रखिए।

मेरा कहना है कि हम दो एककों-मार्डन फूड और बाल्को को बेच चुके हैं। मार्डन फूड का निजीकरण होने के बाद उसका उत्पादन दोगुना हो गया है। इस एकक ने अपने प्रत्येक कामगार का वेतन 1,600 रुपये भी बढ़ाया है। इसलिए कर्मचारी खुश है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि उन्हें अपना दृष्टिकोण दृढ़ रखना चाहिए, किसी तरह की आलोचना नहीं सुननी चाहिए और उन एककों को बेचने में दृढ़ रवैया अपनाना चाहिए क्योंकि ये एकक राष्ट्रीय राजकोष को समाप्त कर देंगे।

दूसरा मुद्दा श्रम कानूनों के बारे में है। दो या तीन दिन पहले हमने व्यवसाय संघ विधेयक पारित किया। जब हम श्रम कानूनों के बारे में बातें करते हैं तो अनेक माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि कामगारों की रक्षा की जानी चाहिए।

मैं यह मानता हूं कि कर्मकारों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि हमारे पास पहले से ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, बोनस और उत्पादन भुगतान अधिनियम इत्यादि है। क्या वे कर्मकारों के संरक्षण के लिए नहीं है? जब हमारे पास इतने सारे अधिनियम हैं तो हमें और कितने अधिनियमों की आवश्यकता है? इस देश में मजदूर-संघ व्यावसायिक हो गये है। वे मजदूर विरोधी है और वे अनावश्यक या उत्पादन विरोधी हो गये है। वे उद्योगों के बंद होने का बहुत बड़ा कारण हैं। शायद यह एक कारण है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं हो रहा है। जबकि चीन में प्रति वर्ष लगभग 47 बिलियन डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा रहा है, जबकि हमारे यहां मुश्किल से इसका 3.8 प्रतिशत निवेश हो रहा है।

मैं एक महीना पहले चीन गया था। हम चीन के माननीय प्रधान मंत्री से मिले थे। हम मजदूर संघ के नेताओं से भी मिले थे। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से एक प्रश्न पूछा कि ''चूंकि आप इतना अधिक चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रहे हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता कि विदेशी चीन की अर्थव्यवस्था

[श्री खारबेल स्वाइं]

पर अधिपत्य जमा लेंगे।'' माननीय प्रधानमंत्री ने कहा: ''हम क्यों इससे भयभीत हों। हमारे यहां अनेक संयुक्त उद्यम है, हम इन संयुक्त उद्यमों के पूरे उत्पादन का 52 प्रतिशत निर्यात कर रहे हैं।'' उन्होंने यह भी कहा कि दस वर्ष पूर्व जब कोई चीनी अमरीका जाता था तो वहां के बने उत्पाद अपने साथ लेकर आता था परंतु अब कोई चीनी अमरीका जाता है तो वह चीन में बनी वस्तुएं ले कर आता है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें लाभ पहुंच रहा है। चीन खुदरा क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, छोटी दुकानों को भी चीनी, जापानी, जर्मन, हाँग काँग और अमरीका के लोग चला रहे हैं।

आधारभूत संरचना, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि आधारभूत संरचना के क्षेत्र, विशेषकर आवास निर्माण क्षेत्र पर अधिक जोर दें।

हमने देखा कि चीनी अब बहुमंजिली इमारतों को तरजीह दे रहे हैं। पहले, यह कहा जाता था कि चीन एक कम्युनिस्ट देश है और प्रत्येक को वहां दो मंजिली इमारत में रहना चाहिए। परंतु अब वे सभी दो मंजिली इमारतों को ढ़हाकर उसके स्थान पर 50 से 70 मंजिला इमारत बना रहे हैं। जब मैंने इसकी आवश्यकता के संबंध में पूछा तो मुझे बताया गया कि क्या वे अपने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जीवन उपलब्ध न कराएं। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं चीन के लोगों से हमेशा दो मंजिला इमारत में रहने की अपेक्षा करूं। उनके अनुसार, वे इन बड़ी इमारतों के निर्माण से अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। वे कहते हैं कि सभी को सरकारी नौकरियां प्रदान करने का उत्तरदायित्व केवल सरकार पर ही नहीं है अपितु सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह वह ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करें, जहां प्रत्येक को स्व-रोजगार मिले या वह अपने बूते पर रोजगार प्राप्त कर सके। इस माडल का हमें भी अनुकरण करना चाहिए।

मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत में सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी नौकरशाही की प्रक्रिया बड़ी लम्बी है। नौकरशाही स्तर पर भ्रष्टाचार या विलम्ब के कारण भी निवेश नहीं होता है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले की जांच करें। चीन ने भी ऐसा ही किया है।

उन्होंने करीब दस वर्ष पूर्व संपूर्ण विश्व के 300 प्रमुख उद्योगों की पहचान की। उन्होंने उन्हें चीन में अथवा उत्पादन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की। उन्होंने करों में कम दर की सुविधा दी और उनके लिए कोई नौकरशाही रूकावट नहीं थी। वहां कोई भी लाल फीताशाही नहीं है। इसलिए चीन में इतने बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा रहा है।

अपराह्न 5.30 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

महोदय, सभी विकसित देशों में विद्युत की पहली यूनिट का मूल्य केवल 2 रु. है जबकि हमारे देश में 5 रुपये है। आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में औद्योगिक घरानों के लिए प्रति यूनिट बिजली की दर रिहायशी आवासों के प्रति यूनिट मूल्य से ठीक दोगुना है परंतु अन्य देशों में इसका उल्टा है। वहां आवासीय मालिकों को औद्योगिक घरानों से दोगुना बिजली का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस सभा में विद्युत विधेयक लाया जाना चाहिए और उसे शीघ्र पारित किया जाना चाहिए।

जहां तक परियोजना कार्यान्वयन का प्रश्न है, हम इस मामले में अन्य देशों से पिछड़ रहे है। इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अंततः आधारभूत संरचना के निर्माण के संबंध में उन्होंने बताया है कि 2,500 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री सड़क योजना को दिए गये हैं। यह केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि कम से कम इस परियोजना का उचित क्रियान्वयन हो चूंकि यह एक आधारभूत ढांचागत निर्माण परियोजना है। यदि आप 2,800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष प्रदान करेंगे तो मेरे विचार से अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी तथा अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं रहेगी।

अंत में, मैं माननीय मंत्री से राज्यों को मंजूर किए गये ऋण के संबंध में अनुरोध करना चाहूंगा। उड़ीसा में अर्जित राजस्व का 95 प्रतिशत वेतन, भत्तों और ब्याज की अदायगी में चला जाता है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यह ऋण बहुत अधिक है इसलिए वे उड़ीसा की ऋण अदायगी को 5 वर्ष के लिए रोक लगा दें ताकि पांच वर्ष बाद उड़ीसा केन्द्र सरकार के पास फिर से धनराशि मांगने न आए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आधे घंटे की चर्चा ली जाएगी।

अपराह्न 5.53 बजे

आधे घंटे की चर्चा

सुपर बाजार को हुए घाटे के बारे में

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, मैं सुपर बाजार में हो रही गड़बड़ी के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

नरेश पुगलिया जी द्वारा विगत तीन तारीख को सदन में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें सरकार की तरफ से जो उत्तर आया, उससे न तो सदस्य संतुष्ट हुए और न ही सदन संतुष्ट हुआ। इस कारण आसन द्वारा इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा का निदेश दिया गया। सुपर बाजार वर्ष 1976 से शुरू हुआ था। उस समय देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं। जब यह शुरू किया गया तो उस समय सरकार की यह नीयत थी कि कोआपरेटिव बनाकर कुछ पैसा सरकार दे और कुछ जनता का पैसा लगाकर आम लोगों को इसके माध्यम से सुविधा दी जाए। इसी क्रम में दिल्ली और नोएडा में लगभग 112 शाखाएं सुपर बाजार की कार्यरत हैं और 16 मोबाइल वैन भी इसकी चलती हैं।

भारत सरकार ने भी इसमें अपना हिस्सा दिया है। हमारी जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा 157.5 लाख रुपये अनुदान के रूप में एक बार दिया गया था और सरकार द्वारा ऋण के रूप में 153.31 लाख रुपया दिया गया था। सब्सिडी भी लगभग एक करोड़ रुपये दी गई थी और यह संस्था काफी मुनाफे में चल रही थी। वर्ष 1989 में इसमें स्टेशनरी सामान बेचने की इजाजत दी गई। जो हमारी जानकारी है, उसके अनुसार 1990-91 में 21.84 लाख रुपये का मुनाफा हुआ। 1991-92 में 9.33 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। 1992-93 में 10.83 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। 1995-96 में 27.61 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था लेकिन इसके बाद अचानक यह मुनाफा घाटे में बदल गया। 1996-97 में 67.65 लाख रुपये का घाटा हो गया। 1997-98 में 321.33 लाख रुपये का घाटा हुआ था। 1998-99 में 706.80 लाख रुपये का घाटा हुआ। 1999-2000 में 1643.50 लाख रुपये का घाटा हुआ। इस घाटे को देखते हुए सभी जैसा कि माननीय मंत्री जी का बयान भी आया, हमारे टी.वी. और प्रैस इंटरव्यू में कहा है कि आटा और शक्कर बेचने का सरकार का काम नहीं है लेकिन इसका मतलब है कि आटा और शक्कर बेचने की बात भी सरकार की तरफ से सोची जा रही है। जो सहकारी संस्था इतना मुनाफा दे रही थी, उसमें अचानक घाटा आने के कारण क्या हुआ, कौन सी परिस्थिति आई और क्या कमी हुई जिसके चलते यह घाटे में बदल गई। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो चेयरमैन होते हैं, और जो मंत्री जी के पहले एनडीए की ही सरकार थी, उसमें एक मंत्री जी हुए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता और अनावश्यक विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, जिस समय धूरी नाम के व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया था तो सारे नियम कानून को ताक पर रखकर उन्हें चेयरमैन बनाया गया और वह धूरी साहब जिस मकान में रहते थे, 18600 रुपया प्रतिमाह किराया देते थे और लगभग 9 लाख रुपये का भुगतान इस संस्था द्वारा उस मकान के किराये के रूप में किया गया। जो संस्था इतने घाटे में चल रही हो और उसके चेयरमैन को 9 लाख रुपये किराये के नाम पर छूट दी जाती हो तो मुनाफे की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? पूर्व में टेंडर के नाम से सामानों की आपूर्ति करायी जाती थी, कम्पीटिशन होता था। उसमें उचित मूल्य पर, कम मूल्य पर सामान मिलता था और जनता को अच्छी क्वालिटी के साथ सामान मुहैया कराया जाता था, लेकिन उन्हीं चेयरमैन के जमाने में गर्म मसाला वगैरह का तीन महीने तक बिना टेंडर कराये हुए एक व्यक्ति को उन्होंने दे दिया था। किन परिस्थितियों में रेट तय हुआ होगा, यह आप और हम दोनों समझ सकते हैं और माननीय मंत्री जी भी इस बात को समझ सकते हैं। हमें बताया गया कि तीन महीने में 3.90 लाख रुपये का घाटा हुआ। जब इस तरह की गड़बड़ी शुरू हुई कि बिना टेंडर किये सामान की आपूर्ति शुरू हो गई तो सरकार को उसी समय इस पर ध्यान देना चाहिए था। इसी तरह दाल नवम्बर 1998 में 'पार्टीज द्वारा ऑफर की गई थी। पहले 15 दिन पर उनका टेंडर लिया जाता था। अखबार में निकलता था, प्रतिदिन उसके भाव गिर रहे थे और भाव चढ़ रहे थे लेकिन उस समय भी 6 लोगों से एक रेट तय करके 6 लोगों से टेंडर लेना शुरू कर दिया। सामान बिना टैंडर के लेना शुरू कर दिया। इसमें 485 बैग दलहन के सीज किए गए और मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए। इसमें करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। एक-एक आइटम को देखें, तो सरकार को लगातार नुकसान होता गया है, लेकिन सरकार मौन बैठी रही। सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई और घाटा दिनप्रतिदिन बढ़ता गया।

महोदय, 1998 में पंजाब से प्याज, टमाटर और आलू मंगाए गए। पांच टन प्याज 10 रुपये किलों के हिसाब से मंगाए गए, 4.03 टन टमाटर 25 रुपए किलो के हिसाब से मंगाए गए और 100 टन आलू 8 रुपए किलो के हिसाब से मंगाए गए। सारा सामान स्टोर करते हुए, खराब हो गया। उस वक्त बाजार में कीमत कम थी, कोई ग्राहक भी खरीदने वाला नहीं था। भार से मंगाया हुआ सामान नष्ट हो गया। इसमें करीब 5 लाख 29 हजार रुपए का नुकसान हुआ। स्थिति यह हो गई कि सुपर बाजार में झाड़ू देने वाले और सफाई का काम करने वाले कर्मचारी टैंडर सप्लाई

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

का काम करने लगे। इस तरह से घाटे की शुरूआत हुई और शुरूआत में ही यदि सरकार की तरफ से कार्रवाई होती, तो हमको लगता है कि इतना बड़ा नुकसान सुपर बाजार को नहीं होता। इसी प्रकार से स्वराज ट्रक बिना निदेशक मंडल की स्वीकृति हुए, खरीद लिया गया, जिस पर 73 लाख 94 हजार रुपए की लागत आई। ट्रक का कोई उपयोग नहीं है, वैसे ही खड़ा सड़ रहा है। इसके अलावा इस पर जो ऋण लिया गया, उस पर सूद बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप कैसे मुनाफे की उम्मीद करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, सरकार ऐसी स्थिति में चुप क्यों बैठी रही, उसने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की?

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, मेरे साथ अन्याय हो जाएगा।

सभापति महोदय: आधे घन्टे की चर्चा है, आप मूवर है, इसलिए आपको दस मिनट का समय दे दिया गया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, जब आप आसन पर बैठे हैं, तो थोड़ा समय और दीजिए।

सभापति महोदय: नियम के अनुसार चलिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम और आप दोनों ही तो नियम को मानने वाले हैं।

सभापति महोदय: नियम का पालन होना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं, 18.11.1999 से 26.11.1999 के दौरान विधान सभाओं के चुनाव हो रहे थे। राजनीतिक लाभ लेने के लिए रेट गिरा दिए गए, जिसके चलते 1.60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, संगरूर, पंजाब में सुपर बाजार की एक शाखा खोली गई, भवन किराए पर ले लिया गया और कर्मचारियों की बहाली कर दी गई, लेकिन सुपर बाजार शुरू नहीं किया गया। जिसके चलते करीब 43 हजार रुपए का नुकसान हुआ। इसमें कृषि एवं सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव ने जांच की, जो कुछ आरोप बनाए, उनके आधार पर 25 जनवरी, 2001 को इन लोगों से एक स्पष्टीकरण मांगा गया। उसमें यह लिखा गया - जो घाटा हुआ है, वह घाटा आप लोगों से वसूल क्यों न किया जाए। भूरि के अलावा अन्य पांच लोग और शामिल हैं। भूरि से 7.59 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई, श्री सुरेन्द्र गांधी, जो उस समय उपाध्यक्ष थे, उनसे 4.05 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई, श्री एस.एस. जोस से 2.47 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई, श्री राम महेश्वरी से 2.47 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई, श्री अजीत सिंह से 0.89 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई, श्री विजय कुमार से 0.89 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई - यदि इन सबका टोटल किया जाए, तो यह राशि लगभग 18 करोड़ रुपए आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संबंध में सीबीआई द्वारा जांच की बात कही गई थी, जिसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। एक आईएएस का नाम भी आया था। उनमें छोटे लोग गिरफ्तार हो गए लेकिन बड़े लोग गिरफ्तार नहीं हो सके। उनकी गिरफ्तारी नहीं होने का क्या कारण है। हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जब छोटे कर्मचारी गिरफ्तार हो गए और दो आईएएस पर इस तरह का आरोप प्रमाणित हो चुका तो वे आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। हमने जिनका नाम बताया, जो हमें दिए गए, क्या इन लोगों के वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया। अगर नोटिस जारी किया गया तो अब तक वसूली क्यों नहीं की गई। अगर वसूली नहीं की गई तो इसके पीछे क्या कारण है। क्या इस संबंध में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, राजनीतिक दबाव पड़ रहा है। सुपर बाजार को बर्बाद करने की कोई साजिश चल रही है?

महोदय, पहले जो सेल होता था, उसमें काफी गिरावट आई हुई है। उसमें लोग बताते हैं कि प्रति माह 1.40 करोड़ रुपए सेल में गिरावट हुई है और सुपर बाजार पर अलग से मार्केट का जो लोन है, लगभग आपूर्ति कर दी है, जिसका पैसा बकाया है। लोग बताते हैं कि अभी 35 करोड़ बकाया है। 1993-94 में बच्चों को जो विद्यालयों में देने के लिए बिस्कुट दिए गए थे, उसमें काफी गड़बड़ी की गई थी। इस तरह जो आपूर्ति की गई थी उस व्यक्ति का कोई कारखाना नहीं था। माल बिल्कुल घटिया किस्म का था। सेंट्रल एक्साइज ने उसमें छापा मारा। उसके बाद सारी बातें खुल कर सामने आई। हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई और सरकार इसमें क्यों मौन बैठी रहती है। इस संबंध में एक प्रश्न हमने और रघुनाथ जी ने बहुत पहले किया था। जिसमें मंत्री जी का लिखित उत्तर भी आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि इसका ऑडिट कराया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि 1995-96 से पांच वर्षों की अवधि का लेखा-परीक्षा और दिल्ली का सुपर बाजार 1994-95 का पांच वर्षों की अवधि का लेखा-परीक्षा कराया जाएगा तो क्यों नहीं कराया गया। इसके पीछे क्या कारण है। क्या सरकार जान-बूझ कर सुपर बाजार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर नहीं तो सरकार ने इस पर कार्यवाही क्यों की।

महोदय, सुपर बाजार के बोर्ड को तत्काल भंग कर देना चाहिए। उसके बाद प्रशासक की नियुक्ति कीजिए। उसके माध्यम से उसे चलाइए। सी ए जी से इसका लेखा-परीक्षा जल्दी से जल्दी कराएं तो खुल कर हकीकत सामने आएगी। इसमें सरकार की पूंजी नहीं लगी हुई है, जनता की भी लगी हुई है। इसलिए हम चाहेंगे

कि दोनों की पूंजी को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के उपाय निकालें। सुपर बाजार ही नहीं, जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं- जैसे केन्द्रीय भंडार है तथा अन्य जगह हैं। आपके यहां कई पत्र हमने लिखे हैं। आपने बुला कर भी हमसे बात की थी। हालांकि इस सवाल पर अभी चर्चा नहीं हो रही है, हम आपसे कहेंगे कि जितनी आपकी संस्थाएं हैं, उनमें भारी गड़बड़ी हो रही है, उन पर आप निगरानी रखिए। ये संस्थाएं सुचारू रूप से कैसे चलें, इनके घाटे समाप्त हों, इसके लिए आप कार्यवाही कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सहकारिता के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा उपक्रम दिल्ली का सुपर बाजार था। इसमें सरकार की कितनी पूंजी लगी हुई थी। आज की तारीख में कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही चल रही थी और कुछ के खिलाफ मेजर और कुछ के खिलाफ माइनर पेनल्टी की बात चल रही थी, उनसे कितनी बकाया राशि की वसूली हुई। क्या दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय सहकारी भंडार ने सुपर बाजार को लेने की इच्छा प्रकट की है। अगर हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? साथ ही क्या प्लानिंग कमीशन ने कोई सब-कमेटी बनाकर इसके रिवाइवल के लिए सरकार के सामने सुझाव दिया है जिसमें कहा गया है कि 20 करोड़ का लोन देकर इसकी स्थिति सुधार करके, जो इसका डिरेलमेंट हुआ है उसे सही करके, इसे सही रास्ते पर ले जाए और सुपर बाजार को प्रौफिट में लाने का प्रयास करें। इसके बारे में सरकार की क्या योजना है?

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): माननीय, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

महोदय, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यानों के भंडारण के बारे में प्रेस में समाचार छपे हैं और यह कहा गया है कि गोदामों में खाद्यानों को रखने को जगह नहीं है। समाचारों में यह भी छपा है कि खाद्यान्नों को बहुत कम कीमत पर बेचा जा रहा है। साथ ही यह भी समाचार छपा है कि भारत में चार-पांच राज्यों में कई लोग की भूख से मौत हो गई है, और सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाए ताकि देश में लोगों की भूख से मौंत न हो। उन्होंने ऐसा आदेश एक बार नहीं दो बार दिया है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने सरकार को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उसके बाद यह मामला पुन: उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया। इस बार उन्होंने कड़ा दृष्टिकोण अपनाया और सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए। यह भाग्य की बिडम्बना है कि स्वतंत्रता के 54 वर्षों के बाद भी उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश देने पड़े। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सपूंर्ण देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अब तरीके से मजबूत बनाया जाना चाहिए।

अब मैं सुपर बाजार को हुई हानि से संबंधित पहलू पर आता हूं। यदि सरकार समय पर निवारक उपाय करने हेतु पर्याप्त सावधानी बरते तो इस हानि से बचा जा सकता था। यह हानि उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा बरती गई घोर लापरवाही करने के कारण हुई है। यदि पूरी सावधानी के साथ आवश्यक उपाय किए जाते तो घाटे से बचा जा सकता था। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस मामले की पूरी तरह जानकारी दे कि चूक कहां हुई, जिसके कारण सुपर बाजार को इतनी हानि हुई।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति जी, मैं दो बातें जानना चाहता हूं। मेरा प्रश्न एक ही होगा और वह यह है कि क्या माननीय मंत्री महोदय के सामने यह बात आई है कि सुपर बाजार लगातार घाटे में चल रहा है और इस संबंध में जो सात मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं उनमें किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। दूसरा, क्या माननीय मंत्री महोदय के सामने राष्ट्रीय सहकारी भंडार नाम की संस्था ने इसे लोन की कोई प्रार्थना की है। अगर की है, तो इस संस्था के पदाधिकारी कौन हैं, उनकी निधियां क्या हैं, उनके पास प्रबंधन की क्षमता भी है या नहीं, वे इसे चला भी सकते हैं या नहीं? या ऐसे ही कोई एक बाडी बनाकर इसकी मंजूरी को हड़पना चाहते हैं जो सहकारी बाजार के पास है। जैसा पहले हुआ है और जैसा अभी माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि अवैध मोटर की खरीद हुई है, अवैध नियुक्तियां हुई है, ऊंचे दामों पर प्याज और आलू की खरीद हुई है। दालों को कम दामों पर बेच दिया यह कहा कि इलैक्शन सामने है। इन सब बातों की जांच करते हुए सोसायटी के रजिस्ट्रार महोदय ने एक नोटिस जारी किया था। उसमें श्री एस.एस. धूरी, श्री सुरेन्द्र गांधी, श्री एस.एस. जोस, श्री राम महेश्वरी, श्री अमरजीत सिंह चटवाल और श्री विजय कुमार के नाम पर जो पैसा निकाला है, उसके ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई की है? क्या किसी के ऊपर उत्तरदायित्व सौंपा है? क्या श्री एस.एस. धूरी ने त्यागपत्र दिया है या त्यागपत्र दिलवाया जा रहा है? क्या त्यागपत्र देने के बाद वह अपने पद पर बने हैं, इसके बारे में माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता सुपर बाजार के बारे में बिल्कुल सही है। उन्होंने बहुत से जो तथ्य यहां रखे। उनमें लगभग सच्चाई है। उन्होंने कहा कि 1995-96 तक यह लाभ में था और बाद में निरन्तर घाटे में चला गया, ऐसे सभी आंकड़े उन्होंने रखे, वे बिल्कुल ठीक हैं। घाटे में जाने का मुख्य कारण मिसमैनजमैंट, प्रोफेशनल आउटलूक का न होना, आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की संख्या, आय से अधिक खर्च करना और कर्मचारियों के वेतन में इतनी बढ़ोत्तरी करना जिसके कारण एकदम यह संख्या घाटे में चली गई। 1996-97 में बवेजा कमेटी को एवार्ड दे दिया गया। उन्हें डी.ए. बोनस रिलीफ दे दिया गया। कुल मिला कर एक करोड़ 25 लाख रुपए की बढ़ोत्तरी वेतन में हो गई। 1997-98 में पांचवें पे कमीशन को ये देखे बिना कि आय कितनी है और घाटा चल रहा है, उसे लागू कर दिया। उसके कारण आठ करोड़ रुपए का और खर्चा पड़ गया। लगभग 9 करोड़ 25 लाख रुपए का और अधिक बोझ उस पर पड़ा। भ्रष्टाचार के बारे में जो-जो बातें कही गईं, वे लगभग ठीक हैं। उसमें कहा गया कि उस दौरान पूरा ध्यान नहीं दिया गया। मैं इस बात से सहमत हू कि सुपर बाजार के अन्दर अव्यवस्था, भ्रष्टाचार बढ़ता गया। एक चेयरमैन जिन का यहां नाम लिया गया वह आए और उन्होंने लगभग सारे नियमों को ताक पर रख कर बहुत सी गलत बातें करनी शुरू कर दीं। उस समय बोर्ड को भी जो-जो एक्शन लेना चाहिए था वह ऐक्शन समय पर नहीं लिया गया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मुझे कहा गया कि हमने क्या एक्शन लिया? जब मैंने इस मंत्रालय का कार्य भार संभाला तो पहला काम पहली फाइल जो मुझे निपटानी पड़ी वह यही थी। हमने सबसे पहला काम यह किया कि श्री धूरी की अध्यक्षता में जो बोर्ड था उसे भंग कर दिया। यह बात कही गई कि बोर्ड भंग क्यों नहीं कर रहे हैं, बोर्ड भंग कर दिया गया है। आज न श्री धूरी चेयरमैन हैं और न वे सब लोग बोर्ड के सदस्य हैं। सैंट्रल आर.सी.एस. को कहा कि वह इसके बारे में पूरी जांच करे। उन्होंने सैक्शन 69 और 73 के अंतर्गत पूरी जांच की। परचेज ऑफ म्याइसिज, अनऑथोराइज्ड परचेज आफ स्पाइसिज, परचेस ऑफ ओनियन जो हुआ, इन सब के बारे में उन्होंने कहा कि गलत हुआ। इससे इस संस्था को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। हमने उसी आधार पर रिकवरी डाली हैं। कुल मिल कर 18 करोड़ रुपए की रिकवरी डाली है और नोटिस जारी कर दिया है। जो भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी है, वह कार्रवाई की जा रही है। टोटल लायबिल्टी इस संस्था की 69.6 करोड़ रुपए है। इस संस्था के बारे में जो कदम इस सरकार ने उठाए, उसमें सबसे पहला कदम यह था कि इस बोर्ड को भंग कर दिया।

सायं 6.00 बजे

उसके बाद जो गलत बातें हुई थीं, उनके संबंध में सी.बी.आई. को केसेज दे दिये गये हैं। रिपोर्ट की आर.सी.एस. आई है, उसके मुताबिक कार्यवाही की जा रही है। लौंगोवाल टॉवर की करोड़ों रुपये की जो जमीन चली गई थी, उसे फिर से वापस ले लिया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट का निर्देश एस.आर.जी.बी. के बारे में पूरा कर लिया गया है। इसमें कठिनाई यह थी कि 1997 में दिल्ली की जो सरकार थी, उनसे बातचीत हुई थी और वह सुपर बाजार लेने के लिये तैयार थी लेकिन भारत सरकार की ओर से कहा गया कि मैनेजमेंट में उसका दखल समाप्त हो जायेगा और सुपर बाजार दिल्ली सरकार संभाल लेगी। चूंकि 1997 के बाद एस.आर.जी.बी. पूरा नहीं था, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था, इसलिये यह कार्यवाही नहीं हुई। जब कार्यवाही पूरी हुई तो 1997 के निर्णय के मुताबिक दिल्ली की सरकार ने लिखकर दिया कि वे सुपर बाजार लेना चाहते हैं। उस समय भारत सरकार ने बातचीत करके यह भी कहा कि जो लायब्लिटीज हैं, उसका कुछ हिस्सा भारत सरकार देने के लिये तैयार है। तत्पश्चात्, इतना इंतजार करने के बाद दिल्ली सरकार का जवाब आ गया है कि अब वह सुपर बाजार नहीं लेना चाहती।

सभापति महोदय, अब सरकार के सामने यह समस्या आ गई है कि इसका क्या किया जाये। चूंकि यह कैबिनेट का निर्णय था कि सुपर बाजार दिल्ली सरकार को दिया जाये, अब दिल्ली सरकार उसे लेना नहीं चाहती। सन् 1997 में शायद दिल्ली में बी.जे.पी. की सरकार थी और वह लेने को तैयार थी लेकिन आज की दिल्ली सरकार इसे नहीं लेना चाहती। मैंने स्वयं दिल्ली की मुख्यमंत्री से बात की है और उनसे कहा कि दिल्ली सरकार का कमिटमेंट था लेकिन उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में वह नहीं लेना चाहते हैं। हम माननीय सदस्यों के सुझावों और विकल्पों को लेकर कैबिनेट में जा रहे हैं कि इस बारे में अब क्या करना है।

सभापति महोदय, यहां बिस्कुट कांड के बारे में कहा गया। सी.बी.आई. ने कहा कि दो आई.ए.एस. अधिकारियों के खिलाफ मामला नहीं बनता है लेकिन जब मामला सी.वी.सी. के पास गया तो उन्होंने कहा कि मामला बनता है। हमने इससे सहमति प्रकट की कि उन दो आई.ए.एस. अधिकारियों के खिलाफ मामला बनता है। उनके खिलाफ अब कार्यवाही की जा रही है। कुल मिलाकर बहुत सी कार्यवाही की जा चुकी है। सी.बी.आई. को सात मामले दे दिये गये हैं। सी.बी.आई. ने प्रारम्भिक जांच रजिस्टर कर ली है। इंक्वायरी रिपोर्ट सैक्शन 69 और 73 के अंतर्गत आई है। वह रिपोर्ट हमने सी.बी.आई. को दे दी है ताकि उसमें जो क्रिमिनल आफैंस बनता हो, उस बारे में सी.बी.आई. नोटिस ले। सुपर बाजार का विजिलेंस डिपार्टमेंट भी एक्शन में आ गया है। उन्होंने

46 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दी है, 16 लोगों को सस्पैंड किया है, 13 के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी चली है, 24 लोगों के खिलाफ मेजर पैनल्टी की प्रोसीडिंग्ज चल रही है और 243 लोगों के खिलाफ माइनर पैनल्टी की कार्यवाही चल रही है। जो कुछ किया जा सकता था, वह हमने किया है लेकिन इस संस्था के बारे में क्या नया निर्णय हो और किस ढंग से इसे चलाया जाये, यह सोचने की बात है।

सभापति महोदय, यह बात बिल्कुल सत्य है कि भारत सरकार ऐसी संस्थाओं को चलाती रही है। इस सहकारी संस्था में 40 हजार सदस्य हैं, और 76 जनरल बाडी के सदस्य हैं। हम समझते हैं कि एक को-आपरेटिव की भावना हो जो ऐसी सब संस्थाओं को संभाले और इसका प्रबंध करे। चूंकि आज सरकार का इसमें दखल है, इसलिये उसे चलाना पड़ रहा है लेकिन पिछले दिनों इसकी ऐसी हालत थी कि यह संस्था अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही थी। लगभग 14 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है जिसे कर्मचारियों को वेतन देने के लिये उपयोग में लाया गया है।

सभापति महोदय, यहां लेखा-परीक्षा की बात कही गई। चूंकि हाई कोर्ट का स्टे जनरल बॉडी के बारे में कम्पलीट नहीं था, इसलिये उसमें देरी हुई है लेकिन लेखा परीक्षा दो साल का हो गया है। बाकी बहुत जल्दी कर दिया जायेगा।

एक बात कही गई कि किसी सहकारी समिति ने हमें प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव आया लेकिन उस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम कार्रवाई कर भी नहीं सकते। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। एक कारण यह है कि कैबिनेट का निर्णय है कि इस संस्था को दिल्ली सरकार को देना है। जब तक कैबिनेट उस निर्णय को नहीं बदलती तब तक कोई दूसरा निर्णय नहीं किया जा सकता और सभापति जी, यह सहकारी संस्था है।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): आपने रेकमंड किया है।

श्री शांता कुमार: बिल्कुल रेकमंड नहीं किया है।

श्री नरेश पुगलिया: आपने रेकमंड किया है कि राष्ट्रीय सहकारी भंडार को दिया जाए, उसमें आपके एम.पी. इनवाल्ड हैं, उसको देने के लिए आपने रेकमंड किया है।...*(व्यवधान)*

श्री शांता कुमार: यह आरोप बिल्कुल गलत है। इसमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। हमारे पास उनका प्रस्ताव आया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव के संबंध में विभाग विचार करके बात करे और जब बात की तो मैंने जैसे कहा कि एक तो हम निर्णय नहीं ले सकते। दूसरा यह सहकारी समिति है, इसका निर्णय सरकार नहीं ले सकती। न हमने कोई निर्णय लिया है, न लेंगे, न ले सकते हैं। इसका निर्णय 40000 सदस्यों द्वारा निर्वाचित 76 लोगों की जो इलैक्टेड बॉडी है वह कर सकती है। सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकती। न निर्णय किया है, न निर्णय करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस संस्था के बारे में हम भी चिन्तित हैं। दिल्ली में बड़ी आशाओं के साथ यह संस्था खुली थी लेकिन निरंतर गलत बातों के कारण इसकी जो स्थिति हुई...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: स्टैन्डिंग कमेटी की सब कमेटी ने इसके रिवाइवल के लिए कोई सुझाव दिया है?

श्री शांता कुमार: इसके रिवाइवल का जहां तक सवाल है, रिवाइवल तब हो सकता है जब 69 करोड़ रुपये की जो लायेबिलिटी है, यह पैसा कोई लगाने को तैयार हो। इतना अधिक पैसा इस प्रकार की संस्था में सरकार लगाए यह उचित नहीं है और इस प्रकार की सहकारी संस्थाएं जिसमें 40000 लोग सदस्य हैं, वहां संस्थाएं 40000 लोगों के द्वारा ही चलाई जाएं। सरकार का उस पर अधिक दखल रहा है यह भी एक कारण है कि ये संस्थाएं ठीक से नहीं चल सकीं। अब मंत्रिमंडल में हम इस पर विचार करेंगे और सारे विकल्प सामने हैं। किस ढंग से क्या हो सकता है इस बारे में आज हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन जो कार्रवाई हो सकती थी, भ्रष्टाचार के सारे मामले दे दिये गये, कार्रवाई हो रही है, रिकवरी डाल दी, बोर्ड बिल्कुल भंग कर दिया, कानूनी कार्रवाई इस संबंध में हो रही है, लेकिन भविष्य में इसका क्या होना है, यह तो सरकार के विचाराधीन है। उसके बाद ही हम निर्णय कर पाएंगे।...*(व्यवधान)* सूरी के त्यागपत्र देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने बोर्ड को भंग कर दिया है। वह अब कहीं पर हैं ही नहीं।

श्री नरेश पुगलिया: आपने बोर्ड को भंग किया है लेकिन उसमें हिमाचल कैडर से कोई प्रो. मिश्रा को लाकर बैठाया है और उनके आने के बाद ही दो साल में गड़बड़ हुई है। आप इस चीज को छिपा रहे हैं। जिस सहकारी भंडार की 200 करोड़ की प्रापर्टी है उसको आप एक लाख रुपये के शेयर कैपिटल वाले राष्ट्रीय सहकारी भंडार को देना चाहते हैं। आपने कहा नहीं देंगे, हम आपकी बात पर भरोसा करते हैं, लेकिन...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप समय पर उपस्थित नहीं थे, आपका नाम पुकारा गया था।

श्री नरेश पुगलिया: लेकिन यह महत्वपूर्ण सवाल है। यह देश की पायनीयर संस्था है।...*(व्यवधान)*

श्री शांता कुमार: हमने किसी को रेकमंड नहीं किया, हम रेकमंड कर नहीं सकते, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। यह आरोप बिल्कुल गलत है।

श्री नरेश पुगलिया: 1997 तक यह संस्था इनकम टैक्स पे करती थी। तीन साल में संस्था का दीवाला क्यों निकाला गया?...*(व्यवधान)*

सायं 6.09 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) - 2001-2002—*(जारी)*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): माननीय, सभापति महोदय, मैं अपने दल से अकेला वक्ता हूं। मुझे थोड़ा अधिक समय दिया जाए। नि:संदेह मैं यथासम्भव संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा।

महोदय, मैं इस मौके पर संपूर्ण देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। सभा के साथ पक्षों को इस बात का अच्छी तरह पता है कि सरकार की विनाशकारी नीतियों का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। आर्थिक सुधारों के दस वर्षों बाद कई संगठनों द्वारा प्रगति या चाहे आप इसे नकारात्मक विकास या असफलताएं कहें का जायजा लेने का प्रयास किया गया।

इसके लिए हम योजना के मध्यावधि मूल्यांकन, आर.बी.आई. की रिपोर्ट, सी.एम.आई. की रिपोर्ट और नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड इक्नॉमिक्स एण्ड रिसर्च के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और अन्य ऐसी रिपोर्टों का अध्ययन कर सकते हैं। इन सभी रिपोर्टों में एक ही बात सामने आई है वह है कि व्यापार में कमी आ रही है, निवेश कम हो रहा है, आय कम हो रही है और शेयर बाजार उतार पर है। सबसे अजीब बात यह कि सरकार को पता ही नहीं है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। सबसे अजीब बात यह भी देखने में आई है कि निजी क्षेत्र के लोग जिन्हें आर्थिक सुधारों का मुख्य संचालक माना जाता था, सरकार से निवेश का अनुरोध कर रहे हैं। यह एक अजीब बात हो रही है।

सत्तारूढ़ दल के कई वक्ता सुधारों का गुणगान कर रहे है, मेरे विचार से सरकार पर ऐसी स्थिति में केन्ज का सूत्र अपनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यदि ऐसी स्थिति है तो सरकार को बड़े पैमाने पर विशेषकर आधारभूत संरचना के क्षेत्र, जैसे सड़क, बिजली और अन्य ऐसी बातों पर निवेश करना पड़ेगा। यदि उन्हें ऐसा करना पड़ा तो उन्हें वित्तीय घाटे संबंधी सिफारिशों को नजरअंदाज करना होगा।

एक ओर वे कह रहे हैं कि कैसे फिस्कल रेस्पांसिब्लटी बिल अच्छा है तथा कैसे इसे शीघ्रता से पारित किया जाए दूसरी ओर सी.आई.आई., फिक्की तथा अन्यों के आह्वान के प्रति यह प्रतिक्रिया व्यक्त करने के अतिरिक्त उनके पास और कोई विकल्प नहीं है कि सरकार को बड़े पैमाने पर ढांचागत क्षेत्र में पूंजी निवेश करना चाहिए। यह सड़कों के लिए हो सकता है पहले से ही 10,000 करोड़ रुपए की राशि का राष्ट्रीय राजपथ परियोजना है।

विद्युत के बारे में आप जानते हैं कि एनरॉन के संबंध में क्या हुआ। अब न केवल उन्होंने वापसी का निर्णय ले लिया है परंतु वे धमकी दे रहे हैं कि यदि आप उनकी प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

डा. नीतीश सेनगुप्ता (कोन्टाई): उन्होंने इससे इंकार किया है।

श्री रूपचन्द पाल: जी, हां हो सकता है कि उन लोगों ने इंकार किया हो लेकिन धमकी दी गई थी और परिणामत: इसे कुछ कम किया गया ताकि बाद में क्यों प्रतिबंध की धमकी को पुन: सुदृढ़ किया जा सके। परंतु औद्योगिक क्षेत्र में सर्वत्र मंदी है। पहली तिमाही के दूसरे माह में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में अद्योगामी प्रवृत्ति जारी रही। वृद्धि केवल 1.9 प्रतिशत थी। यदि पिछले वर्ष से आप इसकी तुलना करें तो निर्माण क्षेत्र के बाजार विशेषकर इस्पात, सीमेंट और कागज जैसे पूंजीगत वस्तुओं में तीव्र गिरावट आई है। जहां कहीं भी आप देखते है, यह ऐसी स्थिति में आ गयी है। पिछले वर्ष बैंकिंग प्रणाली के निगमित क्षेत्र द्वारा इतना अच्छा उधार लेने के बाद यह केवल 18,000 करोड़ रुपए था तथा वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत था। अब यह 1,900 करोड़ के लगभग कम हो गई है। हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या स्थिति होगी। जब प्रधानमंत्री हमेशा 9 अथवा 10 प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं, यदि ऐसी परिस्थिति जारी रही तो 5 प्रतिशत की वृद्धि भी स्वप्न होगी। यह एक सपना बना रहेगा। ऐसी स्थिति में सरकार का स्थिति को संभालने का क्या प्रस्ताव है। नि:संदेह एक तरीका सरकार द्वारा अधिक पूंजी निवेश है। परंतु यह कितना विवेकपूर्ण निर्णय हो सकता है क्योंकि हम पहले से ही गंभीर घरेलू ऋण जाल में हैं।

इस समय तक हम लोग पहले ही उधार लेने के लक्ष्य को पार कर चुके हैं। इसके लिए कुछ सर्जनात्मक कल्पना शक्ति की आवश्यकता है जहां तक इसका संबंध है ऋण जाल में और फंसे बिना कैसे इसे सर्वोत्तम तरीके से किया जाए ताकि सरकारी निवेश में विशेषकर ढांचागत क्षेत्र में फिर भी नि:संदेह सामाजिक क्षेत्र में गरीबी की दशा में कमी के बारे में जो कुछ भी दावा किया जाए, यह गणना का एक तरीका है जो आपको 36 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा देगा। एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री द्वारा की गयी कवायद को देखिए। इसके अनुसार ऐसा किया ही नहीं गया

है, पिछले दस वर्ष के दौरान अमीर और गरीब के बीच की खाई अपेक्षाकृत बढ़ी है। यदि किसी एक वर्ग को लाभ हुआ है तो वह उच्च वर्ग हैं जिन्हें उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप बहुत लाभ हुआ है।

कोई चीन के बारे में बात कर रहा था। हर बार हम सत्तापक्ष, व्यावसायिक गृहों, सी.आई.आई. आदि के सांसदों को चीन ले जाने की बात सुनते हैं। हमारे पास चीन के संबंध में कुछ विचार है। आप मुझसे कहते रहे हैं कि हम चीन के एजेंट है।...*(व्यवधान)*

डा. नीतीश सेनगुप्ता: मुझे संदेह है कि आप चीन के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते है।

श्री रूपचन्द पाल: जी, हां। हम यह दावा कर सकते है। हम इसका अनुसरण कर रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं आपको बता सकता हूं कि 16 साल की आयु से मैं इसके अनुसरण का प्रयास कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं उस पर आ रहा हूं। उन्हें जानना चाहिए कि चीन के मामले में अनिवासी चीनी ही पूंजीनिवेश ला रहे हैं, इसका महत्वपूर्ण भाग है। हमारे मामले में यह अनिवासी भारतीयों के पूंजीनिवश का केवल 5 प्रतिशत है। क्या आप जानते हैं कि 110 बिलियन डालर से अधिक भारतीय धन विश्व के विभिन्न भागों में तथा स्विस बैंक और दूसरे स्थानों पर कर चोरी के लिए जमा है? हमारा वार्षिक वित्तीय कारोबार 65 बिलियन डालर है तथा 110 बिलियन डालर भारतीय धन वहां है।

डा. नीतीश सेनगुप्ता: चीन में अफसरशाही नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह भारतीय अफसरशाही नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: आप इसके बारे में बोल रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि जो कुछ चीन ने किया है, आप वह करें। आपके पास अपना भारतीय नमूना होना चाहिए। यह कैसे है कि स्वदेशी जागरण मंच एक बात कहता है और बी.एम.एस. कोई दूसरी बात कहता है तथा शिवेसना मजदूर संघ हमारे पास आते है तथा उदारीकरण और अंधाधुंध निजीकरण का विरोध करते हैं? यहां वे कुछ और कहते हैं। हमने इस बात पर ध्यान दिया है। 23 और 24 जुलाई को महाराष्ट्र में क्या हुआ? बी.एम.एस. संघ, शिवसेना संघ, डी.एम.के. तथा ए.आई.डी.एम.के. संघ, प्रत्येक मजदूर संघ वहां उपस्थित था। क्या आप एक भी मजदूर संघ पाते है जो उदारीकरण की प्रक्रिया से खुश हो?

वे मजदूर संघ के बारे में कह रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 लाख लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है। वे कहते हैं निजी क्षेत्र में होना कितना अच्छा होता है। मैं सरकारी प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहा हूं। यह भारत में बैंकिंग विकास पर आई.डी.बी.आई. का प्रतिवेदन है। यह कहा गया है: ''मार्च 2000 के अंत की स्थिति के अनुसार रुग्ण कम्पनियों की कुल संख्या का 82.6 प्रतिशत निजी क्षेत्र में 10.4 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 7 प्रतिशत संयुक्त क्षेत्र में था''। फिर भी वे कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र निष्पादन नहीं कर रहा है। मैं पुन: इस पर आता है। यह केवल रुग्ण कंपनियों की संख्या के संबंध में नहीं है। यह आई.डी.बी.आई. का प्रतिवेदन है। इसके अनुसार गैर-निष्पादनीय परिसंपत्तियां निजी क्षेत्र में सर्वाधिक थी।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): इसका निदान क्या है?

श्री रूपचन्द पाल: मैं उस पर आ रहा हूं। यह सरकार का प्रतिवेदन है। यहां सरकार के प्रतिनिधि विभिन्न बातें कर रहे हैं। बकाया ऋण सर्वाधिक निजी क्षेत्र में था। अधिकतम आंकड़ा क्या है? यह 89.1 प्रतिशत है। फिर भी दोष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर दिया जाता है। चीन ने ऐसा नहीं किया है। चीन के पास एक दिशा है। चीन को स्थिति और परिणाम की जानकारी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।

वहां एक बार जो निर्णय लिया जाता है, वह सर्वसम्मति से लिया जाता है तथा वे इसका पालन करते हैं और इसे करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: चीन के केमिकल्स की एक हजार से अधिक इकाइयों को बंद किया है।

श्री रूपचन्द पाल: मैं उस पर आऊंगा। कृपया मैं जो कहना चाहता हूं उससे मुझे हटाने की कोशिश मत करें।...*(व्यवधान)* कृपया मुझे डगमगाने की कोशिश मत करें क्योंकि इधर अथवा उधर दोनों की पक्षों ने एक ही प्रकार का अपराध किया है। प्रतिवेदन के अनुसार आज तक मजदूर संघ 89 प्रतिशत गैर-निष्पादनीय परिसंपतियों के लिए जिम्मेदार रहे है। एक बार ऐसा हुआ कि सी.आई.आई. के यूनाइटेड कमर्शियल बैंक नामक कमजोर बैंक को बंद करने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह कर्मचारी चूककर्त्ताओं की सूची यह कहते हुए सामने लाए 'अमुक' मिस्टर आप सी.आई.आई. में बैठे हैं तथा इसी बैंक को बंद करने का निर्णय ले रहे है। यहां आपका नाम है और क्योंकि आपने बैंक को राशि का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने अपना निर्णय वापस ले लिया।

महोदय, कई बार पश्चिम बगाल का उल्लेख किया गया है। ...*(व्यवधान)* मार्च के अंत में रुग्ण कम्पनियों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में थी उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान था।...*(व्यवधान)*

[श्री रूपचन्द पाल]

मैं आई.डी.बी.आई. के प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश में 12.8 प्रतिशत ऐसी इकाइयां है।...*(व्यवधान)* तत्पश्चात् गुजरात का स्थान है- पश्चिम बंगाल का नहीं - जहां उनकी अपनी सरकार है।...*(व्यवधान)* इस संबंध में पश्चिम बंगाल का स्थान इन राज्यों से काफी नीचे है।

न केवल उद्योग बल्कि कृषि भी प्रभावित हुई है। यह औद्योगिक वस्तुओं की मांग के पीछे मुख्य शक्ति है। निर्यात के कारण आपको कुछ भी करना है। आप निर्यात पर निर्भर नहीं हो सकते। केवल अमरीकी मंदी जापान में लगभग मंदी अथवा इन भी तथ्यों के कारण नहीं बल्कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हमारा निर्यात विकास उल्लेखनीय नहीं रहा है। दरअसल इसके परिणामस्वरूप केवल डम्पिंग हुई है। आयात के उदारीकरण के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि कृषक हानि उठा रहे है। वे लाभप्रद मूल्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी ओर कृषि में मंदी स्थिति और ऋणात्मक विकास के कारण औद्योगिक वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं की भी मांग अत्यंत कम है।

सर्वाधिक भयावह स्थिति यह है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर 1.8 प्रतिशत है जबकि कृषि विकास विशेषकर खाद्यान्न की दर 1.5 प्रतिशत है। हम तीव्र गति से अकाल की ओर बढ़ रहे है क्योंकि हमारा उत्पादन कम है। चीन में कृषि उत्पादन हमारे देश की तुलना में कई गुना ज्यादा है चाहे खाद्यान्न हो अथवा और कोई वस्तु।

तत्पश्चात् में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ओर आता हूं। केवल सूचना प्रौद्योगिकी जादू नहीं कर सकता। सूचना प्रौद्योगिकी एक साधन है यदि कृषि क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र और सेवाक्षेत्र में लगाया जाए तो विकास शीघ्र हो सकता है।...*(व्यवधान)* यह बेहतर कर सकता है। इसके अलावा हमें ढाचागत क्षेत्रों - दूरसंचार, विद्युत और कई दूसरे क्षेत्रों में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हम शून्य से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास नहीं कर सकते। हम सूचना प्रौद्योगिकी पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी की उपेक्षा की जाए परंतु सूचना प्रौद्योगिकी को अधिक उपयुक्त परिदृश्य में देखा जाना चाहिए। हार्डवेयर क्षेत्र तथा इन सूचना प्रौद्योगिकी कुलियों- यह किसी और की अभिव्यक्ति है- का भी विकास किया जाना चाहिए। क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्जनात्मकता से परिणाम प्राप्त होगा, किसी दूसरे देश अथवा किसी दूसरे राष्ट्र के लिए काम न करे, वहां जाकर वहां न ठहरकर यहां धन अर्जित करने का लाभ होगा। अनिवासी चीनियों के संबंध में वे व्यापारी है परंतु हमारे मामले में वे डाक्टर, इंजीनियर विशेषज्ञ आदि है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: उस तरह से भारत को भी कुल लाभ प्राप्त होगा।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मैं नहीं, जानता हूं क्यों वे मेरा विचार - जोड़ने का प्रयास कर रहे है। राजस्व संग्रहण तीव्र गति से कम हो रहा है। मैं केवल पिछली तिमाही का आंकड़ा दे रहा हूं।

महोदय, अप्रैल से जून की पहली तिमाही में कर संग्रहण में पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में 13 प्रतिशत की भारी कमी देखी गई है। यह 32,419 करोड़ रुपए था जबकि लक्ष्य, 37,217 करोड़ रुपए था। यह विशेषकर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मामले में है। दूसरा मामला डीजल की खपत है। देश की औद्योगिक स्थिति का कुछ मूल्यांकन इससे किया जा सकता है। डीजल की खपत साढ़े तीन प्रतिशत हो गई है।

इस प्रकार जहां तक स्थिति का सवाल है सभी जगह की स्थिति एक सी है चाहे वह कृषि हो या उद्योग या सेवा क्षेत्र।

महोदय, अब हम लोगों को वित्तीय समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। तीन वित्तीय संस्थानों यथा आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई. तथा एक अन्य संस्थान का कुल एन.पी.ए. (गैर निष्पादनकारी आस्ति) 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हैं। मैं नहीं जानता कि उनकी क्या स्थिति होगी। कल इस विषय में रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों द्वारा तुलना पत्र में फेरबदल (प्रोविजनिंग आफ बैलेंस शीट) किए जाने को गम्भीरता से लिए हैं। यह लगभग 400 करोड़ रुपए का है।

महोदय, अब हमें 'कोर' सेक्टर को देखना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में क्या करने का विचार है। 'इनरोन' के साथ जो कुछ हुआ इसके बाद कोई भी बाहर का देश या विदेशी कम्पनी की हमारी अवसंरचना का विकास करने में रुचि नहीं है। अवसंरचना का विकास 1944 योजना जिसे टाटा योजना के नाम से भी जाना जाता है का एक भाग था। यह सुझाव दिया गया था कि कुछ विशेष क्षेत्रों की पहचान की जाए जिसमें सरकार को निवेश करना चाहिए क्योंकि उस समय निजी क्षेत्र ऐसा करने की स्थिति में नहीं था। अत: धीरे-धीरे हमारे प्रथम प्रधान मंत्री स्व. प. नेहरू तथा अन्य लोगों ने एक योजना तैयार की और कुछ विशेष क्षेत्रों की पहचान की, जिनका विकास सरकार द्वारा विकास किये जाने की आवश्यकता थी। यह सत्य है कि इस बात में मत भिन्नता थी। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि होटल क्षेत्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सरकार को निवेश करना चाहिए। मैं मंगोलिया गया जहां मैंने पाया कि सरकार द्वारा काफी छोटे और अमहत्वपूर्ण क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।

महोदय, सरकार को अपनी अंधाधुंध विनिवेश करने संबंधी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में गड़बड़ की जाती है। यदि स्टाक मार्किट पर परिपूर्ण चर्चा की जाए- क्योंकि विनिवेश-निवेश पर विभिन्न दृष्टिकोण और विभिन्न सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर चर्चा कि जाती है- मैं शायद इस बात पर सबूत दे सकूं कि महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के मूल्यों में, बोली के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले ही भारी घटबड़ की जाती है। ऐसा होता है। अब तक सरकार इस प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव लाना चाहती है। अब कोई बोलीदाता नहीं है। इस संबंध में एक जीता जागता उदाहरण माडर्न फूड लिमिटेड का है। सरकार शायद इस बात से सहमत न हो। माडर्न फूड लिमिटेड के बारे में निवृत्त-लेखा परीक्षक की टिप्पणी, इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में हैं।

महोदय, अब हम बालको का मामला लें। बाल्को के कर्मचारियों द्वारा सी.वी.सी. (मुख्य सतर्कता आयुक्त) को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। और सी.वी.सी. ने और अधिक दस्तावेज की मांग करते हुए कर्मचारियों को पत्र लिखें हैं। उन्होंने कहा कि- उन्होंने दस्तावेज को पढ़ा है और इसमें उन्हें प्रथम दृष्टा साक्ष्य का मामला दिखता है। अत: उन्होंने इस संबंध में और अधिक प्रमाण की मांग की है। अब लाभ कमाने वाले उपक्रमों को लेते हैं। हमारे यहां कई ऐसे अच्छे उपक्रम हैं जिनके पास भारी परिसम्पत्ति है। इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे 'इस्को' (आई.आई.एस.सी.ओ.) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी। इस कम्पनी के पास 20,000 से ज्यादा कुशल मजदूर हैं। यह देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। इसके पास अपनी रक्षित खान है, अपना अच्छा संयत्र है तथा अपनी अच्छी टाउनशिप है। यह देश का सबसे पुराना इस्पात संयंत्र है, इसकी दो इकाईयां है- एक बर्नपुर में तथा दूसरा कुलटी में है, तथा सरकार ने इन्हें अपने नियंत्रण में ले रखा है। अब इसका मामला बी.आई.एफ.आर. के अंतर्गत है। अब सरकार इस संस्थान के लिए दो किस्तों में 500 करोड़ रुपये की राशि देने पर विचार कर रही है। पहली किस्त 150 करोड़ रुपये की है। इसके कर्मचारियों के (वी.आर.एस.) स्वैच्छिक निवृत्ति योजना पर सरकार को 450 करोड़ रुपये की राशि व्यय करनी होगी। हम लोगों ने माननीय प्रधान मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री दोनों को इस संबंध में पत्र लिखे हैं। उन्होंने कहा कि वे मामले को देख रहे हैं। इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में यह स्थिति है।

महोदय, मैं एक उदाहरण निजी क्षेत्र का देना चाहता हूं। हमेशा सदन में चर्चा होती है और सरकार कहती है कि 26 प्रतिशत शेयर के साथ ही सरकार कम्पनी पर पूरा नियंत्रण कर सकती है। अत: सरकार का हिस्सा 26 प्रतिशत तक नीचे लाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। यह समय विवाद का नहीं है। भारत में डनलप इंडिया लिमिटेड नाम की एक कम्पनी है। जिसमें सरकार की 34 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह कम्पनी भारतीय वायुसेना के लिए उत्तम गुणवत्ता वाले 'एयरो-टायरों' का उत्पादन करती है। यह कम्पनी उत्तम कोटी के 'कन्वेयर बेल्टों' का उत्पादन करती है जिसका एक अच्छा निर्यात बाजार है। यह अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले 'स्टील कोर्ड' का उत्पादन करती है। तथापि इस कम्पनी के मालिक ने कम्पनी से अपना पैसा निकाल लिया और विदेश चला गया, गिरफ्तारी की डर से वह कभी भी भारत नहीं आता। माननीय मंत्री जी को इन सब बातों की जानकारी है। कई बार इस सिलसिले में हम लोग माननीय रक्षा मंत्री, प्रधान मंत्री तथा साथ ही वित्त मंत्री से भी मिले। हम लोग उनसे एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें। इस स्थिति से निपटने के लिए व्यापक विनिवेश करने के बजाय सरकार को इस मामले में विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए।

डनलप इंडिया लिमिटेड ही नहीं और भी अवसंरचना के क्षेत्र हैं जैसे- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि बैंक पैसो से भरे पड़े हैं। वे उधार पैसा देने का जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। साथ ही कर्ज भी कम दे रहे हैं। मैंने ऊर्जा के बारे में चर्चा की है, मैंने- अवसंरचना के बारे में भी चर्चा की है, मैंने 'इस्को' के बारे में चर्चा की है तथा मैंने डनलप के बारे में भी चर्चा की है। जहां तक ओ.एन.जी.सी. का प्रश्न है मैकेन्जी ने पहले से ही एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जितना शीघ्र हो सके सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को उन लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जिनकी नौकरी चली गई है। अभी तक लगभग एक करोड़ लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपना रोजगार गंवा चुके हैं। इन लोगों को बचाने के लिए तथा इन्हें कैसे दूसरा रोजगार दिया जा सके इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

इस समय बी.आई.एफ.आर. के विचाराधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। 28 अगस्त, 2001 की स्थिति के अनुसार जैसा की प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कर्मचारियों की मजबूरी के रूप में 1,278 करोड़ रुपये का बकाया है। इनके भुगतान के लिए शीघ्र प्रबंध किए जाने चाहिए। 10 वर्षों के आर्थिक सुधारों ने हमें एक बंद गली में ला छोड़ा है। सरकार भी किंकर्त्तव्यविमूढ़ है। अत: सरकार को सभी राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करना चाहिए। 1 सितम्बर को एन.डी.ए. की बैठक होने जा रही है। सरकार को एन.डी.ए. में शामिल अन्य दलों के विचार और अनुभव को सुनना चाहिए तथा साथ ही इस मामले में और बेहतर क्या किया जा सकता है इस पर विचार किया जाना चाहिए।

तथापि मैं नहीं समझता कि सरकार यह सब करने की स्थिति में है। वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती। उनके सहयोगी दल भिन्न-भिन्न दिशाओं में खींचा-तानी कर रहे हैं। सरकार बिना किसी नीति

[श्री रूपचन्द पाल]

अथवा सिद्धांत के कार्य कर रही है। वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अत: जितना जल्दी हो सके उन्हें सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए।

महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं।

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): सभापति महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा।

मेरा पहला मुद्दा कृषि से संबंधित है जो अर्थव्यवस्था का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत से अधिक भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। अनेक कठिनाइयों के बावजूद जिनका सामना उन्हें अपनी दैनिक जिंदगी में करना पड़ता है, खाद्यान्नों का उत्पादन करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनकी कड़ी मेहनत के फलस्वरूप ही आज चावल, गेहूं, चीनी तथा कई खाद्यान्न वस्तुएं देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी कारण आज देश की अर्थव्यवस्था नियंत्रण में है। उद्योग जगत में कुछ मंदी है। इसी कारण देश में आर्थिक मंदी है। वस्तुत: कृषि देश को बचा रही है। हमें कृषि क्षेत्र को और अधिक समर्थन देने की आवश्यकता है। मैं प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा करना चाहूंगा। मैं पहले भी इस संदर्भ में सुझाव दे चुका हूं। चक्रवात तथा सूखा कृषि क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सरकार को किसानों की मदद करने हेतु कदम उठाने चाहिए। निर्यात देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग विभिन्न देशों को अपना कृषि उत्पाद निर्यात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई देश निर्यात में लगे हुए हैं क्योंकि डब्ल्यू.टी.ओ. निर्यात के लिए सब्सीडी (आर्थिक सहायता) को बाधित नहीं करता है।

इस दृष्टिकोण से मेरा विश्वास है कि कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे। इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। पिछले कुछ महीनों के दौरान हम लोगों के सामने एक विकट समस्या थी। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों को खरीद नहीं पा रहा था और किसान अपने खाद्यान्नों का भंडारण नहीं कर पा रहे थे। खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए प्राप्य संख्या में भांडागार नहीं हैं अत: किसान अपने उत्पादों को बहुत कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य हैं जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

मेरा अनुरोध है कि यदि सरकार भांडागारों के निर्माण और उसके लिए कुछ प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव लाती है तो यह काफी सहायक होगा। यदि हम भांडागारों की क्षमता बढ़ाने में सफल होते हैं तो अधिक खाद्यान्नों का भण्डारण किया जा सकेगा। लेकिन यहीं पर समस्या का अंत नहीं होता। इसके अतिरिक्त इनका निर्यात भी आवश्यक है। अत: हम लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिरिक्त खाद्यान्नों को बाहर देशों को निर्यात किया जाए तथा हमें अपने देश के लिए भी समुचित मात्रा में खाद्यान्न रखना होगा।

महोदय, गोदावरी बेसिन में पिछले एक महीने में तीन बार भयंकर बाढ़ आई। लगभग 70 प्रतिशत पानी बहकर समुद्र में चला जाता है जबकि कृष्णा नदी के दूसरी ओर सूखा है जिसके कारण पूरा कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अत: मैं यह महसूस करता हूं कि यदि पोलावरम परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होता है तो इन सभी समस्याओं को दूर करने में सहायता मिलेगी और बाढ़ से होने वाली क्षति को भी रोका जा सकेगा तथा कृषि प्रयोजनों, औद्योगिक प्रयोजनों और पीने के लिए जल का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। सभी प्रयोजनों के लिए जल काफी महत्वपूर्ण है। अत: मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा पहलू है कि जिसपर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। राज्य सरकार जिसके पास अधिक संसाधन नहीं है वह इस परियोजना में भागीदार बन सकता है।

माननीय वित्त मंत्री राज्य सरकार की वित्तीय संसाधनों और आर्थिक स्थिति से भलीभांति परिचित हैं।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस वर्ष आंध्र प्रदेश को सूखे से काफी नुकसान हुआ है। 350 से अधिक मण्डलों में बहुत कम वर्षा हुई है तथा 500 मण्डलों में तो नाममात्र की वर्षा हुई है। वहां स्थिति काफी गम्भीर है। इस संदर्भ में हमारी राज्य सरकार ने भारत सरकार को पहले ही एक प्रस्ताव भेजा था। विशेषज्ञों का एक दल भी वहां के दौरे पर गया था, लेकिन इन सबके बावजूद भी वे आवश्यक सहायता कार्य को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। वस्तुत: हमारी राज्य सरकार ने आंकड़ों सहित विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। हम लोगों ने अनुरोध किया था कि सहायता के तौर पर हमें 849 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हो सकता है वे हमें पूरी राशि न दें लेकिन उन्हें कम-से-कम सहायता के तौर पर हमें पर्याप्त धनराशि जारी करनी चाहिए। ताकि हम अपनी समस्याओं से सही ढंग से निपट सकें। ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु हमने 356 करोड़ रुपये की मांग की है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पशुधन तथा कृषि क्षेत्र के लिए हम लोगों ने कुछ सहायता की मांग की है।

हमने आवश्यक धनराशि का मदवार उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है कि सरकार सभी संभव कदम उठायेगी और हमारे राज्य की समय से सहायता करेगी ताकि लोग अपनी समस्याओं से उबर सकें और अपने क्रियाकलापों का विस्तार कर सकें।

महोदय, मैं दूसरी बात बैंकिंग क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। हम बैंकिंग प्रणाली और उसमें हुए घोटालों के बारे में बात

कर रहे हैं। हम सभी को ज्ञात है कि यू.टी.आई. की यू.एस.-64 योजना में क्या हुआ। हम आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई. और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं में जो हो रहा है उससे अवगत हैं। वे वित्तीय अनियमितताओं के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। अत:, उन सभी पर शुरू से ही सरकार द्वारा उचित रूप से नियंत्रण किये जाने की आवश्यकता है।

सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं। उन्हें उनके कार्यकलापों की निगरानी करनी चाहिये। जहां गलती हो रही हो वहां उन्हें उस पर शीघ्र ध्यान देना चाहिये। यदि वे इन कार्यों पर ध्यान नहीं देंगे और ऐसा प्रावधान नहीं किया जाएगा तो स्थिति में सुधार नहीं होगा। हमें पता है कि हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाला में क्या हुआ, इसमें लोगों ने बिना किसी प्रतिभूति के बहुत अधिक ऋण दे रखा था। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि यह जिम्मेदारी सरकार की है। वित्त मंत्रालय को चाहिये कि अपने प्रतिनिधियों को उचित रूप से मार्गनिर्देशन और अनुदेश दें ताकि वहां कुछ भी गलत होने पर वे उचित और कठोर कदम उठायें। अन्यथा, यदि सब उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी।

महोदय, आज वे आई.एफ.सी.आई. को अर्थक्षम बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये देने के बारे में सोच रहे हैं। इसी प्रकार आई.डी.बी.आई. को और अधिक सहायता की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि बैंकिंग सेक्टर का ध्यान रखा जायेगा।

महोदय, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा हुआ है। हमें पता है कि कृषक अरबन बैंक के मामले में क्या हुआ। इसको भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में समझा जाता था। इससे पहले हमने देखा है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में लोगों ने बहुत अधिक धन निवेश किया और उनका शोषण हुआ। उनकी ब्याज दर बहुत ऊंची थी। उसके बाद हमने उन्हें और बैंककारी वित्तीय निगम (विनियमन) अधिनियम लाकर भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन लाने के बारे में सोचा।

इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक को इन सभी वित्तीय संस्थानों और बैंकों पर नियंत्रण रखना है और उनमें न्यूनतम इक्विटी और अन्य बातों पर ध्यान रखना है। उनकी उचित संवीक्षा की आवश्यकता होती है। यदि ये सभी उपाय किये गए होते और उनका पालन किया गया होता तो इस प्रकार की कोई बात नहीं होती।

आज क्या हो रहा है, हजारों छोटे निवेशकों की करीब 30-40 करोड़ रुपये की बचत का नुकसान हुआ है। इसी मामले में सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिये। उनकी सहायता करने के लिये गलती करने वालों को दण्ड भी दिया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि भारतीय रिजर्व बैंक उन्हें आवश्यक अतिरिक्त सहयोग, अतिरिक्त शक्ति और अतिरिक्त नियंत्रण प्रदान करेगा। उन्हें इन बातों पर नियंत्रण रखना चाहिये। अन्यथा वित्तीय संस्थानों और अन्यों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, स्टाक बाजार इनके कार्यकरण पर निर्भर करता है। यदि स्टाक बाजार में गिरावट आती है तो इसका निवेशकों पर प्रभाव पड़ता है। पहले कुछ लोग सोने के रूप में निवेश करना चाहते थे लेकिन अब हम उद्योगों में भी निवेश करने लगे हैं। एक बार निरूत्साहित हो जाने पर वे पुन: गैर-उत्पादक निवेश की ओर उन्मुख हो जायेंगे। हमें पुन: उन लोगों को उद्योग में निवेश के लिये वापस लाना होगा। बचत की संस्कृति का विकास हुआ है और छोटे निवेशकों की बचत में वृद्धि हो रही है। अचानक कुछ कठिनाइयां आ रही हैं और इसके कारण बहुत अधिक समस्यायें पैदा हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि इस पर कोई न कोई नियंत्रण होना चाहिये और पद्धति में सुधार किया जाना चाहिये।

जहां तक औद्योगिक उत्पादन का संबंध है, इसमें गिरावट आई है। हमें इस गिरावट के कारण जानने होंगे, हमें यह भी देखना है कि हम उन्हें और अधिक सहायता कैसे दे सकते हैं। मेरा मानना है कि डब्ल्यू.टी.ओ. और, वैश्वीकरण आदि का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिये नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। तंत्र बनाया गया है जिसकी सहायता से हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इस बारे में बात की है कि पाम आयल के मूल्यों ने उन्हें कैसे प्रभावित किया है। उस पर ड्यूटी 300 प्रतिशत हो गई है। हमें सावधानीपूर्वक अपने आन्तरिक बाजार की स्थिति देखनी है। यदि बहुत अधिक ड्यूटी लगायी जायेगी तो समस्यायें उत्पन्न होंगी। माननीय वित्त मंत्री ने भी हमसे इस विषय में बात की है। ड्यूटी में वृद्धि के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई और इस प्रकार आम आदमी प्रभावित होता है।

इसको नियंत्रित करने की व्यवस्था हमारे पास है। इसका संचालन अपने देश में ही किया जाता है और डब्ल्यू.टी.ओ. का इससे कोई लेन-देन नहीं है। इनमें से कुछ बातों पर लगातार और सतत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हमारे पस डंपिंग विरोधी (एन्टी डंपिंग) तंत्र है, एन्टी डंपिंग विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इसे बहुत सक्रिय होने की आवश्यकता है। ऐसा ही फारेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड में हो रहा है, प्रत्येक सप्ताह उन्हें इसके निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए और इसकी जानकारी मंत्रालय को देनी चाहिए। उन्हें देर से निर्णय लेने के बजाय यथासंभव शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमें इन मदों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, हमने इसमें पहले ही लगभग 2,50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है

[डा बी.बी. रमैया]

लेकिन इसका प्रतिफल अत्यन्त कम है, और यह प्रतिफल भी निर्देशित मूल्यों के कारण मिल रहा है। यह प्रतिफल भी तेल क्षेत्र और ओ.एन.जी.सी. आदि के कारण मिल पा रहा है जो कि कुछ करने में सक्षम हैं। लेकिन घाटे में बढ़ोत्तरी हो रही है। उद्योग तीन प्रकार के हैं। प्रथम प्रकार के उद्योग वे हैं जो अर्थक्षम नहीं हैं और हमें उन्हें बन्द करना है। इसके लिये माननीय मंत्री पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना आदि लाये हैं। इससे उन्हें मदद मिल रही है। दूसरे प्रकार के उद्योग वे हैं जिन्हें अर्थक्षम बनाया जा सकता है। लेकिन उन्हें पर्याप्त सहायता की आवश्यकता है। तीसरे प्रकार के उद्योग वे हैं जो उपर्युक्त दोनों प्रकार की श्रेणी में नहीं आते हैं अत: उनका निजीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार उद्योगों की ये तीन श्रेणियां हैं।

हम इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ ही उपक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं। शुरूआत में हमने 2-3 वर्ष के लिए क्रय वरीयता प्रदान की है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रम उनकी सहायता करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे देखने में आ रहा है कि वे उनकी सहायता एकदम नहीं कर रहे हैं, इससे क्रय वरीयता देने का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है और इसका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। कुछ अत्यन्त सक्षम एवं गुणवत्ता वाले उद्योग भी संकट में हैं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उनको सहयोग नहीं दे रहे हैं। इसलिये हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इन स्थितियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। लोग इन विषय में सचिवों से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि वास्तव में, स्थिति क्या है, बी.एच.पी.वी. आदि जैसी यूनिटों के सामने क्या कठिनाई है। वे बाजार में किसी अन्य यूनिट के मुकाबले अच्छे दर्जे का सामान उत्पन्न करने में सक्षम हैं लेकिन वे फिर भी उनकी किसी न किसी प्रकार उपेक्षा कर दी जाती है। और यह अवसर किसी और यूनिट को दे दिया जाता है।

हमने कराधान के विषय में पहले ही कहा है कि इस देश के 2-3 प्रतिशत व्यक्ति कर देते हैं। इसका आधार व्यापक है और हमें चाहिये कि देश के अधिक से अधिक व्यक्तियों को कर के दायरे में लायें। वे छोटी धनराशि अदा कर सकते हैं, लेकिन इससे काफी सहायता मिलेगी। कर अधिक होने पर नकारात्मक प्रतिफल मिलता है। इसके बजाय हमें इसको अधिक से अधिक व्यक्तियों में बांटना है और यह देखना है कि अनेक तरीकों से अधिक से अधिक व्यक्ति कर के दायरे में लाये जायें। वास्तव में, उन्होंने इसकी शुरूआत शहरी क्षेत्रों में की और इसको शहरी क्षेत्रों में ही बढ़ाया। इस पर और अधिक विचार की आवश्यकता है। अत: उन्हें देखना है कि कराधान के तरीके में कैसे सुधार किया जाये...*(व्यवधान)*

हमें कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की सहायता फसल बीमा द्वारा करनी है। इस संबंध में कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। फसल बीमा योजना यथाशीघ्र आनी चाहिये ताकि परेशान कृषकों को सहायता दी जा सके। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां फसल बीमा को उचित रूप से नहीं लागू किया गया है। नि:संदेह उनके पास अनेक तरीके हैं जिनसे वे यह कार्य कर सकेंगे।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' का है। 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' वे मूल वस्तुयें हैं जिनकी आज हमें सड़क, बिजली एवं अन्य वस्तुओं में आवश्यकता होती है। सड़क के मामले में हम सड़क उपकर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे हम कुछ निर्माण कार्य कर सकते हैं। इसका कुछ अंश लगभग 2,500 करोड़ रुपये का प्रयोग ग्रामीण सड़कों के लिये जाता है। हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में एक मांग की है। मैंने एक प्रस्ताव तैयार करके सरकार के पास भेज दिया है। प्रस्ताव यह है कि कम से कम दो करोड़ रुपये विशषत: संसद सदस्य द्वारा सिफारिश करने के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिये। संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र में बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। माननीय वित्त मंत्री भी अपने राज्य के बारे में जानते हैं। प्रत्येक विधायक को 75 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक दिए जा रहे हैं। अनेक विधायक तो संसद सदस्य के बराबर धनराशि प्राप्त कर रहे हैं। एक संसद सदस्य को दो करोड़ रुपये दिया जाते हैं जो पहले उचित प्रकार से उपयोग में नहीं लाये जाते थे लेकिन अब हम इसे उचित रूप से उपयोग में ला रहे हैं। इस वर्ष हमने 12 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का उपयोग किया है। हमारे पास अनुपूरक मांगें भी हैं। हम चाहते हैं कि इसमें चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाये ताकि संसद सदस्य भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर कह सकें कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास में उनका भी कुछ योगदान है। सड़क योजना का कुछ भाग, कम से कम 2 करोड़ रुपये जो कि प्रत्येक संसद सदस्य के क्षेत्र के लिए करीब 5 करोड़ रुपये हो जायेगा- सरकार को चाहिये कि इसे विशेषत: संसद सदस्यों की सिफारिश के लिये आरक्षित रखे और इसका शेष भाग विधायकों की सिफारिश के लिये रखे जिससे कि संसद सदस्य भी प्रभावी हो सकें।

वृद्धावस्था सेवानिवृत्त लाभ एक ऐसा मद है जो लम्बित है और मुझे विश्वास है हम इसे यथाशीघ्र पारित कर सकते हैं। हमें इस मामले में कोई तंत्र बनाकर इस दिशा में कुछ कार्यवाही करनी चाहिये।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, इसके विकास के लिए और अधिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। अनुपूरक मांगों में इस क्षेत्र को बहुत कम दिया गया है। पर्यटन भी एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे सरकार से सहयोग की आवश्यकता है।

हमने इसके बारे में पहले नहीं सोचा। मेरा विश्वास है कि हम इस क्षेत्र को अधिक सहायता दे सकते हैं ताकि हमें इससे अधिक लाभ मिल सके। हमें इससे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

एन.ए.एफ.ई.डी. को भी मात्र 100 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इसे कृषि उत्पादों के लिये बहुत अधिक खरीददारी करनी होती है। खाद्य निगम के साथ-साथ इसे भी आगे आना चाहिये। हमें निर्यात क्षेत्र को भी अधिक सहयोग देने की आवश्यकता है क्योंकि निर्यात देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में सक्षम है। हमें अच्छे पैंकिंग सिस्टम की भी आवश्यकता है। हैदराबाद में स्थित पैंकिंग इन्स्टीच्यूट ने कुछ योगदान दिया है और सरकार को चाहिए कि इसे मान्यता और सहयोग प्रदान करे। इसकी सहायता से हमें लाभ हो सकता है।

एक दूसरा 'आइटम' 'ब्राण्ड इक्विटी' है। जिसके बारे में पहले बात की गई है। अच्छी कम्पनियां अनेक अच्छे उत्पाद बना रही हैं लेकिन उनके उत्पादों का बाहर सही ढंग से विज्ञापन नहीं हो रहा है। ब्राण्ड के नाम का काफी प्रभाव पड़ता है। मैंने देखा है कि जब एक विशेष प्रकार की काली मिर्च को प्रसिद्ध ब्रान्ड की बोतल में रखा गया तो यह प्रति बोतल तीन डालर की दर से बिकी। लोग सोचते हैं कि एक विशेष 'ब्रान्ड' बहुत अच्छा होता है। अत: मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री 'ब्रान्ड इक्विटी' को और अधिक सहयोग देंगे जिसकी शुरूवात पहले कर दी गयी है। अनेक अच्छे उद्योगों के पास ब्रान्ड के लिये पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। यदि सरकार उन्हें सहयोग देगी तो वे इस समस्या से उबर सकेंगे।

इसी प्रकार हमें जलकृषि (एक्वा कल्चर) को सहयोग देना है। इसमें सुधार हो रहा है। गत वर्ष हमने 6,000 करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात किया। विजाग से मछुवारे यहां आये। उन्होंने डीजल की सहायता मांगी जिससे कि 'एक्वा कल्चर' का पर्याप्त रूप से विकास किया जा सके। कुछ राज्यों ने सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के रूप में सहायता प्रदान की है। अन्य राज्यों में भी जहां ऐसा नहीं है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिये जिससे की वे 'एक्वा कल्चर' का विकास कर सकें। इससे हमारे देश में बहुत अधिक धन आयेगा। कुछ वस्तुओं का उल्लेख किया गया और अनेक वस्तुओं पर वित्त मंत्री द्वारा विचार किया जाना है जिससे कि अर्थव्यवस्था एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

युवकों के लिये रोजगार क्षमता भी महत्वपूर्ण विषय है। आंध्र प्रदेश 'द्वारका' (डी.डब्ल्यू.ए.के.आर.ए.) प्रोग्राम के तहत महिलायें जो कि कभी भी बाहर नहीं निकलती थी अद्भुत रोजगार कर रही हैं। उन्हें सरकार से कुछ सहायता की आवश्यकता है। अनेक कंपनियां उनके उत्पादों के विपणन के लिये आगे आ रही हैं। यदि सरकार उन्हें कुछ सहयोग दे तो वे अपनी बहुत अधिक ऊर्जा उपयोगी उत्पादों के उत्पादन में लगा सकेंगी। मुझे विश्वास है कि सरकार इन वस्तुओं पर बहुत अधिक सहायता देगी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): सभापति महोदय, बड़े खेद का विषय है कि इस वर्ष हमारे देश का बजट बिना किसी बहस के पारित हो गया। शायद इतिहास में यह पहला बजट रहा होगा कि जिस पर बहस नहीं हुई। दोष कहां रहा? लोग कहते हैं कि विपक्ष दोषी रहा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार दोषी रही। अगर विपक्ष जेपीसी की मांग कर रही थी तो सरकार को उसका विरोध नहीं करना चाहिए था। इस कारण बिना बहस के बजट पारित हो गया। यदि बहस होती तो हम लोगों की तरफ से बहुत से सुझाव आते। हालांकि वह उसे मानें या न मानें यह अलग बात है। मैं वित्त मंत्री जी को अच्छे सुझाव देना चाहता हूं। वह उसे मानें या न मानें वह उनकी इच्छा है। देश को आजाद हुए 54 वर्ष हो गए हैं। माननीय वित्त मंत्री गांवों में जाकर देखें। उन्होंने देखा भी होगा। शायद इस समय न देख पा रहे हों। गांव के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। आज भी उनके पास घर नहीं हैं। गांवों में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में लाखों लोग ऐसे हैं जो जाड़े में आग जला कर सर्दी से बचते हैं। इतना बड़ा बजट आता है। उत्तर प्रदेश में लाखों लोग ऐसे हैं जो जाड़े में आग जला कर सर्दी से बचते हैं। इतना बड़ा बजट आता है लेकिन वह गांवों में 10 परसैंट भी नहीं पहुंच रहा है। सारा पैसा ऊपर से लूट लिया जाता है। कांग्रेस की 40-45 वर्ष तक हुकूमत रही। वित्त मंत्री जी का शायद यह चौथा बजट है लेकिन 40 बजट पेश करने वाले लोगों ने इस देश को कूड़े में फेंक दिया। कुछ भी गरीबों तक नहीं पहुंचा। वित्त मंत्री जी उनका अनुसरण कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं आया है। बोतल का केवल लेबल बदल गया है। जो कांग्रेस कर रही थी, वही बी.जे.पी. की सरकार कर रही है। आप जो ग्रांट देते हैं उसे चैक करें। राज्यों में जो योजनाएं चलती हैं उनका भी बुरा हाल है। आज समाजवादी पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश में पीड़ा है, बिहार में भाजपा और दूसरे दल के लोगों को पीड़ा है, मध्य प्रदेश में दूसरे दल को पीड़ा है और राजस्थान में भाजपा को पीड़ा है। यहां से सीधे धन जिलों में जाता है। सांसदों को पता नहीं होता और न ही उनसे राय ली जाती है। एक सुनिश्चित रोजगार योजना है। इसके लिए भारत सरकार का पैसा सीधे ब्लॉक में जाता है। एक करोड़ रुपया यहां से गया। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में काम देखा। वहां एक रुपए का काम नहीं हुआ। केवल एक नाले की सफाई हो गई। करोड़ों रुपए केवल कागज पर खर्च हो गए। अगर 10 लाख रुपए भी खर्चा होता है तो कहा जाता

[श्री चन्द्रनाथ सिंह]

है कि बहुत खर्चा हो गया। आज गांव डूब रहे हैं, फसल डूब रही है। पैसा कागजों में जाता है। ग्रामीण विकास मंत्री को लिखते हैं तो वह सिंचाई विभाग से रिपोर्ट मंगाते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर ने पैसा खाया होता है। वे गोलमोल करके रिपोर्ट दे देते हैं। वही चीज पहले हो रही थी और वही अब हो रही है। पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है इसे देखें। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पैसा गया। वहां इस पैसे से तनख्वाह बंट रही है। एम.एल.एज. से राय ली जाती है और लिस्ट मांगी जाती है लेकिन सांसदों से उत्तर प्रदेश में लिस्ट नहीं ली जा रही है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो उत्तर प्रदेश के अपने पार्टी के सांसदों को बुला कर पूछ लीजिए कि क्या सुनिश्चित रोजगार योजना में उनसे पूछ कर खर्चा किया जा रहा है? 1998 तक उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के सांसदों को निधि मिलती थी लेकिन वह बंद हो गई है। 1998 तक सांसदों से विद्युतीकरण के लिए पांच-पांच गांवों की लिस्ट ली जाती थी। उनसे एक-एक विधान सभा क्षेत्र में पांच की और पूरे संसदीय क्षेत्र में 25 की लिस्ट ली जाती थी। लेकिन बाद में सांसदों का नाम काट दिया गया है कि सांसद यह काम नहीं करेंगे, एम.एल.एज. करेंगे। अगर भारत इलैक्ट्रिफिकेशन के लिये राज्य सरकारों को पैसा देती है, यह सदन सहमत होगा कि हममें से कोई नहीं करेगा। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि सांसदों की राय ली जाये। यह हमारा अधिकार नहीं है कि हम गांव में एक खम्भा दे सकें, सुनिश्चित रोजगार योजना में राय दे सकें और प्रधानमंत्री सड़क योजना में किसी सड़क के लिये नाम दे सकें। भारत सरकार की तरफ से एन.जी.ओज. को विकलांगों के लिये पैसा दिया जाता है लेकिन उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिलता। जो फर्जी संस्थायें हैं, सारा पैसा उनके घर पर पहुंच जाता है।

सभापति महोदय, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत, मैं नहीं समझता कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 100 लोग भी शिक्षा पा रहे होंगे। प्राइमरी स्कूल टूटे पड़े हैं। अगर सरकारी भवन बनाने के लिये पैसा दिया जाता है तो बच्चे पढ़ते नहीं और जहां पढ़ते हैं तो खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और बरसात में लड़के-लड़कियां पड़े रहते हैं। इस बारे में कोई सोचता नहीं है।

सभापति महोदय, नाबार्ड या विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार सड़कें बनाने के लिये पैसा देती है लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र में जिस सड़क पर तीन परत मिट्टी पड़नी चाहिये थी, केवल एक परत ही मिट्टी पड़ रही है। यदि पैसे का सही उपयोग हो तभी दिया जाये और फिर हम अपनी जन-आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मैं डेनमार्क गया था। वहां मैंने देखा कि एक सड़क 1897 की बनी हुई थी लेकिन 100 साल बीतने के बाद भी उसकी मरम्मत के लिये एक पैसा खर्च नहीं किया गया है और वह सड़क वैसी की वैसी है। माननीय वित्त मंत्री जी, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में किसी अधिकारी के खिलाफ जांच कराई होगी। जब हम लोगों का वेतन बढ़ रहा है तो सारे देश में हंगामा हो रहा है। बड़े अधिकारियों, इंजीनियरों के लड़के-लड़कियां विदेश में पढ़ रहे हैं, क्या आप उन लोगों का काला धन निकालने की कोशिश करेंगे? माफिया द्वारा लूट मचाई हुई है। उत्तर प्रदेश में बड़े लोगों के पास 100-100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका है, क्या सरकार उनका काला धन निकालेगी? क्या सरकार कोई नई चीज करके दिखायेगी? मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने कुछ नहीं किया है।

सभापति महोदय, आज चीन जैसे कई देशों से स्मगलिंग करके चोरी से माल यहां लाया जा रहा है और एक्साइज तथा कस्टम पर डाका डाला जा रहा है। वे कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं लेकिन चोरी से लाया गया सामान सस्ते दर पर यहां बेचा जा रहा है। इन सबसे सरकार को भारी घाटा हो रहा है। सरकार इन अनुपूरक मांगों द्वारा जो पैसा लेना चाहती है जिसका मैं विरोध करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसे खोजने की कोशिश की है कि यह पैसा कहां जा रहा है। अगर पिछले पचास वर्षों में कोई सही काम किया गया होता तो हिन्दुस्तान इतनी तरक्की कर लेता। चीन इतनी तरक्की कर रहा है लेकिन हम लोग रोटी के लिये मर रहे हैं। अगर हमारी शिक्षा नीति सही होती तो जो पैसा एन.जी.ओज. के माध्यम से दिया जा रहा है और बर्बाद हो रहा है, वह व्यर्थ नहीं गया होता। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिए होते जो आज हमारी यह दुर्दशा न होती।

आज हमारी दो नीतियां चल रही हैं। अगर किसानों को कर्जा दिया जाता है तो वह पूरी तरह वसूल किया जाता है जबकि लोग कर्जा लेकर भी ठाठ से घूमते रहते हैं और देश को लूट रहे हैं। कर्जे से बचने के लिए वे कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रहे हैं। यदि किसान ने 10,000 रुपये कर्ज लिया है तो वह कर्जा धीरे-धीरे वापिस कर भी देता है। इस संदर्भ में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक उदाहरण देता हूं। ललन बिन्दू ने किसानी काम के लिए 10,000 रुपये का कर्जा लिया था जिसमें से उसने 8,000 रुपये का भुगतान कर भी दिया था। केवल 2,000 रुपये न देने पर उसे तहसीलकर्मी पकड़ कर ले गए और पीटते-पीटते उसे बुरी तरह मार डाला। जब किसानों ने आन्दोलन किया तो गोली चली। 2,000 रुपये कर्जा वापिस न करने पर उसे चौदह दिन के लिए बंद कर दिया गया जबकि अमीर आदमी मंत्री और अधिकारी से मिलता है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह दोहरा कानून किस लिए है? गरीब बंद किया जाता है जबकि अमीर कर्ज लेकर भी देश को लूट रहा है। इस नीति में परिवर्तन होना चाहिए।

सायं 7.00 बजे

उत्तर प्रदेश में 14 दिन हवालात में जिस ढंग से बंद किया जाता है, वहां चार-छः फीट की जगह होती है जिसमें खड़ा रहना पड़ता है। ट्टी-पेशाब भी वहां करना पड़ता है। एक मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश में ऐसे हुए जो किसानों के नेता थे- मुलायम सिंह जी ने किसानों का 10000 रुपये का कर्जा माफ किया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो किसान उत्तर प्रदेश में खुशहाल होगा और अमीर हवालात में बंद होगा। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी। हमने किसान पेन्शन लागू की लेकिन आज किसानों को पेन्शन नहीं मिल रही है। हमने इंदिरा आवास अनिवार्य रूप की बात की। आज जो इंदिरा आवास उत्तर प्रदेश में चल रही है, वित्त मंत्री जी पता कर लें क्योंकि उसमें भारत सरकार से पैसा जा रहा है- जिसके पास दुमंजिला मकान हैं, जिसके पास स्कूटर है, कार है, जो माफिया हैं, वे इंदिरा आवास का लाभ उठा रहे हैं और जो गरीब झोंपड़ी में रह रहा है उसके लिए इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं है। इन बातों पर वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। हम वित्त मंत्री जी को राय देंगे कि 10-15 सांसदों को बुला लीजिए कि उनके क्षेत्र में जो पैसा दे रहे हैं उसका उपयोग हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी कीजिए। मेरी समझ से आप एक बेरूखे टाइप के मंत्री हैं कि अधिकारी जो कहेंगे, वह करेंगे। अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, देश में सुधार करना चाहते हैं, नई क्रांति लाना चाहते हैं, गरीबों तक रोटी पहुंचाना चाहते हैं, सड़कें पहुंचाना चाहते हैं, पानी पहुंचाना चाहते हैं, बिजली पहुंचाना चाहते हैं, तो करप्शन को रोकना पड़ेगा। अगर आप करप्शन को रोकने में सफल नहीं हैं तो इस देश के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि यहां की सरकार करप्शन को बढ़ावा दे रही है, करप्शन को रोक नहीं रही है। आपके समय में घोटाले हो रहे हैं, कांग्रेस के समय में घोटाले हुए। संयुक्त मोर्चा की सरकार रही तो अच्छी रही मगर इस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि यह गरीबों, किसानों और जो भुखमरे हैं, उनके लिए कोई योजना लाएगी। अगर आप में जरा भी दया हो तो ऐसी योजनाएं लाएं जिससे किसानों और गरीबों को लाभ हो।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि अगर आप यह कर रहे हैं तो आप सबसे पहले भ्रष्टाचार को रोकिये। जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, पनपता जा रहा है, आपकी सरकार में और भी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अगर वित्त मंत्री जी भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हुए तो हमें विश्वास है कि हमारा देश तरक्की करेगा।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, सरकार द्वारा अनुदानों की पूरक मांगें जो विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

यह बात सही है कि पिछले समय से जब से एनडीए की सरकार है वित्तीय प्रबंधन के कारण काफी सुधार हुआ है। हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है, विदेशों में हमारे ऊपर विश्वास जमा है, एक ओर जहां हमारी प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि हुई है, वहीं विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी अच्छा है। ऐसी स्थिति में हम विश्वास से कह सकते हैं कि हम आर्थिक स्थिति में निरंतर अग्रसर हैं, इसमें काफी प्रगति हुई है। हमने जो उपाय किये हैं, उनके कारण विभिन्न क्षेत्रों में जो अनावश्यक खर्चा था, उसमें कटौती हुई है और इसके कारण कई मंत्रालयों ने अपने से संबंधित जो स्टाफ है, उसमें भी कमी करने का निर्णय लिया है। उसके कारण भी अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध लगेगा और उसके कारण जो बजट है, वह राष्ट्रीय निर्माण की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से सहायक होगा। मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि न तो मैं आर्थिक समीक्षा के उद्धरण देना चाहता हूं और न आंकड़े प्रस्तुत करके समय लेना चाहूंगा। कुछ बातें माननीय सदस्यों ने यहां पर कही हैं, उनको न दोहराते हुए संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगा।

सभापति महोदय, यहां पर नैफेड के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। यह सही है कि नैफेड का कार्य बड़ा विस्तृत है। देश में और बाहर भी उसे काफी काम करना पड़ता है, लेकिन पिछले समय से नैफेड के कार्यकरण में कुछ गिरावट आई है जिसके कारण चिन्ता स्वाभाविक है और यह आवश्यक है कि हम उसके कार्यकरण को ठीक करें। नैफेड के द्वारा किसानों को जो समर्थन मूल्य दिया जाता है, फिर चाहे वह सोयाबीन का समर्थन मूल्य हो, गेहूं का समर्थन मूल्य हो या अन्यान्य किस्मों का समर्थन मूल्य हो, वह नैफेड के जरिए राज्य सरकारों को जाता है और राज्य सरकारें खरीद का प्रबन्ध करती हैं। कई स्थानों पर तो स्वतः केन्द्रीय सरकार ने जिन फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया, उन समर्थन मूल्यों से नीचे जाकर किसानों को अपनी उपज बेचनी पड़ी और जो समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया था फिर चाहे वह नैफेड के द्वारा वहां तक पहुंचा हो, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उस प्रकार का निर्णय नहीं लिए जाने से या सामयिक निर्णय नहीं होने से, वह ठीक से नहीं पहुंचा और उसका लाभ किसानों को नहीं मिल सका।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो वित्तीय सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वे नहीं मिल रही हैं। वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर फसल बीमा की चर्चा के साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में चर्चा की गई है। अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जिन बैंकों को उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए, किसानों को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन बैंकों द्वारा उन्हें किसान

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। उन्हें कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब कहीं बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। जो पात्र किसान हैं उन्हें भी किसान क्रेडिट कार्ड समय पर नहीं मिल रहे हैं। इस बात को देखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जैसा मैंने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आती हैं, लेकिन मूलतः फसल के जो आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, वे राज्य सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं कि किस फसल का कितना और किस प्रकार का नुकसान हुआ है। उसके बाद में केन्द्रीय सरकार अपनी तरफ से निधियां देती है, लेकिन राज्य सरकार से संबंधित जो निधियां हैं, जो निधियां राज्य सरकार की तरफ साधारण बीमा के लिए दी जानी चाहिए, जो राज्य सरकार का अंशदान है, वह नहीं दिया जाता हैं। किसानों से पैसा वसूल कर लिया जाता है, बैंकों में पैसा जमा है, केन्द्र सरकार का भी पैसा जमा है, लेकिन राज्य सरकार का अंशदान नहीं आने से किसानों को बीमे का जितना लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण हैं। माननीय वित्त मंत्री जी इस बारे में जानते हैं। मैं चाहूंगा कि फसल बीमा का पूरा-पूरा लाभ किसानों को मिल सके और हमारा जो साधारण बीमा निगम है, वह भी उसके अंदर गति लाए, ताकि फसल बीमा का काम ठीक प्रकार से हो सके।

सभापति महोदय, चूंकि अनुदान मांगों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए निधि मांगी गई हैं, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों हमने देखा है कि विभिन्न राज्यों द्वारा कुछ योजनाएं प्रस्तुत की गई। मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मध्य प्रदेश द्वारा इस योजना के अंदर एक ऐसी सड़क प्रस्तावित की गई, जो सड़क बनी हुई है और उसका आधा भाग डामरीकृत है। उस सड़क को फिर से बनाने के लिए 70 लाख रुपए फिर से खर्च करने का प्रावधान किया गया। मैंने उस पर आपत्ति उठाई कि सड़क बनी हुई है और यदि आधी सड़क बनाना चाहते हैं, तो बनाएं।...*(व्यवधान)* उसे फिर से देखा जाना चाहिए।

कुंवर अखिलेश सिंहः सभापति महोदय, सदन के अंदर कोरम नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न है।

महोदय, लेखानुदान मांगों पर चर्चा चल रही है और सदन में कोरम नहीं है, यह ठीक नहीं है। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह सदन में कोरम की व्यवस्था करे। आप जिम्मेदार आदमी हैं। आप ऐसी बात मत कहिए।

सभापति महोदय, मैं कोरम का सवाल उठा रहा हूं। आप कृपया कोरम सुनिश्चित कीजिए। हम रोजाना यह देख रहे हैं कि छः बजे के बाद सदन चलता है और कोरम नहीं होता है। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है और मैं अपने प्रश्न पर बल दे रहा हूं।

सभापति महोदयः चूंकि अब आप बैठ गए हैं। इसलिए यह मान लेता हूं कि आप कोरम की बात पर प्रैस नहीं कर रहे हैं और आप मान गए हैं।

कुंवर अखिलेश सिंहः सभापति महोदय, मैं नहीं माना हूं। मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं।

सभापति महोदयः क्या आप कोरम प्रैस कर रहे हैं?

कुंवर अखिलेश सिंहः जी हां, मैं कोरम प्रैस कर रहा हूं।

सभापति महोदयः ठीक है, बैल बजाई जाए।

सायं 7.15 बजे

कोरम बेल बज रही है,

सभापति महोदयः सदन में कोरम का अभाव है, इसलिए सदन की कार्यवाही कल दिनांक 28 अगस्त, 2001 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 7.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 अगस्त, 2001/ 6 भाद्रपद, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 27 अगस्त,2001/ 5 भाद्रपद ,1923 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(ii)	12	पोसपोर्ट	पासपोर्ट
143	12	श्री सी.निवास	श्री सी.निवासन
165	9	श्री सुल्ताल सल्लाऊद्दीन ओवेसी	श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी
423	25	सि	तो इस
427	पाद टिप्पण	हिन्दा	हिन्दी
439	6	नक्सलवाद से निपटने	नक्सलवाद की समस्या से निपटने

पी.एल.एस.–48.19.25/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।